चौथी पंचवर्षीय योजना

वार्षिक योजना

1973-74

उत्तर प्रदेश सरकार

नियोजन विभाग

मार्च, 1973

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ-संख्या
I—प्रस्तावना	1
II—वर्तमान स्थिति	5
III—वित्तीय दृष्टिकोण	13
IV—क्षेत्रीय कार्यक्रम—	
1—कृषि	
(1) कृषि उत्पादन	17
(2) लघु सिंचाई	32
(3) भूमि संरक्षण	47
(4) कृषि शोध तथा शिक्षा	49
(5) छोटे किसान तथा खेतिहर मजदूर	52
(6) कृषि में विनियोजन के लिये संस्थात्मक वित्त	56
(7) भण्डारागार	57
2—पशुपालन	132
3—दुग्ध व्यवसाय तथा दुग्ध सम्पूर्ति	169
4—मत्स्य पालन	178
5—वन	193
6—सहकारिता तथा सामुदायिक विकास—	
(1) सहकारिता	203
(2) सामुदायिक विकास	208
(3) पंचायतीराज	210
7—सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण—	
(1) सिंचाई	225
(2) बाढ़ नियंत्रण	235
8—विद्युत्	257
9—उद्योग और खनिज विकास—	
(1) वृहद् और मध्यम उद्योग	282
(2) खनिज विकास	283
10—ग्राम और लघु उद्योग	291
11—परिवहन तथा संचार—	
(1) सड़क तथा पुल	321
(2) सड़क परिवहन	322
(3) पर्यटन	323

अध्याय	पृष्ठ-संख्या
12—शिक्षा—	
(1) सामान्य शिक्षा	333
(2) प्राविधिक शिक्षा	337
13—स्वास्थ्य	411
14—परिवार नियोजन	452
15—जल सम्पूर्ति	453
16—आवास और नगर विकास	460
17—पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण	466
18—समाज कल्याण	493
19—शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण	512
20—बेरोजगारी	524
21—सूचना एवं प्रसार	529
22—अन्य कार्यक्रम—	
(1) सांख्यिकी	533
(2) मूल्यांकन	533
(3) शोध सम्बन्धी कार्यकलाप	534
(4) ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम	535
(5) राज्य में नियोजन संगठन को सुदृढ़ करना	536
(6) दाशमिक तौल तथा माप	538
(7) ग्रामीण अभियांत्रिक सर्वेक्षण	538
V—पिछड़े क्षेत्रों तथा समुदायों के कार्यक्रम	551
VI—प्रशासनिक नीति और संस्थागत रूप रेखा	593
VII—पांचवीं योजना के लिये अग्रिम कार्यवाही	597
विवरण-पत्र—	
विवरण पत्र 1—राज्य आयोजनागत परिव्यय तथा व्यय	612
विवरण पत्र 2—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	618
विवरण पत्र 3—भौतिक कार्यक्रम	652

अध्याय--I

प्रस्तावना

अनेक कारणों तथा परिस्थितियों के वश उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की दर बहुत ही धीमी है। इसके सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण इस समय की निम्न कृषि उत्पादिता है। बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि पर उसकी अत्यधिक निर्भरता, विनियोजन की धीमी रफ्तार, औद्योगीकरण की मन्द गति और फलस्वरूप अत्यधिक बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी इसके अन्य कारण हैं।

2--अर्थ-व्यवस्था की इस गतिहीनता के कारणों का विश्लेषण करने पर हमें विदित होता है कि नियोजन की अवधि में अपर्याप्त विनियोजन हुआ है। आरम्भ से ही, राज्य में विकास परिव्यय अखिल भारतीय औसत की तुलना में बहुत कम रहा है। पहली योजना के दौरान, राज्य में प्रति व्यक्ति परिव्यय केवल 24 रुपये था, जबकि उत्तर प्रदेश को छोड़कर, अन्य राज्यों में यह 41 रुपये , पंजाब में 98 रुपये, गुजरात में 57 रुपये और पश्चिम बंगाल में 55 रुपये था। दूसरी तथा तीसरी योजनाओं के दौरान, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति परिव्यय बढ़कर क्रमश: 34 रुपये और 75 रुपये हो गया, किन्तु इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक स्थिति पूर्ववत् निम्न स्तर पर ही रही, दूसरी योजना में 15 राज्यों और तीसरी योजना में 16 राज्यों में से उसका स्थान 15वां था। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि चौथी योजना के दौरान अन्य राज्यों में होने वाले 122 रुपये प्रति व्यक्ति परिव्यय की तुलना में, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति परिव्यय 103 रुपये होगा। 1971 की जनगणना सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर बनाये गए जनसंख्या के नवीनतम अनुमानों के अनुसार यह परिकल्पना की गई है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति परिव्यय लगभग 120 रुपये होगा, जबकि शेष राज्यों में यह 126 रुपये होगा। यह धनराशि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा (224 रुपये), पंजाब (217 रुपये), महाराष्ट्र (178 रुपये) और गुजरात (170 रुपये) की तुलना में बहुत कम है।

3--उत्तर प्रदेश की दी गई केन्द्रीय सहायता भी कम रही है, परन्तु राज्य की विशेष समस्याओं तथा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में बढ़ती हुई अनुभूति के कारण हाल में कुछ सुधार नजर आया है। पहली योजना के दौरान प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता केवल 13.38 रुपये थी, जबकि दूसरे राज्यों के लिए यह 25.76 रुपये थी और पंजाब के लिए तो यह 84.66 रुपये तक थी। दूसरी और तीसरी योजनाओं के दौरान स्थिति निराशाजनक ही बनी रही। चौथी योजना के दौरान स्थिति में कुछ सुधार हुआ, जबकि अन्य सभी राज्यों के 66.66 रुपये के औसत की तुलना में, उत्तर प्रदेश को 59.54 रुपये प्राप्त हुए। जनसंख्या के पूर्व अनुमानों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि केन्द्रीय सहायता के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान दसवां है और उसे अन्य राज्यों के 65 रुपए के औसत की तुलना में 56 रुपये प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी।

4--केन्द्रीय सरकार की प्रायोजनाओं में लगाई गई कुल धनराशि, 31 मार्च, 1968 को 3,042.4 करोड़ रुपये थी। इस अखिल भारतीय विनियोजन में उत्तर प्रदेश का अंश केवल 125.6 करोड़ रुपये था, जो कुल विनियोजन का केवल 4.1 प्रतिशत था। इस स्थिति में हाल में थोड़ा सा सुधार हुआ है। निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजनाओं में, जिनमें 157 करोड़ रुपये की धनराशि लगाई गई है, उत्पादन आरम्भ हो चुका है :

(1) ऐंटीबायोटिक्स, ऋषिकेश;

(2) हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार;

(3) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी;

(4) फर्टीलाइजर फैक्ट्री, गोरखपुर;

(5) फ्रीज्ड मीट प्लांट, टुडला;

(6) त्रिवेनी स्ट्रक्चरल्स, नैनी;

(7) बेकरी प्लांट, कानपुर; और

(8) सिंगरौली कोल फील्ड।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारखानों में भी 86 करोड़ रुपए की पूंजी का विनियोजन किया जा रहा है :

(1) भारत पम्प्स ऐंड कम्प्रेसर्स, नैनी;

(2) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, नैनी;

(3) एच० ए० एल० एयरक्राफ्ट एक्सेसरीज, लखनऊ;

(4) भारत इलेक्ट्रानिक्स, गाजियाबाद; और

(5) एलाय स्टील फैक्ट्री, कानपुर।

यद्यपि विनियोजन की ये धनराशियां इससे पूर्व की योजनाओं में लगाई गई धनराशियों से कहीं अधिक हैं, फिर भी पिछली अवधि की कमी पूरी करने के लिए ये अपर्याप्त हैं। जहां तक निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है, पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान लगाई गई कुल 9,000 करोड़ रुपए की पूंजी में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा केवल सात प्रतिशत था। बड़े पैमाने पर फैल रही बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए चौथी योजना की अवधि में रोजगार के नये अवसर सृजित करने के लिए यह अपर्याप्त ही है।

5--लोगों द्वारा की गई बचत विनियोजन का एक महत्वपूर्ण साधन है। परन्तु आय के निम्न स्तर के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के 63 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों के निवासियों के 45 प्रतिशत के लिये आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की भी व्यवस्था नहीं हो पाती अत: राज्य में बचत की दर भी स्वभावत: कम है। फिर भी उत्तर प्रदेश में जो भी बचत हो पाती है वह भी पूर्ण रूपेण राज्य में उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं होती। वर्ष 1969 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित बैंकों (Shedule banks) में कुल जमा धनराशि में से केवल 44.5 प्रतिशत धनराशि राज्य के भीतर में लगाई गई थी, जब कि समग्ररूप से भारत का तत्संबन्धी प्रतिशत 72.2 था। इसी वर्ष के दौरान, जबकि इस राज्य का देश की कुल जमा धनराशि में 8.3 प्रतिशत का योगदान रहा बैंक ऋण में इसका अंश केवल 5.1 प्रतिशत था। इस स्थिति में बाद में कुछ सुधार दिखाई पड़ा और अनुसूचित बैंकों में जमा धनराशि का जो आनुपातिक प्रतिशत अंश राज्य के भीतर विनियोजन हेतु उपलब्ध है उसके 1969 के 44.5 की तुलना में 1970 में 51 होने की आशा है। उत्तर प्रदेश जैसा निर्धन राज्य इस बात के लिये समर्थ नहीं है कि उसकी बचत का दूसरे राज्यों के लिये उपयोग किया जाय। इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि व्यावसायिक बैंकों की नीतियों को ऐसी नयी दिशा दी जाय, जिससे कि राज्य की बचत राज्य के ही भीतर विनियोजन हेतु उपलब्ध हो सके।

6--भारत सरकार की वित्तीय संस्थाओं का योगदान कुछ समय पहले तक अपर्याप्त ही था। उत्तर प्रदेश में दी गई अग्रिमों की धनराशियां भारत में दी गयी अग्रिमों की धनराशियों का केवल 6.5 प्रतिशत थीं। भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो भाग है उसकी तुलना में यह प्रतिशत बहुत कम था। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिशत धनराशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन) द्वारा लगायी गयी थी किन्तु उसका स्तर भी भारत का केवल 12.1 प्रतिशत था। जून 1971 में राज्य सरकार के मुख्यालय पर संस्थागत

वित्त कक्ष (इंस्टीट्यूशनल फाइनेन्स सेल) स्थापित हो जाने के फलस्वरूप राज्य की अर्थ-व्यवस्था में संस्थात्मक वित्त द्वारा अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आरम्भ कर दिया है।

7—सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले कुल क्षेत्र का जिसमें बहुफसली खेती का प्रसार हो जाना चाहिये था, अभी भी पूरा उपयोग नहीं हो पाया है, और 1969–70 में (मैदानी भाग में) दो फसली क्षेत्र केवल 53.16 लाख हेक्टेयर रहा। राजकीय नल-कूपों के परिचालन में भी काफी सुधार होना है और राजकीय नल-कूप क्षेत्र के लिये प्रभावकारी फसल प्रतिरूप तैयार किया जाना है।

8—सर्वतोन्मुखी विकास के लिये विशेषकर कृषि तथा उद्योगों के विकास के लिये, विद्युत् एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्थापना (Infrastructure) है। वर्ष 1968–69 में राज्य में, विद्युत् की अविष्ठापित क्षमता 1,310 मेगावाट थी। 1970–71 में यह बढ़कर 1,434 मेगावाट और 1971–72 में 1,572 मेगावाट हो गयी। परन्तु उत्पादन अभी भी मांग से बहुत कम है और यही कारण है कि कनेक्शनों के आवेदन-पत्र काफी समय तक विचाराधीन पड़े रहते हैं। कंडक्टरों, तार खंभों, स्टील और सीसे की कमी के कारण विद्युत् कार्यक्रम के प्रसार में कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं। विद्युत् उत्पादन की मशीनरी के प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई अनुभव हुई है। यह संभावना है कि राज्य में चौथी योजना के अन्त में 500 मेगावाट विद्युत् की कमी होगी।

9—बहुमुखी विकास के लिये सड़कों का विकास एक ऐसी प्रारंभिक आवश्यकता है, जिसका पहले पूरा होना परमावश्यक है। पक्की सड़कों की कमी बुन्देलखन्ड और पर्वतीय संभागों में विशेष रूप से अनुभव की जाती है। बंबई योजना में, उत्तर प्रदेश के लिये, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 15.9 किलोमीटर सड़क का लक्ष्य रखा गया था, जब कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखन्ड को छोड़कर सड़कों की वर्तमान (वर्ष 1971 की) लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर केवल 11.1 किलोमीटर है। इस प्रकार बहुत बड़ी कमी पूरी की जानी है। सड़क रोलरों को प्राप्त करने की कठिनाई सड़क निर्माण के कार्यक्रम में बाधक सिद्ध हो रही है। इस बाधा को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं।

10—राज्य की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता प्रत्येक ग्राम में पेय जल की संपूर्ति है। इस समय भी 36,505 ग्राम ऐसे हैं, जिनमें पेय जल की सुविधाएं अपेक्षित हैं। इनमें से लगभग 16,000 ग्राम पर्वतीय क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों में है, जो बराबर सूखे से ग्रस्त रहते हैं। शेष लगभग 20,000 ग्राम उन जिलों में है जिनमें पेयजल की विषम समस्या है और उसे तुरन्त हल करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 11 वर्ष से कम आयु के समस्त बालकों तथा बालिकाओं को शिक्षा सुविधायें प्रदान करने की आधारभूत आवश्यकता की शीघ्र व्यवस्था की जानी है। राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें निम्न स्तर पर है। अतएव, अधिक एवं अच्छी चिकित्सा एवं उपचार की व्यवस्था करनी है।

11—राज्य के सामने जो वृहद समस्यायें हैं उनमें से बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या अधिक तीव्र है। अर्थव्यवस्था में विविधीकरण (diversification) के अभाव में यह संभव न हो सका कि अतिरिक्त श्रम-शक्ति की जो प्रति वर्ष 6–7 लाख होती है, रोजगार पर लगाया जा सके। सीमित विनियोजन के कारण, उद्योग तथा व्यापार के खन्डों की अतिरिक्त व्यक्तियों को काम देने की क्षमता भी बहुत कम है।

12—लघु उद्योगों के विस्तार द्वारा अर्थ व्यवस्था में विविधीकरण करके अतिरिक्त (surplus) खेतिहर मजदूरों को लघु उद्योगों में लगाकर बहुत सी समस्याओं के समाधान की, विशेषत: बेरोजगार तथा अर्द्ध-रोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन की आशा है। मध्यम एवं वृहद् उद्योगों के विकास के लिए ऋण उपलब्धि एवं इच्छुक उद्योग कर्ता आधार शिला हैं। आशा है कि उनके द्वारा परोक्षरूप से अन्य छोटे सहायक उद्योग लगान

का क्षेत्र बनेगा और अन्य साथ ही तीसरे खण्ड (tertiary sector) का विस्तार होगा। परम्परागत हस्त शिल्प की वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए "उत्तर प्रदेश निर्यात निगम" (यू० पी० एक्सपोर्ट कार्पोरेशन) की स्थापना की गई है। यह निगम निर्यात करने वालों को वित्तीय सहायता तथा बन्दरगाहों पर सुविधाएं प्रदान करता है। राज्य सरकार ने कमजोर चीनी की इकाइयों के अधिकृत नियन्त्रक के रूप में कार्य करने के लिए एक चीनी निगम (शुगर कार्पोरेशन) की स्थापना की है। चीनी उत्पादन में सम्भावित कमी को बचाने के उद्देश्य से निगम द्वारा कुछ रुग्ण चीनी मिलों को, अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जा चुका है। उद्योग निदेशालय का भारी उद्योग अनुभाग जमीन, बिजली और मशीनें प्राप्त करने में निजी उद्योगकर्ताओं की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम नए औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए निर्माण स्थलों का विकास कर रहा है।

13—विकास सम्बन्धी प्रयासों के बावजूद, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण राज्य की प्रगति में बाधा पड़ रही है। एक बड़ी जनसंख्या के लिए सामाजिक कार्य सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति हेतु उत्पादन कार्यक्रमों से अपेक्षाकृत अधिक धनराशियां चिकित्सा, शिक्षा तथा आवास सम्बन्धी सुविधाओं जैसे समाज कल्याण कार्यक्रमों के निमित्त संक्रमित करनी पड़ती है। इस पृष्ठभूमि में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को तत्काल कार्यान्वित करने की आवश्यकता हो जाती है और इस दृष्टिकोण से इन कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि जनसंख्या की काफी वृद्धि की रफ्तार पर उसका समुचित प्रभाव पड़ सके।

14—सामान्य पिछड़ेपन के अतिरिक्त राज्य के तीन विशेष रूप से पिछड़े हुए संभागों अर्थात् पूर्वी, बुन्देलखण्ड और पर्वतीय संभागों की अपनी विशिष्ट समस्याओं के समाधान करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्वी संभाग चिरकाल से पिछड़ा हुआ है और भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक भार तथा बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बार-बार पीड़ित रहता है। बुन्देलखण्ड की भौगोलिक दशा विशेष प्रकार की है और यहां कृषि की उपज दर कम है। इस क्षेत्र में सिंचाई तथा परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की विशेष रूप से कमी है। पर्वतीय संभाग में भू-प्रदेश दुर्गम है, वहां संचार साधन अपर्याप्त हैं और भूमि की उत्पादिता कम है। राज्य की चौथी योजना में इन सभी का विशेष ध्यान रखा गया है और इनके लिए 338.4 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। प्रत्येक संभाग के लिए एक-एक स्वायत्त विकास निगम की स्थापना करके, उपर्युक्त तीनों संभागों की विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक नया मोड़ दिया गया है। इन निगमों द्वारा नए उद्योगों की स्थापना करके आर्थिक विकास की गति को तीव्र बनाने की आशा की जाती है।

15—आवश्यकता यह है कि ऐसे संस्थात्मक तथा मनोवृत्ति सम्बन्धी परिवर्तन किए जायें जो वृद्धि की गति को तीव्र करने में सहायक हों। पिछड़े हुए संभागों की समस्याओं को सुलझाने के लिए स्थापित किए गए संभागीय विकास निगमों के अलावा, राज्य औद्योगिक तथा विनियोजन निगम (स्टेट इंडस्ट्रियल ऐंड इनवेस्टमेन्ट कार्पोरेशन), सीमेन्ट निगम, परिवहन निगम तथा चीनी निगम जैसे कई नए निगम स्थापित किए गए हैं। अभी हाल ही में एक सेतु निगम (ब्रिज कार्पोरेशन) की भी स्थापना की गई है। भारतीय खाद्यान्न निगम के कार्यकलापों की पूर्ति करने के लिए एक राज्य खाद्यान्न निगम के गठित किए जाने का प्रस्ताव है। मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त एक निदेश समिति, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित निगमों के कार्यों में समन्वय लाने का कार्य करेगी तथा यदि उनके कार्य में जो रुकावटें आयेंगी उन्हें दूर करने में सहायता प्रदान करेगी। गत वर्ष गठित राज्य नियोजन संस्थान ने अपना कार्य अपने विभिन्न प्रभागों सहित आरम्भ कर दिया है और योजना-निर्माण, मूल्यांकन एवं प्रयोग सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन किए जा रहे हैं। राज्य में नियोजन के आधारभूत आंकड़ों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। जिला और मण्डल के स्तरों पर भी नियोजन परिचालन को सुदृढ़ किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों की एक परामर्शदात्री परिषद् भी स्थापित की गई है। राज्य नियोजन आयोग का भी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्य मन्त्री जी हैं।

———

अध्याय--II

वर्तमान स्थिति

राज्य में गत 22 वर्षों के नियोजन सम्बन्धी प्रयासों के परिणाम इस समय देखे जा सकते हैं। जबकि एक ओर ये प्रयास मुख्यतः आर्थिक विकास की गति तीव्रतर करने के उद्देश्य से विद्युत्, सिंचाई और सड़कों की आधारिक प्रावस्थापना (infra-structure) सृजित करने की दिशा में किए गए, तो दूसरी ओर ये प्रयत्न किए गए कि जहां तक सम्भव हो, ऐसे साधन व्यापक रूप से अपनाए जाएं, जिनसे जन्म दर को सीमित रखा जा सके और बच्चों की पैदायश के अन्तर को बढ़ाया जा सके। इन दो सूत्री प्रयासों का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि राज्य में प्रति व्यक्ति शुद्ध आन्तरिक उत्पादन के मूल्य में वृद्धि उपलब्ध हो सके।

2---जनसंख्या के क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि की दर में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को अब तक वांछनीय सीमा पर रोका नहीं जा सका है। राज्य की जन संख्या, जो 1961 में 7.37 करोड़ थी, 1971 में बढ़कर 8.83 करोड़ हो गई। जन संख्या की वार्षिक वृद्धि दर, जो 1951-61 के बीच 1.6 प्रतिशत थी, 1961 से 1971 के दशक के बीच बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गई। यद्यपि राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ रही है परन्तु फिर भी यह भारत की 1961-71 के बीच 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम है। अनुमान है कि 1973-74 में राज्य की जनसंख्या 9.30 करोड़ हो जाएगी।

3---अर्थ-व्यवस्था में समग्र रूप से हुई वृद्धि आंकने के लिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी माप दण्ड हो सकता है। वर्ष 1960-61 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 246 रु० थी और 10 वर्ष बाद, 1970-71 में, 1960-61 के भावों पर इसके बढ़कर 276 रुपये होने का अनुमान है। वर्ष 1960-61 में 1,799 करोड़ रुपये से 1970-71 में कुल आय बढ़कर 2,421 करोड़ रुपये हो जाने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जनसंख्या बढ़ जाने के कारण बहुत कम हो सकी। चौथी योजना के प्रथम दो वर्षों में पहिली बार राज्य की अर्थ व्यवस्था में वृद्धि की ऐसी अनुकूल स्थिति दृष्टिगोचर हुई जिसकी तुलना पूरे देश की स्थिति से की जा सकती है। इस अवधि में राज्य की कुल आय में वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रही, जो कि देश की वृद्धि दर से अधिक थी और तीसरी योजना में इस राज्य की ही वृद्धि दर से दुगुनी से अधिक थी। वस्तुततः उत्तर प्रदेश में इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर देश की 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में अधिक थी, जिसका कारण राज्य में जन संख्या में वृद्धि की दर का अपेक्षाकृत कम होना था। वास्तव में यह बात काफी उत्साहवर्धक थी। यद्यपि 1971-72 के आय के इस समय त्वरित अनुमान ही उपलब्ध हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि भयंकर बाढ़ के परिणामस्वरूप कृषि संबंधी उत्पादन में कमी होने के कारण वर्ष के दौरान प्राप्त हुई कुल आय में गिरावट हुई है।

4---राज्य की आय के समग्र संकेतक के साथ साथ यह उपयोगी होगा कि कीमतों, मजदूरी और बेरोजगारी से संबंधित स्थिति पर विचार-विमर्श करने के अतिरिक्त अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण खण्ड जैसे कृषि, उद्योग, विद्युत्, सड़कों और सामाजिक सेवाओं की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाये।

कृषि

5---राज्य की अर्थ व्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान होने के कारण कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति का बहुत कुछ प्रभाव सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर पड़ता है। राज्य की कुल आय में कृषि तथा

पशुपालन क्षेत्र का योगदान जो 1960–61 के भावों पर 1960–61 में 60.9 प्रतिशत था, जो बराबर ऊंचा ही रहा और यह 1970–71 में 55.4 प्रतिशत रहा। कृषि सम्बन्धी आय में निरन्तर बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। इसमें तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत की हुई तथा चौथी योजना के पहले दो वर्षों के बीच यह 5.1 प्रतिशत थी जो इसके पूर्ववर्ती वर्षों की वृद्धि की दरों से अपेक्षाकृत अधिक थी। परन्तु 1971–72 के दौरान कृषि उत्पादन राज्य में अत्यधिक वर्षा और परिणामस्वरूप व्यापक बाढ़ के कारण पिछड़ गया। दूसरी ओर 1972–73 में वर्षा सामान्य से कम हुई और मानसून अवधि के उत्तरार्ध भाग को छोड़कर शेष अवधि में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः राज्य में 1971–72 के दौरान तथा 1972–73 की खरीफ में कृषि सम्बन्धी स्थिति कुछ प्रतिकूल रही। परन्तु आशा है कि 1972–73 की खरीफ में हुई क्षति की पूर्ति रबी की फसल में प्रभावकारी अभियानों द्वारा उत्पादन बढ़ाकर की जा सकेगी।

6—कृषि उत्पादन का कुल मूल्य वर्ष 1960–61 में 1,158 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1970–71 में 1960–61 के भावों पर बढ़कर 1,500 करोड़ रुपये हो गया। यह अनुमान है कि उन्हीं भावों पर वर्ष 1971–72 में यह घटकर 1,381 करोड़ रुपये रह गया है। इस प्रकार 1960–61 के भावों पर राज्य की शुद्ध आय एवं कृषि एवं सम्वर्गीय खण्ड का अंश 1960–61 में 1,096 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1970–71 में बढ़कर 1,376 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 1971–72 में यह घटकर 1,288 करोड़ रुपये रह गया।

7—खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और उर्वरकों की आवश्यक सुविधाओं के विस्तार और उर्वरकों की आवश्यक मात्रा के प्रयोग में प्रोत्साहन तथा अन्य आधुनिक तकनीकियों के अनुशीलन द्वारा उत्पादिता में (जो भारतीय औसत तथा अन्य अनेक राज्यों की तुलना में कम है) वृद्धि लाने का उद्देश्य है। उर्वरकों की खपत धीरे-धीरे बढ़ रही है। 1969–70 के अन्त में N_2 की खपत का स्तर 3.06 लाख मीट्रिक टन P_2O_5 का 0.99 लाख मीट्रिक टन और K_2O का 0.55 लाख मीट्रिक टन रहा। 1970–71 के दौरान उनकी खपत कम होकर क्रमशः 2.91 लाख मीट्रिक टन, 0.75 लाख मीट्रिक टन और 0.45 लाख मीट्रिक टन रह गई। अनुमान है कि 1971–72 में N_2 का 3.30 लाख मीट्रिक टन, P_2O_5 का 0.72 लाख मीट्रिक टन और K_2O का 0.53 लाख मीट्रिक टन वितरण स्तर होगा। वर्ष 1972–73 में तत्सम्बन्धी वितरण स्तर क्रमशः 3.70 लाख मीट्रिक, टन 0.88 लाख मीट्रिक टन और 0.6 लाख मीट्रिक टन होने की सम्भावना है। उर्वरकों की खपत में वृद्धि होने की अभी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि पांच एकड़ से कम भूमि वाले किसानों द्वारा, जो बहुत अधिक संख्या में हैं, बड़े पैमाने पर उन्नत विधियों को अपनाया जाना है। इसके अतिरिक्त गन्ना, तिलहन, कपास और जूट जैसी व्यावसायिक फसलों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

8—राज्य में छोटे और सीमान्त किसानों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी आर्थिक दशा में सुधार करने के लिये विशेष स्कीमों को प्रारम्भ करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। भारत सरकार ने कृषि सम्बन्धी तकनीकियों को अपनाये जाने में किसानों के इस अशक्त वर्ग की सहायता प्रदान करने के लिये प्रयोगात्मक रूप में लगभग 1.50 करोड़ रु० की प्रति स्कीम के आधार पर 46 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इनमें से चार स्कीमें इस राज्य को नियत की गई थीं। ये स्कीमें रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर और बदायूं जिलों में चालू हैं। उक्त स्कीम का उद्देश्य ऐसे 2.22 लाख छोटे किसानों को, जिनके पास एक से तीन हेक्टेयर के बीच की जोतें हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने तथा उनकी आय बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है। लघु सिंचाई, कृषि सम्बन्धी निवेश (inputs) और पशु तथा कुक्कुट पालन जैसे सहायक धन्धों के हेतु छोटे किसानों को आवश्यक ऋण उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम के आवश्यक अंग हैं। कृषि उद्योग निगम ने इस स्कीम के अन्तर्गत क्षेत्र में कस्टम

सर्विस सेन्टर स्थापित किये हैं । सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को सहायता पहुंचाने की एक ऐसी ही स्कीम मथुरा और बलिया जिलों में भी चल रही है ।

सिंचाई—

9—कृषि के विकास के लिये सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत अवस्थापन (infrastructure) है । इसलिये सिंचाई को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है, विशेष रूप से उन जिलों में, जहां इन सुविधाओं का सबसे अधिक अभाव है । 1971-72 के दौरान सिंचाई पर 3,042 लाख रु० के व्यय का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से वृहत् सिंचाई स्कीमों पर 87 प्रतिशत व्यय किया गया । इस नियत धनराशि का बड़ा भाग रामगंगा और गण्डक तथा ऐसी सहायक प्रायोजनाओं के लिये रखा गया था, जिनकी चौथी योजना के अन्त तक पूरी होने की सम्भावना नहीं थी । मध्यम सिंचाई स्कीमों में अधिकतर लिफ्ट सिंचाई प्रायोजनायें सम्मिलित हैं, जिनसे बुन्देलखण्ड और पूर्वी क्षेत्र के कुछ जिले मुख्यतः लाभान्वित हैं । वृहत् तथा मध्यम सिंचाई कार्यों के अतिरिक्त राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में निजी लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये 56 करोड़ रु० का प्राविधान है, जिसमें से योजना के पहले चार वर्षों के दौरान लगभग 32.41 करोड़ रु० उपयोग किये जाने की आशा है । इसके अतिरिक्त संस्थात्मक वित्तीय अभिकरणों का यथेष्ठ अंशदान है ।

10—1971-72 तक लघु सिंचाई कार्यों के द्वारा 6,805 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचन क्षमता सृजित की गई थी जिसमें से निजी लघु सिंचाई कार्यों द्वारा 4,667 हजार हेक्टेयर और राजकीय लघु सिंचाई कार्यों द्वारा 2,138 हजार हेक्टेयर क्षेत्र था । वृहत् और मध्यम सिंचाई कार्यों द्वारा तत्सम्बन्धी क्षमता 3,785 हजार हेक्टेयर थी। इस प्रकार कुल सिंचाई क्षमता 10,590 हजार हेक्टेयर थी परन्तु वास्तविक सिंचित क्षेत्र काफी कम थी । 1969-70 के दौरान राज्य के मैदानी भाग में 6,788 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सींचा गया, जो शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का केवल 40.3 प्रतिशत था । 11.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र एक से अधिक फसलों में सींचा गया और सकल सिंचित क्षेत्र 78.88 लाख हेक्टेयर था, जो राज्य के मैदानी भाग के सकल बोये गये क्षेत्र का 35.6 प्रतिशत था । 1970-71 में सकल सिंचित क्षेत्र का कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत बढ़कर लगभग 37 हो गया ।

11—जहां तक निजी लघु सिंचाई कार्यों में वास्तविक प्रगति का संबंध है, 1971-72 में 26,170 पक्के कुओं का निर्माण किया गया । इसके अतिरिक्त 54,882 निजी नलकूप और 25,105 पम्पिग सेट लगाये गये । इस प्रकार 1971-72 के अन्त तक 12,27,262 पक्के कुंए, 2,73,354 निजी नलकूप और 1,83,135 पम्पिग सेट अधिष्ठापित किये जा चुके थे । 1971-72 के दौरान 794 राजकीय नलकूपों का विद्युतीकृत किया गया और इस प्रकार उनकी कुल संख्या 11,062 हो गई ।

विद्युत्—

12—विद्युत् केवल कृषि तथा उद्योग के विकास के लिये ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों जिनमें परिवहन और संचार साधन सम्मिलित हैं, के विकास के लिये भी नितान्त आवश्यक है । विद्युत् के महत्व के कारण चौथी योजना में विद्युत् विकास के लिये 375 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्राविधान किया गया था । यह राज्य योजना के कुल परिव्यय का लगभग 39 प्रतिशत है । राज्य की कुल अधिष्ठापित विद्युत् उत्पादन क्षमता पहली योजना के प्रारम्भ की 178.54 मेगावाट की साधारण क्षमता की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त मे बढ़कर 370.17 मेगावाट हो गयी । 1968-69 में अधिष्ठापित विद्युत् क्षमता 1310.04 मेगावाट थी । इसकी तुलना में, चौथी योजना के लिये 2,479.49 मेगावाट की विद्युत् उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य नियत

किया गया था। नये संयंत्रों के स्थापित हो जाने के फलस्वरूप 1970–71 के दौरान अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 1434 मेगावाट हो गयी, जो कि पिछले वर्ष से 4.8 प्रतिशत अधिक थी। 1971––72 के दौरान ओबरा हाईडल, हरदुआगंज, प्रक्रम –4, ओबरा थरमल प्रायोजनाओं द्वारा अतिरिक्त क्षमता सृजित हुई, जिसके फलस्वरूप कुल अधिष्ठापित क्षमता 1,572 मेगावाट हो गयी। आशा है कि 1972–73 के अन्त तक अधिष्ठापित क्षमता 1,727 मेगावाट हो जायगी। 1970––71 में उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत का अंश भारत में बिजली की कुल खपत का 11.4 प्रतिशत था। यह भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के अंश (16 प्रतिशत) से कम था। 1970––71 में इस राज्य में, प्रति व्यक्ति बिजली उत्पादन तथा खपत, भारत की 82 किलोवाट घंटे तथा 90 किलोवाट घंटे की तुलना में क्रमशः 72 किलोवाट घंटे तथा 58 किलोवाट घंटे थी। परन्तु यह बात उत्साहवर्द्धक है कि बिजली की अधिक मात्रा का उपयोग औद्योगिक शक्ति के रूप में हो रही है और उद्योगों द्वारा खपत की जाने वाली बिजली का भाग शनैः शनैः बढ़ रहा है। औद्योगिक शक्ति के रूप में बिजली की खपत का अंश जो 1960––61 में 51.6 प्रतिशत था, 1969––70 में बढ़ कर 69.6 प्रतिशत और 1970––71 में 71.8 प्रतिशत हो गया। अब बिजली की खपत ग्रामीण क्षेत्रों में भी सिंचाई, कुटीर उद्योग तथा घरेलू उपयोग में विस्तृत रूप से हो रही है।

13––वर्ष 1970––71 के अन्त में विद्युतीकृत गांवों की संख्या 20,719 थी। 1971––72 के दौरान 3,036 और गांवों में बिजली पहुंचायी गयी, जिनको मिलाकर विद्युतीकृत ग्रामों की कुल संख्या 23,755 हो गयी। ये ग्राम आबाद ग्रामों के 21.1 प्रतिशत थे। 1972––73 के दौरान 3,000 अन्य ग्रामों में बिजली लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात् विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या कुल आबाद ग्रामों की 23.8 प्रतिशत हो जायेगी। 1971––72 के दौरान 50,000 निजी नलकूपों पंपिंग सेटों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में 30,665 निजी नलकूपों /पंपिंग सेटों का विद्युतीकरण किया जा सका। 1972––73 में 50,000 अतिरिक्त निजी नलकूपों /पंपिंग सेटों के विद्युतीकरण का लक्ष्य नियत किया गया है, जिनमें से 40,000 उपभोक्ता बिक्षेप स्कीम से संबंधित हैं।

उद्योग

14––यह राज्य यद्यपि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, फिर भी यह भौतिक दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने के लिये उद्यत् है। परन्तु उत्तर प्रदेश में उद्योग कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। बड़े तथा मध्यम उद्योग 54 जिलों में से केवल 18 जिलों में स्थित हैं। शेष जिलों में औद्योगिक कार्यकलापों का निम्न स्तर है इसलिये वे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। विशेष रूप से लघु तथा कुटीर उद्योगों के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि उद्योग लगाने वालों को विशेष सुविधायें तथा प्रोत्साहन दिये जायें। इस नीति के अनुसरण में, राज्य का उद्योग विभाग उद्योगपतियों को इस राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिये सुविधायें प्रदान करता है। विभिन्न औद्योगिक समस्याओं के संबंध में उद्योग लगाने वालों के सहायता तथा परामर्श देने के लिये तकनीक विशेषज्ञों का एक विशेष 'सेल' है। उद्योग विभाग भारत सरकार

से विभिन्न उद्योगों के लिये लाइसेंस प्राप्त कराने में भी सहायता देता है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम अति उदार शर्तों पर 5.5 लाख रुपये के मूल्य तक की देशी मशीनें हायर पर्चेज के आधार पर देता है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने 1970--71 में 217.63 लाख रुपये के ऋणों का अग्रिम भुगतान और 1971--72 में सितम्बर, 1971 तक 249.91 लाख के ऋण स्वीकृत किये तथा इसी अवधि तक 163.54 लाख रु० की धन राशि के अग्रिम ऋण दिये गये। 1971--72 के दौरान सितम्बर, 1971 तक 109 इकाइयों को 35.77 लाख रुपये के मूल्य की मशीनें भी सप्लाई की गई।

15--कुछ ही स्थानों पर उद्योगों के बढ़ते हुए संकेन्द्रण तथा असन्तुलन पर रोक लगाने के लिये सरकार ने गाजियाबाद तथा कानपुर प्रतिरूप (Pattern) के चार नये औद्योगिक केन्द्र (industrial complexes) स्थापित करने का निश्चय किया है। इनमें मथुरा तथा आगरा के बीच स्थापित किये जाने वाले केन्द्र सबसे महत्वपूर्ण होंगे। नैनी, बरेली तथा गोरखपुर में और विकसित होने के लिये विकास केन्द्र प्रस्तावित हैं।

1970--71 के दौरान उद्योग निदेशालय में तीन हजार चार सौ इकतीस लघु औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हुईं। किसी एक वर्ष में अब तक पंजीकृत की गई इकाइयों की यह सबसे बड़ी संख्या थी। जनवरी, 1972 तक 3,943 और इकाइयों की रजिस्ट्री की गयी जिससे कुल पंजीकृत इकाइयां 32,326 हो गयीं।

16--राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों तथा भारत सरकार की लाइसेंस देने की नीति के फलस्वरूप 1971--72 के दौरान लाइसेंस स्वीकृति के हेतु 390 आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ और उनमें से 44 को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा 134 आशय-पत्र (letters of intent) जारी किये गये इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सार्वजनिक सेक्टर की प्रायोजनाओं में 86 करोड़ रुपये के विनियोग की आशा की जा रही है। भारत सरकार 161 करोड़ रुपये की पूंजी से मथुरा में एक आइल रिफाइनरी स्थापित करने पर भी सहमत हो गयी है। रायबरेली में एक टेलीफोन स्विच फैक्ट्री की स्थापना करने की भी स्वीकृति दे दी गयी है। भारत सरकार से सेलुलर कंक्रीट ब्लाक मैन्युफैक्चरिंग प्लान्ट, न्यूज प्रिन्ट फैक्ट्री, स्कूटर प्रायोजना तथा एक केबिल फैक्ट्री, स्थापित करने के लिये भी अनुरोध किया जा रहा है।

17--चीनी, सीमेंट, वनस्पति तथा वस्त्र उद्योग राज्य के कुछ प्रमुख परम्परागत उद्योग हैं। 1969--70 में चीनी का उत्पादन 1,625 हजार मीट्रिक टन था, जो इसके पूर्ववर्ती किसी भी वर्ष के उत्पादन से कहीं अधिक था। परन्तु 1970--71 में चीनी का उत्पादन गिरकर 1301.5 हजार मीट्रिक टन हो गया। राज्य में 1971-72 के दौरान सीमेंट का उत्पादन 4.71 लाख मीट्रिक टन था, जब कि 1970-71 में यह 3.58 लाख मीट्रिक टन था। राज्य में 1971-72 के दौरान 115 हजार मीट्रिक टन वनस्पति तेल का उत्पादन हुआ। यद्यपि राज्य अपने परम्परागत उद्योगों में पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहा है। परन्तु राज्य में नये उद्योग, विशेषत: संचार तथा परिवहन संबंधी मशीनरी, ट्रैक्टरों, रासायनिकों (केमिकल्स) तथा उर्वरकों के क्षेत्र में उद्योग स्थापित हो रहे हैं।

18--तीसरी योजना काल में औद्योगिक सेक्टर की आय में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जब कि तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में औद्योगिक सेक्टर की आय में 1.2 प्रतिशत की कमी हुई। परन्तु चौथी योजना के दौरान औद्योगिक कार्य-कलापों में तीव्रता आयी और पहले दो वर्षों में लगभग 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि-दर आंकी गयी।

19--फिर भी औद्योगिक दृष्टि से राज्य अब भी पिछड़ा हुआ है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जायगा कि 1970--71 के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्य आय में असंगठित सेक्टर को शामिल करके वृहद एवं लघु उद्योगों का अंशदान 11.0 प्रतिशत था (1960--61 में उत्तर प्रदेश के लिये तत्संबंधी प्रतिशत 10.1 था)। 1969--70 में इस सेक्टर का राष्ट्रीय आय में अंशदान 15.9 प्रतिशत था तो राज्य के इस अंशदान का अधिकांश असंगठित सेक्टर द्वारा दिया गया था, जिसके कारण कुल अंशदान में से केवल औद्योगिक सेक्टर का अंशदान 61.0 प्रतिशत था, जब कि 1969--70 में देश का यह प्रतिशत 39 था।

सड़कें

20--सड़कों का विकास सर्वतोन्मुखी आर्थिक विकास की कुंजी है। इसलिए गतियुक्त विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा बढ़ते हुए माल के परिवहन के लिये राज्य में अधिक सड़कों की आवश्यकता है। राज्य के दूरवर्ती तथा अविकसित क्षेत्रों को विकासशील क्षेत्रों से संबंध स्थापित करने के लिये भी सड़कों की आवश्यकता है जिससे उन क्षेत्रों में विकास कार्य हो सके। 1970--71 के लिये 714 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था, जिस पर सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण पर 887 लाख रुपये राज्य के संसाधनों से व्यय किये गये थे। 1971--72 के दौरान तत्संबंधी व्यय 950 लाख रुपये का था। इसके अतिरिक्त 1970--71 के दौरान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमों के अधीन 316.84 लाख रुपये व्यय किये गये। 1971--72 के लिये तत्संबंधी व्यय का अनुमान 213.36 लाख रुपये का था। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमों के अधीन सड़कों के निर्माण के लिये 104.40 लाख रुपये का और परिव्यय वर्ष 1972-73 में रखा गया था।

21--वर्ष 1968-69 के अन्त में (उत्तराखन्ड को छोड़कर) राज्य में पक्की सड़कों की लम्बाई 29,213 किलोमीटर थी, जो 1971-72 के अन्त तक बढ़ कर 30,539 किलोमीटर हो गयी। 1972-73 के लिये 21 पुलों तथा 324 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य नियत किया गया था। अब ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर अधिक बल दिया जा रहा है। 1972-73 के लिये निर्धारित 13.43 करोड़ रुपये के परिव्यय में से ग्रामीण सड़कों के लिये 5.68 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है जो कि कुल परिव्यय का 42 प्रतिशत है। बम्बई योजना द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 1980-81 के अन्त तक उत्तर प्रदेश में 46,960 किलोमीटर सड़कें हो जानी चाहिये, जब कि चौथी योजना के अन्त तक सड़कों की कुल लम्बाई क्रैश प्रोग्राम के अधीन निर्मित सड़कों की लम्बाई को मिला कर लगभग 35,200 किलोमीटर होने की संभावना है। इस प्रकार इस दिशा में अभी काफी कमी पूरी करनी है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन

22--1971-72 के दौरान इस सेक्टर के लिये 644 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था जिसके समक्ष 519 लाख रुपये का व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त 1971-72 के दौरान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमों पर 892 लाख रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया था। 1972-73 में वार्षिक योजना के अन्तर्गत 856 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमों के हेतु नियत 1,514 लाख रुपये का आवंटन किया गया। 1971-72 के अन्त तक सभी प्रकार के चिकित्सालयों तथा औषधालयों की संख्या 3,529 थी और उम्मीद है कि यह संख्या 1972-73 के अन्त तक बढ़कर 3,790 हो जायगी। अब तक प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक डाक्टर की व्यवस्था है। सरकार ने इनकी

संख्या को बढ़ाकर दो करने का निश्चय किया है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक चिकित्सा सुविधायें बढ़ेंगी। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के अतिरिक्त बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम भी आवश्यक है । पिछले वर्ष 78 हजार व्यक्तियों अनुर्वरीकरण के मुकाबिले 1971-72 में 154 हजार व्यक्तियों का अनुर्वरीकरण (sterilisation) किया गया था। उसी वर्ष 93 हजार लूप (IUCD) लगाये गये जब कि 1970–71 में 97 हजार लूप लगाने की सफलता प्राप्त हुई थी ।

शिक्षा

23––1971–72 में सामान्य शिक्षा पर 1189 लाख रुपये व्यय हुआ था । 1972–73 के लिये नियत 1,367 लाख रुपये परिव्यय की तुलना में प्रत्याशित व्यय 1,379 लाख रुपये हैं । इसके अतिरिक्त 1971–72 के दौरान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमों के अधीन 4.16 लाख रुपये का व्यय हुआ था। 1970–71 के लिये 175 जूनियर बेसिक स्कूल खोलने का लक्ष्य नियत किया गया था और 210 स्कूल खोले गये थे। फलस्वरूप 1971–72 के दौरान प्राथमिक (प्राइमरी) स्कूलों मे भर्ती छात्रों की संख्या में 5.9 लाख की वृद्धि हुई तथा कुल भर्ती छात्रों की संख्या 114 लाख पर पहुँच गयी। छात्र–शिक्षक के अनुपात को कम करने के उद्देश्य से 1970–71 में प्राथमिक स्कूलों में 8,655 शिक्षक नियुक्त किये गये तथा 1971–72 में 19,145 शिक्षक और नियुक्त किये गये। 1972–73 के लिये तत्संबंधी लक्ष्य 4,860 शिक्षकों का रखा गया है ।

24––सीनियर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में, 1970–71 में 225 सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये तथा 330 अतिरिक्त शिक्षकों को नियुक्त किया गया । 1970–71 में सीनियर बेसिक स्कूलों में भर्ती छात्रों की संख्या 18.68 लाख और 1971–72 में 19.51 लाख हो गयी । इसके मुकाबले 1972–73 के लिये 20.21 लाख का लक्ष्य नियत किया गया है । विद्यार्थियों की संख्या में यह वृद्धि मुख्यतः बालिकाओं की भर्ती की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुई है। 1971–72 में 9 से 12 तक की कक्षाओं में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या 11.33 लाख तक पहुंच गयी और आशा है कि 1972–73 के दौरान यह संख्या 11.93 लाख तक पहुंच जायगी ।

25––1970–71 के दौरान प्राविधिक शिक्षा पर 131 लाख रुपये व्यय किया गया और 1971–72 के लिये अनुमानित व्यय 131 लाख रुपये था। 1972–73 के लिये तत्संबंधी परिव्यय 160 लाख रुपये निर्धारित किया गया है । वर्ष 1971–72 के दौरान डिग्री तथा डिप्लोमा कक्षाओं में क्रमशः 980 तथा 5990 विद्यार्थियों को भर्ती किया गया । इस संबंध में लक्ष्य क्रमशः 980 तथा 5,990 विद्यार्थियों के भर्ती करने का निर्धारित किया गया था। 1972–73 के लिये तत्संबंधी लक्ष्य क्रमशः 980 तथा 6,180 रखा गया है ।

भाव तथा मजदूरी

26––भाव तथा मजदूरी में हाल ही में सामान्यतया वृद्धि की प्रवृति दिखलाई दी है । उत्तर प्रदेश का कृषि थोक भाव सूचकांक 1969–70 में 218.5 था (जुलाई 1957–जून 1958=100) था। इसके बाद घटने की प्रवृत्ति शुरू हुई और 1970–71 में यह सूचकांक कम होकर 207.1 हो गया। परन्तु भावों में पुनः वृद्धि हुई जिससे 1971–72 के भाव सूचकांक बढ़कर 221.0 हो गया। यह सूचकांक अप्रैल से जून 1972 के मध्य बढ़ता रहा और जून 1972 में बढ़कर 255.3 के स्तर पर पहुंच गया। इस समय तक भाव स्तर

1961–62 की तुलना में 133 प्रतिशत अधिक था। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक वस्तुओं का थोक भाव सूचकांक (1948=100) 1970–71 में 217.0 था और जो 1971–72 में बढ़कर 231.3 तक चला गया। इसके बाद भी वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही और अप्रैल, 1972 में सूचकांक 264.9 पर पहुंच गया जो जून, 1972 में और बढ़कर 279.1 पर पहुंच गया इस समय इसने 1968 के उच्चतम स्तर को पार कर दिया।

27—कृषि वर्ष 1970–71 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़इयों और राजगीरों की वार्षिक औसत दैनिक मजदूरी की दर क्रमशः 5.85 रु० तथा 6.34 रु० सूचित की गयी जो गत वर्ष की तुलना में बढ़इयों की मजदूरी 4.7 प्रतिशत तथा राजगीरों की मजदूरी 3.8 प्रतिशत थी। 1971–72 में मजदूरी की दरों में और वृद्धि हुई। यह दरें बढ़ई के लिये 6.05 रु० तथा राजगीर के लिये 6.48 रु० प्रतिदिन तक हो गयी। कृषि संबंधी कार्यों के लिये मजदूरी की दैनिक दरें औसतन 2.20 रु० से 3.24 रु० के बीच रही जो सामान्यतः पिछले वर्ष की प्रचलित दरों की तुलना में अधिक थी। 1970–71 में क्रमशः 7.19 रु०, 7.12 रुपये और 3.81 रुपये दैनिक मजदूरी दरों की अपेक्षा 1971–72 में नगरीय क्षेत्रों में राजगीरों तथा बढ़इयों की दैनिक मजदूरी के दरों की वार्षिक औसत क्रमशः 7.61 रु० तथा 7.48 रु० था और अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर 4.00 रु० थी।

बेरोजगारी

28—राज्य में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार प्रबल समस्यायें हैं। बेरोजगारी तथा अर्ध-रोजगार के उचित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु मोटे तौर पर लगाये गये कुछ अनुमानों के अनुसार राज्य में मार्च 1971 में लगभग 38 लाख बेरोजगार तथा अर्द्ध रोजगार वाले व्यक्ति थे, जिनमें से 22 लाख व्यक्तियों ने एक सप्ताह में 28 घंटे से भी कम कार्य किया था। इस समस्या का समाधान विशेष रूप से कृषि पर आधारित लघु स्तरीय उद्योगों के प्रसार में निहित है। रोजगार सृजित करने वाली स्कीमों को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से "प्रान्तीय रक्षक दल" को "राज्य विकास दल" के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने वाले कार्यक्रमों को संचालित करेगा। प्राविधिक शिक्षा प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के हेतु 50 लाख रुपये के परिव्यय की एक स्कीम तैयार की गई थी। कृषि उद्योग निगम के माध्यम से ऋण दिए जाते हैं और प्राविधिक व्यक्तियों के लिए उपयुक्त स्थानों पर कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करके प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रति जिला 12.50 लाख रुपए के प्राविधान से सभी जिलों में अक्तूबर, 1971 में एक क्रैश प्रोग्राम आरम्भ किया गया था। प्रत्येक जिले में वर्ष में कम से कम दस माह के लिए 1,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिमास 100 रु० की आय सुनिश्चित करना था। इन कार्यक्रमों पर 1971–72 के दौरान 4.5 करोड़ रुपया व्यय किया गया था। चौथी योजना में बेरोजगारी की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करने हेतु कतिपय स्कीमें आरम्भ की गई हैं। इसके अतिरिक्त 1972–73 में 8.64 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 1.14 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए एक विशेष सेवायोजन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है

———

अध्याय--III

वित्तीय दृष्टिकोण

वार्षिक योजना 1973-74 के लिए संसाधनों के विवरण के सम्बन्ध में योजना आयोग से विचार-विमर्श के बाद निकले निष्कर्ष के आधार पर संसाधनों की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दी गई है :--

सारिणी

1973-74 के वित्तीय संसाधनों का विवरण :--

(करोड़ रुपये में)

मद	1973-74
1	2
1--योजना परिव्यय	250.00
2--राज्य के बजट संसाधन :-	
(1) 1968-69 के कराधान की दरों पर चालू राजस्वों से अवशेष ..	(--) 20.05
(2) सार्वजनिक उपक्रमों का अंशदान--	
(क) राज्य विद्युत् परिषद्	1.30
(ख) सड़क परिवहन निगम	(--) 0.32
(3) जनता से ऋण (शुद्ध)	28.97

(करोड़ रु० में)

मद	1973-74
1	2
(4) छोटी बचतों का अंश	25.00
(5) अनिधिक ऋण (unfunded debt) ..	12.10
(6) प्रकीर्ण पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध)	11.37
योग—2 ..	58.36
3—अतिरिक्त संसाधन जुटाना	44.52
4—केन्द्रीय अतिरिक्त करों में राज्य का भाग	8.00
5—बातचीत द्वारा तय हुए ऋणों तथा राज्य उपक्रमों के बाजार ऋण (सकल)	
(1) राज्य सरकार—	
(क) जीवन बीमा निगम से ऋण ..	1.50
(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया से ऋण ..	3.00
(2) राज्य उपक्रम—	
(क) जीवन बीमा निगम से ऋण ..	6.00
(ख) बाजार ऋण	7.57
योग—5 ..	18.07
6—राज्य के कुल संसाधन	128.95
7—केन्द्रीय सहायता	121.05
8—योजना के लिए कुल संसाधन	250.00

चालू राजस्व से अवशेष

2—कमी मुख्यतया इस कारण हुई है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप वेतन तथा भत्तों पर होने वाले संभावित व्यय की पूर्ति हेतु 70.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित की गई है। इस कमी का दूसरा कारण यह है कि केन्द्रीय ऋणों की अदायगी का जो अंश अब तक पूंजी प्राप्तियों से दिया जा रहा था वह अब राजस्व से पूरा किया जा रहा है। किन्तु, इससे समग्र संसाधनों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि विविध पूंजी प्राप्तियों में तत्सम्बन्धी संचय होता रहता है।

सरकारी उपक्रमों का अंशदान

3—राज्य विद्युत् परिषद्—पिछले अक्तूबर में विचार-विमर्श के दौरान राज्य विद्युत् परिषद् के आन्तरिक संसाधन अनन्तिम रूप से 1.30 करोड़ रुपये निश्चित किए गए थे। राज्य विद्युत् परिषद् के संसाधनों की स्थिति पर फिर से विचार किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप संसाधनों की स्थिति कुछ बिगड़ जायगी।

4—सड़क परिवहन निगम—सामान्यतया राज्य सरकार को सड़क परिवहन से प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व प्राप्त होता था, जो योजना के वित्त पोषण के लिए उपलब्ध रहता था। सड़क निगम बन जाने से रोडवेज को अब कार्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा जो 1973-74 के दौरान लगभग 1.73 करोड़ रुपये आंका गया है, जिससे इसके शुद्ध लाभ में कमी आई है।

जनता से ऋण

5—इस राज्य को जिन बाजार ऋणों को प्राप्त करने की अनुमति दी गई वे बहुत ही अपर्याप्त रहे हैं और उन्हें किसी भी दशा में एक पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकार केन्द्रीय अधिकारियों से आग्रह करती रही है कि उसके हिस्सों को पुनरीक्षित करके बढ़ाया जाय। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के अनुमान में यह प्रस्ताव किया था कि 1973-74 के दौरान उसको बाजार से 35 करोड़ रुपये के ऋण और राज्य विद्युत् परिषद् को 15 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी जाय। किन्तु इसके विपरीत योजना आयोग ने केवल 28.97 करोड़ रुपये और 7.57 करोड़ रुपये की सहमति प्रदान की है। राज्य सरकार का अब भी यह विचार है कि उसके लिए धन का अपेक्षाकृत अधिक अंश नियत किया जाय।

छोटी बचतों में हिस्सा

6--छोटी बचतों के संग्रह की प्रवृत्ति में कुछ सुधार हुआ है। 1972-73 के दौरान अगस्त के अन्त तक 1970-71, 1971-72 के पिछले दो वर्षों की तत्स्थानी अवधि के दौरान क्रमश: 1.62 करोड़ रुपये तथा 5.31 करोड़ रुपये संग्रह किए गए थे। कुल 7.61 करोड़ रुपये संग्रह किए गए थे जबकि वर्ष 1971-72 के दौरान कुल 30.00 करोड़ रुपये की धनराशि संग्रह की गई थी। यह अनुमान लगाया गया है कि 1973-74 के दौरान कुल लगभग 37.5 करोड़ रुपये सम्भवत: संग्रह हो जायेंगे जिससे 1973-74 में छोटी बचतों में राज्य का हिस्सा (कुल संग्रह का दो तिहाई) लगभग 25 करोड़ रुपये का हो जायगा।

अनिधिक ऋण (unfunded debt)

7--वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप वेतनमानों के पुनरीक्षण के कारण भविष्य निधि के अंशदान में संभावित वृद्धि पर विचार करते हुए 12.10 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है।

विविध पूंजी प्राप्तियां

8--पहले पूंजी वितरण के आंकड़े पूंजी प्राप्तियों की तुलना में ज्यादा थे, जिसके परिणाम-स्वरूप विविध पूंजी प्राप्तियों के अन्तर्गत एक शुद्ध ऋणात्मक राशि रही। परन्तु जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय ऋणों का हिस्सा, जो अभी तक पूंजी से अदा किया जा रहा था, अब राजस्व से अदा किया जा रहा है, जिसके कारण इस मद के अन्तर्गत 11.37 करोड़ रुपये की धनात्मक (positive) राशि अवशेष है।

राज्य उपक्रम--जीवन बीमा निगम से ऋण

9--चालू वर्ष के दौरान राज्य विद्युत् परिषद्, जीवन बीमा निगम से 12.50 करोड़ रुपये का ऋण लेने में समर्थ हुआ है। तदनुसार राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया था कि परिषद् को 1973-74 के दौरान जीवन बीमा निगम से 15.00 करोड़ रुपये के ऋण लेने की अनुमति दी जाय। योजना आयोग इससे सहमत नहीं हुआ है। राज्य सरकार यह महसूस करती है कि 6.00 करोड़ रुपये के नियत धन को बढ़ाकर कम से कम 15.00 करोड़ रुपये कर दिया जाय।

अध्याय--IV

क्षेत्रीय कार्यक्रम

1--कृषि

(1) कृषि उत्पादन

तीसरी योजना के प्रारम्भ से कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उससे भारत तथा उत्तर प्रदेश की कृषि के भविष्य के लिए बड़ी आशाएं हैं। कृषिजन्य पदार्थों के अच्छे मूल्य प्राप्त होने से किसानों ने अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों और उर्वरकों तथा नाशकीटमारों के प्रयोग को उत्साहपूर्वक अपनाया है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के कारण कृषि के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई। यह नयी नीति केवल अधिक उपज देने वाली किस्मों के द्वारा फसलों की अपेक्षाकृत अधिक उपज प्राप्त करने पर ही आधारित नहीं है बल्कि बड़े पैमाने पर लागू की गई अल्प अवधि में ही फसल देने वाली किस्मों से पहले की अपेक्षा वर्ष में अधिक फसलें प्राप्त करने पर भी आधारित है। कृषि उत्पादन के एक प्रमुख निवेश (input) के रूप में कृषि प्रौद्योगिकी के योगदान पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है। यद्यपि स्पष्ट है कि नयी विधियों तथा निवेशों (inputs) के प्रति लोगों में उत्साह है किन्तु एक ओर उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए और दूसरी ओर इस उद्देश्य से कि किसान, विशेष रूप से छोटे किसान, इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग ले सकें, इस प्रकार के उत्साह को उत्पादक कार्य में परिणित करने की गति तेजी से बढ़ानी आवश्यक है। कृषि उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि और अधिकांश किसानों का इसको प्रक्रिया में भाग लेना न केवल रोजगार में वृद्धि करने और रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि खेती तथा सामाजिक सेवाओं के प्रसार में एक साथ प्रगति के हेतु एक पूर्ववर्ती शर्त है।

2--हमारे यहां हरित क्रान्ति तो हुई है किन्तु अभी तक वह आंशिक रूप में ही हुई है। यद्यपि गेहूं और कुछ सीमा तक धान के उत्पादन तथा उत्पादकता में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, तथापि अन्य फसलों के सम्बन्ध में उच्चतर उत्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए नयी कृषि प्रौद्योगिकी तथा शोध की उपलब्धियों का प्रयोग अभी बाकी है। अनाज की फसलों में अभी गेहूं और धान की उत्पादकता भी प्रायः कम ही है और जौ, मक्का, तिलहन, दाल, कपास, तथा तम्बाकू की फसलों की स्थिति काफी असन्तोषजनक है। शोध, प्रशिक्षण तथा कृषि क्षेत्र में और अच्छी तरह सामंजस्य स्थापित करके स्थिति में सुधार करने तथा विशेषकर वाणिज्यिक फसलों की उपज में और अधिक वृद्धि करने की दिशा में पथप्रदर्शन की व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3--कृषि उत्पादन की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। कृषि सम्बन्धी शिक्षा तथा शोध के कार्य जो खेत पर किए जायें तथा परिणाम प्रदायक हों, और बिजली और सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में सुविधा तथा नाशकीटमारों और उर्वरकों की समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की व्यवस्था, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय तथा कानपुर संस्थान के अतिरिक्त, जो उत्तरी तथा पश्चिमी संभागों की देखभाल कर रहे हैं, राज्य सरकार पूर्वी सम्भाग में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रही है। सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी सुविधाओं का भी पर्याप्त विस्तार किया जा रहा है, किन्तु पूर्वापेक्षित इन आवश्यकताओं की मांग और पूर्ति में अब भी काफी अन्तर है। उच्चतर कृषि उत्पादन के हमारे अभियान के सम्बन्ध में उर्वरक की कमी एक बड़ा बाधक है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के उर्वरक के

कारखानों से अपना उत्पादन बढ़ाकर दूना करने का अनुरोध कर रही है। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संगठन (I F F C O) भी मथुरा में नेप्था (naptha) पर आधारित एक उर्वरक शाखा (complex) की स्थापना का आयोजन कर रहा है।

4--ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन तथा क्रय-विक्रय सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी लाने का प्रस्ताव है। इन सड़कों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बड़े ग्रामों, प्रमुख मन्डियों और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य विकास केन्द्रों से पक्की सड़कों को जोड़ना है। 250 में से लगभग 243 मुख्य बाजारों को विनियमित तथा नियोजित किया गया है। मण्डी-स्थलों (मार्केट यार्ड्स) का निर्माण किया जा रहा है। बाजारों को विकसित करने और उन्हें आधुनिक रूप देने के लिये विश्व बैंक से भी सहायता मांगी गयी है।

कृषि विकास की समीक्षा--

5--1950-51 में खाद्यान्नों की पैदावार का क्षेत्रफल 170.89 लाख हेक्टेयर था, जो कि कुल फसली क्षेत्रफल का 85.62 प्रतिशत था। 1969-70 में यह क्षेत्रफल बढ़कर 192.48 लाख हेक्टेयर हो गया, किन्तु कुल फसली क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में यह घटकर 83.9 प्रतिशत रह गया। यद्यपि खाद्यान्न उत्पादन मौसम के अनुसार घटता-बढ़ता रहा है, तथापि इसकी क्रमागत स्थिति उत्साहवर्द्धक रही है, जैसा कि नीचे दिये गये आंकड़ों से विदित होगा :--

सारिणी--1 खाद्यान्न उत्पादन

वर्ष	(लाख टनों में)
1	2
1965-66	132.91
1966-67	117.71
1967-68	166.73
1968-69	160.41
1969-70	174.13
1970-71	194.65
1971-72 (अनुमानित)	174.64

6—वाणिज्यिक फसलों के संबंध में हुई प्रगति नीचे दी जाती है :—

सारणी 2

मद	इकाई	चौथी योजना का लक्ष्य	उपलब्धियां			1972–73	
			1969–70	1970–71	1971–72	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1—तिलहन	लाख मीट्रिक टन	19.00	16.45	18.52	13.20	18.60	18.60
2—कपास	लाख गांठें	0.95	0.49	0.43	0.26	0.60	0.50
3—जूट	लाख गांठें	2.20	1.55	1.83	1.70	2.16	1.80
4—गन्ना	लाख मीट्रिक टन	65.75	60.68	54.67	49.66	60.00	58.00

7—वर्ष 1970–71 में तिलहन की पैदावार 18.52 लाख मीट्रिक टन थी, जो उस समय तक के उत्पादन का कीर्तिमान थी, बाद में भारी वर्षा और जबर्दस्त बाढ़ के कारण 1971–72 में यह काफी घटकर 13.20 लाख मीट्रिक टन रह गयी। परन्तु यह अस्थायी अवस्था है और भविष्य में तिलहन की पैदावार की दशा में सुधार होना निश्चित है। 1971–72 में हुई कपास की पैदावार चौथी योजना के दौरान हुई अब तक की पैदावार में सबसे कम थी। यह कमी भी लगातार होने वाली वर्षा और जबर्दस्त बाढ़ों के कारण थी। जूट का उत्पादन पूर्ववत् 1.70 लाख गांठ रहा। मुख्यतया मौसम की प्रतिकूल दशाओं तथा मूल्य संबंधी कारणों के परिणामस्वरूप राज्य में गन्ने का उत्पादन घट गया है।

1972–73 में फसल संबंधी संभावनाएं—

8—राज्य 1971–72 की भीषण वर्षा और जबर्दस्त बाढ़ों से होने वाली भारी क्षति से संभल भी नहीं पाया था कि उसे वर्ष 1972–73 की खरीफ की फसल के दौरान कुछ-स्थानों में सूखा तथा बाढ़ संबंधी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। सहारनपुर, मुजफ्फर, नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा और नैनीताल को छोड़कर, प्रायः सभी जिलों में जून जुलाई और अगस्त के महीनों में वर्षा सामान्य से कम ही रही। इस कारण खरीफ के दौरान एक बड़ा क्षेत्र बिना बोया हुआ रह गया। परन्तु अगस्त के दूसरे सप्ताह में वर्षा हुई और उन खेतों में, जो बिना बोये रह गये थे और उन क्षेत्रों में जहां फसल सूखे को सहन न कर सकने के कारण कुम्हला गयी थी, धान रोपने और बाजरा बोने के प्रयास किये गये। सितम्बर के दूसरे सप्ताह में प्रायः सभी जिलों में फिर कुछ वर्षा हुई। इस बात के लिये सभी प्रकार से प्रयास किये जा रहे हैं कि रबी की फसल में

अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन करके इस क्षति की पूर्ति की जाय। केन्द्रीय सरकार भी इस संकट का सामना करने के लिये राज्य की सहायता कर रही है।

9—चौथी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान की गयी विभिन्न भौतिक कार्यवाहियों के फलस्वरूप होने वाली उपलब्धियां नीचे दी जाती हैं :—

सारिणी—3

मद	इकाई	उपलब्धि			1972—73	
		1969—70	1970—71	1971—72	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1—अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम (एच० बी० पी०)	लाख हेक्टर	23.11	27.09	32.51	34.92	32.77
2—कई फसलें बोना (मल्टिपिल क्रापिंग) (अतिरिक्त)	,,	4.51	3.54	3.54	3.54	3.54
3—रासायनिक उर्वरक—नत्रजन (N)	,,	3.06	2.91	3.30	4.30	3.70
फास्फेट (P_2O_5)	,,	0.99	0.75	0.72	1.50	0.88
पोटाश (K_2O)	,,	0.55	0.45	0.53	1.00	0.61
4—नागर कम्पोस्ट	,,	6.79	7.12	7.47	8.80	8.80
5—हरी खाद	,,	5.13	4.71	5.40	10.93	6.50
6—पौध सुरक्षा	,,	55.03	71.05	87.49	84.25	84.25

10—अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की प्रगति लक्ष्य के अनुसार हो रही है, लेकिन अधिकांश कृषक अभी भी निर्धारित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मुख्यत: रासायनिक उर्वरकों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण और साथ ही छोटे किसानों द्वारा उर्वरकों के लिये ऋण प्राप्त करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण है।

1973-74 का दृष्टिकोण तथा नीति—

11—उन्नत प्रविधियां अपनाकर तथा अपेक्षाकृत अधिक अच्छी सिंचाई की सुविधाओं और समय पर निवेशों (inputs) की प्राप्यता की व्यवस्था द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाकर अनाजों की पैदावार में वृद्धि करने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाकर तथा भूमि और जल संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों को निष्पादित करके भूमि पर और अधिक पूंजी लगायी जा रही है। इसके अतिरिक्त सन्तुलित उर्वरकों का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग किया जा रहा है, अधिक उपज देने वाले बीजों की बुवाई के साथ-साथ आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और पौध संरक्षण उपाय आदि को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। फसल प्रतिस्थापन कार्यक्रम अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर आरंभ किया जा रहा है। शुष्क भू-क्षेत्रों में, जिनमें सामान्यतया खरीफ की मोटे अनाज की फसल बोयी जाती है, सोयाबीन या सूर्यमुखी की बुवाई की जा रही है। ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें परम्परा से धान की खेती की जाती है और जिनमें पानी भरा रहता है, जूट की खेती की जा रही है। पैकेज टेक्नोलोजी को उपलब्ध करा के, जिसके साथ पौध संरक्षण संबंधी कार्यवाहियों आदि के लिये कुछ वित्तीय प्रोत्साहन की बात संबद्ध है, दालों की खेती का और अधिक विस्तार किया जा रहा है।

12—विनियोजनों (investments) को बढ़ावा देकर और अधिक तेजी के साथ क्रय-विक्रय तथा भंडार संबंधी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। राज्य की 136 मंडियों में मंडी स्थलों (मार्केट यार्ड्स) के निर्माण के संबंध में एक स्कीम विश्व बैंक के अधीन पहले से ही विचाराधीन है।

13—फसल प्रतिरूप (क्रापिंग पैटर्न)—अनाज की मुख्य फसलों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रचलित हो जाने से फसल के प्रतिरूप (क्रापिंग पैटर्न) में परिवर्तन होना अनिवार्य है। यह परिवर्तन तिलहन, फल और सब्जी जैसी वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्रफल तथा उनकी उपज बढ़ाने की दिशा में किया जा रहा है। सोयाबीन और सूर्यमुखी के कार्यक्रमों में और भी अधिक सघनता लायी जा रही है। मेरठ और बुलन्दशहर जिलों में अंगूरों की खेती में सघनता लाने की एक स्कीम कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। बागबानी से संबंधित फसलें उगाने की कुछ और स्कीमें तैयार कर ली गयी हैं और कृषि पुनर्वित्त निगम को भेज भी दी गयी हैं।

14—भूमि परीक्षण—भूमि परीक्षण संबंधी सुविधाओं का प्रसार करके सन्तुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मिट्टी के नमूनों के संबंध में कार्यवाही करने की दृष्टि से राज्य के भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का पुनर्गठन किया गया है और उनमें कार्य करने वालों की संख्या बढ़ा दी गयी है। ये प्रयोगशालायें नलकूपों के सिंचन, क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण करने और उनके लिये उर्वरकों का कार्यक्रम (schedule) निश्चित करने का कार्य भी करेंगी।

लक्ष्य

15——1973-74 का लक्ष्य, 168 लाख मीट्रिक टन के आधारभूत उत्पाद स्तर के ऊपर 37 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा करने की क्षमता पैदा करना है, जिससे कि 1973——74 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 205 लाख मीट्रिक टन के स्तर तक, पहुंच जाय। यद्यपि फसलों के अनुसार सविस्तार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है, तथापि कुछ चुने हुए खाद्यानों तथा प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के लक्ष्य नीचे दिये जाते हैं :—

सारिणी—4

मद	इकाई	1973-74 का लक्ष्य
1	2	3
1——खाद्यान्न	लाख मीट्रिक टन	205.00
2——गन्ना (गुड़)	,,	62.00
3——तिलहन	,,	19.00
4——कपास	लाख गांठें	0.60
5——जूट	,,	2.00

16—उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये भौतिक कार्यक्रमों का ब्योरा निम्नलिखित है :

सारिणी—5

मद	इकाई	1973—74 का लक्ष्य
1	2	3
1—अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के कार्यक्रम	लाख हेक्टेयर	44.78
2—कई फसलें बोना (मल्टीपुल क्रॉपिंग)	,,	3.54
3—रासायनिक उर्वरक—		
नत्रजन (N)	लाख मीट्रिक टन	4.88
फास्फेट (P_2O_5)	,,	1.09
पोटाश (K)	,,	0.78
4—नगर कम्पोस्ट	लाख हेक्टेयर	9.50
5—हरी खाद	,,	12.00
6—पौध सुरक्षा	,,	96.00
7—भूमि संरक्षण (अतिरिक्त)	,,	0.75

परिव्यय

17—कृषि के लिये, जिसमें कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण तथा संग्रहागार सम्मिलित है, चौथी पंचवर्षीय योजना में 175.80 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदिष्ट की गई है। योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 106.95 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग कर लिया गया था। 1972—73 के लिये 35.49 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इसके समक्ष अनुमान है कि 36.98 करोड़ रुपये का व्यय होगा। 1973—74 के लिये 38.44 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

कृषि विकास के सामान्य कार्यक्रम--

18--उन्नत बीज--ऐसी भूमि का रकबा जिसमें उन्नत बीज बोये गये में 1969-70 के अन्त में 135.62 लाख हेक्टेयर था जिसके 1972--73 तक बढ़कर 149.36 लाख हेक्टेयर हो जाने की आशा है। विभागीय फार्मों पर रजिस्टर्ड बीज के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से बीज संवर्धन फार्मों की और सज्जित किया जा रहा है।

19--रासायनिक उर्वरक--कृषि उत्पादन की नीति में एक महत्वपूर्ण तथ्य उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि करना है। राज्य में वर्ष 1969--70 के अन्त तक रासायनिक उर्वरकों की खपत नत्रजन की 3.06 लाख मीट्रिक टन, फास्फेट की 0.99 लाख मीट्रिक टन और पोटाश की 0.55 लाख मीट्रिक टन के स्तर तक पहुंच गयी परन्तु वर्ष 1970--71 में इनकी खपत गिरकर नत्रजन 2.91 लाख मीट्रिक टन, फास्फेट 0.75 लाख मीट्रिक टन तथा पोटाश 0.45 लाख टन हो गयी। किन्तु 1971--72 में इनकी खपत पुनः बढ़कर नत्रजन 3.30 लाख मीट्रिक टन, फास्फेट 0.72 लाख मीट्रिक टन तथा पोटाश 0.53 लाख मीट्रिक टन के स्तर तक पहुंच गयी। 1972--73 के दौरान रासायनिक उर्वरकों की खपत पुनः बढ़कर नत्र जन 3.70 लाख मीट्रिक टन, फास्फेट 0.88 लाख मीट्रिक टन तथा पोटाश 0.61 लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशा है। 1973--74 के दौरान 4.88 लाख मीट्रिक न नत्र जन 1.09 लाख मीट्रिक टन फास्फेट तथा 0.78 लाख मीट्रिक टन पोटाश को वितरित करने का लक्ष्य है।

20--ग्रामीण कम्पोस्ट--वर्ष 1969-70 के अन्त तक ग्रामीण कम्पोस्ट का उत्पादन 658 लाख मीट्रिक टन था जो 1970-71 में 719 लाख मीट्रिक टन तक तथा 1971-72 में 727.90 लाख मीट्रिक टन तक बढ गया। 1972-73 में इसके पुनः बढ़ कर 800 लाख मीट्रिक टन हो जाने की उम्मीद है। 1973-74 तक के लिये 886.05 लाख मीट्रिक टन ग्रामीण कम्पोस्ट का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है।

21--नगर कम्पोस्ट--वर्ष 1969-70 के अन्त तक नगर कम्पोस्ट का उत्पादन 6.79 लाख मीट्रिक टन था जो 1971-72 के अन्त तक बढ़कर 7.47 लाख मीट्रिक टन हो गया। 1972-73 के लिये 8.80 लाख मीट्रिक टन नगर कम्पोस्ट के उत्पादन करने का लक्ष्य नियत किया गया है जिसके प्राप्त हो जाने की आशा है। वर्ष 1973-74 का लक्ष्य 9.50 लाख मीट्रिक टन है।

22--मलोपयोग--मार्च 1969 के अन्त तक 22 मलोपयोग (स्कीमें) योजनायें पूरी की गई जिनके अन्तर्गत 6,734 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। 1969-70 के दौरान 12 स्कीमों के लिये निधियां प्रदान की गई जिनमें से 3 स्कीमें अंशतः पूरी की जा सकीं जिनसे 461 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचा। 1970-71 के दौरान आठ चालू स्कीमें और 5 नई स्कीमें प्रारम्भ की गईं जिनमें से 3 अंशतः पूरी की गईं जिनके अन्तर्गत 146 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। 1971-72 में एक स्कीम (आजमगढ़) पूरी की गयी जिसके अन्तर्गत 81 हेक्टेयर क्षेत्र आता है। 1972-73 के दौरान 9 और योजनायें पूरी हो जाने की आशा है जिनके अन्तर्गत 2,266 हेक्टेयर क्षेत्र आता है।

वर्ष 1973-74 के दौरान 14 चालू स्कीमों तथा 14 नई स्कीमों को प्रारम्भ करने का लक्ष्य है जिनके अन्तर्गत 2,141 हेक्टेयर क्षेत्र आयेगा। वर्ष 1973-74 के लिये मलोपयोग स्कीमों के लिये 40 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है।

23—संग्रहण क्षमता—राज्य में वर्तमान संग्रहागार क्षमता और 1973-74 के अन्त तक उपलब्ध हो जाने वाली संग्रहागार क्षमता का विवरण इस प्रकार है—

सारिणी 6

	1970-71			1973-74		
	निजी गोदामों की संग्रहण क्षमता	किराये के गोदामों की संग्रहण क्षमता	योग	निजी गोदामों की संग्रहण क्षमता	किराये के गोदामों की संग्रहण क्षमता	योग
1	2	3	4	5	6	7
1—खाद्यान्न ..	5.4	8.4	13.8	8.5	8.4	16.9
2—उर्वरक ..	0.5	6.7	7.2	1.8	6.7	8.5
3—चीनी ..	11.0	..	11.0	11.0	..	11.0

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्याशित उत्पादन को देखते हुए उक्त कुल अनुमानित संग्रहागार क्षमता अपर्याप्त होगी। पर्याप्त संग्रहण क्षमता सृजित करने के लिये निजी और निगम क्षेत्रों में अतिरिक्त विनियोजन अपेक्षित होगा।

24—पौध-संरक्षण—1969-70 के दौरान 55.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पौध-संरक्षण संबंधी कार्य किये गये जो 1971-72 तक बढ़ कर 71.05 लाख हेक्टेयर हो गया। 1972-73 वर्ष के दौरान 84.25 हेक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्य होने की आशा है 1973-74 के लिये 96.00 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

25—कृषि संबंधी उपकरण—कृषि क्रान्ति के लिये यंत्रीकरण महत्वपूर्ण है। कृषि विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी संख्या में कस्टम सर्विस केन्द्र स्थापित करने की स्कीम के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। 1971-72 के दौरान 14 जिलों के

32 खण्डों में कस्टम सर्विस केन्द्र खोले गये। 1973-74 में भी यह क्रम जारी रखा जायगा। यह स्कीम उन छोटे किसानों के विशेष लाभ के निमित्त तैयार की गई है, जो अन्यथा कृषि यंत्र, जैसे पम्पसेट, थ्रेशर, ट्रैक्टर इत्यादि खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। ये केन्द्र इसी प्रकार के उन केन्द्रों के अतिरिक्त हैं, जो कि राज्य कृषि-उद्योग निगम अपना स्वयं का रोजगार करने वाले इंजीनियरों और अन्य व्यापारिक सूत्रों द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं। कृषि उपकरण खरीदने के लिये कृषकों को तकावी ऋण भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

कृषि उद्योग निगम ने चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान राज्य के भीतर 4,094 सुधरे किस्म के ट्रैक्टर वितरित किये हैं। इसने इसी अवधि के दौरान 4,165 कृषि संबंधी उपकरण भी वितरित किये, जिनमें 17 पावरटिलर, 491 थ्रेशर और 59 बीज ड्रिल सम्मिलित हैं। 1972-73 के दौरान लगभग 1,804 ट्रैक्टर तथा 2,200 कृषि संबंधी उपकरण वितरित किये जायेंगे। 1973-74 के दौरान 2,000 ट्रैक्टर तथा 2,650 कृषि संबंधी उपकरण वितरित करने का लक्ष्य है।

26—अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम—कृषि विकास में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम का विशेष महत्व रहा है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत काश्त का रकबा 1969-70 में 23.11 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर 1971-72 में 32.51 लाख हेक्टेयर हो गया। 1972-73 के लिये 34.92 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है, जिसके समक्ष अनुमानित उपलब्धि 41.77 है लाख हेक्टर है। 1973-74 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 44.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य है।

27—कृषि पदार्थों का क्रय-विक्रय—ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन तथा कृषि पदार्थों के क्रय विक्रय संबंधी सुविधाओं में सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। 250 मंडियों में से 243 को पहले ही विनियमित किया जा चुका है। राज्य की 136 मंडियों में मार्केट यार्ड्स के निर्माण से संबंधित एक योजना पर विश्व बैंक पहले से ही विचार कर रहा है। इस स्कीम में विश्व बैंक से 18.6 करोड़ रुपये के ऋण लेने की परिकल्पना की गयी है। मंडियों का निर्माण करने के लिये प्रारम्भिक कदम उठाये जायेंगे, जिसके लिये वित्तीय व्यवस्था विश्व बैंक के ऋण से की जायगी।

28—कई फसलें बोना—1969-70 में 53.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में एक से अधिक बार फसलें बोयी गईं। 1970-71 में यह क्षेत्र बढ़कर 56.70 लाख हेक्टेयर तथा 1971-72 में 60.24 लाख हेक्टेयर हो गया। आशा है कि वर्ष 1972-73 के दौरान यह बढ़कर 63.78 लाख हेक्टेयर के स्तर तक पहुंच जायगा। 1973-74 के दौरान 66.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कई फसलें बोने का लक्ष्य है।

विशिष्ट फसलों के लिये कार्यक्रम—

29—तिलहन—राज्य की मुख्य तिलहन फसलें मूंगफली, श्वेत सरसों, पीली सरसों, तिल तथा अलसी हैं। 1969-70 में तिलहन का उत्पादन 16.45 लाख मीट्रिक टन था। किन्तु 1970-71 में 18.52 लाख मीट्रिक टन के कीर्तिमान उत्पादन के पश्चात् 1971-72 में इसमें तेजी से गिरावट आई और यह 13.20 लाख मीट्रिक टन रह गया। इसका कारण भारी वर्षा तथा बाढ़ था, जिसका खरीफ में मूंगफली के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1972-73 के लिये 18.60 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे प्राप्त कर लेने की आशा है। 1971-72 से सोयाबीन और सूर्यमुखी की खेती और बड़े

पैमाने पर शुरू कर दी गयी है । इन दोनों फसलों को किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाये जाने की बड़ी संभावना है । अतएव, 1973-74 के लिये 19 लाख मीट्रिक टन के तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

30--कपास--कपास का क्षेत्र 1966-67 के 0.68 लाख हेक्टेयर से घटकर 1968-69 में 0.49 लाख हेक्टेयर रह गया । किन्तु यह बढ़कर 1969-70 में 0.51 लाख हेक्टेयर तथा 1971-72 में 0.56 लाख हेक्टेयर हो गया । 1972-73 के दौरान इसके अन्तर्गत 0.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आ जाने की आशा है । 1973-74 के दौरान इसके अन्तर्गत 0.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य है । कपास का उत्पादन 1969-70 की 0.49 लाख गांठों से घटकर 1970-71 में 0.43 लाख गांठ रह गया । किन्तु 1971-72 में भारी बाढ़ के कारण यह और घटकर 0.26 लाख गांठ रह गया । 1972-73 के लिये कपास के उत्पादन का लक्ष्य 0.60 लाख गांठ का है, जिसकी तुलना में 0.50 लाख गांठ के उत्पादन की आशा की जाती है । 1973-74 के लिये 0.60 लाख गांठों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

31--कुछ नई किस्मों के प्रचलन से बुन्देलखंड तथा राज्य के पूर्वी संभाग में कपास के प्रसार के नये अवसरों का पता लगाया जा रहा है ।

32--जूट--जूट का उत्पादन 1969-70 में 1.55 लाख गांठ था, जो 1970-71 में बढ़ कर 1.83 लाख गांठ हो गया । किन्तु 1971-72 के दौरान केवल 1.70 लाख गांठ का ही उत्पादन हुआ । 1972-73 के लिये जूट की 2.16 लाख गांठ के उत्पादन का लक्ष्य नियत किया गया है, परन्तु केवल 1.80 लाख गांठ ही उपलब्ध होने की आशा है । 1973-74 के लिये 2.00 लाख गांठ के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । जूट की खेती बढ़ाने के लिये, कीटनाशक दवाइयों का हवाई छिड़काव करने, रेटिंग टैंकों का निर्माण करने तथा राज सहाय्यित आधार पर उन्नत बीजों के वितरण करने का कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है ।

33--गन्ना--चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्रों में गन्ने की काश्त का क्षेत्रफल, जो 1965-66 में बढ़कर 10.31 लाख हेक्टेयर के स्तर तक पहुंच गया था, 1968-69 में घटकर 8.79 लाख हेक्टेयर रह गया । किन्तु यह 1969-70 में बढ़ कर 10.46 लाख हेक्टेयर तथा 1970-71 में 10.78 लाख हेक्टेयर हो गया । परन्तु निरन्तर वर्षा तथा भारी बाढ़ों के कारण यह 1971-72 में फिर घटकर 9.55 लाख हेक्टेयर रह गया । 1972-73 के लिये गन्ने के अन्तर्गत 10.32 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में खेती करने का लक्ष्य नियत किया गया है । 1973-74 में भी 10.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती करने का कार्यक्रम है ।

34--1969-70 के दौरान आरक्षित क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन 396 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य से 78 लाख मीट्रिक टन अधिक हुआ । 1970-71 के दौरान भी उत्पादन 422.60 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य की तुलना में 458.85 लाख मीट्रिक टन था । 1971-72 के लिये 456.25 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन का लक्ष्य नियत किया गया था, परन्तु जैसा कि इससे पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, निरन्तर वर्षा तथा बाढ़ों के कारण गन्ने की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा था और इसलिये उत्पादन घटकर 387.08 लाख मीट्रिक टन रह गया । 1972-73 के दौरान उत्पादन का लक्ष्य 494.70 लाख टन है । वर्ष 1972-73 के दौरान अनेक जिलों में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुये, उत्पादन के इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है ।

35--1973-74 के लिये 525.30 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य नियत किया गया है । राज्य में समग्र रूप से गन्ने का उत्पादन गुड़ के रूप में 1971-72 के 49.66 लाख टन की

उपलब्धि की तुलना में 1972-73 में 58.00 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। 1973-74 के लिये 62 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है।

36--प्रति हेक्टेयर औसत उपज में वृद्धि करने के लिये अपनाई जाने वाली मुख्य नीति यह होगी कि गन्ना फैक्ट्री क्षेत्रों में, जहां गन्ना उत्पादकों के अपने ही संसाधनों से और आवश्यकता पड़ने पर अन्य अभिकरणों (एजेन्सियों) की सहायता से सिंचाई करने के सुनिश्चित साधन उपलब्ध हों, सभी आवश्यक निवेशों (इनपुट्स) की व्यवस्था की जायगी। 1969-70 से सघन गन्ना उत्पादन के लिये एक "पैकेज स्कीम" आरम्भ की गयी है।

37--1973-74 के दौरान लघु सिंचाई निर्माण कार्यों द्वारा 0.97 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है जबकि 1972-73 में गन्ना विकास अभिकरणों के प्रयासों के माध्यम से 0.94 लाख हेक्टेयर की क्षमता सृजित करने की आशा की गयी थी। नाइट्रोजन तथा फास्फेट के रूप में रासायनिक उर्वरकों की खपत का स्तर 1972-73 में 0.72 लाख मीट्रिक टन से बढ़ कर 1973-74 में 0.85 लाख मीट्रिक टन करने का कार्यक्रम है। गन्ने के बीज के वितरण का लक्ष्य 1973-74 के लिये 3.00 लाख मीट्रिक टन रखा गया है, जबकि 1971-72 में 1.76 लाख मीट्रिक टन वितरित किया गया था और 1972-73 में 2.00 लाख टन वितरित किये जाने की आशा है। 1973-74 के दौरान गन्ना विकास स्कीमों के लिये 60.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

फल उपयोग--

38--पर्वतीय क्षेत्र में फलोद्यानों का कुल क्षेत्र 1969-70 के अन्त तक 0.44 लाख हेक्टेयर था, जो 1971-72 के अन्त तक बढ़कर 0.54 लाख हेक्टेयर हो गया और 1972-73 के अन्त तक इसके बढ़कर 0.59 लाख हेक्टेयर हो जाने की संभावना है।

39--पर्वतीय क्षेत्रों में वार्षिक फल उत्पादन, जिसका अनुमान दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 19,000 मीट्रिक टन का लगाया गया था, वर्ष 1970-71 में बढ़कर 60,000 मीट्रिक टन हो गया। वार्षिक उत्पादन, जिसके 1972-73 के अन्त तक 70,300 टन के स्तर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, चौथी योजना के अन्त तक 77,000 मीट्रिक टन के स्तर तक पहुंचने की संभावना है।

40--राज्य में फल विकास के साथ-साथ शाक-सब्जी की खेती तेजी के साथ करने के लिये प्रभावकारी उपाय किये गये हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में शाक-सब्जी की खेती का क्षेत्र, जो 1969-70 के अन्त तक 2,951 हेक्टेयर था, 1971-72 तक बढ़कर 5,691 हेक्टेयर हो गया। 1972-73 के लिए शाक-सब्जी के अन्तर्गत 320 हेक्टेयर के एक अतिरिक्त क्षेत्र का लक्ष्य नियत किया गया था, जिसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने की आशा की गयी है।

41--1973-74 के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में 3,700 हेक्टेयर के एक अतिरिक्त क्षेत्र के अन्तर्गत फलोद्यान लगाने तथा 360 हेक्टेयर क्षेत्र में शाक-सब्जी की खेती करने का लक्ष्य है। 1973-74 के लिए अन्य कार्यक्रमों में 7,400 हेक्टेयर में पौध संरक्षण सम्बन्धी उपायों को अपनाना, 2,400 हेक्टेयर में पुराने फलोद्यानों का पुनर्नवीकरण तथा 5 पौधशालाओं की स्थापना सम्मिलित है। इसके अलावा, 4,000 फल उत्पादकों को फलोद्यान सम्बन्धी अल्पकालीन प्रशिक्षण दिए जायेंगे।

42--फल पट्टियां और उद्यान उपनिवेशन स्थापित करने की स्कीम के अन्तर्गत 16 फल पट्टियों को चुना गया है तथा वृक्षारोपण का कार्य प्रगति पर है। 1971-72 के अन्त तक लगभग

2,760 हेक्टेयर भूमि को इस स्कीम के अन्तर्गत लाया जा चुका था। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए फल उत्पादकों को उदार शर्तों पर दीर्घकालिक औद्यानिक ऋण दिए जाते हैं। कृषि पुनर्वित्त निगम के माध्यम से ऋणों की व्यवस्था करने के लिए एक स्कीम आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत 1972–73 तथा 1973–74 के प्रत्येक वर्ष में 21 लाख रुपया उपलब्ध कराए जायेंगे। इस स्कीम के अन्तर्गत 400 हेक्टेयर में सेब का वृक्षारोपण किया जायगा।

43—1971–72 के अन्त तक 38 सामुदायिक डिब्बा बन्दी केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। 1972–73 के दौरान 5 नये केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। 1973–74 के लिए 5 अन्य ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने का लक्ष्य है।

44—1973-74 के दौरान फल उपयोग स्कीमों के लिए 50 लाख रुपए का परिव्यय रखा गया है।

45—आलू—विगत दो दशकों में आलू के उत्पादन और क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। 1960–61 में आलू की खेती केवल 1.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती थी, जो बढ़कर 1969–70 में 1.55 लाख हेक्टेयर और 1971–72 में 1.79 लाख हेक्टेयर हो गया। 1972–73 के दौरान, 1.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती की जायगी। 1969–70 में आलू का उत्पादन 12.49 लाख मीट्रिक टन था जो बढ़कर 1971–72 में 16.83 लाख मीट्रिक टन हो गया। 1972–73 के दौरान लगभग 18 लाख मीट्रिक टन आलू पैदा करने की आशा की गई है। 1973–74 के लिए 19.50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य नियत किया गया है।

46—मक्का—1971–72 में 14.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की खेती की गई थी। खराब मौसम के कारण 1972–73 में इस क्षेत्र के घटकर 14 लाख हेक्टेयर रह जाने का अनुमान किया गया है। इसमें से लगभग 0.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए रखा गया है। 1973–74 में 15.00 लाख हेक्टेयर के कुल क्षेत्र लक्ष्य में से 0.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक उपज वाली किस्मों के अन्तर्गत रखा जायगा।

47—ज्वार—1969–70 में ज्वार के अन्तर्गत 7.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, जो 1970-71 में बढ़कर 7.34 लाख हेक्टेयर हो गया, परन्तु 1971–72 में यह क्षेत्र घटकर 6.21 लाख हेक्टेयर रह गया। 1972–73 के दौरान 7.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ज्वार की खेती करने का अनुमान था, जिसमें से 0.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत रखा गया है। 1973–74 के लिए 7.80 लाख हेक्टेयर क्षत्र इसके अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है, जिसमें 0.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत होगा।

48—धान—1971–72 में धान के अन्तर्गत कुल क्षेत्र लगभग 47.28 लाख हेक्टेयर था, जबकि 1970–71 में यह क्षेत्र 44.18 लाख हेक्टेयर था। वर्ष 1972–73 में कुल 45.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती करने की आशा है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत धान की खेती के कुल क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। 1969–70 के 5.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में, 1970–71 में यह क्षेत्र बढ़कर 6.77 लाख हेक्टेयर और 1971–72 में 9.94 लाख हेक्टेयर हो गया तथापि सूखे के कारण 1972–73 के दौरान इस क्षत्र के केवल 9.25 लाख हेक्टेयर होने की आशा की गई है। 1973–74 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 10.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र रखने का लक्ष्य है।

49—गेहूं—1969-70 में गेहूं की खेती के अन्तर्गत 54.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, जो 1971–72 में बढ़कर 60.46 लाख हेक्टेयर हो गया। 1972–73 के दौरान 61.50

लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती होने का अनुमान है। 1973-74 में 63.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती करने का लक्ष्य है। 1969-70 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत गेहूं का क्षेत्र 16.40 लाख हेक्टेयर था, जो 1971-72 में बढ़कर 22.00 लाख हेक्टेयर हो गया। वर्ष 1972-73 के दौरान इस सम्बन्ध में 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। उपलब्धि 32 लाख हेक्टर होने की आशा है। 1973-74 के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत गेहूं के लिए 34.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य है।

50---दालें---राज्य में दालों की खेती के अन्तर्गत 1969-70 में कुल क्षेत्र 39.56 लाख हेक्टेयर था, जो 1971-72 में घटकर 35.25 लाख हेक्टेयर रह गया। परन्तु 1972-73 के दौरान इस क्षेत्र के 39 लाख हेक्टेयर होने की आशा की गई है। 1973-74 में 40.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दालों की खेती करने का लक्ष्य है। 1973-74 में दालों की खेती को विकसित करने के कार्यक्रम तथा राइजोबियाम कल्चर तैयार करने का कार्य चालू किया जायगा।

51---जौ---लोगों की रुझान गेहूं की खेती की ओर अधिक होने से जौ का उत्पादन तथा उसका क्षेत्र शनैः शनैः घटता जा रहा है। 1968-69 में जौ की खेती का क्षेत्र 14.91 लाख हेक्टेयर था, जो 1970-71 में घटकर 13.23 लाख हेक्टेयर और 1971-72 में 13.12 लाख हेक्टेयर रह गया। 1973-74 में जौ की खेती के अन्तर्गत 13.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का कार्यक्रम है।

प्रसार प्रशिक्षण तथा किसानों की शिक्षा

52---किसानों के प्रशिक्षण का सामान्य कार्यक्रम सामुदायिक विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। सामुदायिक विकास विभाग द्वारा संचालित 20 प्रशिक्षण केन्द्र इस समय ग्राम सेवकों, सहायक विकास अधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों को सेवा-पूर्व प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा उच्चतर प्रशिक्षण और शिल्पियों, ग्राम सहायकों तथा प्रगतिशील किसानों को अल्पावधि प्रशिक्षण दे रहे हैं।

योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान हुई प्रगति तथा पिछले वर्ष का कार्यक्रम नीचे दिया गया है :--

सारणी--7

(प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या)

कार्यक्रम	1969-70 उपलब्धि	1970-71 उपलब्धि	1971-72 उपलब्धि	1972-73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1--ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण	5,738	5,644	6,500	4,400	4,400
2--ग्राम शिल्पियों का प्रशिक्षण	238	267	265	300	300

1	2	3	4	5	6
3—सहायक विकास अधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण	263	202	230	100	480
4—ग्राम सेवकों का उच्चतर प्रशिक्षण	269	698	653	340	800
5—ग्राम सेवकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण	457	503	509	330	900
6—खण्ड विकास अधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण	65	47	79	73	120
7—ग्राम युवक कार्य-कर्ताओं का प्रशिक्षण	394	527	445	680	680

53—कृषि विभाग के अधीन विभिन्न संभागीय शोध केन्द्रों, कृषि विज्ञान संस्थान तथा डिप्लोमा स्कूलों में किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। किसानों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शन केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित स्कीम के अधीन किये जाते हैं। वर्ष 1971-72 के दौरान क्षेत्र में कुल 112 प्रदर्शन सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। वर्ष 1971-72 से कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर द्वारा भी फैजाबाद, आजमगढ़ और कानपुर जिलों में इन प्रदर्शनों को आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 1973-74 के लिए 150 प्रदर्शन आयोजित करने का लक्ष्य है।

जोतों की चकबन्दी

54—राज्य में जोतों की चकबन्दी के अन्तर्गत लाया जाने वाला कुल क्षेत्र लगभग 136.50 लाख हेक्टेयर था। 1968-69 तक 88.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 29.34 करोड़ रु० की लागत से चकबन्दी की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 12.55 करोड़ रु० व्यय करके 15.55 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में चकबन्दी की गई थी। वर्ष 1972-73 के लिए 4.85 करोड़ रु० की लागत से 5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में चकबन्दी करने का लक्ष्य नियत किया गया है और जिसके पूर्णरूप से प्राप्त होने की आशा है। 1973-74 के दौरान 4.87 करोड़ रु० की लागत से 5.19 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में चकबन्दी करने का लक्ष्य है।

55—उक्त स्कीम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड प्रभाग के जिलों तथा अन्य जिलों के ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया जायगा, जिन्हें इसके पूर्व छोड़ दिया गया था क्योंकि उस समय इन क्षेत्रों के लिए सिंचाई, सड़क, अथवा भू-संरक्षण सम्बन्धी स्कीमें बनाई जा रही थीं।

(2) लघु सिंचाई

(क) निजी लघु सिंचाई—

1—राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में 56 करोड़ रु0 की धनराशि की व्यवस्था निजी लघु सिंचाई कार्यों के हेतु की गई है। पहले चार वर्षों में यह आशा की जाती है कि 32.41 करोड़ रुपयों का उपयोग कर लिया जायगा। निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम का कार्यान्वयन अब अधिकांशतः संस्थात्मक वित्त के माध्यम से किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1973-74 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 7.48 करोड़ रु0 का परिव्यय है और इस प्रकार कुल प्रत्याशित व्यय 39.89 करोड़ रु0 हो जायगा। मदवार प्रगति तथा कार्यक्रम निम्न प्रकार है:—

सारणी—1

(लाख रुपयों में)

मद	चौथी योजना का परिव्यय	वास्तविक व्यय			1972-73 प्रत्याशित व्यय	1973-74 परिव्यय
		1969-70	1970-71	1971-72 (संभावित)		
1	2	3	4	5	6	7
1—ऋण	2,000.00	252.88	181.16	102.85	45.30	50.20
2—राज्य सहायता	750.00	114.84	48.15	22.61	20.00	20.00
3—निम्नलिखित के लिए ऋणपत्रों/पूंजी अंश (शेयर कैपिटल) में विनियोजन	2,175.00	510.00	435.00	580.00	545.00	550.00

(क) भूमि विकास बैंक	1,425.00	449.21	418.43	500.00	425.00	400.00
(ख) कृषि पुनर्वित्त निगम	600.00	30.79	16.57	80.00	120.00	150.00
(ग) कृषि उद्योग निगम	150.00	30.00	..	..	..	..
4—बोरिंग गोदाम	3.00	0.37	0.65	0.41	0.50	0.50
5—लघु सिंचाई तथा जल प्रयोग में प्रशिक्षण	6.00	1.09	0.88	1.20	1.20	1.30
6—कर्मचारीवर्ग	400.00	66.51	61.31	63.17	75.00	100.00
7—प्रासंगिक व्यय	19.00	4.62	3.35	3.88	5.00	6.00
8—उपकरण	247.00	42.72	17.07	14.31	20.00	20.00
योग ..	5,600.00	993.03	747.57	788.43	712.00	748.00

ऋण स्कीम

2—चौथी योजना के 20 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 5.82 करोड़ रु0 की धनराशि पहले चार वर्षों में वितरित किए जाने की आशा है। वर्ष 1973–74 के दौरान 0.50 करोड़ रु0 की धनराशि को निम्नलिखित तरीके से वितरित किए जाने का लक्ष्य है :—

(लाख रुपयों में)

1—पांच पर्वतीय जिले	40.00
5—भूमि संरक्षण क्षेत्र	0.20 (प्रतीक व्यवस्था)
3—निजी नलकूपों तथा पम्पिग सेटों की मरम्मत	5.00
4—गांव सभाओं को ऋण	5.00
योग ..	50.20

3—चूंकि भूमि विकास बैंक के कार्य-क्षेत्र का प्रसार पर्वतीय जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कर दिया गया है, इसलिए चौथी योजना के परिव्यय का पूरा उपयोग करना सम्भव नहीं होगा। वर्ष 1973–74 के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध रहेंगी :—

(1) झांसी, हमीरपुर, बांदा और मिर्जापुर जिलों में पुराने वायदों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए;

(2) गांव सभाओं को विशेषतः निजी नलकूपों के निर्माण के लिए;

(3) पांच पर्वतीय जिलों के किसानों के लिए;

(4) भूमि संरक्षण क्षेत्रों में लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों के सम्पादन के लिए;

(5) बुन्देलखण्ड संभाग में निजी नलकूपों की मरम्मत और पम्पिग सेटों की मरम्मत के लिए;

(6) भारी वर्षा तथा भूमि स्खलन से क्षतिग्रस्त गूलों की मरम्मत के लिए।

राज्य सहायता—

4—निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम की मुख्य मदों के लिए 1 अप्रैल, 1969 से राज सहायता की सुविधा बन्द कर दी गई है। इसलिए चौथी योजना के 7.50 करोड़ रु0 के परिव्यय का पूरा उपयोग करना सम्भव नहीं है। योजना के पहले चार वर्षों में 2.06 करोड़ रु0 की

धनराशि के उपयोग होने की आशा है। इस मद के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 के दौरान, निम्नलिखित मदों के लिए, 0.20 करोड़ रु0 का परिव्यय है :--

(1) कुंओं में बोरिंग के लिए 2.02 हेक्टेयर (5 एकड़) तक की जोत वाले कृषकों को निजी एजेंसी के जरिए बोरिंग कराने के हेतु 2 रु0 प्रति फुट।

(2) बुन्देलखण्ड प्रभाग (डिवीजन), राप्ती पार क्षेत्र, जिला मिर्जापुर, इलाहाबाद जिले की मेजा और करछना तहसीलों और वाराणसी जिले की चकिया तहसील में निजी बन्धियां 4.04 हेक्टेयर (10 एकड़) तक की जोत वाले किसानों को दिए जा सकने वाले ऋण अथवा लागत का, जो कम हो, 25 प्रतिशत।

(3) पर्वतीय क्षेत्रों में गूलों तथा तालाबों का निर्माण ऋण अथवा लागत का, जो भी कम हो, 50 प्रतिशत।

(4) केवल पर्वतीय भागों में पम्पिग सेट लगाना--सेटों के लगाने हेतु दिए जा सकने वाले ऋण अथवा लागत का, जो भी कम हो, 25 प्रतिशत।

(5) नलों (hydrants) और सेचकों (sprinklers) के लगाने के लिए लागत का 25 प्रतिशत अथवा लाभान्वित होने वाले क्षेत्र पर 2,000 रु0 प्रति एकड़, जो भी कम हो।

(6) पर्वतीय क्षेत्रों में गांव सभाओं द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्य--गूलों और तालाबों के निर्माण के लिए दिए जा सकने वाले ऋणों अथवा लागत का, जो भी कम हो, 50 प्रतिशत और अन्य लघु सिंचाई स्कीमों पर दिए जा सकने वाले ऋण अथवा लागत का, जो भी कम हो, 25 प्रतिशत।

(7) उत्तर प्रदेश सूखा सहायता समिति--गाजीपुर, आजमगढ़ तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में बोरिंग का कार्य करने वाले उन कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु जिनकी स्वीकृति सरकार ने दी है।

(8) लघु सिंचाई विभाग द्वारा की गई इस बोरिंग पर जिसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, 2,500 रु0 तक।

(9) पुराने मामलों में पिछले वायदों की पूर्ति के लिए।

5--उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्य सहायता केवल निर्माण-कार्यों की कुछ मदों के लिए दी जा रही है और वह भी छोटी जोत वालों अथवा ऐसे किसानों को जिनके पास पिछड़े संभागों में अलाभकारी जोतें हैं।

संस्थात्मक वित्त --

6--निजी लघु सिंचाई कार्य-क्रम के लिए संस्थात्मक वित्त प्राप्त करने में हुई प्रगति नीचे दी गई है। इसमें वर्ष 1973-74 का कार्यक्रम भी दिया गया है :--

सारणी-2

(करोड़ रुपये में)

संस्था	चौथी योजना का परिव्यय	वास्तविक व्यय			1972-73 प्रत्याशित व्यय	1973-74 कार्यक्रम
		1969-70	1970-71	1971-72		
1	2	3	4	5	6	7
1--भूमि विकास बैंक--						
(क) सकल अंशदान	95.00	17.53	18.38	18.69	17.00	17.00
(ख) ऋणपत्रों में पूंजी विनियोजन	14.25	4.49	4.18	5.00	4.25	4.00
(ग) शुद्ध अंशदान	80.75	13.04	14.20	13.69	12.75	13.00
2--कृषि पुनर्वित्त निगम--						
(क) सकल अंशदान	40.00	2.98	1.69	5.04	12.00	15.00

(ख) ऋणपत्रों में पूंजी विनियोजन	6.00	0.31	0.17	0.80	1.20	1.50
(ग) शुद्ध अंशदान	34.00	2.17	1.52	4.24	10.80	13.50
3—कृषि उद्योग निगम—						
(क) सकल अंशदान	30.00	0.52	0.02	0.01	..	..
(ख) अंश पूंजी में विनियोजन	1.50	0.30	..	..	..	..
(ग) शुद्ध अंशदान	28.50	0.22	0.02	0.01	..	..
4—केन्द्रीय सहकारी बैंक—						
शुद्ध अंशदान ..	25.00	0.20	0.11	1.85	0.50	0.50
5—वाणिज्यिक बैंक—						
शुद्ध अंशदान ..	15.00	..	..	..	..	..

7—सारणी 2 से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋण-पत्रों/अंश पूंजी में विनियोजन की दर चौथी योजना के साथ साथ चल रही है, परन्तु संस्थात्मक वित्त में शुद्ध अंशदान निर्धारित स्तर से कम है, जिसके मुख्य कारण हैं (1) भूमि विकास बैंक के ऋण-पत्रों में मूल कार्यक्रम में विनियोजन का उच्चतर प्रतिशत, (2) कृषि उद्योग निगम द्वारा कार्यक्रम का कार्यान्वयन न किया जाना, (3) सहकारी बैंक का अपेक्षाकृत कम अंशदान; और (4) वाणिज्यिक बैंकों से लघु सिचाई कार्यक्रम के लिए उनके अंशदान के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध न होना।

भूमि विकास बैंक

8—भूमि विकास बैंक अब केवल पर्वतीय जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण राज्य में कार्य कर रहा है। चौथी योजना की अवधि के लिये भूमि विकास बैंक के माध्यम से 95.00 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य नियत किया गया है, जिसमें से 15 प्रतिशत या 14.25 करोड़ रुपये की धनराशि ऋण-पत्रों के क्रय करने में व्यय की जायगी। परन्तु सरकार द्वारा दिये जाने वाले 25 प्रतिशत अंशदान के फलस्वरूप, योजना अवधि के पहले चार वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्य की धनराशि में से 17.92 करोड़ रुपये के उपयोग में आने की आशा है। 1973–74 के दौरान बैंक के ऋण-पत्रों में 4.00 करोड़ रुपये का विनियोजन करने का लक्ष्य है, जिसके आधार पर बैंक का सकल विनियोजन 17 करोड़ रुपये का होना चाहिये।

कृषि पुनर्वित्त निगम

9—राज्य सरकार ने अब तक कृषि पुनर्वित्त निगम को 91 स्कीमें भेजी हैं, जिनमें से 44.82 करोड़ रुपये की धनराशि की 61 स्कीमें निगम द्वारा स्वीकृत कर दी गयी हैं। उपर्युक्त स्वीकृत स्कीमों में से 17 स्कीमों को पूरा कर लिया गया है। यह आशा की जाती है कि विचाराधीन शेष 30 स्कीमें, जिनकी लागत 31.37 करोड़ रुपये हैं, बहुत शीघ्र निगम द्वारा स्वीकृत हो जायंगी।

10—आशा है कि चौथी योजना के लिये निर्धारित 40 करोड़ रुपये के सकल अंशदान में से वर्ष 1972–73 के अन्त तक 22.30 करोड़ रुपये का उपयोग हो जायगा। वर्ष 1973–74 के लिये 15 करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिससे विनियोजन की कुल धनराशि 37.30 करोड़ रुपये हो जायगी। यदि निगम से काफी स्कीमों की स्वीकृति मिल जाती है तो चौथी योजना के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं होगा।

11—राज्य के निम्नलिखित चार जिलों के लिये छोटे किसानों की विकास एजेंसियों की स्कीम स्वीकृत की गयी है। इन जिलों के सम्मुख उनके लिये स्वीकृत परिव्यय तथा कार्यक्रम भी दिया गया है :

सारिणी—3

जिला	परिव्यय (लाख रुपयों में)	पक्के कुयें (सं०)	बोरिंग तथा रहट (संख्या)	पम्पिंग सेट (संख्या)	निजी नलकूप (संख्या)	नालियां (कि० मी०)
1	2	3	4	5	6	7
1—रायबरेली	197.30	1,500	150	350	2,600	80
2—प्रतापगढ़	168.60	750	..	278	2,246	75
3—फतेहपुर	176.85	1,500	..	350	2,025	80
4—बदायूं	159.00	1,200	1,200	300	1,750	100
योग ..	701.75	4,950	1,350	1,278	8,621	335

उपर्युक्त कार्यक्रम का कार्यान्वियन जून, 1974 के अन्त तक किया जाना है और यह पूरी धनराशि कृषि पुर्नवित्त निगम द्वारा वहन की जायगी ।

इसके अतिरिक्त दो जिलों अर्थात् मथुरा और बलिया को भी सीमान्त किसानों (मार्जिनल फारमर्स) की स्कीम के अन्तर्गत ले लिया गया है । इन जिलों के लिये स्वीकृत परिव्यय तथा कार्यक्रम नीचे दिये गये हैं :

सारणी--4

जिला	परिव्यय (लाख रुपयों में)	पक्के कुयें (सं०)	बोरिंग तथा रहट (संख्या)	पम्पिग सेट (संख्या)	निजी नलकूप (संख्या)
1	2	3	4	5	6
बलिया	34.00	200	200	200	600
मथुरा	53.00	600	1,000	100	200
योग ..	87.00	800	1,200	300	800

कर्मचारीवर्ग

वर्ष 1973-74 के लिये 100.00 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

उपकरण

12--वर्ष 1973-74 में 20.00 लाख रुपये का परिव्यय मुख्यतः उपकरणों की मरम्मत, गहरी बोरिंग करने वाले रोटरी रिगों तथा केसिंग पाइपों आदि के खरीदने के काम में लाया जायगा ।

भौतिक प्रगति तथा कार्यक्रम

13—चौथी योजना का लक्ष्य पहले चार वर्षों की उपलब्धियां तथा वर्ष 1973-74 का कार्यक्रम नीचे दिया जाता है—

सारणी 5

मद	इकाई	1969—74 लक्ष्य		उपलब्धि			1972-73	1973-74
		मूल	पुनरीक्षित	1969-70	1970-71	1971-72	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—पक्के कुयें	संख्या	3,28,000	2,25,000	45,899	32,663	26,170	35,000	35,000
2—बोरिंग	संख्या	5,00,000	5,00,000	93,549	82,223	75,569	1,00,000	1,00,000
3—रहट	संख्या	2,00,000	1,75,000	23,610	20,036	15,350	25,000	25,000
4—पम्पिग सेट	संख्या	1,55,000	1,55,000	26,588	25,900	25,105	30,000	30,000
5—निजी नलकूप	संख्या	2,00,000	2,00,000	45,105	53,468	54,882	46,500	46,500
6—कुंओं को गहरा करना	संख्या	4,500	4,500	282	275	344	900	900
7—बन्धियां	हेक्टेयर	93,679	93,679	21,549	29,429	37,728	23,047	23,047
8—पर्वतीय क्षेत्रों में गूलें तथा तालाब	हेक्टेयर	9,652	9,652	1,364	1,239	1,052	1,780	1,780
9—सिंचन क्षमता में वृद्धि	लाख हेक्टेयर	30.29	26.36	5.49	6.03	6.08	5.61	5.61

14—उपर्युक्त भौतिक कार्यक्रम की लागत तथा वे स्रोत, जहाँ से इस कार्यक्रम के लिये वित्त व्यवस्था की जायगी, नीचे दिये जाते हैं—

सारणी—6

(लाख रुपये में)

स्रोत	चौथी योजना	वास्तविक व्यय			1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय
		1969–70	1970–71	1971–72		
1	2	3	4	5	6	7
1—राज्य क्षेत्र	49.25	8.78	6.64	7.05	6.10	6.20
2—सहकारी क्षेत्र	105.75	13.24	14.31	15.55	13.25	12.50
3—निगम क्षेत्र	62.50	2.39	1.54	4.75	10.80	13.50
4—निजी क्षेत्र	161.50	48.20	54.99	50.30	43.10	49.30
योग ..	379.00	72.61	77.48	77.65	73.25	81.50

सिंचाई क्षमता

15—इस राज्य में सिंचाई क्षमता का निर्धारण निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जाता है—

	क्षेत्र हेक्टेयर में	क्षेत्र एकड़ में
कुयें	1.21	3
रहट	0.81	2
पम्पिंग सेट	3.23	8
निजी नलकूप	3.08	20

उपर्युक्त आधार पर 1969–70, 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान क्रमशः 5.49, 6.03 और 6.08 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। 1972–73 के दौरान 5.61 लाख हेक्टेयर की और सिंचन क्षमता सृजित कर लेने की आशा की जाती है। 1973–74 के लिये भी इसी प्रकार के लक्ष्य का कार्यक्रम बनाया गया है। चौथी योजना अवधि के दौरान 28.80 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित कर लेने की आशा की जाती है जब कि लक्ष्य 26.38 लाख हेक्टेयर का है। परन्तु पुराने लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से मूल्य ह्रास की गणना करने के पश्चात् वर्ष 1972–73 के अन्त तक कुल शुद्ध उपलब्धता 44.66 लाख हेक्टेयर तथा 1973–74 के अन्त तक 52.79 लाख हेक्टेयर होगी।

निजी नलकूपों और पम्पिंग सेटों का विद्युतीकरण

16—चौथी योजना में 2.00 लाख निजी नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है, जिसमें से 81,763 यूनिटों का पहले तीन वर्षों में विद्युतीकरण कर दिया गया है। वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 में प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। परन्तु सामग्री के अभाव के कारण प्रगति में तेजी लाने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है।

(ख) राजकीय लघु सिंचाई

17—राजकीय लघु सिंचाई कार्यक्रम में मुख्यतः राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य तथा लघु डाल सिंचाई स्कीमें सम्मिलित की गई हैं। पर्वतीय जिलों में कन्टूर नालियों का निर्माण तथा बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों में लघु संचयागारों का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ किया जा रहा है। लघु सिंचाई की स्कीमें शीघ्रता से पूरी की जा सकती हैं और उनसे समाज के ऐसे अशक्त वर्गों को सिंचाई के सुनिश्चित साधन उपलब्ध किये जा सकते हैं जो अपने निजी सिंचाई के साधन उपलब्ध करने में असमर्थ हैं। राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में राजकीय लघु सिंचाई स्कीमों के लिये 40.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है परन्तु यह महसूस किया गया था कि यह परिव्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बहुत ही कम है। योजना के पहले चार वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम पर 53.65 करोड़ रुपये व्यय होने की आशा है।

1973–74 के दौरान इस कार्यक्रम के लिये 14.00 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिसको मिलाकर कुल व्यय 67.65 करोड़ रुपये हो जायगा। उप–शीर्षकों के अनुसार परिव्यय तथा व्यय के व्योरे नीचे दिये गये हैं—

सारिणी 7

(लाख रु० में)

उप शीर्षक	चौथी योजना का परिव्यय	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 वास्तविक व्यय	1971–72 वास्तविक व्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1969–74 योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1—नलकूप कार्यक्रम	2,378	789	1,224	1,230	1,131	1,212	5,586
2—डाल सिंचाई	1,325	271	178	226	150	100	925
3—अन्य कार्यक्रम	297	22	38	39	67	88	254
कुल ..	4,000	1,082	1,440	1,495	1,348	1,400	6,765

राजकीय नलकूप

18--चौथी योजना में राजकीय नलकूपों के लिये केवल 23.78 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। योजना के पहले चार वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम पर 43.74 करोड़ रुपये का व्यय होगा, जो स्वयं चौथी योजना में की गई व्यवस्था से बहुत अधिक है। भौतिक उपलब्धियां भी अपेक्षाकृत अधिक हुई हैं और यह प्रत्याशा की जाती है कि योजना के पहले चार वर्षों में 3,216 नलकूपों का निर्माण हो गया होगा जबकि चौथी योजना का मूल लक्ष्य केवल 1,300 नलकूपों के निर्माण का था। 1973-74 के कार्यक्रम में 12.12 करोड़ रुपये की लागत से 900 अतिरिक्त नलकूपों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। अपेक्षाकृत अधिक क्षमता वाले नलकूपों की सप्लाई का उपयोग करने में जो कठिनाइयां महसूस की गईं उनकी वजह से इस समय और ऐसे नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

राजकीय नलकूपों के निर्माण की स्थिति नीचे की सारणी में दी गयी है:--

सारणी--8

(संख्या)

अवधि/मद	नलकूप जो ड्रिल किये गये	नलकूप जिनमें प्लान्ट्स लगाये गये	नलकूप जिनके लिये पम्प घर बनाए गए	नलकूप जिनका विद्युतीकरण किया गया
1	2	3	4	5
1968-69 के अन्त की स्थिति	9,634	9,480	9,390	9,404
1--1969--70 के दौरान वृद्धि--				
(1) 3 और 5 क्यूसेक के नलकूप	30	20	26	11
(2) 2 क्यूसेक तक के नलकूप	606	515	492	378
2--1970-71 के दौरान वृद्धि--				
(1) 3 और 5 क्यूसेक के नलकूप	13	22	20	20
(2) 2 क्यूसेक तक के नलकूप	773	582	593	455

1	2	3	4	5
3—1971-72 के दौरान वृद्धि—				
(1) 3 और 5 क्यूसेक के नल-कूप	4	9	11	21
(2) 2 क्यूसेक तक के नल-कूप	890	757	823	773
4—1972-73 के दौरान वृद्धि—				
(1) 3 और 5 क्यूसेक के नल-कूप	..	..	..	2
(2) 2 क्यूसेक तक के नल-कूप	900	850	850	898
5—1973-74 के दौरान वृद्धि (कार्यक्रम)—				
(1) 3 और 5 क्यूसेक के नल-कूप	..	..	..	..
(2) 2 क्यूसेक तक के नल-कूप	900	900	900	900
6—1969-74 के दौरान योग—				
(1) 3 और 5 क्यूसेक के नल-कूप	47	51	57	54
(2) 3 क्यूसेक से कम के नल-कूप	4,069	3,634	3,658	3,404
योग ..	4,116	3,686	3,715	3,458
चौथी योजना के अन्त में योग ..	13,750	13,165	13,105	12,862

19—चौथी योजना में राजकीय नलकूपों से 2,600 क्यूसेक की कुल अतिरिक्त क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके तुलना में 1972–73 के अन्त तक 4,395 क्यूसेक क्षमता प्राप्त करने की आशा की जाती है। 1973—74 के दौरान इस क्षमता में 1,800 क्यूसेक की वृद्धि करने की आशा की जाती है।

डाल सिंचाई

20—सूखे के वर्ष 1966–67 में सिंचाई व्यवस्था करने के हेतु राज्य मे छोटी डाल-सिंचाई स्कीमें चालू की गयी थीं। इन स्कीमों द्वारा अब नदियों तथा जलस्रोतों में बराबर उपलब्ध रहने वाले जल की सप्लाई का उपयोग ऐसे क्षेत्रों की सिंचाई के वास्ते किया जा रहा है, जहां पर नहरों तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई करने की संभावनायें बहुत कम हैं। चूंकि अब सिंचाई के सुलभ साधन उपयोग में लाये जा चुके हैं, इसलिये अधिकांश नई स्कीमों में पानी को ऊंचा उठाने की आवश्यकता पड़ती है। अतएव उनके परिचालन संबंधी व्यय भी ज्यादा हैं। इसके परिणामस्वरूप यद्यपि डाल सिंचाई कार्यक्रम राज्य की आवश्यकताओं के लिये परम आवश्यक है तथापि इसमें कटौती करनी पड़ी है और वर्ष 1973–74 के लिये 1.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का उपयोग पहले से स्वीकृत स्कीमों को पूरा करने के लिये ही मुख्यतः किया जायगा। चौथी योजना के दौरान 13.25 करोड़ रुपये के परिव्यय में से कुल व्यय 9.25 करोड़ रुपये होने की प्रत्याशा है।

जलोत्सारण संबंधी सुधार की स्कीमें

21—इन स्कीमों के लिये चौथी योजना में 56.64 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी, किन्तु चौथी योजना के प्रथम चार वर्षों में 28.61 लाख रु० का ही उपयोग हो सका। अतः अब तक गति इस परियोजना के अन्तर्गत धीमी रही, जिसका मुख्य कारण यह था कि भूमि अध्याप्त करने में कठिनाइयां हुईं। पिछले वर्ष की अभूतपूर्व बाढ़ों ने जलोत्सारण की स्कीमों को शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता को और भी बढ़ा दिया है। इन स्कीमों के लिये वर्ष 1973–74 के दौरान 25.00 लाख की धनराशि रखी गयी है, जिससे कुल व्यय 53.61 लाख रुपये का हो जायगा।

लघु सिंचाई की अन्य स्कीमें

22—ये स्कीमें मुख्यतया पहाड़ी क्षेत्रों में नालियों और बुन्देलखंड तथा पूर्वी जिलों में छोटे संचयगारों से संबंधित हैं। चौथी योजना में सम्मिलित की गई सभी स्कीमें वर्ष 1973—74 के दौरान वास्तविक रूप से पूर्ण हो जायेंगी, जिनके लिये आवश्यक व्यवस्था की गयी है। 1973—74 के दौरान गढ़वाल भाभर में गूलों के पक्का बनाने की केवल एक नयी स्कीम का प्रस्ताव किया गया है। इस स्कीम में जिला पौड़ी-गढ़वाल में किसानों के खेतों की नालियों को पक्का बनाने की परिकल्पना की गई है, जहां कि उपयोगी जल संसाधनों का नितान्त अभाव है और इन कच्ची नालियों से गंभीर हानियां होती हैं।

सिंचाई की क्षमता और उसका उपयोग

23—चौथी योजना में 5.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गई थी, जिसमें से योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान 4.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की क्षमता सृजित करने की आशा की गई है। 1973–74 के दौरान 1.35 लाख की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के लक्ष्य हैं,

जिससे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल क्षमता 5.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की हो जायेगी। वर्गानुसार विवरण नीचे दिया गया है :

सारणी 9 (लाख हेक्टेयर में)

कार्यक्रम	चौथी योजना का लक्ष्य	1969–72 के दौरान उपलब्धियां	1972–73 प्रत्याशित	1973–74 का लक्ष्य	चौथी योजना का योग (1969–74,
1	2	3	4	5	6
नलकूप	2.75	2.45	1.09	1.09	4.63
डाल सिंचाई	2.71	0.73	0.24	0.24	1.21
अन्य स्कीमें	0.09	0.01	0.02	0.02	0.05
योग ..	5.55	3.19	1.35	1.35	5.89
कुल सिंचन क्षमता ..	23.73	21.38	22.73	24.08	24.08
कुल सिंचन क्षमता का उपयोग	21.47	19.08	20.15	21.25	21.25

यह उल्लेखनीय है कि सिंचाई क्षमता आगणित करने का जो मानक है उसमें शनैः शनैः घटती की जा रही है ताकि सघन सिंचाई की व्यवस्था हो सके।

(3) भूमि संरक्षण

इस कार्यक्रम के लिये चौथी योजना में कुल 2,140 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया था, जिसमें पहले तीन वर्षों में 1,145.70 लाख रुपया व्यय हुआ है, जब कि वर्ष 1972–73 में 446.21 लाख रुपये के उपयोग किये जाने की आशा है। 1973–74 के लिये निर्धारित परिव्यय 460.00 लाख रुपये है। इस तरह से चौथी योजना की अवधि में कुल 2,051.91 लाख रुपये के उपयोग की आशा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, कृषि तथा वन विभागों द्वारा स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

2—राज्य में भूमि और जल संरक्षण संबंधी व्यापक अधिनियम है, जो 1973 में बनाया गया था। इस अधिनियम के अधीन, राज्य स्तर पर एक राजकीय भूमि तथा जल संरक्षण परिषद् गठित की गयी है जब कि जिला स्तर पर कार्यक्रमों के निदेशन तथा अनुमोदन हेतु जिला भूमि संरक्षण समितियां बनाई गई हैं। किसी ऐसे वाटर शेड (जल विभाजन) वाले क्षेत्र में, जहां कोई लाभार्थी ऋण पाने का पात्र न हो, अथवा वह भूमि संरक्षण संबंधी निर्माण-कार्य को उस ढंग से निष्पादित नहीं करता है जैसा कि प्रायोजना सम्बन्धी योजना में व्यवस्थित तथा अनुमोदित किया गया है, उक्त निर्माण-कार्य राज्य के खर्चे से निष्पादित किये जाते हैं तथा उनकी लागत लाभार्थी से भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाती है। भूमि संरक्षण कार्यक्रमों को वाटर शेड तथा उप–वाटर शेड के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है और अब तक 116 उप–प्रभागीय तथा 14 प्रभागीय यूनिटें राज्य में स्थापित की जा चुकी हैं। वर्ष 1972–73 में 14 अतिरिक्त उप-प्रभागीय यूनिटें स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनमें 10 यूनिटें पर्वतीय क्षेत्रों के लिये होंगी।

3—चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में कृषि भूमि के 7.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि संरक्षण क्रियाएं चालू की गयी थीं जबकि 1972–73 में 2.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इन क्रियाओं के किये जाने की आशा है। 1973–74 के लिये 2.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। पिछले वर्ष से अपनाये गये इस कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता उन क्षेत्रों में, जहां भूमि तथा जल संरक्षण के उपाय किये जाते हैं, लघु सिंचाई के कार्यक्रम पर जोर देना है ताकि भूमि से कार्यक्रम के पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकें। चूंकि भूमि संरक्षण का यह कार्यक्रम वर्षा पर निर्भर रहने वाले कृषि क्षेत्रों में समग्र रूप से निष्पादित किया जा रहा है, इसलिये इस प्रकार के जिन क्षेत्रों की भूमि में पानी होने की सम्भावना है, उनमें नलकूपों, बोरिंग, पम्प सेटों आदि की व्यवस्था की जा रही है। इस उद्देश्य से कृषकों को लघु सिंचाई के उपकरणों को उपलब्ध कराने तथा उन्हें अधिष्ठापित करने के लिये तकावी ऋण दिये जा रहे हैं।

4—भूमि संरक्षण के समन्वित कार्यान्वयन, जोतों की चकबन्दी तथा लघु सिंचाई के कार्यक्रमों के हेतु निदेशक सिद्धान्त तैयार करने के लिये चालू वर्ष में 2 अतिरिक्त उप-प्रभागीय यूनिटों की व्यवस्था की गई है। ये दोनों ही यूनिटें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित की गयी हैं, एक यूनिट बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा एक पूर्वी संभाग में। चालू वर्ष के दौरान एक सर्वेक्षण तथा फोटो इन्टरप्रिटेशन यूनिट की भी व्यवस्था की गई है।

5—कन्दराओं को खेती योग्य बनाने के कार्यक्रम को राज्य क्षेत्र (स्टेट सेक्टर) में कृषि तथा वन विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत गहरी कन्दराओं में वन विभाग द्वारा वन रोपण किया जा रहा है और इन कन्दराओं की परिधि पर स्थित उच्च समतल भूमि को कृषि विभाग द्वारा सामान्य भूमि संरक्षण के निर्माण-कार्य करके पक्का किया जा रहा है।

वन विभाग

6—भूमि संरक्षण स्कीम अर्थात् (1) कन्दराओं को खेती योग्य बनाना, कन्दराओं में वन रोपण, तथा (2) रामगंगा के जलागम क्षेत्र में नदी घाटी प्रायोजना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित) तीसरी पंचवर्षीय योजना से चालू है, और चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान परिव्यय में वृद्धि करके इन दोनों स्कीमों के अन्तर्गत भूमि संरक्षण कार्यक्रम में तेजी लाई जा रही है। 1970–71 से माताटीला बांध क्षेत्र में (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित) भूमि संरक्षण की एक नई स्कीम चालू की गयी है। कन्दराओं को खेती योग्य बनाने, कन्दराओं में वन रोपण करने की राज्य योजना की स्कीम के लिये चौथी योजना में 125 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी थी। पहले तीन वर्षों के दौरान कुल व्यय 74.80 लाख रुपये का था। 1972–73 में प्रत्याशित व्यय 26.31 लाख

रुपये का होगा । 1973-74 के लिये 30.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित है । भौतिक उपलब्धि के रूप में चौथी योजना के दौरान 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन रोपण करना था । पहले तीन वर्षों के दौरान 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन रोपण किया जा चुका है । 1972-73 के दौरान 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन रोपण की आशा की गई है तथा 1973-74 के दौरान भी इतने ही क्षेत्र में वन रोपण की आशा है । परिशिष्ट अनुलग्नक 1 (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीम) ।

रामगंगा के जलागम क्षेत्र में नदी घाटी प्रायोजना--

7--इस स्कीम के अन्तर्गत रामगंगा नदी के जलागम क्षेत्र में भूमि संरक्षण का कार्य चलाया जा रहा है । पिछले वर्षों के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत अनेक भूमि संरक्षण के कार्य किये गये थे । चौथी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान वृक्षारोपण के अन्तर्गत 4,332 हेक्टेयर क्षेत्र, हदबन्दी के अन्तर्गत 4,524 हेक्टेयर क्षेत्र तथा भूमि संरक्षण के अन्तर्गत 3,545 हेक्टेयर क्षेत्र लाया गया था । इस अवधि में इस क्षेत्र में 45,327 फलदार वृक्ष लगाये गये । 1972-73 के दौरान, 1,400 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण, 1,800 हेक्टेयर भूमि में हदबन्दी तथा 1,600 हेक्टेयर भूमि में भूमि संरक्षण किया जाना है । इस स्कीम के अन्तर्गत पहले तीन वर्षों के दौरान प्रारम्भ किये गये विभिन्न कार्यों पर कुल 53.26 लाख रुपये व्यय हुए हैं और वर्ष 1972-73 के दौरान 26.89 लाख रुपये व्यय हो जाने की आशा है तथा 1973-74 के लिये 52.78 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है ।

माताटीला बांध प्रायोजना--

8--1970-71 से माताटीला बांध क्षेत्र में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित एक नई भूमि संरक्षण स्कीम चालू की गई थी । पहले तीन वर्षों के दौरान 4.34 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है और 1972-73 के दौरान 5.78 लाख रुपये व्यय होने की आशा है। 1973-74 के लिये 9.63 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

1973-74 के अन्त तक 19.75 लाख रुपये की कुल धनराशि का उपभोग करने का लक्ष्य है ।

(4) कृषि शोध तथा शिक्षा

(1) कृषि शोध--

1--इस समय राज्य की कृषि शोध शाखा (Complex) कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर और कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के अधीन कार्य कर रही है । शोध कार्य की कुछ उपलब्धियां संक्षेप में नीचे दी गयी हैं--

(1) धान--संस्थान ने जापानी और भारतीय बीजों के सम्मिश्रण से बहुत सी लम्बी देशी किस्मों तथा अधिक उपज देने वाली संकर बौनी किस्में तैयार करने में सफलता प्राप्त की है जो कि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी विस्तृत क्षेत्रों में काम में लायी जा रही हैं । 1970-71 में बुन्देलखन्ड के लिये बुन्देला, रुहेलखन्ड के लिये रोहिले और पर्वतीय क्षेत्रों के लिये नैनी नामक महत्वपूर्ण किस्में कृषि के लिये दी गयीं। 1971-72 में एक जल्दी पकने वाली किस्म, साकेत-2, निकाली गयी। 1972-73 के दौरान उक्त संस्थान ने साकेत-3 नाम की एक जल्द पकने वाली और अधिक उपज देने वाली नयी किस्म निकाली है । साकेत-4 नाम की अब एक नयी बढ़िया किस्म भी निकाली गयी है। 1973-74 के दौरान वर्षा से सिंचित होने वाले और लवणयुक्त मिट्टी वाले क्षेत्रों के लिये उचित किस्में उपजाने, अधिक उपज देने वाली सुगंधित तथा बारीक किस्में उपजाने और लवणयुक्त खारी मिट्टी वाले क्षेत्रों के अधिक उपज देने वाली उपयुक्त किस्में उपजाने पर जोर दिया जायगा ।

(2) गेहूं—राज्य में के-68 और के-65 नामक गेहूं की दो किस्मों की खेती सामान्यतया की जाती है। एक नयी किस्म के-802 (दो जीन ड्वार्फ) का भी चयन है जिसमें अधिक उपज देने की क्षमता है और जो रतुआ (रस्ट) प्रतिरोधक है। इसी प्रकार एक नयी किस्म के-816 (तीन जीन ड्वार्फ) कृषि के लिये दिये जाने से पूर्व बीजवर्द्धन के लिये दी गयी है। यह अधिक उपज देने वाली और अच्छे अनाज की किस्म में अच्छी रतुआ प्रतिरोधक भी है। एक दूसरी किस्म के-852 (दो जीन ड्वार्फ) पर, जिसका चयन सोना लिका के स्थान पर उपयोग में लाने के हेतु किया गया है, इस वर्ष बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जा रहा है। 1973-74 में ऐसी किस्मों के उपजाने पर जोर दिया जायगा जो अपेक्षाकृत अधिक अच्छे किस्म का अनाज देने वाली हों, जिनमें रतुआ और ऐल्टर नैरिया के प्रति अधिक अवरोध शक्ति हो और जो वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिये उपयुक्त हों। इस वर्ष ट्रिटिकेल (triticale) के संबंध में भी शोध कार्य आरम्भ किया जायगा।

(3) मक्का—कृषि विज्ञान संस्थान (इस्टीट्यूट आफ ऐग्रिकल्चरल सांइसेज) द्वारा निकाली गयी सुप्रसिद्ध ओपेन पालिनेटेड, किस्म अब भी किसानों द्वारा बोई जा रही है। यह किस्म अखिल भारतीय समन्वित कार्यक्रम के अधीन विकसित किये गये शंकर मक्कों की कुछ किस्में तैयार करने में काम में लायी जा रही है। अब तक जो संकर मक्के तैयार किये गये हैं वे रोग लगने की संभावना के कारण उत्तर प्रदेश में किसानों को पसन्द नहीं आये हैं। अखिल भारतीय समन्वित कार्यक्रम के अधीन 1972-73 के दौरान मक्के के संबंध में एक उपकेन्द्र स्थापित किया गया है। 1973-74 में उत्तर प्रदेश के लिये उपयुक्त संकर मक्के खोज निकालने के लिये इस फसल के संबंध में अधिक तीव्रता से शोध कार्य किया जायगा।

(4) दालें—दालें उपजाने के कार्यक्रम में पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उर्द टाइप-1, मसूर टाइप 36, चना टाइप—3 और राधे मटर टाइप 63 जल्द तैयार हो जाने वाली अरहर टाइप-21 (165 दिन) पूर्ववत् अधिक उपज देने वाली सब से अच्छी किस्म बनी रहीं। इस वर्ष एक नयी किस्म अरहर 'प्रभात' जो 110 दिनों में ही तैयार हो जाती है, खेती के लिये दी गयी। इस किस्म से अरहर की खेती में क्रान्ति आने और अरहर की दो फसलें बोना संभव होने की आशा की जाती है। एक नयी किस्म क-851 का जिसमें अधिक उपज देने की क्षमता के साथ विषाणुओं के प्रति अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अवरोधन क्षमता है, चयन किया गया है और वह अगले वर्ष ही टी-1 और टी-44 के स्थान पर खेती के लिये दिये जाने से पहले बीज संवर्द्धन के लिए दी गयी है। 1973-74 तथा बाद के वर्षों में चने और अरहर की ऐसी किस्मों पर, जो मुरझाहट (बिल्ट) और (मैक्रोफोमिनां) रोगों का प्रतिरोध करें, मूंग और उर्द की ऐसी किस्मों पर जो विषाणुओं से नष्ट न हों और उन किस्मों पर जोर दिया जायगा जिनका पोषण संबंधी महत्व अधिक है।

(5) जौ—1970-71 में सिंचित क्षेत्रों में एक अधिक उपज देने वाली किस्म ज्योति कृषि के लिये दी गयी। 1971-72 में अखिल भारतीय जौ कर्मशाला (आल इंडिया बार्ली वर्कशाप) ने एक दूसरी किस्म 572/11 को कृषि के लिये दिये जाने की सिफारिश की। जौ की अनेक ऐसी नयी किस्में चयन हेतु परीक्षणाधीन हैं, जिन में केवल 2 सिंचाई से प्रति हेक्टेयर 50 क्विन्टल से अधिक उपज देने की क्षमता है। जौ उपजाने में मुख्य बल वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में रतुआ तथा 'नेटब्लाच' की प्रतिरोधक 6 कतारों में बोयी जाने वाली अधिक उपज देने वाली किस्मों, माल्ट तैयार करने के प्रयोजन के लिये दो पंक्तिवाली अधिक उपज देने वाली किस्मों और बिना भूसी वाली अधिक उपज देने वाली किस्मों पर दिया जा रहा है।

(6) अन्य फसलें—तिलहन, कपास, जूट, गन्ना, आलू, शाक-सब्जी आदि के संबंध में भी कृषि विज्ञान संस्थान में कार्य हो रहा है, ट्रिटिकेल और ड्रम (Durum) के संबंध में शोध करने, मध्य उत्तर प्रदेश में बागबानी शोध केन्द्र स्थापित करने, जल प्रबन्ध, सिंचाई और जल निकासी के संबंध में शोध करने, खाने के योग्य खुम्भी के संबंध में, शोध करने, महत्वपूर्ण फसलों,

फलों, शाक-सब्जियों आदि के उत्पादन व्यय के संबंध में आर्थिक अनुसंधान करने आदि के विषय में नये कार्यक्रम चालू करने के अतिरिक्त कृषि विज्ञान संस्थान के कुछ शोध अनुभागों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

2—कृषि विश्वविद्यालय ने शोध तथा प्रसार कार्य में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। धान के संबंध में बहुत से विदेशी तथा देशी किस्मों की खेती विकसित की गयी है। संसार भर से प्राप्त लगभग 3,500 गेहूं की किस्मों को यहां रखा गया हैं। विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय शोध केन्द्रों से शीघ्र पैदावार देने वाली उत्पादन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। इस विश्वविद्यालय ने बहुत सी ट्रिपिल जीन ड्वार्फ किस्म की गेहूं की खेती के संबंध में अपना कार्य जारी रखा है। इन किस्मों की जांच समान रूप से संभागीय परीक्षणों में की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 7 छोटी पत्तियों वाली किस्मों को भी प्राथमिक मूल्यांकन परीक्षणों में शामिल किया गया है। दो जीन ड्वार्फ यू0 पी0–215 नामक किस्म भारतीय प्रायद्वीप के लिये बहुत उपयुक्त पायी गयी है। राष्ट्रीय स्तर पर ट्रिटिकेल किस्मों पर परीक्षण के लिये प्राप्त 20 प्रविष्टियों में से 5 इस विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गयी हैं। दालों तथा तिलहन के संबंध में अरहर, चना तथा अलसी के हरे प्लाज्म का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, चुकन्दर, सोयाबीन, कपास तथा जूट जैसी फसलों के संबंध में भी कार्य किया जा रहा है।

(2) कृषि संबंधी शिक्षा

3—कृषि के डिप्लोमा स्कूलों तथा कृषि महाविद्यालयों में कृषि के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि विषय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा 26 शिक्षा संस्थाओं में दी जाती है, जिनमें कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर तथा कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर भी सम्मिलित हैं।

4—स्नातकों के अध्यापन संबंधी पाठ्यक्रम में गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से 1969–70 से एक त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है। कृषि विज्ञान संस्थान के अतिरिक्त, अब तक 17 निजी संस्थाओं ने भी त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिये हैं।

5—कृषि विज्ञान संस्थान में कृषि अथवा विज्ञान में इण्टरमीडिएट कर लेने के उपरान्त त्रिवर्षीय बी० एस–सी० (कृषि) पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों को जनन विज्ञान (Genetics), वनस्पति अभिजनन (Plant Breeding), शस्य क्रिया विज्ञान (Crop Physiolgy), भूमि तथा कृषि संबंधी रसायन, शस्य विज्ञान, भूमि संरक्षण, वनस्पति रोग विज्ञान (Plant Pathology), कीटविज्ञान, (Entomology) आदि में एम0 एस–सी0 (कृषि) तथा पी0 एच0 डी0 की उपाधियां दी जाती हैं। 1973–74 में उद्यान विज्ञान में दो क्षेत्रों अर्थात् उद्यान विज्ञान एवं फल प्रौद्योगिकी में पृथक् से एम0 एस–सी0 (कृषि) के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, दुग्ध व्यवसाय एवं पशुपालन के वर्तमान एम0 एस–सी0 (कृषि) पाठ्यक्रम को पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय प्रौद्योगिकी (डेरी टेक्नोलाजी) के पाठ्यक्रमों में विभाजित कर देने का प्रस्ताव है।

6—1973–74 के दौरान शिक्षण संबंधी कार्यक्रम की मुख्य विशेषता लघु कृषक प्रौद्योगिकी के संबंध में पाठ्यक्रम का प्रारम्भ किया जाना तथा छात्रों को स्वयं व्यवसाय (Self employment) तलाश करने में सहायता देने के लिये और अधिक व्यावहारिक तथा कृषि क्षेत्र प्रधान प्रशिक्षण का आरम्भ किया जाना है।

7—1973–74 के लिये कृषि शोध तथा शिक्षा के हेतु 123 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है।

(5) छोटे किसान तथा खेतिहर मजदूर

कृषि क्षेत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य छोटे कृषकों को इस योग्य बनाना है कि वे विकास की प्रक्रिया में भाग ले सकें और उसके लाभ के भागी हो सकें। इसकी प्राप्ति का प्रयास सामान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकार के विभिन्न उपायों द्वारा किया जा रहा है। सामान्य उपायों का संबंध बहुत से क्षेत्रों से है, जिनमें लघु सिंचाई, कृषि संबंधी ऋण और पशु विकास सम्मिलित हैं। लघु कृषकों की दशा में सुधार के हेतु केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट कार्यक्रम चालू किये हैं :

1—छोटे किसानों के विकास अभिकरण।
2—सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिये प्रायोजनाएं।
3—बागानी खेती करना।
4—सूखे की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम।
5—ग्रामीण रोजगार के लिये त्वरित स्कीम।

2—इन प्रायोजनाओं में से प्रत्येक के अन्तर्गत हुई प्रगति निम्नलिखित पैराग्राफों में दी जाती है :

(1) छोटे किसानों के विकास अभिकरण—राज्य में छोटे किसानों के चार विकास अभिकरणों की स्थापना बदायूं, फतेहपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिलों में ऐसे छोटे किसानों के लिये की गयी है जिनके पास 1 हेक्टेयर से 3 हेक्टेयर तक भूमि है। इन जिलों में जिन कृषकों को छोटा किसान समझा गया है उनकी कुल संख्या 2.22 लाख है। इन अभिकरणों के मुख्य कार्य भूमि विकास बैंकों तथा अन्य बैंकों और वर्तमान बुनियादी सहकारी समितियों के जरिये मुख्यतया ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना तथा राज्य सहायता के रूप में प्रोत्साहन देना है। यह राज्य सहायता, लघु सिंचाई कार्यक्रमों, फसली ऋण कार्य "कस्टम सर्विस" (custom service) धान्य कोष्ठों (Storage bins) के निर्माण और दुग्ध व्यवसाय तथा कुक्कुट पालन, आदि जैसे सहायक धन्धों के लिये 25 प्रतिशत की दर से दी जाती है। अब तक इन जिलों में, 2891 पक्के कुएं, 890 डीजल पंपिंग सेट और 4,341 नलकूप निर्मित या अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश कृषि-उद्योग निगम ने इन प्रायोजना क्षेत्रों म "कस्टम सर्विस" केन्द्रों की स्थापना की है। छोटे किसानों के प्रत्येक विकास अभिकरण प्रायोजना की अनुमानित लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है। इन प्रायोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा दी गयी कुल निधियां 123 लाख रुपये होती हैं, जिनमें से 1970–71 और 1971–72 के दौरान 102.32 लाख रुपये व्यय हुए। 1972–73 के लिये 144.25 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गयी है। 1973–74 के लिये परिव्यय 267.04 लाख रुपये है।

(2) सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिये प्रायोजनाएं—सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के लिये दो स्कीमें मथुरा और बलिया जिलों में आरम्भ की गयी हैं। इन अधिकरणों का निबन्धन जनवरी, 1971 में हुआ था। इन दोनों जिलों में इस स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 47,586 होती है। वे मुख्य कार्यक्रम, जिन्हें कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है, लघु सिंचाई, फसली ऋण कार्य "कस्टम सर्विस" की व्यवस्था और दुग्ध-व्यवसाय तथा कुक्कुट पालन जैसे सहायक धंधों को बढ़ावा देने और साथ ही खेतिहर मजदूरों को रोजगार देने के लिये आयोजित ग्रामीण कार्यक्रमों के विषयों से संबंधित हैं। 1970–71 तथा 1971–72 के वर्षों के दौरान लगभग

18 नलकूप तथा 58 पंपिंग सेट लगाये गये तथा 3 पक्के कुओं का निर्माण किया गया था। 1972–73 का लक्ष्य 450 नलकूपों, 167 पंपिंग सेटों तथा 230 पक्के कुओं के निर्माण करने का है। 1973–74 के दौरान 180 कुओं का निर्माण करने तथा 330 नलकूप और 190 पंपिंग सेट लगाने का प्रस्ताव किया गया है। दीर्घकालिक ऋण पंजीकृत भूमि विकास बैंकों के माध्यम से और मध्यम तथा अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से दिये जाते हैं। लघु सिंचाई के कार्यक्रमों, कस्टम सर्विस तथा दुधारु पशुओं और कुक्कुटों की खरीद के लिये उनकी लागत को 33 1/3 प्रतिशत तक की राज-सहायता दी जाती है। इन स्कीमों के लिये 1970–71 तथा 1971–72 के वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा कुल 30.40 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से केवल 24.47 लाख रुपये का व्यय किया गया था। यह आशा है कि वर्ष 1972–73 के दौरान 70.80 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया जायगा। चूंकि यह स्कीम अभी प्रारंभिक स्थिति में है, इसलिये इस पर अब तक व्यय बहुत कम हुआ है आशा है कि निकट भविष्य में इसकी प्रगति में तेजी लायी जा सकेगी। वर्ष 1973–74 के लिये 83.72 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

(3) बागानी खेती की प्रायोजनाएं—राज्य का अधिकांश कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिये वर्षा पर निर्भर रहता है। राज्य के वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं—(1) जल तथा भू-संरक्षण के प्रसार कार्यक्रमों द्वारा जल का संरक्षण—इसके अन्तर्गत भूमि विकास कार्य, जैसे भूमि को समतल बनाना, करने का विचार किया गया है, जिससे कि भूमि अधिकतम जल सोख सके और जल एकत्र रख सके, (2) कम समय लेने वाली तथा अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को बदल-बदल कर बोयी जाने वाली फसलों के रूप में अधिक कृषि करने हेतु बढ़ावा दिया जा रहा है और (3) प्रमुख रूप से वर्षा पर आधारित परिस्थितियों में उगने वाली फसलों की किस्मों को, राज्य के बीजवर्धन फार्मों में वितरण हेतु बढ़ाया जा रहा है। राज्य में झांसी, आगरा तथा मिर्जापुर जिलों में बागानी खेती के लिये केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित एक कार्यक्रम चालू किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन किये जाने वाले कार्य में भूमि तथा जल संरक्षण के उपाय और भूमि विकास भी सम्मिलित है। पानी इकट्ठा करने की बंधियों का निर्माण करके जल संरक्षण सुनिश्चित किया जायगा। यह भी प्रस्ताव है कि छिड़काव द्वारा सिंचाई का प्रदर्शन किया जाय। लघु सिंचाई निर्माण कार्य करने तथा उन्नत नस्ल के दुधारु पशुओं को खरीदने के लिये भी किसानों को ऋण दिये जायेंगे। प्रायोजना के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की उन्नत कृषि-पद्धतियों का प्रदर्शन करने, संस्तुत उन्नत बीजों तथा उर्वरकों की किस्मों का वितरण करने तथा पौध-सुरक्षण के समुचित उपायों को कार्यान्वित करने का भी एक कार्यक्रम है। इस उद्देश्य से कि बागानी खेती के उन्नत तरीकों को किसान अपना सकें, उनके लिये प्रशिक्षण शिविरों तथा सम्बद्ध स्थलों को देखने हेतु यात्राओं का भी आयोजन किया जायगा। 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान इन स्कीमों पर 21.15 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई है। 1972–73 के दौरान 30.90 लाख रुपये का व्यय होने की आशा है। 1973–74 का परिव्यय 43.03 लाख रुपये है।

(4) सूखे की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम—राज्य के सूखे की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में सूखे की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने वर्ष 1970–71 से केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीम के रूप में सूखे की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों के लिये एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये

गये प्रत्येक जिले के वास्ते 2 करोड़ रुपये उपलब्ध किया जा रहा है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की जा रही है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी प्रकार के ऐसे नागरिक निर्माण कार्य किए गये हैं जो उत्पादन प्रधान तथा श्रम साध्य हों, जैसे भू-संरक्षण, कंटूर बंधी, लघु तथा मध्यम सिंचाई संबंधी निर्माण-कार्य, सड़कें आदि । इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 6 जिलों में स्वीकृत किया गया है :

(1) मिर्जापुर ।

(2) वाराणसी (चकिया तहसील)

(3) इलाहाबाद (मेजा और करछना तहसीलें)

(4) बांदा (मऊ तथा करवी तहसीलें और नरेनी तहसील में बघेड़ा नदी का पूर्व दक्षिणी भाग)

(5) हमीरपुर [मौदहा, सुमेरपुर , महोबा, चरखारी और सरीला खन्ड (ब्लाक)]

(6) जालौन (उरई और कालपी तहसीलें) ।

(7) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के चालू होने से 122.66 लाख श्रमदिनों के लिये रोजगार के साधन सृजित हो जाने की संभावना है । जिलेवार रोजगार के संभावित अनुमान निम्नलिखित हैं—

(लाख श्रम दिन)

(1) मिर्जापुर	..	..	..	18.72
(2) वाराणसी	..	..	..	31.65
(3) इलाहाबाद	..	..	..	19.51
(4) बांदा	..	..	..	17.66
(5) हमीरपुर	..	..	..	17.72
(6) जालौन	..	..	..	17.40
				122.66

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निधियां वर्ष 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान उनका उपयोग तथा योजना के शेष वर्ष के प्रस्तावित परिव्यय नीचे दिये गये हैं —

(लाख रुपये में)

जिले	स्वीकृत स्कीमें	1970–71 वास्तविक व्यय	1971–72 व्यय	1972–73 संभावित व्यय	1973–74 का परिव्यय
1	2	3	4	5	6
मिर्जापुर	235.76	22.15	64.93	426.18	614.77
वाराणसी	169.46	..	22.17		
इलाहाबाद	104.83	..	1.20		
बांदा	160.35	..	15.24		
हमीरपुर	87.60	..	12.40		
जालौन	147.20	..	22.96		
योग ..	905.20	22.15	136.90	426.18	614.77

(5) ग्रामीण रोजगार के लिये त्वरित कार्यक्रम—ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संबंधी अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 1971 से एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का वित्तपोषण भी पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। 1971–72 से 1973–74 के दौरान उक्त कार्यक्रम से 1,000 व्यक्तियों को हर जिले में रोजगार मिलेगा। भारत सरकार प्रतिवर्ष 12.50 लाख रुपये प्रति जिले के हिसाब से 675 लाख रुपये की सहायता देगी। 1971–72 के दौरान 422 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। 1972–73 तथा 1973–74 के लिये भारत सरकार द्वारा 679 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादक किस्म के स्थायी निर्माण-कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे—जैसे सड़कों, नालियों और पुलों का निर्माण, वनीकरण, भू-संरक्षण, मत्स्य क्षेत्र का विकास, बाढ़-रक्षा कार्य आदि। ये कार्यक्रम उन कार्यक्रमों के अतिरिक्त होंगे जो योजना के अन्तर्गत चालू किये जा रहे हैं। ये कार्यक्रम श्रम-प्रधान होंगे।

6—कृषि में विनियोजन के लिए संस्थात्मक वित्त

कृषि क्षेत्र के लिये संस्थात्मक वित्त व्यवस्था क्रमशः बढ़ती जा रही है। 1971-72 के दौरान लगभग 27.73 करोड़ रुपये के संस्थात्मक वित्त उपलब्ध कराया गया—जिसके 1972-73 के दौरान बढ़कर 35.84 करोड़ रुपये हो जायगा। 1973-74 के लिये 40 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। संस्थात्मक वित्त के मुख्य स्रोत भूमि विकास बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त निगम हैं। इन संस्थाओं के जरिये किये गए वित्त पोषण संबंधी स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है :

भूमि विकास बैंक

2—उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राज्य के 46 जिलों में लघु सिंचाई कार्यों के लिये ऋण वितरित कर रहा है। इस बैंक ने वर्ष 1971-72 के दौरान अपने सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 18.69 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की। 1972-73 के लिये नियत किये गये 20 करोड़ के लक्ष्य में से रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने केवल 18 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित करने के कार्यक्रम की स्वीकृति दी, जिसमें सफलता प्राप्त हो जाने की आशा है। 1973-74 के लिये, सामान्य कार्यक्रम के अधीन, 17 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। कृषि पुनर्वित्त निगम की स्कीमों के अधीन, लघु सिंचाई तथा अन्य कार्यक्रमों में, जिनका कार्यान्वियन भूमि विकास बैंक द्वारा किया जा रहा है, तत्स्थानी वृद्धि होगी।

कृषि पुनर्वित्त निगम

3—कृषि पुनर्वित्त निगम ने 30 जून, 1972 तक 60.57 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की 65 स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की थी। इनमें 61 लघु सिंजाई स्कीमें, बागबानी की एक स्कीम, गोदामों के निर्माण की एक स्कीम, भूमि विकास की एक स्कीम तथा दुग्ध व्यवसाय के विकास की एक स्कीम सम्मिलित हैं। जुलाई, 1972 से अब तक, लघु सिंचाई की चार और स्कीमें, पर्वतीय बागबानी की एक स्कीम तथा दुग्ध व्यवसाय संबंधी 2 स्कीमें कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा स्वीकृत की गई हैं। स्वीकृतिप्राप्त स्कीमों की कुल संख्या अब 72 है। लघु सिंचाई की सत्रह स्कीमों को 30 जून, 1972 तक पूरा कर लिया गया है। इस समय छब्बीस स्कीमें निगम के विचाराधीन हैं। 1971-72 के दौरान, कृषि पुनर्वित्त निगम की स्कीमों के अधीन, 5.04 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई। 1972-73 के दौरान यह वितरण बढ़कर 13.84 करोड़ रुपए तक हो जाने की आशा है। 1973-74 का लक्ष्य 18 करोड़ रुपया है।

4—वाणिज्यिक बैंकों से उपलब्ध होने वाला संस्थात्मक वित्त सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि बैंक वास्तविक वितरण की धनराशि नियतकालिक सूचना नहीं भेजते।

7—भण्डारागार (Warehousing)

भण्डारागार क्षेत्र (सेक्टर) का, जिसमें सहकारी तथा कृषि विभाग की स्कीमें हैं, चौथी योजना का परिव्यय, वर्ष 1969–70 से 1971–72 तक का व्यय, 1972–73 का परिव्यय तथा प्रत्याशित व्यय और वर्ष 1973–74 का निर्धारित परिव्यय नीचे दिया गया है :

(लाख रुपये में)

विभाग	चौथी योजना का परिव्यय	व्यय			1972–73		1973–74
		1969–70	1970–71	1971–72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
सहकारी	30.00	..	7.50	..	7.00	..	7.00
कृषि ..	74.35	6.16	15.15	66.74	22.00	15.33	67.00
योग ..	104.35	6.16	22.65	66.74	29.00	15.33	74.00

सहकारी क्षेत्र की स्कीम—

2—खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के संग्रह के वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार करने तथा कृषकों को ऋण सुविधायें देने के इन दो उद्देश्यों से वर्ष 1958 में उत्तर प्रदेश राज्य भाण्डारागार निगम (उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन) की स्थापना की गई थी। यह अनुमान लगाया गया है कि 5 से लेकर 10 प्रतिशत तक खाद्यान्न अब भी खराब तरीके से संग्रह करने तथा लाने ले जाने में नष्ट हो जाता है। भाण्डारागार निगम की स्थापना इन हानियों को कम करने की दिशा में एक कदम है। 1968–69 में उक्त निगम के पास केवल 8 लाख क्विंटल की संग्रह–क्षमता थी, जो अब बढ़कर 47 लाख क्विंटल से अधिक हो गई है। इस समय निगम राज्य की प्रमुख मन्डियों में 81 भाण्डारागार/उप–भाण्डारागार चला रहा है।

3—निगम ने वर्ष 1969–70 और 1970–71 के दौरान क्रमशः 52.68 लाख रु0 और 95.26 लाख रु0 का संग्रह शुल्क (storage charge) प्राप्त किया, जबकि वर्ष 1968–69 के दौरान 17.85 लाख रु0 का संग्रह शुल्क प्राप्त हुआ था। वर्ष 1971–72 में लगभग 125 लाख रु0 के संग्रह शुल्क प्राप्त होने की आशा है, जिसका कारण वर्ष प्रतिवर्ष निगम के लाभों में क्रमशः वृद्धि का होना है। धन के रूप में निगम ने वर्ष 1968–69 के दौरान 4.04 लाख रु0 के साधारण लाभ से कार्य शुरू करते हुए वर्ष 1969–70 के दौरान 21.92 लाख रु0 तथा 1970–71 में 47.72 लाख रु0 लाभ प्राप्त किया जो देश के अन्य राज्य भण्डारागार निगमों द्वारा अर्जित लाभों से स्पष्टतः अधिक था। वर्ष 1971–72 के लाभ का अनुमान 65 लाख रुपये लगाया गया है।

4—चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह आशा थी कि निगम 30,000 मीट्रिक टन की संग्रह क्षमता के भाण्डारागारों का निर्माण कर लेगा। उरई और रुद्रपुर में 2,500 मीट्रिक टन और 4,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले भण्डारागारों का पहले ही निर्माण किया जा चुका है। रुद्रपुर में 1,250 मीट्रिक टन क्षमता वाले एक और भण्डारागार का निर्माण किया जा रहा है।

5—रायबरेली और शिकारपुर में भाण्डारागारों के निर्माण के लिए निगम द्वारा पहले ही से भूमि क्रय की जा चुकी है। अलीगढ़ और मैनपुरी जिलों में भूमि तथा पहले से निर्मित गोदामों के क्रय को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य की विभिन्न नियन्त्रित मण्डियों को मण्डी समितियों से भी गोदामों के निर्माण के लिए निगम को भूमि उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया है।

कृषि विभाग की स्कीम—

6—वार्षिक योजना 1971–72 के केन्द्रीय कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर, कृषि विभाग की क्रय-विक्रय सम्बन्धी स्कीमों को भाण्डारागार क्षेत्र में संक्रमित कर दिया गया है। भण्डारागार क्षेत्र के अन्तर्गत इस समय कृषि विभाग की चार स्कीमें हैं। इनमें से दो स्कीमें, अर्थात् (1) मण्डियों का नियन्त्रण और (2) मण्डियों के नियन्त्रण के लिए कृषि क्रय-विक्रय अनुभाग का सुदृढ़ीकरण, 1969–70 से चल रही है। शेष दो स्कीमें अर्थात् (1) मन्डी सम्बन्धी अधिसूचना, वर्गीकरण, प्रसार तथा शोध के सम्बन्ध में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना और (2) कृषि सम्बन्धी सूचनाओं के प्रसार के एक साधन के रूप में नियन्त्रित मण्डियों की उपभोग की स्कीमों को वर्ष 1971–72 से योजना में शामिल कर लिया गया है।

7—बढ़े हुए कृषि उत्पादन से संग्रहण, विधायन, संग्रह, परिवहन तथा वितरण सम्बन्धी समस्यायें पैदा हो गई हैं। इस प्रकार कृषि सम्बन्धी क्रय-विक्रय संगठन को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया है और यह इसलिए और भी आवश्यक है जब कि नियन्त्रित मण्डियों के विकास के लिए प्रायोजना प्रारम्भ की जा चुकी है।

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त प्रायोजना—

8—भारत सरकार के सुझाव पर राज्य सरकार ने मन्डी के विकास के लिए एक राज्य क्रय-विक्रय परिषद् (बोर्ड) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव समाविष्ट किया है। उक्त प्रायोजना विश्व बैंक को अप्रैल, 1972 में प्रस्तुत कर दी गई है। इस प्रस्ताव में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए राज्य मुख्यालय पर एक उच्चस्तरीय कर्णधारी समिति (हाई लेवेल स्टियरिंग कमेटी) की स्थापना भी सम्मिलित है।

9—मण्डियों के विकास के लिए आदर्श क्रय-विक्रय यार्डों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन के हेतु विभिन्न प्रायोजनायें तैयार की गई हैं।

10—इस प्रायोजना में, जो विश्व बैंक को अप्रैल, 1972 में प्रस्तुत की गई है, राज्य के 29 जिलों में फैली हुई 135 मण्डियों के विकास की परिकल्पना की गई है, इसमें 1,883 लाख रुपये का व्यय सन्निहित है, जिसमें मन्डी समितियों का (94.15 लाख रु0), (2) राज्य सरकार का (347.50 लाख रु0) और विश्व बैंक का (1,441.35 लाख रु0) अंशदान होगा। यह आशा है कि 50–60 मण्डियों का विकास पहले चरण में और शेष मण्डियों का विकास बाद के चरणों में किया जायगा।

उत्तर प्रदेश में लघु किसान विकास अभिकरण (SFDA)/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक अभिकरण (MFAL Agency) संबंधी क्षेत्रों के अन्तर्गत मंडियों के विकास की प्रायोजना।

11—इस प्रायोजना के अन्तर्गत 258.20 लाख रु० के कुल परिव्यय से रायबरेली प्रतापगढ़, बदायूं, फतेहपुर, मथुरा और बलिया के जिलों में लघु किसान विकास अभिकरण/

सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक अभिकरण संबंधी क्षेत्रों में 17 मंडियों का विकास किया जायगा। इस प्रायोजना के हेतु निधियों का अधिकांश अंशदान संबंधित जिलों के लीड्स बैंकों, (Leads Banks) द्वारा दिया जायगा। मंडी समितियां, राज्य सरकार, लघु किसान विकास अभिकरण/सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक अभिकरण भी इस प्रायोजना पर होने वाले व्यय की पूर्ति करेंगे तथा व्यापारियों को आबंटित भूमि से प्राप्त अभिलाभ (प्रीमियम) से भी उक्त व्यय की पूर्ति की जायगी।

गन्डक नहर प्रायोजना के सिंचन क्षेत्र में मंडियों के विकास की प्रायोजना

12—इस प्रायोजना के अन्तर्गत 66.50 लाख रु० के कुल परिव्यय से, गंडक नहर के सिंचन क्षेत्र में आने वाली गोरखपुर और देवरिया जिलों की 10 मुख्य और 12 सहायक मंडियों के विकास किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रायोजना के लिये निधियों की व्यवस्था मन्डी समितियों, राज्य सरकार गन्डक प्रायोजना निधि, लीड्स बैंक तथा व्यापारियों को आवंटित भूमि से प्राप्त अधिलाभ द्वारा की जायगी।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा अल्प विकसित क्षेत्रों की नियंत्रित मंडियों के विकास की प्रायोजना

13—आर्थिक दृष्टि से अल्प विकसित क्षेत्रों की नियंत्रित मंडियों के विकास के लिये 27 मंडियों से संबंधित सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है तथा उसे भारत सरकार के पास भेज दिया गया है। इस प्रायोजना के संबंध में भूमि का व्यय राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जायगा। भारत सरकार 2.00 लाख रु० प्रति मन्डी की दर से सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

कोटिकरण तथा मानकीकरण (Grading and Standardisation)

14—उत्पादक, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच उत्कृष्ट चेतना का विकास करने के लिये पिछले वर्षों में उत्पादक-स्तर पर कृषि संबंधी उपज के कोटिकरण करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। पचास वाणिज्यिक कोटिकरण संबंधी यूनिटें, जिनके अन्तर्गत, राज्य की बड़ी मंडियां आती हैं, स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त पांच पर्यवेक्षक कोटिकरण यूनिटें भी मन्डी स्तर पर कार्य करने वाली कोटिकरण यूनिटों के काम की जांच तथा देखरेख कर रही हैं। पांचवीं योजना में राज्य की समस्त मंडियों में कोटिकरण सुविधाओं का प्रसार होने की आशा है।

प्रशिक्षण संस्थान

15—मन्डी अधिसूचना, कोटिकरण प्रसार, मूल्यांकन तथा शोध के लिये राज्य मुख्यालय पर एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, जिसमें मन्डी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों और कृषि क्रय-विक्रय संगठन के क्षेत्रीय कर्मचारिवर्ग को पूर्व-सेवा/सेवारत प्रशिक्षण दिया जायगा। यह संस्थान टोलियों (बैचों) में अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

अनुलग्नक—1 (कृषि)

उत्पादन का लक्ष्य

मद	इकाई	चौथी योजना के आधारिक वर्ष का उत्पादन	1969–70 वास्तविक उपलब्धि	1970–71 वास्तविक उपलब्धि	1971–72 वास्तविक उपलब्धि	1972–73 लक्ष्य	1972–73 अनुमानित उपलब्धि	1973–74 लक्ष्य	चौथी योजना का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1—खाद्यान्न—									
(क) चावल	लाख मीट्रिक टन	28.83	33.31	36.05	36.81	39.30	2.40	40.00	43.00
(ख) गेहूं	,,	63.90	64.21	76.90	75.27	79.00	80.00	83.00	83.00
(ग) मक्का	,,	13.40	11.74	17.96	8.46	16.00	13.00	15.00	17.00
(घ) ज्वार	,,	4.77	4.33	4.86	2.39	4.95	4.00	5.00	5.00
(ङ) बाजरा	,,	6.02	7.41	8.82	5.28	5.50	6.90	6.00	6.00

(च) अन्य अनाज	,,	16.65	19.83	19.37	18.05	21.25	19.70	20.00	23.45
(छ) दालें	,,	34.43	33.30	30.69	28.38	35.00	31.00	36.00	36.55
	योग, खाद्यान्न ..	168.00	174.13	194.65	174.64	201.00	187.00	205.00	214.00
2—वाणिज्यिक तथा रोपावनी फसलें—									
(क) गन्ना (गुड़)	लाख मीट्रिक टन	51.50	60.68	54.67	49.66	60.00	58.00	62.00	65.75
(ख) तिलहन	,,	17.00	16.45	18.52	13.20	18.60	18.60	19.00	19.00
(ग) कपास	,,	55	49	43	26	60	50	60	95
(घ) जूट (180 किलो ग्राम प्रति गांठ)	000 गांठें	190	155	183	170	216	180	200	220

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1.कृषि उत्पादन

अनुलग्नक—Z

योजनावार परिव्यय और व्यय

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(1) उन्नत बीज कार्यक्रम											
	कृषि विभाग—											
110101	उन्नत बीजों के वर्द्धन, संग्रहण और वितरण के योजना का सुदृढ़ीकरण	236.58	32.46	..	30.35	83.80	60.47	62.01	62.37	75.47	18.34	..
110102	बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	17.78	1.50	..	..	1.82	0.23	0.25	0.24	0.25	..	..
110103	विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा में हाईब्रिड एवं अधिक उपज देने वाले बीजों का उत्पादन	7.08	..	..	1.40	1.07	0.62	0.72	0.71	0.80	..	..
110104	सीड ऐक्ट, 1966 का क्रियान्वयन	..	..	..	..	1.25	1.24	0.01	0.01	0.001	..	..
110105	पर्वतीय जिलों में बीज वर्द्धन फार्म की स्थापना	..	..	..	..	..	..	5.83	0.20	3.32	2.50	..
	विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा में शोधकार्यों के मूल्यांकन के पश्चात् कृषकों के आधुनिक प्रविधियों तथा उन्नत किस्म के बीज के प्रयोग में प्रशिक्षण देना	..	..	..	..	..	..	0.62	..	स्कीम त्याग दी गई		
		261.44	33.96	..	31.75	87.94	62.56	69.44	63.53	79.84	20.84	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(2) उर्वरक तथा खाद— कृषि विभाग—											
110201	राज्य के पर्वतीय एवं अगम्य क्षेत्रों में उर्वरकों के यातायात पर राज सहायता	15.00	..	..	3.01	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	.	..
110202	कृषि सम्पूर्ति संगठन का सुदृढ़ीकरण—गोदामों का निर्माण	400.88	258.50	..	122.99	27.19	3.50	1.50	1.04	5.00	4.50	..
110203	उर्वरकों के अधिग्रहण, संग्रहण एवं वितरण की योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.01	0.01	..	..	..	स्कीम पूर्ण हो गई		..	..	..	..
110204	उर्वरक नियंत्रण आदेश को लागू करने की योजना	5.21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
110205	पिछड़े तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि सम्पूर्ति कार्यक्रम का विस्तार तथा कृषि सम्पूर्ति संगठन का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..	..	स्कीम त्याग दी गई		..	..	..	..

110206	सचल मिट्टी परीक्षण प्रयोग-शालाओं की स्थापना	..	..	..	..	..	3.29	8.95	5.48	8.73		..
110207	उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के लिए गोदामों का निर्माण--											
	(क) पिछड़े और अगम्य क्षेत्रों में	..	..	..	..	..	..	8.42	2.73	16.00	16.00	..
	(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में	..	..	..	..	.	..	13.14	4.05	12.00	12.00	.
110208	मिट्टी पर परीक्षण तथा जोनल फील्ड परीक्षण का एकीकृत कार्यक्रम	..	..	..	..	..	..	3.77	2.13	5.51	..	..
110209	कृषि निदेशालय के उर्वरक एवं खाद सेक्शन के उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला का विस्तार	..	..	..	..	..	..	1.25	..	..	..	..
110210	गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय मिट्टी परीक्षण एवं कृषि प्रदर्शन प्रयोगशाला की स्थापना तथा वर्तमान राजकीय प्रयोगशालाओं में मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्रदान करना	..	..	..	..	..	..	2.64	..	..	..	..
110211	उर्वरक नियंत्रण आदेश के क्रियान्वयन हेतु संस्थापन	..	..	..	..	..	..	0.50	..	..	..	.
	योग, कृषि विभाग ..	421.10	258.51	..	126.00	30.19	9.79	43.17	18.43	50.24	32.50	..

मद—1: कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः) (लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	स्वायत्त शासन विभाग—											
110220	मलोपयोग संबंधी योजना	300.00	300.00	5.00	30.00	32.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	1.00
	योग (2) ..	721.10	558.51	5.00	156.00	62.19	39.79	83.17	58.43	90.24	72.50	1.00
	(3) पौध सुरक्षा—											
	कृषि विभाग—											
110301	पहाड़ी क्षेत्रों में कुरमुला कीट का नियंत्रण	39.60	..	..	2.58	..	..	0.001	..	0.001	..	..
110302	पौध सुरक्षा सेवा का विस्तार	667.60	..	..	100.73	68.46	91.67	62.84	119.72	77.85	..	..
110303	छोटे किसानों को एग्रो-केमिकल क्रियाओं द्वारा इन्डेमिक क्षेत्रों में फसलों के रोगों तथा कीटाणुओं को नष्ट करने के योग्य बनाना	..	..	..	..	..	..	0.001	..	0.001	..	..
	योग (3) ..	707.20	..	..	103.31	68.46	91.67	62.84	119.72	77.85	..	..

(4) कृषि उपकरण—

कृषि विभाग—

110401	चार पूर्वी जिलों में कृषि कर्मशालाओं का विस्तार	19.13	1.25	..	..	..	2.36	4.73	4.56	4.43	0.50	..
110402	उन्नत कृषि उपकरणों के प्रदर्शन, विक्रय तथा उनको लोकप्रिय बनाने की योजना का सुदृढ़ीकरण तथा कृषि विभाग में कृषकों को उपकरण कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने के लिये सेल की स्थापना	7.28	..	..	..	..	..	स्कीम त्याग दी गई		..	..	..
110403	नये कृषि यंत्रों तथा मशीनरी के डिजाइनिंग हेतु पुरस्कार	2.00	..	..	..	..	..	..	तदैव	..	..	..
110404	उन्नत कृषि यन्त्रों को लोकप्रिय बनाने की योजना	75.00	75.00	..	19.62	17.38	85.00	10.00	10.00	1.00	1.00	..
110405	कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना	..	..	..	..	..	55.91	20.00	13.90	18.84	0.001	..
	कृषि उद्योग सेल की स्थापना	..	..	..	..	..	..	0.10	स्कीम त्याग दी गई		..	..
	योग (4) ..	103.41	76.25	..	19.62	17.38	143.27	34.83	28.46	24.27	1.50	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः) (लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक व्यय			1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(5) वाणिज्यिक फसलें तथा औद्यानिकी											
	(क) वाणिज्यिक फसलें											
	कृषि विभाग—											
110501	जूट की फसलों में छिड़काव के लिये यूरिया दिये जाने की योजना	2.05	..	-	..	0.06	स्कीम त्याग दी गई			..	..	..
110503	सीतापुर, लखीमपुर-खीरी और बहराइच में जूट की सघन खेती	9.28	..	..	1.14	1.20	1.22	1.39	1.24	1.56	..	..
110508	जूट संबंधी विशेष "पैकेज" कार्यक्रम	0.54	..	..	..	..	.	स्कीम त्याग दी गई			..	..
110509	जूट की फसल पर यूरिया एवं कीटनाशक दवाइयों का हवाई छिड़काव	0.92	..	..	..	..	..		[illegible]			

110510	जूट एवं मेस्ता के किस्म का सुधार	1.01	..	..	..	..	..	तदेव			..	
110511	जूट के उन्नतशील बीजों का कम दर पर वितरण	2.31	..	..	..	..	..	तदेव			..	
110512	ब्रूड लाख फार्मों तथा प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना	1.36	..	..	0.11	0.17	0.24	0.27	0.25	0.29	..	..
110513	जूट कृषकों को ऋण	..	..	..	..	2.00	1.61	2.00	2.00	2.00	2.00	..
110514	तम्बाकू विकास	..	..	..	..	..	0.19	0.67	0.61	0.80	..	..
110515	सोयाबीन की खेती का विकास तथा विख्यापन	..	..	..	..	..	..	3 23	स्कीम त्याग दी गई।			
110516	उ० प्र० के उत्तरी-पूर्वी भाग में तम्बाकू विकास	..	..	..	..	..	0.23	2.49	1.07	1.10	..	..
110517	सूर्यमुखी की सघन खेती	..	..	..	..	..	..	1.25	0.03	4.32	..	..
	योग, कृषि विभाग ..	17.47	..	..	1.25	3.43	3.52	11.30	5.20	10.06	2.00	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक व्यय			1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(ख) औद्यानिक विकास											
	(i) कृषि विभाग—											
110502	पर्वतीय जिलों में आलू विकास कार्य का सघनीकरण	1.21	..	..	0.16	5.52	1.88	7.44	3.21	2.34	0.32	..
110504	औद्यानिक विकास कार्यक्रम का सघनीकरण	36.40	10.95	..	4.78	7.19	10.12	8.28	10.36	7.24	0.001	..
110505	शाक-भाजी के उत्पादन का सघनीकरण एवं सब्जी-बीज उत्पादन	16.64	1.20	..	0.49	1.95	2.73	2.76	3.62	1.67	0.001	..
110506	देहरादून के चकराता तहसील के जौनसार-बावर के पिछड़े क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिक विकास कार्य का सघनीकरण	17.71	10.00	..	1.43	3.23	1.08	4.26	3.23	2.11	1.01	..

110507	आलू विकास के कार्यक्रम का तीव्रतर किया जाना	10.84	..	..	0.16	4.77	1.49	3.14	1.44	3.48	..	..
110531	चुने हुए ब्लाकों में संहत औद्यानिक विकास	..	..	..	..	4.08	4.98	5.04	4.89	7.68	2.20	..
110532	आगरा में अंगूर की सघन खेती	..	..	..	..	..	0.05	0.11	0.12	0.15	..	..
110533	सचल दलों द्वारा बुन्देलखन्ड में, औद्यानिकी विकास	..	..	..	..	..	0.39	0.23	0.20	0.27	..	..
110534	गुलाब के फूलों का उत्पादन व निर्यात बढ़ाना	..	..	.	..	..	1.08	0.43	0.29	0.42	..	..
10535	अंगूर सुखाकर किशमिश बनाने की अग्रगामी योजना	..	..	..	..	..	0.11	0.08	0.05	0.08	..	..
	औद्यानिकी सेट—अप का पुनः संगठन	..	..	..	..	..	..	0.66	स्कीम त्याग दी गई			
	कृषि पुनर्वृत्त निगम द्वारा औद्यानिकी विकास के लिए सहायता (राज्य अंश)	..	..	..	..	..	..	11.52		,,		
	मथुरा के ऊसर भूमि में वृक्षारोपण	..	..	..	..	..	..	2.50		,,		
	वाराणसी और गोरखपुर मण्डलों में सचल दलों द्वारा औद्यानिकी विकास	..	.	..	..	..	..	0.57		,,		

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः) (लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	मसाले तथा औषधियों का विकास	..	..	..	..	..	..	3.00	स्कीम त्याग दी गई ।			
	आलू विकास निगम की स्थापना	..	..	..	..	..	..	0.10			,,	
	<u>नई परियोजनायें—</u>											
	संस्थागत वित्त पोषित फल उत्पादन योजनाएं—राज्य सरकार का अंशदान	..	..	..	..	..	..	..	..	0.50	0.50	..

वर्तमान उद्यानों का सुधार		..	..	..	..	..	..	..	..	6.70	5.09	..
योग (i)	..	82.80	22.15	..	7.02	26.74	23.91	50.12	27.41	32.64	9.11	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः) (लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	फलोद्यान योग—											
110541	प्रजनन फलोद्यानों की स्थापना	16.38	2.85	..	0.75	2.95	4.73	4.03	4.22	5.96	1.41	..
110542	औद्यानिक प्रसार एवं पौध संरक्षण सेवा का सुदृढ़ीकरण	8.54	..	..	2.31	2.11	2.84	3.49	2.41	2.99	0.22	..
110543	फल–पट्टियों तथा उद्यान उपनिवेशों की स्थापना एवं फलोत्पादकों को दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण का संवितरण	53.60	48.90	..	13.79	14.96	18.27	10.45	16.69	10.73	8.07	..
110544	कीटनाशक औषधियों, फल के पौधों तथा सब्जी बीजों का कम मूल्य पर वितरण	3.10	..	..	..	1.73	0.66	0.79	0.84	0.77	..	..

110545	पर्वतीय फलों एवं सब्जी पर अनुसन्धान कार्य का सघनीकरण	2.10	0.60	..	0.59	0.58	0.75	0.36	0.36	0.65	0.06	..
110546	फल संरक्षण एवं डिब्बाबन्दी संस्थान, लखनऊ में शोध कार्य का सघनीकरण	9.40	2.80	..	0.70	1.50	1.46	1.50	1.89	2.29	..	..
110547	भवन निर्माण-स्पिल ओवर	2.96	2.96	..	1.05	..	..	..	..	..	..	..
110548	अतिरिक्त सामुदायिक डिब्बा-बन्दी एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	3.92	..	..	1.05	0.88	2.63	3.47	3.34	5.54	..	..
110549	*भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के सहयोग से पर्वतीय क्षेत्र में सेब, आड़ू आदि पर समन्वित योजना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
110550	फलों के विपणन एवं निर्यात प्रोन्नति की योजना	0.001	..	..	..	0.47	0.37	0.46	0.34	0.56	..	..
110551	खाद्य वैज्ञानिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	0.14	0.61	..	0.001	0.001	..	..	..

*भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से वित्त पोषित।

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110552	शाक-सब्जी पर शोध तथा परीक्षण प्रयोगशाला एवं बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र की स्थापना	..	..	..	..	0.53	2.44	3.85	2.37	4.36	3.01	..
110553	घाटी फल शोध योजना	..	..	..	..	1.87	1.39	1.72	1.47	1.70	..	..
110554	फलोशोध केन्द्र, चौबटिया में केशर, अदरख तथा मसालों पर शोध तथा पर्वतीय क्षेत्र में इनकी खेती	..	..	..	..	0.21	0.25	0.21	0.16	0.21	..	..
110555	औद्यानिकी प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं विख्यापन	..	..	..	..	0.53	0.87	1.21	1.02	2.46	1.54	..

110556	फलोपयोग निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..	..	0.03	0.001	..	1.33	..	..
110557	विषाणुयुक्त फलवृक्षों का प्रमाणीकरण, निरीक्षण एवं पंजीकरण	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
110558	आदर्श उद्यान, चौबटिया के लिए भूमि-क्रय	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
110559	राजकीय उद्यान, दूनागिरी में कार्यालय भवन व फल गोदाम का निर्माण	..	..	..	..	..	0.14	0.61	0.30	0.50	0.50	..
110560	अल्मोड़ा व टेहरी-गढ़वाल में फल उत्पादकों में वितरण हेतु आदर्श उद्यानों की स्थापना	..	..	..	..	..	2.61	1.05	1.66	1.24	..	..
110561	चम्बा—मसूरी क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय राजकीय उद्यान की स्थापना	..	..	..	..	..	0.56	1.22	0.56	1.13	..	..
110562	फार्म आचर्ड तथा नर्सरीज का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..	..	..	0.42	0.24	0.50	..	..
110563	राजकीय फार्म, सियाना में आवासीय भवनों का निर्माण	..	..	..	..	..	0.10	0.05	0.05	0.24	0.24	..

मद —1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः) (लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110564	गढ़वाल और कुमायूं प्रभागों में मशरूम का उत्पादन	..	..	..	..	..	0.17	1.01	0.51	0.41	..	..
110565	कुमायूं और गढ़वाल प्रभागों में सचल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	..	..	..	..	..	0.20	0.93	0.81	0.85	..	..
110566	इन्डोजर्मन प्रोजेक्ट, अल्मोड़ा में औद्यानिक विकास	..	..	..	..	..	..	0.001	..	0.95	..	..
110567	गोदाम तथा ग्रेडिंग केन्द्रों की स्थापना	..	..	..	..	..	..	0.001	..	1.20	0.001	..
110568	टेहरी–गढ़वाल में पौध सुरक्षा यूनिट की स्थापना	..	..	..	..	..	..	0.001	..	0.80	..	..

	नयी परियोजनाएं—											
	कृषि पुनर्वास निगम द्वारा औद्यानिकी विकास	..	..	..	..	..	..	..	..	0.33	..	..
	पौध सुरक्षा पर अनुदान	..	..	..	..	..	..	..	..	0.80	..	..
	सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के लिए एकमुश्त प्राविधान	..	..	..	..	..	0.36	..	1.56	1.50	.	..
	सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिष्ठान व्यय	..	..	..	..	..	..	..	0.21	..	..	.
	योग, फलोपयोग ..	100.00	58.11	..	20.38	28.93	40.83	37.00	41.01	50.00	15.05	..
	(ग) वाणिज्यिक फसलें—											
	गन्ना विभाग—											
110571	गन्ने का सघन उत्पादन	69.00	..	..	12.22	13.31	14.15	16.00	15.61	15.80	..	..
110572	खाद की सुविधाओं का विस्तार किया जाना	14.14	..	..	2.77	1.71	2.62	2.75	2.53	2.85	..	..
110573	बीजों का बदलना तथा बीज नर्सरियों की स्थापना	31.84	..	..	1.26	0.50	3.66	2.00	2.63	2.51	..	..
110574	गन्ना के पौधों की सुरक्षा कार्यक्रम का सघनीकरण	77.00	..	..	10.62	11.22	11.56	14.00	13.88	17.14	..	..

मद--1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग-1.1. कृषि उत्पादन-(क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक व्यय			1972-73			1973-74 (परिव्यय)	
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110575	नये चीनी मिल क्षेत्रों में विकास कार्य	15.02	..	..	1.63	3.78	5.03	7.00	6.37	7.40	..	..
110576	गन्ना-प्रतियोगिता	5.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
110577	गन्ना उत्पादन कार्यक्रम एवं उसके प्रभाव का अध्ययन	4.40	..	..	..	0.02	0.34	0.93	0.63	0.70	..	..
110578	सड़क निर्माण (स्पिल ओवर)	72.00	72.00	..	9.52	9.50	6.29	7.32	4.81	3.75	3.75	..
110579	सड़क निर्माण (नवीन)	90.00	90.00	..	0.35	5.57	10.56	10.00	10.95	8.30	8.30	..

110580	'इपीडेमिक' नियंत्रण	21.60	21.60	..	12.62	..	..	..	स्कीम त्याग दी गई			..
	नयी परियोजना—											
110581	काला नदी पर पुल का निर्माण	..	..	..	..	..	..	..	2.40	1.55	1.55	..
	योग, गन्ना विभाग ..	400.00	183.60	..	50.99	45.61	54.21	60.00	59.81	60.00	13.60	..
	योग, वाणिज्यिक फसलें ..	417.47	183.60	..	52.24	49.04	57.73	71.30	65.01	70.06	15.60	..
	योग, औद्यानिकी ..	182.80	80.26	..	27.40	55.67	64.74	87.12	68.42	82.64	24.16	..
	योग (5) ..	600.27	263.86	..	79.64	104.71	122.47	158.42	133.43	152.70	39.76	..

(6) कृषि शिक्षा
(7) कृषि शोध } .. इन कार्यक्रमों के लिये एक अलग सेक्टर "1.5 कृषि शोध व शिक्षा" खोल दिया गया है।

(8) प्रसार प्रशिक्षण एवं कृषक शिक्षा

	कृषि विभाग—											
110801	तीन कृषि स्कूलों में 'एक्सटेंशन विंग्स' की स्थापना	13.15	..	..	1.08	0.79	0.33	1.78	1.21	4.49	..	..
110802	मालियों के प्रशिक्षण की योजना के संबंध में भवन निर्माण	..	..	..	0.10	0.01	..	..	..	..	..	..
110803	मालियों का प्रशिक्षण	..	..	..	..	..	..	0.10	..	..	..	..
	योग, कृषि विभाग ..	13.15	..	..	1.18	0.80	0.33	1.88	1.21	4.49	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः) (लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	विकास अन्वेषणालय—											
110811	कृषि प्रक्षेत्र प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण, जिसमें फूलपुर में एक प्रशिक्षण प्रक्षेत्र की स्थापना भी सम्मिलित है के कार्यक्रम ..	5.65	..	..	1.21	0.84	1.06	1.25	1.25	2.00	..	..
	सामुदायिक विकास विभाग—											
110815	प्रक्षेत्र मैकेनिकों के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों पर क्षेत्रीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण	80.00	5.00	..	10.99	14.[illegible]	13.81	14.50	14.50	14.00	..	..
110816	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन	36.00	..	..	5.99	5.42	6.95	7.00	7.50	7.50	..	..

110817	किसान प्रशिक्षण एवं कृषक शिक्षा (सात दिनों का प्रशिक्षण)	12.00	..	..	..	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित सेक्टर में स्थानान्तरित					..	..
110818	ग्राम सेवकों के लिये ट्रेनिंग रिजर्व	72.00	..	..	14.06	20.66	18.42	20.00	20.50	19.50	..	..
110819	पोपुल्स कालेज, हल्द्वानी की स्थापना	..	..	..	..	..	1.05	1.50	1.50	2.00	..	..
	योग, सामुदायिक विकास विभाग ..	200.00	5.00	..	31.04	41.90	40.23	43.00	44.00	43.00	..	..
	योग (8) ..	218.80	5.00	..	33.43	43.54	41.62	46.13	46.46	49.49	..	..
	(9) कृषि सांख्यिकी—											
	कृषि विभाग—											
110901	पर्वतीय क्षेत्र के 'नान-रिपोर्टिंग' क्षेत्र में फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा उत्पादन का अनुमान लगाना	8.55	..	..	..	स्कीम त्याग दी गई		..	..	..	..	..
110902	आलू के फसल का औसत उपज तथा उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये रैंडम सर्वेक्षण	..	..	..	..	,,	,,	,,	,,	,,	,,	,,

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः) (लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970 71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110903	खण्ड स्तर पर कृषि उत्पादन का अनुमान लगाना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
110904	कृषि फसलों के उत्पादन का कटाई के पूर्व अनुमान लगाना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	कृषि निदेशालय के मुख्यालय पर आपरेशनल सांख्यिकी शोध यूनिट की स्थापना	..	..	..	..	..	..	0.16				
	उ० प्र० में प्रमुख फसलों के उत्पादन में लागत का अध्ययन	..	..	..	..	..	..	0.89	}		स्कीम त्याग दी गई	
	कृषि निदेशालय के सांख्यिकी प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..	..	..	0.76				

	नई परियोजनाएं--											
	पर्वतीय जिलों में प्रमुख फलों के उत्पादन की लागत तथा विपणन का अध्ययन करने के लिए न्यादर्श सर्वेक्षण	..	..	..	..	..	..	..	0.38	1.70	..	..
	पर्वतीय जिलों में फलों के अन्तर्गत क्षेत्र व उत्पादन का अनुमान लगाना तथा कृषि उत्पादन का सर्वेक्षण करना	..	..	..	..	..	..	..	1.80	5.50	..	..
	योग (9) ..	8.55	..	..	..	..	..	1.81	2.18	7.20	..	..
	(10) सघन कृषि कार्यक्रम--											
	कृषि विभाग--											
111001	उत्तर प्रदेश में मिट्टी परीक्षण सुविधा का विस्तार	82.77	..	..	..	..	स्कीम त्याग दी गई		..	..	..	..
111002	अधिक उत्पादन वाली किस्मों तथा बहुमुखी (मल्टीपुल) कृषि का कार्यक्रम	184.87	..	..	..	..	तदेव		..	..	..	..
111003	बहुमुखी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अल्मोड़ा में सघन कृषि विकास	30.85	..	..	8.14	9.59	22.24	14.78	22.09	31.12	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग–1.1. कृषि उत्पादन–(क्रमशः)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111004	सत्वर कार्यक्रम के अन्तर्गत सघन कृषि क्षेत्रों में गोदाम का निर्माण	0.001	..	..	..	..		स्कीम त्याग दी गई	..	..	..	..
111005	कृषि के एरिया प्रोग्राम जिलों में प्रचार	..	..	..	..	..	..	तदैव	..	..	..	..
111006	'ओयस्का' इन्टर नेशनल जापान के सहयोग से सघन कृषि का मशीनीकरण तथा कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना	..	..	..	..	..	..	2.57	..	0.001	..	..
111007	दालों की खेती की सघन योजना	..	..	..	..	..	..	3.00	1.66	2.46	..	..

	'दियारा' क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए नियोजन कोष्ठ का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..	..	..	1.76	..	0.41	..	..
	योग (10) ..	298.49	..	..	..	8.14	9.59	22.24	22.11	23.75	33.[illegible]9	..
	(11) भूमि सुधार—											
111101	खेरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत सारदा ब्रिज की डेकिंग तथा भवन निर्माण	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	(12) जोतों की चकबन्दी—											
	राजस्व विभाग—											
111201	जोतों की चकबन्दी	2000.00	..	..	404.80	416.52	432.96	423.75	485.00	487.00	..	..
	(13) एग्रो इन्डस्ट्रीज एवं विविध—											
	(क) एग्रो इंडस्ट्रीज—											
	कृषि विभाग—											
111301	उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम की स्थापना	167.79	167.79	..	..	10.00	..	..	..	..	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(क्रमशः) (लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(ख) अन्य—											
111302	बाजारों का विनियमन	..	..	..	..	..	सेक्टर 2.5—वेयर हाउसिंग को स्थानान्तरित					
111303	बाजारों के विनियमन हेतु कृषि विपणन अनुभाग का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..	..	तदेव					
111304	मधुमक्खी पालन परियोजना का सुदृढ़ करण	2.27	..	..	0.16	0.41	0.20	0.23	0.22	0.25	..	..
111305	बंजर भूमि का सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण	5.94	..	..	0.41	..	..	स्कीम त्याग दी गई				
111306	सार्वजनिक क्षेत्र में शीत गृहों का निर्माण	60.00	..	..	0.93	4.78	4.77	3.00	5.00	3.00	3.00	..

111307	नई स्कीमों के लिये तदर्थ प्राविधान	61.89	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
111308	क्षेत्रीय उपनिदेशकों के कार्यालय एवं निवास के लिये भवनों का निर्माण	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
111309	कृषि निदेशालय की क्षमता बढ़ाने हेतु स्कीम	..	..	..	..	..	0.04	6.04	1.15	5.22	5.00	..
111310	कृषि निदेशालय में आडिट सेल की स्थापना	..	..	..	..	1.05	2.66	5.52	3.00	5.44	..	..
111311	कृषि सूचना ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण द्वारा राज्य के लाखों कृषकों तक उन्नत कृषि का संदेश पहुंचाना	..	..	..	..	1.32	8.22	4.71	6.06	5.76	..	..
111312	गढ़वाल में उप निदेशक कृषि के कार्यालय की स्थापना	..	..	..	..	..	0.48	1.75	0.88	1.05	..	..
111313	कृषि विभाग में नियोजन सेल की स्थापना	..	..	..	..	..	..	..	0.12	1.46	..	..
111314	कृषि भवन का विस्तार	..	..	..	..	..	..	1.00	..	0.60	0.60	..

मद 1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.1. कृषि उत्पादन—(समाप्त)

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिये तदर्थ प्राविधान	..	..	..	..	..	..	..	12.61	..	..	..
	सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रतिष्ठान व्यय, उपकरण व संयंत्र	..	..	..	..	2.64	0.74	2.25	2.53	3.64	3.64	..
	योग (ख) ..	130.10	..	..	1.50	10.20	17.11	24.50	31.57	26.42	12.24	..
	योग (13) ..	297.89	167.79	..	1.50	20.20	17.11	24.50	31.57	26.42	12.24	..
(15)	क्षेत्रीय विकास निगम											
111501	विकास निगमों में पूंजी विनियोजन	..	..	..	..	35.00	115.00	..	75.00	10.00	10.00	..
	योग, 1.1 कृषि उत्पादन ..	*5217.15*	*1105.37*	*5.00*	*838.19*	*865.53*	*1088.69*	*927.00*	*1067.53*	*1039.00*	*156.84*	*1.00*

परियोजनावार परि-

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.2. लघु सिंचाई

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1.	2	3	4	5	6
	(1) निजी लघु सिंचाई—				
120101	ऋण—				
	(1) पक्के कुएं (2) कुंओं में बोरिंग (3) कुंओं को गहरा करना (4) रहट (5) पम्प सेट (6) निजी नलकूप (7) निजी बंधियां (8) पहाड़ों में गूल और तालाब	2,000.00	2,000.00	..	252.88
120102	अनुदान	750.00	..	..	114.84
120103	अधिष्ठान, उपकरण और संयंत्र तथा उचन्त	666.00	..	..	113.85
120104	गोदामों का निर्माण	3.00	3.00	..	0.37
120105	जल उपयोग तथा लघु सिंचाई के प्रशिक्षण की योजना	6.00	..	..	1.09

व्यय तथा व्यय

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	योग	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
181.16	102.85	45.30	45.30	50.20	50.20	..
48.15	22.61	20.00	20.00	20.00	..	..
81.73	81.36	100.00	100.00	126.00	..	..
0.65	0.41	0.50	0.50	0.50	0.50	..
0.88	1.20	1.20	1.20	1.30	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.2. लघु सिंचाई (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
120106	पूंजी विनियोजन—				
	(1) भूमि विकास बैंक के ऋण-पत्रों में	1,425.00	1,425.00	..	449.21
	(2) कृषि पुनर्वित्त निगम के ऋण-पत्रों में	600.00	600.00	..	30.79
	(3) कृषि उद्योग निगम के शेयर पूंजी में ..	150.00	150.00	..	30.00
	योग, (1) निजी लघु सिंचाई ..	5,600.00	4,178.00	..	993.03
	राज्य लघु सिंचाई—				
	(2) नलकूप कार्यक्रम—				
120201	(1) नलकूपों का निर्माण	2,208.00	2,208.00	95.00	700.18
	(2) नलकूपों पर सर्विस मार्गों का निर्माण	..	..	..	6.17
120202	पक्की गूलों का निर्माण	70.00	70.00	..	4.41
120203	नलकूपों का आधुनीकरण	40.00	40.00	..	63.78
120204	ग्राउन्ड वाटर सर्वे	60.00	60.00	15.00	10.26
120205	सिंचाई प्रसार सेवा	..	..	..	3.60
	योग, (2) ..	2,378.00	2,378.10	110.00	788.40

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
418.43	500.00	425.00	425.00	400.00	400.00	..
16.57	80.00	120.00	120.00	150.00	150.00	..
..	..	..	..	..	..	..
747.57	788.43	712.00	712.00	748.00	600.70	..
1,107.14	1,141.33	1,013.40	1,038.13	1,121.00	1,121.00	..
5.00	6.58	6.00	6.00	6.00	6.00	..
32.00	12.23	30.00	15.00	30.00	30.00	..
50.00	52.62	35.00	25.00	30.00	30.00	..
25.89	12.48	25.00	25.00	25.00	25.00	..
4.30	5.21	..	21.77	..	..	..
1,224.33	1,230.45	1,109.40	1,130.90	1,212.00	1,212.00	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.2. लघु सिंचाई (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
	(3) डाल सिंचाई—				
120301 } 120302 }	डाल सिंचाई परि–योजनायें	1,325.50	1,325.50	..	271.05
	(4) जलोत्सारण प्रसारण—				
120401 } 120402 }	जलोत्सारण प्रसारण परियोजनाएं	56.64	56.64	..	6.81
	(5) अन्य कार्यक्रम—				
	I—चालू परियोजनायें—				
120501	रायपुर तालाब प्रणाली के नहरों का पुनर्निर्माण	0.15	0.15	..	..
120502	कल्याण सागर से विजय नगर तालाब तक फीडर चैनल का निर्माण	0.24	0.24	..	..
120503	कुलपहाड़ तालाब की क्षमता को बढ़ाना	0.54	0.54	..	..
120504	पौड़ी–गढ़वाल में पर्वतीय नहरों का पक्का करना	0.93	0.93	..	0.43

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
178.04	225.52	150.00	150.00	100.00	100.00	..
5.81	6.99	9.00	9.00	25.00	25.00	..
0.07	0.22	..	0.10	0.10	0.10	..
0.03	0.30	..	0.10	..	..	..
0.03	0.50	0.20	0.20	..	..	..
..	..	..	..	.	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.2. लघु सिंचाई (क्रमशः)

संकेत	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
120505	गढ़वाल भाभर में राजकीय नहरों का पक्का करना	1.22	1.22	..	0.36
120506	हरियावाला नहर	1.93	1.93	..	0.02
120507	पौड़ी-गढ़वाल में 27.36 किलोमीटर लम्बी पर्वतीय नहरों का निर्माण	13.42	13.42	..	2.82
120508	टेहरी–गढ़वाल में 41.84 किलोमीटर लम्बी पर्वतीय नहरों का निर्माण	18.64	18.64	..	3.41
120509	अल्मोड़ा और नैनीताल में 61.16 किलो–मीटर लम्बी पर्वतीय नहरों का निर्माण	24.11	24.11	..	4.87
	योग ..	61.18	61.18	..	11.91
	II नई परियोजनायें—				
120510	गोलापार नहर का पक्का करना और क्षमता बढ़ाना	8.00	8.00	..	..
120511	गोलापार नहर का पक्का करना और क्षमता बढ़ाना	10.00	10.00	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
0.06	..	..	..	..	..	..
1.88	0.23	1.50	1.50	3.70	3.70	..
5.32	2.99	5.00	5.00	1.50	1.50	..
6.00	2.57	4.00	4.00	1.50	1.50	..
13.39	6.81	10.60	10.90	6.80	6.80	..
..	1.76	5.00	7.00	3.50	3.50	..
..	1.00	5.00	3.00	1.50	1.50	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1. 2. लघु सिंचाई (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
120512	दून घाटी में नहरों का पक्का करना	31.35	21.35	..	..
120513	दून घाटी में छोटी नहरों का निर्माण	28.33	28.33	..	..
120514	बाजपुर खंड में छोटी नहरों का निर्माण	3.18	3.18	..	..
120515	गढ़वाल भाभर में गूलों का पक्का करना	6.54	6.54	..	..
120516	मोतीपुर सरोवर का पुनर्निर्माण	1.40	1.40	..	..
120517	गोचई नाला तालाब	1.46	1.46	..	..
120518	बमोरी तालाब	5.50	5.50	..	..
120519	बन्द तालाब की क्षमता बढ़ाना	0.77	0.77	..	..
120520	बरवार नहर का प्रसार	0.45	0.45	..	..
120521	पर्वतीय क्षेत्र में 64.37 किलोमीटर लम्बी नहरें	30.00	30.00	..	..
120522	लालढोंग सिंचाई परियोजना	9.49	9.49	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
2.00	5.72	8.20	7.00	10.00	10.00	..
..	3.07	5.00	5.00	10.00	10.00	..
1.28	0.42	..	0.50	..	..	..
..	..	2.00	..	1.00	1.00	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	
..	..	..	..	..	..	..
0.54	0.13	0.30	0.25	..	..	..
0.19	0.35	..	0.05	..	..	..
4.78	4.71	7.00	7.00	4.50	4.50	..
1.14	(-).68	3.00	3.00	5.00	5.00	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1. 2. लघु सिंचाई (समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
120523	चित्तपुर बंधी	7.46	7.41	..	..
120524	रघुनाथपुर बंधी	8.18	8.18	..	..
120525	अरोखास बंधी	10.41	10.41	..	..
120526	बरकचा बंधी	10.37	10.37	..	..
120527	रामपुर पिंडरिया बंधी	5.79	5.79	..	..
120532	लोअर डिवीजन पूर्वी यमुना नहर पर टेल-स्केप का निर्माण	..	..	..	..
120533	नैनीताल जिले में श्रीपुर गूल पर रेगुलेटर का निर्माण	..	..	..	..
120534	स्पिल ओवर परि-योजनाओं के विरुद्ध समायोजन	..	..	..	3.53
120535	दून घाटी में निजी गूलों का पक्का करना	..	..	..	..
	योग II..	178.68	178.68	..	3.53
	योग (2–5) ..	4,000.00	4,000.00	110.00	1,081.70
	योग, 1.2. लघु सिंचाई	*9,600.00*	*8,178.00*	*110.00*	*2,074.73*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
2.80	1.93	..	1.00	0.50	0.50	..
..	..	..	..	..	..	..
0.86	2.17	4.00	4.00	4.50	4.50	..
1.95	3.34	2.60	2.60	0.90	0.90	..
..	0.07	8.40	0.10	1.80	1.80	..
0.53	0.05	..	..	..	..	..
2.82	0.73	0.50	..	..	..	..
..	..	..	7.00	13.00	13.00	..
18.89	24.23	51.00	47.50	56.20	56.20	..
1,440.46	1,494.54	1,336.00	1,348.30	1,400.00	1,400.00	..
2,188.03	*2,158.43*	*2,048.00*	*2,060.30*	*2,148.00*	*2,000.70*	..

मद–1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.3. भूमि संरक्षण

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
	कृषि विभाग—				
130101	अत्यन्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये भूमि संरक्षण की योजना	45.53	..	..	3.10
130102	भूमि तथा जल संरक्षण की योजना मुख्यतया कृषि जल विभाजित क्षेत्रों में	1325.66	..	..	252.00
130103	खालों का पुनर्वापन— सीमांत भूमि का संरक्षण	139.12	..	..	27.99
130104	पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि तथा जल संरक्षण (कुमायूं प्रभाग)	241.56	..	..	20.53
130105	शोध, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	47.60	..	..	6.60
130106	कृषि भूमि में भूमि संरक्षण के लिये ऋण	135.00	135.00	..	8.48
130107	ऊसर एवं कटी हुई भूमि का पुनर्वापण तथा भूमि संरक्षण प्रदर्शन प्रायोजनाओं की स्थापना	41.80	..	..	5.57
130108	मिट्टी तथा भूमि का सर्वेक्षण	23.38	..	..	3.52

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
8.78	11.34	12.55	12.30	13.50	..	..
379.20	285.41	292.85	300.22	304.48	..	..
28.68	30.09	32.05	29.20	34.87	..	..
23.16	27.76	35.00	33.60	49.55	..	..
5.59	6.61	11.76	7.35	10.34	..	..
..	..	..	..	..	..	..
9.35	8.40	8.27	8.37	10.29	..	..
3.73	3.83	4.52	4.04	5.01	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.3. भूमि संरक्षण (समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
130109	रिहन्द जलाशय के पुनर्वासित क्षेत्रों में भूमि तथा जल संरक्षण	0.35	..	..	0.66
130110	कृषि निदेशालय, लखनऊ पर वायूवीय छायाचित्र व्याख्या इकाई की स्थापना की योजना	..	..	..	..
	सरकारी कर्मचारियों के लिये अन्तरिम सहायता हेतु प्राविधान	..	..	..	..
	सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रतिष्ठान व्यय	..	..	..	0.04
	योग ..	2000.00	135.00	..	328.49
	वन विभाग—				
130201	खालों का पुनर्वापण/वनीकरण	125.00	..	..	2.84
	विकास अन्वेषणालय				
130301	मुजफ्फरनगर में भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र	5.40	..	..	1.10
130302	फूलपुर प्रोजेक्ट (इलाहाबाद) में भूमि तथा जल संरक्षण	9.60	..	..	2.13
	कुल ..	15.00	..	..	3.23
	योग 1.3. भूमि संरक्षण	*2,140.00*	*135.00*	..	*356.56*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	0.70	1.94	..	..
..	..	..	24.10	..	..	..
0.03	..	..	0.02	0.02	..	..
358 52	373.44	397.00	419.90	430.00	..	..
25.01	24.95	25.00	26.31	30.00	..	..
1 03	..	संकेत संख्या 130105 के साथ शामिल				..
2 81	3.38	संकेत संख्या 130102 के साथ शामिल				..
3 84	3.38	..	..	..	..	..
387.37	*401.77*	*422.00*	*446.21*	*460.00*	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
	(1) कृषि शिक्षा				
	(क) कृषि विभाग—				
150101	कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर की स्थापना	175.00	135.00	..	48.20
150103	निजी कृषि कालेजों को 3 साल की डिग्री कोर्स प्रारम्भ करने के लिए सहायक अनु-दान	10.00	..	..	1.24
150105	तीन राजकीय कृषि स्कूलों में कृषि शिक्षा का सघनीकरण	7.50	..	..	..
150107	निजी कृषि संस्थाओं को सहायक अनुदान	..	..	..	1.95
	नई परियोजना				
	पूर्वी क्षेत्र के लिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना	..	..	..	..
	योग (क) कृषि विभाग	192.50	135.00	..	51.39

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 परिव्यय		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
30.05	39.79	36.05	30.05	30.00	..	..
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	..	..
1.52	0.28	4.00	0.26	0.37	..	..
1.88	1.99	2.00	2.00	2.40	..	..
..	..	..	..	0.001	..	..
35.45	44.06	44.05	34.31	34.77	..	..

मद—1, कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	(ख) कृषि विज्ञान संस्थान				
150102	राजकीय कृषि कालेज, कानपुर का कृषि विज्ञान संस्थान के रूप में उच्चस्तरीयकरण	86.67	16.46	..	0.74
150104	राजकीय कृषि कालेज, कानपुर में एक ग्लास हाउस का निर्माण	0.003	0.003	..	0.01
150106	कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर में शोध छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा परिसंवाद एवं संगोष्ठी का आयोजन	..	..	..	0.26
150108	राजकीय कृषि कालेज, कानपुर में लेक्चर रूम तथा तीन प्रयोगशालाओं का निर्माण	..	..	..	0.75
150109	कृषि विज्ञान संस्थान के प्रक्षेत्र फार्मों का विकास	..	..	..	..
150110	कृषि विज्ञान संस्थान के पशु चिकित्सालय तथा मीट टेक्नोलाजी के लिए भवन निर्माण	..	..	..	..
150111	कृषि विज्ञान संस्थान के सड़कों पर बिजली के प्रकाश की व्यवस्था	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 परिव्यय		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
9.38	20.94	28.05	28.35	29.36	10.36	..
..	..	..	..	..	..	..
1.48	1.78	1.96	1.96	1.96	..	..
..	0.01	..	..	..	..	..
..	10.00	6.00	6.00	4.00	4.00	..
..	0.05	..	0.80	0.05	0.05	..
..	0.65	..	0.42	..	..	..

मद--1, कृषि कार्यक्रम

वर्ग--1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969-70
1	2	3	4	5	6
150112	कृषि विज्ञान संस्थान के एक्सटेंशन विंग के प्रथम मंजिल पर कमरों का निर्माण	..	..	..	..
150113	कृषि विज्ञान संस्थान में 2 ओवर हेड टंकों का निर्माण	..	..	..	..
150114	संस्थान के सांख्यिकी अनुभाग के प्रथम खण्ड में कमरों का निर्माण	..	..	..	..
	नई परियोजनाएं--				
150115	संस्थान के दस विभागाध्यक्षों के लिए भवनों का निर्माण	..	..	..	..
	योग (ख) कृषि विज्ञान संस्थान	86.67	16.46	..	1.76
	योग (1) ..	279.17	151.46	..	53.15

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 परिव्यय		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	0.20	..	..	..	..	..
..	..	0.30	0.30	..	..	..
..	..	0.20	0.20	..	..	..
..	..	..	..	3.00	3.00	..
10.86	33.63	36.51	38.03	38.37	17.41	..
46.31	77.69	80.56	72.34	73.14	17.41	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	(2) कृषि शोध				
	(क) कृषि विज्ञान संस्थान				
150201	कृषकों के खेतों में न्यादर्श उर्वरकों के परीक्षण की पुनरीक्षित योजना	2.33	..	..	0.25
150202	चरागाहों में खेती तथा चारा बारी-बारी से उगाना (ले फार्मिंग)	0.36	..	..	0.07
150203	देवरिया जिले में गन्ना शोध उपकेन्द्र की स्थापना तथा गन्ना शोध उपकेन्द्र, गोला गोकरननाथ का सुदृढ़ीकरण	3.69	..	..	0.71
150204	पर्वतीय क्षेत्रों के उन्नत कृषि उपकरणों के लिए शोध एवं परीक्षण केन्द्रों की स्थापना	3.67	..	..	0.14
150205	खरबूजा, तरबूज तथा सरदा पर शोध	0.001	..	..	0.02
150206	औद्यानिक शोध संस्थान, सहारनपुर में रेडियो आइसोटोप के सहित शोध कार्य का सघनीकरण	4.94	..	0.12	0.09
150207	औषकीय नियंत्रण और केमोस्टीलियन्स का प्रयोग करके नाशकीट और नमोटोड के एकीकृत नियंत्रण की योजना	3.54	..	..	0.05

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 परिव्यय		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.14	0.12	0.17	0.16	0.15	..	..
0.06	0.04	..	..	..	..	..
0.72	1.27	0.90	0.88	1.08	..	..
0.39	0.49	0.55	0.53	1.40	0.52	..
..	..	..	..	..	..	..
0.41	0.86	0.97	1.03	1.06	..	..
0.58	0.31	0.53	0.55	0.57	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा (क्रमशः)

संकेत सख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1966–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
150208	कानामिक बोटैनिस्ट (आलू) के अनुभाग का विस्तार	2.75	..	..	..
150209	इकानामिक बोटैनिस्ट (फली) के अनुभाग का विस्तार	6.02	..	..	..
150210	इकानोमिक बोटनिस्ट (रबी खाद्यान्न)	7.85	0.50	..	..
150211	रीजनल शोध स्टेशनों का सघनीकरण तथा फैजाबाद में एक नये रीजनल शोध स्टेशन की स्थापना	36.38	1.60	..	4.04
150212	अधिक उपज वाली किस्में, बहुफसली एवं सघन कृषि कार्यक्रमों से उत्पन्न पैथालाजिकल समस्याओं का अध्ययन	4.99	..	..	..
150214	न्यादर्श एग्रोनामिक परीक्षण	0.73	..	..	0.12
150215	समन्वित एग्रोनामिक परीक्षण (मुख्यालय के लिये स्टाफ)	0.80	..	..	..
150216	ान की विदेशों से लाई हुई किस्मों का सूखे से प्रभावित न होने देना तथा उनके गुणों में सुधार	17.32	0.55	..	0.20

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 परिव्यय		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	0.40	0.40	..
..	..	..	..	..	..	..
4.60	9.27	7.89	9.00	15.45	1.22	..
..	..	..	..	..	..	..
0 21	0.26	0.30	0.30	0.31	..	..
..	..	..	..	..	..	..
1.14	1.77	1.74	1.91	1.99	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
150217	इकानामिक बोटेनिस्ट (तिलहन) के अनुभाग का सुदृढ़ीकरण	2.42	..	..	..
150218	पौध शरीर क्रिया विज्ञान के शोध का सघनीकरण	3.96	..	..	0.34
150219	कृषि रसायन अनुभाग का सुदृढ़ीकरण	5.14	1.00	..	..
150220	'फाइबर' फसलों पर सघन शोध	3.51	..	..	..
150221	फल शोध स्टेशन बस्ती तथा उप स्टेशन, इलाहाबाद में शोध कार्य का सघनीकरण	4.04	0.31	..	..
150222	राजकीय सब्जी शोध स्टेशन कल्याणपुर (कानपुर) का विस्तार	2.13	..	..	0.20
150223	पांच औद्यानिक शोध उप स्टेशनों के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.10	..	..	..
150224	गन्ना–शोध उप स्टेशन, मुजफ्फरनगर में भवन निर्माण	0.05	..	..	..
150225	पांच नये रीजनल शोध स्टेशनों की स्थापना तथा वर्तमान पांच स्टेशनों के सघनीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.33	..	..	0.40

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 परिव्यय		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.23	0.14	0.16	0.16	0.16	..	..
0.51	0.32	0.35	0.38	0.38	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.72	0.66	2.15	0.47	0.32	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.07	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.07	0.09	0.001	..	..	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा (क्रमशः)

संकेत सख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
150226	इकानामिक बोटैनिस्ट (रबी खाद्यान्न) अनुभाग के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.001	0.001	..	..
150227	जूट शोध स्टेशन, बहराइच के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.26	0.26	..	..
150228	पैथालाजी अनुभाग, कानपुर के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.01	..	..	..
150229	उन्नत कृषि उपकरणों के शोध, परीक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण	0.01	0.01	..	..
150230	कीट एवं रोग नाशक रसायनों तथा उर्वरकों के परीक्षण हेतु कानपुर में एक शोधशाला की स्थापना	6.57	..	..	0.33
150231	राज्य के विभिन्न क्लाइमेटिक मण्डलों में गन्ने पर सघन वेराइटल, कल्चरल तथा बाइलाजिकल अध्ययन	10.38	0.50	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 परिव्यय		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
0.07	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	1.12	..	..	..	..
1.44	2.05	0.87	0.86	0.87	..	..
..	..	..	..	..	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
150232	गेहूं में रतुआ (रस्ट) रोग के नियंत्रण की एकीकृत योजना	..	..	..	1.35
150233	सचल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	..	..	..	..
150234	देशी तम्बाकू का सुधार	..	..	..	..
150235	धान के शोध स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..
150237	गुरसहायगंज (फर्रुखाबाद) में आलू शोध केन्द्र की स्थापना	..	..	..	..
150239	देवरिया में मसालों की खेती का विकास तथा मसाला शोध केन्द्र की स्थापना	..	..	..	..
150240	धान के शोध की विस्तृत योजना	..	..	..	..
150241	आम शोध संस्थान की स्थापना	..	..	..	..
150242	पर्वतीय धान का विकास	..	..	..	0.01

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
1.32	1.40	1.50	1.46	1.53	..	..
4.98	सेक्टर 1.1—कृषि उत्पादन को स्थानान्तरित (सं० 110206)					
0.04	..	..	..	..	..	..
3.56	2.96	0.50	0.69	0.77	..	..
1.81	1.60	2.00	2.47	1.07	..	..
..	1.06	2.46	1.68	1.78	..	..
..	1.32	9.13	7.81	6.97	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
150243	सिंचाई प्रदर्शन एवं शोध फार्म के लिए भवन निर्माण	..	..	..	..
150244	फल शोध स्टेशन, बस्ती तथा उप स्टेशन, गंजरिया का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..
150245	रेडियो ट्रेसर प्रयोगशाला की स्थापना	..	..	..	..
150246	धान शोध स्टेशन, मसेरा में विडल रोड का निर्माण	..	..	..	..
	कृषि विज्ञान संस्थान में आडिट सेल की स्थापना	..	..	..	..
	नागउ हार्टीकल्चर रिसर्च स्टेशन का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..
	गन्ना शोध स्टेशन, गोला-गोकरननाथ में ट्यूब-वेल, ट्रैक्टर आदि की व्यवस्था	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.04	..	..	..	..	..	..
..	..	..	0.99	1.58	0.55	..
..	..	1.00	3.00	3.21	1.13	..
..	..	0.57	0.57	0.05	0.05	..
..	..	0.52	..	..	..	..
..	..	0,79	..	..	..	..
..	..	2.70	..	..	..	..

मद--1.कृषि कार्यक्रम

वर्ग--1.5.कृषि शोध एवं शिक्षा-- क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	नयी परियोजना--				
	सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में अधिक उत्पादन के ईजाद वाली किस्मों के लिए 'ट्रिटिकेल तथा बूरम' पर शोध	..	..	..	..
	वाटर मैनेजमेन्ट, सिंचाई तथा ड्रेनेज पर शोध	..	..	..	..
	राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिए एकमुश्त धनराशि का प्राविधान	..	..	..	..
	सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रतिष्ठान व्यय, उपकरण व संयंत्र	..	..	..	..
	योग (क) कृषि विज्ञान संस्थान ..	134.28	4.73	0.12	8.32

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	2.71	..	..
..	..	..	..	1.66	..	..
..	..	..	..	0.79	..	..
..	..	1.12	..	1.36	1.36	..
23.11	25.99	39.99	34.90	47.62	5.23	..

मद—1. कृषि कार्यक्रम

वर्ग—1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा—(समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	(ख) कृषि विभाग—				
150213	विवेकानन्द प्रयोगशाला, अल्मोड़ा के फिजिओलोजी अनुभाग के लिए कुछ आवश्यक मदों का प्राविधान	0.70	..	..	0.56
150236	सोयाबीन पर शोध	..	..	..	..
150238	पर्वतीय क्षेत्र में मिलट का सुधार	..	..	..	..
	राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के लिये एकमुश्त धनराशि का प्राविधान	..	..	..	..
	सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रतिष्ठान व्यय, उपकरण एवं संयंत्र	..	..	..	..
योग, कृषि विभाग	..	0.70	..	..	0.56
	विकास अन्वेषणालय—				
150291	चिनहट, लखनऊ में कृषि अभियन्त्रण शोध कर्मशाला की स्थापना	4.35	..	..	0.68
योग (2)	..	139.33	4.73	0.12	9.56
योग, 1.5. कृषि शोध एवं शिक्षा		*418.50*	*156.19*	*0.12*	*62.17*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 परिव्यय		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.24	0.18	0.53	0.43	0.50	..	..
0.28	0.46	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं में सम्मिलित				
..	0.30	0.92	0.15	0.23	..	..
..	..	..	0.17	..	..	..
..	..	..	0.03	0.01	..	..
0.52	0.94	1.45	0.78	0.74	..	..
0.73	0.91	1.00	1.00	1.50	..	..
24.36	27.84	42.44	36.68	49.86	5.23	..
70.67	*105.53*	*123.00*	*109.02*	*123.00*	*22.64*	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2. 5. भण्डारागार

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	सहकारिता विभाग—				
250101	उत्तर प्रदेश राज्य भान्डारागार निगम में अंशकों में पूंजी विनियोजन	30.00	30.00	..	..
	कृषि विभाग—				
250201	बाजारों का विनियमन	52.21	17.46	..	5.93
250202	बाजारों के विनियमन हेतु कृषि विपणन विभाग का सुदृढ़ीकरण	22.14	..	..	0.23
250203	ग्रेडिंग प्रसार व शोध व मार्केट इन्टेलिजेन्स के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	..	..	..	..
250204	विनियमन मंडियों द्वारा कृषि सूचना की प्रसारण की योजना	..	..	..	..
	सरकारी कर्मचारियों के लिये अंतरिम सहायता की एकमुश्त धनराशि	..	..	..	..
	योग ..	74.35	17.46	..	6.16
	योग, सेक्टर 2.55 भण्डारागार	*104.35*	*47.46*	..	*6.16*

(लाख रुपयेमें)

व्यय		1972-73		1973-74 परिव्यय		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
7.50	..	7.00	..	7.00	7.00	..
13.09	61.26	9.22	8.47	52.79	47.27	..
2.06	3.06	9.14	2.93	7.26	..	..
..	0.29	1.64	0.28	1.22	..	..
..	2.13	2.00	2.72	5.73	..	..
..	..	..	0.93	..	..	..
15.15	66.74	22.00	15.33	67.00	47.27	..
22.65	*66.74*	*29.00*	*15.33*	*74.00*	*54.27*	..

2—पशुपालन

इस कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य पशुधन का सुधार करना तथा दूध, अन्डे और ऊन की पूर्ति तथा मांग के बीच के वर्तमान अन्तर को पूरा करने तथा कृषि के लिये अच्छे भारवाही पशुओं की व्यवस्था करने के लिये स्कीमें आरम्भ करना है। इसलिये चयनात्मक प्रजनन (selective breeding) रोग नियंत्रण तथा अच्छे दाने और चारे की सुविधायें प्रदान करके पशुओं की उत्पादन क्षमता में सुधार करना आवश्यक है।

2—पशुपालन कार्यक्रम के लिये, चौथी योजनावधि के दौरान, 550.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस धनराशि में से 1969–70 के लिये 100.00 लाख रु०, 1970–71 के लिये 105.00 लाख रुपये, 1971–72 के लिये 123.00 लाख रु० और 1972–73 के लिये 125.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। 1969–70 के दौरान 100.00 लाख रु० के परिव्यय में से 66.28 लाख रुपये का उपयोग किया गया। वर्ष 1970–71 के दौरान 105.00 लाख रु0 के परिव्यय के विपरीत 103.94 लाख रु0 का व्यय किया गया। आलोच्य वर्ष में व्यय में कमी मुख्यतः परिलक्षित विदेशी भेड़ें प्राप्त न की जा सकने तथा भवन निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी रहने के कारण हुई। वर्ष 1971–72 के दौरान 123.00 लाख रु० के परिव्यय की तुलना में 121.14 लाख रु० का उपयोग किया गया।

3—1972–73 के दौरान 125.00 लाख रुपये के परिव्यय की तुलना में, बजट में 130.23 लाख रु० की व्यवस्था की गई है और यह आशा है कि चालू वर्ष में परिव्यय का पूर्णतः उपयोग कर लिया जायगा। 1973–74 के लिये 148.00 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। 1969–70, 1970–71, 1971–72 के परिव्यय तथा व्यय और 1972–73 के प्रत्याशित व्यय तथा 1973–74 के परिव्यय का समूहवार विभाजन नीचे दिया जाता है—

सारणी 1

(लाख रुपये में)

वर्ग	चौथी योजना परिव्यय 1969–74	1969–70		1970–71		1971–72		1972–73		1973–74 परिव्यय
		परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1—पशु प्रजनन	247.33	49.63	24.21	33.44	49.34	47.80	53.94	51.94	47.35	58.28
2—दाना और चारा विकास	15.00	3.06	4.45	2.77	6.88	6.47	8.83	6.80	6.50	7.94

3—भेंड़ तथा ऊन विकास	49.45	4.41	8.27	13.29	8.47	7.55	9.33	12.65	14.51	17.53
4—कुक्कुट विकास	29.44	6.09	8.47	18.85	8.48	11.44	11.23	11.64	11.53	12.20
5—पशु चिकित्सा सहायता एवं रोग नियंत्रण	87.66	10.77	10.30	19.97	17.76	34.52	25.05	29.40	27.23	31.34
6—पशु पालन शोध एवं सांख्यिकी	39.55	9.97	5.09	4.88	3.39	4.83	4.25	5.08	4.58	3.86
7—सूकर विकास	6.16	0.84	..	0.57	0.58	0.70	0.60	0.30	0.30	0.85
8—अन्य स्कीमें	75.41	15.23	5.49	11.23	9.04	9.69	8.21	7.19	17.85	16.00
योग ..	550.00	100.00	66.28	105.00	103.94	123.00	121.14	125.00	129.85	148.00

पशु प्रजनन

4—बढ़िया किस्म के सांड़ों की कमी के कारण प्राकृतिक गर्भाधान तथा कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रजनन की सुविधाओं का प्रसार करने का निश्चय किया गया है । 1968–69 के अन्त में विद्यमान, 1969–73 के दौरान स्थापित तथा 1973–74 के लक्ष्य, जो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/उप केन्द्रों से सम्बन्धित हैं, उनकी संख्या नीचे दी गई हैं—

सारणी २

संस्था	1968–69 के अन्त में उपलब्धि	स्थापित की गई नई संस्थाओं की संख्या				1972–73 के अन्त में योग	1973–74 के लिये निर्धारित
		1969–70	1970–71	1971–72	1972–73		
1	2	3	4	5	6	7	8
1—वीर्य संग्रह केन्द्र	14	5	4	2	3	28	2
2—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	616	18	29	23	14	700	17
3—कृत्रिम गर्भाधान उप–केन्द्र	481	150	347	370	144	1,492	60

5--1971-72 के अन्त में उक्त केन्द्रों में रखे गये सांड़ों की कुल संख्या 1433 थी। कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाओं के प्रसार हेतु राज्य में 8,325 सांड तथा 3,231 भैंसे कार्य कर रहे हैं। 1971-72 के अन्त तक सांड़ों की इस कुल संख्या का उपयोग 26.57 प्रतिशत गायों और 20.42 प्रतिशत भैंसों के लिये गर्भाधान की व्यवस्था करने के वास्ते किया गया। कार्यक्रम का आगे प्रसार होने पर 1972-73 के अन्त तक 27.20 प्रतिशत गायों तथा 20.79 प्रतिशत भैंसों के लिये प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की आशा है, जब कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 28.63 प्रतिशत गायों तथा 21.84 प्रतिशत भैंसों के लिये उक्त सुविधायें उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। वीर्य संग्रह केन्द्रों की स्थापना हो जाने से यह देखा गया है कि वीर्य का उत्पादन, वितरण और उपयोग अपेक्षाकृत अधिक अच्छा, सस्ता और दक्षतापूर्वक हुआ है। तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में सांड़ों के 2 या 4 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के स्थान पर और अधिक केन्द्रों की स्थापना की जाय। चौथी योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1969-70 के दौरान, पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों द्वारा बहुत पहले से महसूस की जा रही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पहाड़ी जिलों में 9 प्राकृतिक प्रजनन केन्द्र स्थापित किये गये थे, जिनमें एक गाय तथा एक मुर्रा सांड़ पूर्णतया राज्य के खर्चे पर दिये गये। इन प्राकृतिक प्रजनन केन्द्रों का सामान्य कार्य-सम्पादन जितनी कि आशा की गयी थी, उससे कम है। उनके कार्य की निगरानी की जा रही है और यदि उसमें सुधार नहीं होता है तो इन सांड़ों को रखे रहने के प्रश्न पर पुनः विचार करना पड़ेगा।

सघन पशु विकास प्रायोजनायें

6--1968-69 के अन्त में राज्य में चार सघन पशु विकास योजनायें लखनऊ कानपुर, मेरठ और मुरादाबाद में चल रही थीं। 1969-70 और 1970-71 में क्रमशः अलीगढ़ और हल्द्वानी (नैनीताल) में एक-एक सघन पशु विकास प्रायोजना चालू की गई। इस प्रकार इस समय राज्य में 6 सघन पशु विकास प्रायोजनायें चल रही हैं। वर्तमान सुविधाओं का स्तर विहित मानक तक बढ़ाने के उद्देश्य से इन प्रायोजनाओं के लिये अतिरिक्त निवेशों (इन पुट्स) की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

संतति परीक्षण स्कीम

7--सांड़ों की प्रजनन क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से बाबूगढ़ और माधुरीकुंड में वर्ष 1964-65 में संतति परीक्षण स्कीम आरम्भ की गई थी। इससे प्रजनन कार्यक्रम को अधिक वैज्ञानिक बनाने में सहायता मिलेगी। इस स्कीम को चौथी योजनावधि में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीम के रूप में सम्मिलित करने का प्रस्ताव था किन्तु, चूंकि भारत सरकार की स्वीकृति नहीं प्राप्त की जा सकी थी, अतः इसे 1970-71 से राज्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। अब तक हरियाणा नस्ल के 50 सांड़, मुर्रा नस्ल के 40 सांड़ और साहीवाल नस्ल के 5 सांड़ संतति परीक्षण योजना के अधीन रखे गये हैं। संतति परीक्षण कार्यक्रम बाबूगढ़ तथा माधुरीकुंड फार्मों पर राज्य योजना के अन्तर्गत तथा चक गंजरिया फार्म पर केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीम के अन्तर्गत जारी रहेगा।

गोशाला और गोसदन

8--गोशाला और गोसदन की संस्थाओं से सम्बद्ध कार्यकलाप पशुधन के सामान्य सुधार के लिये परम आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से 1971-72 के अन्त तक 130 गोशालायें पंजीकृत की गई हैं। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 43 गोशालाओं को उन्नत किस्म के पशु खरीदने तथा भवनों का सुधार करने के लिये राज सहायता दी गई। तीसरी योजनावधि के दौरान सिंचाई की सुविधाओं के लिये 22 गोशालाओं को राज सहायता दी गई। तीसरी योजना के दौरान 50.00 रुपये प्रति गोशाला की दर से प्रबन्ध सम्बन्धी राज सहायता

की दी गई । चौथी योजना के दौरान यह स्कीम चालू है और उन्नत किस्म के पशु खरीदने के लिये 5,000 रुपये प्रति गोशाला की दर से 15 गोशालाओं को तथा सिंचाई की सुविधाओं के लिये 5,000 रुपये प्रति गोशाला की दर से 10 गोशालाओं को राज सहायता देने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया था । 1973–74 के दौरान गोशालाओं के पशुओं के रख–रखाव के लिये 2,000 रुपये प्रति गोशाला की दर से 14 गोशालाओं को, जिन्हें पहले अनुदान दिये गये थे, राज सहायता दी जायगी । गोशालाओं को दूध के लिये भी 6,000 रु० तक राज सहायता दी जायगी ।

चारा तथा दाना विकास

9—चारे का उत्पादन पशुओं के विकास के लिये एक आवश्यक सहायक अंग है । अतएव चारा सम्बन्धी संसाधनों की उन्नति चौथी योजना अवधि का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है । इस स्कीम के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाले चारे के बीजों की किस्मों के वितरण की परिकल्पना की गई है । 1973–74 के दौरान 20,681 हेक्टेयर क्षेत्र में चारे के बीजों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है । राज्य में 950 प्लाटों पर चारे की फसलों के प्रदर्शन आयोजित करने का भी सुझाव है । मथुरा पशु चिकित्सा विद्यालय का चारा अनुसंधान प्रभाग चारे और दाने की फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिये अपने अनुसंधान कार्यक्रम को जारी रखेगा ।

भेड़ और ऊन विकास

10—भेड़ और ऊन विकास केन्द्रों/मेढ़ा केन्द्रों के जरिये जहां कि विभाग द्वारा मेढ़ों का रख-रखाव किया जाता है और उन्हें पालकों को मेढ़ा मिलन के मौसम में सप्लाई किया जाता है अच्छी किस्म के मेढ़े देकर प्रजनन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जायगी । 1968–69 के अन्त में 122 भेड़ और ऊन विकास केन्द्र/मेढ़ा केन्द्र थे । 1972–73 के अन्त तक राज्य में 171 भेड़ और ऊन विकास केन्द्र/मेढ़ा केन्द्र हो जायेंगे । भेड़ और ऊन विकास केन्द्रों के अलावा भेड़ पालकों को प्रजनन के उद्देश्य से नाममात्र अंशदान के आधार पर उन्नत किस्म के मेढ़े भी सप्लाई किये जायेंगे ।

11—1971–72 के दौरान भेड़ विकास के लिये जो बड़ा कार्यक्रम चलाया गया वह मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी जिलों में सघन भेड़ विकास प्रायोजना की स्थापना करना था । इस स्कीम के अन्तर्गत 1971–72 के दौरान 24 भेड़ और ऊन विकास केन्द्र तथा 3 भेड़ पर्यवेक्षी यूनिटें स्थापित की गईं । 24 भेड़ तथा ऊन विकास केन्द्रों पर 1,200 मेढ़ें रखे गये थे । 1972–73 के दौरान 16 भेड़ तथा ऊन विकास केन्द्र और 2 भेड़ पर्यवेक्षी यूनिटें स्थापित किये जाने की आशा है । इस वर्ष 800 मेढ़ें खरीदे जाने हैं ।

12—1973–74 के दौरान 37 भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र और खोलने का विचार है । प्रजनन सम्बन्धी सुविधाएं जारी रखने तथा उनमें वृद्धि करने के उद्देश्य से 1,634 अच्छे मेढ़ें पुनर्भरण हेतु सप्लाई किये जायेंगे तथा उन्हें भेड़ पालकों को भी नाममात्र के अंशदान पर सप्लाई किया जायगा । मिर्जापुर, वाराणसी और इलाहाबाद जिलों में प्रजनन तथा उपचार आदि के हेतु अतिरिक्त निवेशों (इनपुट्स) की व्यवस्था करके सघन भेड़ विकास प्रायोजना में और तेजी लाने का प्रस्ताव है । भेड़ तथा ऊन विकास केन्द्रों के आस–पास के क्षेत्रों में भेड़ों को सामूहिक रूप से दवा पिलाने का कार्यक्रम जारी रखा जायगा । 1973–74 के दौरान भेड़–कर्तन, ऊन श्रेणीकरण तथा क्रय-विक्रय के कार्यक्रम को भी जारी रखा जायगा ।

बकरी विकास

13--बकरियों की नस्ल सुधारने के लिये मैदानी क्षेत्रों में जमुनापारी और बरबरी बकरे तथा पर्वतीय क्षेत्रों में चम्बा बकरे काम में लाये जा रहे हैं। इस प्रयोजन के हेतु बकरी-प्रजनकों को विकसित बकरे नाममात्र अंशदान के आधार पर उपलब्ध कराये जाते हैं। पशु-चिकित्सालयों में भी बकरे रखे गये हैं जहां उनके द्वारा नैसर्गिक रूप में प्रजनन की सुविधायें प्रति बकरी 50 पैसा देने पर उपलब्ध की जाती हैं। पशु-चिकित्सालयों पर बकरे रखने की स्कीम बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई है। 1968-69 के अन्त में 160 चिकित्सालयों में बकरे रखे गये थे। 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान क्रमशः 100, 90 तथा 50 पशु-चिकित्सालयों में बकरे रखे गये। 50 अन्य पशु चिकित्सालयों में और बकरे रखे जायेंगे। इसके फलस्वरूप 1972-73 के अन्त तक उन पशु-चिकित्सालयों की संख्या, जहां बकरे रखे जायेंगे, 490 हो जायगी। 1973-74 के दौरान अन्य 70 पशु-चिकित्सालयों में प्रत्येक में दो-दो बकरे रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बकरी पालकों को प्रजनन के प्रयोजन के लिये बकरे अंशदान के आधार पर भी सप्लाई किये जायेंगे।

कुक्कुट विकास

14--सतत विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप कुक्कुटों की संख्या, जो 1956 में 20.80 लाख थी, बढ़कर 1961 में 32.54 लाख और 1966 में 37.71 लाख हो गयी। संख्या में वृद्धि के साथ ही उन्नत किस्म के कुक्कुटों में भी वृद्धि हुई है और 1961 में जहां इनकी संख्या 6.04 प्रतिशत थी वह 1966 में बढ़कर 18.72 प्रतिशत हो गयी। चूजों के वितरण की वर्ष-वार संख्या निम्न प्रकार से है--

वर्ष	चूजों की संख्या (लाखों में)
1969-70	7.75
1970-71	8.89
1971-72	11.45
1972-73	12.00 (प्रत्याशित)

15--अंडों की मांग की वर्तमान विभागीय कुक्कुट फार्मों द्वारा पूरा किया जा रहा है जिनमें 1969-70 में अंडे देने की क्षमता 24,200 अंडे थी जो 1971-72 तक बढ़कर 25,600 अंडे हो गयी। अंडों की मांग की पूर्ति के लिये 1972-73 के दौरान भी इसी स्तर पर अंडों की क्षमता को रखना है। 1973-74 के दौरान किसानों को उन्नत किस्म के कुक्कुट और चूजे वितरण करने का कार्यक्रम जारी रहेगा।

16--कुक्कुट विकास कार्यक्रम व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम से भी संबद्ध है जिसके अन्तर्गत 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में क्रमशः 103, 115 तथा 105 खण्डों में कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। 1972-73 के दौरान 90 खण्डों में इस कार्यक्रम के चालू रहने की आशा है। 1973-74 के दौरान इस कार्यक्रम को 66 खण्डों में आरम्भ करने का सुझाव है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं—

सारणी 3

मद	1969–70		1970–71		1971–72		1972–73		1973–74
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1–सांडों की संख्या	103	103	115	115	105	105	90	90	66
2–प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	2,060	2,201	2,300	2,320	2,080	3,401	17,800	1,800	1,320
3–वितरित चूजों की संख्या	82,400	78,494	92,000	1,16,623	83,200	1,79,242	71,200	72,000	52,800

सूकर विकास

17—केन्द्रीय दुग्धशाला (सेन्ट्रल डेयरी फार्म), अलीगढ़ में स्थापित संभागीय सूकर प्रजनन केन्द्र और अराजीलाइन्स, जिला वाराणसी में स्थापित सूकरालय यूनिटों का कार्य 1969–72 के दौरान जारी रहा और उनमें सूकर विकास कार्य के हेतु क्षेत्र में वितरण के लिये उन्नत किस्म के सूकर सांड पैदा किये गये । अभिरुचि रखने वाले प्रजनकों को भी प्रजनन के प्रयोजनों के लिये 20 रु० सूकर–सांड के हिसाब से नाममात्र अंशदान करने पर सूकर सांड वितरित किये जा रहे हैं । 1973–74 के दौरान सूकर विकास खण्डों में संभागीय सूकर प्रजनन केन्द्र पर तथा उन पशु–चिकित्सालयों के माध्यम से, जहां सूकर–सांड रखे गये हैं, अभिजनक सूकर सांड़ों और मादा सूकरियों का उत्पादन कार्य जारी रखा जायगा ।

रोग नियन्त्रण

18—1968–69 के अन्त में राज्य में 994 पशु–चिकित्सालय और 1,407 पशुपालन-केन्द्र उपलब्ध थे जो प्रत्येक पशु चिकित्सालय के अधीन 50,000 पशुओं को चिकित्सा की व्यवस्था करते थे । पशुधन की जनसंख्या की तुलना में यह चिकित्सा–सुविधा बहुत कम पशुओं के लिये थी और इसलिये इस तरह की और संस्थाओं की व्यवस्था करने पर जोर दिया

गया । चौथी योजनावधि के दौरान पशु चिकित्सालयों, पशुपाल केन्द्रों तथा 'घ' श्रेणी के चिकित्सालयों में प्रोन्नत किये गये पशुपाल केन्द्रों (सघन पशु विकास प्रायोजना को सम्मिलित करके) का ब्योरा नीचे दिया गया है--

सारणी ४

वर्ष	सघन पशु विकास प्रायोजनाओं के पशु चिकित्सालय	अन्य क्षेत्र के पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालयों की कुल संख्या	'घ' श्रेणी के चिकित्सालय	पशुपाल केन्द्र	सघन पशु विकास प्रायोजनाओं के पशुपाल केन्द्र	पशुपाल केन्द्रों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1969-70	4	20	24	..	30	110	140
1970-71	7	30	37	50	30	57	87
1971-72	5	20	25	50	30	80	110
1972-73	13	..	13	60	..	124	124

19--1972-73 के अन्त तक राज्य में 1,093 पशु चिकित्सालय, 160 'घ' श्रेणी के चिकित्सालय तथा 1,708 पशुपाल केन्द्र स्थापित हो चुकेंगे, जिनके द्वारा प्रत्येक पशु चिकित्सालय में 41,000 पशुओं तथा प्रत्येक पशुपाल केन्द्र में 30,400 पशुओं के लिये पशु चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था की जायगी । 1973-74 के दौरान ऐसे क्षेत्रों में जिनमें सघन पशु विकास प्रायोजना नहीं है, 60 पशुपाल केन्द्र, सघन पशु विकास प्रायोजना वाले क्षेत्रों में 13 अतिरिक्त पशु चिकित्सालय तथा 94 पशुपाल केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । इन सुविधाओं की व्यवस्था से प्रति पशु चिकित्सालय तथा प्रति पशुपाल केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं का स्तर क्रमशः 40,189 तथा 27,325 पशु हो जायगा ।

शोध और प्रशिक्षण

20--अध्यापन सम्बन्धी मुख्य कार्यकलाप पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में केन्द्रित हैं जहां स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों जैसे एम० वी० एस० सी० और पी० एच० डी० आदि पाठ्यक्रमों की सुविधायें उपलब्ध हैं। पशुपाल (स्टाकमैन) पाठ्यक्रमों तथा कम्पाउन्डर प्रशिक्षण कक्षा का आयोजन चक गंजरिया (लखनऊ), पशुलोक और बरेली में किया जाता है । पशुपालन संबंधी विभिन्न विषयों में विशेषता प्राप्त करने के लिये सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सुविधायें चक गंजरिया, पशुलोक तथा मथुरा में भी उपलब्ध हैं । शोध विषयक कार्यकलाप पशु-

चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा, पशुशोध केन्द्र, मथुरा और चक गंजरिया (कुक्कुट सम्बन्धी), अलीगढ़ (सूकर सम्बन्धी) और पशुलोक (भेड़ प्रजनन), सम्बन्धी स्थित उपकेन्द्रों में किये जाते हैं । अध्यापन सम्बन्धी कार्यकलाप 1973–74 के दौरान जारी रहेंगे ।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमें

22--चौथी योजना अवधि के दौरान पशुपालन कार्यक्रमों के हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमों के लिये 54.07 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । चौथी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों पर 24.97 लाख रुपये व्यय किया गया है । चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1972–73 के दौरान 14.47 लाख रुपये व्यय होने की प्रत्याशा की गई है । 1973–74 के लिये 27.89 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है ।

23--वर्ष 1969–70 के दौरान मुख्य-मुख्य अन्तर्राज्य प्रवास मार्गों पर 20 पड़ताल चौकियां (चैक पोस्ट्स) स्थापित करने का लक्ष्य था, किन्तु उस वर्ष में केवल 11 पड़ताल चौकियां ही स्थापित की जा सकीं । ये पड़ताल चौकियां चौथी योजना के अन्त तक कार्य करती रहेंगी ।

मद--2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग--2.1. पशुपालन

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	1--पशु अभिजनन--				
210101	राज्य पशुधन एवं कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त आवश्यकता तथा प्रसार	34.99	24.92	..	0.34
210102	राज्य में चकबन्दी एवं ए-आई प्रोग्राम का प्रसार	88.82	24.90	..	7.14
210103	अलीगढ़ एवं हल्द्वानी में सघन पशु विकास योजना	28.47	6.26	..	1.88
210104	पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना	2.37	1.35	..	0.03
210105	खंड पशुओं का क्रय एवं वितरण	7.50	..	..	2.97
210106	गोशाला विकास योजना	3.92	..	..	0.58
210107	सघन पशु विकास योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त सामग्री का प्राविधान (लखनऊ, कानपुर एवं मुरादाबाद)	79.76	22.46	..	8.90

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
10.19	3.23	0.49	0.18	..	..	..
19.89	23.68	18.49	15.48	20.06	2.25	..
4.35	6.58	13.84	13.45	16.95	..	..
0.30	0.35	0.38	0.37	0.37	..	..
1.50	1.00	0.50	0.50	0.50	..	..
0.51	0.41	0.41	0.47	0.34	..	..
9.07	13.23	14.29	11.76	15.84	..	..

मद—2 समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशु पालन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
210108	पशु इंश्योरेंस योजना	1.50	..	..	..
210109	भारत-जर्मन प्रायोजना के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना	..	..	..	0.30
210110	बाबूगढ़ एवं मेरठ पशुधन एवं क्षेत्र पर सांड़ों का संतति परीक्षण	..	..	..	2.07
210111	पर्वतीय और अधिक वर्षा के क्षेत्र विकास, नगर (देहरादून) में पशु अभिजनन	..	..	..	..
210112	पशु अभिजनन एवं प्रसार केन्द्रों पर सांड़ रखने की योजना	..	..	..	..
	योग (1) ..	247.33	97.89	..	24.21

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
1.15	2.91	0.59	0.58	0.64	..	..
2.20	2.17	2.29	2.26	2.28	..	..
..	..	0.66	..	..	..	..
..	0.38	..	2.30	1.30	..	..
19.34	53.94	51.94	47.35	58.28	2.25	..

मद--2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग--2.1. पशुपालन--(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969-70
1	2	3	4	5	6
	(2) पोषण और विकास--				
210201	पूर्वी जिलों, बुन्देलखंड एवं पर्वतीय	15.00	..	..	4.45
210202	क्षेत्रों में उ० प्र० में अधिक पैदा होने वाली पौष्टिक चारे की फसलों का विकास और मूल दाम पर चारा बीज का वितरण	..			
	योग (2) ..	15.00	..	..	4.45
	(3) भेड़ तथा ऊन विकास--				
210301	उ० प्र० में भेड़, ऊन तथा अन्य पशुधन के सुनियोजित विकास की योजना	28.44	15.90	5.00	4.55
210302	उ० प्र० में भेड़ों का परोपजीवी कीटाणुओं से बचाने के लिये उन्हें सामूहिक रूप से औषधि पिलाना	3.75	..	..	1.00

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
6.88	8.83	6.80	6.50	7.94	..	..
6.88	8.83	6.80	6.50	7.94	..	..
3.55	1.39	1.69	4.65	1.93	0.22	..
0.75	0.93	0.75	0.77	0.50	..	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
210303	भेड़ और मेढ़ा का क्रय	10.00	..	..	1.96
210304	इलाहाबाद जिले के फूलपुर प्रायोजना क्षेत्र में भेड़ गर्भाधान की सघन योजना	0.35	0.35	..	..
210305	लालबहादुर सेवा निकेतन	0.37	..	..	..
210306	राज्य के पूर्वी संभाग में एक बकरी अभिजनन प्रक्षेत्र की स्थापना	0.68	0.08	..	0.15
210307	राज्य के बकरियों के लिए अभिजनन सुविधा का प्रसार	5.86	..	..	0.59
210308	भारत-जर्मन प्रायोजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा जिले में भेड़ तथा ऊन विकास	..	..	..	0.02
210309	इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर में सघन भेड़ विकास	..	..	..	..
	योग (3) ..	49.45	16.33	5.00	8.27

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
2.67	2.10	1.10	1.10	2.00	..	..
..	..	0.07	0.07	0.07	0.07	..
..	..	..	..	..	..	..
0.22	0.07	0.12	0.06	0.11	..	..
0.98	1.34	1.51	1.50	1.84	..	.
0.30	0.20	0.32	0.31	0.44	0.10	.
..	3.30	7.09	6.05	10.64	..	..
8.47	9.33	12.65	14.51	17.53	0.39	..

मद—2, समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	(4) कुक्कुट विकास				
210401	हवालबाग रीजनल कुक्कुट क्षेत्र का विस्तार	8.66	6.34	..	0.55
210402	एस० पी० एफ० चकगंजरिया, लखनऊ को सस्ता कुक्कुट राशन योजना से संबंधित कुक्कुट पौष्टिक रिसर्च लेबोरेटरी सुदृढ़ीकरण	2.18	0.84	..	0.09
	विकास अन्वेषणालय				
210403	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कुक्कुट पालन प्रायोजना फूलपुर (इलाहाबाद) की स्थापना	6.75	..	..	0.67
210404	कुक्कुट पालकों को ऋण	2.50	2.50	..	2.20
210405	पूर्वी जिलों में सघन कुक्कुट विकास खंड	9.35	..	..	0.68
210406	यूनीसेफ की सहायता से व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम	..	..	..	4.28
210407	पर्वतीय क्षेत्र में कुक्कुट विकास	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.20	0.34	0.41	0.49	1.10	0.50	..
0.16	0.37	0.29	0.29	0.19	..	..
0.63	0.70	1.00	0.88	1.50	..	..
2.79	2.50	1.01	1.00	1.00	1.00	..
0.76	1.20	0.92	0.91	0.92	..	..
3.94	4.78	3.82	3.80	2.92	..	..
..	0.23	0.82	0.81	1.33	0.40	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
210408	मुर्गियों के अभिजनन प्रोजेक्ट की योजना	..	..	..	..
210409	अलीगढ़ में सघन कुक्कुट (बोयलर) विकास	..	..	..	..
210410	मुर्गी पालकों के लिए खाद्य इकाई की स्थापना [पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी]	..	..	..	..
	योग (4) ..	29.41	9.68	..	8.47
	(5) पशु-चिकित्सा सहायता एवं रोग नियंत्रण—				
210501	राज्य में नये पशु औषधालयों एवं पशुपालन केन्द्रों का सुधार	31.85	10.33	..	1.70
210502	वर्तमान पशु औषधालयों की अतिरिक्त सुविधा का प्राविधान	17.71	15.30	7.24	7.89
210503	स्थानीय निकायों द्वारा पशु औषधालयों के लिये अतिरिक्त औषधि एवं केमिकल्स का प्राविधान	4.48			

(210502 एवं 210503 के लिए स्तम्भ 4, 5 एवं 6 के आंकड़े संयुक्त हैं।)

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	0.54	2.53	2.52	2.28	0.10	..
..	0.57	0.64	0.63	0.46	..	..
..	..	0.20	0.20	0.50	0.50	..
3.48	11.23	11.64	11.53	12.20	2.50	..
6.54	11.28	14.33	14.08	16.15	0.30	..
7.42	9.75	7.66	8.23	10.07	0.51	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
210504	राज्य में निदान संबंधी लेब्रोरेटरी का प्राविधान	2.50	0.10	..	0.10
210505	पशु औषधालयों का प्रान्तीयकरण	0.35	2.41	..	0.52
210506	जैविकीय उत्पादन अनुभाग का सुधार तथा प्रसार	19.77	6.64	0.82	0.09
210507	रिन्डरपेस्ट टिशू कल्चर वैकसिन लेब्रोरेटरी की स्थापना	5.00	..	0.82	..
210508	सचल इकाई की स्थापना	..	..	..	..
210509	इपीडिमालोजिकल इकाई की स्थापना	..	..	..	..
210510	स्नातकों को इन्टर्नशिप की व्यवस्था	..	..	..	..
210511	सोवाइन फिवर वैक्सिन की उत्पादन तथा सोवाइन फिवर की रोकथाम।	..	..	..	..
210512	ए० डी० आई० ओ० योजना का प्रसार	..	..	..	..
	योग (5) ..	87.66	34.78	1.64	10.30

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.50	0.31	0.40	0.39	0.42	..	..
0.78	0.88	0.93	0.88	0.90	..	..
2.52	1.39	2.63	2.19	2.09	0.45	..
..	..	..	..	..	..	..
..	1.12	0.71	0.70	0.57	..	..
..	..	0.09	..	..	..	..
..	0.21	2.22	0.73	1.06	..	..
..	..	0.40	..	0.05	0.05	..
..	0.11	0.03	0.03	0.03	..	..
17.76	25.05	29.40	27.23	31.34	1.31	..

मद--2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग--2.1. पशुपालन--(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	(6) पशुपालन, शोध शिक्षा तथा सांख्यिकी				
210601	भारतीय कृषि शोध परिषद् की योजनाओं में राज्य का अंश	17.43	..	..	0.84
210602	पशुधन उत्पादन, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान में शोध कार्य को प्रसार एवं प्रगाढ़ रूप से करना	2.50	..	..	0.44
210603	राज्य में पशु चिकित्सालय अन्वेषण केन्द्र, मथुरा एवं क्षेत्रीय उप केन्द्र का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण	2.60	0.53	..	0.60
210604	गोरखपुर में क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अन्वेषण उपकेन्द्र की स्थापना की योजना	4.83	3.00	..	0.50
210605	पशु चिकित्सा के देशी प्रणाली में अन्वेषणालय की योजना (वर्तमान योजना का द्वितीय स्तर)	0.84	..	..	0.20

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.57	0.50	0.15	0.15	0.15	..	..
0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	..	..
0.42	0.84	0.19	0.19	0.19	..	..
..	..	0.06	..	0.001	..	.
0.06	0.06	0.11	0.11	0.11	..	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
210606	पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा में समन्वय और पर्यवेक्षण के लिय अतिरिक्त सुविधाओं की योजना	2.52	0.35	..	0.21
210607	उ० प्र० पशु विज्ञान चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में चरागाह और फोरेज अनुसंधान के प्रसार तथा बाटनी सेक्शन के जोड़ने का प्रस्ताव	1.68	..	..	0.15
210608	उ० प्र० पशु विज्ञान चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा से लगा हुआ दुग्ध और कुक्कुट पालन क्षेत्र का विकास	3.04	3.00	..	..
210609	चक गंजरिया, लखनऊ में कृत्रिम गर्भाधान के सेवारत कर्मचारियों का प्रशिक्षण	2.07	..	..	0.11
210610	पशुधन उत्पादन तथा सांख्यिक अध्ययन करना और पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान में शोध कार्य को प्रगाढ़ रूप से करना	2.04	..	..	0.15

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.56	0.22	0.09	0.09	0.09	..	..
0.0[illegible]	0.08	0.31	0.30	0.32	..	..
..	..	..	..			
0.07	0.26	0.26	0.26	0.26	..	..
0.05	0.17	0.28	0.27	0.43	..	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
210611	एम० बी० एस० सी० छात्रों को प्रायोगता छात्रवृत्ति	..	..	..	0.04
210612	चल चिकित्सालय का प्राविधान	..	..	..	0.24
210613	पर्वतीय क्षेत्रों में चरागाह और फोरेज अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	..	..	..	1.61
210614	फिजालोजी सालबीया की योजना	..	..	..	..
210615	लबोरेटरी तकनीकी में सेवारत कर्मचारियों का प्रशिक्षण	..	..	..	..
210616	पशुओं के लिये वीरस शोध लेबोरेटरी (सेलस कल्चर की सुविधा)	..	..	..	..
[illegible]0617	स्नातकों को अतिरिक्त सुविधा का प्राविधान	..	..	..	..
210618		..	..	..	..
	योग (6) ..	39.55	6.88	..	5.09

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.10	0.13	0.11	0.11	0.11	..	..
0.36	0.10	0.11	0.11	0.11	..	..
0.15	0.89	2.32	1.71	1.18	0.10	..
0.33	..	..	..	..	..	..
..	0.08	0.10	0.10	0.10	..	..
0.15	0.36	0.41	0.40	0.31	..	..
0.06	0.08	0.07	0.08	..	..	..
0.04	..	..	0.20	..	..	..
3.39	4.25	5.08	4.58	3.86	0.10	..

मद—2 . समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2. 1. पशुपालन-(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	7—सूकर विकास				
210701	सूकर अभिजनन के लिये उन्नतिशील सूकरों की विकास योजना तथा क्रय-विक्रय के लिये सुविधाओं का प्राविधान	1.16	..	..	..
210702	बेकन फैक्ट्री के एफ्लुयेंट्स का उपयोग	5.00	3.50	..	..
210703	पशु चिकित्सालयों पर सूकर रखने की योजना	..	..	..	..
	योग (7) ..	6.16	3.50	..	..
	8—अन्य योजनायें				
210801	विभिन्न स्तरों पर समन्वय एवं निरीक्षण	15.00	0.19	..	
210802	प्रकाशन संबंधी प्रसार वस्तुओं का उत्पादन	2.25	..	..	0.18
210803	पशुओं का मेला लगाना	5.50	..	..	0.94

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73				1973–74 (परिव्यय)
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..		..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.58	0.60	0.30	0.30	0.85	0.50	..
0.58	0.60	0.30	0.30	0.85	0.50	..
0.23	0.46	0.40	0.39	0.45	..	..
0.71	0.48	0.26	0.26	0.45	..	..
0.79	0.59	0.55	0.56	0.58	..	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.1. पशुपालन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
210804	आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बख्शी का तालाब, लखनऊ में मलकूप का लगाना	0.45	0.45	..	0.22
210805	यूनीसेफ की सहायता से वृहद् रूप से ऊन की ग्रेडिंग और क्रय-विक्रय की योजना	21.02	9.20	..	..
210806	उत्तर प्रदेश में पांच कुक्कुट पालन, क्रय-विक्रय की सहकारी समितियों की स्थापना	1.81	..	..	..
210807	खाल उतारने, खाल साफ करने तथा लोथ के उपभोग एवं उत्पादन केन्द्र, देहरादून एवं शाखा का प्रसार	2.54	1.33	..	..
210808	छुट्टा और जंगली पशुओं के उत्पात	5.73	..	..	0.46
210809	गोसदन योजना	1.07	0.36	..	..
210810	तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भवनों का निर्माण	14.00	14.00	..	2.94

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.23	0.01	..	..	..	..	..
3.95	2.87	3.33	3.30	3.12	..	..
..	..	0.11	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.47	0.44	0.50	0.40	0.40	..	..
..	..	..	..	..	..	..
1.98	0.62	0.90	1.30	1.50	1.50	..

मद—2 . समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2. 1. पशुपालन (समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
210811	पशु मारे जाने वाले घर (कसाईखाना)	2.00	..	..	..
210812	मुख्य अभिजनन क्षेत्रों में पशु ढोरों के नियन्त्रण का प्रसार तथा अभिजनन समितियों का गठन	4.04	..	..	0.75
210813	प्रसार इकाई का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..
210814	गुलर भोज गोसदन, जिला नैनीताल के लिए दिल्ली राज्य गोसम्वर्द्धन परिषद् को अनुदान	..	..	..	..
	अन्तरिम सहायता	..	..	..	..
	योग (8)	75.41	25.53	..	5.49
	योग 2.1. पशुपालन	*550.00*	*194.59*	*6.64*	*66.28*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73			1973–74 (परिव्यय)	
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
0.69	0.71	1.14	1.09	1.35	..	.
..	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..
..	2.05	..	10.55	8.15	..	..
9.04	8.21	7.19	17.85	16.00	1.50	..
103.94	*121.14*	*125.00*	*129.85*	*148.00*	*8.55*	..

3—दुग्ध व्यवसाय तथा दुग्ध सम्पूर्ति

अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक ढंग से खेती करके तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के उपयोग से कृषि उत्पादन में जो हरित क्रांति हुई है उसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर समाज के अशक्त वर्गों को समृद्ध बनाने की दृष्टि से, 'श्वेत क्रांति' को भी लाना आवश्यक है।

2—उत्पादकों को अपने माल के लिये सुगम और अनुकूल बाजार और उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का दूध और दूध से बनी वस्तुयें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, दूसरी योजना के पश्चात् दुग्ध व्यवसाय और दुग्ध सम्पूर्ति के अन्तर्गत कार्यवाहियां आरम्भ की गईं। इस दृष्टि से कि राज्य में छोटे कृषकों की संख्या बहुत अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवायोजन और आय के अवसरों को बढ़ाने के लिये दुग्ध उद्योग का विकास करने की आवश्यकता और महत्व और भी बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में सहायता करने और दूध के संग्रहण, विधायन, परिवहन और क्रय-विक्रय की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये, दुग्ध व्यवसाय के विकास के कार्यक्रम की नीति कारगर की जा रही है।

3—चालू योजना के पहले दो वर्षों के व्यय का स्तर, पहले तीन वर्षों का व्यय, 1972—73 के दौरान प्रत्याशित व्यय तथा 1973—74 का परिव्यय इस प्रकार है—

(लाख रुपयें में)

चौथी योजना का परिव्यय	व्यय 1969-70	व्यय 1970-71	व्यय 1971-72	1972—73 परिव्यय	1972—73 अनुमानित व्यय	1973-74 परिव्यय
400.00	48.31	47.61	102.42	165.00	176.79	180.00

4—चौथी योजना अवधि के लिये, इस क्षेत्र के वास्ते 400.00 लाख रुपये का परिव्यय प्रारम्भ में निर्धारित किया गया था। आशा है कि 1972-73 के अन्त तक 375.13 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग हो जायगा। 1973-74 के लिये 180.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित है और इस धनराशि को मिलाकर चौथी योजना के अन्त में व्यय की धनराशि चौथी योजना के हेतु स्वीकृत परिव्यय से लगभग 155.13 लाख रुपये अधिक हो जायगी।

5—चालू योजना के प्रथम दो वर्षों में व्यय का स्तर बहुत ही निम्न रहा, उदाहरणार्थ निम्नलिखित कारणों से:—

<u>ग्रामीण दुग्धशाला प्रसार संबंधी स्कीमों में कमी</u>—(1) चिकनाई की जांच करने वाली प्राथमिक समितियां परिकल्पित स्तर पर आरम्भ नहीं की जा सकीं और इस प्रकार चिकनाई की जांच के लिये राज-सहायता की मांग प्रारम्भ में प्रत्याशित राज-सहायता से कम रही।

(2) प्राथमिक दुग्ध समितियों में राज्य सरकार द्वारा लगायी गयी अंश पूंजी का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि जो मानक निर्धारित किये गये थे उनकी इन समितियों द्वारा पूर्ति नहीं की गई और इसलिये 1970--71 में मानकों को पुनरीक्षित करना पड़ा।

(3) पिथौरागढ़ ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्र को समय से स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

(4) रिपोर्टों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने के फलस्वरूप फैजाबाद में दुग्ध उत्पादन कारखाना चालू नहीं हो सका।

6—"आनन्द" प्रेटर्न के अनुसार दुग्ध प्राथमिक समितियों के लिये बड़े पैमाने पर सहायता की व्यवस्था करने के कारण जिससे कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके और संयंत्रों को उनकी क्षमता क अनुसार दूध की संपूर्ति की जा सके, तीसर वर्ष अर्थात् 1971-72 के दौरान निधियों का उपयोग परिव्यय से बढ़ गया। पशुओं का उचित रूप से रख-रखाव करने में सहायता पहुंचाने की दृष्टि से सचल पशु-चिकित्सा वाहनों की सेवायें भी उपलब्ध कराई गईं। बेबी फूड फैक्टरी की अधिष्ठापित क्षमता 25 प्रतिशत बढ़ाने के लिये, प्रादेशिक सहकारी दुग्धशाला फेडरेशन को अतिरिक्त सहायता भी दी गयी; 1971--72 के दौरान स्वीकृत की गयी 21 सचल पशुचिकित्सा वाहनों की सेवाओं पर होने वाले आवर्तक व्यय को शामिल करने तथा "आनन्द" प्रेटर्न के अनुसार सुविधायें प्रदान करने और राज्य के ऐसे जिलों में, जिन्हें अभी तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, 10 नये दुग्ध विधायन संयंत्रों की स्थापना करने से 1972-73 के दौरान निधियों का उपयोग भी प्रारम्भिक नियत धनराशि स अधिक हो जाने की आशा है।

7—दस नये संघ स्थापित किये जा रहे हैं और आशा है कि उनके साथ प्रत्येक से 200 दुग्ध समितियां सम्बद्ध रहेंगी। इनमें से 1,000 नयी उत्पादक प्राथमिक समितियों के 1973-74 क दौरान गठित हो जाने की आशा है। यह विचार है कि इन समितियों के पास प्रारम्भ से ही दूध की जांच करन की सुविधायें होनी चाहिये और इस संबंध में होने वाले व्यय को प्रस्तावित योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

8—दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों (मिडिल मैन) से छुटकारा दिलाने तथा सहकारी दुग्ध संघों की ओर से उनका ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से यह महसूस किया गया है कि संघों द्वारा अपने सदस्यों को वरीयता के आधार पर कुछ सेवायें उपलब्ध की जानी चाहिये, जिससे कि दुग्ध सप्लाई करने वाले सदस्यों को उन उत्पादकों की अपेक्षा जो बिचौलियों को दूध की सप्लाई करते हैं, कुछ विशिष्ट लाभ दिये जा सकें। यह प्रस्ताव है कि प्राथमिक समितियों के सदस्यों के लिये निःशुल्क सावधिक पशु-चिकित्सा सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिये--यह एक ऐसा कदम है, जो कि दुग्ध उत्पादकों को सहकारी क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के अतिरिक्त सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों तथा दुग्ध विधायन संयंत्रों का प्रबन्ध करने वाले सहकारी संघों के बीच एक मजबूत कड़ी कायम करेगा, इसलिये यह प्रस्ताव किया गया है कि सभी वर्तमान सहकारी दुग्ध संघों तथा 10 प्रस्तावित नई यूनिटों के पास सचल पशु-चिकित्सा दल होने चाहिये जो सप्ताह में एक-एक बार ग्रामों में जायें तथा प्राथमिक समितियों के सदस्यों के पशुओं को निःशुल्क चिकित्सा संबंधी सहायता प्रदान करें। इस नई नीति से आशा है कि वर्तमान दुग्ध विधायन यूनिटों की स्थिति में काफी हद तक सुधार होगा तथा उसके द्वारा इस योजना में चालू की जाने वाली 10 नई यूनिटों के लिये दृढ़ आधार हो जायगा।

9—चौथी पंचवर्षीय योजना के पांचवें वर्ष अर्थात् 1973--74 के लिये, दुग्धशाला विकास संबंधी स्कीमों के निमित्त 180.00 लाख रुपये का परिव्यय (जिसमें से 0.30

लाख रुपये विकास अन्वेषणशाला को दूध के सघन उत्पादन की स्कीम के लिये हैं) आवंटित किया गया है। आगामी स्कीमों को पूरा करने और कुछ महत्वपूर्ण नगर दुग्धशाला संयंत्रों का विस्तार करने और उन्हें फिर से सशक्त बनाने पर पूर्ववत् जोर दिया जायगा। 1973-74 के लिये दुग्ध व्यवसाय और दुग्ध सम्पूर्ति (सप्लाई) की जो वार्षिक योजना तैयार की गई है उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(1) नगर दुग्ध सम्पूर्ति स्कीम के अधीन अलीगढ़ की एक दुग्ध विधायन यूनिट तथा राज्य म पिछले वर्ष स्थापित 10 नई दुग्ध यूनिटों द्वारा नागर कस्बों को सप्लाई किये जाने वाले अच्छे किस्म के दूध की मात्रा काफी बढ़ जायगी और ग्रामीणों को एक सुनिश्चित बाजार भी प्राप्त होगा तथा उससे उनको नियमित रूप में सहायक आय भी प्राप्त होगी। आशा है कि इन 10 नये संयंत्रों तथा अलीगढ़ के संयंत्र के लिये पूंजी परिव्यय के रूप में 1973-74 के लिये कुल 148.50 लाख रुपये की आवश्यकता होगी, जिसमें से 70 प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण के रूप में प्राप्त करनी होगी तथा शेष 30 प्रतिशत धनराशि, जो कि 44.55 लाख रुपये होती है, राज्य की योजनागत निधियों से पूरी की जायगी। इसके अतिरिक्त हरद्वार/ऋषिकेश तथा मेरठ की दुग्ध सम्पूर्ति की प्रस्तावित स्कीम की व्यवस्था भी इसमें सम्मिलित कर ली गयी है और उस पर होने वाले व्यय को राज्य की आयोजनागत निधियों से पूरा किया जायगा।

(2) दुग्धशाला विस्तार की स्कीम के अधीन, वर्तमान तथा प्रस्तावित दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादक प्राथमिक समितियों के सदस्यों के लिए, सचल पशु-चिकित्सा संबंधी सेवाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों तथा 'आनन्द' पैटर्न के अनुसार गठित नये उत्पादन क्षेत्रों की प्रत्येक समिति को प्रत्येक सदस्य द्वारा लाये गये दुग्ध में चिकनाई की मात्रा की जांच करने की सुविधायें दिये जाने का विचार है।

(3) एक और ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्र स्थापित करने की भी व्यवस्था की जा रही है।

(4) वर्ष 1973-74 के दौरान दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उत्पादन ऋणों के वितरण हेतु 13.44 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित की गयी है।

(5) दूसरा दुग्ध उत्पादन कारखाना, शाहगंज में स्थापित किया जाना था, परन्तु सर्वेक्षण के परिणामों को दृष्टिगत रखकर इस संबंध में अन्तिम निर्णय लेना बाकी है कि इसे शाहगंज में स्थापित किया जाय या कहीं और। अतएव उसके स्थान के संबंध में अन्तिम निर्णय लिये जाने तक इसके लिये 10.00 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

(6) राज्य में पशुओं के चारे का एक कारखाना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिये 1.00 लाख रुपये की प्रतीक व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.2. दुग्धशाला तथा दुग्ध सम्पूर्ति

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969—70
1	2	3	4	5	6
220101	कानपुर दुग्ध प्रायोजना	20.00	16.00	..	1.57
220102	नए दुग्ध संघो की स्थापना	6.00	1.25	..	3.87
220103	बेबी फूड फैक्ट्री, मुरादाबाद	33.00	26.40	..	23.07
220104	ग्रामीण दुग्धशाला प्रसार	8.98	4.84	..	1.94
220105	ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्रों की स्थापना	1.00	0.91	..	..
220106	दुग्धशाला प्रशिक्षण	0.27	..	..	0.14
220107	हल्द्वानी दुग्ध यूनियन के प्रसार कार्यक्रम की पूर्ति	5.00	4.00	..	1.00
	नई योजनायें—				
220108	नगर दुग्ध सम्पूर्ति योजना	15.00	14.42	..	4.00
220109	वर्तमान दुग्ध संघों का प्रसार, आधुनिकीकरण तथा पुनर्जीवन	50.00	42.00	7.00	1.88
220110	दुग्धशाला विकास खण्ड	8.00	..	..	0.02

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
8.56	0.86	..	..	..	..	..
2.06	1.73	0.40	0.40	..	..	..
4.93	12.00	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	1.00	1.00	..	..	..
0.09	0.04	..	..	..	..	..
4.00	..	..	..	..	..	.
1.00	2.75	20.30	20.30	47.05	37.69	..
..	11.30	12.00	12.00	4.00	3.20	..
0.08	0.25	5.00	3.58	4.24	..	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.2. दुग्धशाला तथा दुग्ध सम्पूर्ति (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
220111	दुग्धशाला सर्वेक्षण मूल्यांकन	0.75	..	..	0.10
220112	उत्पादन ऋण	70.00	70.00	..	9.61
220113	प्रादेशिक सहकारी दुग्धशाला फेडरेशन को सहायता	2.00	..	..	..
220114	स्टेटरी मिल्क बोर्ड	1.00	..	..	..
220115	मिल्क प्रोडक्ट फैक्टरी	32.00	26.60	2.50	..
220116	कैटिल फीड फैक्टरी	20.00	17.20	..	..
220117	कंताज और खोलाज के लिए अग्रगामी योजना	5.00	2.95	..	..
220118	फैजाबाद जिले सहित पूर्वी जिलों के लिए दुग्धशाला योजना	50.00	40.24	2.50	..
220119	ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्र	10.00	8.19	..	..
220120	ग्रामीण दुग्धशाला प्रसार	59.60	27.40	..	0.81
220121	दुग्धशाला प्रशिक्षण	2.50	..	..	0.30
220122	दुग्ध विकास निगम	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.29	0.30	0.60	0.58	0.63	..	..
18.00	18.95	10.00	10.00	13.44	13.44	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	10.00	10.00	10.00	8.00	..
..	..	1.00	1.00	1.00	0.80	..
..	..	2.00	2.00	1.00	0.90	..
..	12.50	24.50	24.50	10.00	7.50	..
0.50	3.10	0.25	0.25	4.40	3.62	..
2.70	37.48	77.00	90.25	83.19	6.81	..
0.40	1.16	0.75	0.75	0.75	..	..
..	..	..	..	..	..	—

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.2. दुग्धशाला तथा दुग्ध सम्पूर्ति (समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	विकास अन्वेषणालय				
220123	सघन दुग्ध उत्पादन योजना	..	..	..	..
	योग: 2.2. दुग्धशाला तथा दुग्ध का वितरण	*400.00*	*300.40*	*12.00*	*48.31*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	0.20	0.18	0.30	..	..
47.61	*102.42*	*165.00*	*176.79*	*180.00*	*81.96*	.

4—मत्स्य पालन

उत्तर प्रदेश एक अन्तरस्थली राज्य है । राज्य के जल–संसाधन विविध तथा व्यापक हैं । इनमें गरमी में भी न सूखने वाली बड़ी नदियां तथा उनकी सहायक नदियां, बर्फ से ढकी पर्वतीय धारायें, प्राकृतिक सरोवर और झीलें, जलाशय तथा अनेक बड़े-छोटे पोखर सम्मिलित हैं, जो सभी गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। ये सभी और विशेष तौर पर परिरुद्ध जल संसाधन, सघन मत्स्य संवर्द्धन और उसके फलस्वरूप होने वाले मत्स्य उत्पादन की अति उत्तम क्षमता रखते हैं ।

2—मत्स्य पालन संबंधी स्कीमें, एक पृथक् रक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्णतः राज्य की आयोजनागत स्कीमें हैं। इस राज्य के लिये, मत्स्य पालन योजना में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित किसी भी स्कीम को सम्मिलित नहीं किया गया है। मत्स्य पालन के विकास से संबंधित स्कीमें राज्य में कृषि उत्पादन से सम्बद्ध कार्यक्रमो का एक अभिन्न अंग हैं । चौथी योजना में मत्स्य उत्पादन संबंधी स्कीमो, बड़े तथा मध्यम आकार के जलाशयों के अधिकतम उपयोग और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत सघन मत्स्य सम्वर्द्धन कार्यकलापों के प्रसार संबंधी स्कीमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । ग्रामीण रोजगार संबंधी त्वरित कार्यक्रम के अधीन मिट्टी से भरे तालाबों (Silted up tanks) के विकास का कार्यक्रम भी आठ जिलों में चालू है । बलिया जिले के चार खन्डों में सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के अभिकरण की स्कीम के अधीन मत्स्य संवर्द्धन कार्यकलाप भी आरम्भ किये गये हैं।

3—चौथी योजना के दौरान मत्स्य पालन संबंधी कार्यक्रमों के परिव्यय, पहले तीन वर्षों का व्यय, तथा 1972–73 का अनुमानित व्यय और साथ ही 1973–74 का परिव्यय इस प्रकार है—

(लाख रुपये में)

चौथी योजना परिव्यय 1969–74	व्यय 1969–70	व्यय 1970–71	व्यय 1971–72	1972–73 परिव्यय	1972–73 अनुमानित व्यय	1973–74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
90.00	9.59	14.14	14.47	21.00	19.31	30.00

4—चौथी योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान कुल 38.20 लाख रुपये व्यय हुआ था । 1972–73 के दौरान 19.31 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। अब तक व्यय में कमी मुख्यतया रचनात्मक कार्यक्रमों में विलम्ब होने से हुई है ।

5—इस राज्य में जल संसाधन पर्याप्त हैं। अनुमान है कि कुल जल क्षेत्र लगभग 11.65 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 2.83 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र बड़े जलाशयों और झीलों के

अन्तर्गत और 1.62 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र ग्रामीण पोखरों और तालाबों के अन्तर्गत है, जैसा कि नीचे ब्योरा दिया गया है—

परिरुद्ध (स्थिर जल जीवी)

	क्षेत्र लाख हेक्टेयर में
1—बड़े सिंचाई संबंधी जलाशय	1.37
2—छोटे सिंचाई संबंधी जलाशय	0.13
3—बड़े प्राकृतिक सरोवर तथा झीलें	1.33
4—छोटी झीलें, पोखर तथा तालाब— .. .	
(क) 1 हेक्टेयर तक	0.62
(ख) 1.1 से 5 हेक्टेयर तक	0.45
(ग) 5.1 से 25 हेक्टेयर तक	0.35
(घ) 25 हेक्टेयर से अधिक 100 हेक्टेयर तक	0.20
कुल ..	4.45

6—मार्च, 1972 तक 1.39 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में, जिसमें 37 जलाशय, 27 मध्यम गहरायी के जल क्षेत्र और 389 विभागीय तालाब सम्मिलित हैं, मत्स्य सम्बर्द्धन कार्यकलाप प्रारम्भ किये गये हैं। 1972-73 के दौरान किसी अतिरिक्त जलाशय का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। 1972-73 के दौरान 5 अतिरिक्त व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के खन्डों (ब्लाकों) में मत्स्य पालन के कार्यकलापों का प्रसार कर दिये जाने के फलस्वरूप चौथी योजना में रखे गये कुल 23 खन्डों (ब्लाकों) के लक्ष्य को पूर्ण रूप से, प्राप्त कर लिया गया है। 6 गीली बंधियां—हुसैनपुर बन्ध (weir), बरौंदा बन्ध, मिर्जापुर खसखरी (झांसी), खप्तिहा, मनिकपुर तथा हेला (बांदा), योजना के लक्ष्य के अनुसार मत्स्य पालन विभाग को संक्रमित कर दी गई हैं। इसी प्रकार खेलर (झांसी), कबराई तथा कोरत सागर (हमीरपुर), बरोखर खुर्द (बांदा), गन्ने (इलाहाबाद) तथा सिरसी (मिर्जापुर) की शुष्क बंधियों के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। धंधरौल (मिर्जापुर) की बन्धी के निर्माण कार्य को इस वर्ष पूरा करने के लिये तेजी से कार्य किया जा रहा है। निरधारिया (बलिया), घरथनिया (लखीमपुर-खीरी), मीतली (मेरठ), किदारी (हमीरपुर) तथा सैदपुर (बदायूं) के पांच उत्प्रेरित अभिजनन (इन्डयूस्ड ब्रीडिंग) फार्मों के कार्य को पूरा कर लिया गया है जब कि शेष उत्प्रेरित अभिजनन, (इन्ड्यूस्ड ब्रीडिंग) फार्मों का कार्य चालू हैं।

7—जलाशय संभागों में पन्त सागर मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड पीपरी (मिर्जापुर) तथा तलबेहाट मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड, तलबेहट, झांसी नामक दो श्रमिक मछुवा सहकारी समितियां गठित की गयीं तथा उन्हें 1971-72 में जालों तथा नौकाओं के रूप में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी। चालू वित्तीय वर्ष (1972-

–73) के दौरान, चार अतिरिक्त श्रमिक मछुआ सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी जायगी। 1973–74 के दौरान पांच अतिरिक्त श्रमिक मछुआ सहकारी समितियों को इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।

8––बड़े तथा मध्यम आकार के जलाशयों में मत्स्य उत्पादन क्रमशः बढ़ता जा रहा है। 1969–70 के दौरान 12,478 कुन्तल मत्स्य उत्पादन हुआ, जिससे 31.32 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। 1970–71 के दौरान यह उत्पादन बढ़कर 14,705 कुन्तल हो गया, जिससे 32.59 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ 1971–72 के दौरान केवल 11,192 कुन्तल मत्स्य उत्पादन हुआ था, जिससे 26.63 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। मत्स्य उत्पादन में यह कमी मछली पकड़ने वाले ठेकेदारों द्वारा मछली पकड़ने के दिनों में कमी कर देने से आयी क्योंकि उन्होंने बंगला देश से कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल में मछली आ जाने के फलस्वरूप कीमतें आमतौर पर एकाएक गिरने के कारण, अपने जलाशयों में मछली पकड़ने के ठेके छोड़ दिये थे।

9––नये जलाशयों में अभी मत्स्य उत्पादन होने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि उत्पादन स्तर पर पहुंचने के लिये उन्हें सामान्यतया 7 से 10 वर्ष तक का समय लगता है। परन्तु कार्प मछलियों के वृहत् जलाशयों से जंगली और मत्स्य भक्षी मछलियों के हटाये जाने के फलस्वरूप जो खाद्य–स्थानों के लिये होड़ करती हैं, नये चालू किये गये जलाशयों का प्रयोगात्मक आधार पर मत्स्य उत्पादन 1969–70 के दौरान 25 मीट्रिक टन, 1970–71 के दौरान 42.91 मीट्रिक टन, 1971–72 के दौरान 88.97 मीट्रिक टन तथा 1972–73 (अगस्त, 1972 तक) के दौरान 61.79 मीट्रिक टन हुआ था, जब कि लक्ष्य क्रमशः 1969–70 में 2 मीट्रिक टन, 1970–71 में 5.5 मीट्रिक टन, 1971–72 में 14 मीट्रिक टन और 1972–73 में 36.5 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन करने का था।

10––जलाशयों में चुनी हुई मछलियों को रखने का कार्य बड़े आकार की कार्प मछलियों की अच्छी किस्म की 'अंगुलिकाएं' (फिंगरलिंग्स) रखने से प्रारम्भ किया जा रहा है। चालू योजना के पहले तीन वर्षों में, निजी क्षेत्र में 42 लाख अच्छी किस्म की अंगुलिकाओं की वार्षिक सप्लाई के अलावा कुल 430.61 लाख (1969–70 में 148.17 लाख, 1970–71 में 100.97 लाख, 1971–72 में 181.47 लाख) मछलियां रखी गयीं।

11––रिहन्द जलाशय में सघन उपयोग और विकास संबंधी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। 1972–73 के दौरान 600 मीट्रिक टन मछली उत्पादन होने की परिकल्पना की गई है। जलाशयों से मत्स्य उत्पादन का औसत, जो 1961–62 में 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था अब बढ़कर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। कीथम जलाशय में मत्स्य सम्बर्द्धन कार्यकलापों के सघनीकरण के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। अधिक तथा दीर्घकालिक मछली उत्पादन के लिये और अधिक निवेश की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

12––पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विकास का कार्यक्रम भोवाली मत्स्य अन्ड सेवन गृह (हेचरी) में, जिसका पिछले वर्ष नवीकरण हुआ है, उत्पादित मिरर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं को पर्वतीय जलाशयों में रखकर पूर्ववत चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुमायूं संभाग के उपयुक्त पर्वतीय जलाशयों के संभरण तथा पर्वतीय जिलों के निजी क्षेत्र को अंगुलिकाओं की सप्लाई करने के लिये मिरर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं की वृद्धि के हेतु भीमताल में एक मत्स्य फार्म के निर्माण का कार्य चल रहा है। इस संभाग में मिरर कार्प मछलियों के प्रजनन तथा सम्बर्द्धन और उत्तराखन्ड संभाग में उपलब्ध जलाशयों तथा नदियों में भूरी ट्राउट तथा महासीर मछलियों के प्रजनन तथा सम्बर्द्धन के कार्यक्रम को 1973–74 में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

13––रिहन्द (मिर्जापुर) और गूजरताल मत्स्य फार्म, जौनपुर में क्रमशः जलाशयों में ताजे पानी की मछलियों के वातावरण के अध्ययन तथा देशी और विदेशी मछलियों के

संयुक्त सम्बर्द्धन विषयक अध्ययन से संबंधित भारतीय कृषि शोध परिषद् की समन्वित शोध प्रायोजनाएं चालू रखी जायंगी ।

14--प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दो सहायक मत्स्य पालन निदेशक और एक ज्येष्ठ मत्स्य पालन निरीक्षक अर्थात् 3 प्रशिक्षार्थी बम्बई स्थित केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रति वर्ष नियुक्त किये जाते हैं । इसी तरह आगरा स्थित अन्तरस्थलीय कर्मी संभागी प्रशिक्षण केन्द्र में विशिष्ट पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिये प्रति वर्ष 15 अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है । आयोजना के प्रथम चार वर्षों में 6 सहायक मत्स्य पालन निदेशकों तथा दो ज्येष्ठ मत्स्य पालन निरीक्षकों को बम्बई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये प्रतिनियुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त 49 प्रशिक्षार्थियों को आगरा में विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रशिक्षण पाने के लिये प्रतिनियुक्त किया गया है । 1973-74 के दौरान भी प्रशिक्षण पाने के लिये प्रशिक्षार्थियों को प्रतिनियुक्त किया जायगा ।

15--1966-67 में इस राज्य में सिप्रिनस कारपिओ (Cyprinus Carpio) नामक मछली की एक विदेशी प्रजाति का पालन शुरू किया गया था । इन मछलियों के पालन-पोषण तथा प्रजनन में उल्लेखनीय सफलता पा लेने और 45 लाख मछलियों के बच्चे उत्पादन करने का स्तर प्राप्त कर लेने के पश्चात् अब यह कार्यक्रम रखा है कि बड़ी देशी मछलियों का उत्पादन तथा मिश्रित मत्स्य सम्बर्द्धन के हेतु इन मछलियों का प्रजनन, सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में किया जाय ।

16--इस राज्य में ग्रास कार्प (ओटिनो फॅरिंगोड उन इडेलियस) और सिलवर कार्प (हाइपोथल मिचिस मोलीट्रिक्स) नामक दो अन्य विदेशी प्रजातियों का भी पालन शुरू किया गया है । इन मछलियों का प्रजनन और अधिक संख्या में तथा मछलियों का 'केज कल्चर' (सम्बर्द्धन) सुनिश्चित करने के हेतु मछलियों की इन किस्मों के पालन-पोषण तथा प्रजनन के सम्बन्ध में प्रयोग किए जा रहे हैं ।

17--'कैट मछलियों' का सम्बर्द्धन प्रयोगात्मक अग्रगामी उद्यम के रूप में शीघ्र प्रारंभ करने का लक्ष्य है ।

18--1972-73 से बलिया जिले के चार खंडों (ब्लाकों) में उपसीमान्त किसानों तथा कृषि खेतिहर मजदूरों की आवश्यकता के अनुकूल एक विशेष मत्स्य सम्बर्द्धन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायगा । उसी प्रकार मिट्टी से भरे हुए जलाशयों के सुधार की एक स्कीम राज्य के सात जिलों में आरम्भ की गयी है, जिससे कि इन जलाशयों के पुनरुद्धार तथा सुधार के बाद मत्स्य सम्बर्द्धन का विकास किया जा सके । वर्ष 1971-72 के दौरान, ग्रामीण जनता के लिए अतिरिक्त आय तथा रोजगार उपलब्ध करने के उद्देश्य से, ग्रामीण सेवायोजन के त्वरित कार्यक्रम के अधीन, देहरादून, बाराबंकी, जालौन, बांदा, इलाहाबाद, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों में 2.14 लाख रुपये व्यय किया गया, जिसके फलस्वरूप 41, 865 श्रम दिनों के लिए सेवायोजन के अवसर सृजित हुए । इस कार्यक्रम को आठ जिलों में, जिनमें कानपुर एक अतिरिक्त जिले के रूप में सम्मिलित है, चालू रखा जायगा ।

19--मत्स्य पालन के संसाधनों तथा कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण जिले मिर्जापुर, झांसी, पीलीभीत, वाराणसी, नैनीताल, बांदा, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, गोंडा, बहराइच, बस्ती, इलाहाबाद तथा आगरा हैं । इससे यह ज्ञात होगा कि इनमें से अधिकांश जिले राज्य के पिछड़े हुए संभागों के हैं ।

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.4. मत्स्य पालन

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969—70
1	2	3	4	5	6
240101	जलाशयों का विकास तथा उपयोग	24.84	14.52	..	3.60
240102	रिहन्द जलाशय में मत्स्य विकास का सघनीकरण	9.66	0.30	..	1.35
240103	इन्ड्यूस्ड ब्रीडिंग और साइप्रनस कार्पियो मत्स्य का सम्वर्द्धन	18.03	15.66	..	1.13
240104	खण्ड क्षेत्रों में नलकूपों का प्राविधान	3.86	3.00	..	0.45
240105	अतिरिक्त मत्स्य बीज उत्पादन एवं नर्सरी फार्म का प्राविधान	14.12	11.30	..	..
240106	गन्दगी अध्ययन इकाई की स्थापना	0.85	..	..	0.05
240107	श्रमिक मछुआ सहकारी समितियों का संगठन	1.67	1.10	..	0.03
240108	मुख्यालय पर कर्मचारियों का शक्तिकरण	1.06	..	..	..
240109	मत्स्य शिक्षा एवं अन्वेषण	1.07	..	..	0.1[illegible]

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
4.42	4.56	4.97	5.14	2.60	..	..
1.50	2.19	1.98	2.42	2.09	..	..
1.48	1.35	4.39	3.11	9.32	9.32	..
2.49	2.80	0.75	0.28	0.99	..	..
..	..	0.10	0.10	2.02	2.02	..
0.09	0.09	0.18	0.08	0.08	..	..
0.06	0.29	0.30	0.29	0.31	0.20	..
..	0.07	0.08	0.41	0.27	..	.
0.24	0.13	0.26	0.22	0.26	..	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.4. मत्स्य पालन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
240110	अधनीत योजनायें	12.14	12.14	..	1.76
240111	यूनीसेफ की सहायता से व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम	2.10	..	..	0.9[illegible]
240112	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के समन्वय से गूजरताल पर भारतीय एवं विदेशीय मछलियों का सम्मिलित मत्स्य पालन कार्यक्रम	..	..	..	..
240113	गूजरताल पर सघन मत्स्य प्रक्षेत्र का प्रबन्ध	..	..	..	..
240114	विकास खण्डों में मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों का सुधार एवं प्रसार	..	..	..	..
240115	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के समन्वय से रिहन्द पर अनुसंधान परियोजना	..	..	..	..

(लाख रुपयें में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.49	0.12	2.83	1.09	3.86	3.86	..
1.02	1.25	1.68	1.82	1.98	..	..
0.29	0.07	0.10	0.11	0.09	..	..
..	..	..	0.67	1.02	0.65	..
0.59	0.64	0.66	0.41	..	..	..
0.21	0.12	0.09	0.09	0.09	..	..

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.4.—मत्स्य पालन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
240116	भीमताल तथा नौकुचिया ताल (नैनीताल) में पर्वतीय मत्स्य विकास	..	..	..	..
240117	चरखारी (हमीरपुर) स्थित तालाबों में मत्स्य विकास	..	..	..	..
240118	प्रचार इकाई योजना	..	..	..	..
240119	गियर इकाई का प्रसार	..	..	..	..
240120	मत्स्य प्रक्षेत्र विशेषज्ञ की व्यवस्था और एक अभियन्त्रण इकाई की स्थापना	..	..	..	0.16
240121	कीथम जलाशय (आगरा) में सघन मत्स्य विकास	..	..	..	..
240122	मुख्यालय पर भवनों का निर्माण	..	..	..	..
	कठौता ताल पर निर्मित भवनों की विद्युती करण	..	..	..	..
	नई योजानाएं—				
1	गूजर केवलारी (हमीरपुर) जलाशय पर मत्स्य प्रक्षेत्र का विस्तार एवं भवन निर्माण प्रबन्ध	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74	(परिव्यय)	
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.36	0.22	2.15	1.47	0.54	0.37	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.24	0.34	0.40	0.31	0.39	..	..
0.21	0.10	0.08	0.08	0.08	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	0.15	..	..	..
..	..	..	0.20	0.90	0.90	..

विवरण पत्र—3

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.4. मत्स्य पालन—(क्रमशः)

योजनावार

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	प्रदेश में कैटफिश का पालन।	..	..	..	..
	कीथम जलाशय में मत्स्योत्पादन हेतु अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था।	..	..	..	..

परिव्यय (लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 परिव्यय		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	0.14	0.38	0.29	..
..	..	..	0.01	2.16	..	1.44

मद—2. समवर्गी कार्यक्रम

वर्ग—2.4. मत्स्य पालन—(समाप्त)

योजनावार

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
11	अन्तरिम सहायता	..	..	..	..
	सेंटेज चार्जेज	..	..	..	..
	योग 2.4. मत्स्य पालन ..	*90.00*	*58.02*	..	*9.59*

परिव्यय (लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	0.13	..	0.46	0.57	..	..
..	..	..	0.26	..	..	..
14.14	*14.47*	*21.00*	*19.31*	*30.00*	*19.05*	..

5—वन

वन इस राज्य के, जिसमें कि खनिज सम्पदा का अभाव है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। योजना का आवश्यक ध्येय यह है कि वन निर्मित पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाय। कृषि तथा उद्योग दोनों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वन उत्पादन में वृद्धि की जाय और उसमें विविधता लायी जाय। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीति यह है कि शीघ्र उगनेवाली औद्योगिक तथा आर्थिक महत्व की कीमती प्रजातियों के वृक्षों का बड़े पैमाने पर आरोपण किया जाय। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि वर्तमान वन संसाधनों का प्रगाढ़ रूप से उपयोग किया जाय और उन्हें अभयुक्ति युक्त ढंग से काम में लाया जाय। इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कुल क्षेत्र को ध्यान में रखकर राज्य के लिए वृक्षारोपण का एक परिप्रेक्ष्य (Perspective) कार्यक्रम तैयार किया गया है। साथ ही वनीकरण कार्यक्रमों से भूमि-संरक्षण कार्यक्रमों का सामंजस्य भी स्थापित किया जा रहा है ताकि भूमि का क्षरण कम से कम हो।

2—वानिकी क्षेत्र में चौथी योजना का परिव्यय 1,300 लाख रुपये है। इसकी तुलना में वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में 651.45 लाख रुपये व्यय हुए और वर्ष 1972-73 के लिए अनुमानित व्यय 268.68 लाख रुपये है। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि इस क्षेत्र में चौथी योजना के चौथे वर्ष के अन्त तक 920.13 लाख रुपये की धनराशि या चौथी योजना के परिव्यय के 70.8 प्रतिशत का उपयोग कर लिया जायगा। वर्ष 1973-74 के लिए 300.00 लाख रुपये का परिव्यय आबंटित किया गया है।

3—वानिकी क्षेत्र के अधीन भौतिक उपलब्धियां सन्तोषजनक रहीं हैं और यह आशा की जाती है कि वर्ष 1972-73 के दौरान विभिन्न स्कीमों के अधीन जो लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं उनकी भी पूर्ण रूप से उपलब्धि होगी :

4—मुख्यतया वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित स्कीमें ये हैं—(1) आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की प्रजातियों के वृक्ष लगाना (2) ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाना एवं कृषि वानिकी (Fuelwood plantation—cum—farm forestry), और (3) शीघ्र उगने वाली प्रजातियों के वृक्षों का आरोपण। आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की प्रजातियों के वृक्षों के आरोपण की स्कीम के अधीन वर्ष 1969-72 की अवधि में कुल 26, 295 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया और 1972-73 के दौरान इस कार्य के 8,880 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में पूरा कर लिए जाने की आशा है। ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाने एवं कृषि वानकी की स्कीम के अधीन वर्ष 1969-72 की अवधि के दौरान 3,900 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया और 1972-73 में, 1,000 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में इस कार्य के पूरा होने की आशा है। शीघ्र उगने वाली प्रजातियों के वृक्षों के आरोपण की स्कीम के अधीन वर्ष 1969-72 की अवधि के दौरान 41,674 हेक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया और यह आशा की जाती है कि 1972-73 के दौरान 14,000 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में यह कार्य पूरा कर लिया जायगा। सड़कों के किनारे किनारे मार्गों के प्रबन्ध की स्कीम के अधीन, जिसका संबंध सड़कों के किनारे वृक्षारोपण से है, वर्ष 1969-72 की अवधि में 2,364 किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया और यह आशा की जाती है कि 1972-73 के दौरान अन्य 625 किलोमीटर क्षेत्र में इस स्कीम का प्रसार हो जायगा।

5—कुछ अन्य महत्वपूर्ण वानकी कार्यक्रमों में अवकृष्ट वनों (degraded forests) में पुनःवृक्षारोपण, इमारती लकड़ी के लट्ठे बनाना और वन सड़कों का निर्माण सम्मिलित है। अवकृष्ट वनों में पुनर्वृक्षारोपण की स्कीम के अधीन वर्ष 1969-72 की अवधि में 22,453

हेक्टेयर क्षेत्र में बांस और साल के वृक्ष लगाये गये । 1972–73 के दौरान यह कार्य 7,400 हेक्टेयर और क्षेत्र में पूरा कर लिये जाने की आशा है । उन्नत किस्म की इमारती लकड़ी के लट्ठे तैयार करने की स्कीम के अधीन वर्ष 1969–72 की अवधि में 9,109 घन मीटर लट्ठे तैयार किये गये । 1972–73 के दौरान और 4000 घन मीटर लट्ठे और तैयार कर लिये जाने की आशा है । संचार साधनों की स्कीम के अधीन चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में 467.5 किलोमीटर नयी सड़के तैयार की गयीं, 587.9 किलोमीटर मौजूदा सड़कों का नवीकरण किया गया, 41 पुलों का निर्माण पूरा किया गया और 505 किलोमीटर की दूरी में टेलीफोन की लाइनें अधिष्ठापित की गयीं । आशा की जाती है कि 1972–73 में 248 किलोमीटर नयी सड़कों का निर्माण किया जायगा, 309 किलोमीटर मौजूदा सड़कों का नवीकरण किया जायगा, 21 पुलों का निर्माण पूरा हो जायगा और 257 किलोमीटर की दूरी में टेलीफोन की लाइनें अधिष्ठापित की जायंगी ।

6—चौथी योजना तथा वर्ष 1973–74 के लिये परिकल्पित वानिकी विकास कार्यक्रम में न केवल ऐसे उपायों पर बल दिया गया है, जिनके द्वारा वन आधारित उद्योगों की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उपलब्ध वन संसाधनों का, जिनमें घटिया किस्म की इमारती लकड़ी तथा लकड़ी के अवशेष सम्मिलित हैं, और अधिक किफायत से तथा दक्षता पूर्वक उपयोग हो, बल्कि निम्नलिखित उपायों द्वारा उपज तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के तात्कालिक उद्देश्य पर भी जोर दिया गया है—(1) कम मूल्य की घटिया किस्म की फसलों के स्थान पर आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की अधिक मूल्यवान फसलें पैदा करना, (2) शीघ्र उगनेवाली प्रजातियों के वृक्षों का आरोपण करना, (3) लट्ठे तथा इमारती लकड़ी तैयार करने की अपेक्षाकृत और अधिक अच्छी तथा आधुनिक प्रविधियां अपनाना और वन संचार पद्धति का विकास ।

7—वर्ष 1973–74 के लिये जो महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गये हैं उनमें से कुछ ये हैं :—आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की प्रजातियों के वृक्षारोपण की स्कीम के अधीन 9,227 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण एवं कृषि वानिकी की स्कीम के अधीन 1,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण, शीघ्र उगनेवाली प्रजातियों के वृक्षारोपण की स्कीम के अधीन 14,158 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण और सड़कों के किनारे-किनारे मार्गों के प्रबन्ध की स्कीम के अधीन 625 किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों के किनारे-किनारे वृक्षारोपण । अवकृष्ट वनों के पुनरुद्धार की स्कीम के अधीन 7,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सम्वर्धनिक क्रियायें करने का लक्ष्य है । इमारती लकड़ी के उन्नत किस्म के लट्ठे तैयार करने की स्कीम के अधीन 5,000 घनमीटर लट्ठे तैयार किये जायंगे । संचार साधनों की स्कीम के अधीन 400 किलोमीटर नयी सड़कों के निर्माण, 700 किलोमीटर मौजूदा सड़कों के नवीकरण, 35 पुलों के निर्माण और 450 किलोमीटर की दूरी तक टेलीफोन की लाइनों के अधिष्ठापन की परिकल्पना की गयी है ।

8—प्रत्येक स्कीम की अद्यावधिक प्रगति तथा वर्ष 1973–74 के दौरान परिकल्पित कार्य-कलापों का विवरण नीचे दिया जाता है—

(1) <u>ईंधन की लकड़ी का वृक्षारोपण एवं कृषि वानिकी</u>—इस स्कीम से, जिसका उद्देश्य ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जलाने की लकड़ी की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करना है, गोबर खाद के रूप में प्रयोग करके कृषि उत्पादन की वृद्धि करने में काफी सहायता मिलती है । चौथी योजना की अवधि के दौरान 6,500 हेक्टेयर ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण का लक्ष्य है । इसकी तुलना में चौथी योजना के पहले चार वर्षों की अवधि के दौरान 4,900 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण कार्य पूरा हो जाने की आशा की जाती है । 1973–74 के लिये 1,000 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण का लक्ष्य है ।

(2) संचार साधन—इस स्कीम में, जो दूसरी योजना काल से चली आ रही है, नई सड़कों के निर्माण, मौजूदा सड़कों के नवीकरण पुलों के निर्माण तथा टेलीफोन लाइनों के अधिष्ठापन की परिकल्पना की गयी है, जिससे जो क्षेत्र दुर्गम बने हुये हैं, वे चौथी योजना के दौरान यातायात के लिये सुलभ हो जायें। इस स्कीम की चौथी योजना के लक्ष्यों में 1,410 किलोमीटर नयी सड़कों का निर्माण, 3,330 किलोमीटर मौजूदा सड़कों का नवीकरण, 200 पुलों का निर्माण और 2,022 किलोमीटर की दूरी तक टेलीफोन लाइनों का अधिष्ठापन सम्मिलित है। आशा की जाती है कि चौथी योजना के चौथे वर्ष के अन्त तक 715.5 किलोमीटर नयी सड़कों का निर्माण हो जायगा, 896.9 किलोमीटर मौजूदा सड़कों का नवीकरण हो जायगा, 62 पुलों का निर्माण पूरा कर लिया जायगा और 762 किलोमीटर की दूरी में टेलीफोन लाइनों का अधिष्ठापन हो जायगा। 1973-74 के दौरान 400 किलोमीटर नयी सड़कों के निर्माण, 700 किलोमीटर मौजूदा सड़कों के नवीकरण, 35 पुलों के निर्माण और 450 किलोमीटर की दूरी तक टेलीफोन लाइनों के अधिष्ठापन का लक्ष्य है।

(3) शीघ्र उगाने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण—यह स्कीम, जो आरम्भिक रूप में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीम के रूप में 1962-63 में आरम्भ की गयी थी, चौथी योजना में राज्य योजना के अन्तर्गत संक्रमित कर दी गयी है। इस स्कीम के अधीन लगाये गये वृक्षों का उपयोग कागज और रेयान ग्रेड पल्प तैयार करने में किया जाता है। इस स्कीम में चौथी योजना के दौरान 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षों का आरोपण करना है। आशा की जाती है कि 1972-73 के अन्त तक इस स्कीम के अधीन 55,674 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य हो जायगा। वर्ष 1973-74 के लिये 14,158 हेक्टेयर के अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य का लक्ष्य रखा गया है।

(4) आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की प्रजातियों के वृक्षों का आरोपण—इस स्कीम के अधीन किये जाने वाले वृक्षारोपण से विभिन्न उद्योगों जैसे दियासलाई की लकड़ी, प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, कत्था, पैकिंग पेटी और काष्ठ कर्म आदि के लिये कच्ची सामग्री की पूर्ति की जाती है। इस स्कीम के अधीन चौथी योजना के दौरान 44,400 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने की परिकल्पना की गयी है। आशा है कि वर्ष 1972-73 के अन्त तक 35,175 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूरा हो जायगा। वर्ष 1973-74 म 9,227 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य है।

(5) इमारती लकड़ी के उन्नत लट्ठे—चूंकि राजकीय वनों में पुराने तरीकों से इमारती लकड़ी के लट्ठे तैयार किये जाने के कार्य में होने वाले अपव्यय को राज्य सहन नहीं कर सकता था, इसलिये लट्ठे तैयार करने के आधुनिक उपकरणों की सहायता से लट्ठे तैयार करने का एक यूनिट तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान उत्तरकाशी जिले में चालू किया गया था। इस यूनिट के परिणाम उत्साह वर्द्धक रहे हैं और यह आशा की जाती है कि लट्ठे तैयार करने के आधुनिक उपकरणों की सहायता से पर्वतीय क्षेत्रों में लट्ठों का वर्तमान उत्पादन सरलतापूर्वक 30 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। चौथी योजना के दौरान 20,000 घन मीटर लकड़ी के लट्ठे तैयार करने का लक्ष्य है। चौथी योजना के चौथे वर्ष के अन्त तक 13,109 घनमीटर लट्ठों की उपलब्धि की आशा की जाती है। वर्ष 1973-74 के लिये 5,000 घनमीटर लट्ठे तैयार करने का लक्ष्य है।

(6) अवकृष्ट वनों में पुनर्वृक्षारोपण—चौथी योजना के दौरान, 27,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में वन वर्द्धन क्रियाएं किये जाने का प्रस्ताव है। इसकी तुलना में 1972-73 के अन्त तक प्रत्याशित उपलब्धि 29,853 हेक्टेयर है। वर्ष 1973-74 का लक्ष्य 7,400 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण है।

(7) प्रकृति संरक्षण--यह स्कीम, जिस पर दूसरी योजना से काम हो रहा है, मुख्यतः राज्य भर में वन्य जीवों के संरक्षण, पार्कों और पशु विहारों (सैंक्चुअरीज) के रख-रखाव तथा वन्य जीवों की गणना आदि से संबंधित हैं। ये कार्य चौथी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान चलते रहे हैं और 1973-74 के दौरान भी चलते रहेंगे।

(8) वन-शोध--शोध का कार्य तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान कार्य-योजना तथा शोध (Working plan and Research) की एक संयुक्त स्कीम के अधीन आरम्भ किया गया था, किन्तु वर्ष 1966-67 से वानिकी शोध की एक पृथक् स्कीम चालू की गयी और उसे चौथी योजना में शामिल किया गया है। इस स्कीम के अधीन देशी तथा विदेशी प्रजातियों का वृक्षारोपण आरम्भ करने के संबंध में शोध कार्य किया जा रहा है। पहाड़ी ,पीपल, यूकलिप्टस और उष्ण कटिबंधीय चीड़ के अध्ययन पर, उनकी शीघ्र बढ़ने की गति तथा औद्योगिक महत्व के कारण विशेष जोर दिया जा रहा है। शोध कार्य चल रहा है और 1973-74 में भी जारी रहेगा।

(9) वन संसाधन सर्वेक्षण (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)--यह स्कीम, जो तीसरी योजना अवधि के दौरान राज्य योजना में सम्मिलित की गयी थी, अब चौथी योजना में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीम में बदल दी गयी है। यह स्कीम इस बात को ज्ञात करने के लिये सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी थी कि वन उपज की विभिन्न मदों में से कौन-कौन सी उपज कहां-कहां पर कितनी मात्रा में पायी जाती है। इस स्कीम के अधीन 1972-73 के अन्त तक 2,56,712 हेक्टेयर क्षेत्र में सर्वेक्षण पूरा हो जाने की आशा है। 1973-74 के दौरान 60,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सर्वेक्षण आरम्भ करने का कार्यक्रम है।

(10) प्रकीर्ण--इस क्षेत्र के अन्तर्गत प्रकीर्ण कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित स्कीमें सम्मिलित हैं--(1) कर्मचारिवर्ग का प्रशिक्षण, (2) भवनों का निर्माण, (3) वन विषयक प्रचार, (4) सार्वजनिक विभाग से ली जाने वाली सड़कों के किनारे-किनारे मार्ग का प्रबन्ध, (5) वन अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी प्रभाग और (6) अग्नि सुरक्षा।

9--चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान उक्त प्रशिक्षण स्कीम के अधीन 5 अरण्यपालों/उप अरण्यपालों, भारतीय अरण्य सेवा/प्रान्तीय अरण्य सेवा के 5 अधिकारियों, 20 वन रेंजरों, 275 उप रेंजरों/वन पालों (फारेस्टर्स) और 600 वन रक्षियों (फारेस्ट गार्डों) को प्रशिक्षण देने का विचार है। यह आशा की जाती है कि 1972-73 के अन्त तक 6 अरण्यपालों/उप अरण्यपालों, भारतीय अरण्य सेवा/प्रान्तीय अरण्य सेवा के 2 अधिकारियों, 4 वन रेंजरों, 220 उप रेंजरों/वन पालों और 477 वन रक्षियों को प्रशिक्षण दिया जा चुकेगा। 1973-74 के दौरान, 2 अरण्यपालों/उप अरण्यपालों, भारतीय अरण्य सेवा/प्रान्तीय अरण्य सेवा के एक अधिकारी, 6 वन रेंजरों, 55 उप रेंजरों/वनपालों और 120 वन रक्षियों को प्रशिक्षण देने का विचार ह।

10--भवनों की स्कीम के अधीन, जिसमें चौथी योजना की अवधि के दौरान 240 भवनों के निर्माण का विचार है, 1972-73 तक 239 भवनों का निर्माण पूरा हो जाने की आशा है। 1973-74 के दौरान 150 और भवनों के निर्माण का लक्ष्य है।

11--वन प्रचार की स्कीम के अधीन, जो तीसरी योजना से चली आ रही है, समाचार-पत्रों, प्रकाशनों और पुस्तिकाओं के वितरण आदि के द्वारा प्रचार कार्य किया गया है। यह प्रचार कार्य जारी रखा जायगा।

12—सार्वजनिक निर्माण विभाग से ली जाने वाली सड़कों के किनारे-किनारे मार्गों प्रबन्ध की स्कीम के अधीन चौथी योजना अवधि के दौरान 4,000 किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण की परिकल्पना की गयी है, यह आशा की जाती है कि वर्ष 1972-73 के अन्त तक, 2,989 किलोमीटर मार्गों पर वृक्षारोपण कार्य पूरा हो जाने की आशा है। वर्ष 1973-74 में 625 किलोमीटर मार्गों पर वृक्षारोपण का लक्ष्य है।

13—वन क्षेत्रों में वृद्धि होने तथा विकास की स्कीमों के फलस्वरूप, जितनी सामान्य बजट में व्यवस्था की गयी थी उससे अधिक तीव्र गति से कार्य योजनाओं में पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी। तदनुसार कार्य योजनाओं का पुनरीक्षण करने और उन्हें तैयार करने की एक स्कीम तीसरी योजना में प्रारम्भ की गयी और चौथी योजना में भी इसका कार्य जारी है।

14—वन अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी प्रभाग की स्कीम, जो 1966-67 से चल रही है, मुख्यतः सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रह, उनके संकलन तथा उनके सांख्यिकीय विश्लेषण से प्राप्त परिणामों की व्याख्या से संबंधित है।

15—अग्नि सुरक्षा की स्कीम चौथी योजना अवधि के दौरान 8 अग्नि शमन यूनिटों की स्थापना करने के उद्देश्य से वर्ष 1970-71 में प्रारम्भ की गयी थी। इन यूनिटों की स्थापना का कार्य चालू रहा है। वर्ष 1973-74 के दौरान इन सभी 8 यूनिटों की स्थापना को पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

मद—2. समवर्गीय कार्य-क्रम

वर्ग—2.3.वन

परियोजनवार

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
230101	आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की जातियों का वृक्षारोपण	310.00	..	..	60.39
230102	निम्नवर्गीय वनों का पुनरुद्धार	25.00	..	..	3.04
230103	प्रकाष्ठ के उन्नत लट्ठे तैयार करना	45.00	..	..	5.89
230104	संचार साधन, सड़कें, पुल तथा टेलीफोन लाइनें (जीप की व्यवस्था सहित)	150.00	..	..	5.82
230105	कर्मचारियों का प्रशिक्षण	38.00	..	..	
230106	भवन ..	15.00	..	..	1.56
230107	वन प्रस्थापन ..	10.00	..	..	1.97
230108	प्रकृति का परीक्षण	35.00	..	..	5.81
230109	वन विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे के पेड़ों का प्रबन्ध करना	50.00	..	..	11.23

परिव्यय एवं व्यय (लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
53.15	56.49*	62.50	58.79	67.00	..	..
2.74	6.00	6.50	6.51	7.00	..	..
6.34	6.50	9.66	9.38	12.00	..	..
5.37	20.06	34.00	30.91	32.00	..	..
5.28	9.16	10.00	8.76	8.55	..	..
2.39	5.74	5.79	6.02	12.00	..	..
2.14	2.40	2.50	2.59	2.80	..	..
6.43	10.14	10.50	10.26	13.00	..	..
11.56	15.03	12.80	12.40	15.50	..	..

मद--2. समवर्गी कार्य-क्रम

वर्ग--2.3. वन (समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
230110	कार्य आयोजनाओं का बनाना और पुनरीक्षण	25.00	..	..	2.65
230111	वन संबंधी शोध कार्य	25.00	..	..	2.40
230112	वन अर्थ संख्या प्रभाग की स्थापना	3.00	..	..	0.28
230113	ईंधन तथा कृषि वानिकी	32.00	..	..	5.83
230114	शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण	537.00	..	54.00	93.48
230115	अग्नि से सुरक्षा नई परियोजनायें	..	..	..	..
230116	प्रोजेक्ट फारमुलेशन वृत तथा वन निगम नई परियोजनायें	..	..	..	..
230117	कर्मचारियों को अंतरिम सहायता तथा वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये एकमुश्त प्राविधान	..	..	..	
	योग 2.3. वन	*1300.00*	..	*54.00*	*206.48*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
1.85	3.14	4.10	4.09	6.41	..	..
2.90	5.89	7.40	6.50	8.00	..	..
0.37	0.60	0.80	0.83	1.24	..	..
6.01	6.49	6.25	6.15	7.50	..	..
85.41	98.74	95.00	90.23	100.00	..	..
1.79	4.86	2.20	1.96	3.00	..	..
..	..	..	..	4.00	..	..
..	..	..	18.30	..	..	..
193.73	*251.24*	*270.00*	*268.68*	*300.00*	..	..

6—सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

(1) सहकारिता

सहकारी समितियां देश के आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका अदा करती हैं और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे एक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य में। सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक संगठन के रूप में कार्य करते हुए एक विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है, अर्थात् समाज के कमजोर वर्गों को स्वावलम्बन के लिए संगठित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उनके उत्पादन की आवश्यकताएं उनके घर के पास ही उन्हें उपलब्ध हो जाएं।

2—चौथी योजना बनाते समय इस बात पर बल दिया गया था कि सहकारी क्षेत्र में अब तक किए गए कार्य को संहत किया जायगा तथा ऋण सम्बन्धी ढांचे को दोष-रहित बनाया जायगा, ताकि राज्य में चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी कृषि विकास कार्यक्रम को पर्याप्त समर्थन मिले। जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनमें अन्य बातों के साथ 75 प्रतिशत कृषक परिवारों को सदस्य बनाने, तथा विभिन्न सहकारी संस्थाओं और कार्यकलापों को संहत पुनः सशक्त और संगठित करने की व्यवस्था है। राज्य ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने लिए जो लक्ष्य नियत किए हैं उनके सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जांच आवश्यक है। निस्संदेह संस्थात्मक वित्त पहले ही से विकास प्रक्रियायें, विशेषकर जनता को सिंचाई की सुविधाओं उपलब्ध कराने में, एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा इन कार्यों के लिए ऋण की व्यवस्था करने के हेतु आन्दोलन तीव्र किया गया है किन्तु यह वास्तविकता है कि सहकारिता आन्दोलन साधारण आदमी, विशेषरूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपना उत्पादन बढ़ाने के साधनों में वृद्धि करने की व्यवस्था करने के कार्य में पर्याप्त रूप से सहायता करने में समग्र रूप से समर्थ नहीं हो सकता है।

3—सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत सहकारिता, उद्योग और वित्त विभागों की स्कीमें आती हैं। इस क्षेत्र के लिए चौथी योजना का परिव्यय, 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 का व्यय, वर्ष 1972-73 के लिए प्रत्याशित परिव्यय और 1973-74 के लिए परिव्यय नीचे दिए गए हैं:—

(लाख रुपये में)

विभाग	चौथी योजना परिव्यय	व्यय 1969-70	व्यय 1970-71	व्यय 1971-72	1972-73 परिव्यय	1972-73 अनुमानित व्यय	1973-74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
सहकारिता	1,000.00	31.91	143.47	288.82	277.00	508.98	565.50
उद्योग	50.00	10.00	30.00	50.00	40.00	125.00	50.00
वित्त	50.00	3.71	5.27	8.44	11.00	11.00	14.50
योग ..	1,100.00	45.62	178.74	347.26	328.00	644.98	630.00

भौतिक प्रगति

4—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों की भौतिक प्रगति का विवेचन नीचे किया गया है :—

कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कृषि उद्धार के सम्बन्ध में पर्याप्त और सामयिक तथा सुप्रसारित संस्थानिक सुविधाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इस प्रयोजन के लिए छोटी प्राथमिक समितियां साधारणतया अपर्याप्त पाई गई थीं और इसलिए प्राथमिक स्तर पर ढांचे के अभिनवीकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अर्थ सक्षम समितियों के बनाने के कार्यक्रम में कुछ प्रगति तो हुई है परन्तु इसकी प्रक्रिया कुछ धीमी रही है।

चौथी योजना के आरम्भ में 1,392 अर्थ–सक्षम सहकारी समितियां गठित की गयीं थीं। इस संख्या में 1969–70 के दौरान 522 और 1970–71 के दौरान 405 तथा 1971–72 के दौरान 816 की वृद्धि हुई। 1972–73 के लिए ऐसी 500 समितियां गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस तरह से 1972–73 के अन्त तक, चौथी योजना के 2,500 समितियों के गठित करने के लक्ष्य की तुलना में 2,243 अर्थ–सक्षम समितियां गठित हो जायंगी। प्राथमिक समितियों के सदस्योंकी संख्या में 1969–70 के दौरान 2.83 लाख, 1970–71 के दौरान 3.06 लाख और 1971–72 के दौरान 3.56 लाख की वृद्धि हुई। इसमें 1972–73 के दौरान 3.50 लाख की वृद्धि होने की आशा है। इसी प्रकार प्राथमिक समितियों की अंश पूंजी में 1969–70, 1970–71 तथा 1971–72 में क्रमशः 1.69 करोड़ रुपये, 1.51 करोड़ रुपये और 1.40 करोड़ रुपये की वृद्धियां हुई हैं तथा इसी अवधि में निक्षेप की धनराशि में 1969–70, 1970–71 और 1971–72 में क्रमशः 0.47 करोड़ रुपये, 1.03 करोड़ रुपये तथा 1.10 करोड़ रुपये की वृद्धियां हुयीं हैं। 1972–73 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनके अन्तर्गत अंश पूंजी और निक्षेप के रूप में क्रमशः 1.40 करोड़ रुपए और 0.50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सहकारी समितियों द्वारा 1969–70, 1970–71 और 1971–72 के दौरान क्रमशः कुल 64.61 करोड़ रुपए, 55.97 करोड़ रुपए तथा 51.84 करोड़ रुपए के अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण दिए गए। अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋणों के वितरण में कमी की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया गया और इस सम्बन्ध में सदस्य संख्या तथा ऋण में वृद्धि करने के हेतु वृहद् योजना (मास्टर प्लान) चलाई जा रही है। सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत उपर्युक्त वर्षों में क्रमशः 17.54 करोड़ रुपये, 18.09 करोड़ रुपए तथा 18.69 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण दिए गए। वर्ष 1972–73 के दौरान 20 करोड़ रुपए की सीमा तक के दीर्घकालिक ऋण देने का अनुमान है।

5—राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने 1969–70 के दौरान अपनी 20 शाखायें, 1970–71 के दौरान 12, और 1971–72 के दौरान 10 शाखायें खोलीं जबकि जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक ने राज्य की विविभन्न तहसीलों के मुख्यालयों पर अपनी 1969–70 के दौरान 25, 1970–71 के दौरान 36, और 1971–72 के दौरान 275 शाखायें खोलीं। 1972–73 के लिये जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 20 नई शाखायें खोले जाने की आशा है। कमजोर जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिये पिछले वर्ष एक समीक्षा समिति गठित की गई थी। इस समिति ने कमजोर बैंकों/केन्द्रीय सहकारी की कार्यप्रणाली की विस्तृत रूप से जांच की और उन्हें पुनः स्थापित करने के लिये विशिष्ट निर्देशक सिद्धांतों का सुझ व दिया है। इनमें से कुछ बैंकों में सुधार हुआ है और अब उनके लिये उधार सीमायें स्वीकृत कर दी गई हैं। राज्य में सहकारिता समितियों द्वारा ऋण देने के कार्य के प्रसार से अधिकतम लाभ छोटे किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों को पहुंचाना चाहिये था, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है। अतएव इस प्रवृत्ति को तुरन्त रोकना तथा एकमात्र छोटे किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिये

उपलब्ध कराने के वास्ते कतिपय धनराशियां पृथक् रखना आवश्यक है। छोटे गैर-सदस्य कृषकों को ऋण समितियों के हिस्से खरीदने तथा उसे मध्यकालिक ऋण प्राप्त करने के लिये उनको समर्थ बनाने के वास्ते 1972–73 के दौरान आयोजनेतर निधियों में से उन्हें ऋणों के लिये 6.00 करोड़ रुपये का एक विशेष प्राविधान किया गया है।

6—कृषि उत्पादन के कार्यक्रम के साथ–साथ वर्तमान सहकारी विपणन समितियों को सुदृढ़ करने के लिये भी कार्यवाही की गई है। राज्य में सहकारी विपणन ढांचा दो स्तरों पर गठित किया गया है। इस समय 208 प्राथमिक समितियां और एक शीर्ष समिति है। वर्तमान विपणन समितियों को सुदृढ़ करने के लिये उनमें से दो समितियों को चयनात्मक आधार पर अतिरिक्त सरकारी अंशदान दिया गया था। शीर्ष संगठन (एपेक्स फेडरेशन) ने 1969–70 के दौरान 21.43 करोड़ रुपये, 1970–71 के दौरान 30.81 करोड़ रुपये और 1971–72 के दौरान 28.22 करोड़ रुपये के मूल्य की कृषीय उपज का लेन-देन किया। 1972–73 के दौरान उनके द्वारा 50 करोड़ रुपये के मूल्य की कृषि उपज का लेन-देन किये जाने की आशा है।

7—राज्य में सहकारी विधायन यूनिटों को संगठित तथा विकसित करने के लिये प्रयास किये गये हैं। वर्ष 1971–72 तक 118 विधायन यूनिटें स्वीकृत की गई थीं जिनमें से 65 यूनिटों ने कार्य शुरू कर दिया था। इसके अतिरिक्त 1971–72 के दौरान 10 नये शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) और 2 कृषि सेवा केन्द्र (एग्रो सर्विस सेन्टर्स) भी स्वीकृत किये गये थे। इस समय 15 शीतागारों, 10 कृषि सेवा केन्द्रों, 5 छोटी विधायन यूनिटों तथा 2 आधुनिक चावल मिलों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

8—1968–69 में 1,403 संयुक्त और सामूहिक कृषि समितियां थीं। चौथी योजना के दौरान 5 वर्तमान कृषि समितियों को फिर से सुदृढ़ करने के प्रयास किये गये हैं। इस कार्य की प्रगति स्पष्टतः निराशाजनक रही है।

9—सदस्यों की शिक्षा के कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1969–70, 1970–71 और 1971–72 के दौरान क्रमशः 54,500, 55,000 तथा 42,000 गैर सरकारी सदस्यों को सचल इकाइयों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा दो सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों में 1969–70 के दौरान 197, 1970–71 के दौरान 175 तथा 1971–72 में 169 अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। यह आशा की गयी है कि वर्ष 1972–73 के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा 100 अधीनस्थ कर्मचारियों को तथा सचल इकाइयों द्वारा 57,000 गैर–सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायगा।

1973–74 के लिए कार्यक्रम

10—सहकारी ऋण—वर्ष 1973–74 चौथी योजना का अंतिम वर्ष होगा। इस वर्ष के दौरान 500 नई जीवनक्षम/संभाव्य जीवनक्षम सहकारी समितियों को गठित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1973–74 के दौरान प्राथमिक कृषि-ऋण समितियों के 3.50 लाख नये सदस्य बनाने का भी प्रस्ताव है। जिससे राज्य में 75 प्रतिशत कृषि परिवार सहकारिता के कार्यक्षेत्र में आ जायेंगे। इनके अलावा प्राथमिक ऋण समिति के स्तर पर अंशपूंजी और जमा धनराशियों में क्रमशः 1.18 करोड़ रुपये तथा 0.50 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी, जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक की 20 शाखाएं और भूमि विकास बैंक की 10 शाखाएं गठित की जायंगी। 65 करोड़ रुपये की धनराशि के अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण वितरित किये जायेंगे तथा कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा पुनर्वित्त पोषित की जाने वाली स्कीमों के लिये की गयी 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अतिरिक्त 20 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण भी दिये जायेंगे। राज्य सरकार 5.45 करोड़ रुपये के ऋण-पत्र (डिबेंचर्स) खरीदेगी।

11—1973-74 के दौरान दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 विधायन यूनिटों की स्थापना, 5 नये शीतागारों, 225 ग्रामीण गोदामों तथा 25 विपणन समिति के गोदामों का निर्माण करना और सहकारी टेक्सटाइल मिल और विजिटेबिल आयल (वनस्पति तेल) इंडस्ट्रीज काम्पलेक्स के अतिरिक्त अंशक खरीदने के लिये धन की व्यवस्था सम्मिलित है। कुछ सहकारी विपणन तथा विधायन के कार्यक्रमों का प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पुरोनिधानित विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत भी किया जा रहा है। ऐसी स्कीमों के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था निगम द्वारा आयोजनेतर धनराशि से की जायगी। ऐसी स्कीमों के अन्तर्गत जिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों की परिकल्पना की गई है उनमें 30 विधायन यूनिटों, 18 शीतागारों के लिये उपान्त धन (margin money) की व्यवस्था तथा 10 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना सम्मिलित है।

12—राज्य कृषि उधार (सहायता तथा प्रत्याभूति) निधि 1957-58 के दौरान इस उद्देश्य से सृजित की गई थी कि फसलों के पैदा न होने तथा दुर्भिक्ष, बाढ़ और सूखा आदि ऐसे कारणों से जिन पर ऋण-गृहीता का कोई नियन्त्रण न हो, जिन ऋणों का वसूल हो सकना संभव न हो, उन्हें बट्टे खाते में डालने के लिये उसका उपयोग किया जा सके। इस निधि के अधीन 15.45 लाख रुपये के वर्तमान शेष में चौथी योजना अवधि के दौरान 10 लाख रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

13—विशेष अशोध्य ऋण रक्षित कार्यक्रम तीसरी योजना के दौरान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य प्राथमिक समितियों और जिला केन्द्रीय बैंकों को इस योग्य बनाना था कि वे सीमान्त भूमि वाले किसानों और उप सीमान्त भूमि वाले किसानों को पूर्वगामी वर्ष में अधिक से अधिक दिये गये ऋण के क्रमशः 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के हिसाब से ऋण प्रदान कर सकें। चौथी योजना के दौरान यह प्रस्ताव किया गया कि यह अनुदान ग्रामीण प्राथमिक समितियों तथा जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पूर्वगामी वर्ष में उनके द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को दिये गये अधिक ऋण पर क्रमशः 12 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की दर से प्रदान किया जाय। इस निमित्त ग्रामीण प्राथमिक समितियों के लिये 75 लाख रुपये तथा जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिये 25 लाख रुपये की तदर्थ व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1973-74 के दौरान ग्रामीण प्राथमिक समितियों तथा बैंकों के लिये क्रमशः 7.50 लाख रुपये तथा 2.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी वर्ग

14—इस योजना का उद्देश्य सहकारी विकास के विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात् अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के कार्यक्रम, संस्थागत वित्त, विधायन तथा श्रमिक सहकारी समितियों के प्रशासन, पर्यवेक्षण तथा कार्यान्वयन के लिये सभी स्तरों पर अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की व्यवस्था करना है। इस स्कीम पर चौथी योजना में होने वाला कुल प्रस्तावित व्यय 30.00 लाख रुपये था। 1972-73 के अन्त तक इस स्कीम पर प्रत्याशित व्यय 11.77 लाख रुपये होने का अनुमान किया गया है। वर्ष 1973-74 के दौरान 13.32 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है। ऋण के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये अपनायी गयी वृहद् योजना तथा कमजोर वर्गों से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण निर्माण-कार्यों के कारण अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता काफी बढ़ गयी है।

सहकारी समितियों के शेयरों में साझेदारी

15—रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा पुरोनिधानित इस स्कीम के अन्तर्गत सरकार सहकारिता के ढांचे को सुदृढ़ करने तथा ऋण संबंधी कार्यकलापों के प्रसार के लिये उधार देने वाली सहकारी

समितियों की अंश पूंजी में अभिदान देती है । 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान इस स्कीम पर कुल 280.02 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई थी । 1972-73 के दौरान 335.83 लाख रुपये की धनराशि के व्यय होने की उम्मीद है और 1973-74 की वार्षिक योजना में 300 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

श्रमिक सहकारी समितियां तथा रिक्शा चालक सहकारी समितियां

16—रिक्शा चालकों को महाजनों के शोषण से बचाने के लिये श्रमिक सहकारी समितियों तथा रिक्शा चालक सहकारी समितियों की एक स्कीम वर्ष 1972-73 से चालू की गई है। इस प्रकार की समितियां पर्वतीय जिलों को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में गठित की जायंगी । 1973-74 में ऐसी 25 समितियां गठित करने का प्रस्ताव है ।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमें

17—इस क्षेत्र के अन्तर्गत सहकारिता विभाग की केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दो स्कीमें हैं उनमें से एक कृषि उधार स्थिरीकरण निधि स्कीम और दूसरी उर्वरक व्यवसाय करने के लिये पी० सी० एफ० को दी जाने वाली सीमान्त धनराशि (मार्जिन मनी) स्कीम हैं । इन दोनों स्कीमों के लिये चौथी योजना अवधि का कुल परिव्यय 356 लाख रुपये था । इसमें से 255.52 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग 1972-73 के अन्त तक कर लिये जाने की आशा है । 1973-74 के लिये 113.47 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित हैं । इसमें कृषि उधार स्थिरीकरण निधि स्कीम के लिये 53.47 लाख रुपये तथा उर्वरक व्यवसाय करने के लिये प्रादेशिक सहकारी संघ (पी० सी० एफ०) को दी जाने वाली सीमान्त धनराशि (मार्जिन मनी) स्कीम के लिये 60 लाख रुपये सम्मिलित हैं । स्थिरीकरण निधि के लिये अधिक धनराशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता पिछले दो वर्षों के अनुभव के कारण पड़ी है जबकि प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप कृषि को भारी क्षति हुई है ।

सहकारी शक्कर कारखाने

18—उद्योग विभाग की सहकारी शक्कर कारखाने स्थापित करने की स्कीम के अन्तर्गत चौथी योजना में हरदुआगंज (अलीगढ़) कायमगंज (फर्रुखाबाद) और रसड़ा (बलिया) में तीन नये सहकारी शक्कर कारखाने स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी । इन तीनों कारखानों के लिये मंतव्यपत्र (लेटर्स आफ इन्टेंट) और कायमगंज तथा रसड़ा के कारखानों के लिये लाइसेन्स भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं । पूर्वोक्त शक्कर कारखानों में राज्य सरकार ने समान अंशदान के आधार पर, अब तक कुल 90 लाख रुपये की धनराशि अंशपूंजी के रूप में लगायी है । आशा है कि 1972-73 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा इन कारखानों में की गयी कुल विनियोजित धनराशि 163 लाख रुपये हो जायगी जबकि चौथी योजना का परिव्यय 50 लाख रुपये ही है । 1973-74 के लिये इस स्कीम का परिव्यय 50 लाख रुपये है । 1973-74 के प्रस्तावित सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग हरदुआगंज (अलीगढ़) में स्थित सहकारी शक्कर कारखाने के लिये किया जायगा ।

सहकारी लेखा परीक्षा संगठन

19—विभिन्न स्तरों पर सहकारी लेखा परीक्षा संगठन को सुदृढ़ करने की वित्त विभाग की स्कीम मुख्य रूप से अधिष्ठान कार्य से संबंधित है और इसके अन्तर्गत किसी क्षेत्रीय कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं की गई है । इस स्कीम पर चौथी योजना का परिव्यय 50 लाख रुपये हैं । इस धनराशि में से 28.42 लाख रुपये के 1972-73 के अन्त तक व्यय होने की आशा है । 1973-74 के लिये 14.50 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

(2) सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की स्कीमों के जरिये सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सूत्रपात करने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 1952 को चालू किया गया था । अक्तूबर, 1963 तक राज्य में 875 खण्ड (ब्लाक) कायम किये गये और इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में विकास खण्डों (डेवलपमेन्ट ब्लाक्स) के कायम करने की प्रक्रिया पूरी हुई । चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये 1,000.00 लाख रुपये का परिव्यय मूल रूप से स्वीकृत किया गया था । अब पुनरीक्षित परिव्यय 1,004.53 लाख रुपये है जिसका वर्षवार विभाजन निम्नलिखित है--

(लाख रुपयों में)

वर्ष					योजना परिव्यय
1969-70	..	..	..	..	280.00
1970-71	..	..	..	..	220.00
1971-72	..	..	..	..	232.03
1972-73	..	..	..	..	175.00
1973-74	..	..	..	..	97.50
			योग	..	1,004.53

इसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये की गयी व्यवस्था भी सम्मिलित है । इस क्षेत्र के अधीन प्रक्रम 2 के खण्डों (ब्लाकों) का प्रक्रमोत्तर 2 के खण्डों में परिवर्तन किये जाने के कारण योजना व्यय में धीरे-धीरे कमी हो जायगी ।

2--वास्तव में 1969-70 में प्रक्रम 1 का कोई खण्ड नहीं था । उक्त वर्ष के लिये प्रक्रम 2 के खण्डों के हेतु 280.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था, जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये की गयी व्यवस्था भी सम्मिलित है । किन्तु इसमें से 209.26 लाख रुपये की धनराशि का ही उपयोग किया जा सका ।

3--वर्ष 1970-71 के लिये 220.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था, किन्तु वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय केवल 177.63 लाख रुपये हुआ । इस कमी का मुख्य कारण यह था कि भवनों के निर्माण के लिये की गई व्यवस्था का उपयोग भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्री की लागत में अत्यधिक वृद्धि होने तथा श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हो जाने के कारण नहीं किया जा सका तथा अनुमानों का पुनरीक्षण करके उनमें वृद्धि करने की आवश्यकता हुई ।

4—वर्ष 1971-72 के लिये 232.03 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये व्यवस्थित 12.03 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है। 231.547 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया।

5—वर्ष 1972-73 के लिये 175.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये की गई व्यवस्था सम्मिलित है। वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिये जाने की प्रत्याशा है।

6—वर्ष 1973-74 के लिये 97.50 लाख रुपये का परिव्यय है जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये की गयी व्यवस्था सम्मिलित है। इसमें 5.31 लाख रुपये की धनराशि पूंजी व्यय के लिये भी सम्मिलित है। कार्यक्रम के अनुसार परिव्यय का विभाजन नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम-संख्या	कार्यक्रम	परिव्यय
1	खण्ड मुख्यालय (ब्लाक हेडक्वार्टर)	39.12
2	कृषि प्रसार	1.33
3	सिचाई/खेती योग्य बनाना	1.86
4	स्वास्थ्य तथा ग्रामीण स्वच्छता	0.72
5	शिक्षा	1.38
6	सामाजिक शिक्षा	0.36
7	संचार	1.20
8	ग्रामीण कला, दस्तकारी तथा उद्योग	0.13
9	भवनों का निर्माण	51.39
10	लघु सिंचाई के प्रयोजनों के लिये ऋण तथा अग्रिम	0.01
	कुल ..	97.50

7—चूंकि खण्डों (ब्लाकों) में कार्यान्वित की जाने वाली विकास की स्कीमें विभिन्न विभागों के कार्यक्रम में आती हैं, जिनमें कृषि, पशुपालन, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभाग सम्मिलित हैं, इसलिये इन मदों के अधीन भौतिक लक्ष्यों को क्षेत्रीय योजनाओं में अलग से दिखाया गया है ।

प्रशिक्षण आरक्षण

8 —चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये खण्ड विकास अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण आरक्षण (रिजर्व) के निमित्त 15.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । इसमें से वर्ष 1969–70 के लिये 3.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी । किन्तु उक्त वर्ष के दौरान केवल 1.49 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया । वर्ष 1970–71 में की गयी 3.00 लाख रुपये की योजनागत व्यवस्था में से 0.90 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया । 1971–72 के दौरान 3.00 लाख रुपये के स्वीकृत योजनागत परिव्यय में से 1.48 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया । 1972–73 के लिये 3.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । आशा है कि इस वर्ष के दौरान 2.00 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा । वर्ष 1973-74 के लिये 2.50 लाख रुपये का परिव्यय है ।

(3) पंचायतीराज

त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को अधिक सशक्त बनाने के विचार से चौथी पंचवर्षीय योजना में 100.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने में अपनी भूमिका प्रभावकारी ढंग से निभा सकें ।

2—चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के लिये 20.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से केवल 17.54 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया जा सका । 1970–71 के बजट (आय–व्ययक) में 33.39 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी, जिसमें से केवल 30.33 लाख रुपये का व्यय हुआ । वर्ष 1971–72 के लिये 37.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी थी । इस धनराशि में पंचायत सेक्रेटरियों के, जिनका पदनाम अब पंचायत सेवक हो गया है, वेतन-क्रमों में उन्नयन के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिये 27.50 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है । वर्ष के दौरान 38.86 लाख रुपये का व्यय हुआ ।

3—वर्ष 1972–73 के लिये 40.00 लाख रुपये के परिव्यय की धनराशि स्वीकृत की गयी थी । वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिये जाने की प्रत्याशा की जाती है ।

4—वर्ष 1973-74 के लिये 50.00 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है जिसमें पांच पर्वतीय जिलों की व्यवस्था सम्मिलित है । इसमें पूंजीगत शीर्षक के अधीन 6.00 लाख रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है ।

गांव सभाओं को ऋण

5—गांव सभाओं को विकास और उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये ऋण इस क्षेत्र की प्रमुख स्कीमों में से एक है । चौथी योजना अवधि में 570 गांव सभाओं को ऋणों के रूप में 26.92 लाख रुपये की धनराशि वितरित करने का लक्ष्य है और इन ऋणों का समुचित लेखा रखने वाले कर्मचारियों पर होने वाले राजस्व व्यय का अनुमान 1.64 लाख रुपया लगाया गया था । इस प्रकार इस स्कीम के लिये चौथी योजना अवधि का परिव्यय 28.56 लाख रुपये रखा गया था । वर्ष 1969-70 में 220 गांव सभाओं को ऋणों के रूप में 14.30 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गयी थी । वर्ष 1970-71 के दौरान 9.21 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई, जिससे 182 गांव सभाओं को लाभ पहुंचा । वर्ष 1971-72 के लिये 6.88 लाख रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गयी थी जिसमें से 134 गांव सभाओं को ऋण वितरित करने में 6.85 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई थी । 1972-73 के लिये 3.44 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था, जिसमें कर्मचारियों पर होने वाले व्यय की 0.13 लाख रुपये की धनराशि सम्मिलित है । आशा है कि वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा, जिससे 66 गांव सभाओं को लाभ पहुंचेगा । वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना के लिये 168 गांव सभाओं को ऋण वितरित करने के हेतु 3.58 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है । इसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये 0.15 लाख रुपये का परिव्यय तथा कर्मचारीवर्ग आदि पर होने वाला 0.14 लाख रुपये का व्यय सम्मिलित है ।

पंचायत सेक्रेटरियों (पंचायत सेवकों) का प्रशिक्षण

6—इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 के दौरान 192 पंचायत सेक्रेटरियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिस पर 0.66 लाख रुपये व्यय हुए । वर्ष 1970-71 के दौरान 220 पंचायत सेक्रेटरी प्रशिक्षित किये गये । इस कार्य पर 0.74 लाख रुपये व्यय हुए । वर्ष 1971-72 के लिये 200 पंचायत सेक्रेटरियों को प्रशिक्षण देने के वास्ते भी 0.77 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था परन्तु इस वर्ष 210 पंचायत सेक्रेटरी प्रशिक्षित किए गए जिस पर केवल 0.61 लाख रुपये का व्यय हुआ । 200 पंचायत सेक्रेटरियों को प्रशिक्षण देने के वास्ते वर्ष 1972-73 के लिए भी 0.77 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । यह आशा है कि वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा तथा उससे इस वर्ष का लक्ष्य पूरा हो जायगा । वर्ष 1973-74 के लिए भी 200 पंचायत सेक्रेटरियों को प्रशिक्षण देने के हेतु 0.77 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

जिला स्तर पर पंचायत प्रशासन को सुदृढ़ करना

7--यह स्कीम चौथी पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष अर्थात् 1970-71 से कार्यान्वित की गई थी, जिसके लिए 250-750 रु० के वेतन-क्रम में सात अधिकारियों के पद सृजित करने के हेतु 1.58 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था परन्तु अधिकारियों की नियुक्तियां विलम्ब से होने के फलस्वरूप इस वर्ष के दौरान केवल 0.15 लाख रुपये का व्यय किया गया था। वर्ष 1971-72 में यह व्यय बढ़कर 0.64 लाख रुपए हो गया। वर्ष 1972-73 के लिए 0.69 लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। आशा है कि वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा। वर्ष 1973-74 के लिए 0.73 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना

8--गांव पंचायतों के वित्तीय संसाधन अल्प होने के अलावा इन निकायों के सफल कार्य सम्पादन में दूसरी बाधा ग्राम्य स्तर पर इन निकायों के कर्मचारियों की कोटि (क्वालिटी) समझी गई है। ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण संस्थाओं की प्रोन्नति की दृष्टि से पंचायत सेक्रेटरी एक महत्वपूर्ण कर्मचारी है। इसलिए पंचायत सेक्रेटरियों के वेतन-क्रमों को बढ़ा देना आवश्यक समझा गया। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान क्रमशः 2.58 लाख रुपए तथा 20.23 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई थी। 1971-72 का संभावित व्यय 28.55 लाख रुपए है। 1972-73 के लिए 28.88 लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। आशा है कि वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा। 1973-74 के लिए 31.82 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन

9--इस स्कीम के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को उनकी कर उगाही और विकास कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जायगा। पंचायत राज निकायों को, अपने संसाधनों को बढ़ाने और विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में, आपस में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जायगा। इस स्कीम को 1972-73 की वार्षिक योजना में सम्मिलित किया गया है तथा इसके लिए 5.00 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। आशा है कि वर्ष के अन्त तक इस सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा। वर्ष 1973-74 के लिए 5.00 लाख रुपए के परिव्यय का आवंटन किया गया है।

पंचायती राज वित्तीय निगम की स्थापना

10--वर्ष 1972-73 के दौरान इस स्कीम के लिए 0.01 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया था। आशा है कि इस सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा। वर्ष 1973-74 के लिए 2.56 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

पंचायत सेक्रेटरियों (पंचायत सेवकों) के लिए नवीकरण पाठ्यक्रम

11--पंचायत सेवकों की कार्य दक्षता को बढ़ाने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया है कि उन्हें दो महीने का नवीकरण प्रशिक्षण दिया जाय। इस स्कीम का कार्यान्वयन वर्ष 1972-73 से प्रारम्भ किया गया था जिसके लिए 1.22 लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया

गया था। यह आशा है कि वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा। वर्ष 1973–74 के लिए 1.22 लाख रुपये का परिव्यय है। इस वर्ष 800 पंचायत सेवकों को प्रशिक्षित किया जायगा।

पंचायतराज संस्थाओं के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

12—क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के सार्वजनिक प्रशासन संस्थान को सहायक अनुदान देने की एक नई स्कीम को सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव है। 1973–74 की वार्षिक योजना में इस स्कीम के लिए 3.60 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त दो और नई स्कीम अर्थात् (1) पंचायत उद्योग के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण तथा (2) पंचायत राज निदेशालय में एक नियोजन सेल (Cell) की स्थापना भी प्रारम्भ की जायगी। वर्ष 1973–74 के लिए इन स्कीमों के हेतु क्रमशः 0.30 लाख रुपये तथा 0.42 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

परियोजनावार परिव्यय एवं व्यय

मद—3. सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग—3.1. सहकारिता

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	सहकारिता विभाग—				
310101	सहकारी ऋण तथा बैंकिंग	295.82	12.25	..	15.13
310102	सहकारी क्रय-विक्रय, विधेयक तथा संग्रहण	334.99	150.17	..	8.45
310103	सहकारी कृषि	19.63	17.53	..	0.77
310104	सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रचार	59.11	..	..	4.23
310105	सहकारी छापाखाना	1.12	1.00	..	..
310106	सहकारी उपभोक्ता भंडारों की विशेष योजना	47.33	39.00	..	3.32
310107	औषधि विकास योजना	12.00	5.00	..	..
310108	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी वर्ग	30.00	..	..	0.01
310109	सहकारी समितियों में शेयर हिस्से लेना	200.00	200.00	..	..
	रिक्शा चालक तथा श्रमिक सहकारी समितियां	..	..	..	..
	योग ..	1,000.00	424.95	..	31.91

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
9.73	18.24	37.29	40.83	73.48	..	..
23.51	70.30	99.11	98.89	140.05	54.09	..
0.41	1.17	4.72	4.50	3.28	3.02	..
4.34	4.59	7.31	6.01	6.45	..	..
..	..	..	..	..	..	..
2.83	11.38	14.76	10.25	17.11	17.00	..
..	..	..	..	..	..	..
0.57	5.20	10.80	5.98	13.32	..	..
102.08	177.94	100.00	335.83	300.00	300.00	..
..	..	3.01	6.69	11.81	6.90	..
143.47	288.82	277.00	508.98	565.50	381.01	..

मद—3. सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग—3.1. सहकारिता (समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	उद्योग विभाग—				
310201	सहकारी चीनी मिलों की स्थापना	50.00	50.00	..	10.00
	वित्त विभाग—				
310301	विभिन्न स्तरों पर सहकारी लेखा परीक्षा संगठन के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	50.00	..	..	3.71
	योग, 3.1. सहकारिता ..	*1,100.00*	*474.96*	..	*45.62*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
50.00	50.00	40.00	125.00	50.00	50.00	..
5.27	8.44	11.00	11.00	14.50	..	..
178.74	*347.26*	*328.00*	*644.98*	*630.00*	*431.01*	..

मद-3—सहकारिता एवं सामुदायिक विकास

वर्ग—3.2. सामुदायिक विकास

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	(1) सामुदायिक विकास—				
320101	सामुदायिक विकास योजना	1,000.00	81.95	..	209.26
	(2) अन्य प्रशिक्षण योजना—				
320201	प्रशिक्षण आरक्षण	15.00	..	..	1.49
	योग—3.2 सामुदायिक विकास	*1,015.00*	*81.95*	..	*210.75*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
177.63	231.55	175.00	175.00	97.50	51.40	..
0.90	1.48	3.00	2.00	2.50	..	..
178.53	*233.03*	*178.00*	*177.00*	*100.00*	*51.40*	..

मद—3—सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग—3.3. पंचायत

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
330101	गांव सभाओं को उत्पादक परिसंपत्ति के विकास एवं सृजन के लिए ऋण	28.56	26.92	..	14.30
330102	पंचायत मंत्रियों का प्रशिक्षण	5.36	..	..	0.66
330103	जिला स्तर पर पंचायती–राज प्रशासन को सुदृढ़ बनाना	8.48	..	..	..
330104	पंचायत संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना	57.59	..	..	2.58
330105	पंचायत संस्थाओं को प्रोत्साहन देना	0.01	..	..	.
330106	पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना	0.001	..	..	..
330107	पंचायत मंत्रियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
9.21	6.85	3.44	3.44	3.58	3.44	..
0.74	0.62	0.77	0.77	0.77	..	..
0.15	0.63	0.69	0.69	0.73	..	..
20.23	28.55	28.88	32.50	31.82	..	..
..	..	5.00	..	5.00	..	..
..	..	0.001	..	2.56	2.56	..
..	0.21	1.22	1.22	1.22	..	..

मद—3. सहकारिता तथा सामुदायिक विकास

वर्ग—3.3. पंचायत—(समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	नई स्कीमें—				
	लखनऊ विश्वविद्यालय को पंचायती राज संगठन के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अनुदान	..	..	..	..
	निदेशालय में प्लानिंग सैल की स्थापना	..	..	..	..
	पंचायत उद्योग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	..	..	..	..
	योग—3.3. पंचायत ..	*100.00*	*26.92*	..	*17.54*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	1.38	3.60	..	..
..	..	..	..	0.42	..	..
..	..	..	..	0.30	..	..
33.30	*36.86*	*40.00*	*40.00*	*50.00*	*6.00*	..

7—सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

(1) सिंचाई

वृहत् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमें

राज्य की चौथी योजना में वृहत् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिये 90.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। जिसकी तुलना में पहले चार वर्षों में 107.59 करोड़ रुपये का उपयोग किये जाने की आशा है। योजना के अंतिम वर्ष अर्थात्, 1973–74 में यह अनुमान किया गया है कि 40.54 करोड़ रु० की आवश्यकता पड़ेगी, किन्तु संसाधनों की कमी के कारण 30.64 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था करना संभव नहीं है। इस प्रकार चौथी योजना के दौरान 138.23 करोड़ रुपये के कुल व्यय की आशा है, जो परिव्यय का 154 प्रतिशत है। परिव्यय और व्यय के व्योरे नीचे दिये गये हैं—

सारणी—1

ब्योरे नीचे दिये गये हैं—

(लाख रुपये में)

	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)	वास्तविक व्यय		1972–73 प्रत्याशित	1973–74 परिव्यय	1969–74 कुल प्रत्याशित व्यय	अधिकता (+) न्यूनता (–)
		1969–71	1971–72				
1	2	3	4	5	6	7	8
क—वृहत् स्कीमें—							
1—चालू स्कीमें—							
(क) नैमित्तिक प्रायोजनायें—							
(1) रामगंगा ..	2,277	2,008	1,330	1,150	350	4,838	(+) 2,561
(2) गंडक नहर ..	1,262	536	413	375	200	1,524	(+) 262
योग ..	3,539	2,544	1,743	1,525	550	6,362	(+) 2,823
(ख) अनैमित्तिक प्रायोजनायें ..	2,950	692	997	1,770	1,602	5,061	(+) 2,111
योग (क+ख) ..	6,489	3,236	2,740	3,295	2,152	11,423	(+) 4,934
2—नई स्कीमें ..	99	..	19	50	82	151	(+) 52
योग क (1+2) ..	6,588	3,236	2,759	3,345	2,234	11,574	(+) 4,986

(लाख रुपयों में)

	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)	वास्तविक व्यय 1969–71	वास्तविक व्यय 1971–72	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1969–74 कुल प्रत्याशित व्यय	अधिकता (+) न्यूनता (–)
1	2	3	4	5	6	7	8
ख—मध्यम स्कीमें—							
(1) चालू स्कीम	1,526	684	249	342	794	2069	(+) 543
(2) 1973–74 के दौरान आरम्भ किये जाने के लिये प्रस्तावित	..	..	..	..	1	1	(+) 1
(3) अन्य चौथी योजना की स्कीम जिस पर या तो कार्य शुरू ही न किया जायगा अथवा उसको छोड़ दिया गया है	738	..	..	..	..	..	(–) 738
योग ..	2,264	684	249	342	795	2,070	(–) 194
ग—सिंचाई, शोध आदि ..	148	59	34	51	35	179	(+) 31
योग, (क+ख+ग) ..	9,000	3,979	3,042	3,738	3,064	13,823	(+) 4,823

2—उपर्युक्त सारणी से यह पता चलता है कि वृहत् सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत 49.86 करोड़ रु० अधिक व्यय होने की आशा है जबकि मध्यम सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत 1.94 करोड़ रु० के कम व्यय की आशा है । अनुसंधान और शोध स्कीमों के अन्तर्गत 0.31 करोड़ रु० अधिक व्यय होने की आशा है ।

3—प्रायोजना/वर्गवार स्थिति निम्नलिखित है—

(1) रामगंगा नदी प्रायोजना—इस प्रायोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 127.90 करोड़ रु० है, जिसकी अस्थायी रूप से पूर्ति सिंचाई और विद्युत् क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से की जायगी—

	करोड़ रुपये में
सिंचाई	96.79
विद्युत्	31.11
योग ..	127.90

लागत के विभाजन पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है । सिंचाई के 96.79 करोड़ रु० के अंश की तुलना में 1972–73 तक 90.29 करोड़ रु० उपयोग किये जाने की आशा है, जिसमें 1968–69 तक व्यय हुये 45.41 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं । 1973–74 के दौरान 12.00 करोड़ रु० की कुल आवश्यकता की तुलना में 3.50 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । विद्युत् क्षेत्र के अन्तर्गत 8.50 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । उक्त प्रायोजना के जून, 1974 तक पूर्ण होने की आशा है ।

(2) गंडक नहर प्रायोजना—गन्डक नहर प्रायोजना, उत्तर प्रदेश, बिहार और नैपाल की एक संयुक्त प्रायोजना है । उत्तर प्रदेश द्वारा निष्पादित किये जाने वाले प्रायोजना के निर्माण कार्यों का कुल व्यय 53.78 करोड़ रु० है जिसमें से सामान्य निर्माण–कार्यों के लिये बिहार सरकार का अंश 13.45 करोड़ रु० है और नैपाल का अंश, जिसे भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है, 1.30 करोड़ रु० है । शेष 39.03 करोड़ रु० उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने निजी योजना के संसाधनों से व्यय करना है । 1971–72 के दौरान बिहार सरकार द्वारा 3.00 करोड़ रु0 की धनराशि उपलब्ध कराई गई । इस प्रकार बिहार द्वारा इस समय तक 11.61 करोड़ रु० उपलब्ध कराए गए हैं तथा 1.84 करोड़ रु० शेष रह गए हैं, जिन्हें 1973–74 के दौरान उत्तर प्रदेश को संक्रमित किया जाना चाहिए । क्योंकि प्रायोजना के सामान्य निर्माण–कार्य 1973–74 के अन्त तक पूरे किए जायेंगे। नेपाल के लाभार्थ भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले 1.30 करोड़ रु० के अंश में से भारत सरकार ने 1.27 करोड़ रु० इस राज्य के लेखे में पहले ही संक्रमित कर दिए हैं।

4—अनैमित्तिक चालू वृहत् स्कीमें—इस उपशीर्षक के अन्तर्गत, जो अन्यतत महत्वपूर्ण स्कीम निष्पादित की जा रही है, वह सहायक प्रायोजना (शारदा सहायक) है। उक्त प्रायोजना में, जैसी कि वह प्रारम्भ में तैयार की गई है, गंगा—घाघरा दोआब में 99.61 करोड़ रु० की लागत से 11.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने की व्यवस्था की गई है। प्रायोजना की मुख्य पोषक नहरें (फीडर चैनेल्स) कच्ची थीं। राज्य में जल सम्बन्धी संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए तथा उन क्षेत्रों में जहां पोषक नहरों में पानी भर रहा है वहां जलरोध रोकने के लिए, भराई वाले स्थानों में इस नहर को पक्का करने का प्रस्ताव है। इस प्रायोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को भी बढ़ाया गया है और अब इस प्रायोजना से प्रति वर्ष 17.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने का प्रस्ताव है। उक्त प्रायोजना के प्रथम चरण में जून, 1974 तक

घाघरा और शारदा बांधों, योजक नहर तथा पोषक नहर को दरयाबाद शाखा के शीर्ष तक पूरा करने का विचार है ताकि इस प्रायोजना से वर्ष 1974–75 के दौरान सिंचाई कार्य सम्भव हो सके। इस पहली अवस्था में लगभग 65.90 करोड़ रु० व्यय होंगे जिसमें से 32.18 करोड़ रु० 1972–73 के अन्त तक व्यय किए जाने की आशा है। 1973–74 के निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम में वर्ष के दौरान 24.00 करोड़ रु० के व्यय होने की परिकल्पना की गई है, किन्तु संसाधनों के संयत होने के कारण राज्य योजना में केवल 14.50 करोड़ रु० की व्यवस्था करना ही संभव हो पाया है। इस प्रायोजना के लिए शेष (24.00—14.50 करोड़ रु०) 9.50 करोड़ रु० को योजना की अधिकतम धनराशि के बाहर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसमें तेजी लाई जाए और इस राज्य के पिछड़े हुए पूर्वी संभाग को यथाशीघ्र सिंचाई सम्बन्धी लाभ प्रदान किये जा सकें।

5—इस वर्ग के अधीन शारदा सागर बांध को सुदृढ़ बनाने के कार्य की जो अन्य प्रायोजना है उसकी अनुमानित लागत 4.85 करोड़ रु० है। इन स्कीमों के निर्माण-कार्यों को 1970–71 में प्रारम्भ किया गया था और यह आशा की जाती है कि 1972–73 के अन्त तक 2.34 करोड़ रुपए का उपभोग कर लिया जायगा। वर्ष 1973–74 के दौरान 1.52 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है जिससे व्यय बढ़कर 3.86 करोड़ रु० तक हो जायगा।

6—इसके अतिरिक्त निम्नलिखित चार स्कीमों पर कार्य प्रारम्भ किया जायगा:—

(1) ओखला बैराज।

(2) ताजेवाल बैराज।

(3) राजघाट बांध।

(4) नारायणपुर पम्प नहर क्षमता की वृद्धि।

इन प्रायोजनाओं पर 1973–74 के दौरान कार्य शुरू करना आवश्यक है, जिससे कि पांचवीं योजना के अन्त तक उनके पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकें।

7—<u>1968–69 से चली आ रही मध्यम स्कीमें</u>—इस वर्ग के अन्तर्गत 10 प्रायोजनायें हैं, जिनमें से एक स्कीम अर्थात् पूर्वी यमुना नहर पर शीर्ष (हेड) रेगुलेटर, छोड़ दी गई है। शेष 9 स्कीमों की कुल लागत का अनुमान 20.08 करोड़ रु० है, जिसमें से 1968–69 तक 6.49 करोड़ रु० व्यय हो गया था। इस प्रकार इन अधिनीत स्कीमों को पूरा करने के लिए 13.59 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, किन्तु चौथी योजना में केवल 9.97 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। योजना के प्रथम चार वर्षों में 9.71 करोड़ रु० के व्यय की आशा है। 2.01 करोड़ रु० की धनराशि को 1973–74 में उपयोग में लाए जाने का लक्ष्य है, जिससे कुल व्यय 11.72 करोड़ रु० हो जायगा फिर भी इसमें कुल आवश्यकताओं की तुलना में 1.87 करोड़ रु० की कमी है और उपर्युक्त स्कीमों से दो मध्यम स्कीमें, अर्थात् हरिपुरा जलाशय और कोसी सिंचाई स्कीमें पांचवीं योजना में ले जायी जायंगी। योजनावार प्रगति तथा कार्यक्रम नीचे दिए जाते हैं:—

सारणी—2

(लाख रुपयों में)

स्कीम	अनुमानित लागत	1968–69 तक व्यय	चौथी योजना परिव्यय	1969–71 वास्तविक व्यय	1971–72 व्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 प्रस्तावित व्यय	1969–74 योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—नानकसागर (मरम्मत)	261.08	98.14	100.00	72.69	42.49	30.00	20.00	165.18
2—जामनी बांध ..	411.40	198.50	190.64	128.70	82.85	25.00	..	236.55
3—चन्द्रावल बांध ..	140.00	61.00	29.44	36.20	18.66	25.00	5.00	84.86
4—हरिपुरा जलाशय ..	481.75	81.50	181.83	124.80	57.28	74.00	80.00	336.08
5—कोसी सिंचाई स्कीम ..	288.00	9.00	280.50	30.88	58.28	74.00	81.00	244.16
6—डलमऊ पम्प नहर ..	164.00	76.34	64.00	72.04	5.73	..	..	77.77
7—भोपाली पम्प नहर ..	106.00	61.99	31.00	30.00	(–)1.81	..	..	28.19
8—जमानियां पम्प नहर..	118.00	60.71	43.00	45.00	5.14	..	..	50.14
9—शाहजहांपुर शाखा का पुर्ननिर्माण (पूर्वी बैंगुल जलाशय)	36.00	..	36.00	..	2.90	6.00	15.00	23.90
10—पूर्वी यमुना नहर का शीर्षक रेगुलेटर	..	1.99	30.00	(–)1.02	..	..	..	(–)1.02
अन्य स्कीमों के प्रति समायोजन	2.18	..	10.13	2.09	(–)76.21	..	..	(–)74.03
योग ..	..	649.17	996.54	541.47	195.31	234.00	201.00	1,171.78

8—उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि कोसी सिंचाई स्कीम को छोड़कर, जो बांध स्थल पर कुछ प्रतिकूल भू-वैज्ञानिक विशेषताओं का पता लगने से विलम्बित कर दी गई थी, अन्य सभी महत्वपूर्ण स्कीमों के व्यय में योजना में परिकल्पित व्यय की अपेक्षा तेजी से वृद्धि हुई है।

9—1969-73 के दौरान प्रारम्भ की गई मध्यम स्कीमें—चौथी योजना में नई मध्यम स्कीमों के लिए 12.67 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इस वर्ग के अन्तर्गत जिन स्कीमों पर वर्ष 1972-73 तक कार्य आरम्भ कर दिया गया है उनकी अनुमानित लागत 26.51 करोड़ रु० है। योजना के पहले चार वर्षों में इन पर 3.04 करोड़ रु० के व्यय की आशा है। 1973-74 में इन पर 5.93 करोड़ रुपये का उपयोग किए जाने का लक्ष्य है। इस प्रकार चौथी योजना के 12.67 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में मिलाकर कुल व्यय 8.97 करोड़ रुपए हो जायगा। इस कमी का कारण यह है कि चौथी योजना में सम्मिलित अनेक पम्प नहर स्कीमों को बाद में उनके विपरीत वित्तीय प्रतिलाभों के कारण छोड़ देना पड़ा था। योजना के चौथे वर्ष में प्रारम्भ की गई स्कीमें स्वाभाविक रूप से पांचवीं योजना में ले जाई जायंगी। योजनावार ब्योरे नीचे दिए जाते हैं :—

सारणी—3

(लाख रुपयों में)

	स्कीम	अनुमानित लागत	चौथी योजना परिव्यय	1969-71 वास्तविक आंकड़े	1971-72 संभावित वास्तविक व्यय	1972-73 प्रत्याशित व्यय	1973-74 प्रस्तावित व्यय	1969-74 योग
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	किशनपुर पम्प नहर	108.00	91.00	..	..	2.00	50.00	52.00
2	केन नहर का पुनरोद्धार	48.00	48.00	2.05	12.44	10.00	15.00	39.49
3	टोन्स पम्प नहर	175.00	175.00	64.57	10.68	3.00	20.00	98.25*
4	भीम-गोंडा हेड वर्क्स का पुनर्निर्माण	350.00	85.00	..	..	5.00	8.00	13.00

5	दोहरी घाट पम्प नहर की बढ़ी हुई क्षमता	33.15	80.00	4.95	8.38	10.00	8.00	31.33
6	अदवा बांध	300.00	50.00	..	9.80	37.00	130.00	176.80
7	कोसी घाटी सिंचाई स्कीम	52.50	..	..	..	6.00	11.50	17.50
8	नरायनपुर पम्प नहर	100.00	..	71.15	12.14	5.00	..	88.29
9	रामगंगा घाटी सिंचाई स्कीम	36.40	..	..	..	5.00	10.50	15.50
10	दोहरीघाट सहायक परियोजना	380.00	..	..	..	5.00	100.00	105.00
11	चिल्लीमल पम्प नहर	98.00	..	..	..	5.00	30.00	35.00
12	डलमऊ पम्प नहर	196.00	..	..	..	5.00	80.00	85.00
13	देवकली पम्प नहर	290.00	..	..	..	5.00	80.00	85.00
14	सरजू पम्प नहर	484.00	..	..	..	5.00	50.00	55.00
	योग ..	2651.05	529.00	142.72	53.44	108.00	593.00	897.16

*इसमें 27.52 लाख रु० का वर्ष 1968-69 में हुआ व्यय सम्मिलित नहीं है।

सिंचाई क्षमता--

10--चौथी योजना में वृहत् तथा मध्यम सिचाई प्रायोजनाओं के माध्यम से 10.12 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से लगभग 6.44 लाख हेक्टेयर की क्षमता रामगंगा और गंडक नहर प्रायोजनाओं द्वारा सृजित की जानी थी। चूंकि इन दोनों प्रायोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हो गया है, इसलिए इन प्रायोजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभ भी स्थगित हो गये हैं। 6.44 लाख हेक्टेयर की तुलना में, यह आशा है कि 1973-74 तक केवल 2.97 लाख हेक्टेयर की क्षमता उपलब्ध हो जायगी। 3.68 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में अन्य स्कीमों से 2.00 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की आशा है। 4.97 लाख हेक्टेयर की कुल उपलब्धि में से 2.09 लाख हेक्टेयर की क्षमता 1973-74 में प्राप्त हो जायगी। क्षमता और इसके उपयोग के वर्गवार ब्योरे निम्नलिखित सारणी में दिए जाते हैं :

सारणी--5

प्रायोजना/वर्ग	चौथी योजना		1969-71		1971-
	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता
1	2	3	4	5	6
क--नैमित्तिक प्रायोजना--					
1 रामगंगा	379.83	161.87	..	..	..
2 गंडक	264.16	174.01	10.12	4.86	56.65
योग ..	643.99	335.88	10.12	4.86	56.65
ख--अन्य स्कीमें--					
1 1968-69 तक पूरी की गई स्कीमें	5.94	91.81	5.94	24.55	..
2 चालू वृहत् सिंचाई स्कीमें	..	..	..	..	..
3 चालू मध्यम सिंचाई स्कीमें	166.77	100.32	78.91	40.16	..
4 नई मध्यम सिंचाई स्कीमें	195.78	97.90	9.71	9.71	16.19
योग, क और ख ..	1012.48	625.91	104.68	79.28	72.84

(000 हेक्टेयर में)

72	1972–73		1973–74		1969–74	
उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	80.94	32.38	80.94	32.38
27.14	56.66	28.79	93.08	40.38	216.51	101.17
27.14	56.66	28.79	174.02	72.76	297.45	133.55
27.72	..	24.47	..	15.07	5.94	91.81
..	..	..	..	..	..	..
4.36	16.18	13.13	18.82	17.14	113.91	74.79
6.48	37.60	14.17	15.77	12.13	79.27	42.49
65.70	110.44	80.56	208.61	117.10	496.57	342.64

11--वृहत् तथा मध्यम सिंचाई की स्कीमों द्वारा सृजित क्षमता के उपयोग का वर्षवार प्रतिशत नीचे सारणी में दिया गया है :

सारणी—6

अवधि	क्षमता (लाख हेक्टेयर)	उपयोग (लाख हेक्टयर)	प्रतिशत
1	2	3	4
योजना से पूर्व	25.53	25.19	99.6
पहली योजना के अन्त तक	28.83	26.57	92
दूसरी योजना के अन्त तक	31.54	29.76	94
तीसरी योजना के अन्त तक	35.11	33.41	95
1968-69 के अन्त तक	36.07	35.21	98
1969-70 के अन्त तक	36.83	35.61	97
1970-71 के अन्त तक	37.12	36.00	97
1971-72 के अन्त तक	37.85	36.66	97
1972-73 के अन्त तक (प्रत्याशित)	38.95	37.47	96
1973-74 के अन्त तक (लक्ष्य)	41.03	38.64	94

12--उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कि क्षमता के उपयोग का प्रतिशत 94 प्रतिशत पर स्थिर बनाए रखा गया है जो कि क्षमता का उपयोग किए जाने के लिए समय-अन्तराल पर विचार करते हुए संतोषजनक प्रतीत होता है।

सर्वेक्षण तथा अनुसंधान--

13--उत्तर प्रदेश में 211.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य है जिसमें से शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र 174.8 लाख हेक्टेयर है। बहु फसली खेती के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है और कुल बोया गया क्षेत्र बढ़कर 228.7 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। यद्यपि शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्रायः स्थिर हो गया है किन्तु कुल बोये गए क्षेत्र में लगातार वृद्धि की प्रवृति दिखाई दे रही है और इसके 200 प्रतिशत की कृषि की सघनतार (क्रॉपिंग इन्टेंसिटी के आधार पर) 350 लाख हेक्टेयर तक बढ़ने की सम्भावना है। सभी स्रोतों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र इस समय लगभग 54 लाख हेक्टेयर है जो कि अन्ततः फसली क्षेत्र का लगभग 31 प्रतिशत है। चूंकि उत्तर प्रदेश में वर्षा अधिकांश फसलों के लिए अपर्याप्त मात्रा में तथा अनिश्चित रूप से होती है इसलिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के हेतु राजकीय तथा निजी निर्माण कार्यों द्वारा सिंचाई क्षमता को शीघ्रता से बढ़ाने के प्रयास करने पड़ेंगे।

14--इस कार्य के हेतु सम्पूर्ण उपयोगी क्षेत्र तथा भूतलीय जल संसाधनों को पूर्ण रूपेण संग्रह करने की आवश्यकता होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य में जल संसाधनों के उपयोग की एक महायोजना (मास्टर प्लान) तैयार की जाय और साथ ही ब्योरेवार सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान करने के पश्चात् निजी सिंचाई तथा बहुधन्धी प्रायोजनाएं भी तैयार की जायं।

15--चौथी योजना में सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा शोध कार्य के लिए 1.48 करोड़ रुपए का परिव्यय सम्मिलित किया गया था। परन्तु पहले चार वर्षों के दौरान केवल 1.44 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग किया गया है। वर्ष 1973-74 के लिए 0.35 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इस प्रकार कुल 1.79 करोड़ रुपए का व्यय प्रत्याशित है। कुशल तथा अर्द्ध-कुशल कर्मकारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के हेतु सर्वेक्षण तथा अनुसंधान का एक त्वरित कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का वित्तीय पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(2) बाढ़ नियंत्रण

उत्तर प्रदेश उन चार राज्यों में से एक राज्य है, जो बाढ़ के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित हैं। सामान्य बाढ़ में 23 लाख एकड़ क्षेत्र से लेकर वर्ष 1971 जैसी बड़ी बाढ़ में 130 लाख एकड़ क्षेत्र तक बाढ़ का प्रकोप होता है, जिससे फसल, सम्पत्ति, जन-जीवन तथा पशु-धन की भारी हानि होती है। इससे राज्य पर भारी वित्तीय और प्रशासनिक बोझ आ पड़ता है और साथ ही साथ सामान्य कार्यकलाप अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रति वर्ष मरम्मत पुनर्निर्माण और सहायता संबंधी कार्यकलापों पर काफी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। निम्नलिखित सारणी से बाढ़ की समस्या की महत्ता का पता चलता है---

सारणी--1

मद	इकाई	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72
1	2	3	4	5	6
1—प्रभावित गांव	संख्या	7,847	22,321	23,354	35,970
2—प्रभावित क्षेत्र	लाख हेक्टेयर	8.67	24.13	32.32	52.48
3—प्रभावित जन संख्या	लाख में	19.50	74.87	99.00	206.72
4—फसल, सम्पत्ति, जिसमें सार्वजनिक उपयोग की सामग्री भी सम्मिलित हैं, की हानि	करोड़ रु० में	18.50	42.21	73.97	400.00

2—राज्य की बाढ़ समस्या पर राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा विचार किया गया है। विशेषतया वर्ष 1971 में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर केन्द्रीय अध्ययन दल (दि सेन्ट्रल स्टडी टीम) जिसने राज्य के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था, यह सिफारिश की कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिये बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमों पर होने वाले व्यय में काफी वृद्धि की जानी चाहिये। चौथी योजना अवधि के अन्तिम दो वर्षों के दौरान पूर्वता स्कीमों प्रायरिटी स्कीमों) के कार्यान्वयन का विस्तार करने के लिये योजना में नियत धन-राशि के अलावा 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

3—वर्ष 1973-74 की बाढ़ नियंत्रण योजना उपर्युक्त विचार को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तैयार की गई है, जिससे कि यथासंभव अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। योजना के अतिरिक्त मिलने वाली केन्द्रीय सहायता को योजना के विवरण-पत्रों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

4—राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमों के लिये 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। योजना के पहले तीन वर्षों में 4.81 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। वर्ष 1972-73 के दौरान 3 करोड़ रुपये के परिव्यय का पूर्ण उपयोग र लिये जाने का अनुमान है। इस प्रकार योजना के पहले चार वर्षों में 7.81 करोड़

रुपये का उपयोग कर लिये जाने का अनुमान है । वर्ष 1973-74 के दौरान इन स्कीमों के लिये 3.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । निम्नलिखित सारणी में वर्गवार ब्योरे दिये गये हैं :

सारणी--2

(लाख रुपये में)

वर्ग	चौथी योजना का परिव्यय (1969-74)	वास्तविक व्यय			1972-73 प्रत्याशित व्यय	1973-74 परिव्यय	1969-74 योग
		1969-70	1970-71	1971-72			
1	2	3	4	5	6	7	8
1—सीमान्त बांध	107.24	69.26	93.59	100.19	113.70	88.60	465.34
2—नगरों की रक्षा	205.28	10.53	12.71	67.96	63.20	62.97	217.37
3—जल मार्गों का विस्तार	71.27	2.26	0.64	0.10	0.50	0.50	4.00
4—सर्वेक्षण, अनुसंधान और बाढ़ के बारे में पूर्वानुमान	72.46	2.64	1.27	0.84	1.00	1.00	6.75
5—जलोत्सारण सुधार संबंधी निर्माण कार्य	302.66	15.71	28.58	21.77	57.20	75.30	198.56
6—नदी संबंधी सुधार और भूक्षरण निरोध-का निर्माण कार्य	1.09	(-) 0.20	0.78	3.16	4.50	1.40	9.64
7—पानी से घिरे हुए असहाय गांवों की सतह को ऊंचा करना	..	0.01	..	..	..	..	0.01
8—अत्यावश्यक निर्माण-कार्य	40.00	..	..	..	..	10.00	10.00
9—अधिष्ठान व्यय*	..	13.38	21.04	15.21	59.90	60.23	169.76
योग ..	800.00	113.59	158.61	209.23	300.00	300.00	1081.43

* इसमें आंकड़े उप-शीर्षक के अनुसार सम्मिलित किये गये हैं ।

प्रति वर्ष नदियों द्वारा पहुंचाई गई क्षति के फलस्वरूप रक्षात्मक निर्माण कार्य करने के लिये सीमान्त बांधों पर काफी अधिक व्यय हुआ था ।

र र स्कीमें—

5—चौथी योजना में 26 अधिनीत स्कीमें हैं । इन स्कीमों की लागत का अनुमान 8.08 करोड़ रुपये लगाया गया है, जिसमें से 4.32 करोड़ रुपये की धनराशि 1968-69 तक व्यय की जा चुकी है । इन प्रायोजनाओं को पूरा करने के लिये 3.76 करोड़ रुपये की निधियों की और आवश्यकता है । राज्य की चौथी योजना में इन स्कीमों के लिये केवल 2.81 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 3.30 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग योजना के पहले चार वर्षों में कर लिये जाने की आशा की जाती है । पांचवें वर्ष के लिये 0.80 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है । लागत में वृद्धि लखनऊ नगर-रक्षास्कीम के पुनरीक्षण के फलस्वरूप हुई है । व्यय और परिव्यय के ब्योरे निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं :—

सारणी—8

(लाख रुपयों में)

वर्ग	अनुमानित लागत	1968-69 तक व्यय	चौथी योजना का परिव्यय	वास्तविक व्यय 1969-70	वास्तविक व्यय 1970-71	वास्तविक व्यय 1971-72	1972-73 प्रत्याशित व्यय	1973-74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—सीमान्त बांध	216.28	36.91	27.25	62.95	43.93	2.80	9.80	..
2—नगरों की रक्षा	1,475.01	191.76	125.11	10.53	12.46	60.50	45.00	50.00
3—जल मार्गों का विस्तार	5.23	3.00	5.23	2.26	0.64	0.10	0.50	0.50
4—जलोत्सारण सुधार संबंधी निर्माण-कार्य	184.60	102.58	122.14	13.60	7.25	5.39	9.50	13.00
5—नदी संबंधी सुधार और भूक्षरण निरोध संबंधी निर्माण-कार्य	12.94	8.18	1.09	(—)0.20	0.01	..	..	..
6—पानी से घिरे हुए असहाय गांवों की सतह को ऊंचा करना	..	..	..	0.01	..	..	..	..
7—अधिष्ठान व्यय*	..	89.45	..	11.90	9.83	5.50	16.20	16.00
योग ..	1,894.06	431.88	280.82	101.05	74.12	74.29	81.00	79.50

*आंकड़े वर्गवार ब्योरे में सम्मिलित किये गये हैं ।

नई स्कीमें—

6—चौथी योजना में नई स्कीमों के लिये 5.19 करोड़ रुपये का परिव्यय सम्मिलित किया गया था । यह आशा की जाती है कि पहले चार वर्षों में 4.51 करोड़ रुपये का उपयोग कर लिया जायगा । वर्ष 1973–74 के लिये 2.64 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसको मिलाकर कुल व्यय की धनराशि 7.15 करोड़ हो जाती है । व्यय और परिव्यय के वर्गवार ब्योरे नीचे दिये गये हैं :—

सारणी-4

(लाख रुपये में)

वर्ग	अनुमानित लागत	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	वास्तविक व्यय 1971–72	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1—सीमान्त बांध ..	1,231.48	79.99	6.31	49.63	97.39	103.90	88.60
2—नगरों की रक्षा ..	85.03	80.17	..	0.25	7.46	18.20	12.97
3—जल मार्गों का विस्तार ..	..	66.04	..	..	..	..	..
4—सर्वेक्षण, अनुसंधान और बाढ़ के बारे में पूर्वानुमान	93.00	72.46	2.64	1.27	0.84	1.00	1.00
5—जलोत्सारण सुधार संबंधी निर्माण-कार्य	405.12	180.52	2.11	21.33	16.38	47.70	62.30
6—नदी संबंधी सुधार और भूक्षरण निरोधक निर्माण-कार्य	12.02	..	..	0.80	3.16	4.50	1.40
7—अत्यावश्यक तथा अनवेक्षित निर्माण-कार्य	..	40.00	..	..	..	..	10.00
8—अधिष्ठान व्यय* ..	..	..	1.48	11.21	9.71	43.70	44.23
योग ..	1,826.65	518.18	12.54	84.49	134.94	219.00	220.50

*आंकड़े वर्गवार ब्योरे में सम्मिलित किये गये हैं ।

7---वर्ष 1973-74 के दौरान निम्नलिखित स्कीमों को छोड़कर शेष सभी चालू स्कीमों को पूरा करने का प्रस्ताव है :---

(1) लखनऊ नगर की रक्षा;

(2) हरनद नाली (ड्रेन);

(3) चार पूर्वी जिलों में नालियों का निर्माण ।

8---जहां तक नई स्कीमों का संबंध है वर्ष 1973-74 के दौरान मुख्यतया निम्नलिखित स्कीमों के संबंध में कार्य किया जायगा :---

(1) छितौनी बांध तथा पृष्ठ देश की रक्षा के लिये गण्डक नदी के किनारे रक्षा संबंधी निर्माण कार्य;

(2) जिला गोरखपुर में मलोनी और होबर्ट बांध;

(3) वाराणसी के घाटों की रक्षा;

(4) जिला नैनीताल में बाजपुर बांध की रक्षा तथा विस्तार कार्य;

(5) मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिलों में यमुना नदी से भूमि के कटाव को रोकने के लिये क्षेत्रों की रक्षा ।

विवरण पत्र-1

संक्षिप्त विवरण

विकास के मद		चौथी योजना परिव्यय (1969-74)	वास्तविक 1969-70
1		2	3
1 सिंचाई	..	9,000	2,224
2 बाढ़ नियंत्रण	..	800	114
योग	..	9,800	2,338

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
4	5	6	7	8	9	10
1,755	3,042	3,028	3,738	3,064	3,064	140
159	209	300	300	300	300	..
1,914	3,251	3,328	4,038	3,364	3,364	140

3 जनरल (प्लान)—31

विवरण पत्र—2

वृहत् एवं मध्यम सिचाई परियोजनाओं के परिव्यय एवं व्यय का विवरण

मद—4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.1. सिंचाई—

(लाख रुपये में)

संकेत संख्या	परियोजना	अनुमानित लागत (पुनरीक्षित)	वर्ष 1968–69 तक किया गया व्यय	चौथी योजना परिव्यय (1969-74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	
	वृहत् एवं मध्यम सिचाई					
	(क) चालू योजनायें—					
	(1) —वृहत् सिंचाई परियोजनायें					
410101	रामगंगा नदी योजना (सिंचाई अंश)	9,679.00	4,541.50	2,277.34	2,277.34	610.00
410102	गण्डक नहर योजना (उ० प्र० अंश)	3,903.00	1,949.50	1,261.82	1,261.82	..
410103	सहायक योजना	16,500.00	40.27	2,950.00	2,950.00	250.00
410104	सारदा सागर—द्वितीय चरण	737.75	735.50	..	..	..
410105	माताटीला बांध	1,252.50	1,245.80	..	..	..
410106	सारदा सागर—प्रथम चरण	..	..	..	..	..
410107	सारदा सागर का सुदृढ़ीकरण	485.00	..	..	..	..
	योग ..	32,557.25	8,512.57	6,489.16	6,489.16	860.00

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
8	9	10	11	12	13	14	15
900.94	1,107.18	1,330.56	1,150.00	1,150.00	350.00	350.00	90.00
635.97	(–)100.27	412.90	300.00	375.00	200.00	200.00	..
297.74	362.82	887.79	1,070.00	1,670.00	1,450.00	1,450.00	50.00
1.24	..	..	..	..	..	..	..
5.85	(–)3.08	1.53	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	27.05	107.17	100.00	100.00	152.00	152.00	..
1,841.74	1,393.70	2,739.95	2,620.00	3,295.00	2,152.00	2,152.00	140.00

मद—4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.1. सिंचाई (क्रमशः)

संकेत सख्या	परियोजना	अनुमानित लागत (पुनरीक्षित)	वर्ष 1968–69 तक किया गया व्यय	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी
1	2	3	4	5	6
(2) मध्यम सिंचाई परियोजनायें—					
410201	नानक सागर बांध (मरम्मत)	261.08	98.14	100.00	100.00
410202	जामनी बांध ..	411.40	198.50	190.64	190.64
410203	चन्द्रावल बांध ..	140.00	61.00	29.44	29.44
410204	हरिपुरा जलाशय ..	481.75	81.50	181.83	181.83
410205	कोसी सिंचाई योजना	288.00	9.00	280.50	280.50
410206	डलमऊ पम्प नहर ..	164.00	76.34	64.00	64.00
410207	भोपौली पम्प नहर ..	106.00	61.99	31.00	31.00
410208	जमनिया पम्प नहर	118.00	60.71	43.00	43.00
410212	अन्य स्पिलओवर परियोजनाओं का अनुकूलन ..	2.18	..	10.13	10.13

(लाख रुपये में)

	वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13	14	15
..	39.08	33.61	42.49	25.00	30.00	20.00	20.00	..
..	52.56	76.14	82.85	20.00	25.00	..	..	..
..	16.95	19.25	18.66	15.00	25.00	5.00	5.00	..
6.00	61.46	63.34	57.28	74.00	74.00	80.00	80.00	..
3.00	2.86	28.02	58.28	74.00	74.00	81.00	81.00	..
..	54.20	17.84	5.73	..	..	..	..	..
..	26.01	3.99	(–)1.81	..	..	..		..
..	33.30	11.70	5.14	..	..	..	..	..
..	(–)3.51	5.60	(–)76.21	..	..	..	..	..

मद—4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.1. सिंचाई (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजनायें	अनुमानित लागत (पुनरीक्षित)	वर्ष 1968-69 तक किया गया व्यय	चौथी योजना परिव्यय	
				कुल	पूंजी
1	2	3	4	5	6
410213	पूर्व यमुना हेड रेगुलेटर पर कार्य (छोड़ दिया)	..	1.99	30.00	30.00
410214	शाहजहांपुर शाखा का पुर्निर्माण .. (पूर्वी बेगुल जलाशय)	36.00	..	36.00	36.00
	योग 2	2,008.41	649.17	996.54	996.54
	योग क(1+2) ..	34,565.66	9,161.74	7,485.70	7,485.70
	(ख) नई योजनायें—				
	(1) वृहत् सिंचाई परियोजनायें—				
410301	टेहरी बांध (सिंचाई अंश)	6,218.00	..	99.00	99.00
	ओखला बैराज	750.00	..	..	..
	ताजेवाला बैराज	200.00	..	..	..
	राजघाट बांध	4,244.00	..	..	..
	नारायनपुर पम्प नहर की क्षमता वृद्धि	850.00	..	..	..
	योग ..	12,262.00	..	99.00	99.00

(लाख रुपये में)

1969–74	वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13	14	15
..	(—)1.02	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	2.90	5.00	6.00	15.00	15.00	..
9.00	281.89	259.58	195.31	213.00	234.00	201.00	201.00	..
869.00	2,123.63	1,653.28	2,935.26	2,833.00	3,529.00	2,353.00	2,353.00	140.00
..	..	..	18.99	48.70	50.00	70.00	70.00	..
..	..	..	..	..	..	1.00	1.00	..
..	..	..	..	..	..	1.00	1.00	..
..	..	..		..	..	5.00	5.00	..
..	..	..		..	..	5.00	5.00	..
..	..	..	18.99	48.70	50.00	82.00	82.00	..

मद--4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग--4. 1. सिंचाई (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजनायें	अनुमानित लागत (पुनरीक्षित)	वर्ष 1968-69 तक किया गया व्यय	चौथी योजना परिव्यय	
				कुल	पूंजी
1	2	3	4	5	6
(2) मध्यम सिंचाई परियोजनायें---					
410401	किशनपुर पम्प नहर	108.00	..	91.00	91.00
410402	रेन पम्प नहर .. (छोड़ दिया)	..	..	152.00	152.00
410403	केन नहर का पुनर्निर्माण	48.00	..	48.00	48.00
410406	टोन्स पम्प नहर ..	175.00	27.52	175.00	175.00
410407	भीमगोडा हेडवर्क्स का पुनर्निर्माण	350.00	..	85.00	85.00
410408	हिंडन बांध का पुनर्निर्माण	250.00	..	110.00	110.00
410409	दोहरीघाट पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	33.15	..	80.00	80.00
410410	घाघरा पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	74.25	..	80.00	80.00
410412	अडवा बांध ..	300.00	..	50.00	50.00
410413	सहूरापुर पम्प नहर (छोड़ दिया)	..	..	100.00	100.00
410414	भिटौरा पम्प नहर (छोड़ दिया)	..	..	170.00	170.00
410415	अगासी पम्प नहर	95.00	..	73.00	73.00

(लाख रुपये में)

1969–74	वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13	14	15
..	..	..	..	..	2.00	50.00	50.00	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	0.99	1.06	12.44	10.00	10.00	15.00	15.00	..
..	33.47	31.10	10.68	10.00	3.00	20.00	20.00	..
..	..	..	..	2.00	5.00	8.00	8.00	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	4.95	8.38	10.00	10.00	8.00	8.00	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	9.80	37.00	37.00	130.00	130.00	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..

मद--4. सिचाई तथा विद्युत्
वर्ग--4.1. सिंचाई (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजनायें	अनुमानित लागत (पुनरीक्षित)	वर्ष 1968-69 तक किया गया व्यय	चौथी योजना परिव्यय	
				कुल	पूंजी
1	2	3	4	5	6
410416	ओरा पम्प नहर (छोड़ दिया)	..	..	53.00	53.00
410417	नरायनपुर पम्प नहर	100.00	..	..	..
410417	(क) कोसीघाटी सिंचाई परियोजना	52.50	..	..	..
410418	राम गंगा घाटी सिंचाई परियोजना ..	36.40	..	..	..
410419	भिलंगना घाटी सिंचाई परियोजना ..	65.00	..	..	..
410420	दोहरी घाट सहायक परियोजना ..	380.00	..	..	..
410421	चिल्लीमल पम्प नहर	98.00	..	..	..
410422	डलमऊ पम्प नहर-द्वितीय चरण ..	196.00	..	..	..
410423	देवकली पम्प नहर..	290.00	..	..	..
410424	सरजू पम्प नहर ..	484.00	..	..	..
	उमरहट पम्प नहर	360.00	..	..	..
	योग : ..	3,495.30	27.52	1,267.00	1,267.00
	नई परियोजनाओं का योग (ख) ..	15,757.30	27.52	1,366.00	1,366.00

(लाख रुपये में)

(1969-74)	वास्तविक व्यय			1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13	14	15
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	39.74	31.41	12.14	..	5.00	..	..	..
..	..	..	..	6.00	6.00	11.50	11.50	..
..	..	..	..	12.30	5.00	10.50	10.50	..
..	..	..	..	6.00	..	..	..	..
..	..	..	..	5.00	5.00	100.00	100.00	..
..	..	..	..	7.00	5.00	30.00	30.00	..
..	..	..	..	5.00	5.00	80.00	80.00	..
..	..	..	..	5.00	5.00	80.00	80.00	..
..	..	..	..	5.00	5.00	50.00	50.00	..
..	..	..	..	..	..	1.00	1.00	..
..	74.20	68.52	53.44	120.30	108.00	594.00	594.00	..
..	74.20	68.52	72.43	169.00	158.00	676.00	676.00	..

मद 4—सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.1. सिंचाई (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	अनुमानित लागत (पुनरीक्षित)	वर्ष 1968–69 तक किया गया व्यय	चौथी योजना परिव्यय (1969–74–) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7
	(ग) शोध एवं अनुसंधान—					
410209	कर्मशालाओं का प्रसार	27.40	15.10	12.30	12.30	..
410210	शोध कार्यक्रम	16.00	..	16.00	16.00	2.00
410211	अनुसंधान (नई परियोजनायें)	100.00	..	100.00	100.00	..
410405	इंजीनियरों के प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रसार	..	..	20.00	20.00	..
	प्राविधिक व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की योजना	..	..	..	..	..
	योग (ग) ..	143.40	15.10	148.30	148.30	2.00
	योग .. 4.1. सिंचाई	*50466.36*	*9,204.36*	*9,000.00*	*9,000.00*	*871.00*

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
8	9	10	11	12	13	14	15
9.42	2.29	(–)0.04	..	..	1.00	1.00	..
6.99	15.23	4.54	1.00	1.00	..	..	..
10.00	15.65	30.00	25.00	15.00	34.00	34.00	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	35.00	..	..	..
26.41	33.17	34.50	26.00	51.00	35.00	35.00	..
2,224.24	*1,754.97*	*3042.19*	*3,028.00*	*3,738.00*	*3,064.00*	*3,064.00*	*140.00*

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के परिव्यय

मद--4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग--4.2. बाढ़ नियंत्रण

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
420101	सीमान्त बांध	107.24	107.24	..	69.26
420102	नगरों की सुरक्षा	205.28	205.28	..	10.53
420103	जल मार्गों का प्रसार	71.27	71.27	..	2.26
420104	सर्वेक्षण जांच पड़ताल एवं बाढ़ भविष्यवाणी	72.46	72.46	..	2.64
420105	जलोत्सारण सुधार	302.66	302.66	..	15.71
420106	नदी सुधार तथा भूमि कटाव के रोकने के लिये निर्माण कार्य	1.09	1.09	..	(-)0.20
420107	आपातिक कार्य नयी योजनायें	40.00	40.00	..	..
420108	बाढ पीड़ित गांवों को ऊंचा करना	..	..	..	0.01
	अधिष्ठान, उपकरण, संयंत्र तथा उचन्त	..	..	..	13.38
	योग, 4.2 बाढ़ नियंत्रण	*800.00*	*800.00*	..	*113.59*

एवं व्यय का विवरण

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
93.59	100.19	149.80	113.70	88.60	88.60	..
12.71	67.96	58.00	63.20	62.97	62.97	..
0.64	0.10	..	0.50	0.50	0.50	..
1.27	0.84	10.00	1.00	1.00	1.00	..
28.58	21.77	50.70	57.20	75.30	75.30	..
0.78	3.16	21.50	4.50	1.40	1.40	..
..	..	10.00	..	10.00	10.00	..
..	..	..	..	..	..	..
21.04	15.21	..	59.90	60.23	60.23	..
159.61	*209.23*	*300.00*	*300.00*	*300.00*	*300.00*	..

8—विद्युत्

सामान्य

चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत् क्षेत्र के लिए 375 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से 327.18 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग योजना के पहले चार वर्षों में कर लिये जाने की आशा है। 1973-74 के दौरान 84.00 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिससे विद्युत् क्षेत्र के लिए चौथी योजना में कुल व्यय 411.18 करोड़ रुपये हो जायगा। 1973-74 के दौरान निधियों की वास्तविक आवश्यकता 153.38 करोड़ रुपयों की है, किन्तु संसाधनों की मजबूरी के कारण 84.00 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था करना संभव नहीं हो सका है। उप शीर्षकवार परिव्यय तथा व्यय का ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

सारणी 1

(लाख रुपये में)

उप-शीर्षक	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय	वास्तविक व्यय 1969-71	1971-72	1972-73	1973-74 परिव्यय	1969-74 कुल प्रत्याशित व्यय	अधिक व्यय (+) या बचत (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
क—उत्पादन	17,773	8,264	4,416	4,150	4,100	20,930	+3,157
ख पारेषण तथा वितरण ..	12,527	4,287	2,478	2,944	3,000	12,709	+ 182
ग—ग्रामीण विद्युतीकरण ..	6,800	2,878	1,822	1,198	1,200	7,098	(+)298
घ—अनुसन्धान तथा प्रकीर्ण—							
(1) सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान ..	200	41	16	50	50	157	(-)43
(2) प्रकीर्ण (लघु पर्वतीय स्कीमें) ..	200	33	91	50	50	224	(+)24
योग ..	37,500	15,503	8,823	8,392	8,400	41,118	(+)3,618

2—उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान को छोड़कर अन्य सभी स्कीमों के समूहों के अधीन परिव्ययों से अधिक व्यय होगा।

3—विद्युत् की मांग और उत्पादन क्षमता के बीच जो अन्तर है उसे पूरा करने और राज्य की विद्युत् संबंधी दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से एक पन्द्रहवर्षीय दीर्घ योजना तैयार की जा रही है जिसमें राज्य में विद्युत् की अधिष्ठापित क्षमता की परिकल्पना निम्न प्रकार से की गयी है:—

		मेगावाट
पांचवी योजना के अन्त तक	(1978–79)	6,100
छठीं योजना के अन्त तक	(1983–84)	12,500
सातवीं योजना के अन्त तक	(1988–89)	22,500

4—इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन की नयी स्कीमों को चालू किया जाय और जो स्कीमें पहले से ही चालू हैं उनके कार्य में तेजी लायी जाय। विद्युत् शक्ति तथा मांग पूरी करने की अधिकतम क्षमता दोनों की लगातार कमी का राज्य के विकास पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बिजली की मजबूरन की गई कटौती चिरस्थायी दशा बन गयी है। इस स्थिति को शीघ्रातिशीघ्र सुधारने की आवश्यकता है।

उत्पादन

नैमित्तिक उत्पादन प्रायोजनाएं

5—पांच उत्पादन स्कीमें जिनके लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 123.83 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है नैमित्तिक स्कीमें हैं। इन स्कीमों पर हुआ वास्तविक व्यय तथा प्रस्तावित परिव्यय निम्न प्रकार है—

सारणी 2

(लाख रुपये में)

स्कीम	चौथी योजना का परिव्यय 1969–74	वास्तविक व्यय 1969–70	1970–71	1971–72	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1969–74 कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1—यमुना जल विद्युत् द्वितीय चरण	4,000	928	1,082	1,343	1,000	720	5,073
2—ओबरा जल विद्युत	672	254	120	86	30	17	507
3—राम गंगा जल विद्युत्	1,990	508	513	259	150	850	2,280
4—हरदुआगंज–चतुर्थ चरण	1,121	571	474	183	200	7	1,435
5—ओबरा थरमल प्रसार प्रथम चरण	4,600	1,373	1,417	906	875	421	4,992
योग ..	12,383	3,634	3,606	2,777	2,255	2,015	14,287

6—उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि ओबरा जल विद्युत् की स्कीम को छोड़कर सभी नैमित्तिक प्रायोजनाओं पर व्यय परिव्यय से बढ़ जाने की आशा है। ओबरा जल विद्युत् स्कीम पूरी की जा चुकी है और 33 मेगावाट की सभी तीनों मशीनें चालू हो चुकी हैं। शेष प्रायोजनाओं में से यमुनाजल विद्युत् द्वितीय चरण, रामगंगा जल विद्युत् और ओबरा थरमल प्रसार प्रथम चरण पांचवीं योजना में भी जारी रहेंगी यद्यपि आंशिक लाभ चौथी योजना के दौरान उपलब्ध होने लगेंगे। हरदुआ गंज चतुर्थ चरण के 1972–73 के दौरान पूर्ण होने का अनुमान है।

अनैमित्तिक प्रायोजनाएं

7—पहले से चली आ रही 10 अधूरी स्कीमें ऐसी हैं जिनके लिये चौथी योजना में 23.18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन स्कीमों में से धुकवां प्रायोजना आस्थगित कर दी गयी है और निम्नलिखित सात स्कीमों के संबंध में केवल अवशिष्ट कार्य किया जाना है, जो कि 1972–73 में पूरा हो जायगा। इन सातों स्कीमों पर होने वाले व्यय का क्रमवद्ध विभाजन उस प्रकार होगा, जैसा कि प्रत्येक स्कीम के सामने दिया गया है :

सारणी 3

(लाख रुपये में)

स्कीम	चौथी योजना का परिव्यय 1969–74	1969–70 वास्तविक व्यय	1970–71 वास्तविक व्यय	1971–72 वास्तविक व्यय	1972–73 अनुमानित व्यय	1973–74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1—यमुना जल विद्युत्–प्रथम चरण	6.00	(–)0.55	(–)16.72	1.98	10.00	..
2—माताटीला जल विद्युत्	1.00	10.17	15.20	7.96	..	..
3—हरदुआगंज, द्वितीय चरण	110.00	35.82	36.73	4.04	..	..
4—हरदुआगंज, –तृतीय चरण	98.00	49.46	(–)0.18	13.90	10.00	..
5—ओबरा थरमल	9.00	(–)42.26	16.38	(–)44.53	(–)10.00	..
6—रिहन्द में छठी मशीन	6.00	0.04	0.63	..	..	..
7—पनकी थरमल	(–)162.00	25.32	(–)13.10	1.58	(–)9.00	..
योग ..	68.00	78.00	38.94	24.93	1.00	..

8—पहले से चली आ रही शेष दो स्कीमों का परिव्यय और व्यय नीचे दिया गया है;

सारणी 4

(लाख रुपये में)

स्कीम	चौथी योजना का परिव्यय 1969–74	1969–70 वास्तविक व्यय	1070–71 वास्तविक व्यय	1971–72 वास्तविक व्यय	1972–73 अनुमानित व्यय	1973–74 परिव्यय	1969–74 योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1—यमुना जल विद्युत् चतुर्थ चरण (एसानबांध प्रायोजना)	600.00	58.87	105.74	232.06	150.00	250.00	796.67
2—मनेरी भाली भाग–1 ..	1,550.00	41.70	121.84	269.89	500.00	535.00	1868.43
योग ..	2,150.00	100.37	227.58	501.95	650.00	785.00	2,265.10

ऊपर की सारणी से यह विदित है कि पहले से चली आ रही अधूरी स्कीमों पर उससे अधिक व्यय होने की प्रत्याशा है जितना कि चौथी योजना में प्रस्तावित था। इसके बावजूद भी ये दोनों स्कीमें चौथी योजना में पूरी न होगी और इन्हें पांचवीं योजना में चालू रखा जायेगा।

9—चौथी योजना के दौरान नई उत्पादन स्कीमों के लिये 30.92 करोड़ रुपये की तदर्थ व्यवस्था की गई है। निर्माणस्थल पर इन कार्यों की प्रगति के अनुसार 1973–74 के दौरान उत्पादन स्कीमों को जारी रखने के लिये 28.00 करोड़ रुपये अपेक्षित हैं। दो नई उत्पादन स्कीमों अर्थात् पनकी थरमल प्रसार और हरदुआगंज पंचम चरण के लिये मुख्य संयंत्र की सप्लाई करने वालों को क्रमागत भुगतान करने और इन प्रायोजनाओं के संबंध में अन्य निर्माण कार्य करने के लिये क्रमशः 8.00 करोड़ तथा 5.00 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। इसके कारण ओबरा थरमल प्रसार द्वितीय चरण तथा दूसरी नई स्कीमों के लिये धनराशि शेष नहीं रहती। इन स्कीमों के लिये संयंत्र विनिर्माताओं को अग्रिम भुगतान करने के लिये तथा निस्तारित स्कीमों के संबंध में प्रारंभिक निर्माण कार्यों को निष्पादित करने के लिये जिससे कि वे पांचवी योजना में फल देने लगें 75.63 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जैसा कि नीचे के व्यौरे से ज्ञात होगा। उपर्युक्त धनराशि में से 22.98 करोड़ रुपयों की 1972–73 में ही और शेष 52.65 करोड़ रुपयों की 1973–74 में आवश्यकता होगी।

सारणी 5

(लाख रुपये में)

स्कीम	1972–73			1973–74	
	आवश्यकता	उपलब्ध	शेष	आवश्यकता	कुल अतिरिक्त आवश्यकता जिसमें 1972–73 की शेष धनराशि सम्मिलित है
1	2	3	4	5	6
(1) स्कीमें जो निस्तारित हो चुकी हैं					
1—ओबरा थरमल प्रसार द्वितीय चरण	875	104	771	1,552	2,323
2—टेहरी बांध प्रायोजना	150*	150	..	500	500

(2) स्कीमें जिनमें अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है--

3--ओबरा थरमल प्रसार तृतीय चरण	772	200	572	2,052	2,624*
4--हरदुआगंज षष्ठम् चरण	965	10	955	211	1,166*
5--गोरखपुर थरमल	..	..	..	275	275
6--मात टीला थरमल	..	..	..	275	275
7--लखवाड़ बियासी	30*	30	..	100	100
8--ऋषिकेश हरद्वार	10*	10	..	100	100
9--मनेरी भाली भाग २	10 *	10	..	50	50
10--विष्णु प्रयाग	..	..	..	150	150
योग ..	28,812	514	2.298	5,265	7,563

*संयंत्र के लिये आर्डर दिया जा चुका है और 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जा चुका है ।

अधिष्ठापित क्षमता

12—उत्तर प्रदेश में विद्युत् प्रायोजनाओं की प्रगति को जो धक्का पहुंचा है उसका कारण केवल संसाधनों की कमी ही नहीं है बल्कि निर्माताओं द्वारा विद्युत् संयंत्रों को देर से सप्लाई करना भी है। वार्षिक स्कीमवार मूल योजना के लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई हैं —

सारणी 8

(मेगावाट)

स्कीम	1969–70		1970–71		1971–72		1972–73			1973–74	
	मूल लक्ष्य	उपलब्धि	मूल लक्ष्य	उपलब्धि	मूल लक्ष्य	उपलब्धि	मूल लक्ष्य	(पुनरीक्षित) लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	मूल लक्ष्य	प्रस्तावित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1—यमुना जल-विद्युत्-प्रथम चरण	28.25	28.25	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2—ओबरा जल-विद्युत्	99.00	..	..	66	..	33	..	..	..	..	..
3—ओबरा थरमल	100.00	50.00	..	..	..	50	..	..	..	..	..
4—ओबरा थरमल प्रसार, प्रथम चरण	..	..	..	..	110	..	200	200	100	..	200
5—हरदुआगंज, चतुर्थ चरण	..	..	110	..	..	55	..	55	55	..	..

6—यमुना जल-विद्युत् द्वितीय चरण	..	..	..	..	180	..	60	..	..	120	180
7—रामगंगा	..	..	..	..	..	..	120	..	..	60	..
8—यमुना जल-विद्युत् चतुर्थ चरण भाग–1	..	..	..	..	..	..	30	..	..	..	..
9—धकवान जल-विद्युत्	..	..	..	..	..	..	..	..	..	22.5	..
कुल योग ..	227.25	78.25	110.00	66	280	138	410	255	155	202.5	380
पुराने तथा बेकार सेटों का हटाया जाना	30.17	20.27	30.13	..	..	..	..	..	..	..	..
शुद्ध योग ..	197.08	57.98	79.87	66	280	138	410	255	155	202.5	380

13—1972–73 का लक्ष्य 255 मेगावाट नियत किया गया था, जिसकी तुलना में इस वर्ष के दौरान केवल 55 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता इस प्रणाली में और बढ़ाये जाने का अनुमान है। किन्तु 1973–74 में 202.5 मेगावाट के मूल लक्ष्य की तुलना में 380 मेगावाट की उपलब्धि की आशा है।

संभाव्य विद्युत् क्षमता तथा आवश्यकता में अन्तर

14—चौथी योजना के आरंभ में तथा चौथी योजना के प्रत्येक वर्ष के अन्त में अधिष्ठापित क्षमता, सुनिश्चित क्षमता और अधिकतम मांग के संबंध में उपलब्धि का स्तर निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

सारणी 9

मद	यूनिट	प्रत्येक वर्ष के अन्त में उपलब्धि का स्तर					
		1968–69	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1—अधिष्ठापित क्षमता	मेगावाट	1310.04	1368.02	1434.02	1572.02	1727.02	2107.02
2—सुनिश्चित क्षमता	मेगावाट	870	940	1000	1100	1210	1475
3—अधिकतम मांग	मेगावाट	978	1117	1282	1364	1605	1814

15—-उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि विद्युत् की मांग और उसकी उपलब्धि में अन्तर बढ़ता जा रहा है और यहां तक कि वर्ष 1973-74 में बिजली की मांग के कम से कम अनुमानों के आधार पर भी, जिनका कि निर्धारण सातवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण ने किया है, यह अन्तर 340 मेगावाट का हो जायगा। इस अन्तर को पूरा करने के लिये 500 मेगावाट की अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता होगी।

पारेषण तथा वितरण

16—पारेषण तथा वितरण संबंधी स्कीमों के लिये 125.27 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया है, जो राज्य के विद्युत् क्षेत्रों की चौथी योजना के परिव्यय का 33 प्रतिशत है। आशा की जाती है कि योजना के पहले चार वर्षों में 97.09 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा, जोकि चौथी योजना के लिये नियत धनराशि का लगभग 77.5 प्रतिशत है 1973-74 के दौरान पारेषण तथा वितरण की स्कीमों के लिये 30.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। वास्तविक व्यय तथा प्रस्तावित परिव्यय नीचे दिये गये हैं:—

तालिका 10

(लाख रुपये में)

स्कीम	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 वास्तविक व्यय	1971-72 वास्तविक व्यय	1972-73 अनुमानित व्यय	1973-74 परिव्यय
पारेषण तथा वितरण की स्कीमें—					
(1) नैमित्तिक	179	143	107	137	140
(2) अन्य	1,784	2,181	2,371	2,807	2,860
योग ..	1,963	2,324	2,478	2,944	3,000

17—-विभिन्न नैमित्तिक पारेषण तथा रूपान्तरण संबंधी निर्माण कार्यों के ब्योरे विवरण-पत्र 2 में नीचे दिये गये हैं।

18—1973-74 के 3,000 लाख रुपये के परिव्यय को नीचे दिये गये पारेषण तथा वितरण संबंधी विभिन्न लघु शीर्षकों के अन्तर्गत उपयोग करने का प्रस्ताव है:—

तालिका 11

मद	परिव्यय लाख रुपये में
(1) मुख्य पारेषण लाइनें तथा संबद्ध उपकेन्द्र (66 किलोवोल्ट तथा इससे अधिक)	1,600
(2) सहायक (सेकेंडरी) पारेषण लाइनें तथा सम्बद्ध उपकेन्द्र (37.5/33 किलोवोल्ट)	1,100*
(3) नगरों में लाइनों (मेंस) का प्रसार तथा सुधार	70
(4) नगरों में सर्विस कनेक्शन	160
(5) कानपुर विद्युत सप्लाई प्रशासन (केसा) के पारेषण तथा वितरण संबंधी निर्माण-कार्य	70
योग ..	3,000

19—निम्नलिखित लम्बाई की मुख्य पारेषण लाइनें (66 किलोवोल्ट तथा उससे अधिक थी) तथा सहायक पारेषण लाइनें (37.5/33 किलोवोल्ट की) सम्बद्ध उपकेन्द्रों सहित, चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूरा करने के लिये प्रारम्भ में प्रस्तावित की गयी थीं :

(1) मुख्य पारेषण लाइनें (66 किलोवोल्ट तथा अधिक की) सम्बद्ध उप-केन्द्रों के सहित.........4,500 सर्किट किलोमीटर

(2) सहायक पारेषण लाइनें (37.5/33 किलोवोल्ट की) सहायक उप केन्द्रों के सहित.........13,000 सर्किट कि०मी०

20—सामग्री तथा सज्जा की बढ़ती हुई लागत, वित्तीय संसाधनों की कमी तथा विभिन्न प्रकार के इस्पात खंडों, जस्ते और अल्युमिनियम आदि के उपलब्ध करने में लगातार होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए मुख्य पारेषण लाइनों के उपर्युक्त लक्ष्य घटकर 2,500 सर्किट किलोमीटर तथा सहायक पारेषण लाइनों के 10,000 सर्किट किलोमीटर रह जाने की आशा है।

*इसमें 27 पिछड़े हुए जिलों के लिये नैमित्तिक 400 लाख रुपये सम्मिलित हैं।

21—पारेषण संबंधी निर्माण कार्यों की सामग्री की अत्यधिक कमी के कारण वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान क्रमशः 304, 207 तथा 400 सर्किट किलोमीटर की मुख्य पारेषण लाइनों का कार्य पूरा किया जा चुका है। सहायक (सेकेंड्री) पारेषण लाइनों की प्रगति संतोषजनक रही और 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान क्रमशः 1,554, 1,275 तथा 1,858 सर्किट किलोमीटर की लम्बाई का कार्य पूरा किया गया। वास्तविक उपलब्धि तथा लक्ष्यों को नीचे दिया गया है:—

तालिका 12

मद	यूनिट	उपलब्धि			1972-73 लक्ष्य	1973-74 लक्ष्य
		1969-70	1970-71	1971-72		
1	2	3	4	5	6	7
(1) मुख्य पारेषण लाइनें (66 किलोवोल्ट तथा अधिक की)	सर्किट किलोमीटर	304	207	400	700	700
(2) सहायक (सेकेन्डरी), पारेषण लाइनें (37.5/33 किलोवोल्ट)	सर्किट किलोमीटर	1,554	1,275	1,858	2,700	2,500

22—बहुत सी मुख्य तथा सहायक (Seeondary) लाइनों और सम्बद्ध उपकेन्द्रों पर भी निर्माण कार्य जारी रहेगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण

23—चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 68.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस परिव्यय में से वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान क्रमशः 15.74, 13.04 और 18.22 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ है।

वर्ष 1972-73 में 11.98 करोड़ रुपए व्यय होने की आशा है। वर्ष 1973-74 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 41.15 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। योजना परिव्यय में से इसके लिए 12.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और शेष 29.15 करोड़ रुपए की धनराशि उपभोक्ताओं के निक्षेपों तथा वित्तीय संस्थाओं से जुटाई जायगी। प्रस्तावित 12.00 करोड़ रुपयों के परिव्यय का उपयोग निम्न प्रकार से किया जायगा:

		(लाख रुपयों में)	
1—व्यक्तिगत नलकूपों/पम्प सेटों का ऊर्जीकरण	10,000 (संख्या)	450	इसके अतिरिक्त 4,000 पम्प सेटों का विद्युतीकरण संस्थात्मक वित्त तथा उपभोक्त निक्षेपों के द्वारा किया जायगा।
2—लो टेन्शन लाइनों के जरिए ग्रामों का विद्युतीकरण	500 (संख्या)	150	
3—हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	3,000 (संख्या)	150	
4—11 कि0 वा0 मेन लाइनों का निर्माण	4,000 किमी0	400*	
5—ग्रामीण उपभोक्ता ..	500 (संख्या)	50	
योग ..		1,200	

24—50,000 किलोमीटर वितरण लाइनों (11 कि0 वा0 तथा उससे कम) का निर्माण करके चौथी योजना के दौरान मूल रूप में 2,100 ग्रामों तथा 1,43,000 निजी नलकूपों और पम्पिग सेटों का ऊर्जीकरण करने की परिकल्पना की गई थी। निजी नलकूपों और पम्पिग सेटों का ऊर्जीकरण करने तथा नए ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य में वृद्धि करके उन्हें क्रमशः 2,00,000 और 15,000 कर दिया गया है। इस प्रकार निर्माण की जाने वालीवितरण लाइनों में वृद्धि हो जायगी। वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान पूर्ण की गई वितरण लाइनों की लम्बाई क्रमशः लगभग 19,850 किलोमीटर, 14,040 किलो मीटर और 15,000 किलोमीटर थी। 1973-74 के दौरान 15,000 किलोमीटर की वितरण लाइनों के निर्माण कार्य को पूरा कर लेने का प्रस्ताव है, जिनमें से 4,000 किलोमीटर केवल 11 कि0 वा0 मुख्य पोषक लाइनें से (Main Feeders) होंगी और 500 ग्रामीण औद्योगिक

*इसमें 27 पिछड़े जिलों के लिए पृथक् रक्षित 200 लाख रु0 की धनराशि सम्मिलित है।

उपभोक्ताओं को बिजली के कनेक्शन दिए जायेंगे। ग्रामों तथा नलकूपों से सम्बन्धित लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी जा रही हैं:—

सारणी—13

मद	इकाई	उपलब्धि (वास्तविक) 1969-70	1970-71	1971-72	1972-73 अनुमानित उपलब्धि	1973-74 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
(1) नए ग्रामों का विद्युतीकरण (केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की परिभाषा के अनुसार)	संख्या	4,410	3,383	3,036	3,000	3,000
(2) निजी नलकूपों और पम्प सेटों का ऊर्जीकरण						
(क) सामान्य कार्यक्रम	संख्या	21,172	15,234	19,996	10,000	10,000
(ख) उपभोक्ता निक्षेप वाणिज्यिक स्कीमें	संख्या	5,292	9,410	10,669	40,000	40,000
योग (2) ..	संख्या	26,464	24,644	30,665	50,000	50,000

25—किन्तु 1972-73 और 1973-74 के दौरान की उपलब्धियां सामग्री तथा संस्थात्मक वित्त के उपलब्ध होने और उपभोक्ता निक्षेप तथा वाणिज्यिक स्कीमों के प्रति उपभोक्ताओं की रुझान पर निर्भर करेंगे।

सर्वेक्षण और अनुसंधान

26—चौथी योजना में भविष्य में आरम्भ की जाने वाली विद्युत् उत्पादन की नयी स्कीमों के सर्वेक्षण और अनुसंधान के लिए 200.00 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान वास्तविक व्यय क्रमशः 21.00 लाख रु०, 19.70 लाख रु० और 16.44 लाख रुपए था और 1972-73 के दौरान अनुमानित व्यय 50 लाख रुपये है। 1973-74 के लिए भी 50 लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत है। इस प्रकार चौथी योजना में 157.14 लाख रुपयों के उपयोग कर लिए जाने की प्रत्याशा की

जाती है, जोकि योजना में की गई व्यवस्था का 78.6 प्रतिशत है । निम्नलिखित जल विद्युत् स्कीमों पर शोध कार्य चालू है :-

(1) कोटली—भेल बांध;
(2) कोटेश्वर;
(3) लोहारी नाग—पाला;
(4) उत्यासू बांध;
(5) तपोवन—विष्णुगड़;
(6) मरकूरा—तपोवन;
(7) लखबाड़—व्यासी

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्कीमें

27 पास-पड़ोस के राज्यों के बीच बिजली को और अधिक प्रभावकारी अन्तर-राज्यीय पारेषण लाइनों की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश के भाग का निम्नलिखित पांच अन्तर-राज्यीय श्रृंखलाओं के लिए 174.75 लाख रुपए की धनराशि की प्रायोजना का अनुमान तैयार किया गया और भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था—

(1) 220 किलो वोल्ट एस0 सी0 मुगलसराय—देहरी (बिहार)।
(2) 220 किलो वोल्ट एस0 सी0 शामली—पानीपत (हरियाणा)।
(3) 132 किलो वोल्ट एस0 सी0 इटावा—ग्वालियर (मध्य प्रदेश)।
(4) 132 किलो वोल्ट एस0 सी0 मथुरा—भरतपुर (राजस्थान)।
(5) 132 किलो वोल्ट एस0 सी0 ढालीपुर—गिरि (हिमांचल प्रदेश)।

28—उपर्युक्त श्रृंखलाओं के अतिरिक्त, 220 किलो वोल्ट एस0 सी0 मुरादनगर—बदरपुर (दिल्ली) और 132 किलो वाट रिहन्द—मोरवा—अमरकंटक (मध्य प्रदेश) (द्वितीय सर्किट स्ट्रिंजिग) लाइनों के लिए, जिनमें क्रमशः 76.45 लाख रुपए और 82.68 लाख रु0 व्यय होंगे, योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का अंश क्रमशः 63.27 लाख रुपये और 17.39 लाख रु0 होगा ।

29—शामली—पानीपत इटावा—ग्वालियर लाइनों को छोड़कर, उपर्युक्त सभी लाइनों पर कार्य चालू है। अलवर (राजस्थान) से हरदुआगंज (उ0 प्र0) तक 220 किलो वोल्ट सिंगिल सर्किट अन्तर्राज्यिक कड़ी (ग्रिड) के निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है । इस लाइन को सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय द्वारा अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित कर लिया गया है। परन्तु उत्तर प्रदेश में विद्युत् की अत्यधिक कमी तथा राजस्थान आटोमिक पावर प्रोजेक्ट से संभाव्य विद्युत् उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक समझा जाता है कि इस लाइन के निर्माण का कार्य चौथी योजना में ही आरम्भ किया जाय और तदनुसार वर्ष 1973-74 के दौरान इस लाइन के लिए 50 लाख रुपये के आवंटन हेतु भारत सरकार से कहा गया है।

30—1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान क्रमशः 9.48 लाख रु0, 37.75 लाख रु0 और 26.17 लाख रु0 का व्यय हुआ। 1972-73 के दौरान प्रत्याशित व्यय तथा 1973-74 के लिए परिव्यय क्रमशः 51.63 लाख रु0 और 61.53 लाख रु0 हैं ।

31—1973-74 के दौरान संयंत्र निर्माताओं को अग्रिम भुगतान करने के लिए तथा सिविल वर्क और साथ ही स्वीकृत सड़कों के निर्माण के लिए 47.40 करोड़ रु0 का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

विद्युत् परियोजनाओं के परिव्यय एवं व्यय का विवरण

मद—4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4. 3. विद्युत्

संकेत संख्या	परियोजनायें	अनुमानित लागत स्वीकृत	अनुमानित लागत पुनरीक्षित	वर्ष 1968-69 के अन्त तक किया गया व्यय
1	2	3	4	5
	(क)—जेनेरेशन			
	(1) चालू परियोजनायें—			
430101	यमुना हाइडिल परियोजना—प्रथम चरण	1,683	1,700	1,715
	द्वितीय चरण	5,245	9,000	2,573
430102	ओबरा हाइडिल	2,424	2,424	1,752
430103	रामगंगा हाइडिल	2,764	3,111	726
430104	मातटीला हाइडिल	524	903	902

(लाख रुपये में)

चौथी योजना परिव्यय (1969—74)			वास्तविक व्यय			1972—73		1973—74 (परिव्यय)		
कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969—70	1970—71	1971—72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	6	..	(—) 0.55	(—) 16.72	1.98	..	10	..	..	..
4,000	4,000	85	927.96	1,082.34	1,343.13	1,000	1,000	720	720	..
672	672	8	254.19	120.43	86.44	100	30	17	17	..
1,990	1,990	2	507.84	512.93	259.41	300	150	850	850	..
1	1	..	10.17	15.20	7.96	..	..	..	..	..

मद--4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग--4.3. विद्युत् (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजनायें	अनुमानित लागत		वर्ष 1968-69 के अन्त तक किया गया व्यय
		स्वीकृत	पुनरीक्षित	
1	2	3	4	5
430105	हरदुआगंज--द्वितीय चरण	364	440	330
430106	हरदुआगंज--तृतीय चरण	1,044	2,000	1,902
430107	ओबरा थरमल	4,057	4,057	4,048
430108	हरदुआगंज--चतुर्थ चरण	1,097	2,156	1,035
430109	ओबरा थरमल एक्सटेंशन--प्रथम चरण	3,131	5,334	687
430110	यमुना हाइडिल योजना--चतुर्थ चरण (प्रथम भाग) (असन बैरेज योजना)	651	900	3.5
430111	मनेरी भाली हाइडिल--प्रथम भाग	1,778	3,000	1.5

(लाख रुपये में)

चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक व्यय			1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70	1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
110	110	..	35.82	36.73	44.04	..	..	..	..	..
98	98	..	49.46	(−)0.18	13.90	10	10	..	..	..
9	9	..	(−)42.26	16.38	(−)44.53	(−)10	(−)10	..	..	..
1,121	1,121	..	571.31	474.16	182.72	55	200	7	7	..
4,600	4,600	60	1,373.14	1,416.95	905.59	500	875	421	421	..
600	600	40	58.87	105.74	232.06	200	150	250	250	..
1,550	1,550	190	41.70	121.84	269.89	500	500	535	535	..

मद--4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग--4·3. विद्युत् (क्रमशः)

संकेत-संख्या	परियोजनायें		अनुमानित लागत		वर्ष 1968-69 के अन्त तक किया गया व्यय
			स्वीकृत	पुनरीक्षित	
1	2		3	4	5
430112	धुकवान हाइडिल		301	400	..
430113	रिहन्द में छठवीं मशीन		78	78	72
430114	पनकी थर्मल		1,051	1,051	1,213
		योग ..	26,192	36,554	16,960
	(2) नई परियोजनाएं--				
430115	ओबरा थर्मल एक्सटेंशन--द्वितीय-चरण		8,989	8,989	.. (430115 तथा 430116 के लिए)
430116	पनकी थर्मल एक्सटेंशन		3,520	3,520	

(लाख रुपये में)

चौथी योजना परिव्यय 1969–74			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 परिव्यय		
कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	100	..	..	..	..	..	..	..	..	...
6	6	..	0.04	0.63	..	..	..	..	..	..
(–)162	(–)162	..	25.32	(–)13.10	1.58	(–)9	(–)9	..	..	..
14,701	14,701	385	3,813.01	3,873.33	3,304.17	2,646	2,906	2,800	2,800	..
3,072	3,072	90	..	197.20	297.23	204	254	..	..	..
				235.03	352.66	500	500	800	800	10

मद--4. सिंचाई तथा विद्युत्

वर्ग--4.3. विद्युत् (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजनायें		अनुमानित लागत स्वीकृत	पुनरीक्षित-	वर्ष 1968-69 के अन्त तक किया गया व्यय
1	2		3	4	5
430117	हरदुआगंज--पांचवां चरण		1,929	1,929	..
	टेहरी बांध योजना		..	..	..
	अन्य नयी परियोजनायें		..	..	..
	योग	..	..	..	..
	योग (क)--जेनरेशन	..	..	..	16,960
	(ख) ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रिब्यूशन--				
430201	(i) 66 के० वा० और अधिक		4,892	14,600	7,527
	(ii) 37.5/33 के० वा० प्रसार तथा सुधार इत्यादि		..	8,657	..
	योग (ख) ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रिब्यूशन	..	4,892	*23,257	7,527

(लाख रुपये में)

चौथी योजना परिव्यय (1969–70)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				145.83	156.21	300	300	500	500	..
				..	..	..	140	..	..	..
				..	305.26	..	50	..	..	..
3,072	3,072	90	..	578.06	1,111.36	1,004	1,244	1,300	1,300	10
17,773	17,773	475	3,813.01	4,451.39	4,415.53	3,650	4,150	4,100	4,100	10
12,527	12,527	2,000	960.00	1,025.00	1,280.32	1,600	1,600	1,600	1,600	400
			1,003.26	1,298.69	1,198.05	1,344	1,344	1,400	1,400	..
12,527	12,527	2,000	1,963.26	2,323.69	2,478.37	2,944	2,944	3,000	3,000	400

मद—4.सिचाई तथा विद्युत्

वर्ग—4.3. विद्युत् (समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना			अनुमानित लागत स्वीकृत	अनुमानित लागत पुनरीक्षित	वर्ष 1968-69 के अन्त तक किया गया व्यय
1	2			3	4	5
430301	(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण	..	..	..	13,281	6,481
	(घ)—अनुसंधान तथा विविध—					
430401	विविध (छोटी पहाड़ी परियोजनायें)	..	..	626	626	56
430402	सर्वेक्षण तथा अनुसंधान	..	..	286	286	86
	योग—(घ) अनुसंधान तथा विविध		..	912	912	142
	योग 4.3. विद्युत्		..	..	..	*31,110*

(लाख रुपये में)

चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6,800	6,800	20	1,574.13	1,303.81	1,822.34	1,198	1,198	1,200	1,200	4
200	200	..	15.60	17.45	90.49	50	50	50	50	..
200	200	..	21.00	19.70	16.44	50	50	50	50	..
400	400	..	36.60	37.15	106.93	100	100	100	100	..
37,500	*37,500*	*2,495*	*7,387.00*	*8,116.04*	*8,823.17*	*7,892*	*8,392*	*8,400*	*8,400*	*414*

9—उद्योग और खनिज विकास

(1) वृहद् और मध्यम उद्योग

इस क्षेत्र के लिये चौथी योजना में 2,372.50 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में 1,855.07 लाख रु० की धनराशि खर्च की गई। वर्ष 1972–73 के लिये निर्धारित 351.07 लाख रु० के परिव्यय के पूर्ण उपयोग होने की आशा है। वर्ष 1973–74 के लिये 488.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के ब्योरे नीचे दिये गये हैं :—

उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम

2—इस निगम का उद्देश्य राज्य में सीमेन्ट उद्योग का विस्तार करना है। राज्य सरकार ने निगम की स्थापना के लिये वर्ष 1972–73 के दौरान 100 लाख रु० का पूंजी विनियोजन करने का निर्णय लिया था। सबसे पहले निगम ने डल्ला सीमेन्ट कारखाने के विस्तार का कार्य लिया। इस निगम के लिये 1973–74 में विनियोजन के लिये 25 लाख रु० की आवश्यकता होगी, जिसके लिये उतनी ही धनराशि का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि 1973–74 में इस निगम को 25 लाख रु० का ऋण दिया जाय।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम में विनियोजन

3—इस परियोजना के लिये चौथी योजना में 500 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में 307.73 लाख रु० की धनराशि व्यय की गई। 1972–73 में 75 लाख रु० के व्यय की प्रत्याशा है।

4—इस निगम के मुख्य कार्यकलाप औद्योगिक उपक्रमों के लिये निर्माण स्थलों का विकास करना और राज्य में औद्योगिक प्रायोजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाली सार्वजनिक लिमिटेड संस्थाओं की अंश पूंजी की हामीदारी (अन्डर राईटिंग) करना है। निगम के पास ऐसे औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की योजना है, जो या तो निगम के स्वामित्व में होंगे या निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित किये जायेंगे। निगम की इस योजना को भारत सरकार ने प्रोत्साहित किया है और निगम मुद्रण मशीनें, रेजर ब्लेड, स्कूटर, नरम लोह–छड़ (माइल्ड स्टील बिलेट्स) और इलेक्ट्रोड्स का निर्माण करने के लिये औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना उद्देश्य है। प्रायोजना की समुपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए निगम लागत के 20 प्रतिशत तक अंशकों की हामीदारी लेता है।

औद्योगिक क्षेत्र योजना

5—औद्योगिक नगरों का सुनियोजित ढंग से विकास करने और उद्योगों की स्थापना के लिये उद्यम–कर्ताओं को सस्ते दामों पर भूमि की व्यवस्था करने के उद्देश्य से निर्माण स्थलों को विकसित करने का काम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को सौंपा गया है। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और बरेली में भूमि के विकास और निर्माण स्थलों के वितरण में काफी सफलता मिली है।

6—इस परियोजना के लिये चौथी योजना के 300 लाख रु० के परिव्यय के समक्ष प्रथम तीन वर्षों का व्यय 307 लाख रु० है। 1972–73 के दौरान 108.75 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जिसे पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जायगा।

सूती वस्त्र (टेक्सटाइल) और शकर उद्योगों को मजबूत बनाना तथा उनका आधुनिकीकरण

7—राज्य में सूती वस्त्र और शकर उद्योग संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं और इनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। संकट को दूर करने के लिये स्थापित निगम उन सूती वस्त्र मिलों के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है, जो उसे पाने के लिये उत्सुक रहती हैं। वर्ष 1973-74 के दौरान इस परियोजना के लिये 160 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

8—यह निगम उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करता है। वर्ष 1971-72 में निगम ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये कुल 5 लाख रु० के ऋण दिये। वर्ष 1972-73 में इस परियोजना के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। 1973-74 के लिये 50 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत है।

बिक्री कर के बदले में ऋण

9—यह निर्णय लिया गया है कि तीन वर्ष की अवधि के लिये नयी औद्योगिक इकाइयों को तैयार माल पर जो बिक्री कर से छूट दी गई थी वह वर्ष 1972-73 से समाप्त कर दिया जाय और इस प्रकार इन इकाइयों को पिक-अप के माध्यम से उस बिक्री कर के लिये, जो इस अवधि के दौरान जमा किया गया था, राज्य सरकार ऋण देगी। तदनुसार 1973-74 के लिये 50 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

(2) खनिज विकास

10—खनिज विकास के लिये चौथी योजना का परिव्यय 95 लाख रु० है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में 65.94 लाख रु० की धनराशि व्यय की गई। वर्ष 1972-73 के लिये 35 लाख रु० के परिव्यय का पूर्णतया उपयोग होने का अनुमान है। वर्ष 1973-74 के लिये 60 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत है जिसमें 10 लाख रु० खनिज विकास निगम स्थापित किये जाने के लिये सम्मिलित है।

11—भूगर्भ एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा इस राज्य में खनिज अन्वेषण कार्यक्रम पर कई ब्योरेवार और प्राथमिक अनुसंधान किये गये। इन कार्यक्रमों में मिर्जापुर जिले के रोहतास और कजराहाट में चूने के पत्थर के भण्डार और झांसी के सोनरई क्षेत्र में तांबे की तलाश और जांच करने तथा इलाहाबाद में सिलिका सैंड, अल्मोड़ा में मैग्नेसाइट और पिथौरागढ़ तथा चमोली जिले में मैग्नेसाइट और सेलखड़ी (सोप-स्टोन) संबंधी अनुसंधान महत्वपूर्ण हैं।

12—इस निदेशालय ने राज्य में कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों का भी पता लगाया है जहां विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाये गये हैं। इन खनिजों के सर्वेक्षण का कार्यक्रम तथा मिर्जापुर में डोलोमाइट और चूना, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में मैग्नेसाइट, इलाहाबाद और बांदा में सिलिका सैंड तथा हमीरपुर और झांसी में जिप्सम को तलाश करने का कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है।

13—वर्तमान चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित नई योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया गया है :-

(1) उत्तर प्रदेश के हिमालय के संभाग में संभागीय तलाश और जांच को तीव्र करना।

(2) सिलिका सैंड की तलाश और जांच को तीव्र करना।

(3) झांसी जिले के दक्षिणी भाग में भूभौतिक सर्वेक्षण।

मद--5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग--5.1. वृहद एवं मध्यम उद्योग

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
510101	राजकीय सीमेंट फैक्टरी, डल्ला	200.00	200.00	122.00	208.64
510102	सीमेन्ट निगम को शेयर पूंजी के लिये अंशदान	600.00	600.00	100.00	..
510103	डेड बर्न्ट मैगनेसाइट	102.00	102.00	..	..
510104	राजकीय आप्टिकल इंन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी	1.00	1.00	..	0.33
510105	राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र कारखाना का आधुनिकीकरण	4.50	4.50	..	..
510106	पावर टिलर स्कीम	1.00	1.00	..	..
510107	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	300.00	300.00	..	..
510108	उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक निगम द्वारा हिस्सों का अन्डर राइटिंग	500.00	500.00	..	74.00
510109	औद्योगिक क्षेत्र योजना	300.00	300.00	..	85.00
510110	राजकीय क्षेत्र प्रायोजनाओं के लिये भूमि लेना	500.00	50.00	..	20.92
510111	कपड़ा तथा चीनी उद्योग को आधुनिक तथा मजबूत बनाना	301.00	301.00	..	80.00

परिव्यय तथा व्यय

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
76.06	51.79	..	..	..	..	..
..	..	100.00	100.00	25.00	25.00	..
26.00	24.00	..	..	0.01	0.01	..
0.49	0.07	0.20	0.20	..	..	..
..	..	0.01	..	0.01	0.01	..
..	..	..	..	..	..	..
65.00	5.00	..	..	50.00	50.00	..
233.73	..	75.00	75.00	..	..	..
1.00	221.00	108.75	108.75	..	..	..
4.02	22.72	5.00	5.00	50.00	50.00	..
221.59	300.00	60.00	60.00	160.00	160.00	..

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.1. वृहद एवं मध्यम उद्योग (समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वविास्तक 1969–70
1	2	3	4	5	6
510112	मैनेजमेन्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट	1.00	1.00	..	..
510113	रबर इमल्सी फायर्स का बनाना	6.50	6.50	..	..
510114	भारी उद्योग के अनुभाग का पुनरसंगठन	5.50	..	..	1.00
510115	सीमेन्ट निगम को ऋण	..	..	..	..
510116	प्रदेशीय औद्योगिक विनियोग निगम	..	..	..	..
510117	बिक्री कर के बदले ऋण	..	..	..	..
510118	पीके ऊप के एवज में ऋण	..	..	..	..
510119	उद्योगों में प्रोत्साहन	..	..	..	..
510120	राजकीय मुद्रणालय की स्थापना	..	..	..	..
	योग, 5.1. वृहद एवं मध्यम उद्योग ..	*2,372.50*	*2,367.00*	*222.00*	*469.89*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	1.00	1.00	10.00	10.00	..
5.57	..	..	..	..	..	..
0.91	1.20	1.12	1.12	1.35	..	..
..	125.00	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	50.00	50.00	..
..	..	..	..	90.00	90.00	..
..	..	..	..	46.63	..	..
..	..	..	..	5.00	5.00	..
634.40	*750.78*	*351.08*	*351.07*	*488.00*	*440.65*	..

परियोजना वार

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म
वर्ग—5.2. खनिज विकास

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969 74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
520101	भूगर्भ तथा खनिकर्म निदेशालय, उ० प्र० का विस्तार	95.00	..	3.83	11.56
	नई परियोजना				
	खनिकर्म विकास निगम की स्थापना	..	..	..	..
	योग 5.2 खनिज विकास	*95.00*	..	*3.83*	*11.56*

परिव्यय तथा व्यय

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
23.06	31.32	35.00	35.00	50.00	..	0.05
..	..	..	..	10.00	10.00	..
23.06	*31.32*	*35.00*	*35.00*	*60.00*	*10.00*	*0.05*

10—ग्राम और लघु उद्योग

इस क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये चौथी आयोजना में 20.10 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में 619.60 लाख रु० की धनराशि उपयोग कर ली गई। वर्ष 1972-73 के दौरान 350 लाख रु० की धनराशि खर्च होने का अनुमान है। वर्ष 1973-74 के लिये 500 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित सारणी में व्यय के वर्गवार आंकड़े तथा 1973-74 के लिये निर्धारित परिव्यय दिखाये गये हैं :—

सारणी

(लाख रुपये में)

वर्ग	चौथी योजना का परिव्यय	वास्तविक व्यय 1969-70	वास्तविक व्यय 1970-71	अनुमानित व्यय 1971-72	अनुमानित व्यय 1972-73	1973-74 (परिव्यय)
1	2	3	4	5	6	7
1—हथकरघा	381.00	25.45	54.32	30.91	53.57	114.00
2—शक्ति चालित करघा	10.25	3.00	1.96	..	..	..
3—लघु उद्योग	1,423.75	108.03	132.54	184.22	231.17	320.90
4—औद्योगिक आस्थान	50.00	8.01	8.00	13.65	28.45	30.22
5—हस्त-शिल्प	70.00	5.18	6.15	5.79	15.10	13.70
6—रेशम उत्पादन	50.00	5.13	5.41	12.01	16.96	14.73
7—खादी और ग्रामोद्योग	25.00	1.73	4.28	3.83	4.75	6.45
योग	2010.00	156.53	212.66	250.41	350.00	500.00

2—योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्तर्गत हुई प्रगति तथा वर्ष 1973-74 के लक्ष्यों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

(1) हथकरघा—इस क्षेत्र में चौथी योजना अवधि में 2,500 करघों को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इनमें से 944 करघे 1969-70 के दौरान और 2,551 करघे 1970-71 के दौरान तथा 1971-72 के दौरान 4,000 करघे सहकारी क्षेत्र में लाये गये। वर्ष 1972--73 में सहकारी क्षेत्र में 400 करघे लाये जाने की आशा है। वर्ष 1973-74 में सहकारी क्षेत्र में 600 अतिरिक्त करघे लाने का लक्ष्य है। चौथी योजना अवधि में हथकरघा पर 7,950 लाख मीटर कपड़ा तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से योजना के प्रथम तीन वर्षों में 4,764.31 लाख मीटर कपड़ा तैयार किया गया। वर्ष 1972-73 में 1,250 लाख मीटर कपड़ा तैयार किये जाने का अनुमान है तथा 1973-74 के दौरान 800 लाख मीटर कपड़ा तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हथकरघे के कपड़े की बिक्री पर छूट के रूप में कुल 85 लाख रु० की धनराशि का उपयोग किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 1969-70 के दौरान 10.80 लाख रु० की धनराशि और 1970-71 में 10.34 लाख रु० की धनराशि, 1971-72 में 15.25 लाख रु० की धनराशि और 1972-73 में 20.05 लाख रु० की धनराशि का उपयोग किया गया था। इस योजना के लिये वर्ष 1973-74 में 26 लाख रु० की धनराशि अलग रख दी गई है। चौथी योजना के प्रारम्भ में यह परिकल्पना की गयी थी कि बुनकर सहकारी समितियों के लिये अंशपूंजी-ऋण के रूप में 50 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था की जायगी। इसमें से योजना के तीन वर्षों में 24.34 लाख रु० का उपयोग किया गया था और 8.25 लाख रु० का उपयोग चालू वर्ष में कर लिये जाने का अनुमान है जब कि वर्ष 1973-74 के लिए 12.00 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(2) शक्ति चालित करघे—चौथी योजना के प्रारम्भ में राज्य में आवंटन के लिये शक्ति चलित 10,300 करघे उपलब्ध थे, जिनमें से 1,000 करघे सहकारी संगठनों के लिये थे। शक्ति चालित सभी करघे आवंटित कर दिये गये हैं, जिनमें से 638 करघे सहकारी क्षेत्र में दिये गये हैं। इन करघों की ऋण के रूप में वित्तीय सहायता, उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यू० पी० फाइनेन्शियल कारपोरेशन) के माध्यम से दी जा रही है। अभी तक इस प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश वित्त निगम को 4.96 लाख रु० की धनराशि उपलब्ध की जा चुकी है। वर्ष 1973-74 के लिये यह परिकल्पना की गई है कि इस प्रयोजन के लिये इसके अतिरिक्त और निधियों की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) लघु उद्योग—इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश वित्त निगम के माध्यम से 1969-70 के दौरान 65 लाख रु०, वर्ष 1970-71 में 29 लाख रु० तथा वर्ष 1971—72 में 76.50 लाख रु० के ऋण वितरित किये गये थे। वर्ष 1972-73 के लिये इस प्रयोजनार्थ 50 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। लघु उद्योग इकाइयों को विद्युत्-उपयोग संबंधी राज-सहायता के रूप में वर्ष 1969-70 के दौरान 3.98 लाख रु0, 1970-71 में 7.38 लाख रु० और वर्ष 1971-72 में 8.50 लाख रु० संवितरित किया गया। वर्ष 1972-73 में 8.50 लाख रु0 तक की धनराशि संवितरित किये जाने का अनुमान है। प्राविधिक उद्योगों के लिये मशीनें खरीदने हेतु ऋण के साथ-साथ 10 प्रतिशत तक राज-सहायता देने का प्रस्ताव है।

(4) औद्योगिक आस्थान—चौथी योजना में इस शीर्षक के अन्तर्गत 50 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें से वर्ष 1969-70, 1970-71, और

1971–72 में क्रमशः 8.01 लाख रु०, 8.00 लाख रु०, और 13.65 लाख रु० की धनराशियां खर्च की गई थीं। वर्ष 1972–73 के दौरान 28.45 लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1973–74 के दौरान इस क्षेत्र के लिये 30.22 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1972–73 के दौरान कानपुर और रनिया में पहले ही शुरू किये गये कार्य को चालू रखा जायगा। रनिया में अर्जित भूमि को विकसित करने तथा लखनऊ, नैनी, रायबरेली और मथुरा में भी भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रुड़की, प्रतापपुर (मेरठ), लखनऊ और वाराणसी में स्थित वर्तमान औद्योगिक आस्थानों के प्रसार का कार्य भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

(5) हस्तशिल्प—सम्पूर्ण चौथी योजना अवधि के दौरान 50 हस्तशिल्प सहकारी समितियां संगठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से 1969–70 के दौरान 19, 1970–71 में 57 और 1971–72 में 35 हस्तशिल्प सहकारी समितियां संगठित की गईं। वर्ष 1972–73 के दौरान 10 हस्तशिल्प सहकारी समितियां संगठित की जा रही हैं और 1973–74 में 18 सहकारी समितियां संगठित की जायेंगी। वर्ष 1969–70 में 65, वर्ष 1970–71 में 39, और वर्ष 1971–72 में 50 नई डिजाइनें विकसित की गईं। वर्ष 1972–73 में 50 नई डिजाइनें विकसित किये जाने की आशा है जब कि 1973–74 के दौरान 50 अतिरिक्त नई डिजाइनें विकसित करने का प्रस्ताव है।

(6) रेशम उत्पादन—चौथी योजना में कुल 36 हेक्टेयर क्षेत्र में 13 रेशम उत्पादन फार्म स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था जिनमें से दो फार्म 1969–70 में और दो फार्म 1970–71 में स्थापित किये गये थे। वर्ष 1971–72 में 16 नर्सरियां स्थापित की जा चुकी हैं और वर्ष 1972–73 में 8 नये फार्म स्थापित करने का विचार है।

(7) खादी और ग्रामोद्योग—इस क्षेत्र के लिये कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य राज्य खादी बोर्ड और ग्रामोद्योग बोर्ड को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने इस निमित्त 1969–70 में 1.73 लाख रुपये, 1970–71 में 4.28 लाख रुपये, 1971–72 में 3.83 लाख रुपये और 1972–73 में 4.75 लाख रुपये के अंशदान दिए हैं। वर्ष 1973–74 में 6.45 लाख रुपये का परिव्यय इस योजना के लिए स्वीकृत किया गया है।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

3—इस राज्य में विगत 9 वर्षों से राज्य के पांच स्थानों अर्थात् देवबन्द (सहारनपुर), ताड़ीखेत (अल्मोड़ा), फूलपुर (इलाहाबाद), मऊरानीपुर (झांसी) और गाजीपुर में ग्राम्य औद्योगीकरण प्रायोजनायें चलाई जा रही हैं। भारत सरकार से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार अब ये योजनायें उन नगरों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक है, सम्पूर्ण जिले में चलाई जा रही है। वर्ष 1971–72 में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण कार्यक्रमों के आधार पर लखनऊ में एक नयी प्रायोजना प्रारम्भ की गई थी। चालू वर्ष 1972–73 के दौरान ऐसी चार प्रायोजनाएं मथुरा, फतेहपुर, रायबरेली और बलिया जिलों में शुरू करने की अनुमति दे दी गई है।

4—इन प्रायोजनाओं के अन्तर्गत प्रसार सेवाओं और उत्पादन की उन्नति प्रविधियों में 340 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का और ऋणों के रूप में 11 लाख रु० वितरित करने का विचार है। इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप 450 व्यक्तियों को नयी प्रविधियों में प्रशिक्षित किया गया था और प्रायोजना क्षेत्रों में 500 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित किए जाने की सम्भावना है।

मद—5.—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	(1) हथकरघा				
530101	बुनकरों की सहकारी समितियों को हिस्सा पूंजी के लिए ऋण	50.00	50.00	..	8.00
530102	160 बुनकर सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता	11.16	..	..	0.31
530103	केन्द्र तथा प्राइमरी बुनकर सहकारी समितियों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	4.00	..	..	0.80
530104	गोष्ठी द्वारा बुनकरों को सहकारिता शिक्षा देने का प्रोग्राम]	4.76	..	..	0.86
530105	नई सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिये कच्चे माल की व्यवस्था	100.00	..	.	..
530106	वेयर हाउसों की स्थापना	1.88	1.88	..	0.19
530107	उन्नत यंत्रों की व्यवस्था	20.00	5.00	..	2.00

परिव्यय तथा व्यय

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
7.99	8.35	8.25	8.25	12.00	12.00	..
0.20	0.71	1.02	1.02	2.93	..	..
0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	..	..
0.80	0.96	1.10	1.10	1.13	..	..
25.00	..	..	..	..	..	..
0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	..
4.55	..	5.50	5.50	5.50	1.23	..

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1967–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
530108	उन्नत यन्त्रों के वर्कशाप की स्थापना	8.00	1.10	..	..
530109	चार डिजाइन केन्द्रों की स्थापना	8.00	0.40	..	0.82
530110	रंगाई घरों की स्थापना	2.70	0.60	..	0.30
530111	नमूनों (सैम्पुल) का क्रय	0.50	..	..	0.10
530112	पारितोषिक वितरण	0.25	..	..	0.05
530113	गुण चिन्हांकन परियोजना	9.15	0.02	..	0.69
530114	बिक्री भंडारों का खोलना	6.23	..	..	0.48
530115	अखिल भारतीय हथकर्घा सप्ताह का मनाया जाना	0.60	..	..	0.02
530116	बिक्री, उत्पादन तथा मार्केटिंग परियोजना	85.00	..	..	10.81
530117	कार्य पूंजी के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गारंटी	10.00	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
1.15	1.22	1.85	1.85	1.80	..	..
0.49	0.33	0.66	0.66	0.60	0.15	..
0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	..	..
0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	..	..
1.30	1.52	1.62	1.62	1.60	..	..
0.34	0.91	1.36	1.36	1.36	..	..
..	..	0.12	0.12	0.12	..	..
10.33	15.26	20.05	20.05	26.00	..	..
0.50	..	1.00	1.00	1.00	..	..

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
530118	ऋण के ब्याज के लिए राज सहायता	10.00	..	..	..
530119	केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कर्मचारियों पर किया गया व्यय पर राज सहायता	7.70	..	..	..
530120	बुनकरों के वर्तमान मकानों का विस्तार एवं सुधार	13.00	13.00	..	..
530121	प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु बुनकर सहकारी समितियों को सहायता	12.50	..	..	..
530122	विज्ञापन एवं प्रचार	7.00	0.02	..	..
530123	विपणन एवं संघटन हेतु कर्मचारिवर्ग	2.25	0.12	..	0.02
530124	सर्वे एवं मूल्यांकन परियोजना	6.32	..	..	..
530125	प्राथमिक हथकर्घा बुनकर उत्पादन और विक्रय सहकारी कार्यालय एवं गोदाम	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973-74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.21	0.21	0.25	0.25	1.50	..	..
..	..	1.38	1.38	1.50	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	2.50	2.50	..	..	..
..	..	1.00	1.00	1.00	..	..
0.13	0.12	0.46	0.46	0.46	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	3.00	3.00	3.00	..	..

मद--5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
530126	अतिरिक्त निदेशक उद्योग (हथकरघा) अतिरिक्त स्टाफ	..	..	..	..
530127	बुनकरों के लिए केन्द्रों की स्थापना	..	..	..	..
530128	फाइनेंसिंग एवं मार्केटिंग निगम	..	..	..	..
	योग (1) ..	381.00	72.14	..	25.45
	(2) विद्युत् चालित कर्घा				
530201	विद्युत् चालित कर्घा स्थापित करने के लिए हथकर्घा बुनकरों को ऋण	10.25	10.25	..	3.00
	(3) लघु स्तरीय उद्योग				
530301	ऋण परियोजना	441.38	441.38	..	65.74
530302	उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम को कार्य पूंजी हेतु ऋण	85.00	85.00	..	9.00

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	0.62	0.62	0.67	..	..
..	..	0.50	0.50	0.50	..	..
..	..	..	..	50.00	50.00	..
54.32	30.91	53.57	53.57	114.00	63.76	..
1.96	..	..	..	..	..	..
29.00	76.50	50.00	50.00	98.23	98.23	..
..	..	..	..	..	..	..

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
530303	किराया खरीद (हायर परचेज) परियोजना	250.00	250.00	..	15.00
530304	विद्युत् राज सहायता परियोजना	125.00	..	..	3.97
530305	सहकारी समितियों को सहायता	2.00	..	..	..
530306	औद्योगिक सहकारिताओं (अवस्तीय) का प्रसार	24.00	6.00	..	..
530307	प्राविधिक सहायता का कार्यक्रम तथा प्राविधिक कर्मचारी वर्ग	40.00	..	..	3.60
530308	ग्रामीण कौशल के उत्थान एवं ग्रामीण उद्योगों की प्रोन्नति की परियोजना	40.00	..	..	..
530309	गुण चिन्हांकन परियोजना	20.39	1.10	..	0.99
530310	आधुनिकीकरण के लिये राज सहायता परियोजना	18.00	..	..	..
530311	प्राविधिक सूचना की परियोजना	3.00	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
64.00	80.00	69.70	69.70	90.00	90.00	..
7.38	7.47	10.00	10.00	10.00	..	..
..	..	..	..	..	..	..
3.14	5.77	5.00	5.00	15.32	9.20	..
3.59	4.14	8.00	8.00	18.54	..	..
..	..	..	..	..	..	..
1.04	1.34	2.38	2.38	3.00	0.73	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	1.50	1.50	1.50	..	..

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म
वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
530312	उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला, गाजियाबाद का पूरा किया जाना	22.00	1.50	..	0.57
530313	फोर्ज्ड हीट ट्रीटमेंट प्लान्ट, मेरठ	60.00	52.00	8.00	3.14
530314	उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला, आगरा	23.00	2.50	..	..
530315	कांच प्रोद्योगिक अनुभाग, कानपुर का प्रसार	2.00	0.35	..	0.02
530316	चुनार (मिर्जापुर) के लिये प्रशिक्षण एवं समान सुविधा केन्द्र	6.25	2.00	..	0.02
530317	पाटरी विकास केन्द्र खुर्जा का प्रसार	4.00	1.00	..	0.26
530318	नमूनों के लिये प्रदर्शनी केन्द्र	4.48	..	..	0.42
530319	गाजियाबाद में व्यापार केन्द्र	10.00	6.00	..	1.00
530320	प्रदर्शनियां	10.00	..	..	1.01

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.63	0.43	0.52	0.52	0.51	0.51	..
6.83	3.60	6.00	6.00	6.54	6.53	..
0.27	..	5.05	5.05	3.98	3.98	..
0.07	0.11	0.20	0.20	0.18	..	..
0.40	0.03	0.25	0.25	0.91	0.46	..
0.23	0.11	0.87	0.87	2.10	1.44	..
0.61	0.51	0.74	0.74	2.52	..	..
..	..	2.69	2.69	2.00	..	..
1.99	2.00	18.00	18.00	2.00	..	..

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
530321	उ० प्र० निर्यात निगम में हिस्सा पूंजी योग	12.00	12.00	..	..
530322	बहुमुखी यांत्रिक कर्मशाला	11.77	..	..	0.11
530323	कानपुर में लेदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट	1.29	..	..	0.02
530324	वुड सीजनिंग प्लान्ट	0.03	0.03	..	..
530325	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा पर्वतीय तथा अन्य जिलों का प्राविधिक आर्थिक सर्वेक्षण	0.16	..	..	0.60
530326	लघुस्तर पर सीमेंट निर्माण की अग्रगामी परियोजना	10.00	..	..	2.49
530327	कृषि यंत्रों के लिये बहुधंधी कार्यशालाओं की स्थापना	200.00	200.00	..	..
530328	उद्योग निदेशालय के लिये अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
11.50	..	7.50	7.50	10.00	10.00	..
0.12	0.07	..	..	..	..	..
0.06	0.07	0.16	0.16	0.18	..	..
0.02	..	..	..	..	..	..
..	..	1.00	1.00	2.00	..	..
1.41	1.91	2.00	2.00	2.50	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.25	0.16	0.26	0.26	..	..	..

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	
530329	देहरादून में खेल के सामान के लिये भवनों का निर्माण	..	..	..	0.01
530330	मुरादाबाद में इलेक्ट्रो-प्लेटिंग प्लान्ट	..	..	..	0.06
530331	पिछड़े जिलों में नये इकाइयों के लिये कन्सलटेंनसी सेवाओं के लिये सहायता	..	..	..	..
530332	नैनी तथा वाराणसी में उपकरण कक्ष की स्थापना	..	..	..	..
530333	उ0 प्र0 वित्त निगम द्वारा प्रदत्त ऋण या मार्जिन मेनी पर सुविधा	..	..	..	..
530334	मार्केटिंग तथा औद्योगिक क्षमता के लिये सर्वेक्षण	..	..	..	..
530335	क्रिस्टल ग्लास की अग्र-गामी प्रायोजना	..	..	..	..
530336	सैंड वाशिंग प्लान्ट	..	..	..	..
530337	खुर्जा के लिये टनल किलन्स	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	2.00	2.00	2.00	..	..
	..	..	..	..	..	..
..	..	10.00	10.00	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	10.00	10.00	0.01	..	..

मद—5. उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
530338	अध्ययन हेतु प्राविधिक अप्राविधिक उद्योगियों का दौरा	..	..	..	..
530339	पिछड़े जिलों में लघु उद्योग की स्थापना हेतु उ० प्र० लघु उद्योग निगम को ऋण	..	..	..	..
530340	विभिन्न संस्थानों द्वारा परीक्षण प्रयोग-शालायें	..	..	..	..
530341	लघु उद्यमकर्त्ता को रिस्क कैपिटल हेतु गारंटी	..	..	..	..
530342	पिछड़े जिलों में जिला उद्योग अधिकारियों की नियुक्ति	..	..	..	..
530343	मार्केट तथा औद्योगिक सर्वेक्षण	..	..	..	..
530344	क्षेत्रीय अधिकारियों के लिये स्टाफ कार	..	..	..	..
	नई परियोजनायें				
530345	सब जोनल अधिकारी, गढ़वाल	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	0.10	0.10	0.10	..	..
..	..	10.00	10.00	20.00	20.00	..
..	.	..	..	..	..	..
..	..	..	..	1.00	..	..
..	..	1.50	1.50	1.47	..	..
..	..	3.00	3.00	2.00	..	..
..	..	2.75	2.75	3.49	3.49	..
..	..	..	..	0.17	..	..

मद--5--उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग--5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
530346	पिछड़े जिलों में प्राविधिक उद्योगियों को पूंजी व्यय के अन्तर्गत ऋण पर 10% सहायता	..	..	..	..
530347	सहायक उद्योग के विकास की परियोजना	..	..	..	..
530348	संवर्ती समीक्षा तथा निर्धारण अनुभाग की परियोजना	..	..	..	..
530349	सांख्यिकी सेल की परियोजना	..	..	..	..
530350	एन0 पी0 सी0 कानपुर द्वारा उत्पादन वृद्धि सेल स्थापित करने की परियोजना	..	..	..	..
530351	डाकुमेन्टेशन डिवीजन की स्थापना	..	..	..	..
	उद्योगियों का प्रशिक्षण	..	..	..	..
	योग (3) ..	1,423.75	1,060.86	8.00	108.03

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	0.75	..	..
..	..	..	..	7.42	5.60	..
..	..	..	..	0.74	..	..
..	..	..	..	1.72	..	..
..	..	..	..	1.31	..	..
..	..	..	..	1.71	..	..
..	..	..	..	5.00	..	..
132.54	184.22	231.17	231.17	320.90	250.17	..

मद—5—उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969—70
1	2	3	4	5	6
	(4) औद्योगिक आस्थान				
530401	अधिनीत (स्पिल ओवर) परियोजना	20.50	15.00	..	1.66
530402	नये औद्योगिक आस्थान फंकशनल तथा आकजिलरी	10.50	10.50	..	3.41
530403	वर्तमान औद्योगिक आस्थानों का प्रसार	19.00	19.00	..	2.94
	योग (4) ..	50.00	44.50	..	8.01
	(5) हस्तशिल्प				
530501	हस्तशिल्प की वस्तुओं के आन्तरिक क्रय-विक्रय बढ़ाने की परियोजना	26.69	17.05	..	0.18
530502	समान सुविधा एवं अनु-संधान केन्द्रों की स्थापना	4.06	0.83	..	0.63
530503	विभिन्न हस्तकलाओं में उत्पादन इकाई की स्थापना की परियोजना	16.49	13.52	..	0.72
530504	निर्यात हेतु विकास संबंधी क्षेत्रीय कर्मचारियों का पुनर्गठन	9.66	..	..	2.03

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
3.00	1.65	2.04	2.04	0.22	..	..
..	..	23.91	23.91	25.00	25.00	..
5.00	12.00	2.50	2.50	5.00	5.00	..
8.00	13.65	28.45	28.45	30.22	30.00	..
0.15	0.10	..	..	..	..	..
0.34	0.34	1.16	1.16	0.48	..	..
1.35	1.05	3.70	3.70	3.63	2.10	..
2.29	1.97	2.36	2.36	2.35	..	..

मद—5 उद्योग एवं खनिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969-70
1	2	3	4	5	6
530505	हस्तशिल्प सहकारी समितियों के संघटन एवं हस्तशिल्प उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने की	11.85	5.87	..	1.39
530506	अखिल भारतीय हस्त-कला सप्ताह समारोह	1.25	..	..	0.23
530507	भदोई में गर्म गलीचे तथा सिल्क ब्रोकेड के डिजाइन केन्द्र की स्थापना	..	..	..	..
530508	गर्म गलीचे एवं ब्रोकेड के लिये डाई ग्रहों तथा ड्रायर केन्द्रों की स्थापना	..	..	..	..
	योग (5) ..	70.00	37.27	..	5.18
	(6) रेशम उद्योग				
530601	शहतूत वृक्षों का लगाना	47.00	13.85	..	4.77
530602	रेशम कीट बीज संघटन				
530603	रेशम कीट पाली संघटन				
530604	प्रशिक्षण कार्यक्रम				
530605	संरक्षण तथा परिरक्षण केन्द्र				
530606	पालों के संघटन का विस्तार				
530607	विज्ञापन एवं प्रचार				

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
1.74	2.06	3.64	3.64	4.00	2.64	..
0.28	0.27	0.25	0.25	0.25	..	..
..	..	0.93	0.93	0.85	..	..
..	..	3.06	3.06	2.04	1.50	..
6.15	5.79	15.10	15.10	13.70	6.24	..
5.24	11.35	16.96	16.96	14.73	3.95	..

मद—5. उद्योग एवं खानिकर्म

वर्ग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग—(समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-70)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
530608	टसर रेशम कीट पालन	3.00	..	..	0.36
	योग (6) ..	50.00	13.85	..	5.13
	(7) खादी और ग्राम उद्योग				
530701	खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को राज्य का अंशदान	23.00	..	..	1.73
530702	हाथ से कागज बनाने की योजना	2.00			
	योग (7) ..	25.00	..	..	1.73
	योग—5.3. ग्राम तथा लघु उद्योग..	*2,010.00*	*1,338.87*	*8.00*	*156.53*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.17	0.66	..	..	..	..	..
5.41	12.01	16.96	16.96	14.73	3.95	..
4.28	3.83	4.75	4.75	6.45	..	..
4.28	3.83	4.75	4.75	6.45	..	..
212.66	*250.41*	*350.00*	*350.00*	*500.00*	*354.12*	..

11—परिवहन तथा संचार

(1) सड़क तथापुल

सड़कों के मामलों में उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है और इसके आर्थिक विकास में यह एक बाधा है। बम्बई योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मार्च 31, 1981 के अन्त तक 46,960 किलोमीटर सड़कें हो जानी चाहिए, जबकि चौथी योजना के प्रारम्भ में राज्य में केवल 29,213 किलोमीटर सड़कें थीं। इस प्रकार वर्ष 1968–69 की समाप्ति पर 17,747 किलोमीटर सड़कों की कमी थी। चूंकि अब ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर अधिक जोर दिया गया है अतः राज्य को जितनी सड़कों की आवश्यकता बम्बई योजना के अधीन थी उससे अब अधिक सड़कों की आवश्यकता होगी।

2—चौथी योजना में सड़क के विकास हेतु 50 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित है। इस धनराशि से 2,691 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा करने, 2,408 किलो-मीटर वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण तथा सुधार करने तथा 115 पुलों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 9.42 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 25.62 करोड़ रु० व्यय किया गया। इस अवधि में 913 किलोमीटर नई सड़कें निर्मित की गईं, 827 किलो-मीटर वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया तथा 45 पुलों को पूरा किया गया। पक्की सड़कों की लम्बाई जो 1968–69 के अन्त में 29,213 किलोमीटर थी, बढ़कर 31 मार्च, 1972 के अन्त में 30,539 किलोमीटर हो गई।

3—वर्ष 1972–73 के लिए परिव्यय 1,343.00 लाख रु० है। इसकी तुलना में प्रत्याशित व्यय का अनुमान 1,443.00 लाख रु० है। इस वर्ष के दौरान 324 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण तथा 297 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण किए जाने की आशा है तथा 21 पुलों के निर्मित हो जाने की सम्भावना है। वर्ष 1972–73 के अन्त में पक्की सड़कों की लम्बाई 31,768 किलोमीटर तक बढ़ जाने की आशा है।

4—वर्ष 1973–74 के लिए 1,500.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसमें से 1,490.00 लाख रु० का उपयोग उन योजनाओं के लिए किया जायगा जो अभी तक स्वीकृत की गई हैं जिनमें पिछली योजनाओं की अधूरी योजनायें भी सम्मिलित हैं तथा 10.00 लाख रु० की नई योजनाओं पर खर्च किया जायगा जो कि वर्ष 1973–74 के दौरान हाथ में ली जायेंगी। 1,500.00 लाख रु० के स्वीकृत परिव्यय में से 646 लाख रु० का उपयोग विगत आयोजनाओं से चालू रखी गई योजनाओं के लिए तथा 854.00 लाख रु० का उपयोग उन नई योजनाओं के लिए जो चौथी योजना के दौरान हाथ में ली जायेंगी, किया जायगा। ग्रामीण सड़कों के लिए 375.00 लाख रु० व्यय करने का अनुमान किया गया है जो कि कुल परिव्यय का 25 प्रतिशत आता है।

(2) सड़क परिवहन

राष्ट्रीय सड़क परिवहन सेवा का प्रारम्भ जनता को सड़क परिवहन द्वारा आवागमन के पर्याप्त, सस्ता तथा सक्षम साधन उपलब्ध कराने हेतु तथा राज्य के चतुर्दिक विकास के लिए वर्तमान अवस्थापना का विस्तार करने की दृष्टि से 1947 में किया गया। ये सेवाएं लोकप्रिय होती गईं तथा राज्य के सभी मुख्य भागों पर इनका विस्तार करना पड़ा। राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन योजना पहली पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई थी तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में यह आयोजनागत मद के रूप में चलती रही। इसके बाद 11 वर्षों तक यह योजना आयोजनेतर योजना के रूप में चलती रही। चौथी योजना के प्रारम्भ में राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन सेवा राज्य में उपलब्ध 29,213 किलो मीटर पक्की सड़कों में से 19,396 किलो-मीटर की पक्की सड़कों पर उपलब्ध थी जिस पर 3,821 बसें चलती थीं। इस प्रकार राज्य की 66 प्रतिशत पक्की सड़कों पर राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन सेवा की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन अन्य राज्यों को देखते हुए इस दशा में उत्तर प्रदेश राज्य बहुत पीछे है।

2---सड़क परिवहन के विकास की योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में पुनः सम्मिलित कर ली गई जिसके लिए 725.00 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया। रोडवेज सेवा का विस्तार 1,000 किलो मीटर सड़क पर और करने तथा नए मार्गों के लिए तथा वर्तमान मार्गों पर यात्रियों की संख्या में हुई वृद्धि के लिए 723 अतिरिक्त बसें चालू करने का लक्ष्य रखा गया।

3---1969-70 के लिए 100.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित था। इसकी तुलना में 87.50 लाख रु० व्यय किया गया। 142 बसें क्रय करने का जो लक्ष्य था वह प्राप्त कर लिया गया था। रोडवेज सेवाओं का विस्तार 200 किलो मीटर की सड़कों पर किया जाना था लेकिन विविध कठिनाइयों के कारण लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा सकी।

4---वर्ष 1970-71 के दौरान 100.00 लाख रु० के परिव्यय में से 85.70 लाख रुपए व्यय किए गए। 110 बसें क्रय करने तथा रोडवेज सेवाओं का विस्तार करने तथा 200 कि० मी० सड़कों पर रोडवेज सेवाओं का विस्तार का लक्ष्य रखा गया था। बसें क्रय करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था तथा रोडवेज सेवाओं का विस्तार 407 किलोमीटर की सड़कों पर किया गया। इस प्रकार पिछले वर्ष बस सेवा परिचालन में जो कमी रह गई थी, वह भी इस वर्ष पूरी कर ली गई।

5---वर्ष 1971-72 के लिए 150.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी, जिसका पूर्णरूप से उपयोग कर लिया गया। मूलतः 120 बसें खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस क्षेत्र में निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम कम करके रोजगार के अवसरों में अधिक व्यवस्था करने हेतु तथा जनसाधारण के लिए यात्री परिवहन सम्बन्धी अधिक सुविधायें प्रदान करने के निमित्त बसें खरीदने के लक्ष्य को बाद में 120 से बढ़ाकर 180 कर देने का निश्चय किया गया। रोडवेज सेवाओं का विस्तार 200 किलोमीटर की सड़कों पर किए जाने की योजना थी। 180 बसें क्रय करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था और राज्य में 201 किलो-मीटर अतिरिक्त सड़कों पर रोडवेज सेवाओं की व्यवस्था कर दी गई।

6---वर्ष 1972-73 के लिए 200.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 209 बसें क्रय करने का लक्ष्य है। रोडवेज सेवाओं का विस्तार 200 किलोमीटर मार्गों तक करना है। यह अनुमान है कि इन लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लिया जायगा।

7---वर्ष 1973-74 में राज्य की वार्षिक योजना के अन्तर्गत 2.00 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। यह आशा की जाती है कि राज्य परिवहन निगम वित्तीय संस्थाओं और बाजार ऋण द्वारा लगभग 2.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जुटायेगी।

8--राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन के विकास को तीव्र करने तथा अधिक संसाधनों का सृजन करने के लिए राज्य सरकार ने 1 जून, 1972 से गवर्नमेन्ट रोडवेज विभाग के स्थान पर उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कर दी है।

(3) पर्यटन

1--चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन का विकास करने के लिए 50.00 लाख रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है। इनमें से 30.00 लाख रुपये की धनराशि पर्यटक बंगलों के निर्माण और उनके विस्तार एवं तीर्थ यात्री शेड के निर्माण के लिए है। 20.00 लाख रुपये की शेष धनराशि पर्यटक उत्सवों का आयोजन करने, प्रख्यापनकार्य सम्पन्न करने, अधिकारियों को प्रशिक्षण देने तथा दिल्ली और मसूरी में पर्यटक कार्यालय खोलने के लिए है।

2--चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में 23.01 लाख रुपये व्यय किया गया। 1972-73 के लिए व्यवस्थित 16.00 लाख रुपये के पूर्णतः उपयोग कर लिए जाने का अनुमान है।

3--मुनी-की-रेती में यात्री शेड के निर्माण तथा हरिद्वार एवं आगरा में पर्यटक बंगले के विस्तार का कार्य 1971-72 के दौरान पूरा कर लिया गया था। महोबा में पर्यटक बंगले तथा रुद्रप्रयाग में यात्री-शेड के निर्माण के कार्य भूमि अर्जन में कठिनाई होने के कारण आरम्भ न किए जा सके। किन्तु दिल्ली में पर्यटक कार्यालय खोल दिया गया था। कार्बेट नेशनल पार्क के विकास का कार्य बहुत तेजी से किया गया। मसूरी तथा नैनीताल में शरद ऋतु के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु यात्री उत्सवों का भी आयोजन किया गया।

4--वर्ष 1972-73 के अन्त तक इलाहाबाद में पर्यटक बंगले के विस्तार का कार्य पूरा हो जाने का अनुमान है। श्रीनगर में यात्री-शेड के निर्माण का कार्य 31 मार्च, 1973 के अन्त तक पूरा हो जाने का अनुमान है।

5--वर्ष 1973-74 के लिए 20.00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसमें से 9.38 लाख रुपये का परिव्यय महोबा, मथुरा, चित्रकूट, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, मसूरी तथा पौड़ी में पर्यटक बंगलों के निर्माण के लिए है। मथुरा, बलरामपुर, चित्रकूट तथा गोरखपुर में पर्यटक कार्यालयों को फिर से खोलने का विचार है। अन्य कार्यक्रम निम्न प्रकार से है:

	(लाख रुपये में)
(1) प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.40
(2) उत्सवों का प्रबन्ध	0.75
(3) विज्ञापन, इत्यादि	1.80
(4) कर्मचारिवर्ग (आकस्मिक व्यय और चार पर्यटक कार्यालयों को फिर से खोलने के व्यय को सम्मिलित करते हुए)	7.67
योग ..	10.62

6--इस समय यह प्रत्याशा की जाती है कि चित्रकूट, मथुरा, महोबा तथा पौड़ी में पर्यटक बंगलों का निर्माण तथा रुद्र प्रयाग में यात्री-शेड के निर्माण के लिए 18.00 लाख रुपये का व्यय पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अधिनीत हो जाएगा।

मद—6. परिवहन तथा संचार साधन

वर्ग—6.1. सड़क

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	पुनर्निर्माण तथा सुधार				
610101	चालू परियोजनायें	353.00	353.00	..	227.98
610102	नई परियोजनायें	800.00	800.00	..	0.50
	नई सड़कों का निर्माण				
610103	चालू परियोजनायें	609.00	609.00	..	185.75
610104	नई परियोजनायें	1,095.00	1,095.00	..	6.34
	पुल				
610105	चालू परियोजनायें	292.00	292.00	..	59.94
610106	नई परियोजनायें	291.00	291.00	4.00	2.71
	अन्य निर्माण कार्य				
610107	चालू परियोजनायें	222.00	222.00	..	6.10
610108	नई परियोजनायें	170.00	170.00	..	4.06
	अधिष्ठान				
610109	चालू परियोजनायें	400.00	400.00	..	55.96
610110	नई परियोजनायें				

का विवरण

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
125.26	72.48	95.40	44.29	57.12	57.12	..
82.96	196.97	213.90	263.28	265.00	265.00	..
172.50	142.14	152.00	137.77	235.50	235.50	..
103.79	234.40	387.25	408.26	350.30	350.30	..
162.62	107.00	125.00	91.98	122.05	122.05	100.00
33.40	42.12	124.40	93.91	81.11	81.11	
13.92	4.51	18.25	4.41	20.00	20.00	..
21.87	38.82	44.75	130.06	80.76	80.76	..
59.07	102.46	135.50	118.59	125.00	125.00	..

मद—6. परिवहन तथा संचार साधन

वर्ग—6.1. सड़क (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
610111	उत्तर प्रदेश को तराई पट्टी में सड़क सम्बन्धी संचार साधनों का विकास (चालू परियोजना)	622.00	622.00	..	67.25
610112	चार पूर्वी जिलों में त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (चालू परियोजना)	146.00	146.00	..	41.29
610113	अन्तर्देशीय जल परिवहन	..	..	..	..
610114	उत्तर प्रदेश पुल निगम के लिये शेयर्स का क्रय	..	..	..	..
	योग 6.1-सड़क	*5,000.00*	*5.000.00*	*4.00*	*657.88*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 परिव्यय		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
77.15	65.65	45.00	45.00	150.00	150.00	..
34.17	10.83	1.40	5.00	8.61	8.61	..
..	..	0.15	0.45	4.55	4.55	..
..	..	..	100.00	..	..	..
886.71	*1017.38*	*1343.00*	*1443.00*	*1500.00*	*1500.00*	*100.00*

मद—6. परिवहन तथा संचार साधन

वर्ग—6.2. सड़क परिवहन

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
620101	राष्ट्रीय सड़क परिवहन	725.00	725.00	5.00	87.50

*राज्य परिवहन निगम वित्तीय संस्थाओं और बाजार ऋण द्वारा अतिरिक्त धनराशि

परिव्यय का विवरण

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
85.70	150.00	200.00	200.00	2.00*	2.00	0.50

जुटायेगा ।

मद—6. परिवहन तथा संचार साधन

वर्ग—6.3. पर्यटन

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
630101	पर्यटक गमनागमन परियोजना	50.00	..	..	9.38

का विवरण

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970-71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
6.30	7.33	16.00	16.00	20.00	..	..

12—शिक्षा

(1) सामान्य शिक्षा

सामान्य शिक्षा के लिये चौथी योजना का कुल परिव्यय 5,344.69 लाख रु० है। प्रथम तीन वर्षों में 2,402.42 लाख रु० व्यय हुआ। वर्ष 1972–73 के लिये 1,367 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसके समक्ष 1,379 लाख रुपये का व्यय प्रत्याशित है। वर्ष 1973–74 के लिये 1,618.50 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी है। निधियों का वर्गानुसार वितरण नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :—

(लाख रु० में)

वर्ग	चौथी योजना का परिव्यय	1972–73		1973–74		
		परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	कुल	पूंजी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्रारम्भिक	3,519.79	931.05	937.37	1,050.66	7.88	66
माध्यमिक	924.00	218.25	222.14	296.57	52.00	19
विश्वविद्यालय	530.51	128.44	132.96	164.20	5.80	9
अध्यापकों का प्रशिक्षण	189.68	40.30	31.13	42.42	15.05	4
सामाजिक शिक्षा	43.27	8.39	6.39	6.63	..	..
अन्य	87.44	32.57	41.37	48.52	1.50	2
सांस्कृतिक कार्य	50.00	8.00	8.00	9.50	0.76	..
योग ..	5,344.69	1,367.00	1,379.36	1,618.50	82.99	100

2—प्रारम्भिक शिक्षा—प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार हेतु वर्ष 1972–73 के दौरान 110 अवर आधारिक विद्यालय खोले गये और वर्तमान विद्यालयों में 2,100 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गयी। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में 280 स्कूल–मदर्स की नियुक्ति की गयी और 145 मिश्रित स्कूलों में सेनिटरी ब्लाकों का निर्माण करने के लिये अनुदान भी स्वीकृत किये गये। यह आशा की जाती है कि कक्षा 1 से 5 में भर्ती होने वाले बालकों की संख्या 1971–72 की 71.07 लाख से बढ़ कर वर्ष 1973–74 में 72.05 लाख हो जायगी और बालिकाओं की संख्या 43.11 लाख से बढ़ कर 44.11 लाख हो जायगी और कुल बच्चों की संख्या 114.18 लाख से बढ़ कर 116.16 लाख हो जायगी। यह भी आशा की जाती है कि 6 से 11 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 1971–72 के 97 प्रतिशत से बढ़ कर 1972–73 में 98 प्रतिशत और बालिकाओं का प्रतिशत 77 से 78 हो जायगा।

3—चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में संविधान में दी गई गारंटी को पूरा करने के लिये और प्रारम्भिक शिक्षा पर पूर्ण और प्रभावकारी नियंत्रण रखने के लिये प्रारम्भिक शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकार ने ले लिया है और बेसिक शिक्षा का एक पृथक् निदेशक नियुक्त किया गया है। एक बेसिक शिक्षा परिषद् की भी स्थापना की गई है।

4—1973–74 के कार्यक्रम में बालिकाओं के 60 जूनियर बेसिक स्कूल खोलने, 1,100 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, मिश्रित स्कूलों में 100 स्कूल–मदर्स की नियुक्ति और 100 सेनिटरी ब्लाकों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। अपव्यय तथा निष्क्रियता को कम करने के लिये जो अग्रगामी प्रायोजना आरम्भ की गई है, उसे 1973–74 के दौरान चालू रखा जायगा। यह अनुमान है कि कक्षा 1 से 5 तक भर्ती किये जाने वाले बालकों की संख्या बढ़ कर 73.05 लाख, बालिकाओं की 46.07 लाख और कुल बच्चों की संख्या 119.12 लाख हो जायगी, जिसके परिणामस्वरूप भर्ती का प्रतिशत बढ़कर बालकों का 100 प्रतिशत, बालिकाओं का 81 प्रतिशत और कुल बच्चों का 100 प्रतिशत हो जायगा।

5—जूनियर बेसिक स्कूलों के भवनों की दशा बड़ी शोचनीय है। वर्ष 1972–73 के दौरान 63 भवनों के लिये और 51 भवनों की दशा सुधारने के लिये अनुदान स्वीकृत किये गये हैं। 1973–74 के दौरान 60 भवनों के निर्माण तथा 50 अन्य भवनों का सुधार करने के लिये अनुदान दिये जाने का विचार है।

6—प्राथमिक स्तर से आगे भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि हेतु व्यवस्था करने के उद्देश्य से बालकों के 100 तथा बालिकाओं के 97 सीनियर बेसिक स्कूल और 40 अनुवर्ती कक्षायें 1972–73 में खोली गईं। इसके अतिरिक्त, 85 सीनियर बेसिक स्कूलों को सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित किया जायेगा और 71 नये खोले जाने वाले स्कूलों को तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया जायगा। विज्ञान की शिक्षा के लिये 50 स्कूलों को, कृषि शिक्षा के लिये 10 स्कूलों को और पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय स्थापित करने के लिये 87 स्कूलों को भी अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। वर्ष 1973–74 के दौरान 30 बालकों के तथा 30 बालिकाओं के स्कूल, 20 अनुवर्ती कक्षायें खोलने तथा 397 अतिरिक्त अध्यापकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि 45 स्कूलों को सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित किया जाय, 75 स्कूलों को विज्ञान अनुदान दिये जायें, 10 स्कूलों को कृषि अनुदान दिये जायें और 87 स्कूलों को पाठ्य–पुस्तकों के पुस्तकालयों के लिये अनुदान दिये जायें। यह आशा की जाती है कि कक्षा 6 से 8 में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या जो वर्ष

1971–72 में 19.51 लाख (15.56 लाख बालक और 3.95 लाख बालिकायें) थीं, बढ़ कर वर्ष 1972–73 में 20.22 लाख (16.06 लाख बालक और 4.16 लाख बालिकायें) और 1973–74 में 20.53 लाख (16.28 लाख बालक और 4.25 लाख बालिकायें) हो जायंगी। आशा है कि 11 से 14 के आयु–वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या का प्रतिशत जो 1971–72 में 29.7 था, बढ़ कर 1972–73 में 30.5 और 1973–74 में 30.7 हो जायगा।

7—माध्यमिक शिक्षा—वर्ष 1972–73 के दौरान आठ नये राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गये और 11 राजकीय जूनियर हाई स्कूल (1 बालकों का और 10 बालिकाओं के) का हाई स्कूल स्तर पर उन्नयन कर दिया गया है और 7 राजकीय हाई स्कूलों को इण्टर कालेज बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त 250 गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को भी सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। पिछड़े क्षेत्रों के 55 स्कूलों को उदारतापूर्वक अनुदान स्वीकृत किये गये और 7 नये खोले गये स्कूलों को तदर्थ अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, 77 स्कूलों को पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय स्थापित करने के लिये, 119 स्कूलों को पुस्तकालयों के सुधार के लिये, 69 स्कूलों को अतिरिक्त भर्ती करने की मांग को पूरा करने के लिये साज–सज्जा और भवनों के लिये, 20 स्कूलों को बालिकाओं के लिये विशेष सुख-सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु और 13 स्कूलों को खेल के मैदानों के लिये भी अनुदान स्वीकृत किये गये। 60 संस्थाओं को दक्षता अनुदान भी स्वीकृत किया गया। 1973–74 के दौरान 3 राजकीय हाई स्कूलों को उन्नयन करके इण्टर स्तर का बनाने का विचार है। 50 स्कूल सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित किये जायेंगे। पिछड़े हुये तथा पर्वतीय क्षेत्रों के 50 स्कूलों को उदारतापूर्वक अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे और 60 स्कूलों को दक्षता अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 71 स्कूलों को अतिरिक्त भर्ती के लिये 87 स्कूलों को पाठ्य-पुस्तक पुस्तकालयों के लिये, 10 स्कूलों को खेल के मैदानों के लिये, 5 राजकीय बालिका विद्यालयों को बसों के लिये और 20 स्कूलों को बालिकाओं के लिये विशेष सुख–सुविधा की व्यवस्था करने हेतु अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। वर्ष 1972–73 में माध्यमिक शिक्षा के लिये भी एक पृथक् निदेशालय स्थापित किया गया है, जिससे माध्यमिक शिक्षा के सुधार पर पर्याप्त जोर दिया जा सके।

8—1972–73 के दौरान विज्ञान की शिक्षा के प्रसार हेतु 56 स्कूलों को विज्ञान संबंधी साज–सज्जा के लिये और 8 स्कूलों को विज्ञान की प्रयोगशालाओं के लिये अनुदान स्वीकृत किये गये। विज्ञान की शिक्षा के प्रसार और सुधार के लिये मुख्यालय में एक उप-शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है और क्षेत्रीय स्तर पर पांच विज्ञान प्रोन्नति अधिकारियों (साइन्स प्रोमोशन अफसरों) की नियुक्ति की गई है। 1973–74 के दौरान 34 स्कूलों को विज्ञान संबंधी साज–सज्जा के लिये और 8 स्कूलों को विज्ञान की प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिये अनुदान देने का सुझाव है।

9—विश्वविद्यालय शिक्षा—चौथी योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि उन स्थानों को छोड़ कर जहां नई शैक्षिक संस्थायें खोलना परम आवश्यक हो, नई संस्थाओं के खोलने के बजाय, वर्तमान संस्थाओं को ही सुदृढ़ किया जाय। वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों को विकास अनुदान दिये जायेंगे। साथ ही 5 डिग्री कालेजों को 1972–73 के दौरान और 5 और को 1973–74 में सहायक अनुदान की सूची में सम्मिलित किया जायगा। एक नया राजकीय डिग्री कालेज खोला गया है और 1972–73 के दौरान अल्मोड़ा कालेज का प्रान्तीयकरण किया गया। उच्च शिक्षा का एक पृथक् निदेशालय भी स्थापित किया गया है।

10—अध्यापक प्रशिक्षण—1969–72 के दौरान प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों को चालू रखने के अतिरिक्त माध्यमिक स्कूलों के विज्ञान के अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण के लिये एक नया कार्यक्रम 1972–73 से प्रारम्भ किया गया है । 1973–74 के दौरान संयुक्त राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) द्वारा सहायता प्राप्त विज्ञान प्रयोजनाओं में राज्य व्यय के हिस्से हेतु भी व्यवस्था की गई है ।

11—शिक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम—वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान शारीरिक शिक्षा, सैनिक प्रशिक्षण, स्काउटिंग और खेल–कूद आदि की प्रोन्नति पर बल दिया जायगा । संस्कृत शिक्षा की प्रोन्नति हेतु मुख्यालय में एक उप-शिक्षा निदेशक और क्षेत्रीय स्तर पर संस्कृत पाठशालाओं के दो सहायक निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं । हाई स्कूल तथा इण्टर परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में प्रति वर्ष होने वाली असाधारण वृद्धि को देखते हुए मेरठ में एक सब-बोर्ड (उप-परिषद्) स्थापित किया गया है ।

12—सांस्कृतिक कार्यक्रम—राज्य अभिलेखागार के विस्तार की योजना के अन्तर्गत 1973–74 की वार्षिक योजना में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की एक विचार गोष्ठी (सेमिनार) आयोजित करने के लिये व्यवस्था की जा रही है । 1973 के बाद से ऐसी विचार–गोष्ठी आयोजित नहीं हुई है । नये भवन को सुसज्जित किया जायगा और आवश्यक साज–सज्जा की भी व्यवस्था की जायगी ।

13—राजकीय कला तथा शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ के पुनर्संगठन का कार्य 1973–74 के दौरान जारी रखा जायगा । स्वीकृत परिव्यय का उपयोग कला तथा सभ्यता के इतिहास के अध्यापन को फैकल्टी के विस्तार के लिये किया जायगा । इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये, जिसमें कलात्मक डिजाइनों की वस्तुयें भी सम्मिलित हैं तथा वाणिज्य कला और मूर्तिकला के डिप्लोमा कोर्स के विकास के लिये भी व्यवस्था की गई है ।

14—पुरातत्व के पुनस्संगठन की योजना के अन्तर्गत 1973–74 के दौरान प्रकाशन सहायक, स्टोर कीपर, वर्क सुपरवाइजर (कर्मशाला पर्यवेक्षक) तथा डाक हरकारा प्रत्येक का एक–एक पद सृजित किया जायगा ।

15—1973–74 के दौरान यह भी प्रस्ताव है कि राज्य के विभिन्न केन्द्रों में चित्रों की प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों (सेमिनारों), सम्मेलनों, फिल्म–प्रदर्शनों और कला सम्बन्धी व्याख्यानों का आयोजन किया जाय तथा योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायं ।

16—1973–74 के दौरान भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय में भारत नाट्यम् सितार, तबला, वायलिन तथा गायन की कक्षाओं को चलाने के लिये चार कमरों के निर्माण का कार्य जारी रखा जायगा । 1973–74 के आयोजनागत परिव्यय में मिनी बस, टेप रिकार्डर और औषधालय के लिये फर्नीचर का क्रय भी सम्मिलित है ।

17—राजकीय वेधशाला, नैनीताल में स्टेलर डिवीजन के विस्तार का जो कार्य 1972–73 के दौरान आरम्भ किया गया था, उसे जारी रखा जायगा । टेलीस्कोप तथा फर्नीचर के क्रय के लिये भी व्यवस्था कर ली गई है ।

18—सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की स्थापना वर्ष 1970–71 के दौरान उसके कार्य-कलापों का विस्तार करने के उद्देश्य से की गयी थी । 1973–74 में पूना भारतीय चलचित्र संस्थान (फिल्म इस्टीट्यूट आफ इण्डिया पूना) में अध्ययन करने वाले उत्तर प्रदेश के छात्रों को छात्र वृत्तियां स्वीकृत करने, सांस्कृतिक क्रिया का आयोजन करने, निराश्रित कलाकारों को वित्तीय सहायता देने और शिक्षक–छात्र सम्बन्ध के प्रतिरूप पर संगीत शिक्षा की व्यवस्था करने की योजनायें सम्मिलित किये जाने का विचार है ।

(2) प्राविधिक शिक्षा

चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों का वास्तविक व्यय 413.75 लाख रु० है। यह प्रत्याशा है कि 1972--73 के दौरान लगभग 153.00 लाख रु० की धनराशि व्यय होगी। वर्ष 1973--74 के लिए 175 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित है।

2--योजना के पहले चार वर्षों में डिग्री स्तर पर न तो किसी संस्था का प्रसार हुआ और न ही कोई नई संस्था खोली गयी। वर्ष 1973--74 में भी डिग्री स्तर पर न तो किसी संस्था का विस्तार करने और न ही कोई नई संस्था खोलने का विचार है। चालू योजनाओं को पूरा करने, संकायों (फैकल्टी) का विकास करने तथा कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण करने पर जोर दिया गया है। डिग्री पाठ्यक्रम में छात्रों को भर्ती करने की क्षमता 980 ही रही, जिसमें 50 स्थान कृषि इंजीनियरिंग के भी सम्मिलित हैं। यह विचार है कि वर्ष 1973--74 के दौरान सरकार द्वारा पहले से स्वीकृत योजनाओं को पूरा किया जाय। परन्तु डिप्लोमा स्तर पर पहले चार वर्षों के दौरान निम्नलिखित बहुविधि (डाइवर्सीफाइड) कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये।

1969--70 :

(1) एम० जी० पालीटेनिक, हाथरस में वातानुकूलन तथा प्रशीतन (एअर कंडीशनिंग एण्ड रेफ्रीजरेशन) का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसकी प्रवेश क्षमता 10 है।

(2) इलाहाबाद पालीटेक्निक, इलाहाबाद में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक-वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम, जिसकी भर्ती की क्षमता 10 है।

1970--71 :

(1) पी० एम० वी० पालीटेक्निक, मथुरा में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम जिसकी प्रवेश क्षमता 10 है।

(2) इलाहाबाद पालीटेक्निक, इलाहाबाद में डिजाइनिंग तथा ड्राफ्टिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसकी प्रवेश क्षमता 10 है।

(3) राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में रासायनिक परिचालकों (केमिकल आपरेटर्स) का चार वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम (सैंडविच तरीके का), जिसकी प्रवेश क्षमता 10 है।

(4) इलाहाबाद पालीटेक्निक, इलाहाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसकी भर्ती की क्षमता 30 है।

(5) राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर में यंत्र प्रौद्योगिक (इंस्ट्रूमेंट टेक्नालाजी) का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसकी प्रवेश क्षमता 10 है।

1971--72 :

(1) राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर, के० एल० पालीटेक्निक, रुड़की तथा हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ में इलक्ट्रानिक्स का तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसकी प्रवेश क्षमता 30 है।

(2) राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली तथा झांसी में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसकी प्रवेश क्षमता 30 है।

(3) इलाहाबाद पालीटेक्निक, इलाहाबाद में वातानुकूलन तथा प्रशीतन (एअर कंडीशनिंग एण्ड रेफ्रीजरेशन) का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसकी प्रवेश क्षमता 10 है।

(4) राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद में फाउन्ड्री टेक्नालॉजी (ढलाई प्रौद्योगिकी) का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसकी प्रवेश क्षमता 10 है।

3--वर्ष 1972--73 के दौरान निम्नलिखित नये पाठ्य विषयों को मान्यता प्रदान की गयी है :

(1) सेठ गंगा सागर जटिया पालीटेक्निक, खुर्जा में मिट्टी के बर्तन, शीशा और प्लास्टिक संबंधी प्रौद्योगिकी का तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(2) पी० एम० बी० पालीटेक्निक, मथुरा में आटोमोबाइल इंजीनियरिंग का तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(3) राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ में वस्त्रों पर डिजाइन बनाने तथा पोशाक (ड्रेस) बनाने का तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(4) राजकीय पालीटेक्निक, मिर्जापुर में औद्योगिक इंजीनियरिंग का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(5) राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में वातानुकूलन तथा प्रशीतन (एअर कंडीशनिंग एन्ड रिफ्रीजरेशन) का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसकी प्रवेश क्षमता 10 है।

(6) राजकीय पालीटेक्निक, झांसी में इलेक्ट्रॉनिक्स में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(7) नैनीताल पालीटेक्निक, नैनीताल में वाणिज्यिक प्रक्रिया (प्रैक्टिस) का दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसकी प्रवेश क्षमता 30 है।

(8) नैनीताल पालीटेक्निक, नैनीताल में हाई आल्टीट्यूड इंजीनियरिंग का एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

4--वर्ष 1973--74 में उन बहुविधि पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त जो आयोजना के पहले चार वर्षों में प्रारम्भ किये जा चुके हैं, डिप्लोमा स्तर पर निम्नलिखित नये बहुविधि पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने का विचार है :

	छात्र प्रवेश क्षमता
(1) इलाहाबाद पालीटेक्निक, इलाहाबाद :	
(क) आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ..	30
() कार्मशियल प्रैक्टिस प्रक्रिया में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम ..	30

(ग) उत्पादन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	..	30
(घ) कस्ट्यूम टेकनोलाजी में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	..	30
(ङ) इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कन्ट्रोल में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	..	30
(च) टेलीविजन इंजीनियरिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम		10

(2) एम० जी० पालीटेक्निक, हाथरस :

औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम	.	10

(3) लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ :

वातानुकूलन तथा प्रशीतन में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम	..	10

(4) चंदौली पालीटेक्निक, चंदौली :

कृषि इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	..	30

5--वर्ष 1973--74 के दौरान डिग्री तथा डिप्लोमा स्तरों पर भर्ती की क्षमता का लक्ष्य क्रमशः 980 और 6,260 रखा गया है।

6--प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अनुसार चुने गये विषयों के लिये अतिरिक्त सज्जा देने हेतु आवश्यक व्यवस्था की गयी है।

7--मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक औद्योगिक सम्पर्क परिषद् गठित की गई है जो उद्योगों की आवश्यकताओं का पता लगाकर और विद्यार्थियों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने तथा शिक्षा और उद्योगों में पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करने की दृष्टि से संशोधित पाठ्यविवरण की सिफारिश करेगी।

8--इस राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों और बहुधंधी संस्थाओं (पालीटेक्निक) से अध्यापकों को चंडीगढ़ में किस्म सुधार कार्यक्रम (क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम) के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजने के लिये भी आयोजना में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष राज्य के 28 अध्यापक सफल घोषित किये गये हैं। अभी तक जो अध्यापक सफल घोषित किये गये हैं। उनकी संख्या नीचे दी गई है :

1967--68	..	..	10
1968--69	..	..	15
1969-70	..	..	19
1970-71	..	..	13
1971-72	..	..	12
1972-73	..	..	28

9--भारत सरकार द्वारा गठित दामोदरन समिति की सिफारिशों के आधार पर जिनकी पुष्टि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने की है, 1973-74 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र (ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेन्टर) खोले जाने का प्रस्ताव है:

(1) लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ।

(2) डी० एन० पालीटेक्निक, मथुरा।

10--यह भी प्रस्ताव है कि राजकीय पालीटेक्निकों के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिये सुविधाओं जैसे सायकिल स्टैन्ड, कैन्टीन, एन० सी० सी० ब्लाक तथा औषधालय इत्यादि की व्यवस्था की जाये।

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969—70
1	2	3	4	5	6
	(1) प्रारंभिक शिक्षा				
710101	राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का खोला जाना	3.57	1.000	..	0.52
710102	असहाय्यिक पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान	7.76	..	..	3.40
710103	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान	222.96	..	..	25.04
710104	ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिये अनुदान	1,715.74	..	..	187.42
710105	नगर क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान	182.10	..	..	12.87
710106	नगर क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिये अनुदान	85.25	..	..	1.31

एवं व्यय का विवरण

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.34	0.32	0.47	0.25	0.29	..	..
0.38	0.41	0.52	0.52	0.52	..	..
22.32	46.72	49.40	45.65	48.06	..	..
234.49	424.65	524.61	542.70	597.21	..	..
5.62	13.44	13.83	13.83	16.42	..	..
4.62	8.82	11.94	11.94	15.52	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
710107	स्वावलम्बी विद्यालयों को एकमुश्त अनुदान	4.50	..	..	1.80
710108	ह्रास एवं अवरोध को कम करना	2.50	..	..	0.50
710109	ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भवनों का सुधार	20.00	..		3.83
710110	ग्रामीण क्षेत्रों के भवन रहित जूनियर बेसिक स्कूलों को भवन निर्माणार्थ अनुदान	25.700	..	..	11.85
710111	प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति	10.80	..	..	0.03
710112	सहायक बालिका विद्यालय निरिक्षिकाओं की नियुक्ति	7.00	..	..	..
710113	उप बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के पद का सृजन	6.87	..	..	3.35
710114	ग्रामीण क्षेत्रों के चुने हुए बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूलों में अनुवर्ती कक्षाएं खोलने के लिये अनुदान	37.73	..	..	2.98

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73			1973-74 (परिव्यय)	
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.68	0.70	0.30	0.30	0.30	..	..
0.44	0.43	0.50	0.56	0.56	..	..
2.88	2.00	1.28	1.27	1.25	..	..
3.75	5.27	5.36	5.36	5.58	..	..
1.76	1.49	4.63	3.37	3.81	..	..
0.05	1.29	2.27	2.20	2.64	..	..
0.93	1.75	1.86	1.81	1.99	..	..
3.92	6.93	9.59	10.14	11.43	..	..

मद—7. समाज सेवायें—

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
710115	ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में स्कूल माताओं की नियुक्ति के लिये अनुदान	8.00	..	..	0.13
710116	ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय निर्माण करने के लिये अनुदान	1.50	..	..	..
710117	ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषदों द्वारा बालकों के वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों का उच्चीकरण अथवा नये सीनियर बेसिक स्कूलों के खोलने हेतु अनुदान	316.73	..	..	47.20
710118	ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद् द्वारा बालिकाओं के वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों का उच्चीकरण अथवा नये सीनियर बेसिक स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान	291.79	..	..	26.50

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.26	0.76	2.16	2.39	2.55	..	..
0.30	0.33	0.44	0.44	0.30	..	..
45.42	59.73	60.07	54.83	61.79	..	..
42.12	47.23	61.19	51.27	56.30	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
710119	नगर क्षेत्रों में नगर-पालिकाओं द्वारा बालिकाओं के वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों का उच्चीकरण अथवा नये सीनियर बेसिक स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान	104.20	..	..	16.61
710120	सहायता न पाने वाले बालक-बालिकाओं के उच्च आधारिक विद्यालयों को अनुदान	127.90	..	..	7.67
710121	जिन क्षेत्रों में कोई विद्यालय नहीं है वहां नये खुले हुए उच्च आधारिक विद्यालयों को एडहाक अनुरक्षण अनुदान	10.00	..	..	1.00
710122	जिला परिषदों के सीनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनुदान	105.04	..	..	2.79

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
7.31	16.37	18.53	18.53	18.09	..	..
16.00	44.95	48.05	54.50	77.16	..	..
1.00	2.10	1.42	1.42	..	..	.
8.57	14.00	35.53	41.97	47.07	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा–(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
710123	नगरपालिका के सीनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिये अनुदान	8.34	..	..	0.13
710124	सुदूरवर्ती अथवा जहां शिक्षण की सुविधाएं नहीं हैं उन क्षेत्रों में राजकीय बालिका सीनियर बेसिक स्कूलों का खोलना	48.81	39.30	..	0.58
710125	स्थानीय निकायों तथा निजी प्रबंधकों द्वारा संचालित उच्च आधारिक विद्यालयों में सामान्य विज्ञान विषय के समावेश हेतु अनुदान	87.99	..	..	18.13
710126	उच्च आधारिक स्तर पर कृषि शिक्षा का सुधार	8.25	..	..	0.70
710127	सीनियर बेसिक स्तर पर निर्धन छात्राओं के लिये पाठ्य पुस्तकालय की स्थापना हेतु अनुदान	2.50	..	..	0.50

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973-74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित,	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
1.06	1.98	2.78	2.78	3.80	..	..
1.60	1.96	3.18	4.35	4.70	0.10	..
14.30	22.87	7.08	1.20	5.55	..	..
0.70	0.67	0.60	0.60	0.60	..	..
0.50	0.61	0.44	0.44	0.44	..	..

मद--7. समाज सेवायें

वर्ग--7.1. सामान्य शिक्षा-(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1970-71
1	2	3	4	5	6
710128	प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों को अपनी अर्हतायें बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन	2.00	..	..	0.34
	चालू निर्माण कार्य (स्पिलओवर) की योजनायें--				
710129	ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों में स्थित बालिकाओं के राजकीय उच्च आधारिक विद्यालयों के लिये छात्रावास का निर्माण	0.62	0.62	..	(-) 0.04
710130	102 राजकीय उच्च आधारिक विद्यालयों के खोले जाने के संबंध में भवन निर्माण	31.34	31.34	..	5.54
	नई योजना--				
710131	प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापक की नियुक्ति हेतु जिला परिषदों/नगर पालिकाओं को अनुदान	30.00	..	..	8.85

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	..	..
0.10	..	0.30	0.30	0.60	0.60	..
3.43	1.55	5.46	5.46	7.18	7.18	..
9.47	17.49	18.18	19.96	19.96	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
710132	अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति	3.00	..	..	..
710133	प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों की श्रमिक बस्तियों में स्थित चुने हुए नर्सरी एवं प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लाभार्थ केयर के सहयोग से संचालित बालाहार योजना	..	..	..	..
	योग, (1) प्रारंभिक शिक्षा	3,519.79	72.26	..	382.54
	(2) माध्यमिक शिक्षा—				
710201	कतिपय बालकों के राजकीय जूनियर हाई स्कूलों की हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति तथा बालकों के राजकीय हाई स्कूल का खोलना	28.49	20.00	..	1.11

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	9	9	10	11	12	13
0.49	1.39	4.00	2.92	3.75	..	..
7.86	19.80	34.89	33.91	35.02	..	..
442.73	768.24	931.05	937.37	1050.66	7.88	..
2.27	5.11	6.14	8.76	10.92	1.55	..

मद--7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा-(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
710202	बालिकाओं के कुछ राजकीय जूनियर हाई स्कूलों की हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति	23.73	12.50	..	1.22
710203	बालक तथा बालिकाओं के कतिपय राजकीय हाई स्कूलों का इंटर-मीडिएट स्तर पर उच्चीकरण	46.98	25.00	..	1.09
710204	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 में कतिपय नये विषय प्रारम्भ करने तथा अतिरिक्त अनुभाग खोलने के संबंध में अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था	21.50	..	..	1.70
710205	असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान	163.30	..	..	12.42
710206	प्रदेश के पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों के सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उदारता पूर्वक अनुदान	7.50	..	..	1.00

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
1.32	4.34	5.39	1.00	13.59	1.60	..
1.56	5.50	7.59	10.47	14.75	2.10	..
2.00	4.10	5.26	5.24	6.59	..	..
21.37	46.65	76.97	81.26	133.75	..	..
1.00	0.14	1.10	1.10	1.00	..	..

मद--7. समाज सेवायें

वर्ग--7.1. सामान्य शिक्षा-(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
710207	जिन शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है वहां नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु एक मुश्त अनुदान	6.25	..	..	0.71
710208	राजकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तक पुस्तकालयों की व्यवस्था	2.50	..	..	0.26
710209	अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान	15.00	..	..	2.65
710210	बालिका विद्यालयों को बस अनुदान	8.50	..	..	..
710211	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु सुदृढ़ीकरण	73.57	40.00	..	3.09

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.71	0.40	2.43	2.43	0.88	..	..
0.59	0.40	0.60	0.60	0.66	..	..
2.24	7.71	2.20	2.20	2.20	..	..
..	4.08	2.04	2.04	1.70	..	..
7.22	41.78	8.42	1.57	10.60	8.81	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969—70
1	2	3	4	5	6
710212	बालक एवं बालिकाओं के कतिपय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापन के लिये अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा कतिपय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण	126.27	116.40	..	3.37
710213	ए० एन० झा राजकीय इंटर कालेज, रुद्रपुर, नैनीताल से संलग्न कृषि फार्म का विकास	3.10	..	..	..
710214	वर्तमान सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापन की सुविधाओं में सुधार	32.00	..	..	11.74
710215	युनिसेफ की विज्ञान की योजनाओं हेतु शिक्षा निदेशालय में विज्ञान सेल की स्थापना	7.64	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
5.94	22.69	28.81	27.59	25.09	24.28	..
..	..	..	..	..		
5.495	9.494	2.80	2.80	2.80	..	..
..	..	..	..	..	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	योजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय		विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969-70
1	2	3	4	5	6
710216	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुधार	7.00	..	..	0.50
710217	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुधार	19.51	..	..	0.79
710218	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान	5.00	..	..	1.00
710219	सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ास्थल की व्यवस्था	3.09	..	..	1.08
710220	राजकीयय कन्या विद्यालयों हेतु बसों की व्यवस्था	16.89	..	..	1.09
710221	बालकों के विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिये विशेष सुविधायें	73.96	..	..	0.51

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74	(परिव्यय)	
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.50	3.25	1.75	1.75	1.00	..	..
1.34	3.61	3.27	3.27	3.27	..	..
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
3.36	0.94	0.90	0.90	0.70	..	..
1.34	3.07	3.74	3.71	4.28	..	..
0.49	0.85	0.82	0.82	0.82	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा–(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
710222	बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रा-वास का निर्माण	1.50	1.50	..	..
710223	बालकों एवं बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नये भवनों का निर्माण तथा पुराने विद्यालयों के भवनों का परिवर्द्धन	50.00	50.00	..	..
710224	माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अपनी अर्हतायें बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन	1.50	..	..	0.11
710225	प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चुने हुए विद्यालयों में अध्ययन हेतु सहायता	2.54	..	..	0.02
710226	विद्यालयों के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार	1.57	..	..	0.02
			..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.25	0.17	0.19	0.30	0.90	0.90	..
1.65	1.97	3.79	3.76	4.00	4.00	..
0.09	0.07	0.33	0.33	0.36	..	..
0.19	0.34	0.57	0.57	0.60	..	..
0.24	0.26	0.24	0.24	0.24	..	..
0.25	0.60	3.71	4.24	6.82	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा-(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
710228	मुख्य कार्यालय के लिये भवनों का निर्माण	15.00	15.00	..	..
710229	मुख्यालय एवं जिला कार्यालय पर सांख्यिकी इकाइयों का सुदृढ़ीकरण	2.50	..	..	0.02
710230	शिक्षा निदेशालय के मुख्य कार्यालय में सहायता प्राप्त विद्यालयों के लेखों की विशेष सम्परीक्षा के लिये लेखा सम्परीक्षण इकाइयों का सुदृढ़ीकरण	10.75	..	..	0.50
710231	लेखे के सम्परीक्षण हेतु सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान	15.00	..	..	..
710232	पाठ्य पुस्तक प्रकाशन संगठन का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	9.50	5.00	..	..
710233	माध्यमिक परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण	40.00	20.00	..	0.79

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1972–73	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	0.40	..	2.00	2.00	..
0.21	0.62	0.60	0.58	0.67	..	..
3.09	5.26	6.10	6.24	6.25	..	..
..	..	..	..	..	..	..
.	0.13	1.01	0.90	1.17	..	..
3.95	5.59	14.12	5.62	8.17	1.22	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी गत	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
710234	निबन्धक, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	5.00	..	..	0.34
710235	बालकों तथा बालिकाओं के दो नये शिक्षा मंडलों, झांसी एवं फैजाबाद का सृजन	4.70	..	..	..
710236	जिला मंडलीय स्तर के शैक्षिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण	8.60	..	.	0.58
710237	जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के पदों का सृजन	6.26	..	..	0.11
710238	उर्दू माध्यम विद्यालयों के लिए उप निरीक्षकों की व्यवस्था	0.79	..	..	0.08
710239	मंडलीय स्तर पर विज्ञान प्रोन्नत अधिकारियों की नियुक्ति	10.72	..		..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7		9	10	11	12	13
0.69	0.62	0.97	0.27	1.03	..	..
..	0.55	1.01	0.93	0.97	..	..
1.23	1.39	2.82	2.76	4.61	..	..
0.42	0.89	1.46	1.43	2.22	..	..
0.18	0.16	0.17	18.52	0.19	..	..
..	..	1.29	1.38	3.78	..	..

मद--7. समाज सेवाएं

वर्ग--7.1. सामान्य शिक्षा-(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
710240	निदेशालय, मंडलीय एवं जिला कार्यालयों के लिये गाड़ियों की व्यवस्था	8.99	..	..	0.79
710241	जिला विद्यालय निरीक्षकों के पदों का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा के कनिष्ठ वेतन से ज्येष्ठ वेतन-क्रम में उन्नयन	1.45	..	..	..
710242	जिन जिलों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है वहां सह विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिकाओं की व्यवस्था	8.00	..	..	0.09
710243	कक्षा 7-8 में अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था	10.00	..	..	..
710244	कक्षा 9-12 में अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था	10.00	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 परिव्यय		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.13	2.74	3.51	3.49	2.40	..	..
..	..	0.04	0.03	..	..	..
0.21	0.70	1.84	1.42	2.15	..	
..	0.63	1.57	1.57	1.88	.	.
..	0.29	1.44	1.02	1.59	..	..

मद—7.—समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969—70
1	2	3	4	5	6
	चालू निर्माण-कार्य (स्लिप ओवर) की योजनायें—				
710245	इन्टरमीडिएट कक्षाओं वाले कतिपय ऐसे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की कक्षायें आरम्भ करना जिसमें ऐसी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं	1.61	1.61	..	0.91
710246	राजकीय बालिका उच्च आधारिक विद्यालयों की हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति	1.13	1.13	..	0.48
710247	बालकों के राजकीय उच्च आधारिक विद्यालयों की हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नति	2.36 1.09	2.36 1.09	.. ..	1.17 0.18
710248	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नये विषयों का प्रारम्भ करना या नये अनुभाग खोलना	27.05	27.05	..	3.79

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
1.00	0.58	0.16	0.004	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.63	0.01	..	..	..	..	..
0.01	0.01	..	..	..	..	..

मद—7—समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी-	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
710249	बालकों एवं बालिकाओं के वर्तमान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये भवनों का निर्माण	1.29	1.29	..	0.86
710250	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वर्तमान भवनों का प्रसार तथा विद्युतीकरण	0.59	0.59	..	0.02
710251	वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित भवनों के बदले में भवनों का निर्माण	9.46	9.46	..	2.59
710252	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की इन्टरमीडिएट स्तर पर क्रमोन्नति	0.22	0.22	..	0.02
710253	बहु प्रयोजनीय विद्यालयों के विकास की योजनाओं के अन्तर्गत लखनऊ तथा इलाहाबाद में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण	4.66	4.66	..	0.98

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 परिव्यय		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
4.61	3.63	4.43	5.00	4.99	4.99	..
..	..	0.10	0.01	0.40	0.40	..
0.25	0.04	..	..	..	..	..
1.41	0.84	1.06	0.05	0.15	0.15	..
..	..	..	..	..	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
710254	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये छात्रावासों का निर्माण	6.18	6.18	..	..
710255	बालकों एवं बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण एवं नये विद्यालयों के लिये भूमि की अध्याप्ति	6.18	6.18	..	..
	नई योजनायें				
710256	पौड़ी गढ़वाल में उप शिक्षा निदेशक के एक नवीन मंडलीय कार्यालय की स्थापना	2.00	..	..	..
710257	अराजकीय विद्यालयों का प्रान्तीयकरण	5.00	..	..	..
710258	राजकीय विद्यालयों तथा कार्यालयों में बिजली के पंखों की व्यवस्था	3.00	..	..	..
	योग (2) माध्यमिक शिक्षा	924.00	361.64	..	59.78

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.17	0.03	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	0.59	0.56	0.56	..	..
..	0.33	2.50	1.41	1.70	..	..
0.97	2.00	1.00	1.00	1.00	..	..
78.58	195.56	218.25	222.14	296.57	52.00	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	(3) विश्वविद्यालय शिक्षा				
710301	नैनीताल विश्वविद्यालय की स्थापना	60.00	..	..	0.02
710302	विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान	135.00	..	..	26.01
710303	नये उपाधि महाविद्यालयों तथा नई संकायों को अनुरक्षण अनुदान	87.00	..	..	11.66
710304	अशासकीय उपाधि महाविद्यालयों को विकास अनुदान	134.00	..	..	10.00
710305	स्नातकीय तथा स्नातकोत्तरी कक्षाओं में बालिकाओं को विशेष सुविधायें देने के लिये अनुदान	15.00	..	..	1.57
710306	नये राजकीय उपाधि महाविद्यालयों का खोला जाना तथा वर्तमान राजकीय उपाधि महाविद्यालयों का विकास	55.00	30.00	..	7.34
710307	उपाधि महाविद्यालयों को योग्यता अनुदान	3.75	..	..	0.75
710308	ग्रामीण संस्थान	5.00	..	..	0.45
710309	उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों को अर्हतायें बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन	1.25	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	1.00	1.00	1.00	..	..
30.38	56.49	31.00	27.00	30.00	..	.
26.81	40.69	43.38	48.38	60.00	..	..
19.53	37.69	24.00	20.00	26.00	..	..
1.64	2.62	2.00	1.00	1.00	..	..
6.68	14.73	17.54	23.94	33.33	5.69	..
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	..	..
..	..	0.20	0.20	0.10	..	..
0.93	1.19	..	1.50	1.00	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
710310	विज्ञान (अप्राविधिक) विषयों की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये विदेश जाने वाले छात्रों को ऋण	2.50	2.50	..	..
710311	विदेश में अध्ययन हेतु यात्रा अनुदान	1.25	..	..	0.17
710312	विदेशों में सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिये अनुदान	1.25	..	..	0.25
710313	उपाधि महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक की व्यवस्था के लिये अनुदान	10.00	..	..	0.36
710314	विश्वविद्यालयों तथा उपाधि महाविद्यालयों में सहकारिता के आधार पर पुस्तकें उधार देने वाले पुस्तकालयों की व्यवस्था	10.00	..	..	1.00
710315	विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी साहित्य के प्रकाशनार्थ एक स्वायत्त निगम की स्थापना	..	..	..	..
	चालू निर्माण-कार्य (स्पिल-ओवर) की योजनाएं				
710316	नये राजकीय उपाधि महाविद्यालयों का खोलना तथा वर्तमान विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण	8.51	8.51	..	(−)0.004

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	0.10	0.10	0.10	0.10	..
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	..	..
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	..	..
0.75	1.05	2.50	2.50	3.70	..	..
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	..	..
..	..	..	..	..	..	..
1.41	1.51	1.47	1.08	0.01	0.01	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
	चालू निर्माण-कार्य (स्पिल ओवर) की योजनायें				
	नई योजनायें				
710317	अराजकीय डिग्री कालेजों का प्रान्तीयकरण	1.00	..	..	..
	योग (3) विश्वविद्यालय..	530.51	41.01	..	59.58
	(4) अध्यापक प्रशिक्षण—				
	(क) प्रारम्भिक				
710401	प्रशिक्षण विद्यालयों के स्तर का उन्नयन	12.29	..	..	..
710402	राजकीय दीक्षा विद्यालयों एवं सेवारत प्रशिक्षण केन्द्रों में अतिरिक्त सज्जा एवं उपकरण की व्यवस्था	3.60	..	..	1.80
710403	राजकीय अवर आधारिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षार्थियों की प्रवेश संख्या में वृद्धि	15.26	5.70	..	..
710404	राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ तथा मोदीनगर (मेरठ) की वार्षिक प्रवेश संख्या में वृद्धि	6.95	..	..	0.06

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	3.00	4.01	5.71	..	..
90.38	158.22	128.44	132.96	164.20	5.80	..
0.17	0.52	1.46	1.31	2.38	..	..
6.58	..	..	..	..	..	..
..	0.51	2.90	2.94	2.79	..	..
1.21	0.47	1.50	1.45	1.68	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
710405	विज्ञान एवं गणित अध्यापकों के लिये बालकों एवं बालिकाओं के राजकीय सी० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलना	15.39	..	..	..
710406	प्रारम्भिक विद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों का प्रशिक्षण	0.72	..	..	0.72
	चालू निर्माण कार्य (स्पिलओवर) की योजनायें				
710407	राजकीय दीक्षा विद्यालयों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रसार की योजना के संबंध में भवन निर्माण	68.98	68.98	..	5.04
710408	वर्तमान प्राथमिक अध्यापकों के राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं के भवनों का विस्तार	17.68	17.68	..	2.37
710409	वर्तमान राजकीय दीक्षा विद्यालयों के भवनों का निर्माण तथा विस्तार	1.21	1.21	..	0.12
	योग (क) प्राथमिक..	142.08	93.57	..	10.11

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
1.65	0.98	4.10	4.11	4.38	.	..
4.21	3.87	7.50	7.58	8.35	8 35	..
1.26	0.43	3.23	3.23	4.00	4.00	..
0.04	..	0.34	..	..	..	..
15.12	6.78	21.04	20.62	23.58	12.35	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	(ख) माध्यमिक				
710410	शैक्षिक अनुसंधान तथा अध्ययन के शोध पत्रों के प्रकाशन की व्यवस्था	2.50	..	..	0.21
710411	राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण	3.52	2.50	..	0.21
710412	राजकीय गृह विज्ञान महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में एल० टी० (गृह विज्ञान) प्रशिक्षण का समावेश	1.40	..	..	..
710413	औपचारिक शिक्षा हेतु राजकीय सी० पी० आई०, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण	4.42	1.50	..	0.27
710414	आंग्लभाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण	2.63	1.50	..	..
710415	विस्तार सेवा केन्द्र	2.80	..	..	0.28
710416	कैरियर मास्टर के प्रशिक्षण के लिये मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद का सुदृढ़ीकरण	1.56	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.25	0.47	0.56	0.55	0.56	..	..
0.71	1.57	0.24	0.19	0.29	0.10	..
..	..	..	..	0.83	..	..
0.48	1.22	1.31	0.49	0.64	..	..
0.20	1.77	1.75	0.21	2.28	1.50	..
0.37	0.34	0.64	0.56	0.56	..	..
..	..	1.21	0.86	1.97	..	..

मद—7. समाज सेवायें
वर्ग—7.1.सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
710417	अध्यापकों एवं छात्राध्यापकों को दूसरे प्रदेशों में शैक्षिक यात्रा के लिये अनुदान	0.50	..	..	..
710418	राजकीय आधारिक प्रशिक्षण महाविद्यालय वाराणसी का सुदृढ़ीकरण	3.00	3.00	..	..
710419	राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	3.00	2.00	..	0.19
710420	राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा संस्थान का सुदृढ़ीकरण	1.69	..	..	0.10
710421	यूनीसेफ की विज्ञान शिक्षा के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अन्य चार संस्थाओं का "की इंस्टीट्यूशनों" के रूप में संवर्धन तथा विज्ञान अध्यापकों का प्रशिक्षण	15.06	..	..	2.37

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	0.19	0.19	..	..	..
0.40	1.45	1.00	0.14	0.10	0.10	..
0.39	1.54	1.24	0.31	0.42	..	..
0.63	0.31	0.54	0.54	0.55	..	..
1.47	3.59	3.98	1.59	4.18	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	चालू निर्माण-कार्य—(स्पिल-ओवर) की योजना				
710422	राजकीय गृह विज्ञान महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद का एल० टी० स्तर तक उन्नति	5.52	5.52	..	..
	नई योजना				
710423	राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान इलाहाबाद से संलग्न बेसिक डिमांस्ट्रेशन स्कूल का उच्चीकरण	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
..	0.25	1.60	0.45	1.46	1 00	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
710424	माध्यमिक स्तरीय विज्ञान शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण	..	..	..	..
	योग (ख) माध्यमिक ..	47.60	16.02	..	3.63
	योग (4) अध्यापक प्रशिक्षण ..	189.68	109.59	..	13.74
	(5) सामाजिक शिक्षा				
710501	उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा	30.77	..		3.83
710502	नगर क्षेत्रों के चुने हुए सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायक अनुदान	10.00	..	..	0.64
710503	केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	2.50	1.50	..	..
	योग, (5) सामाजिक शिक्षा ..	43.27	1.50	..	4.4

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	5.00	4.42	5.00	..	..
4.88	12.51	19.26	10.51	18.84	2.70	..
20.00	19.29	40.30	31.13	42.42	15.05	..
3.00	2.28	6.25	6.25	5.94	..	..
1.00	2.11	2.00	..	0.50	..	..
..	0.17	0.14	0.14	0.19	..	..
4.00	4.56	8.39	6.39	6.63	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	(6) अन्य शैक्षिक कार्यक्रम				
	क—शिक्षा विभाग				
710601	राष्ट्रीय सेना छात्र दल योजना का प्रसार	2.50	..	..	0.01
710602	शारीरिक शिक्षा तथा युवक कल्याण कार्य-क्रम की प्रोन्नति	10.00	..	..	2.29
710603	भारत स्काउट्स तथा गाइड्स को अनुदान	5.00	..	..	1.20
710604	प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को विकास अनुदान	5.00	..	..	0.75
710605	प्राच्य शिक्षा संस्थाओं को अनुरक्षण अनुदान	5.00	..	..	0.48
710606	संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षणालय का सुदृढ़ीकरण	1.27	..	..	..
710607	हिन्दी शिक्षण संस्थान की स्थापना	10.80	5.00	.	0.26
710608	हिन्दुस्तानी एकेडमी को अनुदान	0.75	..	..	0.15
710609	लखनऊ में स्थित दक्षिणी भारतीय भाषाओं के विद्यालय का विकास	0.75	..	..	0.07

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.09	0.29	0.29	0.29	0.67	..	..
1.88	1.66	2.32	2.32	2.15	..	..
1.20	1.20	1.20	1.20	0.20	..	..
1.03	2.32	2.32	2.00	1.00	..	..
0.98	1.51	2.15	2.15	2.93	..	..
..	..	0.40	0.38	0.30	..	..
0.58	0.64	2.35	1.38	3.41	1.50	..
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		
0.03	..	0.13	0.13	0.13		

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7. 1. सामान्य शिक्षा—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	चालू निर्माण-कार्य (स्पिल ओवर की योजनायें)				
710610	वर्तमान राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के भवनों का निर्माण	0.37	0.37	..	..
	नई योजनायें				
710611	दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षण हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान	3.00	..	..	0.60
710612	उत्तर प्रदेश में युवक कल्याण परिषद् की ---	3.00	..	..	..
			..	..	..
			..	..	1.85
			.	..	..
			.	..	..
			.	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.20	0.07	0.70	..	..	..	..
0.11	0.17	0.25	0.25	0.25	..	..
0.97	2.41	1.40	1.40	2.40	..	..
0.30	5.10	5.10	5.10	5.10	..	..
2.40	4.92	5.00	5.00	15.00	..	..
..	1.20	0.03	0.03	0.03	..	..
..	0.20	0.20	0.20	0.20	..	..
..	0.10	0.10	0.10	0.10	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
710618	राष्ट्रीय सेवा कोर तथा राष्ट्रीय खेलकूद परिषद्	..	..	..	..
710619	हिन्दी की उत्तम पुस्तकों का क्रय	..	..	..	..
	उपकरण तथा संयंत्र	..	..	..	..
	अन्तरिम सहायता	..	..	..	..
	ख—सूचना विभाग				
710620	हिन्दी की पुस्तकों का प्रकाशन	10.00	..	..	2.65
	योग (6) ..	87.44	5.37	..	10.50
	(7) सांस्कृतिक कार्य				
710701	उत्तर प्रदेश राज्य प्राभिलेख का विस्तार	2.00	..	0.57	0.33
710702	राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ का पुनस्संगठन	4.00	1.70	..	0.41
710703	पुरातत्व का पुनस्संगठन	3.40	1.20	..	0.21

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
5.05	5.87	7.50	7.50	7.50	..	..
..	..	..	10.00	5.00	..	..
2.69	4.55	..	..	..	..	..
..	2.24	..	..	..	..	..
2.08	1.80	1.80	1.79	2.00	..	..
19.74	36.40	32.57	41.37	48.52	1.50	..
0.17	0.55	0.70	0.70	0.90	..	0.10
0.54	0.34	0.75	0.75	0.75	..	..
0.26	0.31	0.80	0.80	0.85	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.1. सामान्य शिक्षा—(समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
710704	उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के प्रसार एवं विकास के लिए सहायक अनुदान	3.50	..	..	0.60
710705	भातखंडे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ का विकास	3.40	1.22	..	0.08
710706	उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल का विकास	24.80	6.37	16.55	14.7[illegible]
710707	उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के प्रसार एवं विकास के लिए सहायक अनुदान	3.30	..	..	0.50
710708	संग्रहालयों का पुनर्गठन	5.00	..	..	0.85
710709	सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की स्थापना	0.60	..	..	..
	अंतरिम सहायता ..	..	..	..	..
	योग (7) ..	50.00	10.49	16.92	17.77
	योग 7.1 सामान्य शिक्षा	5344.69	601.26	16.92	548.38

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.65	1.00	0.85	0.85	1.00	..	..
0.44	0.20	0.75	0.75	0.75	0.35	..
5.93	2.33	1.00	1.00	1.35	0.29	..
0.50	0.75	0.85	0.85	1.00	..	..
0.60	1.38	1.40	1.40	1.90	0.12	..
0.10	0.24	0.90	0.90	1.00	..	..
..	0.04	..	..	..	..	..
9.19	7.14	8.00	8.00	9.50	0.76	0.10
664.63	*1189.41*	*1367.00*	*1379.36*	*1618.50*	*82.99*	*0.10*

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.2. प्राविधिक शिक्षा

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
720101	रुड़की विश्वविद्यालय	26.00	..	5.00	11.26
720102	एम० एम०एम०इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर	44.00	..	9.00	10.31
720103	एच० बी० टी० आई०, कानपुर	80.00	..	15.00	24.56
720104	राजकीय केन्द्रीय वस्त्र उद्योग संस्थान, कानपुर	5.00	1.00	2.00	1.02
720105	पन्त कालेज आफ इंजीनियरिंग टेक्नोलाजी	100.00	..	11.00	35.89
720106	राजकीय बहुधंधी संस्थानों का एकीकरण	112.34	28.00	6.00	12.61
720107	गैर सरकारी बहुधंधी संस्थानों को सहायक अनुदान	73.00	..	10.00	9.59
720108	सरकारी चर्म संस्थान, आगरा	10.00	3.00	0.40	0.56
720109	रीजनल स्कूल आफ पेंटिंग (पार्ट टाइम सहित)	11.00	3.00	0.60	0.71
720110	सेकेन्ड्री टेकनिकल स्कूल, एडजेन्कूट	40.00	10.00	..	0.12

(लाख रुपये में)

व्यय		1972—73		1973—74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
10.09	7.62	7.00	9.67	10.00	..	..
5.03	3.85	2.00	6.29	12.00	..	..
12.58	18.16	15.00	6.98	16.00	..	..
0.60	4.88	2.25	1.58	0.70	..	..
21.91	8.00	17.70	1.81	9.00	..	..
7.76	11.52	18.81	10.69	16.97	0.32	0.20
4.43	10.96	12.60	11.73	7.20	..	..
0.34	0.18	0.50	0.33	0.30	..	..
0.14	0.37	1.96	0.74	1.60	..	0.80
0.01	..	..	..	..	..	..

मद--7.समाज सेवायें
वर्ग—7.2, प्राविधिक शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969–74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
720111	सेकेण्ड्री टेक्निकल स्कूल, स्वतंत्र (पांच)	3.00	3.00	..	0.06
720112	राजकीय महिला बहुधंधी संस्थान, लखनऊ	8.00	0.50	..	0.05
720113	केमिकल आपरेशन कोर्स (तीन केन्द्र)	37.00	13.50	2.50	..
720114	तृतीय योजना नई स्वीकृत संस्थायें जो अभी चालू नहीं हुई	60.00	20.00	8.00	..
	नई योजनाएं :				
720201	डिग्री कोर्सेज का पुनर्गठन और डिग्री स्तर पर सैंडविच कोर्सेज का गठन	35.00	..	3.60	..
720202	डिप्लोमा कोर्सेज का डाइवरसीफिकेशन/कामर्स कोर्सेज का प्रारम्भ करना तथा सैंडविच कोर्सेज का संगठन	80.00	4.04	4.00	0.30
720203	माध्यमिक शिक्षा का वोकेशनलाईजेशन	47.24	15.00	8.00	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.02	..	..	..	..	..	..
0.22	0.37	0.40	0.27	0.40	..	..
0.30	0.16	0.65	0.58	1.80	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
6.79	13.49	24.11	16.16	34.04	0.60	1.00
..	..	..	..	4.06	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.2: प्राविधिक शिक्षा (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
720204	स्टाफ क्वार्टर्स	30.00	9.86	..	0.40
720205	अध्यापकों के प्रशिक्षण प्रोग्राम को सम्मिलित करते हुए फैकल्टी विकास	30.00	..	..	0.63
720206	पुरानी संस्थाओं की साज-सज्जा को बदलना	30.30	..	..	0.28
720207	इंस्टीट्यूट आफ पेपर टेक्नालॉजी, सहारनपुर	20.00	..	3.00	..
720208	छात्र वृत्तियां	12.00	..	..	..
720209	प्राविधिक ऋण (छात्रवृत्तियां)	100.00	100.00	..	20.00
720210	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय तथा स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन	8.00	0.14	..	0.06
720211	बहुधंधी संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिए सुविधायें	9.00	1.00	..	..
720212	टेक्स्ट बुक लोन स्कीम	1.00	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
12.19	23.61	13.24	31.39	7.00	4.00	..
0.99	0.57	1.50	0.34	0.50	..	..
..	..	..	..	5.00	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
14.50	11.00	18.00	13.00	13.00	13.00	..
..	0.95	2.48	1.68	2.73	..	..
7.66	7.64	6.50	4.69	4.80	4.80	..
..	..	..	..	..	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7. 2. प्राविधिक शिक्षा (समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
720213	डेवलपमेंट आफ टीचिंग एड्स	4.00	..	..	..
720214	राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर, फैजाबाद तथा मिर्जापुर छात्रावासों का निर्माण	5.69	5.69	..	0.90
720215	राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद, गोंडा, बस्ती, आजमगढ़ तथा श्रीनगर (गढ़-वाल) में छात्रावासों का निर्माण	16.21	16.21	..	1.62
720216	एस० टी० सी०, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, मिर्जापुर, गोंडा, गोरख-पुर, मुरादाबाद तथा आजमगढ़ में छात्रावास का निर्माण	5.52	5.52	..	0.73
720217	मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद	5.00	..	0.40	19.77
720218	प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र	..	..	..	..
720219	पुस्तक बैंक की स्थापना	..	..	..	..
	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान व्यय	..	..	..	..
	अंतरिम सहायता हेतु प्राविधान	..	..	..	..
	योग, 7. 2. प्राविधिक शिक्षा ..	*1,048.00*	*239.46*	*88.50*	*151.43*

(लाख रुपयों में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
..	..		..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	0.30	..	0.52	0.40	0.40	..
25.42	6.38	12.30	17.47	18.00	..	..
..	1.00	3.00	3.00	5.00	..	..
..	..	..	..	4.50	..	..
..	..	..	1.13	..	..	..
..	..	..	12.48	..	..	..
131.27	*131.01*	*160.00*	*152.53*	*175.00*	*23.12*	*2.00*

13—स्वास्थ्य

आर्थिक विकास के लिये यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि जनता का स्वाथ्य सुधारा जाय। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम से शारीरिक क्षमता और बल में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा कार्यक्रमों में समुचित और सुनियोजित विनियोजन से मृत्यु दर घट जाती है तथा रोगों और महामारियों का प्रकोप कम हो जाता है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सामान्य उद्देश्य संचारी रोगों पर नियंत्रण करना तथा प्रत्येक सामुदायिक विकास खन्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करके नगरों में चिकित्सालय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आरोग्यकर और निवारक सेवायें उपलब्ध करना तथा चिकित्सा और पैरा चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि करना है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर चौथी योजना अवधि में स्वास्थ्य और चिकित्सा कार्यक्रमों के लिये 3,550 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है। वर्ष 1973–74 के लिये 1350 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत है। निम्नलिखित सारिणी में चौथी आयोजना तथा उसके वार्षिक योजना के परिव्ययों और व्यय का मदवार विभाजन दिखाया गया है—

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम		चतुर्थ आयोजना परिव्यय 1969–74	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	वास्तविक व्यय 1971–72	1972–73 परिव्यय	1972–73 अनुमानित व्यय	1973–74 स्वीकृति परिव्यय
1		2	3	4	5	6	7	8
1—चिकित्सा शिक्षा	..	1,300	134	205	282	269	292	385
2—प्रशिक्षण कार्यक्रम	..	185	4	4	14	31	30	85
3—चिकित्सालय और औषधालय	..	1,202	96	112	125	311	317	505
4—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	..	336	5	18	23	96	101	124
5—संचारी रोगों पर नियंत्रण	..	129	34	36	9	27	21	32
6—भारतीय चिकित्सा पद्धति	..	115	9	15	26	49	49	73
7—अन्य कार्यक्रम	..	283	44	45	40	44	46	82
8—विविध	..	..	..	..	..	29	..	64
योग	..	3,550	326	435	519	856	856	1,350

चिकित्सा शिक्षा

2—चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में सुनिश्चित प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्राप्त करने की सुविधाओं के बिना स्वास्थ्य और चिकित्सा कार्यक्रमों को समुचित-रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। डाक्टरों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिये आयोजना के प्रथम चार वर्षों में तीन मेडिकल कालेज खोले गये। इन योजनाओं के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 1,300 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें से वर्ष 1969–73 के दौरान 913 लाख रु० का व्यय किया गया है। वर्ष 1973–74 के लिये 385 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। सभी वर्तमान योजनाओं के वित्त पोषित करने और विभिन्न भवनों के निर्माण के लिये 222.89 लाख रु० की व्यवस्था है। मेडिकल कालेजों और शिक्षण चिकित्सालयों के विभिन्न विभागों में अतिरिक्त सज्जा की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त धनराशि व्यय करने का लक्ष्य है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

3—इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा और उपचार शिक्षा की व्यवस्था करना और प्राविधिक जनशक्ति की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु पैरा–मेडिकल कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है। चौथी योजना में इन योजनाओं के लिये 185 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। योजना के प्रथम चार वर्षों में इन योजनाओं पर 52 लाख रु० व्यय किया गया। वर्ष 1973–74 के लिये 85 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1973–74 के दौरान मेरठ में 50 धात्रियों की प्रवेश क्षमता वाला एक सामान्य धात्रि प्रशिक्षण केन्द्र, 15 प्रसूतिकाओं की प्रवेश क्षमता का एक प्रसूति विद्या प्रशिक्षण केन्द्र तथा 20 की प्रवेश क्षमता का एक सेवारत प्रयोगशाला प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने हैं।

चिकित्सालय और औषधालय

4—चिकित्सालयों और औषधालयों के खोलने का उद्देश्य जनसाधारण के लिये आरोग्यकर और निवारक सेवाओं की व्यवस्था करना है। चौथी योजना अवधि के दौरान इस योजना के लिये 1202 लाख रु० की व्यवस्था की गयी है। इसमें से वर्ष 1969–73 के दौरान 650 लाख रु० व्यय किया गया। वर्ष 1973–74 के लिये 505 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी है इस ग्रुप के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 के कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 209 नये एलोपैथी औषधालयों का स्थापित किया जाना है। वर्ष 1973–74 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रोगी शैय्याओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त 109 एलोपैथी औषधालय स्थापित किये जायेंगे। चिकित्सालयों में अतिरिक्त औषधियों, आहार और साज सज्जा आदि की संपूर्ति के लिये और विकिरण आपदाओं से बचाव के उपायों के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। दो शिशु क्लीनिक और सात दन्त क्लीनिक स्थापित करने का भी लक्ष्य है। इन अतिरिक्त दो स्थानों पर विकिरण विज्ञान और रोग विज्ञान, पैथालाजी को भी सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

5—ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक प्रभावकारी आधार शिला है। ये केन्द्र आरोग्यकर और निवारक सेवायें करते हैं तथा संचारी रोगों के रोक–थाम कार्य बराबर जारी रखते हैं और इस प्रकार ये केन्द्र-राज्यव्यापी परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम के लिये फोकल विन्दु हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के लिये चौथी योजना में 336 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है जिसमें से लगभग 147 लाख रु० वर्ष 1969–73 के दौरान व्यय किया गया। वर्ष 1973–74 के लिये 124 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत है। इस समय राज्य में 875 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिसमें से 59 केन्द्र औषधालयों, संघटकों

(कम्पोनेन्टस) के बिना चलाये जा रहे हैं। आशा की जाती है कि निकट भविष्य में इन सभी केन्द्रों के अपने औषधालय हो जायेंगे। इन केन्द्रों के लिये वर्ष 1973-74 के दौरान भवनों के निर्माण के लिये 45 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत है और 3 लाख रु० की धनराशि की मरम्मतों और मूल सुख-सुविधाओं के लिये की गयी है।

6--वर्ष 1971-72 के अन्त तक 246 केन्द्रों को संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) से सहायता मिली थी जिनमें से 192 केन्द्रों का संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की गाड़ियां उपलब्ध करा दी गयी हैं। वर्ष 1972-73 के दौरान 68 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इसी संस्थान से बराबर सहायता प्राप्त होती रहेगी।

7--राज्य में इस समय 104 केन्द्र हैं जिनका केन्द्र जिला परिषद् के औषधालयों द्वारा बनाया जाता है। चौथी योजना के अन्त तक इनका प्रान्तीयकरण कर दिया जायगा।

संचारी रोगों का नियंत्रण

8--चौथी योजना में इसके लिये 129 लाख रु० का परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इसमें से वर्ष 1969-73 के दौरान एक करोड़ रु० के व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1973-74 के लिये 32 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। 21 स्थानों में क्षयरोग रुजालयों और दो वक्ष थोटिक शल्य चिकित्सा इकाइयां--एक भुवाली और एक गोरखपुर में स्थापित कराने का कार्यक्रम है। स्वेच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान देने की योजना पूर्व की भांति जारी रहेगी।

भारतीय चिकित्सा पद्धति

9--इस योजना के अन्तर्गत होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा आती है। चौथी योजना में 115 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें से वर्ष 1969-73 के लिये 79 लाख रु० का व्यय किया गया है जिसमें से 7.37 लाख रु० होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति के लिये और शेष आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के लिये है।

होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति

10--वर्ष 1972-73 के दौरान 30 औषधालय स्थापित किये जायेंगे और 1973-74 में 25 औषाधालय स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में होमियोपैथिक फार्मेसिस्टों व औषधाकारकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायगा। होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद् से सम्बद्ध होमियोपैथिक कालेज को सहायक के अनुदान देने के लिये पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की गई है।

आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियां

11--वर्ष 1973-74 के दौरान क्षय रोगी शय्याओं वाले 25 औषधालय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्र मे एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित करने का लक्ष्य है। यात्रियों का प्रशिक्षण पूर्व की भांति जारी रहेगा। राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के प्रसार की एक योजना भी सम्मिलित है।

अन्य

12--चौथी योजना में 283 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है जिसमें से 175 लाख रु० की धनराशि 1969-73 के दौरान व्यय हो जाने की संभावना है। वर्ष 1973 से 74 के लिये 82 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1973-74 के दौरान कानपुर में तीन ई० एस० आई० औषधालय स्थापित करने का लक्ष्य है। ऐसी चिकित्सा संस्थानों को, जो चिकित्सा अवेक्षा कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, सहायक अनुदान देने के लिये पर्याप्त निधियां रखी गयी हैं।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

13—राज्य आयोजनागत योजना के अतिरिक्त केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के लिये, परिव्यय और उनके संबंध में होने वाले व्यय का विभाजन कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है—

सारिणी 2

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	चौथी योजना का परिव्यय	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	वास्तविक व्यय 1971–72	अनुमानित व्यय 1972–73	1973–74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1—चिकित्सा शिक्षा	99.08	0.05	0.46	11.03	9.83	22.80
2—प्रशिक्षण कार्यक्रम	4.03	..	..	..	..	0.86
3—चिकित्सालय और औषधालय	13.50	..	..	..	0.60	1.86
4—प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	900.00	..	0.03	10.04	40.87	60.00
5—संचारी रोग	2085.09	159.49	184.08	175.74	180.47	399.33
6—परिवार नियोजन	5399.73	546.41	492.16	672.76	1225.22	1577.55
7—भारतीय चिकित्सा पद्धित	50.00	..	..	1.93	2.00	8.00
8—अन्य कार्यक्रम	9.58	0.94	1.05	1.00	1.40	2.00
योग	8561.01	706.89	677.78	872.50	1460.39	2072.40

14—सभी वर्तमान योजनाओं को जारी रक्खा जायगा। 1973–74 में 6 नए मानसिक रुजालय स्थापित किये जायेंगे। हैजा नियन्त्रण कार्यक्रम का प्रसार और जिलों में भी किया जायगा। 12 क्षय रोग क्लीनिकों को प्रोन्नत किया जायगा और मलेरिया उन्मूलन कार्य-क्रम के अन्तर्गत 44 खण्डों को सम्मिलित किया जायगा।

मद—7. समाज सेवाएं

वर्ग—7. 4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	(1) शिक्षा कार्यक्रम:				
740101	कानपुर मेडिकल कालेज की आवश्यकताओं के लिए प्राविधान	123.59	59.24	..	5.05
740102	सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा की आवश्यकताओं के लिए प्राविधान	103.79	29.90	..	4.94
740103	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के लिये प्राविधान	104.77	47.74	..	4.81
740104	आगरा एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेजों के लिये अपूर्ण निर्माण-कार्यों के लिए प्राविधान	36.20	36.20	..	15.45
740105	लखनऊ मेडिकल कालेज की आवश्यकताओं के लिये प्राविधान	102.32	..	..	20.15
740106	लखनऊ मेडिकल कालेज के दन्त विभाग के स्नातक शिक्षा की सुविधा एवं प्रसार	0.35	..	..	..
740107	झांसी और गोरखपुर मेडिकल कालेज की स्थापना के लिये प्राविधान	485.00	400.00	..	42.83

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 परिव्यय		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
19.08	26.79	24.67	28.15	32.12	14.89	..
11.63	12.43	29.69	31.72	26.78	8.05	..
11.49	21.19	28.36	28.36	36.34	15.35	..
4.89	1.23	3.00	3.00	5.50	5.50	..
17.46	31.59	35.34	33.19	29.04	..	..
..	0.10	0.19	0.20	0.06	..	..
87.66	139.47	91.00	106.00	158.05	12[illegible].00	..

मद—7. समाज सेवाएं

वर्ग—7. 4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
740108	मेरठ में एक मेडिकल कालेज की स्थापना और 600 शैयाओं की व्यवस्था	315.98	253.01	..	39.11
740109	पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र में एक मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था	..	..	..	..
740110	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अस्पताल एवं शैयाओं के रख–रखाव के लिए अनुदान	22.00	..	..	0 66
740111	चिकित्सा अनुसंधान	5.00	..	..	1.00
740112	सरकारी डाक्टरों के लिये स्नातक शिक्षा	1.00	..	..	0.04
740113	मेडिकल कालेजों में 200 अतिरिक्त छात्रों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने की व्यवस्था	..	..	..	..
	योग (1) ..	1,300.00	826.19	..	134.04

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 परिव्यय		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
50.20	41.45	47.15	51.50	76.71	50.00	..
..	..	..	..	10.00	10.00	..
1.90	1.65	5.80	5.80	4.80	..	..
1.00	0.76	1.00	3.10	3.10	..	..
0.01	0.76	0.20	0.20	0.20	..	..
..	..	3.10	..	..	..	..
205.32	278.57	269.50	292.21	385.00	223.79	..

मद—7. समाज सेवाएं

वर्ग—7. 4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम				
740201	डेन्टल मेडिकल कालेज, लखनऊ में डेन्टल हाइजिनिस्टों का प्रशिक्षण	2.24	..	..	0.92
740202	परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	110.23	65.75	..	0.09
740203	दाइयों के तीन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने एवं भवन निर्माण के लिए व्यवस्था	11.85	5.22	..	0.13
740204	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1.60	..	..	0.04
740205	एप्लाइड न्यूट्रिशन कार्य-क्रम का प्रसार	..	..	..	0.36
740206	मेरठ एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेज में कोर्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम	13.10	11.00	..	..
740207	प्रयोगशाला एवं एक्सरे प्रविषज्ञ (टेक्निशियन्स) का प्रशिक्षण	4.10	..	..	1.15
740208	छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना	4.80	..	..	0.65
740209	अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप योजना	15.68	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.14	..	0.17	0.26	0.17	..	..
0.60	4.09	9.34	9.34	46.87	22.00	..
0.24	0.31	1.41	1.41	4.04	3.00	..
0.13	0.09	0.55	0.55	0.31	..	..
0.39	0.42	0.69	0.69	0.70	..	..
..	0.24	4.25	4.25	5.75	4.00	..
0.42	0.26	0.51	0.51	0.59	..	..
1.13	1.61	3.10	3.10	3.94	..	..
0.81	4.13	4.65	4.65	7.65	1.60	..

मद—7. समाज सेवाएं

वर्ग—7.4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
740210	कानपुर एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेज में उप-चिकित्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण	4.60	4.00	..	..
740211	जन स्वास्थ्य एवं आधारिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण	12.00	1.36	..	0.23
740212	क्षय रोग के संबंध में पुरुष स्वास्थ्य निरीक्षकों का प्रशिक्षण	4.80	4.80	..	0.08
740213	विदेश में होने वाले कान्फ्रेंस आदि में भाग लेने के सम्बन्ध में मेडिकल कालेज के अध्यापकों तथा चिकित्सालय के चिकित्साधिकारियों को आर्थिक सहायता	..	..	..	..
740214	के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में थियेटर आपरेटर का प्रशिक्षण	..	..	..	.
740215	मेडिकल कालेज, मेरठ में प्रयोगशाला टेक्नीशियनों का प्रशिक्षण	..	..		..
740216	मेडिकल कालेज, आगरा तथा झांसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा इलाहाबाद कानपुर व मेरठ में डबल शिफ्ट	..	..	..	.
740217	फार्मेसी प्रशिक्षार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि	..	..	..	.
	योग (2) ..	185.00	92.07	..	3.65

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	0.10	1.35	1.20	1.10	1.10	..
0.38	1.30	2.47	2.41	2.43	..	..
..	..	2.00	2.00	2.00	2.00	..
0.08	..	..	..	..	..	..
..	0.14	0.10	0.15	0.10	..	..
..	..	..	..	0.61	..	..
..	..	..	..	7.61	..	..
..	..	..	..	0.72	..	..
4.32	12.89	30.90	30.43	84.62	33.70	..

मद—7. समाज सेवाएं

वर्ग—7. 4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	(3) चिकित्सालय और औषधालय :				
740301	जिला एवं महिला चिकित्सालयों में शैय्याओं की वृद्धि	241.00	130.00	..	..
740302	वर्तमान चिकित्सालयों के लिए अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था	383.14	12.21	..	70.03
740303	तीस जिला चिकित्सालयों में रक्त शोध की स्थापना	7.20	..	..	0.21
740304	विकिरण के प्रभावों से रक्षा की व्यवस्था	3.00	..	..	0.22
740305	जिला एवं महिला चिकित्सालयों में आपत्तिकालीन सेवाओं की व्यवस्था	10.00	..	..	0.36
740306	रोगी वाहनों की योजना	25.76	12.40	..	1.93
740307	ग्रामीण क्षेत्र में दस चिकित्सालयों की स्थापना एवं निर्माण	18.24	13.43	..	0.11
740308	जिला एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए अस्पतालों का सुधार	..	..	..	..
740309	परिचारिकाओं के आवास गृहों की संख्या	48.35	48.35	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
5.09	11.17	25.81	25.61	67.11	..	..
67.28	59.62	98.40	98.70	147.99	..	..
0.80	1.77	2.11	2.11	2.93	..	..
0.13	0.42	0.05	0.05	0.05	..	..
1.44	2.90	3.13	3.13	15.13	..	..
1.42	1.90	2.30	2.30	3.32	1.42	..
0.49	1.08	8.40	8.40	8.07	3.50	..
8.71	1.27	32.50	32.50	58.00	50.00	..
..	..	11.50	1.50	5.00	5.00	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
740310	यूनिसेफ के द्वारा जिला अस्पताल में शिशु विभाग को गाड़ी देने को व्यवस्था	0.61	..	..	..
740311	जिला अस्पतालों को पोली क्लीनिक्स में बदलना—				
	(क) 27 स्थानों में परिचारिका योजना लागू करना	40.15	..	..	0.18
	(ख) रेडियोलाजी पैथालाजी की सुविधा	11.12	..	..	0.39
	(ग) दन्त अनुभाग की स्थापना	26.55	8.00	..	1.08
	(घ) दस स्थानों पर शिशु चिकित्सा की सुविधा	6.40	2.52	..	0.21
	(ङ) पांच स्थानों पर चिकित्सा शल्य सुविधा की व्यवस्था	3.35	2.75	..	0.33

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (वास्तविक)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.16	0.29	0.31	0.31	0.30	..	..
0.95	0.83	6.45	6.45	8.44	..	..
0.46	0.72	3.56	3.80	4.46	..	..
2.15	2.78	6.21	6.21	8.85	3.30	..
1.18	1.44	2.08	2.08	1.85	0.27	..
1.29	0.75	1.57	1.57	1.44	0.62	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
740312	लखनऊ में मस्तिष्क रोगियों के लिए कक्ष की स्थापना एवं आगरा मस्तिष्क अस्पताल की प्रोन्नति	31.53	11.50	..	2.00
740313	पंद्रह अस्पतालों की जिसमें कुष्ठ एवं छुतवा अस्पताल शामिल हैं का प्रांतीयकरण	15.00	..	..	..
740314	तहसील अस्पतालों में पांच स्थानों पर एक्सरे एवं नौ स्थानों पर चिकित्सा एवं शल्य की व्यवस्था	196.25	173.00	..	..
740315	कानपुर के अस्पताल में एडवान्स कार्डोलाजिकल सुविधा की व्यवस्था	26.00	4.00	9.00	8.85
740316	कानपुर में एडवांस एंटी कैंसर की सुविधा की व्यवस्था	30.00	4.00	15.00	4.0
740317	अपूर्ण योजनाओं के लिए व्यवस्था	76.52	76.52	..	6.25

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	2.99	5.50	5.50	6.80	4.80	..
..	0.27	4.76	4.76	8.08	..	..
..	..	3.00	3.00	4.54	3.00	..
2.90	4.57	9.00	9.00	7.16	..	.
3.07	9.07	1.67	1.67	7.27	3.00	..
13.87	18.30	54.55	54.55	50.00	50.00	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
740318	राजकीय महिला चिकित्सालयों में सब चार्ज व वार्ड आया के आवास-गृहों का निर्माण	..	..	..	..
740319	सिविल अस्पताल, रानीखेत जिला अल्मोड़ा का विकास	..	..	..	0.27
740320	चल चिकित्सालयों की स्थापना	..	..	..	..
740321	कानपुर में फारमेसी अस्पताल की स्थापना	..	..	..	..
740322	ग्रामीण क्षेत्रों में 300 एलोपैथिक औषधालयों की स्थापना	..	..	..	..
740323	शहरी क्षेत्रों में मेडिकल केयर यूनिट की स्थापना	..	..	..	..
740324	प्लास्टिक सर्जरी यूनिट की स्थापना	..	..	..	..
740325	पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा	..	..	..	..
740326	छुआछूत के अस्पतालों में जन स्वास्थ्य लैब की स्थापना	..	..	..	..
740327	सरकारी कर्मचारियों के लिये चिकित्सालय की स्थापना	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	0.01	2.67	2.45	7.37	4.40	..
0.14	..	..		..	..	..
..	3.48	4.48	4.48	13.48	..	..
..	..	2.20	..	..	..	..
..	..	27.85	27.95	46.29	..	..
..	0.01	0.60	..	..	..	..
..	..	0.86	..	2.22	..	..
..	..	..	..	0.17	..	..
..	..	..	1.35	3.22	..	..
..	..	..	..	0.27	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7. 4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
740328	वर्तमान छुआछूत अस्पतालों का विस्तार	..	..	..	..
740329	कानपुर तथा मेरठ मेडिकल कालेज में चिकित्सालय औषधि निर्माण इकाई की स्थापना	..	..	..	..
740330	नगरपालिका एवं नोटिफाइड क्षेत्रों वाले शहरों में चिकित्सालय तथा चेक-अप क्लीनिक की स्थापना	..	..	..	..
	योग (3) ..	1202.17	498.88	24.00	96.01
	(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आधारिक स्वास्थ्य सेवाएं—				
740401	आधारिक स्वास्थ्य सेवायें/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	73.80	15.00	..	..
740402	यूनिसेफ की मदद से खंडों में चिकित्सा सुविधा का प्रसार	128. 4	..	..	4.97
740403	प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना के संबंध में औषधालयों का निर्माण	128.00	107.00	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	4.40	7.40	4.40	..
..	..	..	2.20	7.94	0.50	..
..	..	..	0.70	2.08	..	..
111.53	127.04	310.60	316.70	507.22	135.81	..
..	..	..	..	7.50	..	..
18.27	23.39	45.10	45.10	68.85	..	..
..	..	50.00	55.00	45.00	45.00	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
740404	अपूर्ण योजनाओं के लिए व्यवस्था चल चिकित्सालयों की स्थापना	5.26	5.26	..	0.41
	योग (4) ..	335.70	112.26	..	5.38
	(5) संचारी रोगों का नियंत्रण—				
740501	क्षय रोग अस्पतालों के लिए भवन-निर्माण	54.72	33.50	..	1.13
740502	कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	4.35	3.49	..	.
740503	हिन्दू कुष्ठ निवारक संघ, लखनऊ को सहायक अनुदान	5.00	..	..	0.88
740504	राजकीय रक्षालय संस्थान, पटवा डांगर, जिला नैनीताल का विस्तार	24.05	1.00	..	0.23
740505	तीर्थ रास्तों में सुधार	5.00	..	..	..
740506	जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला का विस्तार	8.50	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.05	..	0.50	0.50	0.50	0.50	..
18.32	23.39	95.60	100.60	123.85	45.50	..
6.64	1.03	7.43	7.43	12.83	11.00	..
0.87	0.17	0.56	0.55	0.53	..	..
0.47	0.19	1.25	1.25	1.25	..	..
..	4.17	5.94	6.75	10.89	2.50	..
..	..	1.00	1.00	1.00	..	..
..	0.03	1.35	0.19	0.19	0.04	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
740507	वर्तमान छुतवा अस्पतालों का विस्तार	8.50	3.50	..	..
740508	पन्द्रह जन स्वास्थ्य वाहनों का बदलना	10.50	..	..	..
740509	अपूर्ण योजनाओं के लिये प्राविधान	8.50	8.50	..	5.18
740510	मलेरिया उन्मूलन कार्य-क्रम	..	..	..	27.85
740511	चेचक उन्मूलन कार्यक्रम	..	..	..	..
740512	राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	..	..	..	..
740513	जौनसार बावर क्षेत्र में रजत रोग (V. D.) कार्यक्रम	..	..	..	0.18
740514	औद्योगिक अवशिष्ट निस्तारण और जल प्रेषण यूनिट	..	..	..	..
	योग (5) ..	129.12	51.99	..	35.45

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	4.45	..	..	..	..
..	1.61	2.45	2.45	2.45	..	..
0.62	0.07	0.40	0.40	1.10	1.10	..
27.85	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	0.91	2.00	1.99	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
36.45	9.18	26.83	22.03	32.09	14.60	..

मद—7. समाज सेवायें

मद—7. 4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	(6) परिवार नियोजन		केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत		
	(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति—				
740701	होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं उनसे संबंधित अस्पतालों को अनुदान	6.50	..	..	0.14
740702	अतिरिक्त दवाओं के लिये प्राविधान	0.50	..	..	0.02
740703	नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ का विस्तार	8.02	4.65	..	0.12
740704	होम्योपैथिक औषधालय की स्थापना	4.58	..	..	0.05
740705	होम्योपैथिक डाक्टरों एवं संस्थाओं को अनुदान	3.05	..	..	0.08
740706	होम्योपैथिक औषधालय का निर्माण एवं कार्यक्रम	1.85	1.00	..	..
740707	वर्तमान आयुर्वेदिक यूनानी औषधालयों का विस्तार	26.50	..	..	0.76

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 परिव्यय		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.12	0.60	1.38	1.38	2.38	..	..
0.01	0.05	0.04	0.04	0.62	..	..
0.13	0.18	1.02	1.02	2.14	1.00	..
0.35	1.09	3.02	3.02	5.13	..	..
0.15	0.18	0.61	0.61	0.61	..	..
..	..	..	..	..	..	.
3.65	11.85	13.66	13.66	22.67	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
740708	भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त आयुर्वेदिक विद्यालयों का सुधार एवं प्रसार और एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना	32.50	..	..	2.23
740709	वाराणसी के शुद्ध आयुर्वेदिक कालेज का विस्तार	15.00	..	..	3.00
740710	लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज का विस्तार	0.50	..	..	0.55
740711	राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पताल, लखनऊ का निर्माण-शाला का विस्तार	2.50	1.00	..	0.87
740712	आयुर्वेदिक कार्यकलापों का प्रकाशन और पुरानी पुस्तकों को इकट्ठा करना व अनुवाद आदि	1.00	..	..	0.20
740713	शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक/यूनानी अस्पतालों का स्थापना	4.50	.	..	0.26

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
5.69	7.12	12.05	12.05	13.56	..	..
1.48	1.62	7.00	7.00	5.50	..	..
0.32	0.78	0.83	1.26	1.93	..	..
0.11	0.18	3.81	3.42	7.38	3.75	..
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	..	..
0.81	0.99	2.31	2.30	3.13	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
740714	आयुर्वेदिक परिचारिकों एवं कम्पाउन्डरों का प्रशिक्षण और चिकित्सा अधिकारियों के ज्ञान को ताजा करने के पाठ्यक्रम को आरम्भ करना	1.00	..	..	0.23
740715	भारतीय चिकित्सा परिषद् के रख-रखाव के लिये अनुदान	1.00	..	..	..
740716	आयुर्वेदिक दवाओं एवं जड़ी-बूटी आदि के उत्पादन की व्यवस्था	1.00	..	..	.
740717	आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों के छात्रों को छात्र वृत्ति देने की व्यवस्था	1.50	..	..	0.10
740718	आयुर्वेदिक/यूनानी संस्थाओं एवं वैद्यों व हकीमों को अनुदान	2.00	..	..	0.18
740719	आयुर्वेदिक निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	1.00	..	..	..
740720	अपूर्ण कार्यक्रमों के लिये व्यवस्था	0.50	0.50	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74	(परिव्यय)	
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.40	0.79	1.17	1.17	1.17	..	..
..	..		.	..	..	..
..	..	..	..	0.37		..
0.26	0.30	0.44	0.36	0.53	..	..
0.14	0.22	0.28	0.31	0.36		..
0.06	0.13	1.80	1.56	2.93	..	..
..	.	..	..	..	..	..

मद—7. समाज सेवाएं
वर्ग—7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
740721	होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद् का रख-रखाव	..	..	..	..
	योग, (7) ..	115.00	7.15	..	8.73
	(8) अन्य योजनायें				
740801	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	15.20	..	..	0.06
740802	गैर सरकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को अनुदान	30.25	..	..	5.02
740803	स्वामी विवेकानन्द पोलोक्लिनिक को अनुदान	20.00	..	..	24.43
740804	सीतापुर के चिकित्सालयों को अनुदान	25.00	..	..	5.94
740805	स्वास्थ्य निदेशालय के स्टाफ का सुदृढ़ीकरण करना	22.50	..	..	1.77
740806	केन्द्रीय औषधि भंडार एवं एक्सरे के प्लांट की मरम्मत के लिए भवन निर्माण	30.00	30.00	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	0.25	0.32	..	..
11.91	26.28	49.68	49.37	70.91	4.75	..
0.09	0.15	श्रम विभाग को हस्तान्तरित				
5.53	10.01	6.00	6.00	13.29	..	..
35.18	13.20	4.00	4.00	4.00	..	..
4.35	3.62	5.00	5.00	10.00	..	..
2.02	2.09	3.54	3.54	5.42	..	..
0.50	2.52	10.00	10.00	10.00	10.00	..

मद—7. समाज सेवाएं
वर्ग—7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
740807	सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अधीन एक केन्द्रीय कर्मशाला तथा फालतू पुर्जे के लिए एक भंडार की स्थापना	11.00	..	..	2.01
740808	ओवरसियर तथा अन्य कर्मचारियों के लिए व्यवस्था	3.50	..	..	..
740809	निदेशालय में पुस्तकालय के लिए व्यवस्था	2.00	..	..	..
740810	गाड़ियों के रख–रखाव के लिए कारखाने की स्थापना	16.51	8.00	..	..
740811	जन्म–मरण आंकड़ों का पंजीयन और सुधार	30.72	..	..	4.82
740812	औषधि नियन्त्रण संस्था का विस्तार	10.00	..	..	..
740813	जन–स्वास्थ्य के विश्लेषण प्रयोगशाला का विस्तार	11.48	6.00	0.40	0.08
740814	तेरह स्थानों पर शव–गृह का निर्माण	2.99	2.49	..	0.08

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	0.69	..	0.55	5.01	..	..
..	..	0.80	0.80	0.62	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	0.69	0.59	0.59	1.06	..	..
3.07	5.52	5.00	4.85	6.05	..	..
0.82	0.56	1.44	1.40	4.09	..	..
0.46	0.67	2.05	2.04	6.43	3.00	..
0.11	0.12	0.70	0.70	0.50	0.50	..

मद—7. समाज सेवाएं
वर्ग—7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
740815	राज्य स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार—				
	(क) मुख्यालय	6.33	..	..	..
	(ख) खाद्य अपमिश्रण नियन्त्रण	8.00	..	..	..
	(ग) विद्यालय स्वास्थ्य सेवायें	16.12	..	..	..
	(घ) उप निर्देशन (स्टेट वैक्सीन पटवाडांगर) के पद में परिवर्तन करने के लिए व्यवस्था	1.25	..	..	..
740816	परिचारिका प्रशिक्षण कक्ष की स्थापना	1.16	..	..	..
740817	दस स्थानों पर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए कार्यालय भवन निर्माण	14.00	14.00	..	..
740818	अपूर्ण कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था	5.00	5.00	..	..
740819	लखनऊ मेडिकल कालेज में फिज्योलाजी में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं	..	..	..	..
	योग (8) ..	283.01	59.49	0.40	43.58

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.06	..	1.01	1.07	1.20	..	..
..	..	2.28	2.28	2.67	..	..
..	..	1.42	3.42	11.62	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	.	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
2.71	1.01	0.40	0.50	0.50	0.50	..
..	..	..	..	1.00	..	..
45.41	40.22	44.23	45.88	82.67	14.00	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन—(समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान उपकरण तथा संयंत्र	..	..	..	..
	अन्तरिम सहायता ..	..	..	..	..
योग, 7.4. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन		*3550.00*	*1648.03*	*24.40*	*325.74*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	28.66	..	39.64	39.64	..
..	..	..	..	24.00	..	..
436.26	*517.56*	*856.00*	*857.22*	*1350.00*	*511.79*	..

14—परिवार नियोजन

राज्य के आर्थिक विकास में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रमुख स्थान है। इससे जन्म दर कम करने में सहायता मिलती है। जन्म संख्या की वृद्धि तथा प्रतिव्यक्ति आय घटने की रोकथाम होती है, वयस ढांचे को अनुकूल बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। ग्रामीण और नगरक्षेत्रों में जनसंख्या के संतुलित वितरण के लिए अधिक उपयोगी सुअवसर प्राप्त होते हैं तथा जनजीवन का स्तर सुधरने में सुविधा होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 1978–79 तक जन्म दर 38 प्रति हजार से घटाकर 23 प्रति हजार करना है, दूसरे शब्दों में जनसंख्या मे वृद्धि की दर को लगभग 1.4 प्रतिशत तक बनाए रखना है। 1.4 प्रतिशत से अधिक कोई भी जन्म दर विश्लेषण के उद्देश्य से विस्फोटक समझी जायगी।

2—हमारे समाज में परिवार नियोजन एक नया विचार है। इस विचार को तीन अवस्थाओं में कार्यान्वित किया जा सकता है जागरूकता, ज्ञानार्जन तथा ग्रहणशीलता। यह देखा गया है कि राज्य में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। हाल ही में जो अनुमान लगाए गए हैं, उनसे पता चलता है कि प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने की आवश्यकता तीव्रगति से सर्वसाधारण द्वारा अनुभव की जाती है और विवाहित सभी पुरुषों में से अधिकांश इस बात के बारे में पूर्ण विश्वास करते हैं कि परिवार नियोजन का कोई न कोई तरीका अपनाया जाना चाहिए। परिवार नियोजन के तरीके हैं:—संयम, गर्भनिरोध, बन्ध्याकरण तथा गर्भपात और जीव विज्ञान की दृष्टि से विलम्बित विवाह तथा स्थायी ब्रह्मचर्य जीवन। इन सभी में से गर्भ निरोध तथा बन्ध्याकरण सबसे अच्छे समझे जाते हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1973–74 के लिए 1577.55 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत आधार पर सहाय्यित किया जायगा।

3—परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्वीकार करने वाले सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। वर्ष 1972–73 में बन्ध्याकरण तथा अन्तः गर्भाशय गर्भ निरोधक युक्ति(लूप) लगवाने वालों की कुल संख्या नीचे सारिणी में दी गई है:—

सारिणी—1

कार्यक्रम	उपलब्धि			
	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73
1	2	3	4	5
1—बन्ध्याकरण	78,110	3,15,300	1,54,380	2,00,000
2—अन्तः गर्भाशय गर्भ निरोधक-युक्ति (लूप)	81,154	18,300	92,984	2,00,000

4—वर्ष 1973–74 के दौरान भी सभी चालू योजनायें सदा की भांति जारी रहेंगी।

15—जल सम्पूर्ति

नगर तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पेय जल सम्पूर्ति योजना का उद्देश्य व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति करना है। दूषित तथा अस्वच्छ जल से या उस जल से जिसमें खारा पन अथवा क्लोराइड तत्व अधिक हो, न केवल सर्वसाधारण के स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक प्रकार की समास्यायें उत्पन्न हो जाते हैं वरन् इससे बहुत सारे संचारी रोग भी फैलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए 2,025 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था है। परिव्यय तथा व्यय का विभाजन कार्यक्रमों के अनुसार निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है :

सारिणी—1 (लाख रुपये में)

कार्यक्रम	चौथी आयोजना परिव्यय (1969–74)	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	वास्तविक व्यय 1971–72	1972–73 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
जल-सम्पूर्ति के अधीन—							
(क) जलसम्पूर्ति	458	60	145	132	58	58	75
(ख) नगर मल निस्तारण प्रणाली (सीवरेज) तथा स्वच्छता	780	90	137	83	67	67	125
(ग) वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता	2	*	*	*	*	*	*
ग्रामीण जलसम्पूर्ति—							
(क) नलों द्वारा जल-सम्पूर्ति	660	448	200	315	275	330	300
(ख) कुओं तथा हैंड-पम्पों द्वारा	125	..	..	..	..	..	..
योग ..	2,025	598	482	530	400	455	500

* नगरीय जलसम्पूर्ति योजना में सम्मिलित।

नगर जल-सम्पूर्ति--

2--राज्य में 248 नगर स्थानीय निकायें हैं, जिन में से मार्च, 1972 ई० के अन्त तक 170 नगरीय स्थानीय निकायों को संरक्षित, जल-सम्पूर्ति की सुविधा प्रदान की जा चुकी थी। वर्ष 1972-74 के दौरान 10 और नगरों को भी यह सुविधा प्रदान की जायेगी।

3--चौथी योजना के दौरान नगर जल-सम्पूर्ति योजनाओं के लिए 458 रु० लाख की धनराशि की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से वर्ष 1972-73 के अन्त तक 395 लाख रु० की धनराशि का व्यय किया गया है। वर्ष 1973-74 के लिए 75 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

नगर मल-निकास प्रणाली--

4--चौथी योजना में नगर मल-निकास प्रणाली योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 780 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 377 लाख रु० की धनराशि वर्ष 1969-73 के दौरान उपयोग किए जाने की सम्भावना है। वर्ष 1973-74 के लिए 125 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत है। वर्ष 1973-74 में भारतीय जीवन बीमा निगम से इस योजना को वित्त पोषित करने हेतु पर्याप्त धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त की जायगी।

5--चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान मल-निकास प्रणाली (सीवेरेज) योजना 33 कस्बों में चालू की गई थी। आयोजना के अन्तिम दो वर्षों में 7 नगरों के एक समूह को इस योजना के अन्तर्गत लिया जायगा।

फ्लश-शौचालय--

6--नगर क्षेत्रों में हाथ से साफ करने वाले शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना, नगर मल निकास व्यवस्था योजना का एक अंग है। इस योजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग ने सस्ते किस्म के फ्लश-शौचालयों के डिजाइन तैयार किए हैं जिनकी लागत उन कस्बों में जहां भूमि के नीचे मल-निकास पाइप बिछाए गए हैं, केवल 200 रु० आयेगी और जहां मल व्यवस्था प्रणाली नहीं है, केवल 80 रु० आयेगी।

ग्रामीण जल-सम्पूर्ति--

7--उत्तर प्रदेश राज्य में 1971 की जनगणना के अनुसार 1,12,624 गांव हैं, जिनमें से 35,506 गांवों में पेय जल-सम्पूर्ति की बड़ी कमी है। यह समस्या पर्वतीय क्षेत्रों तथा सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में और भी अधिक गम्भीर है। निम्नलिखित सारिणी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के उन गांवों का विभाजन दिखलाया गया है, जिनमें पेय जल-सम्पूर्ति की समस्यायें विद्यमान हैं।

सारिणी-2

क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	जल-सम्पूर्ति स्कीम जो मार्च, 1972 तक कार्यान्वित की गयी	जल-सम्पूर्ति सुविधायें जिनकी व्यवस्था (1972-74 के दौरान की जायेगी	उन गांवों की संख्या जो चौथी योजना में लिए जायेंगे	उन गांवों की संख्या जो चौथी योजना के अधीन पेय जल की सुविधा के बिना रह गए
1	2	3	4	5	6
1—भावर क्षेत्र	678	25	..	25	653
2—पर्वतीय क्षेत्र	7,771	1,222	375	1,597	6,174
3—सूखा प्रभावित क्षेत्र	9,651	1,000	536	1,536	8,115
4—अन्य जिले	17,406	58	8	66	17,340
योग ..	35,506	2,305	919	3,224	32,282

8—चौथी योजना में ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनाओं के लिए 785 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था है। 1969-73 के दौरान 1,293 लाख रु० की धनराशि का व्यय किया गया। वर्ष 1973-74 के लिए 300 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। 1973-74 के दौरान 919 गांवों को पाइप द्वारा पेय जल मिलने लगेगा। यह भी निश्चय किया गया है कि सिंचाई विभाग के नलकूपों पर पानी की टंकियां निर्मित करके ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था की जायेगी। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधा प्रदान करने के जटिल कार्य को प्रोत्साहन देना है। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जल तथा सीवरेज परिषद् शीघ्र ही स्थापित किया जायगा, जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण राज्य में जल सम्पूर्ति, जल निस्तारण तथा सीवरेज स्कीमों को निष्पादित करना होगा।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—

9—इस योजना के अन्तर्गत राज्य को विशेष अनुसंधान प्रभागों के लिए सहायता दी जा रही है। यह प्रभाग अन्वेषण कार्य ट्यूबवेल तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पास उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करते हुए विशेष कर जटिल क्षेत्रों में तथा ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनाओं का प्राक्कलन तैयार करेंगे। इस योजना को तैयार करने में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई

योजनाओं को भी ध्यान में रखा जायगा। वर्ष 1969–73 के दौरान 35.57 लाख रु० का व्यय किया गया है। वर्ष 1973–74 के लिए 11.73 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

केन्द्र द्वारा पोषित योजना—

10—1972–73 वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में जल सम्पूर्ति योजनाओं के लिए डिजाइन यूनिट स्थापित की गयी थी। भारत सरकार द्वारा 34.65 लाख रु० स्वीकृत किए गए थे, जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया था। भारत सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1972–73 में 225 लाख रु० स्वीकृत किए थे, जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। वर्ष 1973–74 के लिये भारत सरकार से 450 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत है।

मद—7 समाज सेवायें

वर्ग—7.5. जल सम्पूर्ति—

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
750101	नगरीय—				
	(1) जल पूर्ति ..	458.00	458.00	20.00	59.60
	(2) सिवेरेज ..	780.00	585.00	..	90.00
	(3) फ्लश की टट्टी	..	..	..	..
	विकास अन्वेषणालय—				
	(4) वातावरण स्वच्छता	2.00	..	..	0.53
	योग ..	1240.00	1,043.00	20.00	150.13
750102	ग्रामीण—				
	(क) जल पूर्ति ..	554.50	27.50	..	348.00
	(ख) जल निस्तारण	5.50	4.12	..	..
	(ग) पम्प एवं कूप	125.00	..	..	..
	योग ..	685.00	31.62	..	348.00
750103	पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जल व्यवस्था	100.00	..	..	100.00
	योग 7.5. जल सम्पूर्ति ..	*2,025.00*	*1,074.62*	*20.00*	*598.13*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
144.68	131.80	57.50	57.50	75.00	168.35	1.00
136.60	83.00	67.10	67.10	124.60		
..	..	..	..	..	..	..
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	..	..
281.68	215.20	125.00	125.00	200.00	168.35	1.00
200.32	315.36	275.00	330.00	300.00	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
200.32	315.36	275.00	330.00	300.00	..	..
..	..	..	..	..	..	..
482.02	*530.56*	*400.00*	*455.00*	*500.00*	*168.35*	*1.00*

16—आवास और नगर विकास

चौथी पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिये 12.25 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इसमें से 744.20 लाख रु० का व्यय योजना के प्रथम तीन वर्षों में किया गया है। वर्ष 1972-73 के लिये 323 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया था, जिसके समक्ष 323.53 लाख रु० व्यय हो जाने की आशा है। 1973-74 के लिये 325.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। विभिन्न परियोजनाओं के विवरण नीचे दिये हुए हैं :—

औद्योगिक कर्मचारियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये एकीकृत आवास परियोजना—

2. चौथी योजना में 5,440 गृहों के निर्माण के लिये 340 लाख रु० के परिव्यय में से योजना के प्रथम तीन वर्षों में 1921 गृहों के निर्माण पर 119.43 लाख रु० का व्यय किया गया। 1972-73 के दौरान 101 लाख रु० व्यय हो जाने की आशा है जो कि उस वर्ष के लिये निर्धारित परिव्यय के बराबर है। 1973-74 के लिये 101 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है और यह आशा की जाती है कि 1440 गृहों का का निर्माण हो जायगा।

अल्प आय वर्ग आवास परियोजना—

3. चौथी योजना अवधि में इस परियोजना के लिये 200 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था की गयी है और 1,600 घरों का निर्माण हो जाने की आशा है। 1969-72 के दौरान 768 गृहों के निर्माण पर 140.47 लाख रु० की धनराशि व्यय की गयी। यह आशा है कि 1972-73 के लिये निर्धारित 51 लाख रु० के परिव्यय का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जायगा तथा 408 गृहों का निर्माण हो जायेगा। वर्ष 1973-74 के लिये 50 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत 350 गृहों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

मलिन बस्ती सफाई परियोजना—

4. चौथी योजना में इस परियोजना के लिये 45 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है तथा 725 गृहों के निर्माण का कार्य पूरा हो जाने की आशा है। 1972—73 के दौरान इस परियोजना के लिये 12 लाख रु० का परिव्यय आवंटित किया गया था और इस परिव्यय के उपयोग से 192 गृहों का निर्माण हो जाने की आशा है। 17.15 लाख रु० की धनराशि 1969—72 के दौरान 236 गृहों के निर्माण पर व्यय की गयी। 1973-74 में 160 गृहों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये 10 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत है।

संभागीय नियोजन परियोजना—

5. चौथी योजना में इस परियोजना के लिये 65 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है और प्रथम तीन वर्षों में 30.62 लाख रु० का व्यय हुआ है। 1972-73 के लिये 13.75 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया था, जिसके समक्ष 14.28 लाख रु० व्यय होने की आशा है। 1973-74 के लिये 15 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

मध्यम आय वर्ग विकास परियोजना--

6. चौथी योजना में इस परियोजना के लिये 200 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है। 1969-72 के दौरान 120 लाख रु० की धनराशि 388 गृहों के निर्माण करने पर व्यय की गयी। 192 गृहों के निर्माण करने हेतु 1972-73 के लिये 51.25 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी, जिसकी पूर्ण रूप से उपयोग हो जाने की आशा है। 1973-74 के लिये 163 गृहों का निर्माण करने हेतु 45 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

भूमि अर्जन तथा विकास--

7. चौथी योजना में इस परियोजना के लिये 300 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है, जिसका उपयोग पहले ही 1969-72 के दौरान कर लिया गया है। 1972-73 के लिये 69 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया था जिसके पूर्ण रूप से उपयोग हो जाने की आशा है। 1973-74 के लिये 75 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

नगर विकास परियोजना--

8. इस परियोजना के लिये चौथी योजना में 50 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत है। यह योजना 1971-72 के दौरान प्रारम्भ की गयी थी और उस वर्ष के दौरान 16 लाख रु० का व्यय किया गया। 1972-73 के लिये निर्धारित 25 लाख रु० का परिव्यय पूर्णतः उपयोग हो जाने की संभावना है। 1973-74 के लिये 25 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

कानपुर में गंगा बैराज परियोजना--

9. वर्ष 1973-74 के लिये कानपुर गंगा नदी पर एक बैराज बनाने की परियोजना स्वीकृत की गयी है। इसका कार्यान्वयन सिंचाई विभाग करेगा। इस परियोजना के लिये वर्ष 1973-74 में 5.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना से यातायात साधनों में सुधार होगा, क्योंकि नगर के लिये एक पुल और बन जायेगा, जो नगर की स्वच्छता में भी सहायक होगी तथा इससे पावर स्टेशन को पानी मिल सकेगा और इससे जल व्यवस्था में भी सुधार होने की आशा है।

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.6. आवास तथा नगर विकास—

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
760101	औद्योगिक श्रमिकों तथा जन समुदाय की आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों के लिये राज सहायता प्राप्त समेकित गृह-निर्माण परियोजना	340.00	283.00	..	43.86
760102	अल्प-आय वर्ग आवास व्यवस्था परियोजना	200.00	200.00	..	10.97
760103	मलिन बस्ती सफाई परियोजना	45.00	41.50	..	2.00
760104	संभागीय नियोजन परियोजना	65.00	..	..	9.17
760105	मध्य आय वर्ग आवास व्यवस्था परियोजना	200.00	200.00	..	40.00
760106	भूमि अध्याप्ति और विकास परियोजना	300.00	300.00	..	110.00
760107	नगरी विकास परियोजना	50.00	50.00	..	..
760108	अपेक्स सहकारी आवास समितियों के लिये अंश पूंजी	25.00	25.00	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
85.02	40.55	101.00	101.00	101.00	90.00	..
60.00	69.50	51.00	51.00	50.00	50.00	..
3.39	11.76	12.00	12.00	10.00	7.00	..
9.07	11.48	13.75	14.28	15.00	..	..
40.00	40.00	51.25	51.25	45.00	45.00	..
100.00	90.00	69.00	69.00	74.00	74.00	..
..	16.00	25.00	25.00	25.00	25.00	..
..	..	..	..	..	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.6. आवास तथा नगर विकास—(समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
760109	ग्रामीण गृह निर्माण परियोजना	..	..	..	..
760110	नगर सामुदायिक विकास की परियोजना	..	..	..	0.53
760111	कानपुर में गंगा बैराज परियोजना	..	..	..	..
	योग, 7.6. आवास तथा नगर विकास	*1,225.00*	*1,099.50*	..	*216.53*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	5.00	..	..
248.38	*279.29*	*323.00*	*323.53*	*325.00*	*291.00*	..

17—पिछड़े हुये वर्गों का कल्याण

मद "पिछड़े हुए वर्ग" में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अनुसूचित समुदायों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्ग आते हैं। उपर्युक्त श्रेणियों के पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने हेतु शासन द्वारा जो योजनायें चलाई गई हैं, वे तीन वर्गों के अन्तर्गत आती हैं—

(1) शिक्षा,

(2) आर्थिक उत्थान और

(3) स्वास्थ्य गृह निर्माण तथा अन्य योजनायें।

2—चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये 720.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें पांच पर्वतीय जिलों की व्यवस्था भी सम्मिलित थी। 1969-70 के लिये योजना के अन्तर्गत व्यय के लिये निर्धारित अधिकतम धनराशि 62.00 लाख रुपये थी जिसकी तुलना में 63.61 लाख रुपया व्यय किया गया। 1970-71 के दौरान 72.00 लाख रुपये के आयोजनागत परिव्यय की तुलना में 68.13 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 1971-72 के लिये आयोजनागत परिव्यय 100.74 लाख रुपये आंका गया था परन्तु बजट में 120.41 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी, जिसमें से 120.26 लाख रुपये की धनराशि उपयोग में लाई गयी। 1972-73 के लिये इस क्षेत्र के लिये बजट में 203.79 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। यह प्रत्याशा की जाती है कि वर्ष के अन्त तक 204.38 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग कर लिया जायगा। वर्ष 1973-74 के लिये 300.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। परिव्यय तथा व्यय का वर्षवार विभाजन नीचे दिया गया है :—

सारणी—1

(लाख रुपये में)

वर्ग	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 वास्तविक व्यय	1971-72 वास्तविक व्यय (सम्भावित)	1972-73 अनुमानित व्यय	1973-74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6
1—अनुसूचित जन-जातियां—					
(क) शिक्षा ..	1.84	4.54	5.79	14.02	16.12
(ख) आर्थिक उत्थान	5.31	4.13	6.38	8.05	7.05

(लाख रुपये में)

वर्ग	1969-70 वास्तविक व्यय	1970-71 वास्तविक व्यय	1971-72 वास्तविक व्यय	1972-73 अनुमानित व्यय	1973-74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6
(ग) स्वास्थ्य, गृह निर्माण तथा अन्य योजनायें ..	2.62	4.41	8.94	7.66	11.85
योग ..	9.77	13.08	21.11	29.73	35.02
2—अनुसूचित जातियां—					
(क) शिक्षा	31.46	36.63	46.24	78.65	118.45
(ख) आर्थिक उत्थान	5.92	10.12	14.72	38.00	45.80
(ग) स्वास्थ्य, गृह निर्माण तथा अन्य योजनायें ..	12.62	5.14	33.02	42.60	78.73
योग ..	50.00	51.89	93.98	159.25	242.98
3—अन्य पिछड़े वर्ग—					
(क) शिक्षा	3.84	3.16	5.17	15.40	22.00
(ख) आर्थिक उत्थान	..	..	..	..	..
(ग) स्वास्थ्य, गृह निर्माण तथा अन्य योजनायें	..	..	..	..	..
योग ..	3.84	3.16	5.17	15.40	22.00
सम्पूर्ण योग ..	63.61	68.13	120.26	204.38	300.00

वर्ष 1973-74 के लिए 300.00 लाख रु० के परिव्यय में छात्रावास तथा प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, बख्शी का तालाब, लखनऊ के भवनों के निर्माण के लिए 31.15 लाख रुपए को धनराशि भी सम्मिलित है।

शिक्षा

3--शैक्षिक योजनाओं को इस क्षेत्र में प्राथमिकता दी गयी है। तनुदसार विभिन्न शैक्षिक योजनाओं, जैसे (1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्री-मैट्रिक (दशम-पूर्व) छात्रों को छात्रवृत्ति तथा अनावर्त्तक सहायता प्रदान करना, (2) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं को शिक्षा शुल्क की आय की हानि की प्रतिपूर्ति करना, (3) चिकित्सा, अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) तथा प्रौद्योगिकी विषयों का अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन विद्यार्थियों को अनावर्त्तक सहायता प्रदान करना, (4) हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहायता प्राप्त स्वैच्छिक एजेंसियों को विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के रख-रखाव हेतु अनुदान देना, (5) कक्षा 6 और इससे आगे की कक्षाओं में पढ़ने वाले असाधारण रूप से मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को विशेष छात्र-वेतन देना, (6) अनुसूचित जन-जातियों के लिए आश्रम पद्धति के विद्यालय की स्थापना करना और (7) अनुसूचित जन-जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लड़कों के लिए होस्टलों की स्थापना पर व्यय करने के लिये 156.57 लाख रुपए की व्यवस्था सम्मिलित की गयी है।

वर्ष 1973-74 के दौरान इन वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त कुछ नई योजनायें भी प्रारम्भ किए जाने का विचार है जिनके नाम तथा परिव्यय नीचे दिए हुए हैं :

सारणी--2

(लाख रुपए में)

स्कीम का नाम	1973-74 परिव्यय
1	2
(1) अनुसूचित जन-जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय	8.05

(लाख रुपये में)

स्कीम का नाम	1973-74 परिव्यय
1	2
(2) अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावास—	
(क) खटीमा (नैनीताल) में छात्रावास के भवन को पूरा करना तथा उसका रख-रखाव	1.00
(ख) देहरादून में नए छात्रावास भवन का निर्माण	3.00
(3) गोरखपुर में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास भवन को पूरा करना	3.60
(4) कानपुर, इलाहाबाद तथा मुरादाबाद में अनुसूचित जातियों के लिये तीन नए छात्रावासों का निर्माण	22.55

अभी तक जो लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं तथा जो वर्ष 1973–74 के लिए रखे गये हैं, उनके विवरण नीचे दिए हुए हैं :—

सारणी—3

मद	इकाई	प्राप्त लक्ष्य			1972–73 में प्रत्याशित उपलब्धि	1973–74 का लक्ष्य
		1969–70	1970–71	1971–72		
1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित जन-जातियां—						
1—प्री–मैट्रिक (दशम-पूर्व) कक्षाओं के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां	संख्या	2,490	3,421	1,721	3,000	4,000
2—कक्षा 7 से दस तक के विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी जाने के कारण सम्बद्ध संस्था को फीस से होने वाली आय की क्षति की प्रतिपूर्ति	विद्यार्थी संख्या	693	1,041	800	940	790
3—चिकित्सा, अभियंत्रण तथा प्रौद्योगिकी विषयों के अध्ययन करने वाले छात्रों को अनावर्तक सहायता	विद्यार्थी संख्या	18	3	4	10	10

सारणी—3 (क्रमशः)

मद	इकाई	प्राप्त लक्ष्य			1972-73 में प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 का लक्ष्य
		1969-70	1970-71	1971-72		
1	2	3	4	5	6	7
4—आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना	विद्यालयों की संख्या	2	2	6	7	7
5—लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण	छात्रावासों की संख्या	..	..	..	2	2
अनुसूचित जातियां—						
1—प्री-मैट्रिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	छात्रों की संख्या	23,340	29,482	29,640	60,000	60,500
2—कक्षा 8 से दस तक के विद्यार्थियों को फीस माफ कर दिए जाने के कारण फीस से होने वाली आय में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति	विद्यार्थियों की संख्या	9,412	11,364	10,566	27,000	48,600
3—हरिजन सहायक विभाग से सहायता पाने वाले छात्रावासों, पुस्तकालयों, स्कूलों आदि में सुधार तथा विस्तार	संस्थाओं की संख्या	103	309	514	450	450

सारणी—3 (क्रमशः)

मद	इकाई	प्राप्त लक्ष्य			1972–73 में प्रत्याशित व्यय	1973–74 का लक्ष्य
		1969–70	1970–71	1971–72		
8	9	10	11	12	13	14
4—चिकित्सा, अभियंत्रण तथा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को अनावर्तक सहायता	विद्यार्थियों की संख्या	109	100	498	200	400
5—लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण	छात्रावासों की संख्या	..	..	..	3	4
6—कक्षा छः से आगे के असाधारण रूप से मेधावी छात्रों को विशेष छात्र-वृत्तियां	छात्रों की संख्या	..	2	2	6	8
अन्य पिछड़े वर्ग—						
1—प्री-मैट्रिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां	छात्रों की संख्या	3,764	3,292	4,100	3,268	17,000
2 शिल्प-कला प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां	"	..	..	340	1,000	1,666

आर्थिक उत्थान

4--इस वर्ग के अन्तर्गत जो योजनायें सम्मिलित की गयी हैं वे अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों को कृषि विकास, कुटीर उद्योगों, जनजाति के लोगों के पुनर्वासन के लिये राज्यसहायता देने, अनुसूचित जनजातियों तथा अनसूचित जातियों के लोगों को शिल्प कला में प्रशिक्षण हेतु वृत्तियां देने तथा वर्त्तमान 3 प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों और गोविन्द बल्लभ पन्त पोलीटेक्निक, लखनऊ का प्रसार और सुधार से सम्बन्धित हैं । ये सभी पहले से चल रही योजनायें हैं और वर्ष 1973-74 के लिये 53.600 लाख रुपये का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें पांच पर्वतीय जिलों के लिये धन व्यवस्था भी सम्मिलित है ।

5--वर्तमान तीन प्रशिक्षण केन्द्रों तथा गोविन्द वल्लभ पन्त पालीटेक्निक में जिन दस्तकारियों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है उनमें मान्यताप्राप्त करने के लिये एन० सी० बी० टी०/एन० आर० द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार इन संस्थाओं के लिये कुछ ओजार साज-सज्जा तथा मशीनें क्रय करने का प्रस्ताव किया गया है । वर्ष 1973-74 से राजकीय प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र, बख्शी के तालाब लखनऊ में "ट्यूब वेल कक्षायें" खोलने का भी विचार है । इन योजनाओं के लिये 12.33 लाख रुपये की धनराशि रखी गयी है । इन कार्यक्रमों पर 12.33 लाख रुपये व्यय होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

सारणी--4

(लाख रुपये में)

संस्थाओं का नाम	उद्देश्य	धनराशि
1	2	3
1--गोविन्द बल्लभ पन्त शासकीय पालीटेक्निक आर्यनगर, सैटिलमेन्ट, लखनऊ	औजारों, सज्जाओं तथा मशीनों के लिये	6.58
2--शासकीय तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर	,, ,,	1.25
3--शासकीय तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, बी० के० टी०, लखनऊ	,, ,,	2.70
	(2) अध्यापक वर्ग (स्टाफ)	0.17
	(3) भवन निर्माण (पूंजी)	1.00
4--शासकीय तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल	औजारों, सज्जाओं तथा मशीनों के लिये	0.55
5--विविध	.. ..	0.08
	योग ..	12.33

वर्ष 1973-74 के लिये निर्धारित तथा अभी तक प्राप्त हुये भौतिक लक्ष्यों के विवरण नीचे दिये हुये हैं :

सारणी—5

मद	इकाई	उपलब्धियां			1972-73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 का लक्ष्य
		1969-70	1970-71	1971-72		
1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित जनजातियां—						
1—शिल्प कौशल सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु छात्र-वेतन	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	2	..	..	13	50
2—कृषि तथा उद्यान विकास के लिये राज्य सहायता	परिवारों की संख्या	296	271	432	500	500
3—कुटीर उद्योगों के विकास के लिये राज्य सहायता	व्यक्तियों की संख्या	447	316	426	500	500
4—पुर्नवासन	परिवारों की संख्या	76	32	41	60	4
अनुसूचित जातियां—						
1—शिल्प कला कौशल के प्रशिक्षण के लिये छात्र वेतन	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	1,150	1,374	1,856	2,333	2,666
2—कृषि विकास हेतु राज्य सहायता	परिवारों की संख्या	190	500	840	2,000	2,000
3—कुटीर उद्योगों के विकास हेतु राज्य सहायता	व्यक्तियों की संख्या	400	832	1,056	3,200	3,200
4—प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों एवं पालीटेकनिक का विस्तार तथा सुधार	पालीटेकनिक के भवनों का निर्माण	टी० टी० सेन्टर नैनीताल में फिटर व्यवसाय कक्षायें तथा कक्षा-कमरों का निर्माण		फिटर व्यवसाय कक्षाओं का निरन्तरता, भवनों का निर्माण तथा सज्जाओं, मशीनों तथा औजारों आदि का क्रय		
5—हरिजन औद्योगिक आस्थानों की स्थापना	आस्थानों की संख्या	निर्माण कार्य मे प्रगति हो रही है		..	..	..

स्वास्थ्य, गृह निर्माण तथा अन्य योजनायें---

6---इस शीर्षक के अन्तर्गत मुख्य कार्यक्रम ये हैं---

(1) अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लाभ के लिये पेय जल प्रायोजनाओं का सम्पादन, (2) गृहों का निर्माण, (3) आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों के लिये प्रख्यापन तथा प्रचार, (4) अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के अभ्यर्थियों को, जो नौकरी के सम्बन्ध में साक्षात्कार के लिये बुलाये जाते हैं, यात्रिक भत्ता, (5) स्वैच्छिक एजेन्सियों को आदिवासियों के मध्य सामाजिक-आर्थिक कार्य करने के लिये अनुदान देना। इसके अतिरिक्त, हरिजनों को गृह-निर्माण के लिये ऋण देने की व्यवस्था भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत की गयी है। वर्ष 1973-74 में इन सब योजनाओं के लिये 81.88 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गयी है।

7---उन भौतिक लक्ष्यों के ब्योरे जो अब तक प्राप्त किये गये हैं तथा जो 1973-74 में रखे गये हैं नीचे दिये हुये हैं:---

सारणी 6

मद	इकाई	उपलब्धियां 1969-70	उपलब्धियां 1970-71	उपलब्धियां 1971-72	1972-73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित जनजाति---						
1---पेय जल सम्पूर्ति सुविधायें	प्रायोजना संख्या	307	222	130	150	150
2---गृह-निर्माण	गृहों की संख्या	83	153	360	188	250
3---स्वैच्छिक एजेन्सीज को अनुदान	एजेन्सियों की संख्या	5	8	6	8	8
4---प्रख्यापन तथा प्रचार	कर्मचारिवर्ग	..	..	..	निश्चित नहीं किया गया	निश्चित नहीं किया गया
5---अपनी नौकरी के सम्बन्ध में साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता	व्यक्तियों की संख्या	..	..	..	निश्चित नहीं किया गया	निश्चित नहीं किया गया
6---पुलिस कान्स्टेबुल के पद के लिये भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण	व्यक्तियों की संख्या	..	..	..	निश्चित नहीं किया गया	निश्चित नहीं किया गया

1	2	3	4	5	6	7
7—आयोजना तथा विकास के लिये प्राविधिक कर्मचारिवर्ग के लिये गाड़ियां	गाड़ियों की संख्या	..	..	..	निश्चित नहीं किया गया	निश्चित नहीं किया गया
अनुसूचित जातियां—						
1—पेय जल सम्पूर्ति सुविधायें	प्रायोजना संख्या	681	400	400	1,000	1,550
2—गृह-निर्माण के लिये राज्य सहायता	गृहों की संख्या	98	101	1,459	1,000	1,740
3—गृहों के निर्माण के लिये ऋण	व्यक्तियों की संख्या	..	..	294	200	494
4—समन्वय तथा सांख्यि की सेल के लिय अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग	—	..	..	..	कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति	कर्मचारिवर्ग चलता रहेगा
5—अपने सेवायोजन के सम्बन्ध में साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता	व्यक्तियों की संख्या	..	13	100	निश्चित नहीं किया गया	निश्चित नहीं किया गया
6—पुलिस कान्सटेबुल के पद के लिये भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण	व्यक्तियों की संख्या	..	54	54	400	निश्चित नहीं किया गया

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

8—चौथी योजना में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये 1,025.65 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया था। बाद में भारत सरकार ने इसको घटाकर 375.75 लाख रुपये कर दिया था। इसमें से 42.95 लाख रुपये की धनराशि वर्ष 1969-70 के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं के लिये स्वीकृत की गयी थी जिसकी तुलना में 45.12 लाख रुपय की धनराशि व्यय की गयी। 1970-71 के दौरान 62.29 लाख रुपये का परिव्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसकी तुलना में 78.05 लाख रुपये व्यय किये गये थे।

वर्ष 1971-72 के लिये 128.52 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसकी तुलना में 118.94 लाख रुपये व्यय किया गया। चालू वित्तीय वर्ष के लिये 132.70 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसकी तुलना में 133.25 लाख रुपये व्यय होने की प्रत्याशा है। अगले वर्ष (1973-74) के लिये 151.50 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। अतः चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक 375.750 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 526.31 लाख रुपये की धनराशि व्यय हो जाने की आशा की जाती है। इस प्रकार 150.56 लाख रुपये का जो अधिक व्यय प्रत्याशित है उसका कारण यह है कि अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है और इन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा 1968-69 के स्तर के व्यय से अधिक जो भी व्यय किया जायगा वह पूरा का पूरा वहन करने के लिये भारत सरकार वचनबद्ध है। 151.50 लाख रुपये के प्रस्तावित परिव्यय का विभाजन नीचे दिया गया है :

सारणी—7

(रुपये लाख में)

शीर्षक	अनुसूचित जन जातियां	अनुसूचित जातियां	अनअधिसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग	योग
1	2	3	4	5
1—शिक्षा	4.00	114.50	8.25	126.75
2—आर्थिक विकास	11.70	..	5.25	16.95
3—स्वास्थ्य, गृह-निर्माण तथा अन्य योजनायें	1.00	3.00	3.80	7.80
योग ..	16.70	117.50	17.30	151.50

9—151.50 लाख रुपये में से 2.00 लाख रुपये की धनराशि देहरादून जिले के चकराता नामक स्थान पर एक छात्रावास के भवन का निर्माण कार्य पूरा करने का विचार है।

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.7. पिछड़ी जातियों का कल्याण

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	[1] अनुसूचित जन-जातियां शिक्षा				
770101	दसवीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्र वेतन	15.00	..	..	0.77
770102	अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को कक्षा 7 से 10 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने से गैर सरकारी संस्थाओं को होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति	5.76	..	..	0.47
770103	चिकित्सा, अभियंत्रण और औद्योगिक संस्थाओं में उच्च वैज्ञानिक शोध के लिये अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को पुस्तक एवं साज-सज्जा क्रय करने के लिये सहायता	0.50	..	..	0.06

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
1.55	1.72	3.00	3.00	4.00	..	..
0.62	0.62	0.75	0.75	0.75	..	..
0.04	0.02	0.05	0.02	0.05	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.7. पिछड़ी जातियों का कल्याण (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
770104	(क) अनुसूचित जन-जातियों के बालकों एवं बालिकाओं के लिये आश्रम पद्धति विद्या-लयों की स्थापना	35.34	5.00	..	0.54
	(ख) छात्रों के लिये छात्रावास का निर्माण	..	..	..	..
	योग ..	57.10	8.00	..	1.84
	आर्थिक उत्थान—				
770105	शिल्पकला प्रशिक्षण हेतु छात्र–वेतन	0.50	..	..	0.01
770106	कृषि उत्थान एवं बाग-वानी हेतु अनुदान	6.00	..	..	1.17
770107	कुटीर उद्योग के विकास हेतु अनुदान	6.00	..	..	1.16

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
2.33	3.43	9.20	8.43	10.37	..	..
..	..	3.00	1.82	0.95	0.40	..
4.54	5.79	16.00	14.02	16.12	0.40	..
..	..	0.05	0.05	0.05	..	..
1.44	2.16	2.50	2.50	2.50	..	..
1.58	2.14	2.50	2.50	2.50	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.7. पिछड़ी जातियों का कल्याण (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
770108	(क) जन जातियों का पुनर्वासन	15.00	..	..	2.98
	योग ..	27.50	..	..	5.31
	स्वास्थ्य आवास तथा अन्य योजनायें—				
770109	अनसूचित जन जातियों के लिये पेय जल प्रायोजना इत्यादि के लिये अनुदान	10.00	..	..	1.54
770110	गृह निर्माण हेतु अनुदान	5.00	..	..	1.00
770111	अनुसूचित जन जातियों के कल्याण हेतु प्राविधिक संगठन तथा वाहन का प्राविधान	6.00	..	..	..
770112	अनुसूचित जन जातियों के कल्याणार्थ स्वच्छिक संगठनों को अनुदान	0.50	..	..	0.06
770113	(क) अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रख्यापन इकाई की स्थापना	1.00	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
1.11	2.08	3.00	3.00	2.00	..	..
4.13	6.38	8.05	8.05	7.05	..	..
1.92	2.60	3.00	3.00	3.95	..	..
2.34	5.80	3.00	3.50	5.65	..	..
..	..	0.80	0.77	1.60	..	..
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	..	..
..	0.40	0.30	0.17	0.30	..	..

मद--7. समाज सेवायें

वर्ग--7.7. पिछड़ी जातियों का कल्याण (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969-70
1	2	3	4	5	6
	(ख) नौकरियों के लिये साक्षात्कार में जाने के लिये यात्रा भत्ता	..	..	..	.
770114	अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को पुलिस कान्सटेबुल के पदों पर भर्ती के पूर्व प्रशिक्षण	..	..	..	.
		22.50	..	..	2.62
	योग ..	107.10	8.00	..	9.77
	[2] अनुसूचित जातियां--				
	शिक्षा--				
770201	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक कक्षाओं में छात्र-वेतन तथा अना-वर्तक सहायता देना	165.00	..	..	23.78
770202	अशासकीय शैक्षिक संस्थाओं को शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	90.00	..	..	6.94
770203	(क) हरिजन सहायक विभाग द्वारा सहायिक वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और विद्यालयों का सुधार और विस्तार	8.00	..	..	0.48
	(ख) छात्र वासो का निर्माण	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	0.05	..	0.05	..	..
..	..	0.15	0.07	0.15	..	..
4.41	8.94	7.45	7.66	11.85	..	..
13.08	21.11	31.50	29.93	35.02	0.40	..
26.00	29.40	45.50	45.50	56.19	..	
9.85	12.42	25.00	25.00	45.00	..	
0.50	3.22	2.50	4.50	7.00	..	.
2.50	..	26.15	2.28	8.06	8.06	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.7. पिछड़ी जातियों का कल्याण—(क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
770204	चिकित्सा अभियंत्रण और प्राविधिक शिक्षा पाने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों को पुस्तक एवं साज-सज्जा क्रय करने के लिये अनावर्तक सहायता				
770205	अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को शैक्षिक एवं आवास हेतु विशेष छात्रवृत्ति	16.80	..	..	..
	योग ..	284.80	..	..	31.46
	आर्थिक उत्थान—	25.00	..	..	2.42
770206	अनुसूचित जातियों को शिल्प कौशल में प्रशिक्षण देने के लिये छात्र वेतन	15.65	10.40	..	0.48
770207	जी० बी० पन्त पालीटेक्निक को कुटीर उद्योग के लिये अनुदान	51.00	..	..	0.99
770208	अनुसूचित जातियों को कृषि उन्नति हेतु अनुदान	58.45	..	..	1.93

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.25	1.16	1.00	1.32	2.00	..	..
0.03	0.04	0.15	0.05	0.20	..	..
36.63	46.24	76.65	78.65	118.45	8.06	..
3.03	4.14	7.00	7.00	8.00	..	..
0.46	1.09	5.00	5.00	11.80	0.25	..
2.46	4.21	10.00	10.00	10.00	..	..
4.16	5.29	16.00	16.00	16.00	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.7. पिछड़ी जातियों का कल्याण (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1989–70
1	2	3	4	5	6
	(3) चिकित्सालय और औषधालय :				
740301	जिला एवं महिला चिकित्सालयों में शैय्याओं की वृद्धि	241.00	130.00	..	..
740302	वर्तमान चिकित्सालयों के लिए अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था	383.14	12.21	..	70.03
740303	तीस जिला चिकित्सालयों में रक्त शोध की स्थापना	7.20	..	..	0.20
740304	विकिरण के प्रभावों से रक्षा की व्यवस्था	3.00	..	..	0.22
740305	जिला एवं महिला चिकित्सालयों में आपत्तिकालीन सेवाओं की व्यवस्था	10.00	..	..	0.36
740306	रोगी वाहनों की योजना	25.76	12.40	..	1.93
740307	ग्रामीण क्षेत्र में दस चिकित्सालयों की स्थापना एव निर्माण	18.24	13.43	..	0.11
740308	जिला एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए अस्पतालों का सुधार	..	..	..	..
740309	परिचारिकाओं के आवास गृहों की संख्या	48.35	48.35	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.01	..	..	..	..	..	..
10.12	14.72	38.00	38.00	45.80	0.25	..
3.99	8.02	20.00	20.00	20.00	..	..
1.01	14.60	10.00	10.50	23.50	..	..
..	..	0.20	0.19	0.43	..	..
..	0.14	0.25	0.06	0.10	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.7. पिछड़ी जातियों का कल्याण (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
770215	पुलिस कान्टेबुल के पदों पर भरती के लिये अनुसूचित जातियों को पूर्व प्रशिक्षण देने की योजना	..	..	..	0.06
770216	गृह–निर्माण हेतु ऋण	..	..	..	..
	नयी योजना				
	इन्टीगरेटेड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम	..	..	..	..
	अतिरिक्त महंगाई हेतु एकमुश्त धनराशि		..	..	..
	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान तथा संयंत्र		..	..	..
	योग ..	126.50	..	..	12.59
	योग (2)	562.90	11.90	..	49.97
	अन्य पिछड़ी जातियां				
	शिक्षा—				
770301	पूर्व दशम् कक्षाओं के अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्र वेतन एवं अनावर्तक सहायता	40.00	..	..	3.84
770302	शिल्प कला प्रशिक्षण हेतु अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्र-वेतन	10.00	..	..	..
	योग (3)	50.00	..	..	3.84
	योग .. 7.7 पिछड़ी हुई जाति का कल्याण	720.00	19.90	..	63.61

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.14	0.20	2.00	0.76	2.00	..	..
..	10.00	10.00	10.00	21.20	..	..
..	..	..	..	11.00	..	..
..	0.06	..	0.50	0.50	..	..
..	..	..	0.60	0.50	..	..
5.14	33.02	42.45	42.60	78.73	..	..
51.89	93.98	157.10	159.24	242.98	8.31	..
3.16	4.15	12.40	12.40	17.00	..	..
..	1.02	4.00	3.00	5.00	..	..
3.16	5.17	16.40	15.40	22.00	..	..
68.13	120.26	205.00	204.38	300.00	8.71	..

18—समाज कल्याण

समाज कल्याण की योजनाओं का लक्ष्य अधिकांशतः समाज के अशक्त तथा कमजोर वर्गों को, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है।

2—चौथी पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए कुल 100.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। चौथी योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1969–70 में समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर 7.71 लाख रु० व्यय हुआ था।

3—वर्ष 1970–71 के दौरान बजट में 12.00 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था की गई थी जिसमें से केवल 10.08 लाख रु० व्यय हुआ। वर्ष 1969–70 के दौरान प्रारम्भ किए गए कार्यक्रम वर्ष 1970–71 के दौरान भी जारी रहे। इसके अतिरिक्त निराश्रित महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण एवं आश्रम कर्मशाला, एक अतिरिक्त बधिर तथा मूक विद्यालय, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक गृह एवं आश्रय कर्मशाला, अंधों के लिए एक आश्रय कर्मशाला और अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत तीन उद्धार संगठन भी स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम के चार अतिरिक्त जिलों अर्थात् बांदा, गोंडा, अलीगढ़ और मैनपुरी में प्रसार किया गया। पूर्वोक्त वर्ष में शिशु शाला और बालबाड़ी चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने हेतु एक नई योजना भी चालू की गई।

4—वर्ष 1971–72 में समाज कल्याण योजनाओं के लिए 22.00 लाख रु० की व्यवस्था की गई थी किन्तु व्यय 20.37 लाख रु० हुआ। वर्ष 1969–70 और 1970–71 में प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों के अतिरिक्त कतिपय नई योजनायें भी प्रारम्भ की गयीं। वर्ष के दौरान जो नई संस्थाएं स्थापित की गयीं वे इस प्रकार हैं—एक बालिका निकेतन, एक पोषण अवेक्षा गृह, सरकार द्वारा स्वीकृति–प्राप्त दो अतिरिक्त विद्यालय, निराश्रित महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं आश्रम कर्मशाला, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों, जिनमें बधिर, मूक तथा अन्धे बालक सम्मिलित नहीं हैं, के लिए एक स्कूल और एक ब्रेल पुस्तकालय। उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम के चार और जिलों अर्थात् इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई और गाजीपुर में प्रसार किया गया। इसके अतिरिक्त (1) पांच पर्वतीय जिलों की निर्धन और निराश्रित महिलाओं को और युद्ध से प्रभावित जवानों की निराश्रित विधवाओं को सिलाई मशीनों तथा अन्य सज्जा क्रय करने के लिए तथा (2) शिशु कल्याण के क्षेत्र में उपयोगी कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान दिए जाने की योजनायें भी इस वर्ष के दौरान लागू की गयीं। भवन सम्बन्धी कार्यक्रम में राजकीय अंध विद्यालय, लखनऊ तथा सरकार द्वारा अनुमोदित स्कूल, वाराणसी के भवनों का निर्माण सम्मिलित था जिसके लिए 1.68 लाख रु० की व्यवस्था की गई थी, परन्तु कोई व्यय नहीं किया जा सका।

5—1972–73 की वार्षिक आयोजना के लिए 22.00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसमें भवनों के निर्माण के लिए 2.00 लाख रु० सम्मिलित है। निधियां सीमित होने के कारण इस वर्ष कोई नई योजना प्रारम्भ नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारम्भ की गई योजनायें वर्ष 1972–73 के दौरान चलती रहीं।

6—वर्ष 1973-74 की समाज कल्याण योजनाओं के लिए 40.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। चौथी आयोजना के पहले चार वर्षों के दौरान किए गए व्यय का और वर्ष 1973-74 के प्रस्तावित परिव्यय का वर्गानुसार ब्योरा नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	चौथी योजना का अनुमोदित परिव्यय (1969-74)	वास्तविक व्यय 1969-70	वास्तविक व्यय 1970-71	वास्तविक व्यय 1971-72	1972-73 प्रत्याशित व्यय	1973-74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1—महिला कल्याण ..	6.00	0.23	1.42	1.65	1.60	2.45
2—बाल कल्याण ..	7.06	0.04	0.04	0.90	1.24	2.19
3—भिक्षावृत्ति उन्मूलन ..	9.15	0.85	1.32	1.98	1.75	2.20
4—समाज सुधार ..	39.79	1.84	2.05	4.93	7.19	15.47
5—बाधितों का पुनर्वासन ..	26.50	2.63	3.24	5.08	5.75	10.07
6—स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता ..	6.50	1.95	1.58	4.88	2.84	4.40
7—प्रशिक्षण शोध तथा प्रशासन ..	5.00	0.17	0.43	0.46	0.20	1.10
8—अन्य ..	..	..	..	0.49	1.53	2.12
योग	100.00	7.71	10.08	20.37	22.10	40.00

7—वर्ष 1969-70 और उसके बाद के वर्षों में प्रारम्भ की गई योजनाओं को वर्ष 1973-74 के दौरान भी जारी रखा जायगा । इसके अतिरिक्त कतिपय नए कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए जायंगे, जैसे एक अतिरिक्त बालिका निकेतन की स्थापना, दो अतिरिक्त अनुमोदित स्कूलों की स्थापना, लखनऊ के अनुमोदित स्कूल का प्रसार, शारीरिक, मानसिक तथा विकलांग होने के कारण अक्षम विद्यार्थियों को पुस्तकें, उपकरण तथा अन्य सम्बद्ध सामग्री क्रय करने के लिए अनावर्तक अनुदान के रूप में सहायता, मुख्यालयों में नियोजन तथा सांख्यिकी कोष्ठक की स्थापना तथा स्वीकृति प्राप्त राजकीय स्कूल, लखनऊ के लिए भवन निर्माण और लखनऊ के अंधों के लिए एक आश्रय कर्मशाला का निर्माण । वर्ष 1973-74 के दौरान इन नए कार्यक्रमों के लिए कुल 7.35 लाख रु० की धनराशि रखी गई है ।

———

मद--7. समाज सेवायें

वर्ग--7.8. समाज कल्याण

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	(1) महिलाओं का कल्याण				
780101	कार्यरत महिलाओं के दो छात्रावासों की व्यवस्था	2.25	..	..	0.23
780102	निराश्रित महिलाओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्र तथा शेल्टर्ड वर्कशाप की स्थापना	3.75	..	..	..
	योग, (1) ..	6.00	..	..	0.23
	(2) बाल कल्याण--				
780201	बालिका निकेतन की स्थापना	2.37	..	..	..
780202	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित उद्धार गृह में शिशुशाला तथा बाल-बाड़ी की स्थापना	0.29	..	..	0.04

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.17	0.41	0.40	0.40	0.45	..	..
1.35	1.22	1.25	1.06	2.00	..	..
1.42	1.63	1.65	1.46	2.45	..	..
..	0.58	0.70	0.71	1.50	..	..
0.04	0.04	0.07	0.04	0.07	..	..

मद--7.समाज सेवायें

वर्ग--7.8. समाज कल्याण

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969-70
1	2	3	4	5	6
780203	बाल सदन के लिये भवन निर्माण	3.00	..	..	..
780204	फोस्टर केयर गृह की स्थापना	1.40	..	..	..
	योग (2)..	7.06	..	..	0.04
	(3) भिक्षावृत्ति उन्मूलन--				
780301	भिक्षा वृत्ति उन्मूलन हेतु एक पाइलेट प्रोजेक्ट की स्थापना	9.15	..	..	0.85
	कुल (3) ..	9.15	..	..	0.85
	(4) सामाजिक सुधार--				
780401	दस अतिरिक्त जिलों में उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम, 1951 का कार्यान्वयन, सुधार, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति	4.24	..	..	0.06
780402	संवीक्षण गृहों की स्थापना	11.60	..	..	0.28
780403	एक अतिरिक्त राजकीय अनुमोदित विद्यालय की स्थापना	2.74	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74	(परिव्यय)	
1970-71	1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
..	0.29	0.50	0.46	0.71	..	..
0.04	0.91	1.27	1.21	2.19	..	..
1.32	1.96	1.80	2.00	2.20	..	..
1.32	1.96	1.80	2.00	2.20	..	..
0.24	0.66	0.85	0.93	0.90	..	..
0.47	1.10	1.00	1.48	2.19	..	..
..	1.03	2.00	2.20	4.90	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.8. समाज कल्याण (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
780404	राजकीय अनुमोदित विद्यालयों के भवन का निर्माण	3.00	3.00	..	..
780405	अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन के लिये पांच अतिरिक्त तारण संगठनों की स्थापना	2.41	..	..	0.05
780406	द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में स्थापित संरक्षण गृह की क्षमता में विस्तार	0.84	..	..	0.08
780407	महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त उत्तर रक्षा-गृह की स्थापना	3.00	..	..	0.42
780408	विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किए गए आश्रितों को पुनर्वासन हेतु सहायता	1.50	..	..	0.30
780409	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित जिला शरण और प्रवेश केन्द्रों का विस्तार एवं सुधार	1.46	..	..	0.15
780410	उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित 16 संवीक्षण-गृहों का विस्तार एवं सुधार	6.00	..	..	0.50

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	1.00	1.00	4.00	4.00	..
0.22	0.38	0.50	0.28	0.55	..	..
0.03	0.11	0.15	0.12	0.20	..	..
0.27	0.47	0.60	0.53	0.63	..	..
0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	..	..
0.21	0.25	0.25	0.28	0.30	..	..
0.21	0.50	0.77	0.80	0.80	..	..

मद—7, समाज सेवाएं

वर्ग—7.8 समाज कल्याण (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
780411	उत्तर-रक्षा-गृह का भवन निर्माण	3.00	3.00	..	..
780412	लखनऊ के अप्रउड स्कूल की क्षमता में वृद्धि	..	..	..	..
(5) बाधितों का पुनर्वासन योग (4)		39.79	6.00	..	1.84
780501	शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांग छात्रों को शिक्षा और व्यावसायिक तथा वृतिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्र-वृत्तियां	2.50	..	..	0.71
780502	कृत्रिम अंग, श्रवण सहायता तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण खरीदने हेतु शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अनुदान	2.50	..	..	0.23
780503	मानसिक रूप से अविकसित बालकों के लिए एक विद्यालय की स्थापना	3.00	..	..	0.76
780504	अंधों के लिए दो आश्रित कर्मशालाओं की स्थापना	4.50	..	..	0.24

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	0.50	..	..
2.05	4.89	7.42	7.93	15.47	4.00	..
0.63	1.01	0.40	0.40	1.16	..	..
0.30	0.33	0.35	0.25	0.38	..	..
0.55	0.73	0.60	0.74	0.80	..	..
0.26	0.37	0.50	0.45	0.60	..	..

मद—7, समाज सेवाएं

वर्ग—7.8. समाज कल्याण (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
780505	अंधों के लिए दो ब्रेल पुस्तकालयों की स्थापना	0.50	..	..	0.11
780506	राजकीय मूक, बधिर विद्यालय, आगरा तथा बरेली का उन्नयन तथा प्रसार; प्रत्येक में 50 से 100 विद्यार्थियों की वृद्धि	2.00	..	..	0.05
780507	एक अतिरिक्त अन्ध विद्यालय की स्थापना	3.00	..	..	0.53
780508	एक अतिरिक्त मूक, बधिर विद्यालय की स्थापना	2.50	..	..	..
780509	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु एक गृह तथा आश्रित कार्यालय की स्थापना	3.00	..	..	..
780510	राजकीय अन्ध विद्यालय के लिए भवन का निर्माण	3.00	3.00	..	..
780511	शारीरिक रूप से अक्षम बालकों (मूक, बधिर तथा अन्धों को छोड़ कर) के लिए विद्यालय की स्थापना	..	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.07	0.12	0.15	0.10	0.17	..	..
0.32	0.32	0.50	0.38	0.55	..	..
0.36	0.69	0.60	0.71	0.75	..	..
0.30	0.39	9.60	0.53	0.76	..	..
0.45	0.53	0.60	0.65	0.70	..	..
..	..	1.00	1.00	2.00	2.00	..
..	0.50	0.70	0.40	0.70	..	..

मद—7. समाज सेवाएं

वर्ग—7.8 समाज कल्याण (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969-70
1	2	3	4	5	6
	नई योजनायें				
780512	शारीरिक, मानसिक रूप से अक्षम तथा अपंग विद्यार्थियों को पुस्तक, उपकरण इत्यादि के क्रम के लिए अनावर्तक सहायता	..	..	..	..
780513	अंधों के लिए शेल्टर कर्मशालाओं के भवन का निर्माण	..	..	..	..
	योग (5) ..	26.50	3.00	..	2.63
	स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता—				
780601	स्वैच्छिक संगठनों को विधवा आश्रमों एवं अनाथालयों के	3.40	..	..	0.53
780602	मानसिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के कल्याण की संस्थाओं को चलाने वाले स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को अनुदान	1.85	..	..	0.41
780603	बन्दियों तथा प्रोबेशनर्स के पुनर्वासन के लिए अनुदान	0.25	..	..	0.01

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	0.50	..	..
...	..	..	..	1.00	1.00	..
3.24	5.08	6.00	5.75	10.07	3.00	..
0.14	0.66	0.66	0.66	0.70	..	..
0.43	0.73	0.40	0.17	1.00	..	..
0.01	0.02	0.05	0.02	0.05	..	..

मद—7. समाज सेवाएं

वर्ग—7.8.समाज कल्याण (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
780604	बाल कल्याण कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	1.00	..	..	1.00
780605	शिशुशाला तथा बालबाड़ियों के संचालनार्थ स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	..	..	..	..
780606	असहाय महिलाओं तथा युद्ध में मारे गए जवानों की विधवाओं को सिलाई मशीन तथा अन्य साज–सामान के क्रय हेतु अनुदान	..	..	..	..
	योग (6) ..	6.50	..	..	1.95
	(7) प्रशिक्षण, शोध तथा प्रशासन—				
780701	क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा मुख्यालय पर आवश्यक कर्मचारी वर्ग के लिए प्राविधान	3.00	..	..	0.17
780702	अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के लिए प्राविधान	2.00	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	1.10	0.50	0.39	1.00	..	..
1.00	2.00	0.60	0.60	1.15	..	..
..	0.37	1.00	0.40	0.50	..	..
1.58	4.87	3.21	2.24	4.40	..	..
0.18	0.40	0.40	0.20	0.60	..	..
0.25	0.06	0.25	..	0.25	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.8. समाज कल्याण (समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	वास्तविक 1969–70
1	2	3	4	5	6
780703	नियोजन एवं सांख्यकीय सेल का मुख्यालय में स्थापना।	..	..	..	..
	योग (7) ..	5.00	..	..	0.17
महंगाई भत्ते के लिए एकमुश्त प्राविधान		..	..	..	..
योग—7.8. समाज कल्याण ..		*100.00*	*9.00*	..	*7.71*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	0.25	..	..
0.43	0.46	0.65	0.20	1.10	..	..
..	0.49	..	1.53	2.12	..	..
10.08	*20.37*	*22.00*	*22.10*	*40.00*	*7.00*	..

19—शिल्पकार प्रशिक्षण और श्रम कल्याण

किसी संभाग का आर्थिक विकास वस्तुतः उसकी प्राविधिक प्रगति पर आधारित होता है और प्राविधिक प्रगति अपेक्षित योग्यता, प्रशिक्षण और कुशलता प्राप्त व्यक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। राज्य में बड़े प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध न होने पर भी यदि कुशल श्रमिक वर्ग उपलब्ध हों तो उच्च स्तर पर आर्थिक विकास किया जा सकता है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि श्रमिकों को प्रशिक्षण देने, उन्हें कुशल बनाने और श्रम कल्याण की योजनाओं में धन विनियोजित करने से प्रति व्यक्ति उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ जाता है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 363.53 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। चौथी योजना और उसकी वार्षिक आयोजनाओं के परिव्यय का कार्यक्रम के अनुसार विभाजन निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है:—

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम/योजना	चौथी पंचवर्षीय योजना परिव्यय (1969–74)	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	वास्तविक व्यय 1971–72	1972–73 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रम कल्याण	51.03	0.54	1.79	2.69	9.92	9.44	16.37
सेवायोजन	21.00	0.22	0.99	1.58	4.32	3.40	10.87
शिल्पकार प्रशिक्षण	291.50	54.83	35.37	30.17	39.69	61.59	53.53
योग ..	363.53	55.59	38.35	34.44	53.93	74.43	80.77

शिल्पकार प्रशिक्षण

2—प्रौद्योगिकी के आधुनिक तरीके पर उत्पादन करने से राज्य का आर्थिक विकास तेजी से होता है। किन्तु प्रौद्योगिकी के आधुनिक तरीके अपनाने के लिये नये शिल्पों और व्यवसायों में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। शिल्पकार प्रशिक्षण

कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किये गये प्रशिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों को ऐसा प्रशिक्षण देना है जो न केवल, आधुनिक प्रौद्योगिकी की समस्याओं की समाधान कर सके बल्कि अर्थ व्यवस्था के द्वितीय और तृतीय चरणों में रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करने के लिये मार्ग भी प्रशस्त कर सकें। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये 291.50 लाख रु० के परिव्यय का प्राविधान है, जिसमें से वर्ष 1969-73 के दौरान 182.16 लाख रु० का व्यय किया गया। वर्ष 1973-74 के लिये 53.53 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1972-73 के दौरान पहले इलेक्ट्रानिक तथा डाई बनाने वाले व्यापारों के लिये प्रशिक्षण देने की एक नयी योजना प्रारम्भ की जा चुकी है। वर्तमान तीन संस्थानों में उत्तर (post) आई० टी० आई० के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को भी प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान सभी योजनायें पूर्व की भांति जारी रखी जायेंगी।

सेवायोजन सेवाओं का प्रसार

3—राज्य के शिक्षित और अशिक्षित सक्रिय श्रमिकों में बेरोजगारी व्यापक रूप से फैली हुई है। बेरोजगारी की मात्रा और सीमा राज्य के एक संभाग से दूसरे संभाग में और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में परस्पर अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न होती है। कृषि और अन्य असंगठित क्षेत्रों में, अपूर्ण बेकारी और कालिक बेकारी ने विकट समस्यायें पैदा कर दी हैं। सेवायोजन सेवा योजनाओं का प्रसार बेकार श्रमिकों के लिये व्यवसाय संबंधी उचित मार्गदर्शन की व्यवस्था करने तथा मालिकों और रोजगार चाहने वालों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। सेवायोजन सेवाओं के प्रसार के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 21 लाख रु० के परिव्यय का प्राविधान है। इसमें से 1969-73 के दौरान 6.19 लाख रु० का व्यय किया गया। वर्ष 1973-74 के लिये 10.87 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1973-74 में रोजगार विकास और विकसित प्रौद्योगिक सर्वेक्षण की चार इकाइयों, इम्पलाईमेंट एक्सचेंज ऐक्ट का प्रवर्तन की छः इकाइयों के स्थापना और वर्तमान तीन रोजगार दफ्तरों के सुदृढ़ीकरण किया जायगा।

श्रम कल्याण

4—राज्य का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने श्रमिकों के हितों की रक्षा करें, उनके लिये स्वस्थ वातावरण तैयार करें, और उन्हें अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करें इनमें न्यूनतम वेतन की गारन्टी, सामाजिक सुरक्षा के लाभ, वृद्धावस्था के लिये सुरक्षा, श्रमिक संघों के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी, चिकित्सा और प्रसूति संबंधी सुविधायें, मनोरंजन की सुविधायें, काम के विनियमित घंटे और बोनस आदि का भुगतान समुचित रूप से कार्यान्वित करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में 51.03 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। यह आशा की जाती है कि वर्ष 1969-73 के दौरान 15.62 लाख रु० की धनराशि का उपयोग कर लिया जायेगा। वर्ष 1973-74 के लिये 16.37 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है। सभी वर्तमान योजनायें पूर्व की भांति जारी रहेंगी।

मद—7, समाज सेवायें

वर्ग—7.8. शिल्पकार प्रशिक्षण और श्रम कल्याण

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	(1) श्रम कल्याण और कल्याण प्रशासन				
790101	क्षय रोग क्लीनिक्स पुनर्गठन और अतिरिक्त क्षय रोग अस्पतालों के लिये व्यवस्था	6.01	2.04	..	..
790102	श्रम कल्याण प्रशासन के क्षेत्रीय एवं मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण	2.09	..	..	..
790103	श्रम कल्याण केन्द्र में परिवार नियोजन कक्ष की स्थापना	0.52	0.32	..	..
	योग ..	8.62	2.36	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	2.45	1.18	1.96	..	..
..	0.04	0.14	0.07	0.08	..	
..	..	..	..	..	..	..
..	0.04	2.59	1.25	2.04	..	..

मद—7. समाज सेवायें
वर्ग—7.9. शिल्पकार प्रशिक्षण और श्रम कल्याण (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	श्रम कानून को लागू करना				
790104	समझौता कार्य प्रणाली क विकेन्द्रीकरण एवं प्रसार	7.80	..	..	0.22
790105	कारखाना निरीक्षण सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	8.99	..	..	0.03
790106	न्यूनतम वेतन ऐक्ट एवं बोनस ऐक्ट को सुचारु रूप से लागू करने के कार्य कलापों का सुदृढ़ीकरण	18.07	..	..	0.04
	योग ..	34.86	..	..	0.29
	अन्य योजनाएं—				
790107	सेवा अनुभाग का प्रसार एव पुनर्गठन	5.03	..	..	0.06
790108	मुख्यालय एवं क्षेत्र के सांख्यिकी अनुभागों का सुदृढ़ीकरण	2.02	..	..	0.09
790109	विभागीय पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें एवं समाचार-पत्रों को खरीदने के लिये व्यवस्था	0.50	..	..	0.10

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.16	0.43	0.71	1.61	2.17	..	..
0.16	0.34	0.98	0.79	1.18	..	..
1.08	1.41	3.51	3.16	4.50	..	..
1.40	2.18	5.20	5.56	7.85	..	..
0.06	0.02	0.41	0.25	0.21	..	..
0.26	0.38	0.57	0.42	0.69	..	..
0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	..	..

मद—7. समाज सेवाएं

वर्ग—7.9. शिल्पकार प्रशिक्षण और श्रम कल्याण (क्रमश)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
790110	व्यावसायिक संघों की राज्य एवं क्षेत्रीय स्तरों पर बैठक व सम्मेलन	..	..	..	..
790111	व्यावसायिक संघ के कर्मचारियों का शैक्षिक भ्रमण	..	..	..	..
790112	श्रम आयुक्त कार्यालय के लेखा विभाग का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..
790113	10 अतिरिक्त श्रम कल्याण केन्द्रों का खोला जाना	..	..	..	..
790114	सामुदायिक भवनों का निर्माण	..	..	..	..
790115	क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये प्राविधान	..	..	..	..
790116	गति अध्ययन शाखा का विकास	..	..	..	..
	योग	7.55	..	..	0.25
	योग	51.03	2.36	..	0.54

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	1.05	1.86	5.48	0.81	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..		..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.39	0.47	2.13	2.63	6.48	0.81	..
1.79	2.69	9.92	9.44	16.37	0.81	..

मद--7. समाज सेवायें

वर्ग--7.9. शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण (क्रमशः)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक-
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
	(2) जन शक्ति एवं सेवायोजन--				
790201	सेवायोजन सेवा का विस्तार	8.20	..	..	0.16
790202	सेवायोजन बाजार सूचना का संग्रह किया जाना	0.75	..	..	..
790203	व्यावसायिक प्रदर्शन योजना	4.10	..	..	0.05
790204	निदेशालय के सेवा-योजन भाग का सुदृढ़ीकरण	1.60	..	..	0.01
790205	सेवायोजन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	6.35	..	..	..
	योग (2) ..	21.00	..	..	0.22
	(3) शिल्पकार प्रशिक्षण--				
790301	शिल्पकार प्रशिक्षण	255.50	175.00	..	54.57
790302	शिल्पकार प्रशिक्षण का केन्द्रीयकरण	39.00	..	..	0.25
790303	अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण	26.00	..	..	0.01

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.78	0.94	1.41	1.50	6.70	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.08	0.17	0.41	0.37	0.66	..	..
0.10	0.15	0.74	0.80	1.56	..	..
0.03	0.32	1.76	0.73	1.95	..	..
0.99	1.58	4.32	3.40	10.87	..	..
32.60	15.53	9.06	33.38	10.98	7.68	..
1.25	12.65	22.05	19.12	36.35	..	..
1.72	1.99	5.92	5.09	5.40	..	..

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.9. शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण—(समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
790304	औद्योगिक कार्यकर्त्ता के लिये अल्पकालीन कक्षाओं की व्यवस्था	1.00	..	..	..
790305	काशीपुर तथा चन्दौसी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का खोला जाना	..	..	..	..
790306	टेहरी में आई० टी० आई० का खोलना	..	..	..	..
	योग (3) ..	291.50	175.00	..	54.83
	योग 7.9.—शिल्पकार प्रशिक्षण और श्रम कल्याण	*363.53*	*177.36*	..	*55.59*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	2.66	4.00	0.80	..	..
35.57	30.17	39.69	61.59	53.53	7.68	..
38.35	*34.44*	*53.93*	*74.43*	*80.77*	*8.49*	..

20--बेरोजगारी

सन् 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 883 लाख थी, जिसमें से 284 लाख श्रमिक थे। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार लोगों के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य समस्या अल्प रोजगार तथा बेरोजगार की है। यद्यपि बेरोजगारी दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं तथापि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में भी राज्य में इंजीनियर, कृषि में डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति और प्रशिक्षित अध्यापक बेरोजगार रहेंगे।

2--चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सघन त्वरित कार्यक्रमों, ग्रामीण निर्माण कार्य सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था के रूप में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये विशेष प्रयास किये गये हैं। वर्ष 1972-73 के दौरान 864 लाख रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश के लगभग 1.14 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने हेतु एक विशेष रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। चौथी योजना में तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को स्वत: रोजगार में लगाने के लिये 4.50 लाख रुपये के परिव्यय की एक ऋण योजना प्रारम्भ की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस कार्यक्रम के लिये 1972-73 के दौरान 13.00 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है।

3--पहले से प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों को वर्ष 1973-74 के दौरान भी पूर्ण उत्साह के साथ जारी रखा जायगा। तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिये रोजगार में लगाने की योजना के अन्तर्गत 14.00 लाख रुपये का परिव्यय है। कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने से सम्बन्धित विशेष रोजगार प्रायोजना के लिये वर्ष 1973-74 में 1,019 लाख रु० की धनराशि का परिव्यय है। इस प्रायोजना में थर्मल जेनरेशन योजनाओं के सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान (ट्रान्समिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन), लाइनों के निर्माण, जल सम्पूर्ति योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य, जन साक्षरता कार्यक्रम, छोटे किसानों को तकनीकी सलाह देने की कृषि प्रसार योजना, चुने हुये पशु चिकित्सालयों पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था, छोटे पुलों और पुलियों के निर्माण, विस्तृत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली (लिंक) सड़कों के निर्माण, सिंचाई प्रायोजनाओं का अनुसन्धान, बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास योजनायें सम्मिलित हैं। योजनावार रोजगार के जितने अवसर उत्पन्न होने की सम्भावना है उनका ब्योरा नीचे दिया गया है--

क्रम संख्या	योजनाओं के नाम	ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या जिन्हें वर्ष 1973-74 के दौरान सेवायोजन किया जायगा
1	2	3
1	पशु औषधालयों और मुख्य ग्राम खण्ड आदि में कर्मचारियों की संख्या म वृद्धि	418
2	थरमल जेनरेशन प्रायोजनाओं के अंतर्गत सर्वेक्षण और अनुसंधान ..	403

1	2	3
3	ट्रान्समिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों का सर्वेक्षण तथा अनुसंधान ..	806
4	जन साक्षरता	8,792
5	जन सहयोग से निर्मित मार्गों पर छोटे पुलों, साइफन आदि का निर्माण	1,333
6	सड़कों तथा पुलों का सर्वेक्षण	4,002
7	ग्रामीण लिंक सड़कों का निर्माण	10,144
8	जल सम्पूर्ति प्रायोजनाओं का अनुसंधान	986
9	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	80,858
10	चकबंदी और भूमि संरक्षण की समेकित योजना ..	1,104
11	स्नातकों ग्राम सेवकों को नियुक्त करके छोटे किसानों को तकनीकी सलाह देने की योजना	440
12	बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रायोजनाओं के सर्वेक्षण तथा अनुसंधान	1,922
13	बाढ़ नियंत्रण और जल निकास योजनाओं का सर्वेक्षण और अनुसंधान	663
14	कृषि प्रसार सेवा	1,067
15	खनिकर्म और खनिज सर्वेक्षण योजना में स्नातकोत्तरों का सेवायोजन	10
	योग ..	1,12,948

परियोजनावार परिव्यय एवं व्यय

मद—7. समाज सेवायें

वर्ग—7.11—तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
711101	तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की योजना	50.00	..	..	..
711201	तकनीकी तथा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की विशेष रोजगार प्रायोजना	..	..	..	..
	योग, 7.11. तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार	50.00	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
10.00	12.88	13.00	12.95	14.00	13.75	..
..	..	470.00	432.00	510.00	..	..
10.00	12.88	483.00	444.95	524.00	13.75	..

21--सूचना और प्रसार

सूचना और प्रसार की योजनायें नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों के समर्थन में आवश्यक प्रचार करने के लिये तैयार की गयी हैं ताकि उनके कार्यान्वियन के लिए जनता का सहयोग सुनिश्चित हो सके । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सूचना निदेशालय प्रचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता है । चूंकि अधिकांश जिलों में जिला स्तर पर प्रचार व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है, इसलिये इन योजनाओं को सीधे राज्य मुख्यालय से कार्यान्वित किया जाता है । इन योजनाओं में प्रकाशन, चल-चित्र निर्माण, किसान मेले और प्रदर्शनियां, विज्ञापन अभियान तथा सामुदायिक श्रवण योजनायें सम्मिलित हैं ।

2--चौथी पंचवर्षीय योजना में सूचना और प्रसार योजनाओं के लिये 20 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से 1969-73 के दौरान 16.00 लाख रु० का उपयोग कर लिया गया है । वर्ष 1973-74 के लिये 14.97 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है । 1973-74 के दौरान पहले से चालू कार्यक्रमों को जारी रखा जा रहा है । वर्ष 1973-74 के लिये दस स्थानों पर सूचना केन्द्र खोले जायेंगे । वर्ष 1973-74 में विभागीय डिस्पैच शाखा का सुदृढ़ीकरण भी किया जायगा ।

खंड--8. विविध

वर्ग--8.2. सूचना एवं प्रसार

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
820101	प्रकाशन ..	5.00	..	..	1.32
820102	फिल्म एवं फोटोग्राफी	5.60	..	..	1.70
820103	किसान मेले तथा प्रदर्शनियां	5.10	..	..	1.09
820104	भाषायी समाचार-पत्रों में विशेषांकों के लिये विज्ञापन	1.80	..	..	0.20
820105	सामूहिक श्रवण योजना	2.50	..	..	..
820106	टेलीविजन द्वारा प्रसार	..	..	..	..
820201	जिला योजना का प्रकाशन	..	..	..	0.05
820301	डिस्पेंच शाला का पुनर्गठन	..	..	..	..
820302	अतिरिक्त जिला प्रसार इकाइयां	..	..	..	..
	योग 8.2 सूचना एवं प्रसार	*20.00*	..	..	*4.36*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	..	..
1.09	1.46	1.34	1.31	1.00	..	..
0.96	0.94	1.00	0.99	0.85	..	..
0.28	0.32	0.40	0.40	0.40	..	..
0.32	0.35	0.23	0.23	0.92	..	..
0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	..	..
..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	0.50	1.00	..	..
..	..	..	..	9.97	..	..
3.67	4.09	4.00	4.46	14.97	..	..

22—अन्य कार्य क्रम

(1) सांख्यिकी

विभिन्न सामाजिक, आर्थिक विषयों के सम्बन्ध में विश्वसनीय और अद्यावधिक आंकड़ों का उपलब्ध होना तथा उनका समय से विधायन (processing), व्याख्या और सही विश्लेषण करना एक दक्ष नियोजन प्रक्रिया के लिये परम आवश्यक है। जैसा कि राज्य, विकास के वर्तमान स्तरों के और अधिक विस्तृत विश्लेषण तैयार कर रहा है तथा पांचवी योजना के लिये और अधिक विस्तृत आधार पर मांग, पूर्ति उत्पादन, सेवायोजन, विनियोग, उपभोग आदि के सम्बन्ध में विस्तार का अनुमान लगा रहा है। अतः और अधिक वैज्ञानिक आधार पर सांख्यिकी आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण तथा प्रचार का प्रबंध करना नितान्त आवश्यक है।

2—चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20.30 लाख रुपये का परिव्यय इस क्षेत्र की आयोजनागत योजनाओं के लिये नियत किया गया था। तदनुसार राज्य की चौथी आयोजना में योजनायें तथा कृषि कर्म सम्बन्धी पद्धतियां, व्यापार, परिवहन, पूंजी निर्माण, सेवायोजन तथा बेरोजगारी, उपभोक्ता व्यय, जिला स्तर की आय का आंकलन, सरकारी सांख्यिकी में सुधार तथा उनका प्रसार गृह तथा भवन-निर्माण के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करना तथा उत्तराखण्ड प्रभाग पर सांख्यिकी एकत्र करने का कार्य करने का लक्ष्य रखा गया।

3—वर्ष 1969-73 के दौरान 8.92 लाख रुपये की धनराशि के व्यय हो जाने की सम्भावना है। वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकृत परिव्यय 14.00 लाख रुपये है। वर्ष 1973-74 के दौरान चालू योजनाओं से भिन्न यांत्रिक सारिणीकरण अनुभाग (मेकेनिकल टेबुलेशन सेक्शन) का विस्तार किया जायगा। इससे नियोजन संस्थान (प्लानिंग इन्स्टीट्यूट) के आर्थिक प्रभागों द्वारा किये गये महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों के आंकलनों को शीघ्र तैयार करने में सुविधा होगी। वर्ष 1973-76 के दौरान 50.50 लाख रुपये की कीमत से इस विभाग के लिये एक भवन निर्मित किया जायगा। वर्ष 1973-74 के दौरान 5.00 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था इस उद्देश्य से स्वीकृत की गई है।

4—राज्य की आयोजनागत योजनाओं से भिन्न एक केन्द्र द्वारा चलाई गई लघु उद्योगों से "आंकड़ों का संकलन" नामक योजना, चौथी आयोजना के आरम्भ से ही चल रही है। 3.47 लाख रुपये की धनराशि वर्ष 1969-73 के दौरान प्रयुक्त कर ली जायेगी। वर्ष 1973-74 के लिये 1.51 लाख रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है।

(2) मूल्यांकन

1—योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रुप) की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश में वर्ष 1965-66 में एक मूल्यांकन संगठन की स्थापना की गयी थी। तभी से यह

संगठन विकास कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के प्रभाव का, मूल्यांकन कर रहा है। इस वर्ष के लिये चौथी योजना का स्वीकृत परिव्यय 3.00 लाख रुपये है।

2—चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 1.16 लाख रुपये का व्यय किया गया तथा 36 अध्ययन कार्य पूरे किये गये थे।

3—वर्ष 1972-73 के लिये 0.75 लाख रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया था। उसके समक्ष 1.73 लाख रु० का व्यय किये जाने की आशा है। वर्ष के दौरान 17 अध्ययन कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है। आयोजनागत योजनाओं का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त, इस संगठन को यह भी काम सौंपा गया है कि वह विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रबन्धकार्य (मैनेजमेन्ट) सी० पी० एम० "पर्ट" प्रणालियों आदि के संबंध में ट्रेनिंग कोर्स संचालित करके नियोजन संबंधी टेकनीक का प्रशिक्षण दिलाने की भी व्यवस्था करें। वर्ष 1972-73 के दौरान इस प्रकार के दो प्रशिक्षण पहले ही संगठित किये जा चुके हैं तथा तीसरे का प्रबन्ध माह अक्तूबर, 1972 में किया गया।

4—वर्ष 1973-74 के दौरान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलता रहेगा। अतः 2.66 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष के दौरान मूल्यांकित की जाने वाली योजनाओं का चयन राज्य मूल्यांकन परामर्शदात्री परिषद द्वारा किया जायेगा।

(3) शोध सम्बन्धी कार्य-कलाप (विकास अन्वेषणालय)

पहले पहल शोध संबंधी कार्यकलापों के लिये कार्यक्रम वर्ष 1954 के दौरान विकास अन्वेषणालय द्वारा हाथ में लिया गया था और तब से कृषि से संबंधित अनेक समस्याओं, भूमि संरक्षण, ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने, ग्रामीण उद्योगों, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि के सम्बन्ध में अध्ययन किये गये तथा उनका पता लगाया गया और लोक कार्यकारी अभिकरणों (इक्जीक्यूशन एजेन्सीज) के लाभार्थ उनके हल निकाले गये। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शोध संबंधी कार्यकलापों को चालू रखने के लिये 20.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इसमें से 4.50 लाख रुपये की धनराशि वर्ष 1969-70 के दौरान नियत की गयी परन्तु केवल 1.02 लाख रुपये की धनराशि ही प्रयुक्त की जा सकी। वर्ष 1970-71 के लिये फिर से 4.50 लाख रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, परन्तु वर्ष के दौरान केवल 0.91 लाख व्यय किये जा सके। वर्ष 1971-72 में योजना परिव्यय 3 लाख रुपये, रखा गया जिसमें 0.46 लाख रुपये धनराशि 'ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एकीकृत आधारिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 'योजना को चालू रखने के लिये सम्मिलित है, इस वर्ष के लिये संभावित व्यय 1.75 लाख रुपये हैं। वर्ष 1971-72 में पर्वतीय क्षेत्रों में छिड़काव और नलिकाओं (हाइड्राम) द्वारा सिंचाई साधनों को अपनाने हेतु प्रयोग किये गये। भूमिहीन मजदूरों के लिये दुग्ध शाला, मिट्टी के सामान आदि जैसे लाभप्रद काम करने के लिये सुविधा प्रदान करके, उनकी आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस संबंध में चालू किये गये मुख्य-मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार है। छोटे पाने

पर सीमेन्ट उत्पादन की प्रायोजना मिट्टी के सामान तैयार की प्रायोजना, पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्य, महिला कार्यक्रम ग्रामीण औजारों का प्रसार, पाइपों द्वारा जल संपूर्ति तथा छोटे पैमाने पर, चीनी उत्पादन का काम इस वर्ष के दौरान लघु औद्योगिक इकाइयों के लिये छोटे आकार के नमूने तैयार करने हेतु एक डिजाइन तथा निर्माण सेल, एक प्रबन्ध अनुभाग और लघु सिंचाई अनुभाग की स्थापना की गयी। वर्ष 1972–73 के लिये 7.45 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिसमें 0.53 लाख रुपये 'ग्रामीण क्षेत्रों के लिये, एकीकृत आधारिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 'योजना के लिये सम्मिलित है। वर्ष के दौरान जिन प्रायोजनाएं को हाथ में ले लिया गया था उनको जारी रखा गया। इसके अतिरिक्त कुछ नये कार्य-क्रम भी जैसे कोल्ड स्टोरेज की स्थापना तथा उनका निस्तारण बगास से कार्ड बोर्ड बनाने बुन्देलखण्ड संभाग में लघु दुग्धशाला इकाइयों की स्थापना, करने तथा फूलपुर प्रायोजना क्षेत्र में बास की वस्तुओं का निर्माण करने की प्रायोजनायें भी वर्ष के दौरान चालू करने का लक्ष्य है।

2—वर्ष 1973–74 के लिये 9.00 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 'एकीकृत आधारिक स्वास्थ्य प्रायोजना" संबंधी योजना के लिये 0.50 लाख रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है। उन सभी प्रायोजनाओं को जो चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान हाथ में ली गयी थीं, और जो अभी भी चालू है, वर्ष 1973–74 के दौरान भी जारी रखने का विचार है। वर्ष के दौरान कोई नयी प्रायोजना को हाथ में लेने का विचार नहीं किया गया है।

(4) ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम

ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम की चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में हो रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने तथा नये निर्माण कार्य भी प्रारम्भ करने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के लिये चौथी योजना में 247.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में अभी पिछड़े क्षेत्रों के 23 जिलों में 169 ब्लाक (खंड) समाविष्ट हैं तथा इसका उद्देश्य विशेषकर उस समय जब कृषि सम्बन्धी कार्य हल्का रहता है, जनशक्ति का उपयोग करके सामुदायिक लाभ के कार्य सम्पन्न करना है।

2—प्रथम तीन वर्षों, अर्थात् 1969–70, 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान क्रमशः 89.50, 100.00 तथा 89.00 लाख रु० के परिव्ययों की व्यवस्था की गयी थी, जिसकी तुलना में (50.78 + 53.825 + 89.00) 193.605 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया जा सका। वर्ष 1972–73 में 38.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जिसमें से 34.00 लाख रुपये की व्यवस्था बजट में की गई थी और उसके पूर्ण उपयोग कर लिये जाने की आशा की जाती है। वर्ष 1973–74 के लिये 19.00 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

3—उन कार्यों का जो 1971-72 तक पूर्ण कर लिये गये, जिनके 1972-73 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है तथा 1973-74 में पूर्ण हो जाने के लिये निश्चित है, विवरण निम्न अनुसार है—

मद	इकाई	1969-70 में उपलब्धि	1970-71 में उपलब्धि	1971-72 में उपलब्धि	1972-73 लक्ष्य	1972-73 उपलब्धि	1973-74 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
छोटी ग्राम सड़कें	किलोमीटर	73	74	163	216	250	262
मत्स्य पालन के लिये तालाब	संख्या	..	..	..	150	50	..

(5) राज्य में नियोजन संगठन को सुदृढ़ करना

अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश भी अपना विकास नियोजित प्रयत्नों द्वारा करने में लगा हुआ है। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य मुख्यत: एक ऐसी अवस्थापना तैयार करने का था, जिससे कृषि तथा उद्योगों के विकास में सहायता मिल सके। यह आशा की गई थी कि इससे आर्थिक स्थिरता का विकास होगा तथा बेरोजगारी की स्थिति में भी कुछ राहत मिलेगी। तीसरी योजना के प्रारम्भ से क्षेत्रीय असमानता को कम करने के प्रयत्न किए गए, परन्तु इन सब प्रयत्न के बावजूद, क्षेत्रीय असमानतायें अभी भी विद्यमान हैं, बेरोजगारी की स्थिति भीषण है तथा समाज में निर्धन लोगों को योजना के प्रयत्नों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है।

2—अत: राज्य सरकार ने योजनाओं को और विधिक अर्थपूर्ण फलदायक बनाने के दृष्टिकोण से अपनी नियोजन क्षमताओं को कारगर बनाने का निश्चय किया है। तदनुसार राज्य में नियोजन संगठन का नवम्बर 1971 में पुनर्गठन किया गया और एक राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना की गई, जिसमें निम्नलिखित प्रभाग हैं:—

(1) अर्थ एवं संख्या प्रभाग,

(2) विकास अन्वेषणालय एवं प्रयोग प्रभाग,

(3) मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाग,

(4) दीर्घ कालीन योजना प्रभाग,

(5) क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग,

(6) जनशक्ति नियोजन प्रभाग।

इन में से प्रथम तीन प्रभाग पहले से ही अर्थ एवं संख्या निदेशालय, विकास अन्वेषणालय तथा मूल्यांकन निदेशालय के रूप में चालू हैं। इनका पुनर्गठन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया गया :—

(1) क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से, प्राकृतिक संसाधनों अवस्थापना तथा उत्पादक संविधाओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रों में विकास किए जाने की गुंजायश को सुनिश्चित करने के लिए,

(2) दीर्घकालिक नीतियों तथा आयोजनाओं को बिलकुल सही-सही, व्यापक तथा स्पष्ट लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाना,

(3) मानवीय संसाधनों के नियोजित उपयोग के लिए कुल मिलाकर जनशक्ति का प्राक्कलन तैयार करने के लिए तीन नए प्रभागों का गठन किया जाता।

3—मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में राज्य नियोजन आयोग की स्थापना की गई है, जिसके लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) प्राकृतिक, वित्तीय तथा जनशक्ति संसाधनों का पता लगाना तथा उनके राज्य के उचित विकास हेतु, सर्वेक्षण प्रयोग के बारे में सुझाव देना।

(2) क्षेत्रानुसार तथा कार्यक्रमानुसार अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आयोजनायें राज्य की आवश्यकताओं एवं संसाधनों तथा शक्ति के अनुसार तथा राष्ट्रीय आयोजना के लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं से साम्य रखते हुए, तैयार करना।

(3) राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में बाधाओं को इंगित करना तथा आयोजना के सफलतापूर्ण कार्यान्वयन हेतु उनके हल निकालने के सुझाव देना।

(4) क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

(5) आयोजना कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना।

(6) नियोजन तथा विकास प्रक्रियाओं में किए जाने लायक आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना।

4—नियोजन आयोग की सहायता करने के लिए राज्य नियोजन संस्थान में निम्नलिखित नए प्रभागों (वर्तमान जनशक्ति नियोजन प्रभाग के सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त) को सृजित करने का प्रस्ताव है :—

(1) अनुश्रवण (मोनिटरिंग) तथा सूचना प्रभाग।

(2) आयोजना निर्माण तथा मूल्यांकन प्रभाग।

(3) पदार्थ नियोजन तथा समन्वयन प्रभाग।

5—अनुश्रवण तथा सूचना प्रभाग, विकास कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्रित करने तथा उसका विश्लेषण करने, आलोचनात्मक समीक्षाएं तैयार करने, प्रगति कार्यान्वयन में परिवर्तन के सुझाव देने का भार वहन करेगा तथा ऐसे कार्यकलापों की प्रगति के सम्बन्ध में जिनमें स्थिरता प्रतीत होती हो, अध्ययन करेगा।

6—प्रायोजना निर्माण तथा मूल्यांकन प्रभाग मुख्यतः प्रमुख विकास प्रायोजनाओं, कार्यक्रमों की आर्थिक क्षमता को मूल्य लाभ के दृष्टिकोण तथा प्रत्याशित मूल्यांकन निश्चित करने का कार्य करेगा।

7—पदार्थ नियोजन तथा समन्वयन प्रभाग, निरन्तरता के आधार पर विकास कार्यक्रमों की तुलना में वस्तुओं आदि (मेटीरियल कमाडिटीज) की आवश्यकताओं का आकलन करेगा तथा राज्य के भीतर समस्त सूची स्तरों (इन्वेन्टरी लेवेल्स) की देख-भाल रखेगा।

8—नियोजन संगठन को स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से यह भी प्रस्तावित है कि जिला तथा मण्डलीय स्तरों पर नियोजन सेलों की स्थापना की जाय, जिससे कि ये सेल्स और अधिक समन्वित तथा सौवंश्य ढंग से क्षेत्रीय तथा सूक्ष्म नियोजन का कार्य हाथ में ले सकें।

9—1972-73 के दौरान उपर्युक्त स्थापना पर कुल 30.21 लाख रु० तथा वर्ष 1973-74 के दौरान 46.47 लाख रु० का व्यय किया जायगा। राज्य में नियोजन संगठन को सुदृढ़ करने पर होने वाले व्यय का दो तिहाई व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जायगा। अतः राज्य की वार्षिक आयोजना में केवल राज्य सरकार के व्यय का भाग ही प्रदर्शित किया गया है, जबकि भारत सरकार का भाग केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदर्शित किया गया है।

(6) दाशमिक तौल तथा माप

चौथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए 8 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। 1969-73 की अवधि के दौरान 12.27 लाख रु० की धनराशि का उपयोग कर लिया गया है। 1972-73 के दौरान 7.40 लाख रु० की धनराशि अतिरिक्त प्रयोगशालाओं को खोलने तथा वर्तमान प्रयोगशालाओं का आवश्यक साज-सज्जाओं तथा उपकरणों से सज्जित करने तथा वाहन एवं अन्य आवश्यक सहायक सामग्री प्रदान करने हेतु स्वीकृत की गई थी। वर्ष 1973-74 के लिए 7.94 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत है।

(7) ग्रामीण अभियांत्रिक सर्वेक्षण

वाराणसी तथा जालौन जिलों में ग्रामीण अभियांत्रिक सर्वेक्षण करने के लिए 1971 को दिसम्बर माह के अन्त से 2.38 लाख रु० के परिव्यय की स्वीकृति की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 18 सर्वेक्षण दलों को गठित करने की आवश्यकता थी। 1971-72 में 2.025 लाख रु० व्यय किया गया।

1972-73 के दौरान 23.55 लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था इस योजना के लिए की गई थी और जिसे रायबरेली जिले में भी प्रसारित कर दिया गया है। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने 10.25 लाख रु० की लागत से एक इसी प्रकार का सर्वेक्षण पौड़ी-गढ़वाल के लिए भी स्वीकृत किया है। चूंकि कर्मचारियों के चुनाव, भर्ती तथा प्रशिक्षण में कुछ समय लगेगा अतः वर्ष 1972-73 के दौरान कुल 27.15 लाख रु० का व्यय किया गया।

1973-74 में 38.56 लाख रु० के परिव्यय की आवश्यकता होगी। ग्रामीण अभियांत्रिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक दल से वर्ष के दौरान कम से कम तीन गांवों के सर्वेक्षण करने की

आशा की जाती है। इस प्रकार वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार हैं:—

जिले का नाम		कुल गांवों की संख्या (1961 की जनगणना के अनुसार)	1972-73 के लिए लक्ष्य	1973-74 के लिए निर्धारित लक्ष्य	योग
1		2	3	4	5
वाराणसी	..	3,624	330	750	1,080
जालौन	..	942	225	690	915
रायबरेली	..	1,748	40	60	100
पौड़ी-गढ़वाल	..	3,208	250	750	1,000

मद—8. विविध

वर्ग—8.1. सांख्यिकी

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
810101	खेती उत्पादन, व्यापार, यातायात, कैपिटल फारमेशन, सेवा योजन उपभोक्ता व्यय का क्षेत्रीय स्तर पर सर्वेक्षण	7.00	..	..	0.06
810102	जिला स्तर पर आय का अनुमान करना	3.50	..	..	0.04
810103	जिला सांख्यिकी अभिकरण का सुदृढ़ीकरण	1.50	..	..	0.09
810104	सांख्यिकी आकड़ों का सुधार	1.32	..	..	0.09
810105	निदेशालय के लिये एक जीप की व्यवस्था	0.67	..	..	0.31
810106	आवास कक्ष की स्थापना	1.31	..	..	0.11
810107	जिला सांख्यिकी पुस्तक को तयार करना	1.00	..	..	..
810108	उत्तरा खन्ड मंडल क्षेत्र को सामाजिक एवं आर्थिक आकड़ों का संग्रह करना	3.00	..	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.96	1.05	1.35	1.33	1.30	..	..
0.32	0.72	0.66	0.76	0.75	..	..
0.34	0.04	0.44	0.43	0.25	..	..
0.28	0.23	0.30	0.30	0.35	..	..
0.04	0.09	0.08	0.08	0.08	..	..
0.34	0.30	0.25	0.31	0.35	..	..
..	..	..	..	..	..	..
0.02	..	0.16	..	..	..	..

मद—8. विविध

वर्ग—8.1. सांख्यिकी (समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
810109	स्थानीय निकाय की सांख्यिकी मैनुअल को तैयार करना	2.00	..	..	..
810110	यांत्रिक सारणीकरण कक्ष का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..
810111	कार्यालय के भवन निर्माण के लिये प्राविधान	..	..	..	..
810112	रोजगारी एवं बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण	..	..	..	..
	योग 8.1. सांख्यिकी	*20.30*	..	..	*0.70*

(लाख रुपये में)

व्यय		1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
..	..	..	..	..	..	..
..	0.01		..	1.00	..	..
..	..	..	..	5.00	5.00	..
..	..	..	0.37	4.92	..	..
2.30	*2.44*	*3.24*	*3.48*	*14.00*	*5.00*	..

मद—8. विविध

वर्ग—8.5. मूल्यांकन

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969-70
1	2	3	4	5	6
850101	मूल्यांकन संगठन	3.00	..	..	0.34

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.41	0.41	0.75	1.73	2.66	..	..

मद—8. विविध

वर्ग–8.6. अन्य

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)			वास्तविक
		कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा	1969–70
1	2	3	4	5	6
	विकास अन्वेषणालय प्रभाग—				
860101	शोध कार्यक्रम	20.00	..	..	0.92
860102	ग्रामीण क्षेत्र के लिए एकीकृत मूल्य स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम-	..	..	..	0.10
	योग ..	20.00	..	..	1.02
	नियोजन विभाग—				
860103	प्लानिंग मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	..	..	..	..
	सामुदायिक विकास विभाग,				
860201	ग्रामीण जन-शक्ति ..	247.00	..	..	50.78

*केवल राज्य सरकार का अंश है। दो

(लाख रुपये में)

व्यय		1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
7	8	9	10	11	12	13
0.72	1.33	6.34	4.05	8.50	..	..
0.19	0.42	0.53	0.46	0.50	..	..
0.91	1.75	6.87	4.51	9.00	..	..
..	0.11	8.62	10.07	*15.50	3.33	..
53.82	89.00	38.00	34.00	19.00	..	..

[illegible]ई भारत सरकार द्वारा वहन किया जायगा।

वर्ग—8. विविध

वर्ग—8.6. अन्य (समाप्त)

संकेत संख्या	परियोजना	चौथी योजना परिव्यय (1969–74) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5
860301	दशमलिक प्रणाली माप-बांट—			
(क)	खाद्य तथा रसद विभाग	8.00	..	..
(ख)	कृषि विभाग	..	..	..
	योग : माप एवं बांट..	8.00	..	..
शिक्षा विभाग—				
860401	युवक एवं शिशु कल्याण	50.00	..	..
	अन्य ..	18.00	..	..
	योग ..	68.00	..	..
	योग : 8.6. विविध	*343.0*	..	..

(लाख रुपये में)

व्यय			1972–73		1973–74 (परिव्यय)		
1969–70	1970–71	1971–72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
6	7	8	9	10	11	12	13
..	0.55	1.35	2.97	10.37	7.92	..	..
..	..	0.04	0.03	0.03	0.02	..	..
..	0.55	1.39	3.00	10.40	7.94	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
51.80	*55.28*	*92.25*	*56.49*	*58.98*	*51.44*	*3.33*	..

अध्याय V

पिछड़े क्षेत्रों तथा समुदायों के कार्यक्रम

(1) पिछड़े क्षेत्र

उत्तर प्रदेश को 5 आर्थिक संभागों में ऐसे मिले हुए जिलों का वर्गीकरण करके विभाजित किया गया है, जिनकी सामाजिक, आर्थिक विशेषतायें, फसल उत्पादन रीति (क्रापिंग पैटर्न), जनसंख्या का घनत्व और कृषि जलवायु सम्बन्धी बातें समान हैं। ये संभाग निम्नलिखित है :--

1--पूर्वी संभाग।

2--बुन्देलखण्ड संभाग।

3--पर्वतीय संभाग।

4--केन्द्रीय संभाग।

5--पश्चिमी संभाग।

2--इन पांच संभागों में से पूर्वी, बुन्देलखण्ड और पर्वतीय संभाग कम उत्पादिता, जनसंख्या का घनत्व, कठिन भू-स्थिति, अपर्याप्त अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तथा बाढ़ और सूखे के बार-बार प्रकोप होने इत्यादि जैसे तथ्यों के कारण अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े हुए माने गए हैं। पूर्वी संभाग में 15 जिले, बुन्देलखण्ड संभाग में 4 जिले और पर्वतीय संभाग में 8 जिले हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार इन 27 जिलों की कुल जनसंख्या 4.13 करोड़ है, जो राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या की 46.7 प्रतिशत है।

<u>पिछड़े क्षेत्रों की समस्याएं--</u>

पूर्वी संभाग--

3--पूर्वी संभाग की जनसंख्या 3.32 करोड़ है, जो राज्य की जनसंख्या की 37.5 प्रतिशत है और इस संभाग का क्षेत्रफल 0.86 लाख वर्ग कि मी० है, जो राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 29.1 प्रतिशत है। जनसंख्या का घनत्व 387 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० है जबकि राज्य की जनसंख्या का घनत्व 300 है। इस संभाग की विशेषता यह है कि यहां जनसंख्या अधिक घनी है, बार-बार बाढ़ें आती हैं, कृषि जोतें छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी और बिखरी हैं, कृषि के अतिरिक्त अन्य रोजगार की कमी है, अपूर्ण रोजगार (अण्डर इम्प्लायमेन्ट) व्याप्त है, महामारियां होती हैं और लोगों का रहन-सहन का स्तर निम्न है। 1971 की जनगणना के अनुसार 79.3 प्रतिशत कर्मकर (वर्कर) कृषि में लगे हुए हैं जबकि इसकी तुलना में राज्य का औसत 75.3 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि जनसंख्या के तीन-चौथाई से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। 49.1 प्रतिशत परिवारों के पास 2.5 एकड़ (1.01 हेक्टेयर) से कम की जोत है। 7.5 एकड़ (3.04 हेक्टेयर) या उससे अधिक की जोतें कुल परिवारों के केवल 12.9 प्रतिशत के ही पास हैं। प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता भी अपेक्षाकृत कम है। वर्ष 1967-68 में राज्य में प्रति कृषि-कर्मकर के पास कृषि योग्य भूमि औसतन 0.83 हेक्टेयर थी जबकि इस सम्भाग में केवल 0.59 हेक्टेयर ही थी।

4—इस संभाग को लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ों का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप फसलों, सम्पत्ति और सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं को भारी हानि उठानी पड़ती है। इस क्षेत्र में सूखा भी पड़ता रहता है क्योंकि वर्षा अनियत और असमान रूप से होती है। थोड़ी-थोड़ी अवधियों तक घोर वर्षा होने, उसके बाद लम्बी अवधि तक सूखा पड़ने के परिणाम-स्वरूप पानी जमा हो जाने, बाढ़ आने और सूखा पड़ने की सभी स्थितियां एक ही ऋतु में उत्पन्न हो जाती हैं।

5—इस संभाग में बहुत सी नदियां, जलधारायें, नाले और जल-निकास नालियां फैली हुई हैं जिनके कारण संचार व्यवस्था बहुत कठिन हो जाती है।

6—इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास पर्याप्त रूप से नहीं हुआ है। रजिस्टर्ड कारखानों में 1969 में काम में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या प्रति लाख जनसंख्या पर 220 थी जबकि इसकी तुलना में राज्य का औसत 402 था।

7—शिक्षा में भी यह संभाग राज्य के औसत से बहुत पीछे है। 1971 की जनगणना के अनुसार इस संभाग में साक्षरता सम्बन्धी प्रतिशत 19.40 है जब कि राज्य का प्रतिशत 21.64 है।

8—यद्यपि इस संभाग के अधिकांश जिलों में पेय-जल के पर्याप्त साधन हैं, तथापि मिर्जापुर जिला और वाराणसी तथा इलाहाबाद जिलों के कुछ भागों में पेयजल की बराबर कमी बनी रहती है।

पर्वतीय संभाग—

9—पिछड़े क्षेत्रों में पर्वतीय संभाग की विशेष समस्यायें हैं। सीमान्त क्षेत्र होने के कारण इसका विशेष महत्व है। इस संभाग की जनसंख्या 38.08 लाख है, जो राज्य की जनसंख्या की 4.3 प्रतिशत है और क्षेत्रफल 0.51 लाख वर्ग कि मी० है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 17.4 प्रतिशत है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि मी० 75 व्यक्ति है जबकि राज्य का 300 है। इस संभाग की विशेष भौगोलिक विशेषतायें हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसकी अपनी खास समस्यायें हैं। इस संभाग की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 1971 की जनगणना के अनुसार 75.8 प्रतिशत कर्मकर कृषि में लगे हुए हैं। यहां खेती करना कठिन है और आम तौर से घाटियों में तथा पहाड़ियों के ढालों पर ही खेती करना सम्भव है। चूंकि इस संभाग में खेती के लिए उपलब्ध भूमि सीमित है, इसलिए यहां जोतें भी छोटी ही हैं। 63.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास 2.5 एकड़ (1.01 हेक्टेयर) से कम की जोतें हैं।

10—यद्यपि यह संभाग वन संसाधनों में और ठोस खनिज संसाधनों में समृद्ध है, फिर भी इसका औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। रजिस्टर्ड कारखानों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1969 में प्रति लाख जनसंख्या पर 291 थी जबकि राज्य में यह 402 थी।

11—पहाड़ी भू-प्रदेश होने के साथ-साथ संचार साधन भी बहुत कम होने से इस संभाग के विकास में बाधा पड़ रही है। यहां देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार और काठगोदाम केवल चार रेलशीर्ष (रेल हेड्स) हैं, जो इस संभाग के अधिकांश क्षेत्रों से काफी दूर पर स्थित हैं। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण परिवहन केवल सड़क से सम्भव है, परिणामस्वरूप इसमें अत्यधिक व्यय होता है। इसके कारण संभाग की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

बुन्देलखण्ड संभाग--

12--बुन्देलखण्ड, जिसमें झांसी मंडल के 4 जिले सम्मिलित हैं, की जनसंख्या 42.91 लाख है, जो राज्य की जनसंख्या की 4.9 प्रतिशत है। इस संभाग का क्षेत्रफल 0.29 लाख वर्ग कि० मी है, जो राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि० मी० 146 व्यक्ति हैं जबकि राज्य का 300 है। 1971 की जनगणना के अनुसार 79.6 प्रतिशत मजदूर कृषि में लगे हुए हैं, जो उनकी जीविका का प्रमुख साधन है। इस संभाग में प्रति कृषि कर्मकर कृषि योग्य भूमि 1.85 हेक्टेयर है जबकि राज्य का औसत 0.83 हेक्टेयर है। यद्यपि इस संभाग में जोतों का औसत आकार राज्य के औसत से बड़ा है, फिर भी सिंचाई सुविधाओं की कमी से उत्पादकता कम है।

13--इस संभाग की कतिपय विशेष समस्यायें हैं जैसे भूमि की कम उर्वरता, अच्छी सड़कों की अत्यधिक कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के लिए साधनों का ठीक न होना, बड़े-बड़े क्षेत्रों में पेयजल की अत्यधिक कमी, कृषि योग्य बंजर भूमि के अन्तर्गत बहुत बड़े क्षेत्र का होना, विस्तृत कन्दरायें (रेवाइन्स), सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की कमी तथा नगण्य औद्योगिक विकास। वर्ष 1970-71 में कुल सिंचित क्षेत्र, बोए गए कुल क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में 21.2 था जबकि इसकी तुलना में सम्पूर्ण राज्य का प्रतिशत 37.1 था। इस संभाग में बड़े-बड़े भूखण्ड कृषि योग्य होते हुए भी बेकार पड़े हैं। 1968-69 में कृषि योग्य बेकार भूमि बोए गए वास्तविक क्षेत्र का 21.6 प्रतिशत थी।

14--इस संभाग का औद्योगिक विकास भी बहुत कम हुआ है। 1969 में रजिस्टर्ड कारखानों में लगे हुए कर्मकरों की संख्या प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 130 थी जबकि इसकी तुलना में राज्य का औसत 402 था। लघु उद्योगों का विकास भी अपर्याप्त है। 1970 में इस सम्भाग में रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या 53 थी जबकि राज्य में 4,004 थी।

15--अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), जैसे विद्युत्, सड़कों और सिंचाई का अभाव भी इस संभाग के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। विद्युतीकृत गांवों की संख्या 1970-71 में 430 थी जबकि राज्य में 20,719 थी। संचार साधन कम होने के कारण आन्तरिक क्षेत्र बाजारों और रेल शीर्षों से दूर हैं। 31 मार्च, 1969 को पक्की सड़कों की लम्बाई 2,193 कि० मी० थी, जो इस संभाग के लिए "बम्बई योजना" के अन्तर्गत निर्धारित कुल सड़क लम्बाई का केवल 54.6 प्रतिशत थी, जबकि उसी वर्ष में राज्य की उपलब्धि (उत्तराखण्ड को छोड़कर) 62.2 प्रतिशत थी। सरफेस्ड सड़कों का घनत्व वर्ष 1968-69 में प्रति 100 वर्ग कि० मी० क्षेत्र पीछे 7.4 आता है जबकि उत्तराखण्ड को छोड़कर राज्य का औसत घनत्व 10.3 था।

16--इस संभाग में पेयजल सुविधाओं का बराबर अभाव रहा है। 1970 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस संभाग के लगभग 12 प्रतिशत बसे हुए गांवों में या तो पेयजल सम्बन्धी सुविधाएं थीं ही नहीं या बहुत अपर्याप्त थीं।

17--राज्य सरकार इन पिछड़े हुए संभागों की अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए तब से ही प्रयास करती रही है जबसे सुनियोजित विकास का कार्य आरम्भ किया गया था। इन क्षेत्रों को जिनकी जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 46.7 प्रतिशत है, लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर तीसरी आयोजना तथा तीन वार्षिक आयोजनाओं के दौरान 391.40 करोड़ रु० व्यय किया गया था, जो सम्पूर्ण राज्य में किए गए व्यय का 52.5 प्रतिशत था। राज्य में एक पर्वतीय विकास परिषद् कार्य कर रही है, जिसे आठ पर्वतीय जिलों के लिए योजनायें बनाने तथा उनकी प्रगति की समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

तीन क्षेत्र विकास निगमों अर्थात् पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड, बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड और पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो संस्थागत वित्त को जुटायेंगे और सम्बद्ध संभागों में व्यावसायिक रूप से सक्षम प्रायोजनाओं को प्रारम्भ करेंगे। आशा है ये निगम इन क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में सहायक सिद्ध होंगी।

18—पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1964-65 में गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ और जौनपुर जिलों में एक त्वरित विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। बाद में बलिया और बस्ती भी सम्मिलित कर लिए गए। इस प्रकार ये सभी छः जिले राज्य के पूर्वी संभाग में आते हैं। भारत सरकार ने केवल एक वर्ष अर्थात् 1964-65 में 4 करोड़ रु० की अतिरिक्त सहायता दी थी। इसके बाद इन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता उपलब्ध नहीं की गई। फिर भी राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से जो भी सम्भव था किया और इन जिलों में विशेष रूप से प्राथमिकता सम्बन्धी कार्यक्रमों के संचालन के लिए धनराशियों की व्यवस्था की।

19—औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने राज्य के 36 जिलों को अधिसूचित किया है, जहां उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती वित्त उपलब्ध कराया जायगा। इन जिलों में से 21 जिले इन संभागों के हैं। राज्य के छः जिलों में पूंजी विनियोजन पर दस प्रतिशत की राज्य सहायता उपलब्ध है, इन में से पांच अर्थात् अल्मोड़ा, बस्ती, फैजाबाद, बलिया और झांसी पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं।

20—राज्य की चौथी योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पिछड़े हुए तथा अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों के बीच सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक अवस्थापना की असमानता को कम करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चौथी योजना के दौरान इन क्षेत्रों के लिए अनुपाततः अधिक परिव्ययों का प्राविधान किया गया है। 1973-74 की वार्षिक योजना में पूर्वी, पर्वतीय, और बुन्देलखण्ड सम्भागों के लिए परिव्यय क्रमशः 84.59 करोड़ रु०, 19.72 करोड़ रु० और 12.11 करोड़ रु० निर्धारित हैं। इस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों के लिए 116.42 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। विकास शीर्षकों द्वारा परिव्ययों का विभाजन नीचे दिया जाता है:—

(लाख रुपये में)

विकास शीर्षक	संभाग			
	पूर्वी	पर्वतीय	बुन्देलखण्ड	योग
1	2	3	4	5
1—कृषि कार्यक्रम	1545.61	379.20	257.58	2182.39
2—संवर्गी कार्यक्रम	185.95	186.82	35.48	408.25
3—सहकारिता तथा सामुदायिक विकास	218.84	45.37	40.64	304.85

(लाख रुपये में)

1	2	3	4	5
4—सिंचाई तथा विद्युत्	4,681.52	452.20	330.00	5,463.72
5—उद्योग एवं खनिकर्म	162.60	38.29	23.83	224.72
6—परिवहन तथा संचार साधन	501.30	470.68	228.14	1,200.12
7—समाज सेवाएं	1,144.48	397.68	294.99	1,837.15
8—विविध	19.08	1.43	0.02	20.53
योग ..	8,459.38	*1,971.67	1,210.63	11,641.73

टिप्पणी—(1) क्षेत्र (सेक्टर) के अनुसार परिव्ययों के ब्योरे और चुने गए वास्तविक लक्ष्य परिशिष्ट 1 और 2 में दिए गए हैं।

(2) पर्वतीय अनुभाग के परिव्यय वे परिव्यय हैं, जो विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें पर्वतीय विकास परिषद् की सिफारिशों के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं।

*इनमें 1,546.67 लाख रु० पांच पर्वतीय जिलों के लिए और 425.00 लाख रु० उत्तराखण्ड के लिए सम्मिलित हैं।

21—पिछड़े क्षेत्रों के लिए जो परिव्यय उपर्युक्त तालिका में दिखाए गए हैं उनमें उन योजनाओं के परिव्यय सम्मिलित नहीं हैं, जो बहुसंभागीय हैं और फलस्वरूप इनका संभागीय विभाजन संभव नहीं है। शोध, प्रशिक्षण, मुख्यालय के कर्मचारीवर्ग, उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं तथा अन्तरसम्भागीय तार-लाइनों इत्यादि से सम्बन्धित योजनायें इस श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं। इन योजनाओं से निश्चित रूप से पिछड़े क्षेत्रों को लाभ होगा।

22—उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम, लिमिटेड 29 मार्च, 1967 को स्थापित किया गया था। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में इसने पैकिंग केस बनाने के लिए हल्द्वानी (जिला नैनीताल) में एक कारखाना स्थापित किया है। यह विचार है कि इसकी निर्माण क्षमता का विस्तार किया जाय और भुवाली (जिला नैनीताल) में इससे बड़ा एक नया कारखाना स्थापित किया जाय। गोरखपुर में एक पशु-चारे का कारखाना भी स्थापित किए जाने का विचार है। नवाबगंज (इलाहाबाद) में एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण पहले ही हो चुका है। यह भी विचार है कि पर्वतीय संभाग में अल्मोड़ा और हल्द्वानी (जिला नैनीताल) में और पूर्वी संभाग में खलीलाबाद (बस्ती) में डिब्बा बन्दी (canning) और बोतलबन्दी (bottling) इकाइयां स्थापित की जायें।

बुन्देलखण्ड संभाग में झांसी में मसाला पीसने की एक निर्माण इकाई भी स्थापित की गई है। अचार और फलों इत्यादि से अन्य वस्तुएँ बनाने के लिए रामगढ़ (नैनीताल) में एक कारखाना चल रहा है। इसके अतिरिक्त, निगम ने प्रत्येक खण्ड (ब्लाक) में उर्वरकों की बिक्री के लिए व्यापारी नियुक्त किए हैं। इलाहाबाद, वाराणसी, मऊनाथभंजन (आजमगढ़), गोरखपुर, बलरामपुर (गोंडा), बस्ती, फैजाबाद और प्रतापगढ़ में जो सभी पूर्वी संभाग में हैं तथा पर्वतीय संभाग में रुद्रपुर और कुन्डा (नैनीताल) में तथा बुन्देलखण्ड में उरई और बांदा में ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपकरणों की मरम्मत के लिए कस्टम सर्विस केन्द्र भी स्थापित किए हैं।

23—वर्ष 1973-74 के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

1973-74 में पिछड़े क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम

पूर्वी संभाग—

24—पूर्वी संभाग की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषीय है, अतः यह आवश्यक है कि कृषि के विकास पर अधिक जोर दिया जाय। इस संभाग को लाभ पहुंचाने वाले कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिए 473.99 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 13.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक उपज वाली किस्मों के अन्तर्गत और 9.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अन्य उन्नत किस्मों के अन्तर्गत लाया जायगा। 3.93 लाख टन रासायनिक उर्वरक वितरित किए जाने का विचार है। 33.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण सम्बन्धी उपाय किए जायेंगे। इस संभाग में बार-बार भयंकर बाढ़ें आती रहती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि रबी और जायद की फसलों की ऋतुओं में फसल उत्पादन के तरीकों का विकास किया जाय जिससे खरीफ फसलों के दौरान हुई बाढ़ की हानि की अंशतः पूर्ति की जा सके। वाराणसी, बस्ती और गोरखपुर के जिलों में चावल के सघन क्षेत्रीय कृषि कार्यक्रम तथा गोंडा और फैजाबाद में गेहूं के "पैकेज" कार्यक्रम किए जा रहे हैं और ये 1973-74 में चलते रहेंगे। जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और आजमगढ़ के जिलों में कृषि सम्बन्धी उपकरणों की चार कर्मशालायें स्थापित की गई हैं जो कस्टम सर्विस केन्द्रों के रूप में कार्य करती हैं जहां ट्रैक्टर, पम्प सेट, थ्रेशर, और अन्य कृषि सम्बन्धी मशीनें किसानों को किराए पर उपलब्ध कराई जाती हैं। गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और फैजाबाद में औद्यानिक (हार्टीकल्चर) विकास का सघन कार्यक्रम चालू है जो 1973-74 में चलता रहेगा। गोरखपुर मंडल के समस्त जिलों में अनन्नास, केले और पपीते की खेती की प्रोन्नति की जायगी। सब्जी की खेती करने की एक विशेष योजना जो 1969-70 में इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, बस्ती, गोरखपुर और फैजाबाद में लागू की गई थी, 1973-74 के दौरान भी चलती रहेगी।

25—उन छोटे किसानों के लिए, जिनके पास 1 से 3 हेक्टेयर के बीच की जोतें हैं, 'लघु कृषक विकास अभिकरण' नामक एक विशेष स्कीम प्रतापगढ़ में 1970-71 में प्रारम्भ की गई थी, चलती रहेगी। 1973-74 के कार्यक्रमों में 156 पक्के कुओं, 882 निजी नलकूपों का निर्माण और 100 पम्प सेटों का लगाना सम्मिलित है। लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए छोटे किसानों को 25 प्रतिशत राज्य सहायता दी जायगी। 63 लाख रु० के ऋण दिए जायेंगे। छोटे किसानों की पूरक आय का एक प्रमुख साधन पशुपालन तथा कुक्कुट पालन है। सहायक व्यवसायों के विकास के लिए 46.00 लाख रु० के मध्यम कालिक ऋण उपलब्ध किए जायेंगे। 2,200 दुधारू पशुओं तथा 200 मुर्गियों आदि की खरीद के लिए धनराशि उपलब्ध की जायगी। 2,100 संग्रह भांडों (स्टोरेज बिन्स) के निर्माण के लिए मध्यम कालिक ऋणों के रूप में सहायता की व्यवस्था की जायगी।

26—एक हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषकों तथा मजदूरों की दशा में आर्थिक सुधार किये जाने के उद्देश्य से बलिया जिले में जो "उपान्त कृषक तथा कृषि मजदूर विकास अभिकरण" (MFAL) नामक योजना प्रारम्भ की गई थी, वह चलती रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य कार्यक्रम लघु सिंचाई, फसल पर ऋण देना, कस्टम सर्विस (सेवा केन्द्र) तथा दुग्ध व्यवसाय और कुक्कुट पालन जैसे सहायक व्यवसायों का विकास है । कृषि मजदूरों को रोजगार देने के लिये एक ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम भी चलता रहेगा।

27—भूमि कटाव की हानि को नियंत्रित करने के लिये इस संभाग में 5 प्रभागीय भूमि संरक्षण इकाइयां और 38 उप प्रभागीय इकाइयां हैं। 1973–74 के दौरान 0.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि संरक्षण उपाय किये जायेंगे, जिसमें 123.15 लाख रु० का परिव्यय निहित है ।

28—इस संभाग की कृषि संबंधी जोतें छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई हैं। चकबन्दी का कार्य पहले से ही चालू है, जिसके संबंध में 1973–74 के लिये 370 लाख रु० के परिव्यय को निर्धारित किया गया है । चकबन्दी के अधीन 3.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जायगा ।

29—कृषि उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस प्रयोजन के लिये राज्य के सिंचाई कार्यों के हेतु 1973–74 के लिये 21.38 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जिससे 1.80 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। सुनिश्चित सिंचाई को और प्रोत्साहन देने के लिये निजी लघु सिंचाई निर्माण कार्यों पर जोर दिया जायगा, जिसके लिये 1973–74 में 2.65 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। लक्ष्य इस प्रकार हैं–10,500 पक्के कुओं का निर्माण, 26,000 कुओं की बोरिंग करना, 8,000 पम्प सेटों का अधिष्ठापन और 16,000 निजी नलकूपों का लगाया जाना। निजी लघु सिंचाई कार्यों द्वारा 1.71 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायगा। इस प्रकार 3.51 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचन क्षमता समस्त सिंचाई कार्यों द्वारा सृजित की जायगी।

30—सहकारिता आन्दोलन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से आर्थिक रूप से सक्षम (viable) 281 समितियां संगठित की जायेंगी जिनके सदस्यों की संख्या 1.81 लाख होगी। 25.30 करोड़ रु०, 1.83 करोड़ रु० और 10.68 करोड़ रु० के क्रमशः अल्प, मध्यम और दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जायेंगे। छः प्राथमिक क्रय-विक्रय समितियां और 75 ग्रामीण गोदामों की स्थापना की जायगी।

31—इस संभाग में हर वर्ष व्यापक रूप से बाढ़ें आती हैं, जिससे फसलों, संपत्ति, जन-जीवन तथा पशुओं आदि को काफी हानि होती है । इससे सामान्य जीवन के छिन्न-भिन्न होने के अलावा राज्य पर पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक भार पड़ता है। बाढ़ की रोक और नियंत्रित के लिये 1973–74 के दौरान 0.35 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

32—1973–74 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिये विद्युत् से सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से 31.90 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है जिसमें से 4.50 करोड़ रु० ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये होगा। इस वर्ष के दौरान ओबरा थर्मल प्रसार प्रक्रम दो की दूसरी और तीसरी इकाइयों के चालू हो जाने से इस संभाग में विद्युत् का पर्याप्त विकास

हो जायगा। राज्य की विद्युत् उत्पादन परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध हो जाने पर ओबरा थर्मल प्रसार प्रथम तीन पर (2×200 मेगावाट) और गोरखपुर थर्मल पर (2×200 मेगावाट) प्राथमिक कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। विद्युत् की कमी को पूरा करने के लिये यह विचार किया गया है कि 220 किलोवोल्ट की एस० सी० मुगलसराय–डेहरी (बिहार) लाइन का निर्माण किया जाय और 132 किलोवोल्ट की रिहन्द––मोखान––अमरकंटक (मध्य प्रदेश) लाइन के द्वितीय सर्किट में तार लगाया जाय, जिससे मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में विद्युत् का आयात किया जा सके।

33––सम्बद्ध उप विद्युत् केन्द्रों के साथ साथ 400 किलोवोल्ट की प्रथम ओबरा (थर्मल) सुल्तानपुर लाइन पर कार्य चलता रहेगा। 220 किलोवोल्ट सुल्तानपुर––गोरखपुर लाइन और अन्य दस 132 किलोवोल्ट की पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइनों और सम्बद्ध उप केन्द्रों पर भी कार्य चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त 33 कि० वो० की सेकंड्री ट्रांसमिशन लाइनों और सम्बद्ध सब-स्टेशनों के लगभग 500 सी० के० टी० कि० मी० में भी निर्माण कार्य चलता रहेगा। 1,500 नये गांवों का और 14,900 निजी नलकूपों तथा पम्पसेटों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है।

34––1973–74 में ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास के लिये 1.63 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। परिव्यय का वर्गवार विभाजन नीचे दिया गया है––

वर्ग	(लाख रु० में)
(1) हथकर्घा	19.87
(2) लघु उद्योग	135.70
(3) औद्योगिक आस्थान	0.66
(4) हस्त शिल्प	4.97
(5) रेशम उत्पादन	1.40
योग ..	162.60

35––1973–74 के दौरान हथकर्घा योजना के लिये 19.87 लाख रु० की धनराशि रखी गयी है। लघु उद्योगों के और अधिक विकास के लिये क्रमशः 40.23 लाख रु० और 6.00 लाख रु० के ऋण तथा विद्युत् संबंधी राज–सहायता की धनराशि वितरित की जायगी और किराया खरीद के आधार पर मशीनें प्राप्त करने के लिये 54 लाख रु० उपलब्ध किये जायेंगे। अभिवृद्धि करने के इन उपायों के परिणाम स्वरूप 1973–74 के दौरान 804 नयी औद्योगिक इकाइयों के स्थापित हो जाने की आशा है।

36––इस संभाग के 11 जिलों–आजमगढ़, बहराइच, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती और देवरिया–को औद्योगिक विकास के लिये वित्तीय संस्थानों के माध्यम से रियायती दर पर धन उपलब्ध किया जायगा। इसके अतिरिक्त बलिया, बस्ती और फैजाबाद जिलों को पूरा अनुदान और राज–सहायता दी जायगी। भारत सरकार

इन जिलों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने में सहायता देगी। यह सहायता निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में जहां ऐसी पूंजी लागत अलग-अलग मामलों में 55 लाख रु० से अधिक न हो परियोजनाओं की कुल नियत पूंजी विनियोग का दसवां भाग होगी।

37—वर्ष 1973-74 के दौरान अपेक्षाकृत अच्छी संचार संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये 157 कि०मी० नई सड़कों का निर्माण किया जायगा और 83 कि० मी० वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण तथा सुधार किया जायगा। ग्यारह अतिरिक्त पुलों का निर्माण किया जायगा। 1973-74 के दौरान 5 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

38—1973-74 में सामान्य शिक्षा के लिये निर्धारित परिव्यय 5.14 करोड़ रु० है। 21 जूनियर बेसिक स्कूल खोलने, 330 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करने तथा 15 स्कूल के भवनों का सुधार करने और 25 नये भवनों का निर्माण करने के हेतु अनुदान देने का विचार है। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और अधिक सुविधायें देने के लिये 4 क्रमागत कक्षायें खोली जायंगी। 30 स्कूल दाइयों की नियुक्ति की जायगी और 33 सैनीटरी ब्लाकों के निर्माण के लिये अनुदान दिये जायेंगे। 25 सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे और 148 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे। सामान्य विज्ञान के पढ़ाने तथा पुस्तकालयों और भवनों इत्यादि के लिये अनावर्तक अनुदान दिये जायेंगे। चुने हुये सीनियर बेसिक स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान सूची में रखा जायगा। विभिन्न सुविधाओं में प्रसार के फलस्वरूप कक्षा 1 से 5 और 6-8 में भरती की संख्या में निम्न प्रकार से वृद्धि की जायगी—

कक्षायें	भरती संख्या (लाख में)	
	1972-73	1973-74
1-5	46.53	47.62
6-8	7.40	7.50

39—वर्ष 1973-74 में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के अधीन 2.54 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। चिकित्सा क्षेत्र के अधीन, 1973-74 के कार्यक्रमों की मुख्य बातों में मेडिकल कालेज, इलाहाबाद का प्रसार, 58 औषधालयों की स्थापना, 432 अतिरिक्त शय्याओं का प्रबन्ध तथा इलाहाबाद में फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु महिला प्रशिक्षार्थियों के लिये चिकित्सालय भवन का निर्माण करना सम्मिलित है।

40—इस संभाग के 15 जिलों में से 5 जिले अर्थात् इलाहाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी सामान्यरूप से सूखे से प्रभावित रहते हैं। 5636 गांवों में जिनके अन्तर्गत इन 5 जिलों की 31.46 लाख जनसंख्या आती है में पेय जल की बराबर बड़ी कमी रहती है। शेष 10 जिलों में, 5602 गांवों में जिनकी जनसंख्या 44.74 लाख है, पेयजल की कमी रहती है। संसाधनों की कमी के कारण 1973-74 के दौरान पेय जल संबन्धी कार्यक्रमों के लिए 103.08 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की जा सकी है जिनके अधीन 0.60 लाख की जनसंख्या के 135 गांवों की पेय जल की व्यवस्था की जा सकेगी।

41—गांवों के श्रमिकों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने तथा पूंजी परिसम्पत्ति सृजित करने के उद्देश्य से कुछ ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के

लिये 1973-74 के दौरान 19 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । 200 कि० मी० छोटी ग्रामीण सड़कों के निर्माण कराने का लक्ष्य हैं ।

42--इस संभाग के आर्थिक विकास के लिये उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 2 करोड़ रु० की प्राधिकृत पूंजी से की गयी है । 1973-74 में इस निगम द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं--

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अतिरिक्त ईंट के भट्टों की स्थापना ।

(2) तीन अतिरिक्त खण्डसारी निर्माण इकाइयों की स्थापना ।

(3) चमड़े के सामानों के लिए लघु निर्माण इकाई की स्थापना ।

(4) मिर्जापुर और वाराणसी जिलों में पत्थर की गिट्टी (Stone ballast) तैयार करना ।

बुन्देलखंड संभाग

43--बुन्देलखंड की कृषि संबंधी समस्याओं की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं । उक्त सम्भाग में भूमि का काफी कटान होता है और यहां सिंचाई सुविधाओं की कमी है । सिंचाई की सुविधाओं के न होने के कारण बहुत से क्षेत्र में खेती नहीं हो पाती । बुन्देलखंड में बहुफसलें पैदा करने का तरीका बहुत ही कम प्रचलित है यहां तक कि बोये गये शुद्ध क्षेत्र के दसवें भाग में भी दोहरी फसल पैदा नहीं की जाती है । इन बातों को ध्यान में रखते हुये 1973-74 के लिये कार्यक्रम बनाये गये हैं । इस सम्भाग में कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिये 76.74 लाख रु० का परिव्यय किया गया है । उत्पादन में वृद्धि करने के लिये लगभग 1.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को अधिक उत्पादन वाली किस्मों तथा 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को अधिक उन्नत किस्मों की फसलों के अन्तर्गत लाया जायगा । लगभग 15,000 टन उर्वरकों का वितरण किया जायगा तथा 8.10 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में पौध संरक्षण उपाय आरम्भ किये जायेंगे । 1973-74 के दौरान बुन्देलखंड में नींबू की खेती को और अधिक विकसित करने का प्रस्ताव है । झांसी जिले में चालू की गयी (1) औद्यानिक विकास तथा (2) सब्जियों की खेती की दो विशेष परियोजनायें वर्ष 1973-74 में चालू रहेंगी ।

44--वर्ष 1970-71 में झांसी जिले में जो शुष्क खेती करने की एक विशेष परियोजना चालू की गयी थी वह जारी रहेगी । इस कार्यक्रम के लिये 1973-74 के दौरान 14.34 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है तथा 2,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में शुष्क खेती के विभिन्न तरीके अपनाये जायेंगे । इस कार्य में भूमि तथा जल संरक्षण उपाय और भूमि विकास का कार्य सम्मिलित होगा ।

45--इस संभाग के भूमि का काफी कटाव हो जाने से हानि होती है । भूमि कटाव की रोकथाम के लिये 20 उप-प्रभागीय इकाइयां तथा २ प्रभागीय इकाइयां पहले से ही इन जिलों में कार्य कर रही हैं । कन्दराओं को खेती योग्य बनाने की एक योजना भी झांसी तथा हमीरपुर जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जिसमें उपान्तीय भूमि (पेरीफेरल लैण्ड्स) का खेती के लिये स्थिरीकरण किया जा रहा है और गहरी कन्दराओं में वन विभाग द्वारा वन लगाये जा रहे हैं । बांदा जिले के चिरकाल से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की उप-प्रभागीय इकाइयां सघन जल संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर रही हैं जिसमें जल संचय की समुचित प्रणालियों के लिये की गयी व्यवस्था भी सम्मिलित है । लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को भूमि संरक्षण उपायों के अधीन लाने के लिये 1973-74 के दौरान 63.72 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है ।

46—सिंचाई की और अधिक मात्रा में सुविधायें प्रदान करने क हेतु राज्य लघु सिंचाई कार्यों के लिये 96.30 लाख रुपये तथा निजी लघु सिंचाई कार्यों के लिये 60.00 लाख रु० का परिव्यय रखा गया ह । ये कार्य लगभग 0.49 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करेंगे । अगूसी पम्प कैनाल को 1973–74 क दौरान चालू कर देने का प्रस्ताव है । निजी लघु सिंचाई कार्यों के अधीन लक्ष्य इस प्रकार है—3,600 पक्के कुओं का निर्माण, 985 कुओं की बोरिंग करना, 2,125 पम्प सेटों तथा 150 निजी नलकूपों का लगाना । बन्धियों का निर्माण इस सम्भाग के सिंचाई कार्यक्रमों की एक मुख्य विशेषता है । 21,833 हेक्टेयर क्षेत्र के लाभ के लिये बन्धियों का निर्माण होगा ।

47—ऋण तथा अन्य सेवा-सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 18 जीवनक्षम सहकारी समितियां जिनकी सदस्य संख्या 0.13 लाख होगी, संगठित की जायेगी । अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक ऋणों के रूप में क्रमश: 6.20 करोड़ रुपये, 0.18 करोड़ रुपये तथा 1.30 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की जायगी । 18 ग्रामीण गोदाम तथा दो प्रारम्भिक क्रय-विक्रय समितियों की भी स्थापना की जायगी ।

48—इस सम्भाग के लाभ हेतु विद्युत् विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये 1973–74 के दौरान 272 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है । 1973–74 के दौरान कर्वी–बांदा एस० सी० लाइनों तथा सम्बद्ध सब-स्टेशनों पर कार्य चालू रहेगा । 37.5/33 के० वी० सेकेन्ड्री ट्रान्समिशन लाइनों तथा संबद्ध सब–स्टेशनों के लगभग 200 कि मी० में भी निर्माण कार्य चालू रहेगा । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 440 मेगावाट की क्षमता वाले एक बड़े थर्मल स्टेशन की स्थापना का भी प्रस्ताव है । इसके संबंध में 1973–74 में कार्यवाही की जायगी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके उपयोगी होने की आशा की जाती है । ग्रामीण विद्युतीकरण के अधीन 160 नये गांवों तथा 400 निजी नलकूपों/पम्पसेटों को ऊर्जित किया जायगा ।

49—1973–74 के दौरान ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिये 23.83 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है । परिव्यय का वर्गवार विभाजन नीचे दिया गया है :—

वर्ग	(लाख रु० में)
(1) हथकर्घा	4.44
(2) लघु उद्योग	17.50
(3) हस्तशिल्प	0.36
(4) रेशम उत्पादन	1.53
योग ..	23.83

1973–74 के लिये हथकर्घा प्रायोजना के लिये 4.44 लाख रु० की धनराशि प्रस्तावित है । लघु उद्योगों के विकास के लिये 6.00 लाख रु० ऋण के रूप में तथा 1 लाख रुपये की विद्युत् संबंधी राज सहायता के रूप में वितरित किये जायेंगे । 8.00 लाख रु० किराया खरीद के आधार पर मशीनें क्रय करने के लिये अग्रिम के रूप में दिये जायेंगे ।

50—औद्योगिक विकास की प्रोन्नति हेतु भारत सरकार ने इस सम्भाग के चारों जिलों को चुना है और उद्यमकर्ताओं के लिये रियायती दर पर वित्तीय साधन उपलब्ध किये जायेंगे। झांसी जिले को तत्क्षण अनुदान तथा राज सहायता देने के लिये चुना गया है और इस संबंध में भारत सरकार इस जिले में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के नियत पूंजी विनियोजन पर 10 प्रतिशत की राज सहायता देगी।

51—1973–74 के दौरान सड़क विकास कार्यक्रम के लिये 225 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है। 80 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण तथा 76 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण और सुधार का प्रस्ताव है। एक नये पुल का भी निर्माण किया जायगा।

52—1973–74 में सामान्य शिक्षा के लिये 77.35 लाख रु० का परिव्यय है। विचार यह है कि 4 जूनियर बेसिक स्कूल खोले जायं, 100 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये जायं और 4 भवनों के सुधार के लिये अनुदान दिये जायें तथा 4 नये भवनों का निर्माण किया जाय। लड़कियों की शिक्षा के लिये और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के हेतु दो अनुवर्ती (कन्टीनुएशन) कक्षायें खोली जायंगी, 10 स्कूल दाइयां नियुक्त की जायगी तथा सात सेनेटरी ब्लाकों के निर्माण के लिये अनुदान दिया जायगा। सात सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायंगे और 28 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये जायंगे। सामान्य विज्ञान की पढ़ाई तथा पुस्तकालयों में पुस्तकों आदि की व्यवस्था करने के लिये अनावर्तक अनुदान दिये जायेंगे। चुने हुए सीनियर बेसिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लाया जायगा। भवन, सज्जा, पुस्तकालयों और विज्ञान की प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिये अनावर्तक अनुदान दिये जायेंगे। विभिन्न सुविधाओं के प्रसार के फलस्वरूप 1 से 5 तक की और 6 से 8 तक की कक्षाओं में भर्ती की संख्या निम्नलिखित प्रकार से बढ़ जायगी:—

कक्षा			भर्ती (लाखों में) 1972–73	1973–74
1–5	..	..	5.34	5.42
6–8	..	..	1.05	1.13

53—1973–74 के दौरान चिकित्सा सम्बन्धी अवेक्षा पर निर्धारित परिव्यय 107.56 लाख रु० है। चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने की दृष्टि से 19 औषधालय और 73 शय्याओं की व्यवस्था करने का विचार है। झांसी के मेडिकल कालेज का और प्रसार करने के लिये धनराशि भी सम्मिलित की गई है।

54—स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 1964–65 में बुन्देलखण्ड में 2,710 गांव, जिनकी कुल जनसंख्या 18.94 लाख थी, पेय जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे थे। 1973–74 में 81 गावों के लिये, जिनकी जनसंख्या 0.52 लाख है, पेय जल की सुविधायें प्राप्त हो जाने की आशा है और इसके लिये 73.52 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है।

55—अधिक आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1971 में की गयी जिसका लक्ष्य पूरे संभाग में बहुत सी औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयां स्थापित करने का है। निगम के कार्यक्रम के अनुसार जो कार्य पहले से ही प्रारम्भ कर दिया गया है और 1973–74 में जिन्हें करने का प्रस्ताव किया गया है, निम्न प्रकार से हैं:—

(1) पत्थर की गिट्टी (stone ballast) तैयार करने के लिये पांच इकाइयाँ स्थापित की गयी हैं;

(2) उपभोक्ता बाजारों की सम्पूर्ति हेतु उपलब्ध भण्डारों (डिपाजिट) से मोरंम बालू का निकाला जाना;

(3) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के सहयोग से कंकरीट के खम्भे बनाने वाली इकाई की स्थापना । यह इकाई प्रति वर्ष लगभग 10,000 खम्भों का निर्माण करेगी;

(4) चालू वर्ष में जिला जालौन और हमीरपुर में एक एक खांडसारी चीनी बनाने वाली इकाइयों की स्थापना;

(5) जिला जालौन में वित्तीय वर्ष के दौरान चावल कूटने वाली एक मिल की स्थापना की जा रही है ;

(6) चालू वर्ष मे पांच ईंट के भट्ठे स्थापित किए जा रहे हैं ;

पर्वतीय सम्भाग (उत्तराखंड को छोड़कर)

56--फलोद्यान विकास कार्यक्रमों के लिए 1973-74 के दौरान इस सम्भाग के लाभार्थ 43.65 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है । फलोद्यानों के अन्तर्गत विभिन्न मदों के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए 3,700 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फलोद्यान के अन्तर्गत, 360 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सब्जियों की खेती के अन्तर्गत, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पौध संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत लाने, 2,400 हेक्टेयर क्षेत्र को पुराने फलोद्यानों के नवीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है तथा 5 फलोद्यान एवं पौधशालाओं की स्थापना करने का लक्ष्य है । 1973-74 के दौरान टेहरी गढ़वाल में एक पौध रक्षा इकाई स्थापित किए जाने का विचार है । फल अंचलों तथा उद्यान उपनिवेशों को स्थापना करने की योजना 1973-74 में भी चालू रहेगी । फलोद्यान विकास आदि के लिए अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी और टेहरी-गढ़वाल, चार पर्वतीय जिलों में, कृषि पुनर्वित्त निगम के माध्यम से ऋण देन की योजना का कार्य प्रगति पर है । इस योजना के अन्तर्गत 1973-74 के दौरान 600 हेक्टेयर क्षेत्र को सेब पौधरोपण के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है ।

57--फलोद्यान कार्यक्रमों के लिए स्थलों के चुनाव, फल के पौधों की सप्लाई, अभिन्यास (ले-आउट), पेड़ों की काट-छांट, कलम चढ़ाने, पौध सुरक्षा सम्बन्धी उपाय इत्यादि के सम्बन्ध में प्राविधिक सहायता देने के हेतु प्रत्येक विकास खंड में फलोद्यान तथा पौध सुरक्षा चल दलों की सेवायें उपलब्ध हैं । फल, पौधों और सब्जी की ढुलाई में होने वाले भारी खर्च को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1973-74 के दौरान इसके लिए बराबर राज सहायता दी जाती रहेगी । वर्ष 1973-74 में गढ़वाल मण्डल में वेयर हाउसेज और श्रेणीकरण केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव है जहाँ पर क्रय-विक्रय प्रयोजनों के लिए फलों का संग्रह और उनका श्रेणीकरण किया जायगा । इन भांडारगारों में नाशि कीट और कीटनाशक दवाओं तथा उर्वरक इत्यादि का संग्रह जिससे कि पौध सुरक्षा किया जायगा सम्बन्धी त्वरित सेवाएं स्थानीय उत्पादकों को सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सकें । उत्पादकों की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जायगा । पर्वतीय विकास निगम पर्वतीय फलों के क्रय-विक्रय के लिए कार्यवाही कर रहा है ।

58--फल उपयोग निदेशालय द्वारा दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जो कि पूर्णतया भारतीय कृषि शोध परिषद् (आई० सी० ए० आर०) द्वारा वित्तपोषित की जाती हैं। इन दोनों योजनाओं पर परिव्यय 0.73 लाख रु० होगा। राज्य के सात पर्वतीय जिलों में केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के रूप में निर्यात प्रयोजन के लिए अखरोट के उत्पादन की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 0.61 लाख रु० के 600 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव है।

59--कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 0.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत और 0.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को अन्य उन्नत किस्मों के अन्तर्गत लाया जायेगा। लगभग 25,000 टन रासायनिक उर्वरक का वितरण किया जायेगा। रेलवे स्टेशन से वितरण केन्द्र तक उर्वरक पर होने वाले ढुलाई के खर्च के वास्ते राज सहायता दी जायेगी। 2.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर पौध सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को आरम्भ किया जायेगा। 1973-74 में पर्वतीय क्षेत्र में एक भूमि उपयोग सर्वेक्षण योजना को चालू करने का विचार है।

60--जर्मन गणतन्त्र संघ की सहायता से अल्मोड़ा में 1969 से एक बहुमुखी प्रायोजना चालू की गयी है। इस प्रायोजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अधिक उपज वाली तथा अन्य उन्नत किस्मों के कार्यक्रमों को चुने हुए क्षेत्रों में आरम्भ करना है। लगभग 17,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिक उपज की किस्मों के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। लगभग 1,000 टन उर्वरकों का वितरण किया जायेगा और 40,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

61--पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में भूमि-संरक्षण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तदनुसार इस क्षेत्र में 13 उप-प्रभागीय इकाइयां (सब-डिवीजनल यूनिट्स) कार्य कर रही हैं। भूमि-संरक्षण सम्बन्धी उपायों के अन्तर्गत 1973-74 के दौरान 0.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जायेगा।

62--पर्वतीय क्षेत्रों में वन विकास के सम्भाव्य संसाधन काफी हैं। यह प्रस्ताव है कि 3,325 हेक्टेयर क्षेत्र में आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व के वृक्ष लगाये जायं। 4,180 हेक्टेयर क्षेत्र में शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों के वृक्षों का रोपण किया जायेगा। वन क्षेत्रों में संचार सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने के लिए 49 किमी० नयी सड़कों का निर्माण किया जायेगा और 93 किमी० लम्बी वर्तमान सड़कों का नवीकरण किया जायेगा। टेलीफोन की लाइनों का विस्तार किया जायेगा।

63--सहकारिता आन्दोलन में तेजी लाने के लिए 0.11 लाख सदस्यों की 27 सक्षम सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा। 2.23 करोड़ रु०, 0.40 करोड़ रु० और 0.30 करोड़ रुपए की धनराशियां क्रमशः अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक ऋणों के रूप में दी जायेंगी। 25 ग्रामीण गोदाम तथा तीन प्राथमिक क्रय-विक्रय समितियां भी स्थापित की जायेंगी।

64--विद्युत् विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए इस क्षेत्र के लाभार्थ 3.66 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। 132 कि0 वोल्ट भुआली-अल्मोड़ा एस० सी० लाईन और सहयुक्त सब-स्टेशनों पर कार्य जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त 325 किमी० लम्बी 37.5/33 किलो वोल्ट लाइनों पर कार्य जारी रहेगा और लगभग 11 कि० वोल्ट की 400 कि मी० लम्बी लाइनों पर कार्य पूरा हो जावेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अधीन 150 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा तथा 425 नलकूपों/पम्प सेटों को ऊर्जित (energised) किया जायेगा।

65—ग्रामीण तथा लघु-उद्योग के विकास के लिए 1973–74 के दौरान 27.69 लाख रु० की धनराशि सम्मिलित की गई है । परिव्यय का वर्गवार विभाजन नीचे दिया गया है—

वर्ग	(लाख रुपये में)
(1) हथकरघा ..	1.33
(2) लघु उद्योग ..	11.07
(3) हस्त शिल्प ..	3.49
(4) रेशम उत्पादन	11.80
योग ..	27.69

66—हथकरघा योजना के लिए 1.33 लाख रुपये की धनराशि वर्ष 1973–74 के लिए निश्चित कर दी गयी है । लघु उद्योगों के विकास के लिए मशीनों को किराया-खरीद के आधार पर प्राप्त करने के हेतु 4.00 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी । 5.00 लाख रु० तथा 1 लाख रु० के क्रमशः ऋण तथा विद्युत् अनुदान वितरित किए जायेंगे । उद्योग के विकास के लिए विभिन्न प्रोन्नत उपायों के फलस्वरूप 100 लघु स्तरीय इकाइयाँ स्थापित किए जाने की आशा है । रेशम उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम के अधीन 1973–74 में 120 कलमें (स्पैलिंग), 70,000 डी० एल० एफ० और 2.4 टन कोकून का उत्पादन किया जायेगा ।

67—इस सम्भाग में औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार ने अल्मोड़ा, पौड़ी-गढ़वाल तथा टेहरी गढ़वाल जिलों का चयन किया है जहां वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से रियायती दरों पर वित्त की व्यवस्था की जायेगी । इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा जिले में औद्योगिक विनियोग के संबंध में 10 प्रतिशत राज सहायता उपलब्ध होती रहेगी ।

68—इस संभाग में संचार-साधनों के लिये सड़कों का निर्माण बहुत जरूरी है अतः संचार सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस सम्भाग में 60 कि०मी० लम्बी नयी सड़कों का निर्माण किया जायेगा तथा 45 कि० मी० लम्बी सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार-कार्य चालू किया जायेगा । चार पुलों का निर्माण भी आरम्भ किया जायेगा ।

69—अधिक अच्छी शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने हेतु 14 जूनियर बेसिक स्कूल खोलने तथा 40 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी । पांच भवनों का सुधार करने तथा पांच भवनों का निर्माण करने हेतु अनुदान दिए जायगे । चार अनुवर्ती (कन्टीन्यूएशन) कक्षाएं खोली जायेंगी तथा बालिकाओं के स्कूलों में 10 स्कूल मदर्स नियुक्त की जायेंगी । नौ सेटरी ब्लाकों के निर्माण हेतु अनुदान दिया जायगा । यह आशा की जाती है कि 1–5 तक की कक्षाओं में भर्ती होने वालों की संख्या वर्ष 1972–73 की 4.26 लाख से बढ़कर 1973–74 में 4.33 लाख तक हो जायगी । दस सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायगे तथा 23 अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे । यह अनुमान है कि 6–8 तक की कक्षाओं में भर्ती होने वालों की संख्या 1972–73 की 1.07 लाख से बढ़कर 1973-74 में 1.14 लाख हो जायगी । चुने हुए सीनियर बेसिक स्कूलों तथ उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को सहायक- अनुदान की सूची में लाया जायगा । उपयुक्त स्कूलों को विज्ञान की शिक्षा देने, भवनों का निर्माण करने, सज्जा तथा पुस्तकालय आदि के लिए अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे ।

70—अपेक्षाकृत अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु 24.13 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है । 16 औषधालयों की स्थापना करने तथा 69 शय्याओं की

व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है। क्षय रोग नियंत्रित करने हेतु निधियां प्रस्तावित की गई हैं, जिसमें अल्मोड़ा में 50 शय्याओं वाला टी० बी० चिकित्सालय तथा जिला नैनीताल में भुवाली में छाती की शल्य-चिकित्सा (थोरेजिक सर्जरी) इकाई का निर्माण सम्मिलित है। पटवाडांगर जिला नैनीताल के राज्य वेक्सीन संस्थान का विस्तार भी रखा गया है।

71---1964-65 में स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि इस संभाग के 3,599 गांवों में पीने का पानी या तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं है या जहां उपलब्ध भी है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से पीने योग्य नहीं है। वर्ष 1973-74 के दौरान 195 गांवों को इसके अंतर्गत लाने का विचार है, जिससे 0.70 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी।

72---पर्यटक यातायात (टूरिस्ट ट्रैफिक) इस संभाग की पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था को सुधारने में लाभदायक सिद्ध होता है। इन पांच पर्वतीय जिलों के लिए 8.68 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। इसमें से 4.50 लाख रुपये की धनराशि पर्यटक बंगला पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग में यात्री शेडों के विस्तार, पर्यटक मार्गस्थ शिविर नैनीताल; पर्यटक बंगला, मंसूरी. पर्यटक बंगला, ऋषिकेश तथा पर्यटक बंगला, अल्मोड़ा के निर्माण तथा विस्तार पर व्यय करने के लिए प्रस्तावित है। शेष परिव्यय, अधिष्ठान, प्रख्यापन किए गए दौरों, उत्सवों के संगठन आदि पर व्यय किए जाने के लिए है।

73---पर्वतीय जिलों के लिए कृषि उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक कार्यकलापों को प्रारम्भ करने हेतु, एक विकास निगम, अर्थात् पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गयी है। चालू वर्ष से यह अपना फलों के क्रय-विक्रय कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है। कुछ योजनायें, जो चालू वर्ष तथा 1973-74 के दौरान हाथ में ली जानी हैं, पहले से ही निगम के विचाराधीन हैं। वे हैं---(i) साइडर प्लान्ट की स्थापना, (ii) रौजिन टेपिन्ग फैक्ट्री, (iii) 50 मन की शक्ति वाले शीत भंडारों की स्थापना, (iv) पैकिंग केस यूनिट की स्थापना तथा (v) 20 फल-संग्रह केन्द्रों की स्थापना।

74---इन तीन सन्निहित संभागों, जो पिछड़े माने गए हैं, के अतिरिक्त बहुत से अन्य जिलों में भी सड़कों, सिंचाई तथा विद्युत् सुविधाओं के बारे में अवस्थापना संबंधी सुविधाएं राज्य औसत की तुलना में अपर्याप्त हैं। जैसा कि 1972-73 की योजना में है, 1973-74 की वार्षिक योजना में भी इन जिलों में सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने हेतु 12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था है। 12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय में से 4 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये तथा 6 करोड़ रुपये-क्रमशः सड़कों, सिंचाई तथा विद्युत् क्षेत्रों के लिए पृथक् रक्षित है। तीनों पिछड़े संभाग अर्थात् पूर्वी, पर्वतीय तथा बुन्देलखंड उपर्युक्त अतिरिक्त परिव्यय का आबंटन किए जाने से भी लाभान्वित होंगे। यह आशा की जाती है कि यह कार्यवाही अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में अन्तजिला असमानताएं कम करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

उत्तराखंड---

75---चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों (1969-72) के दौरान उत्तराखंड के विकास कार्यक्रमों पर 12.12 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। यह उत्तराखंड की सम्पूर्ण चौथी योजना के लिए रखे गए 20.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का लगभग 61 प्रतिशत होता है। वर्ष 1972-73 के लिए प्रत्याशित व्यय 4.21 करोड़ रुपये है। 1973-74 की वार्षिक योजना में 4.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसमें 3.19 करोड़ रुपए की पूंजी घटक भी सम्मिलित है। परिव्यय का क्षेत्रवार विभाजन परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

1973–74 के विकास कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

कृषि—वर्ष 1973–74 में इस क्षेत्र के लिए 5.15 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। 20,400 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिक उत्पादन किस्मों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाया जायगा तथा 480 हेक्टेयर का क्षेत्र सोयाबीन कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जायगा। आलू विकास योजना के अन्तर्गत 60 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू के उन्नत बीजों को बोया जायगा, जिसके परिणामस्वरूप 900 क्विंटल की अतिरिक्त उपज होगी।

बागवानी तथा फलोपयोग योजनाओं के अन्तर्गत 14.16 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। वर्ष 1973–74 के लिए 1,500 किलोग्राम सब्जियों के बीजों तथा 3,33,000 फलों के पौधों को बांटने का लक्ष्य है। 4,300 किलोग्राम सब्जी के बीजों "बिना हानि तथा बिना लाभ के आधार" पर बांटा जायेगा। 345 हेक्टेयर क्षेत्र में फल पट्टियां (फ्रूटबेल्ट्स) तथा बागों के उपनिवेशों को स्थापित किया जायगा तथा 320 हेक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्यवाही की जायेगी। बागवानी कार्यक्रम के अन्तर्गत 70 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायगा। पूर्व वर्षों की भांति वर्ष 1973–74 में भी फल–पट्टियों (फ्रूट बैल्ट्स) तथा उद्यान उपनिवेशों (गार्डन कालोनीज) के लिए दीर्घावधि ऋण की व्यवस्था की जाती रहेगी।

लघु सिंचाई—लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों के लिए 18.24 लाख रुपये की धनराशि का आबंटन किया गया है, जिसमें 2.00 लाख रुपये की धनराशि कृषकों को पम्पिंग सेट लगाने हेतु ऋण देने के लिए सम्मिलित है। चूंकि उत्तराखंड में वृहत् सिंचाई योजनाओं के लिए कोई संभावना नहीं है इसलिए सिंचाई छोटी नालियों तथा तालाबों के माध्यम से की जाती है। ये छोटी योजनाएं जिला मैजिस्ट्रेट के नियंत्रण में ब्लाक एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। यह आशा है कि वर्ष 1973–74 के दौरान लगभग 300 हेक्टेयर क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचन क्षमता सृजित हो जायगी।

भूमि-संरक्षण—9.50 लाख रुपये की धनराशि इस क्षेत्र के लिए पृथक् रक्षित की गयी है। 1973–74 के दौरान 900 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य किया जायगा।

पशु-पालन—वर्ष 1973–74 की वार्षिक योजना में इस क्षेत्र के लिए 7.79 लाख रुपये की धनराशि नियत की गयी है। इस वर्ष के वास्तविक कार्यक्रमों में तीन सांड प्रसार केन्द्रों की स्थापना, 34 हेक्टेयर के क्षेत्र में उन्नत बीजों का वितरण तथा कुक्कुट केन्द्रों में 500 चूजों का पालन सम्मिलित हैं। उन्नत नस्ल के पशुओं तथा भेड़ों के क्रय हेतु 1.30 लाख रुपये के ऋण की भी व्यवस्था की गयी है। लगभग 210 स्थानीय व्यक्तियों को कुक्कुट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जायगा। इस वर्ष उत्तरकाशी में एक मत्स्य फार्म की स्थापना के लिए भी व्यवस्था है।

वन—वर्ष 1973–74 के लिए इस क्षेत्र का परिव्यय 47.70 लाख रुपये है जिसमें से 22.45 लाख रुपये, वन, सड़कों तथा भवनों के लिए नियत हैं। वर्ष के दौरान 22,000 कुन्तल ओलियो रेजिन लीसा (तेलीय राल) निकाला जायगा तथा 400 हेक्टेयर क्षेत्र में आर्थिक महत्व के वृक्षों की प्रजातियों का रोपण किया जायगा। इसके अतिरिक्त 90 किलो मीटर लम्बी नई वन सड़कों के निर्माण, 218 किलोमीटर लम्ब पुरानी वन सड़कों के नवीनीकरण तथा 19 किलोमीटर क्षेत्र में टेलीफोन लाइनें बिछाने का लक्ष्य है।

सहकारिता—वर्ष 1973–74 की वार्षिक योजना के लिए 2.93 लाख रुपये की धनराशि सहकारिता के लिए नियत की गयी है।

लगभग 2,400 कृषकों को प्राथमिक सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जायगा। 84.50 लाख रुपये की अल्पकालिक तथा मध्यकालिक ऋण बांटे जायेंगे तथा 28 हेक्टेयर क्षेत्र में जड़ी–बूटी (हर्ब्स) की सघन खेती की जायगी।

विद्युत्--वर्ष 1973-74 के दौरान विद्युत् विकास योजनाओं के लिए 26.80 लाख रुपय की व्यवस्था की गई है। 15 और गावों एवं कसबों का विद्युतीकरण किया जायेगा।

लघु तथा कुटीर उद्योग--इस क्षेत्र के अन्तर्गत 10.40 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु निजी उद्यमकर्त्ताओं को 3.00 लाख रुपये की धनराशि ऋण/अनुदान के रूप में दी जाएगी। ऊनी हथकरघा योजना के अन्तर्गत 0.25 लाख रुपये के ऊनी माल के उत्पादन की आशा है। 4,500 घन फुट सूती धागे की गड़ारी (काटन बाबिन) और 7,500 ग्रुस पेंसिल स्लेटें उत्तरकाशी यूनिट स तैयार की जायेंगी। पन्द्रह हजार शहतूत के पौधों का वितरण किया जायगा, 3,000 किलोग्राम कोयों का उत्पादन किया जायगा तथा 28 व्यक्तियों को रेशम-उत्पादन योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जायगा। टसर योजना के अन्तर्गत छः हजार कि० ग्राम कोयों का उत्पादन किया जायगा तथा 20 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायगा।

सड़कें--इस क्षेत्र के लिए 142.00 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1973-74 के दौरान 40 किलोमीटर पक्की सड़कों (सर्फेस्ड रोड्स) तथा 20 किलोमीटर कच्ची सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है।

पर्यटन--इस क्षेत्र के अन्तर्गत 13.00 लाख रु० का परिव्यय निश्चित किया गया है। वर्ष 1973-74 के दौरान आठ पर्यटक विश्राम गृहों तथा तीन केबिनों का निर्माण किया जाने का विचार है।

सामान्य शिक्षा--शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत 1973-74 में 47.30 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। 1973-74 के दौरान, 24 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, 24 जूनियर हाई स्कूलों, 6 हाई स्कूलों, 2 इन्टरमीडिएट कालेजों तथा 8 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। उत्तराखण्ड से बाहर (परन्तु भारत के भीतर) उच्चतर एवं तकनीकी अध्ययन प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों को उपयुक्त छात्र-वेतन प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। पूर्व वर्षों की भांति गैर-सरकारी संस्थाओं को अनावर्तक सहायक अनुदान भी स्वीकृत किया जायगा।

चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य--1973-74 में इस क्षेत्र के लिए 14.83 लाख रुपय का परिव्यय है। वर्ष 1973-74 के दौरान 14 अतिरिक्त ग्रामीण चिकित्सालयों की स्थापना करने तथा 56 शय्याओं की वयवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

पेयजल सम्पूर्ति--इस क्षेत्र के लिए 60.21 लाख रुपये की धनराशि आबंटित है। वर्ष 1973-74 के दौरान स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पेय जल सम्पूर्ति योजनाएं 122 गांवों में लागू हो जायंगी जिससे 29,900 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

(2)-पिछड़े समुदाय

चौथी योजना के दौरान भी समाज के लाभ वंचित वर्गों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु विशेष प्रयत्न जारी रहे। छोटे कृषकों, सीमान्त (मार्जिनल) कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों इत्यादि के लाभ के लिए अनेक नवीन कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए गए। अगले पैराग्राफों 'कंडिकाओं' में इनमें से कुछ कार्यक्रमों की मुख्य मुख्य बातों का पता चलता है। अन्य विवरण पूर्ववर्ती अध्यायों में दिया गया है।

2—पिछड़े वर्गों की श्रेणी के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन–जातियां (डीनोटीफाइड ट्राइब्स) तथा अन्य पिछड़े वर्ग आते हैं। इन वर्गों के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं (1) शिक्षा, (2) आर्थिक उत्थान, (3) स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाओं से सम्बन्धित हैं।

3—पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 720.00 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी। प्रथम तीन वर्षों के दौरान कुल 252.08 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय में से 252.01 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 1972–73 में 205.00 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय में से 203.79 लाख रुपये की धनराशि के व्यय किए जाने की आशा है। वर्ष 1973–74 के लिए 300.00 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। इसमें से 35.02 लाख रुपये अनुसूचित जनजातियों की योजनाओं पर, 242.98 लाख रुपये अनुसूचित जातियों की योजनाओं पर तथा 22.00 लाख रुपये पिछड़े वर्गों के लिए व्यय किए जाने हैं। तीन सीमान्त जिलों के लिए 25.00 लाख रुपये की व्यवस्था अलग से की गई है। 16.58 लाख रुपये की धनराशि योजना के प्रथम तीन वर्षों में खर्च की जा चुकी है। वर्ष 1972–73 के लिए 5.30 लाख रुपये का परिव्यय तथा 1973–74 के लिए 4.11 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

4—वर्ष 1973–74 के दौरान अधिकतर योजनाएं पहले से चली आ रही योजनायें हैं। छात्र वेतन देना, शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, चिकित्सा, अभियन्त्रण तथा प्राविधिक पाठ्य–क्रम के लिए विद्यार्थियों की वित्तीय सहायता देना तथा शैक्षिक संस्थाओं को अनुरक्षण के लिए अनुदान देना आदि कुछ योजनाएं हैं जो पिछड़े वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए आश्रम पद्धति के विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था है। आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में कृषि विकास, कुटीर उद्योग, अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भूमि पर पुनर्वासन, उद्योग और कारखानों के लिए राज–सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित है। गृहों के निर्माण तथा पेय जल प्रायोजनाओं की योजनाएं भी प्रारम्भ कर दी गई हैं।

5—वर्ष 1973-74 में पहले से चल रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त जिन नए कार्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने का विचार है वे हैं—खटीमा में आश्रम पद्धति के विद्यालयों का उन्नयन करके हाई स्कूल स्तर तक करना, चकराता में अनुसूचित जन-जातियों की बालिकाओं के लिये आश्रम पद्धति के विद्यालयों में नयी कक्षाएं खोलना तथा छात्रावासों का निर्माण करना। ये योजनायें अनुसूचित जन-जातियों के लाभ के लिये हैं। अनुसूचित जातियों के लिये, तीन छात्रावासों के निर्माण तथा प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये उपकरणों, सज्जा तथा मशीनों की व्यवस्था के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। 1973–74 में नलकूप कक्षाएं भी खोली जायेंगी।

6—राज्य सेवाओं में 18 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों तथा 2 प्रतिशत पद अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित किये गये हैं। राज्य सेवाओं की श्रेणी 3 और 4 के लिये पदों का आरक्षण उस समय तक क्रमशः 25 प्रतिशत और 36 प्रतिशत होगा जब तक कि सेवाओं में उनका प्रतिशत 18 प्रतिशत न हो जाय।

7—छोटे भूमिधारियों की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु, फतेहपुर, बदायूं, रायबरेली तथा प्रतापगढ़ जिलों में चार लघु कृषक विकास एजेन्सियां स्थापित की गयी हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक एजेन्सी के लिये 1.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। ये एजेन्सियां बैंकों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा छोटे कृषकों को संस्थागत ऋण देने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु उत्प्रेरक एजेन्सियों के रूप में कार्य करेंगी। इन एजेन्सियों द्वारा कृषि तथा उसके समवर्गी

कार्यकलापों के उत्पादक कार्यक्रमों के लिये भी सहायता प्रदान की जाती है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटे कृषकों को 25 प्रतिशत तक राज्य-सहायता भी प्रदान की जाती है।

8—मथुरा तथा बलिया जिलों में सीमान्त कृषकों तथा कृषि-श्रमिकों के लिये दो प्रायोजनाएं भी स्थापित की गयी हैं। ये एजेन्सियां उसी प्रकार कार्य करती हैं जिस प्रकार लघु कृषक विकास एजेन्सियां तथा भूमि विकास बैंकों, सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों के माध्यम से सीमान्त कृषकों तथा कृषि-श्रमिकों को ऋण प्रदान करती हैं। लघु सिंचाई, कस्टम सर्विस जैसे कार्यक्रमों तथा दुधारू पशुओं आदि के क्रय हेतु 33.3 प्रतिशत की उच्चतर दर पर राज-सहायता दी जाती है।

9—जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 तथा भूदान आन्दोलन के अधीन उपलब्ध भूमि, भूमिहीन व्यक्तियों को आबंटित की जाती है। भूमिहीन व्यक्ति को अधिकतम 3 1/8 एकड़ तक की सीमा तक भूमि दी जा सकती है। वर्ष 1965-66 से 1969-70 तक की अवधि के दौरान गांव सभा की लगभग 4.12 लाख हेक्टेयर (10.178 लाख एकड़) भूमि बांटी गयी जिसमें से लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर (6.20 लाख एकड़) भूमि पिछड़े वर्गों के सदस्यों को मिली। 1970 में लगभग 5.66 लाख हेक्टेयर (लगभग 14 लाख एकड़) भूमि "सीरदारी पट्टों" तथा लगभग 0.71 लाख हेक्टेयर (1.74 लाख एकड़) भूमि "आसामी पट्टों" में वितरण के लिए उपलब्ध थी। सितम्बर, 1971 तक लगभग 3.00 लाख हेक्टेयर (7.30 लाख एकड़) भूमि "सीरदारी पट्टों" के अन्तर्गत तथा 0.20 लाख हेक्टेयर (0.49 लाख एकड़) भूमि "आसामी पट्टों" के अन्तर्गत बांटी गयी है।

10—अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन 0.91 लाख हेक्टेयर (2.54 लाख एकड़) भूमि अधिसूचित की गयी थी जिसमें से 0.87 लाख हेक्टेयर (2.15 लाख एकड़) अर्जित की गयी। मार्च, 1972 तक लगभग 0.81 लाख हेक्टेयर (2.02 लाख एकड़) भूमि का निपटारा किया गया। भूमिहीनों तथा छोटे कृषकों को "भूदान भूमि" के अन्तर्गत दानस्वरूप प्राप्त भूमि भी आबंटित की जाती है।

11—केन्द्रीय सरकार से प्रेरित होकर 15 अगस्त, 1972 से एक नयी योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके अधीन भूमिहीन कृषि-श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को, जिसके पास गृह अथवा गृह स्थल नहीं हैं, चुने हुए खंडों में गृह-स्थलों के लिये भूमि प्रदान की जायगी। राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी एक अलग योजना के अन्तर्गत, भूमिहीनों को गृह-स्थल दिये जा रहे हैं। 15 अगस्त, 1972 तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 678 विकास खंडों में 76 हजार परिवारों को इस प्रकार की भूमि प्रदान की गयी है।

12—कारीगरों, शिल्पकारों तथा छोटे पैमाने के उद्यमकर्त्ताओं की उत्पादकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से प्रोन्नत-कार्यक्रम (प्रोमोशनल प्रोग्राम) प्रारम्भ किये गये हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में हथकर्घा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे राज्य की एक तिहाई कपड़े की आवश्यकता की पूर्ति होती है तथा लगभग 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। राज्य में हथकरघों की कुल संख्या 2.88 लाख है। जिसमें से 2.17 लाख सहकारिता के अन्तर्गत लाये गये हैं। 1973-74 तक एक हजार सहकारिता के अन्तर्गत लाये जाने की आशा है। चार डिजाइन केन्द्र चालू हैं। हथकरघा उद्योग के लाभार्थ बहुत सी अन्य प्रोन्नत-योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं। चौथी आयोजना में हथकरघा योजनाओं के 381.00 लाख परिव्यय में से 110.68 लाख रुपये योजना के प्रथम तीन वर्षों में व्यय किये गये हैं। 1972-73

में 53.57 लाख रुपये व्यय होने की आशा है। 1973-74 के लिये 114.00 लाख रुपये की धनराशि रखी गयी है।

13--परम्परागत हस्तकलाएं मुख्यतः समाज के निर्बल वर्गों को लाभ पहुंचाती हैं। प्रथम तीन वर्षों के दौरान 111 सहकारी समितियां संगठित की गयी हैं। योजना के शेष दो वर्षों में 20 समितियों के और गठित किये जाने की आशा है। परम्परागत हस्तकलाओं को प्रोन्नत करने हेतु जो कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये उनमें डिजाइन केन्द्रों, निष्क्रिय केन्द्रों को पुनर्जीवित करना, प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना, सामान्य सुविधा एवं शोध केन्द्रों की स्थापना, हस्तशिल्प संस्थाओं आदि को वित्तीय सहायता देना, सम्मिलित है। चौथी योजना के दौरान हस्तकला के विकास हेतु 70 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। राज्य खादी तथा ग्राम परिषद् को राज्य सरकार भी सहायता प्रदान करती है। चौथी योजना में इस प्रयोजन हेतु 25.00 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

14--चौथी पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण कार्यक्रमों हेतु 100.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। ये कार्यक्रम, श्रमजीवी महिलाओं, बच्चों, अन्धे व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, भिक्षुकों, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों, इत्यादि जैसे वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चालू कार्यक्रमों के साथ 1973-74 की योजनाओं में बालिका निकेतन की स्थापना तथा विकलांग विद्यार्थियों को पुस्तकों के क्रय हेतु वित्तीय सहायता देना सम्मिलित है। चौथी योजना में उत्तराखंड के तीन जिलों के लिए 4.58 लाख रुपये की धनराशि की अलग व्यवस्था की गयी है।

15--अतिरिक्त रोजगार की सुविधायें सृजित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ग्रामीण क्षेत्र में अक्तूबर, 1971 में प्रारम्भ की गई केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। चौथी योजना के दौरान उस पर 2033.00 लाख रुपए के व्यय की परिकल्पना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः सड़कों, पुलों, बांधों, तालाबों तथा भूमि संरक्षण से सम्बन्धित श्रमिक सघन कार्य प्रारम्भ किए जाते हैं। इस योजना से प्रत्येक जिले में एक हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

16--राज्य के सूखे से प्रभावित छः जिलों में अनावृष्टि क्षेत्र कार्यक्रमों को चलाया गया है। ये जिले मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर और जालौन हैं। प्रारम्भ किए गए उत्पादक कार्यक्रम जैसे वनरोपण, सिंचाई, सड़कें, भूमि-संरक्षण कार्यक्रम भी अकुशल ग्रामीण श्रमिक को रोजगार उपलब्ध कराते हैं।

17--वर्ष 1972-73 में 8.64 करोड़ रुपये की लागत से 1.14 लाख शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु, एक विशेष सेवायोजन कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है। राज्य कृषि-उद्योग निगम (स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन) भी कुछ श्रेणियों के प्राविधिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपने कृषि सेवा केन्द्र आरम्भ करने हेतु ऋण प्रदान करता है।

परिशिष्ट—1

पिछड़े क्षेत्रों के 1972–73 में प्रत्याशित व्यय तथा 1973–74 में परिव्यय

(लाख रुपयों में)

विकास मद/वर्ग		5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देलखण्ड के जिले		3 उत्तराखण्ड के जिले	
		1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	कृषि उत्पादन—								
	(क) कृषि विभाग	69.98	69.27	118.80	76.39	52.11	34.09	4.60	5.15
	(ख) मलोपयोग	..	..	3.74	7.50	..	2.41	..	..
	(ग) फलोपयोग	36.50	43.65	0.48	1.10	0.25	0.24	13.64	14.16
	(घ) गन्ना विकास	4.50	5.00	17.50	19.00	..	..	..	..
	(ङ) चकबन्दी	7.25	3.00	354.00	370.00	21.75	40.00	..	..
	योग 1.1—कृषि उत्पादन	118.23	120.92	494.52	473.99	74.11	76.74	18.24	19.31

1.2 लघु सिंचाई—								
(क) निजी	46.88	55.00	249.00	265.00	53.00	60.00	..	..
(ख) राजकीय	67.00	65.00	640.00	681.90	51.00	41.30	15.60	18.24
योग 1.2—लघु सिंचाई	113.88	120.00	889.00	946.90	104.00	101.30	15.60	18.24
1.3 भूमि संरक्षण—								
(क) कृषि विभाग	54.68	56.25	126.03	123.15	63.02	63.72	7.50	9.50
(ख) वन विभाग	..	..	0.13	0.14	12.50	14.86	..	..
योग 1.3—भूमि संरक्षण	54.68	56.25	126.16	123.29	75.52	78.58	7.50	9.50
1.5 कृषि शोध एवं शिक्षा	30.68	34.98	1.94	1.43	0.56	0.96	..	..
योग 1—कृषि कार्यक्रम	317.47	332.15	1511.62	1545.61	254.19	257.58	41.34	47 05

परिशिष्ट—1 (क्रमशः)

पिछड़े क्षेत्रों के 1972–73 में प्रत्याशित व्यय तथा 1973–74 के परिव्यय

(लाख रुपयों में)

	विकास मद/वर्ग	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देलखण्ड के जिले		3 उत्तराखण्ड के जिले	
		1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	पशुपालन	20.47	19.21	37.98	47.56	6.33	6.84	10.05	7.79
2.2	दुग्धशाला तथा दुग्ध वितरण	6.34	5.55	51.67	61.68	2.77	8.31	..	..
2.3	वन	93.86	97.87	57.79	62.57	7.50	8.57	50.78	47.70
2.4	मत्स्य	1.85	6.20	7.47	10.54	4.90	7.91	..	..
2.5	भाण्डागार	0.68	2.50	1.91	3.60	2.06	3.85	..	..
	योग 2—समवर्गी कार्यक्रम	123.20	131.33	156.82	185.95	23.56	35.48	60.83	55.49
	योग 1 व 2—कृषि एवं समवर्गी कार्यक्रम	440.67	46[illegible].48	1668.44	1731.56	277.75	293.0	102.17	102.54

3.1 सहकारिता—								
(क) सहकारिता विभाग	18.06	27.14	141.14	103.68	13.27	36.77	2.15	2.93
(ख) उद्योग विभाग	..	..	40.00	50.00	..	..	..	..
(ग) वित्त विभाग	4.89	4.90	..	..	..	..	..	..
योग 3.1—सहकारिता	22.95	32.04	181.14	153.68	13.27	36.77	2.15	2.93
3.2 सामुदायिक विकास	11.69	8.12	77.00	47.13	7.82	1.62	..	..
3.3 पंचायत	2.11	2.28	16.70	18.03	2.02	2.25	..	..
योग 3—सहकारिता एवं सामुदायिक विकास	36.75	42.44	274.84	218.84	23.11	40.64	2.15	2.93
4.1 सिंचाई ..	43.00	48.00	1377.50	1456.00	65.00	55.00	..	..
4.2 बाढ़ नियन्त्रण ..	24.15	11.40	69.95	35.52	1.70	3.00	..	..
4.3 विद्युत् ..	383.30	366.00	3051.70	3190.00	383.60	272.00	20.05	26.80
योग 4—सिंचाई एवं विद्युत्	450.45	425.40	4499.15	4681.52	450.30	330.00	20.05	26.80

परिशिष्ट—1 (क्रमशः)

पिछड़े क्षेत्रों के 1972–73 में प्रत्याशित व्यय तथा 1973–74 के परिव्यय

(लाख रुपयों में)

विकास मद वर्ग		5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देलखंड के जिले		3 उत्तराखंड के जिले	
		1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	खनिज विकास	..	..	..	..	..	..	0.20	0.20
5.3	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	26.01	27.69	76.17	162.60	14.74	23.83	7.85	10.40
	योग 5—उद्योग एवं खनिकर्म	26.01	27.69	76.17	162.60	14.74	23.83	8.05	10.60
6.1	सड़कें	294.32	307.00	308.12	500.00	93.65	225.00	156.55	142.00
6.3	पर्यटन	6.79	8.68	1.86	1.30	1.00	3.14	6.98	13.00
	योग 6—परिवहन एवं संचार साधन	301.11	315.68	309.98	501.30	94.65	228.14	163.53	155.00

7.1 सामान्य शिक्षा —								
(क) शिक्षा विभाग	99.00	115.00	365.00	514.41	67.00	77.35	43.30	47.30
(ख) वैज्ञानिक अनुसंधान	1.00	1.35	..	..	..	..	..	..
योग 7.1—सामान्य शिक्षा	100.00	116.35	365.00	514.41	67.00	77.35	43.30	47.30
7.2 प्राविधिक शिक्षा	24.54	15.00	50.73	65.22	5.13	3.44	..	..
7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन	19.58	24.13	216.82	253.74	75.81	107.56	13.14	14.83
7.5 जल सम्पूर्ति	92.23	80.00	155.50	128.08	58.89	78.61	62.06	60.21
7.6 आवास	3.00	5.00	50.00	60.00	..	10.00	..	..
7.7 पिछड़ी जातियों का कल्याण	19.42	22.00	72.22	93.50	9.55	13.00	5.64	4.11
7.8 समाज कल्याण	1.25	1.50	6.91	11.12	1.24	1.46	0.25	0.20
7.9 शिल्पकार प्रशिक्षण	8.15	7.05	6.88	18.41	2.83	3.57	..	..
योग 7—समाज सेवाएं	268.17	271.03	924.06	1144.48	220.45	294.99	124.39	126.65

परिशिष्ट—1 (समाप्त)

पिछड़े क्षेत्रों के 1972–73 में प्रत्याशित व्यय तथा 1973–74 के परिव्यय

(लाख रुपये में)

	विकास मद/वर्ग	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देलखण्ड के जिले		3 उत्तराखण्ड के जिले	
		1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय	1972–73 प्रत्याशित व्यय	1973–74 परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1	सांख्यकी	0.06	0.03	0.02	0.08	0.04	0.02	0.48	..
8.2	सूचना एवं प्रसार	0.23	0.92	..	..	..	..	0.62	0.48
8.6	ग्रामीण जनशक्ति	..	..	32.32	19.00	1.08	..	..	..
	योग 8—विविध	0.29	0.95	32.34	19.08	1.12	0.02	1.10	0.48
	कुल योग (1—8)	1523.45	1546.67	7784.98	8459.38	1082.12	1210.68	421.44	425.00

परिशिष्ट--2

पिछड़े क्षेत्रों में 1972-73 में प्रत्याशित उपलब्धियों तथा 1973-74 के लक्ष्य

मद	इकाई	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देलखन्ड के जिले	
		1972-73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 लक्ष्य	1972-73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 लक्ष्य	1972-73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कृषि उत्पादन--							
(1) खाद्यान्न उत्पादन क्षमता सृजन (अतिरिक्त)	'000टन	270	170	810	1,531	216	340
(2) अधिक उपज वाली बीजों के अन्तर्गत क्षेत्र--							
(क) अधिक उपज वाली किस्में	'000हेक्टेयर	67.00	73.88	1282.00	1396.26	99.00	107.48
(ख) यू० पी० की किस्में	'000हेक्टेयर	57.50	59.00	927.00	963.00	125.50	131.00
(3) रासायनिक खाद वितरण--							
(क) नाइट्रोजन (एन)	'000टन	10.00	15.00	149.37	216.63	6.48	8.88
(ख) फास्फेट (पी$_2$ ओ$_5$)	तदैव	1.67	5.70	40.73	98.00	1.80	4.70
(ग) पुटाश (के$_2$ ओ०)	तदैव	1.10	4.40	30.57	78.00	0.86	1.90

परिशिष्ट–2 (क्रमशः)

पिछड़े क्षेत्रों में 1972–73 में प्रत्याशित उपलब्धियां तथा 1973–74 के लक्ष्य

मद	इकाई	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देलखंड के जिले	
		1972–73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973–74 लक्ष्य	1972–73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973–74 लक्ष्य	1972–73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973–74 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
(4) पौध संरक्षण (कुल क्षेत्रफल)	'000हेक्टेयर	249.00	279.00	3040.00	3391.00	750.00	810.00
2. भूमि संरक्षण (अतिरिक्त क्षेत्रफल)	तदैव	8.65	9.00	109.43	85.00	47.60	40.00
3. चकबन्दी के अन्तर्गत (अतिरिक्त क्षेत्रफल)	तदैव	..	2	345	300	60	89
4. औद्योनिक विकास							
(1) फल वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्र (अतिरिक्त)	हेक्टेयर	3700	3700	..	..	..	..
(2) सब्जी के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल	तदैव	320	360	..	..	..	..
(3) कीटाणु की रोक थाम	तदैव	7400	10,000	..	..	..	..
5. निजी लघु सिंचाई—							
(1) सिंचन क्षमता का सृजन (अतिरिक्त)	'000हेक्टेयर	7.26	7.26	171.39	171.39	36.11	36.11

(2) पक्के कुएं	संख्या	30	30	10,500	10,500	3,600	3,600
(3) डीप बोरिंग	संख्या	810	810	26,000	26,000	985	985
(4) पम्पिग सेट	संख्या	530	530	8,000	8,000	2,125	2,125
(5) रहट	संख्या	10	10	2,500	2,500	2,240	2,240
(6) निजी नलकूप	संख्या	460	460	16,000	16,000	150	150
(7) बन्धियों का निर्माण	हेक्टेयर	..	..	1,214	1,214	21,833	21,833
(8) गूलों का निर्माण	हेक्टेयर	1,780	1,780	..	..	..	..
6—राजकीय सिंचाई—							
(1) नलकूपों का विद्युतीकरण	संख्या	10	10	375	450	15	15
(2) राजकीय लघु सिंचाई द्वारा अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन	'000हेक्टेयर	2.78	2.57	65.13	71.00	4.10	5.87
(3) वृहत् एवं मध्यम सिंचाई द्वारा अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन	तदैव	..	1.98	94.25	108.86	10.12	6.67
7—पशुपालन—							
(1) ए० आई० केन्द्र (अतिरिक्त)	संख्या	5	4	..	..	..	..
(2) ए० आई० उपकेन्द्र (अतिरिक्त)	संख्या	32	30	9	21	3	3

परिशिष्ट—2 (क्रमशः)

पिछड़े क्षेत्रों में 1972-73 में प्रत्याशित उपलब्धियां तथा 1973-74 के लक्ष्य

मद	इकाई	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देलखन्ड के जिले	
		1972-73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 लक्ष्य	1972-73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 लक्ष्य	1972-73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
(3) भेड़ एवं ऊन विकास केन्द्र (अतिरिक्त)	संख्या	..	2	17	35	1	..
(4) पशु चिकित्सालय (अतिरिक्त)	संख्या	5	4	..	..	..	..
(5) पशु सेवा केन्द्र (अतिरिक्त)	संख्या	32	37	..	38	..	2
8. वन—							
(1) आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व के वृक्षों की प्रजातियों का रोपण (अतिरिक्त)	हैक्टेयर	3,320	3,325	2,800	2,800	..	..
(2) शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का रोपण (अतिरिक्त)	तदैव	4,180	4,180	6,250	6,250	250	250
(3) नई सड़कों का निर्माण	किलोमीटर	61	49	92	90	30	25
(4) पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार	तदैव	72	93	62	70	50	55

9. सहकारिता—

(1) प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां—							
(क) कोआपरेटिव सोसाइटीज	संख्या	27	27	281	281	18	18
(ख) सदस्यता (अतिरिक्त)	लाख	0.11	0.11	1.81	1.81	0.13	0.13
(2) कृषि ऋण का वितरण—							
(क) अल्पकालीन	करोड़ रु०	2.20	2.23	16.30	25.30	3.60	6.20
(ख) मध्य कालीन	तदैव	0.40	0.40	1.83	1.83	0.18	0.18
(ग) दीर्घकालीन	तदैव	0.30	0.30	10.68	10.68	1.30	1.30
(3) ग्रामीण गोदाम	संख्या	15	25	45	75	12	18
(4) प्राथमिक क्रय विक्रय समितियां	तदैव	1	3	2	6	1	2

10—विद्युत—

(क) ग्रामों का विद्युतीकरण	तदैव	97	150	1,200	1,500	100	160
(ख) निजी नलकूपों एवं पम्प सेट का विद्युतीकरण	तदैव	425	425	14,900	14,900	400	400

परिशिष्ट 2 (क्रमशः)

पिछड़े क्षेत्रों में 1972-73 में प्रत्याशित उपलब्धियों तथा 1973-74 के लक्ष्य

मद	इकाई	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देलखन्ड के जिले	
		1972-73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 लक्ष्य	1972-73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 लक्ष्य	1972-73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973-74 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
11. उद्योग—							
(क) ऋण का वितरण	लाख रु०	5.00	5.00	20.50	40.23	6.00	6.00
(ख) लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना (अतिरिक्त)	संख्या	100	100	410	804	120	120
(ग) हथकरघा वस्त्र का उत्पादन	लाख मीटर	11.82	200.00	661.04	1200.00	95.16	400.00
12. सड़कें—							
(1) नये निर्माण	किलोमीटर	45	60	102	157	35	80
(2) पुरानी सड़कों का सुधार एवं पुनर्निर्माण	तदैव	40	45	65	83	35	76
(3) पुलों का निर्माण	संख्या	4	4	8	11	2	1

13. सामान्य शिक्षा—

(1) भरती—							
(क) कक्षा (1—5)							
योग	लाख	4.26	4.33	46.53	47.62	5.34	5.42
बालिकायें	लाख	1.62	1.69	18.16	18.75	2.02	2.10
(ख) कक्षा (6—8)							
योग	लाख	1.07	1.14	7.40	7.50	1.05	1.13
बालिकायें	लाख	0.26	0.33	1.21	1.24	0.24	0.32
(ग) कक्षा (9—12)							
योग	लाख	0.67	0.81	4.66	4.92	0.61	0.63
बालिकायें	लाख	0.18	0.20	0.59	0.66	0.10	0.11
(2) प्राइमरी स्कूल (अतिरिक्त)	संख्या	30	14	40	21	10	4
(3) जूनियर हाई स्कूल (अतिरिक्त)	संख्या	13	15	70	40	16	12
(4) हायर सेकेण्ड्री स्कूल (अतिरिक्त)	संख्या	10	10	30	30	8	8
(5) डिग्री कालेज (अतिरिक्त)	संख्या	1	..	1	2	1	..

परिशिष्ट--2 (समाप्त)

पिछड़े क्षेत्रों में 1972–73 में प्रत्याशित उपलब्धियां तथा 1973–74 के लक्ष्य

मद	इकाई	5 पर्वतीय जिले		15 पूर्वी जिले		4 बुन्देलखन्ड के जिले	
		1972–73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973–74 लक्ष्य	1972–73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973–74 लक्ष्य	1972–73 प्रत्याशित उपलब्धि	1973–74 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
14. प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा कोर्स)--							
(क) कार्यरत संस्थायें	संख्या	2	2	12	12	1	1
(ख) भरती	संख्या	280	280	2,020	2,260	300	300
15. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन--							
(1) चिकित्सालय (अतिरिक्त)	संख्या	19	16	111	58	5	19
(2) चिकित्सालय एवं औषधालय में शय्यायें (अतिरिक्त)	संख्या	193	69	940	432	172	73

(3) रोगों का नियंत्रण—							
(क) वी० डी० क्लीनिक्स (अतिरिक्त)	संख्या	1	..	..	..	..	..
(ख) दन्त क्लीनिक्स (अतिरिक्त)	संख्या	1	1	2	..	..	..
(ग) बाल क्लीनिक्स (अतिरिक्त)	संख्या	..	..	1	1	..	..
(4) (क) अनुर्वरीकरण (स्टेरीलाजेशन)	संख्या	5,590	अप्राप्त	75,094	अप्राप्त	9,722	अप्राप्त
(ख) लूप (आई० यू० सी० डी०) निवेशन	संख्या	5,590	अप्राप्त	75,094	अप्राप्त	9,722	अप्राप्त
16. जल सम्पूर्ति—							
(1) नगरी							
(क) नगर लाभान्वित	संख्या	1	2	..	1	..	..
(ख) लाभान्वित जन संख्या	लाख	0.097	0.295	..	0.115	..	..
(2) ग्रामीण							
(क) ग्राम लाभान्वित	संख्या	165	195	204	135	60	81
(ख) लाभान्वित जन संख्या	लाख	0.433	0.700	0.957	0.600	0.448	0.520

परिशिष्ट—3

चौथी योजना के दौरान उत्तराखन्ड का परिव्यय तथा व्यय

मद—8. विविध

वर्ग—8.4. सीमान्त क्षेत्र

(लाख रुपयों में)

मद/वर्ग	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय	वास्तविक व्यय 1969-70	वास्तविक व्यय 1970-71	वास्तविक व्यय 1971-72	1972-73 परिव्यय	1972-73 प्रत्याशित व्यय	1973-74 परिव्यय कुल	1973-74 परिव्यय पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 कृषि उत्पादन ..								
(क) कृषि विभाग ..	44.000	2.800	4.034	4.034	5.000	4.600	5.150	..
(ख) फलोपयोग ..	60.000	14.775	17.433	13.558	13.100	13.643	14.160	9.216
योग 1.1—कृषि उत्पादन..	104.000	17.575	21.467	17.592	18.100	18.243	19.310	9.216
1.2 लघु सिंचाई ..	70.000	9.983	12.970	22.482	16.000	15.601	18.240	18.240
1.3 भूमि संरक्षण ..	20.000	2.790	6.813	7.276	8.500	7.500	9.500	..
योग : 1 कृषि कार्यक्रम ..	194.000	30.348	41.250	47.350	42.600	41.344	47.050	27.456

2.1 पशुपालन ..	50.000	14.978	9.010	6.536	8.800	10.054	7.789	3.435
2.3 वन ..	200.000	33.572	52.482	51.252	45.500	50.774	47.700	22.450
योग : 2 समवर्गी कार्यक्रम	250.000	48.550	61.492	57.788	54.300	60.828	55.489	25.885
योग 1 व 2—कृषि एवं समवर्गी कार्यक्रम..	444.000	78.898	102.742	105.138	96.900	102.172	102.539	53.341
3.1 सहकारिता ..	25.000	2.574	3.486	2.347	3.800	2.154	2.934	1.004
3.2 सामुदायिक विकास	7.750	7.036	0.431	0.05[illegible]	..	..	..	..
3.3 पंचायत ..	..	..	0.076	..	..	..	..	..
योग 3 : सामुदायिक विकास, सहकारिता एवं पंचायतें	32.750	9.610	3.993	2.397	3.800	2.154	2.934	1.004
4.3 विद्युत् ..	175.000	48.281	42.912	20.666	32.000	20.051	26.800	26.800
5.2 खनिज विकास ..	2.500	0.772	0.770	0.241	0.200	0.200	0.200	..
5.3 ग्रामीण एवं लघु उद्योग	54.000	6.794	7.931	8.574	9.100	7.852	10.400	3.300
योग 5 : उद्योग एवं खनिज	56.500	7.566	8.701	8.815	9.300	8.052	10.600	3.300
6.1 सड़कें ..	740.000	115.748	158.330	137.092	130.000	156.550	142.000	142.000
6.3 पर्यटन ..	63.070	13.368	11.237	10.864	10.000	6.975	13.000	13.000
योग 6—परिवहन एवं संचार साधन ..	803.070	129.116	169.567	147.956	140.000	163.525	155.000	155.000

मद 8--विविध

वर्ग—8.4 संक्रान्त क्षेत्र

परिशिष्ट—3 (समाप्त)

चौथी योजना के दौरान उत्तरा खन्ड का परिव्यय तथा व्यय

(लाख रुपयों में)

मद, वर्ग	चौथी योजना (1969-74) परिव्यय	वास्तविक व्यय			1972-73		1973-74 परिव्यय	
		1969-70	1970-71	1971-72	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	कुल	पूंजी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1—सामान्य शिक्षा ..	225.000	29.046	81.029	35.076	45.500	43.300	47.300	17.000
7.4—स्वास्थ्य ..	100.000	14.916	13.519	7.979	15.000	13.137	14.832	2.500
7.5—जल सम्पूर्ति ..	130.000	29.898	31.819	62.677	53.000	62.061	60.211	60.211
7.7—पिछड़ी जातियों का कल्याण	25.000	3.116	5.105	8.222	5.300	5.640	4.108	..
7.8—समाज कल्याण ..	4.580	0.090	0.177	1.548	0.400	0.250	0.202	..
योग 7—समाज सेवायें ..	484.580	77.066	131.649	115.502	119.200	124.388	126.653	79.711
8.1—सांख्यिकी ..	..	..	..	..	..	0.482	..	..
8.2—सूचना एवं प्रसार	4.100	0.863	0.378	0.546	0.800	0.616	0.474	..
योग 8—विविध ..	4.100	0.863	0.378	0.546	0.800	1.098	0.474	..
कुल योग (1-8) ..	2000.000	351.400	459.942	401.020	402.000	421.440	425.000	319.156

परिशिष्ट 4

उत्तराखंड का भौतिक कार्यक्रम 1973–74

मद	इकाई	प्रत्याशित उपलब्धि 1972–73	लक्ष्य 1973–74
1	2	3	4
1—कृषि उत्पादन—			
(1) खाद्यान्न उत्पादन क्षमता का सृजन (अतिरिक्त)	'000 टन	20.80	23.00
(2) अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र	'000 हक्टेयर	17.04	20.40
(3) रासायनिक उर्वरकों का वितरण	'000 टन	2.08	2.30*
2—फलोत्पादन—			
(1) फल वृक्षों के अन्तर्गत क्षेत्र (अतिरिक्त)	'000 हक्टेयर	0.32	0.34
(2) भूमि संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र (अतिरिक्त) ..	'000 हक्टेयर	0.90	0.90
3—राजकीय लघु सिंचाई			
राजकीय लघु सिंचाई द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन (अतिरिक्त) ..	'000 हक्टेयर	0.26	0.30
4—वन—			
(1) नई सड़कों का निर्माण ..	कि० मी०	90	90
(2) पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुधार ..	"	219	218
5—सहकारिता—			
(1) कृषि ऋण वितरण			
(क) अल्पकालीन	करोड़ रुपये	0.46	0.54
(ख) मध्य कालीन	"	0.23	0.31
(2) ग्रामीण गोदाम	संख्या	6	5
6—विद्युत—			
नगर एवं ग्रामों का विद्युतीकरण	संख्या	15	15
7—उद्योग—			
(1) ऋण एवं अनुदान वितरण	लाख रुपये	2.60	3.00
(2) लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना (अतिरिक्त) ..	संख्या	51	14

*अस्थाई

परिशिष्ट—4 (समाप्त)
उत्तराखंड का भौतिक कार्यक्रम 1973–74

मद	इकाई	प्रत्याशित उपलब्धि 1972–73	लक्ष्य 1973–74
1	2	3	4
8—सड़कें—			
(1) नई सड़कों का निर्माण (अतिरिक्त)	किलोमीटर	40	40
(2) पुरानी सड़कों का सुधार एवं पुनर्निर्माण	किलोमीटर	10	20
9—सामान्य शिक्षा—			
(1) प्राइमरी स्कूल (अतिरिक्त)	संख्या	20	24
(2) जूनियर हाई स्कूल (अतिरिक्त)	„	22	24
(3) हायर सेकेण्डरी स्कूल (अतिरिक्त) ..	„	2	2
(4) कक्षाओं में भरती—			
(क) 1—5	„	83,400	अप्राप्त
(ख) 6—8	„	15,700	अप्राप्त
(ग) 9—12	„	8,700	अप्राप्त
(5) प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	„	18	8
10—स्वास्थ्य—			
(1) चिकित्सालय (अतिरिक्त)	„	21	14
(2) चिकित्सालय/औषधालय में शैय्यायें (अतिरिक्त) ..	„	84	56
(3) रोगों का नियंत्रण—			
टी० बी० क्लीनिक	„	..	1
11—जल सम्पूर्ति—			
(1) लाभान्वित ग्राम	„	122	122
(2) लाभान्वित जन संख्या	लाख	0.30	0.30

अध्याय—VI

प्रशासनिक नीति तथा संस्थागत रूपरेखा (फ्रेम वर्क)

जनतान्त्रिक सामाजिक व्यवस्था में तथा संसाधनों की भीषण कठिनाईयों और प्रशिक्षित जनशक्ति को ध्यान में रखकर नियोजित विकास के लिए आयोजना तैयार करना, समन्वय स्थापित करना तथा योजना–कार्यान्वयन में गम्भीर समस्यायें सन्निहित हैं। कार्य-सम्पादन की मन्द गति, प्रायोजनाओं की बराबर बढ़ती हुयी लागत, समय सूची के अनुसार कार्य का पूरा न होना, आवश्यक वस्तुओं तथा संघटक पुर्जों की अत्यन्त कमी, सम्बन्धित आर्थिक क्षेत्र में कार्य-सम्पन्न करने के प्रयासों को समसामयिक बनाना जैसी समस्यायें तथा ऐसे अन्य प्रश्न एक गम्भीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। हमारा कार्य करने का तरीका और प्रक्रिया अधिकतर अभी वहीं है जब कि विदेशों में प्रबन्ध के प्रगतिशील तथा वैज्ञानिक तरीके अपनाये गए हैं, जिससे बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और इससे क्षमता में तथा पूंजी और जनशक्ति की प्रति यूनिट से आउटपुट में भी सुधार हुआ है।

2—किन्तु, अब प्रशासनिक तथा संरचनात्मक समस्याओं के प्रति बराबर जागृति होती जा रही है। इसके फलस्वरूप बहुस्तरीय नियोजन क्षमताओं और सूचना एकत्र करने (मानीटरिंग) की पद्धति में समय-समय पर सुधार करने का प्रयास किया गया है। व्यावसायिक तथा औद्योगिक कार्यकलापों को विभागों से स्वायत्त निगमों को संक्रमित करना, जिम्मेदारी और क्षमता में सुधार करने के लिए विभागों में संरचनात्मक परिवर्तन करना, कार्यों का विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारों का प्रतिनिधान तथा अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करना—ये कुछ ऐसी अन्य कार्यवाहियां हैं जिनसे कार्यान्वयन में सुधार होगा।

संस्थागत नव पद्धतियां

3—उल्लेखनीय संस्थागत नव-पद्धतियों में ये हैं :—(1) राज्य नियोजन आयोग का गठन। (2) राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना। मुख्य मंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और जिनमें अभियन्त्रण, शिक्षा, प्रौद्योगिकी (टेक्नालोजी), कृषि, उद्योग, अर्थशास्त्र, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, व अन्य विषयों के प्रसिद्ध विशेषज्ञ इसके सदस्य हैं। इस आयोग को राज्य के सम्पूर्ण संसाधनों का आकलन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनायें तैयार करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण, संभागीय असमानताओं को कम करने के लिए साधन अपनाना तथा आयोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। सरकार को आर्थिक तथा वित्तीय मामलों में परामर्श देने के लिए अर्थशास्त्रियों की एक परामर्शदात्री परिषद् भी गठित की गयी है। देश के अनेक ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री उसके सदस्य हैं और उसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं।

4—राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना राज्य की नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से की गयी है। उसमें निम्नलिखित प्रभाग हैं :—

(1) अर्थ और संख्या प्रभाग,

(2) नियोजन संबंधी शोध तथा कार्य प्रभाग,

(3) मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाग,

(4) परिप्रेक्ष्य (Pespective) नियोजन प्रभाग,

(5) क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग,

(6) जन शक्ति नियोजन प्रभाग,

निम्नलिखित तीन नये प्रभाग भी बढ़ाए जायंगे:—

(1) मैटीरियल नियोजन प्रभाग,

(2) प्रायोजना निर्माण तथा आकलन प्रभाग,

(3) मानीटरिंग तथा सूचना प्रभाग ।

5—जिला तथा प्रभाग-स्तर पर नियोजन क्षमता कम पाई गई है । इन दो स्तरों पर अर्थशास्त्रियों, संख्याविदों, प्रबन्ध-विशेषज्ञों तथा मानचित्रकारों की सेवाओं की व्यवस्था करके नियोजन सेल गठित किए जायंगे । कई बड़े-बड़े विकास-विभागों में पहले से ही नियोजन सेल हैं । यह विचार है कि सभी विकास-विभागों में नियोजन सेल गठित किये जायें और जहां आवश्यक हो, वर्तमान सेलों को सुदृढ़ बनाया जाय ।

निगम

6—सभी विकास विभागों में विकास—कार्य का क्षेत्र तथा परिमाण अत्यधिक बढ़ गया है । फिर भी वाणिज्य तथा उद्योग कार्यकलाप सामान्यतः स्वायत्तशासी निगम निकायों द्वारा अच्छी प्रकार से किये जा सकते हैं । सामान्य रूप से स्वीकृत इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य में कई निगम कार्य कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश वित्त निगम (यू० पी० फाइनेन्शियल कार्पोरेशन), उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग निगम (यू० पी० स्टेट इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन), उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम (यू० पी० स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन) तथा निर्यात निगम (एक्सपोर्ट कार्पोरेशन) जैसे पुराने निगमों के अतिरिक्त कई निगमों का हाल ही में पंजीकरण किया गया है । वे हैं—प्रादेशिक उद्योग तथा विनियोग निगम (प्रादेशिक इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन), उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम (यू० पी० सीमेन्ट कार्पोरेशन), उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (यू० पी० ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन), उत्तर प्रदेश शक्कर निगम (यू० पी० शुगर कार्पोरेशन) तथा उत्तर प्रदेश पुल निगम (यू० पी० ब्रिज कार्पोरेशन) । तीन पिछड़े क्षेत्रों अर्थात् पूर्वी जिलों, बुन्देलखण्ड तथा पर्वतीय जिलों, के लिये अलग विकास निगम भी कार्य कर रहे हैं ।

7—विभिन्न निगमों के अध्यक्षों को सदस्यों के रूप में रखकर, मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक निदेश समिति (कमेटी आफ डाइरेक्शन) गठित की गई है जो इन निगमों की सामान्य नीतियां तथा ढांचे निर्धारित करेगी जिससे इनके कार्यकलाप राज्य सरकार की सामान्य नीतियों तथा उद्देश्यों के अनुरूप हो सकें । यह समिति निगमों द्वारा की गयी प्रगति की समीक्षा भी करती है । एक दूसरी समिति भी गठित की गयी है जो निगम-समन्वयन समिति कहलाती है । विभिन्न राज्य निगमों के प्रबन्ध निदेशक इसके सदस्य तथा नियोजन सचिव इसके संयोजक हैं । इस समिति का कार्य राज्य निगमों के कार्यकलापों में समन्वयन लाना तथा सूचना एवं अनुभव के विनिमय हेतु मंच (फोरम) प्रदान करना है ।

कुछ विभागों में संरचनात्मक परिवर्तन

8—वर्षों से सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य बहुत बढ़ गया है । यह देखा गया है कि सड़कों, पुलों, भवनों, राष्ट्रीय राज मार्गों का निर्माण आदि विभिन्न

कार्यों के एकीकरण से सभी योजनाओं के शीघ्र निष्पादन में सहायता नहीं मिली है तथा निष्पादन में विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निश्चित करना भी कठिन रहा है। अतः विभाग का क्रियात्मक आधार पर पुर्नगठन करने का निश्चय किया गया है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के चार पद सृजित किये गये हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं में से दो सड़कों के निर्माण, अनुरक्षण तथा सर्वेक्षण के लिये उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय राज्यमार्गों (नेशनल हाईवेज) को एक पृथक् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के प्रभार में रखा गया है। इसी प्रकार भवनों से संबंधित समस्त कार्य एक पृथक् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के अधीन रखा गया है। पुलों से संबंधित कार्य पुल निगम को सौंपा गया है, जिसे एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। यह क्रियात्मक (फंक्शनल) प्रभाग अपना कार्य करता रहेगा। संक्रमण को आसान करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता का एक वर्ष की अवधि के लिये पुराना सम्मिलित उत्तरदायित्व बना रहेगा जिसके समाप्त होने पर क्रियात्मक प्रभाग अपने स्तर पर स्थान ले लेगा।

9—राज्य विद्युत् परिषद् के मुख्यालय तथा क्षेत्र संगठन (फील्ड आर्गेनाइजेशन) का भी पुनर्गठन किया गया है। अब इसके कार्यों की देखभाल करने हेतु प्रत्येक के सम्मुख दर्शाये गये चार मुख्य अभियन्ता हैं :—

(1) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत् तथा प्रशासन),

(2) मुख्य अभियन्ता (सुरक्षा एवं आपातकाल),

(3) मुख्य अभियन्ता (भंडार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण)।

(4) मुख्य अभियन्ता (पारेषण, वितरण तथा अनुरक्षण)।

राज्य को चार क्षेत्रों अर्थात् कानपुर, वाराणसी, बरेली तथा मेरठ में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र मुख्य क्षेत्र-अभियन्ता के प्रभार में रखा गया है।

इन मुख्य क्षेत्र अभियन्ताओं को पर्याप्त अधिकार दे दिये गये हैं जिससे कार्य में विलम्ब न हो और उसका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

10—शिक्षा विभाग का भी पुनर्गठन किया गया है। प्रार्थमिक शिक्षा को एक पृथक् निदेशक के प्रभार में रखा गया है। जिला स्तर पर भी बेसिक शिक्षा का प्रभारी एक अलग अधिकारी रखा गया है। माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा से संबंधित कार्य का भी पुनर्गठन किया गया है तथा उन्हें पृथक निदेशालयों के प्रभार में रखा गया है। कार्यों के इस पृथकीकरण से अपेक्षाकृत अधिक क्षमता तथा शीघ्रता में वृद्धि होने की संभावना है।

<u>अधिकारों का प्रतिनिधान</u>

11—सिविल कार्यों से संबंधित प्रशासनिक अनुमोदन, प्राविधिक स्वीकृत टेंडरों की स्वीकृति आदि देने के संबंध में पर्याप्त रूप से अधिकारों का प्रतिनिधान किया गया है। लघु निर्माण कार्यों की वित्तीय सीमा भी 10,000 रु० से बढ़ा कर 20,000 रु० कर दी गयी है। वार्षिक योजना में प्रस्तावों की स्वीकृति हो जाने के तुरन्त पश्चात् ही स्थलों के चुनाव, भूमि क्रय, भवनों के अनुमान तैयार करने, कर्मचारिवर्ग की भर्ती, सामग्री तथा सज्जा की प्राप्ति के संबंध में विभागों को कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ऐसा इसलिये किया गया है कि जिससे वित्तीय वर्ष (जिससे प्रस्ताव सम्बन्धित) है, प्रारम्भ होने से पूर्व ही विभाग समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर सके।

क्षेत्र विकास प्रायोजनाएं

12—गन्डक नहर अधिग्रहण क्षेत्र के विकास हेतु एक प्रायोजना तैयार की गयी है। उन सभी विभागों को जिनके कार्यकलाप इस क्षेत्र के विकास में योगदान प्रदान करते हैं, स न्चित करना आवश्यक है। एकीकृत विकास कार्यक्रमों में खेत की नालियों तथा गूलों का निर्माण, ढलानों को समतल करना, वर्तमान नालियों के प्रति रूपण सहित जल निकास योजनायें, बीज भंडारों, उर्वरक तथा कीटनाशक डिपो, चुंगी (कस्टम) सेवा केन्द्रों, गोदामों पशुपालन तथा प्रजनन सुविधाओं, सड़कों, विद्युत पारेषण लाइनों, बैन्कों, डाकखानों, क्रय-विक्रय केन्द्रों, सहकारी समितियों, शैक्षिक तथा चैकित्सक सुविधाओं, पेय जल इत्यादि का जाल बिछाना सम्मिलित हैं। इसी प्रकार की क्षेत्र विकास प्रायोजना, रामगंगा प्रायोजना तथा शारदा, सहायक प्रायोजना के अधिग्रहण क्षेत्र के लिये तैयार की जा रही है। नियोजन संस्थान के क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग ने इलाहाबाद जिले के फूलपुर क्षेत्र के एकीकृत विकास को पहले ही प्रारम्भ कर दिया है। क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक योजनाओं के निर्माण से इसे और अधिक सम्बद्ध किया जायगा।

प्रगति की सूचना एकत्र करना तथा उसकी समीक्षा

13—विकास विभागों के सचिवों द्वारा की गयी मासिक बैठकों में तथा नियोजन विभाग द्वारा की गयी त्रैमासिक बैठकों में प्रगति की समीक्षा के सामान्य ढर्रे के अतिरिक्त प्रत्येक जिले के विकास कार्यों का पर्यवेक्षण मंत्रिपरिषद् के एक विशेष सदस्य को सौंपकर प्रगति की एक अत्यधिक उच्च स्तरीय तथा स्थल समीक्षा करना प्रारम्भ किया गया है। यह केवल प्रगति की गलत सूचना का पता लगाने तथा जिला स्तर पर अन्तर्विभागीय समन्वय प्राप्त करने में ही लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ है वरन् क्षेत्र में अनुभव की गयी विभिन्न बाधाओं एवं कठिनाइयों को मुख्य मन्त्री जी की जानकारी में लाने में भी लाभप्रद सिद्ध हुआ है।

क्षेत्रीय नियोजन का सुदृढ़ीकरण

14—राज्य का आकार देखते हुए यह आवश्यक है कि प्रभागीय स्तर पर उपलब्ध ज्येष्ठ अधिकारियों के दल की सेवाओं का, आयोजना बनाये जाने तथा कार्यक्रमों के निष्पादन में मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करने में पूर्ण उपयोग किया जाय। बहुस्तरीय नियोजन के संदर्भ में आयुक्तों तथा जिला अधिकारियों को समन्वयक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। यदि विभिन्न विभागों द्वारा अपने प्रभागीय तथा जिला स्तर के अधिकारियों को अधिक उदारतापूर्वक अधिकारों तथा कार्यों का प्रतिनिधान किया जाता है तो इससे विलम्ब कम होगा।

वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा प्रायोजना नियोजन का लागू किया जाना

15—प्रायोजना बनाने तथा मूल्यांकन करने में अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से भारतीय प्रबन्ध संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट), अहमदाबाद के तत्वावधान में एक पाठ्यक्रम का आयोजन नैनीताल में किया गया था। एक अन्य पाठ्यक्रम इन्स्टीट्यूट आफ इकोनोमिक ग्रोथ, नई दिल्ली, के तत्वावधान में लखनऊ में आयोजित किया गया था। प्रायोजना नियोजन, सूचना, मानीटरिंग एवं नियंत्रण प्रणाली पर एक अभिस्थापन पाठ्यक्रम नियोजन आयोग के सौजन्य से नैनीताल में आयोजित किया गया है। सभी विकास विभागों की नियोजन क्षमताओं को सुधारने हेतु अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों की शृंखलायें आयोजित करने का विचार है।

अध्याय-VII

पांचवीं योजना के लिये अग्रिम कार्यवाही

राज्य सरकार नियोजन आयोग के प्रति इस सुझाव के लिये, कि चालू योजना के शेष काल में ही पांचवीं योजना के लिये अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जानी चाहिये, कृतज्ञ है। इसमें सन्देह नहीं कि उन कार्यक्रमों/प्रायोजनाओं के संबंध में, जिनमें पर्यवेक्षण तथा अनुसंधान, भूमि का चयन तथा विकास, सज्जाओं का क्रय, कर्मचारिवर्ग का प्रशिक्षण इत्यादि करना आवश्यक है, अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर देने के फलस्वरूप पांचवीं योजना को समय से कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। ये कार्यक्रम प्रायोजनाएं मुख्यतः सिंचाई, विद्युत्, सड़कें, पेय जल सम्पूर्ति, वन, आवास, कृषि तथा पशु पालन से संबंधित हैं। चूंकि पांचवीं आयोजना विकास कार्यक्रम से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे मुख्यतया समय-बाधित तथा उपलब्धि-उन्मुख होना चाहिये, अतः चौथी योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1973-74 में यह परमावश्यक है कि कम से कम इस प्रकार की अग्रि कार्यवाही संचालित कर देने की व्यवस्था की जाय।

2--संसाधनों के अवरोधों को दृष्टि में रखते हुए किसी बड़े पैमाने पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करना भी सम्भव नहीं है। अतः 1973-74 की योजना में केवल न्यूनतम व्यवस्था ही की जायगी। स्पष्टतः ऐसा 1973-74 के लिये पहले से ही हाथ में लिये गये कार्य-क्रमों में कटौती करके, नहीं किया जा सकता, चूंकि ऐसा करने पर आनुपातिक रूप से अधिक आयोजनाएं पांचवीं योजना के लिये अग्रेनीत करनी पड़ेंगी और इससे चालू योजनाओं के पूर्ण होने में भी विलम्ब होगा। अतः नियोजन आयोग से, उपर्युक्त अग्रिम कार्यवाही संचालित करने के लिये, राज्य की वार्षिक योजना के लिये निर्धारित अधिकतम धनराशि के अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिये निवेदन किया गया है। अग्रिम कार्यवाही के लिये न्यूनतम परिव्यय 68.66 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :--

कृषि

3--पांचवीं योजना के दौरान नियत 6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिये समय-बाधित कृषि विकास कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देनी होगी। 1973-74 के दौरान, पांचवीं योजना के दौरान प्रस्तावित कुछ योजनाओं के लिये अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता होगी तथा तदनुसार 1973-74 में इन योजनाओं के लिये व्यवस्था करनी होगी।

4--पांचवीं योजना में कन्दरा को कृषि योग्य भूमि बनाने, भूमि संरक्षण तथा भूमि विकास को उच्च प्राथमिकता दी जायगी। कार्य को समय से पूरा करने के लिये यांत्रिक युक्तियों (मैकेनिकल डिवाइसेज) की आवश्कता होगी। भूमि पर चलने वाली भारी मशीनों को मंगाने का आदेश देने तथा प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है। पांचवीं योजना

के दौरान भूमि को आकार देने, कृषि योग्य भूमि बनाने तथा भूमि समतल करने हेतु 30 बुलडोजर इकाइयों की स्थापना करना प्रस्तावित है। 1973-74 के दौरान बुलडोजरों तथा अन्य सज्जाओं के क्रय हेतु 50.00 लाख रुपये को धनराशि अग्रिम कार्यवाही के रूप में प्रस्तावित की गयी है।

5—पांचवी योजना में 15 भूमि परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिये भूमि के क्रय, भवन-निर्माण और सज्जा-क्रय हेतु 22.50 लाख रु० की धनराशि आवश्यक होगी। 1973-74 में इस परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, जिससे पांचवीं योजना के प्रारम्भ से ही प्रयोगशालायें कार्य करना प्रारम्भ कर दें।

6—पर्वतीय क्षेत्रों में आठ बीज संवर्धन फार्म स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इन फार्मों को स्थापित करने की अग्रिम कार्यवाही के लिये, जिसमें भूमि का क्रय, सज्जा इत्यादि सम्मिलित है, 1973-74 में 12.5० लाख रु० की धनराशि आवश्यक होगी।

7—यह प्रस्ताव है कि पांचवीं योजना के दौरान राज्य के समस्त संभागों में संभागीय स्तर पर 11 बीज परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की जायें। तदनुसार, भूमि के क्रय, सज्जा और भवनों के निर्माण के लिये 5.50 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित योजनाओं के लिये 6.37 लाख रु० की धनराशि भी आवश्यक होगी—

		(लाख रुपयों में)
(1)	रिजोबियम कल्चर तैयार करने और उसका वितरण करने के लिये केन्द्र की स्थापना	1.25
(2)	कृषि विभाग के अधिकारियों के लिये एकीकृत कार्यालयों और निवास-स्थानों का निर्माण	1.50
(3)	संभागीय मुख्यालयों में कोल्ड स्टोरेजों (शीत भंडारों) की स्थापना	1.00
(4)	कृषि विभाग का पुनर्गठन	0.60
(5)	कृषि यंत्रों में ट्रैक्टर परिचालकों का विशेषीकृत प्रशिक्षण .	0.25
(6)	एल० ए० डी० पी०, अलीगढ़ में ट्रैक्टर ड्राइवरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	0.17
(7)	डी० आई० ए० आर० ए० के लिये कार्यक्रम-निर्माण हेतु प्राविधिक सैल	0.75
(8)	पर्वतों में भूमि उपयोग सर्वेक्षण	0.85
	योग ..	6.37

8—इस प्रकार पांचवीं योजना में कृषि क्षेत्र के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु कुल आवश्यकतायें 96.87 लाख रु० की है।

पशुपालन

आधार लाइन सर्वेक्षण

9—यह प्रस्ताव है कि उन क्षेत्रों में जहां पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान पशु, भेड़, कुक्कुट तथा शूकर विकास की सघन परियोजनायें प्रस्तावित हैं, सर्वेक्षण किया जाय। पांचवीं योजना के पहले वर्ष के लिये प्रस्तावित प्रायोजना हेतु 1973–74 के दौरान किया जाने वाला सर्वेक्षण अग्रिम कार्यवाही के रूप में प्रस्तावित है। योजना पर होने वाले कुल व्यय का अनुमान 3.55 लाख रु० है। सर्वेक्षण तीन सघन पशु विकास, दो सघन भेड़ विकास और दो सघन कुक्कुट विकास खंडों में किया जायगा।

पशुपालों कम्पाउन्डरों के प्रशिक्षण की अतिरिक्त सुविधायें

10—पांचवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिये कुल 2,462 पशुपालों और 423 कम्पाउंडरों की आवश्यकता का अनुमान है जिसमें से पहले वर्ष 755 पशुपाल और 86 कम्पाउंडर आवश्यक होंगे। वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्र केवल 200 पशुपाल और 40 कम्पाउंडर तैयार करने के लिये ही सुविधायें प्रदान करने में समर्थ होंगे। अतएव, यह प्रस्ताव है कि चार और पशुपाल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायें और चकगंजरिया (लखनऊ) के वर्तमान केन्द्र को सुदृढ़ किया जाय, जिससे कि आवश्यक संख्या में पशुपाल तैयार किये जा सकें। कम्पाउंडरों के लिये एक और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना आवश्यक होगा। इन केन्द्रों को अप्रैल, 1973 से कार्य करना प्रारम्भ कर देना चाहिये, जिससे 1974 के मध्य तक प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हो जायं, क्योंकि पशुपालों का पाठ्यक्रम 18 मास तक चलना है। वर्ष 1973–74 के दौरान अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओं पर कुल व्यय का अनुमान 5.00 लाख रु० है।

11—इस प्रकार इस क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही के लिये 1973–74 में कुल 8.55 लाख रु० की निधियां आवश्यक होंगी।

वानिकी

12—पांचवीं योजना के कार्यक्रमों को वर्ष 1974–75 से ही पूरे जोर के साथ लागू करने के लिये यह अनिवार्य है कि कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के लिये सर्वेक्षण कार्य, ट्रैक्टरों की खरीद, कांटेदार तार इत्यादि और कर्मचारिवर्ग के लिये विशेषीकृत प्रशिक्षण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाय। इससे योजनाओं को समय पर लागू करने में सहायता मिलेगी।

13—नियोजन, भूमि और जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिये सर्वेक्षण कार्य बिलकुल अनिवार्य है विशेषकर हिमालय-संभाग में क्योंकि इस संभाग का 60 प्रतिशत भाग वनों से ढका है। यह सभी बड़ी नदियों का मुख्य उद्गम भी है। मध्य और निम्न संभाग में त्रुटिपूर्ण भूमि उपयोगी तरीकों के कारण बहुत क्षरण होता है, जिससे विभिन्न जलाशयों में मिट्टी जम जाती है। इस लिये सघन और विस्तृत भूमि और नमी-संरक्षण कार्यक्रम आवश्यक है। इस दिशा में पहली कार्यवाही विस्तृत अध्ययन और ऐसे नक्शे तैयार करने की है जिसमें क्षरण की सघनता दिखाई गई हो। वर्तमान भूमि उपयोग के प्रतिरूप की संक्षिप्त सूची और क्षेत्रीय विवरण पत्र तैयार किये जाते हैं। एरियल फोटोग्राफी द्वारा सर्वेक्षण सबसे शीघ्र होने वाला और सुविधाजनक तरीका है। इसके लिये अग्रिम कार्यवाही के रूप में 24.00 लाख रु० की धनराशि आवश्यक है।

14—क्रय और प्रशिक्षण इत्यादि के लिये अपेक्षित अग्रिम कार्यवाही नीचे दिखाई गई है:—

1—वानिकी योजनायें

तालिका—1

निम्नलिखित का क्रय

	कालर ट्रैक्टर (सं०)	व्हील टाइप ट्रैक्टर (सं०)	कांटेदार तार मी० टन	ऐंगिल आइरन	स्टैपिल्स (मी० टन)	पालीथीन बैग (कि० ग्रा०)
1	2	3	4	5	6	7
1—आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व की प्रजातियों का वृक्षारोपण	20	30	240	275	15	..
2—शीघ्र उगने वाली प्रजातियां	20	30	400	360	35	89,000
3—संचार साधन		10 रोड रोलरों का क्रय				
4—भवन	ईंटें	सरिया (गोल)		जी० आई० पाइप		
	98 लाख	245 मी० टन		98,000 मीटर लम्बाई		

तालिका—2

निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षण :—

	भूमि संरक्षण	वन्य जीव	फोटो मीमांसा	कम्प्यूटर कार्यक्रम	अर्थशास्त्र	वन सांख्यिकी और क्षेत्रमिति	वन वर्धन	नवीकरण पाठ्यक्रम
	1	2	3	4	5	6	7	8
कर्मचारिवर्ग का प्रशिक्षण	प्रभागीय वनाधिकारी 4 सहायक अरण्यपाल 8 और वनराजिक 20	स० अ० 8 और उप वनराजिक 20	स० अ० 2 वनराजिक 4 एस० ए० 2 और कम्प्यूटर 2	स० अ० और एस० ओ० 4	प्र०वना० 2 स० आ० 4 और एस० ओ० 1	प्र०वना० और एस०ओ० 2 एस०ए० 2 और कम्प्यूटर 2	प्र०वना 2 और स०अ० 4	उपवनराजिक 80

2—भूमि संरक्षण योजनायें—

15—पैरा 2 में उल्लिखित सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक्त कुछ भूमि संरक्षण सामग्री की भी पहले से आवश्यकता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :—

तालिका 3

प्रायोजना	वोवेन वायर (मी० टन)	एस० एस० पी० वायर (मी० टन)	बाइंडिंग वायर (मी० टन)
1	2	3	4
नदी घाटी प्रायोजना कोसी	15	25	3
गंगा के जलागम क्षेत्र में नदी घाटी प्रायोजना	15	25	3

16—विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही के लिये व्यय की आवश्यकता इस प्रकार है:—

तालिका 4

स्कीमें	व्यय (लाख रुपयों में)
1	2
वानिकी—	
1—आर्थिक और औद्योगिक महत्व की प्रजातियों का वृक्षारोपण	45·00
2—शीघ्र उगने वाली प्रजातियां	59·00
3—संचार साधन	6·00
4—भवन	19·60
5—कर्मचारियों का प्रशिक्षण	2·00
योग ..	131·60

स्कीमें	व्यय (लाख रुपये में)
1	2
भूमि संरक्षण--	
1—हिमालय संभाग का सर्वेक्षण	24·00
2—कोसी के जलागम क्षेत्र में नदी घाटी प्रायोजना	1·60
3—गंगा के जलागम क्षेत्र में नदी घाटी प्रायोजना	2·40
योग ..	28.00
बड़ा योग ..	159·60

सिंचाई

17—राज्य सिंचाई योजना, पांचवीं योजना में 58·08 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिये बनाई जा रही है जिससे कृषि उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। 58·08 लाख हेक्टेयर की अपेक्षित वृद्धि में से 29·04 लाख हेक्टेयर की वृद्धि वृहत् और मध्यम सिंचाई से की जानी है, 18·04 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता चालू योजनाओं द्वारा और 10·20 लाख हेक्टेयर की नई योजनाओं द्वारा। नई योजनाओं से सिंचन क्षमता का सृजन भी संभव होगा जब कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ हो जाय।

18—निम्नलिखित योजनाओं पर प्रारंभिक कार्यवाही का प्रस्ताव है:—

तालिका 5

क्रम-संख्या	योजना का नाम	अनुमानित लागत	अंततः क्षमता (लाख हेक्टेयर)	अग्रिम कार्यवाही के लिये अपेक्षित निधियां	
				1972—73 (करोड़ रुपयों में)	1973—74 (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
1	राजघाट बांध	32·00 (उ० प्र० भाग)	1·17	0·10	1·25
2	गंगा बांध (फर्रुखाबाद)	20·50	2·10	0·05	1·00
3	चित्तौड़गढ़ जलाशय (गोंडा)	4·00	0·08	0·02	0·50

क्रम-संख्या	योजना का नाम	अनुमानित लागत	अंततः क्षमता (लाख हेक्टेयर)	अग्रिम कार्यवाही के लिये अपेक्षित निधियां	
				1972-73 (करोड़ रुपयों में)	1973-74 (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
4	बिरमा बांध (हमीरपुर)	4.50	0.17	0.02	0.50
5	उर्मिल बांध (हमीरपुर)	2.50	0.04	0.01	0.30
6	नलकूपों के लिये रिग्स की खरीद	..	..	..	2.00
7	सोन पम्पड नहर	17.04	1.10	..	0.50
8	राप्ती बांध (बैरेज)	20.00	0.72	..	0.25
	योग ..	100.54	5.38	0.20	6.30

19—इनकी संक्षिप्त रूप रेखा निम्न प्रकार है :—

(1) राजघाट बांध—इस प्रायोजना के अन्तर्गत माताटीला बांध से ऊपर की ओर बेतवा नदी के प्रतिस्रोत पर एक बांध के निर्माण किये जाने की परिकल्पना की गयी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार इस बात से सहमत हो गयी हैं कि इसे 62 टी० एम० सी० धारक क्षमता का निर्मित किया जायगा जिसका उपयोग उक्त दोनों राज्य करेंगे। इस प्रायोजना से बहुत समय पूर्व से महसूस की जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति होगी तथा पिछड़े हुए सम्भाग का इससे तेजी से विकास होगा। यदि प्रयोजना संबंधी निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाय तो यह पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक संभवतः पूरा हो सकता है।

(2) फर्रुखाबाद के निकट गंगा बैरज—गंगा नदी वर्षा ऋतु और रबी फसल की अवधि के प्रारम्भ में निचली गंगा नहर के पर्याप्त जल को अपने साथ बहा ले जाती है और अनुवर्ती रबी फसल में इससे कुछ पुनरुत्पादित जल सम्पूर्ति भी उपलब्ध हो जाती है। इन सम्पूर्तियों का उपयोग उस निचली गंगा नहर प्रणाली की निचली तलैटियों में किया जा सकता है जिनमें बारह महीने इस प्रकार का अभाव बना रहता है। इसलिये यह प्रस्ताव है कि गंगा नदी में उपलब्ध जल को एक बरेज तथा फीडर चनल के जरिये निचली गंगा नदी नहर के कानपुर शाखा में मिला दिया जाय। इस प्रायोजना से इस नहर प्रणाली पर खरीफ फसल वाले क्षेत्र का तेजी के साथ उस समय विकास होगा जिस समय नदी में अतिरिक्त जल सम्पूर्तियां उपलब्ध होंगी। इस निर्माण कार्य को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा किया जा सकता है यदि कार्य तुरन्त ही प्रारम्भ कर दिया जाता है।

(3) चित्तौड़गढ़ जलाशय---जिला गोण्डा में पचपेड़वा रेलवे स्टेशन के निकट बहमब-हार नाले के समीप संग्रह बांध (स्टोरेज बांध) निर्मित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रायोजना से लगभग 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र राप्ती मार्ग के पार हर वर्ष सिंचित किया जाया करेगा और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उसे पूरा किया जा सकता है यदि कार्य प्रारम्भ करने से संबंधित कार्यवाही तुरन्त चालू कर दी जाती है।

(4) बिरमा बांध---पहाड़ी और लाचौरा जलाशयों में, जिससे धासन नहर प्रणाली को पानी मिलता है, बराबर मिट्टी जमा हो जाने के कारण उनकी धारक क्षमताओं में, उनकी मूल 2,802 एम0क्यूबिकफिट और 541 एम० क्यूबिकफिट क्रमशः धारक क्षमताओं की तुलना से 35 और 68 प्रतिशत की क्रमशः कमी कर दी गयी है। अतः उनमें एकत्रित जल सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं के लिये कम पड़ता है। यह प्रस्ताव है कि हमीरपुर नगर में एक कस्बे के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 8 मील दूर ग्राम नकरा के समीप बिरमा नदी के पार एक मिट्टी का बांध निर्मित किया जाय और इसे दहसन नहर की जलालपुर शाखा से सम्बद्ध कर दिया जाय। इस प्रायोजना से प्रति वर्ष 17,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ उपलब्ध होगा। चूंकि दहसन नहर क्षेत्र में सिंचाई सम्पूर्तियों के अभाव के कारण कृषि को हानि पहुंच रही है, अतः इस प्रायोजना के अन्तर्गत कार्य को यथाशीघ्र प्रारम्भ करना वांछनीय है।

(5) उर्मिल बांध---इस प्रायोजना के अन्तर्गत जिला हमीरपुर की तहसील महोबा में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर उर्मिल नदी के पार एक बांध को निर्मित किये जाने की परिकल्पना की गयी है। यह एक अन्तर्राज्य योजना है। जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक अनुबन्ध हुआ है और चूंकि लाभान्वित होने वाले क्षेत्र में सिंचाई संबंधी सम्पूर्तियों की अत्यन्त आवश्यकता है, यह प्रस्ताव है कि योजना संबंधी कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किया जाय। योजनाओं के लिये सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य जारी है और प्रायोजना संबंधी प्राक्कलन अगले तीन मास के भीतर या इसके आस-पास तैयार हो जाने की आशा है। प्राथमिक निर्माण कार्य जैसे भूमि का अर्जन, सड़कों, भण्डारों, कर्मशालाओं और प्रायोजना कालोनियों का निर्माण तुरन्त ही प्रारम्भ किया जा सकता है तथा इससे अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही कार्य को प्रारम्भ किया जा सकेगा और उस समय तक प्रायोजना के प्राक्कलन भी तैयार हो जायेंगे।

(6) राज्य के नलकूपों के लिए सज्जा और उपकरण का क्रय किया जाना---इस समय राज्य के नलकूप संगठन की वेधन क्षमता प्रतिवर्ष 1000 नलकूप है। इस क्षमता को अगले दो वर्षों में दुगना करना है। ऐसा करना तभी सम्भव होगा यदि सज्जा और अन्य उपकरण को प्राप्त करने की कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ कर दी जाती है। 1973-74 के लिए सज्जा और सहायक उपकरण खरीदने के लिए 200 लाख रु० की धनराशि उपलब्ध की जानी चाहिए।

(7) सोन पम्प्ड नहर---मिर्जापुर के पठार क्षेत्र में, जल के संसाधनों की अत्यधिक कमी के कारण कृषि की उपज बहुत ही कम होती है, अतः यह राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ भाग है। इस पठार क्षेत्र के 2.73 लाख एकड़ (1.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र) की हर वर्ष सिंचाई करने के लिए सोन नदी से, लगभग 550 फुट के शीर्ष पर, 1000 क्यूसेक्स पानी निकालने का प्रस्ताव है। प्रायोजना सम्बन्धी प्राक्कलन भारत सरकार को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। 1973-74 में इस योजना का कार्य प्रारम्भ किए जाने का विचार है जिसके लिए 50 लाख रु० की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

(8) राप्ती बैरेज---जिला गोंडा के बलरामपुर नगर के उत्तर-पूर्व में लगभग 3 मील दूर राप्ती नदी के पार एक बैरेज निर्माण करने की परिकल्पना की गई है जिससे कि गोंडा और बस्ती जिले में राप्ती और बुरही नदियों के बीच के दुआब में राप्ती नदी के दायें पार्श्व

से 2,000 क्यूसेक्स पानी निकालने की क्षमता वाली नहर द्वारा लगभग 1,80,000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की जा सके।

1973-74 में इस योजना से सम्बन्धित कार्य को प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए 25 लाख रु० की धनराशि का प्रस्ताव किया जा रहा है।

विद्युत्

20—राज्य में विद्युत् की संकटपूर्ण स्थिति भली-भांति विदित ही है। अधिकतम कमी 300-400 मेघावाट तक है और जब तक कि नयी योजनाओं पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए अत्यधिक आवश्यक उपाय नहीं किए जाते तो राज्य में पांचवीं योजना में विद्युत् संकट अवश्य उत्पन्न हो जायगा। नयी योजनाओं के लिए 47.40 करोड़ रु० की सीमा तक अतिरिक्त निधियों का एक अश्वासित प्राविधान करना आवश्यक है जिससे कि संयंत्र निर्माताओं और नागरिक निर्माण-कार्यों तथा यथा आवश्यक उपमार्गों के निर्माण के लिए अग्रिम भुगतान किया जा सके। इन योजनाओं के व्यौरे और अपेक्षित परिव्यय नीचे दिए गए हैं :—

सारिणी—4

प्रायोजना का नाम	प्रयोजन	परिव्यय (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1—लखवर—व्यासी प्रायोजना	उपमार्गों और डाइवरशन चैनल का निर्माण	1.00
2—ऋषिकेश—हरिद्वार प्रायोजना	कालोनी का निर्माण और अन्य अग्रिम कार्य	1.00
3—मनोरी—भाली भाग 2	कालोनी का निर्माण और अन्य अग्रिम कार्य	0.50
4—विष्णु—प्रयाग जल विद्युत् योजना	उपमार्गों का निर्माण	1.50
5—गोरखपुर थर्मल प्रायोजना	बी० एच० इ० एल० को संयंत्र के लिए 10 प्रतिशत अग्रिम	2.75
6—माताटीला थर्मल प्रायोजना	बी० एच० इ० एल० को संयंत्र के लिए 10 प्रतिशत अग्रिम	2.75
7—ओबरा थर्मल प्रसार प्रक्रम दो	बी० एच० इ० एल० और नागरिक निर्माण कार्य को और अग्रिम का भुगतान	26.24
8—हरदुआगंज प्रसार प्रक्रम-5	तदेव	11.66
	योग ..	47.40

21—उक्त धनराशियों के अलावा 1972–73 में 32.13 करोड़ रु० तक की अतिरिक्त धनराशि और 1973–74 में शेष 15.27 करोड़ रु० तक की आवश्यकता है। यदि 1972–73 के दौरान 32.13 करोड़ रु० का परिव्यय उपलब्ध नहीं करा दिया जाता है तो 1973-74 में कुल 47.40 करोड़ रु० के अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता होगी। उल्लिखित प्रायोजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है—

(1) लखवर व्यासी—इस प्रायोजना के अन्तर्गत यमुना नदी के लखवर पर 244 मीटर ऊंचे कंकरीट बांध के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। इसकी 3 × 150 मेगावट बिजलीघर की स्थापित क्षमता होगी। व्यासी पर बिजलीघर सहित 2 × 25 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला 60 मीटर ऊंचा कंकरीट का एक बांध निर्मित किया जायगा। प्राथमिक नागरिक निर्माण कार्य जैसे उपमार्गों का पुनःप्रतिरूपण और सुदृढ़ीकरण किये जाने तथा डाइवरशन टनल आदि के निर्माण करने के संबंध में व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसके लिए 1973–74 में 1.00 करोड़ रु० की धनराशि की आवश्यकता होगी।

(2) ऋषीकेश हरिद्वार प्रायोजना—इस प्रायोजना में ऋषीकेश नगर में गंगा नदी की 2.5 किलोमीटर निचली धारा पर, वर्षाऋतु और गैर वर्षा ऋतु के जल को एक पावर चैनल में मिला देने के लिए एक डाइवरशन बैरेज के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। 1973–74 के दौरान में प्रारम्भिक नागरिक निर्माण कार्य जैसे उपमार्गों का निर्माण और उनका सुधार करने, डाइवरशन चैनल और आवासिक बस्तियों आदि का निर्माण करना पड़ेगा। इस प्रयोजन के लिये 1.00 करोड़ रु० के परिव्यय की आवश्यकता है।

(3) मनेरी भाली द्वितीय भाग—इस योजना में भागीरथी नदी में मनेरी भाली की टेलरेक्ष के प्रथम प्रक्रम और टेहरी जलाशय बांध की ऊपरी जलधारा के बीच में गिरने वाली 275 मीटर लम्बी एक जलधारा को उपयोग किये जाने की परिकल्पना की गयी है।

उत्तरकाशी में जसपुर के निकट एक अन्तर्भूमि बिजलीघर की स्थापना की जायगी जिसकी 156 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता होगी। 1973–74 के दौरान प्राथमिक नागरिक निर्माण-कार्य जैसे उपमार्गों और उनके पुनः प्रतिरूपण करने और उनके सुदृढ़ीकरण के लिये तथा कालोनी और डाइवरशन चैनल आदि के निर्माण की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसके लिये 0.50 करोड़ रु० की आवश्यकता है।

(4) विष्णु प्रयाग जलविद्युत् योजना—उपमार्ग और डाइवरशन चैनल आदि के निर्माण के लिये 1.50 करोड़ रु० की धनराशि की आवश्यकता है।

(5) गोरखपुर थर्मल प्रायोजना—इस प्रायोजना के अन्तर्गत गोरखपुर में दो-दो सौ मेगावाट की दो इकाईयां स्थापित की जायेंगी। संयंत्र और सज्जा के लिये आदेश देने पर 2.75 करोड़ रु० की धनराशि के अग्रिम भुगतान की आवश्यकता है।

(6) माताटीला—झांसी जिले में माताटीला बांध प्रायोजना के अन्तर्गत 220 मेगावाट की दो इकाईयां स्थापित की जायेंगी। बी० एच० इ० एल० को 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के लिये 2.75 करोड़ रु० की आवश्यकता है।

(7) ओबरा प्रसार तृतीय प्रक्रम—2 × 200 मेगावाट—इस प्रायोजना के अन्तर्गत दो-दो सौ मेगावाट को दो थर्मल विद्युत् जनन इकाईयां ओबरा कम्पलेक्स के और अधिक प्रसार के रूप में जिला मिर्जापुर में ओबरा पर स्थापित की जायेंगी। संयंत्रों और यंत्रों के लिये बी० एच० इ० एल० को आदेश दे दिये गये हैं। दस प्रतिशत अग्रिम का भी भुगतान किया गया है किन्तु वर्तमान शर्तों के अधीन राज्य विद्युत् परिषद् को 40 प्रतिशत अतिरिक्त अग्रिम का भुगतान टरबाइन्स (जल चक्कियों) पर किये जाने की आवश्यकता है तथा प्राप्त

सज्जा पर भी पूर्ण क्रमागत भुगतान किये जायेंगे । इस प्रयोजना के लिये निर्माताओं द्वारा निर्दिष्ट सम्पूर्ति संबंधी सूची को ध्यान में रखते हुए 26.24 करोड़ रु० की अतिरिक्त धन-राशि की आवश्यकता है ।

(8) हरदुआगंज प्रक्रम-4--2 × 60 मेगावाट--इस योजना के अन्तर्गत अलीगढ़ जिले में हरदुआगंज में साठ-साठ मेगावाट की दो थर्मल विद्युत् जनन इकाईयों को स्थापित किये जाने की परिकल्पना की गयी है । इस प्रायोजना को प्राविधिक परामर्शदात्री समिति ने पहले ही स्वीकृत कर दिया है । संयंत्र के संबंध में आदेश दिये जा चुके हैं तथा 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान कर दिया गया है । बी० एच० इ० एल० को संयंत्र और सज्जा तथा नागरिक निर्माण कार्यों के लिये अग्रिम भुगतान करने के लिये 11.66 करोड़ रु० की धनराशि की आवश्यकता है ।

सड़कें

22--पांचवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 15,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि राज्य में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 50,000 किलो मीटर लम्बी सड़कें हो जायेंगी । नयी सड़कों के निर्माण के अतिरिक्त पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान सड़कों के पुनर्निर्माण और उनके सुधार के लिये भी वृहत् कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायगा ।

23--सड़क विकास कार्यक्रम सम्बन्धी विगत अनुभव से ज्ञात हुआ है कि पर्याप्त विलम्ब इस कारण से हुआ था कि विशेष उपकरण और संयंत्र तथा सज्जा जैसे रोड रोलर्स (सड़क कूट इंजनों) मिक्सचर प्लान्टों, हाट मिक्स पावर्स, होज पाइपों, जीपों, ट्रकों आदि की भारी कमी है । राज्य में इन सामग्रियों की पहले से ही कमी है । इन यंत्रों में से अधिकांश यंत्र सुगमता से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं । इनको निर्मित करने में एक वर्ष या इससे अधिक समय लगता है । अतएव यह अत्यन्त आवश्यक है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों में निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित उपकरण और यंत्र, पांचवीं योजना के प्रारम्भ में उपलब्ध कराए जाने चाहिए ।

24--राज्य सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़कों के सर्वेक्षण करने और उनके सम्बन्ध में विस्तृत अनुमानों को तैयार करने के लिए 100.00 लाख रु० स्वीकृत किया है । इसलिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ हो जाने के बाद विस्तृत रूप से अनुमान तैयार हो जायेंगे और तत्सम्बन्धी स्वीकृतियों को जारी करने के तुरन्त बाद ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा । किन्तु यदि अपेक्षित उपकरण और संयंत्र तथा अन्य यंत्र यथासमय उपलब्ध नहीं हो जाते हैं तो कार्य की प्रगति में बाधा पहुंचेगी । अतएव वर्ष 1973-74 के दौरान पांचवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिए 5.50 करोड़ रु० के अनुमानित मूल्य के आवश्यक उपकरण खरीदने का प्रस्ताव किया गया है । किन्तु उक्त प्रस्तावित यंत्र सम्पूर्ण पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्याप्त न होंगे । पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के दौरान अतिरिक्त यन्त्रों की व्यवस्था की जायगी ।

स्वास्थ्य

25--चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल कालेजों, स्वास्थ्य केन्द्रों और चिकित्सालयों के लिए भवनों का निर्माण कराया जाना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पूर्व आवश्यकता है । इन निर्माण-कार्यों के लिए भूमि अर्जन में पर्याप्त समय लग जाता है और

निर्माण-स्थल के नक्शों और चिकित्सालयों और औषधालयों के लिए उपकरणों के सम्पूर्ति सम्बन्धी अनुमानों को तैयार करने में भी काफी समय लगता है। अतएव, ऐसे मामलों में प्रारम्भिक निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है और 1973-74 में 180.50 लाख रु० की धनराशि की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही के रूप में व्यवस्था की जा रही है ताकि पांचवीं योजना के प्रारम्भ होने के समय से ही विभिन्न प्रायोजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रारम्भ किया जा सके।

पेयजल

26—राज्य के कुल 1.12 लाख गांवों में से लगभग 32,300 गांवों में पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के दौरान पेयजल की समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करने की अब भी आवश्यकता है। इसमें 18,100 पर्वतीय, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के गांव तथा अन्य अभावग्रस्त गांव सम्मिलित हैं। पूर्वीय जिले, भावर क्षेत्र तथा कुछ अन्य क्षेत्रों के अधिकांश गांवों में इस प्रयोजन के लिए 800 नलकूपों का निर्माण कराना आवश्यक होगा। इस प्रयोजन से विभाग के पास केवल पुराने 9 रिग्स हैं। स्पष्टतया वे न केवल इस कारण से अपर्याप्त हैं कि वे अल्प संख्या में हैं किन्तु वे इसलिए अपर्याप्त हैं कि उनसे चट्टानी स्तर की मांग की पूर्ति नहीं हो सकती है। अतएव ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष प्रकार की रिग की व्यवस्था करना आवश्यक है। देश में ही कुछ यंत्र तो मिल सकते हैं किन्तु कुछ यंत्रों को आयात किए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण पेयजल की सम्पूर्ति के लिए राज्य में 30 अतिरिक्त रिगों की आवश्यकता होगी। प्रथम वर्ष में ही कार्य को प्रारम्भ करने के लिए 1973-74 के दौरान कम से कम 15 रिगों को, दो करोड़ रु० की लागत पर पांचवीं पंच वर्षीय योजना के लिये प्राप्त करना आवश्यक होगा। लगभग एक करोड़ रु० के मूल्य के पाइपों को भी पहले से ही प्राप्त करना होगा।

आवास

27—शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में निवासन की समस्या बड़ी गम्भीर हो गयी है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निवासन संबंधी कार्यवाही को तीव्रगति से करने का प्रस्ताव किया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये चौथी पंच वर्षीय योजना को आखिरी साल में भूमि अर्जन, भूमि विकास आदि के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करनी आवश्यक होगी।

28—1973-74 में ऐसी अग्रिम कार्यवाही के लिये 2 करोड़ रु० की धनराशि की आवश्यकता होगी।

शहरी क्षेत्र का विकास

29—उत्तर प्रदेश में नगरपालिका निगमों, नगरपालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्रों और नागर क्षेत्रों को मिलाकर 599 स्थानीय निकाय हैं। प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस संबंध में बहुत अधिक कार्य इस कारणवश नहीं किया जा सका कि संबंधित कार्यक्रमों के लिये परिव्यय बहुत ही अपर्याप्त थे। शहरी क्षेत्र में प्रसार हो जाने के कारण पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक विकास के लिये शहरी क्षेत्र के विकास संबंधी व्यापक कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना अत्यावश्यक हो गया है ताकि नयी गन्दी बस्तियों का निर्माण न होने पाये और वर्तमान शहरी क्षेत्रों की दशा में सुधार किया जा सके। चौथी पंच वर्षीय योजना के आखिरी साल में कार्यवाही प्रारम्भ करना

आवश्यक है जिससे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सके। अतएव 1973-74 के दौरान पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किये जाने वाले उपयुक्त कार्यक्रमों के लिये अनुदानों के रूप में एक करोड़ रु० की धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे किये जाने वाले कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :—

1—सड़कों और गलियों का सुधार जिसमें ट्रैफिक चबूतरा (आयलैंड्स) सम्मिलित है।

2—गन्दी बस्तियों का सुधार।

3—भंगियों और अपमार्जकों (स्केवेन्जरों) की कार्य करने की दशाओं में सुधार।

4—नगरों को सुन्दर बनाना।

5—उन मुहल्लों में पानी और बिजली की सम्पूर्ति जिनके अधिकांश निवासी हरिजन हों।

6—आस-पास के दूषित वातावरण का निवारण।

7—मैले पानी के फार्मों (स्लेज फार्मों) की स्थापना।

8—पार्कों और क्रीड़ास्थलों की स्थापना।

9—स्थानीय निकायों द्वारा संचालित चिकित्सालयों और औषधालयों का सुदृढ़ीकरण।

10—शहरी क्षेत्रों में विष्ठा के निस्तारण के लिये मल स्वच्छता विधि (कन्जरवेन्सी) का यंत्रीकरण तथा पाचित्रों (डाइजेस्टर्स) का निर्माण।

11—शहरी सफाई शौचालय कार्यक्रम जिसमें कमाने वाले (सर्विस) शौचालयों को मल शौचालयों ((सेप्टिक) में परिवर्तित करना।

12—नगर नियोजन।

13—छतरियों (किश्कोंस) का निर्माण।

विवरण-पत्र—1

राज्य आयोजनागत परिव्यय तथा व्यय

(लाख रुपये में)

विकास मद	चौथी योजना परिव्यय (1969-74)	वास्तविक व्यय			1972-73		1973-74 (परिव्यय)		
		1969-70	1970-71	1971-72	स्वीकृत परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कृषि शोध एवं शिक्षा ..	418	62	71	106	123*	109	123	23	..
कृषि उत्पादन ..	5,217	838	866	1,089	927*	1,068	1,039	157	1
छोटे कृषक एवं भूमिहीन कृषक	100	..	..	..	..	..	..	..	..
भूमि सुधार ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
लघु सिंचाई ..	9,600	2,075	2,188	2,158	2,048	2,060	2,148	2,000	..
भूमि संरक्षण ..	2,140	357	387	402	422	446	460	..	..
पशु पालन ..	550	66	104	121	125	130	148	9	..
दुग्धशाला तथा दुग्ध वितरण	400	48	48	102	165	177	180	82	..
वन ..	1,300	206	194	251	270	269	300	..	..

मत्स्य ..	99	10	14	14	21	19	30	19	..
भाण्डारागार ..	105	6	23	67	29	16	74	54	..
योग 1—कृषि एवं समवर्ती कार्यक्रम	19,920	3,668	3,895	4,310	4,130	4,294	4,502	2,344	1
सहकारिता ..	1,100	46	179	347	328	645	630	431	..
सामुद विकास ..	1,015	211	179	233	178	177	100	51	..
पंचायत ..	100	18	33	37	40	40	50	6	..
योग 2—सहकारिता एवं सामुदायिक विकास	2,215	275	391	617	546	862	780	488	..
सिंचाई ..	9,000	2,224	1,755	3,042	3,028	3,738	3,064	3,064	140
बाढ़ नियंत्रण ..	800	114	159	209	300	300	300	300	..
विद्युत् ..	37,500	7,387	8,116	8,823	7,892	8,392	8,400	8,400	414
योग 3—सिंचाई एवं विद्युत्	47,300	9,725	10,030	12074	11,220	12,430	11,764	117,64	554

विवरण पत्र—1 (क्रमशः)

(लाख रुपये में)

विकास मद	चौथी योजना परिव्यय (1969–74)	वास्तविक व्यय 1969–70	1970–71	1971–72	1972–73 स्वीकृत परिव्यय	1972–73 अनुमानित व्यय	1973–74 (परिव्यय) कुल	पूंजी	विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वृहत् एवं मध्यम उद्योग	2,372	470	634	751	351	351	488	441	..
खनिज विकास ..	95	12	23	31	35	35	60	10	..
ग्रामीण तथा लघु उद्योग	2,010	157	213	250	350	350	500	354	..
योग–4—उद्योग तथा खनि–कर्म	4,477	639	870	1,032	736	736	1,048	805	..
सड़क ..	5,000	658	887	1,017	1,343	1,443	1,500	1,500	100
सड़क परिवहन ..	725	88	86	150	200	200	2	..	..
पर्यटन ..	50	9	6	7	16	16	20	..	..
योग–5—परिवहन तथा संचार साधन	5,775	755	979	1,174	1,559	1,659	1,522	1,500	100

सामान्य शिक्षा ..	5,345	548	665	1,189	1,367	1,379	1,618	83	..
प्राविधिक शिक्षा ..	1,048	151	131	131	160	153	175	23	2
स्वास्थ्य ..	3,550	326	436	518	886	657	1,350	512	..
पुष्टाहार कार्यक्रम ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जल सम्पूर्ति ..	2,025	598	482	531	400	455	500	168	1
आवास तथा नगर विकास	1,225	217	248	279	323	323	325	291	..
पिछड़ी जातियों का कल्याण	720	64	68	120	205	204	300	31	..
समाज कल्याण ..	100	8	10	20	22	22	40	7	..
शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण	364	56	38	35	54	75	81	9	..
सवर्ण के व्यक्तियों को रोज-गार दिलाना	50	..	10	13	483	445	524	14	..
योग—6—समाज सेवायें	14,427	1,968	2,088	2,836	3,870	3,913	4,913	1,138	8

विवरण पत्र—1 (समाप्त)

(लाख रुपये में)

विकास मद	चौथी योजना परिव्यय (1969—74)	वास्तविक व्यय 1969–70	वास्तविक व्यय 1970–71	वास्तविक व्यय 1971–72	1972–73 स्वीकृत परिव्यय	1972–73 अनुमानित व्यय	1973–74 कुल	1973–74 पूंजी	1973–74 विदेशी मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सांख्यिकी ..	20	1	2	2	3	3	14	5	..
सूचना एवं प्रसार	20	4	4	4	4	4	15	..	..
सीमान्त क्षेत्र ..	2,000	351	460	401	402	421	425	319	..
मूल्यांकन ..	3	..	..	..	1	2	3	..	..
अन्य ..	343	52	55	92	57	59	51	3	.
योग—7–विविध ..	2,386	408	521	499	467	489	508	327	..
कुल योग ..	96,500	17,438	18,774	22,542	22,528	24,383	25,037	18,366	658

विवरण-

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित

संकेत संख्या	मद/परियोजना		चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक 1969–70	वास्तविक 1970–71
1	2		3	4	5
	1.1 कृषि उत्पादन--				
	(1) कृषि शिक्षा				
	सामुदायिक विकास विभाग--				
1101	कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा (आडोविजुएल सेक्शन)	..	29.20	5.54	12.45
	(2) निर्यात के लिए वाणिज्यिक फसलों का विकास–	..			
	कृषि विभाग--				
1121	मूंगफली का अधिकतम उत्पादन	..	44.92	9.33	10.36
1122	कपास का अधिकतम उत्पादन	..	6.86	1.08	1.29
1123	जूट फसलों पर यूरिया तथा कीट-नाशक दवाओं का हवाई छिड़काव	..	2.15	0.29	0.41
1124	जूट का विशिष्ट पैकेज कार्यक्रम	..	4.41	0.34	0.49
1125	जूट और मेस्ता के किस्मों का सुधार	..	2.82	1.00	0.43
1126	समुन्नत जूट बीजों का कम मूल्य पर वितरण	.	1.69	0.15	0.35
1127	लाख के पैकेज कार्यक्रम का विस्तार	..	0.49	0.07	0.06
1128	वर्जीनिया तम्बाकू का विकास	..	..	..	..
1129	राई और सरसों का विकास	..	..	..	1.87
1130	सोयाबीन प्रदर्शन	..	..	..	..
1131	सूर्यमुखी का विकास	..	..	..	..

पत्र 2 (लाख रुपये में)

योजनायें

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
8.89	14.66	13.58	15.52	2.40
12.41	16.64	15.77	17.75	..
2.00	2.41	2.43	2.46	..
2.47	8.64	1.14	6.67	..
0.88	3.13	1.83	3.04	..
0.95	1.20	1.00	2.20	..
0.36	0.40	0.40	0.40	..
0.10	0.14	0.14	0.15	..
0.40	0.59	0.87	1.03	..
8.23	4.00	20.00	40.00	..
1.17	10.18	6.35	10.67	..
0.26	0.96	0.96	1.92	..

विवरण पत्र-2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक 1969-70	वास्तविक 1970-71
1	2	3	4	5
	1.1. कृषि उत्पादन			
1132	सोयाबीन का विकास	..	..	..
1133	आदिवासियों को लाख का मुफ्त वितरण	..	..	..
नयी परियोजना—				
	निर्यात प्रोन्नति के लिए सफेद प्याज का विकास	..	..	..
फलोपयोग—				
1140	निर्यात प्रोन्नति के लिए 'अखरोट' का उत्पादन	1.27	..	..
(3)	कृषि-सांख्यिकी—			
1150	फसलों के अंतर्गत क्षेत्र व उत्पादन का अनुमान लगाने की प्रणाली में सुधार	14.35	2.43	2.68
1151	खण्ड स्तर पर कृषि उत्पादन का अनुमान लगाने का न्यादर्श-सर्वेक्षण	0.37	..	..
1152	फसलों के कटाई के पूर्व उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये अग्रगामी परियोजना	1.57	0.01	0.16
1153	प्रमुख फसलों पर राष्ट्रीय प्रदर्शन	6.17	0.38	0.98

(लाख रुपये में)

व्यय	1972–73		1973–74 (परिव्यय)	
1971–72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
..	संकेत सं0 1130 में सम्मिलित		..	..
..	0.93	0.53	1.50	..
..	..	0.18	0.18	..
0.16	0.56	2.46	0.61	..
2.85	3.67	3.41	3.49	..
..	..	..	..	..
0.27	0.31	0.31	0.32	..
4.04	4.05	1.77	1.71	..

विवरण पत्र–2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक 1969–70	वास्तविक 1970–71
1	2	3	4	5
1.1. कृषि उत्पादन—				
1154	रेड़ीप्रदर्शन	..	0.08	0.07
1155	अधिक उत्पादन वाली फसलों का न्यादर्श सर्वेक्षण ..	.	..	2.18
(5)	इन्डेमिक क्षेत्रों में पौध-सुरक्षा—	..	..	..
1170	इन्डेमिक क्षेत्रों में फसल कीटाणओं तथा रोगों को दूर करने में छोटे कृषकों को समर्थ बनाना			
(6)	अन्य—			
1191	मल्टीपुल क्रॉपिंग की अग्रगामी परियोजना	..	..	.
1192	फार्म रेडियो सर्विस	..	..	..
	नयी परियोजनाएं—			
	कृषकों को स्टोरेज-बिन्स का वितरण	..	..	..
	योग, 1.1–कृषि उत्पादन ..	116.27	20.70	33.78

(लाख रुपये में)

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
0.09	0.13	0.12	0.12	..
2.34	2.78	2.80	2.79	..
4.25	17.50	10.48	27.10	..
1.05	3.50	5.65	9.81	..
..	0.22	..	..	..
..	8.00	8.00	16.00	16.00
53.17	104.60	100. 8	165.44	18.40

विवरण पत्र–2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक	
			1969–70	1970–71
1	2	3	4	5
	1.3. भूमि-संरक्षण—			
	(1) वन विभाग—			
1301	राम गंगा के जलागम क्षेत्रों में नदी घाटी प्रायोजना	100.78	17.00	16.44
1306	नदी घाटी प्रायोजना माताटीला बांध	27.00	..	0.50
	कुल ..	127.78	17.00	16.94
	(2) कृषि विभाग—			
1302	उत्तर प्रदेश में खालों के पुनर्थापण की अग्रगामी प्रायोजना।	100.00	1.80	7.50
1303	झांसी, आगरा, मिर्जापुर जिले में ड्राई लैंड फार्मिंग की समन्वित योजना	..	..	1.94
	कुल ..	100.00	1.80	9.44
	योग, 1.3. भूमि संरक्षण ..	227.78	18.80	26.38

(लाख रुपये में)

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
19.82	25.00	26.89	52.78	..
3.84	8.00	8.14	9.63	..
23.66	33.00	35.03	62.41	..
7.64	18.34	25.76	25.48	..
19.20	59.67	46.46	57.53	21.35
26.84	78.01	72.22	83.01	21.35
50.50	111.01	107.25	145.42	21.35

विवरण-पत्र—2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक	
			1969-70	1970-71
1	2	3	4	5
2.1. पशुपालन—				
2101	उत्तर प्रदेश में पशु-महामारी (रिन्डर-पेस्ट) की रोकथाम के लिए अन्तर प्रदेशीय सीमा पर प्रति रक्षा मंडल की स्थापना	29.92	4.49	5.70
2102	ग्रामीण पशुओं की स्वस्थ्य-वस्थित उन्नति के लिए सांडों का संतति परीक्षण	6.22	0.27	0.50
2103	निरोध केन्द्रों की स्थापना	3.35	0.36	0.41
2104	राज्य के अन्तर्राज्यक सीमा पर बांस टीका चौकियों का स्थापना	14.58	0.75	2.28
2105	भैंसोर, नौगढ़ ब्लाक में वृहद स्तर पर भेड़-फार्म की स्थापना	..	..	..
2106	चुने हुए पशु चिकित्सा-लयों, विकास खन्ड और वीर्य-संग्रह केन्द्रों पर अतिरिक्त फंक-स्नराज की व्यवस्था	..	..	..
	अन्तरिम सहायता ..	..	..	..
	योग—2.1. पशुपालन..	54.07	5.87	8.89

(लाख रुपये में)

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
5.83	6.15	5.94	4.93	..
0.73	1.93	0.94	1.09	..
0.60	0.41	0.76	0.38	..
1.92	2.11	2.02	2.06	..
..	35.79	1.00	10.00	..
..	..	3.31	8.07	..
0.41	..	0.50	1.26	..
9.49	46.39	14.47	27.79	..

विवरण पत्र—2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक	
			1969—70	1970—71
1	2	3	4	5
2.8. वन—				
2301	वन संसाधनों का सर्वेक्षण ..	9.00	1.72	1.75
3.1. सहकारिता—				
3101	कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि	156.00	23.50	15.02
3102	प्रदेशीय सहकारी संघ को उर्वरक व्यापार के लिए सीमान्त धन	200.00	13.00	50.00
	योग : 3.1. सहकारिता ..	356.00	36.50	65.02
3.2. सामुदायिक विकास—				
3201	व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम	162.52	32.06	37.63
3202	उत्पादक केन्द्रों के लिए पाइलट रिसर्च-प्रोजेक्ट	6.70	..	0.88
	योग : 3.2. सामुदायिक विकास ..	169.22	32.06	38.51

(लाख रुपये में)

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
1.79	1.80	1.90	2.00	..
32.00	32.00	32.00	53.47	17.77
40.00	50.00	50.00	60.00	60.00
72.00	82.00	82.00	113.47	77.77
35.31	31.28	30.60	22.10	..
1.96	2.25	1.42	1.42	..
37.27	33.53	32.02	23.52	..

विवरण–पत्र 2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक 1969–70	वास्तविक 1970–71
1	2	3	4	5
4,3.	विद्युत्—	..	..	..
4301	अन्तर राज्यीय कड़ी			
	1—मुगलसराय—उ० प्र०/बिहार सीमान्त लाइन (200 के० वी० एस० सी०)	..	6.64	24.55
	2—ढालीपुर—यू० पी०/हिमाचल प्रदेश सीमांत लाइन (132 के० वी० एस० सी०)	..	2.84	13.20
	3—मथुरा—यू० पी०/राजस्थान सीमान्त लाइन (132 के० वी० एस० सी०)	..	..	..
	4—मुरादनगर—बद्रपुर कड़ी (220 के० वी० एस० सी०)	175.00	..	..
	5—132 के० वी० (एस० सी० आन डी० सी०) रिहंद यू० पी०/मध्य प्रदेश सीमान्त लाईन के द्वितीय सरकिट को बांधना	..	..	..
	6—अलवर-हरदुआगंज 220 के० वी० एस० सी० लाइन (राजस्थान/यू० पी० सीमान्त लाइन) ..	..	..	..
	योग : 4.3. विद्युत् ..	175.00	9.48	37.75

(लाख रुपयों में)

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
11.15	9.93	5.06	..	..
5.34	..	0.00	..	..
..	20.57	26.90	..	..
..	38.00	12.28	11.53	11.53
9.68	10.64	7.39	..	..
..	..	..	50.00	50.00
26.17	79.14	51.63	61.53	61.53

विवरण-पत्र 2. (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक	
			1969-70	1970-71
1	2	3	4	5
5·3. ग्राम एवं लघु उद्योग--				
5301	ग्रामीण उद्योग प्रायोजना	199.56	6.69	7.10
	विकास अन्वेषणालय :			
5302	फूलपुर में ग्रामीण उद्योगीकरण कार्यक्रम ..	104.59	1.74	1.69
5303	लघु उद्योगों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण	5.00	0.60	0.72
	चुने हुये पिछड़े जिलों (झांसी एवं बलिया) की औद्योगिक इकायों के लिए 10% सीधा अनुदान अथवा कैपिटल सब्सिडी	..	..	..
योग..	5.3 ग्राम एवं लघु उद्योग..	309.15	9.03	9.51
6.1. सड़कें--				
6101	बेरोजगारी दूर करने की परियोजना	1.09	0.46	0.33
6102	पौंता-राजभान-मीनस रोहरू सड़क का विकास	3.00	1.23	1.28

(लाख रुपये में)

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
10.22	24.40	29.43	37.39	14.09
3.99	9.05	2.93	8.50	..
1.07	1.12	1.08	1.51	..
..	..	5.00	5.00	..
15.28	34.57	38.44	52.40	14.09
..	..	..	..	..
0.33	..	..	0.15	..

विवरण-पत्र—2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक	
			1969-70	1970-71
1	2	3	4	5
6.1. सड़कें—				
6103	उत्तर प्रदेश तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का विकास	1.21	0.01	0.12
6104	इलाहाबाद जिले में सोरों-फूलपुर-हंडिया सड़क का निर्माण	7.84	3.00	2.50
6105	मिर्जापुर जिले में सिंगरौली पिपरी सड़क का निर्माण	8.97	..	..
6106	गंगा तथा रामगंगा पर पुल निर्माण	600.00	27.64	50.68
6107	पार्शिविक सड़क प्रायोजना	775.00	153.86	261.93
6108	अन्तर्राज्य तथा आर्थिक महत्व की सड़कों और उन पर पुलों का निर्माण (नई परियोजना)	167.00	..	..
6109	उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बक्सर में गंगा नदी पर पुल निर्माण	150.00	..	..

(लाख रुपयों में)

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
0.31	0.15	0.15	0.47	..
3.76	..	..	..	..
..	..	..	..	..
56.67	71.25	71.25	90.00	90.00
116.57	23.00	58.71	..	..
..	10.00	35.00	116.00	..
..	..	..	..	..

विवरण पत्र 2--(क्रमश)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक 1969-70	वास्तविक 1970-71
1	2	3	4	5
6110	अन्तर्देशीय जल परिवहन	5.00	..	..
	योग, 6.1. सड़कें ..	1719.11	186.20	316.84
7.1. सामान्य शिक्षा –				
7101	विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी साहित्य के प्रकाशनार्थ एक स्वायत्त निगम की स्थापना	100.00	7.00	5.00
7102	संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण	0.20	0.04	0.03
7103	क्षेत्रीय भाषाओं का प्रशिक्षण	1.29	..	..
7204	विशिष्ट संस्कृत पंडितों को वित्तीय सहायता जो दयनीय स्थिति में हैं	..	0.45	0.71
7105	हाई / हायर सेकन्डरी स्कूलों में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	..	..	..
	योग 7.1. सामान्य शिक्षा :..	101.49	7.49	5.74

(लाख रुपये में)

व्यय 1971-72	1972-73 परिव्यय	1972-73 अनुमानित व्यय	1973-74 (परिव्यय) कुल	1973-74 (परिव्यय) पूंजी
6	7	8	9	10
..	..	..	..	..
177.64	104.40	165.11	206.62	90.00
1.00	20.00	20.00	20.00	..
0.04	0.04	0.04	0.04	..
..	0.43	0.05	0.05	..
0.44	0.45	0.45	0.45	..
..	..	..	1.62	..
1.48	20.92	20.54	22.16	..

विवरण-पत्र—2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक 1969–70	वास्तविक 1970–71
1	2	3	4	5
	7.4. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन—			
	1—चिकित्सा शिक्षा—			
7401	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा ..	99.08	0.05	0.46
	योग, वर्ग–1 ..	99.08	0.05	0.46
	2—प्रशिक्षण कार्यक्रम—			
7421	लखनऊ मेडिकल कालेज में फिजियोथिरैपी और अाकूपेशनल थिरोपिरा पाठ्यक्रम की व्यवस्था	4.03	..	..
	योग, वर्ग–2 ..	4.03	..	..
	3—चिकित्सालय तथा औषधालय—			
7431	मानसिक रोगों के क्लीनिक्स की स्थापना	13.50	..	..
	योग, वर्ग–3 ..	13.50	..	..
7441	प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार	900.00	..	0.03
	योग, वर्ग–4 ..	900.00	..	0.03
	5—संचारी रोगों का नियन्त्रण—			
7451	भारत सरकार के आदेशानुसार 38 अन्य रोग क्लीनिक्स क्रमोन्नति अन्य रोग निरोध दवाओं, भवन निर्माण और जिला अस्पतालों में 400 छूत शय्याओं की व्यवस्था	178.40	7.18	7.62

(लाख रुपये में)

व्यय	1972–73		1973–74 (परिव्यय)	
1971–72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
11.03	10.83	19.63	22.80	0.50
11.03	10.83	19.63	22.80	0.50
..	0.86	..	0.86	..
..	0.86	..	0.86	..
..	0.60	0.60	1.86	..
..	0.60	0.60	1.86	..
10.04	40.87	40.87	60.00	..
10.04	40.87	40.87	60.00	..
11.81	12.50	12.50	73.50	..

विवरण-पत्र--2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक 1969-70	वास्तविक 1970-71
1	2	3	4	5
7452	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	1280.59	151.86	156.11
7453	राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम	436.52	..	15.68
7454	जमी व सूखी वैक्सीन का उत्पादन	40.00	0.26	2.11
7455	कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम जिसमें कुष्ठ नियन्त्रण इकाइयों की स्थापना 50 एस० ई० टी० इकाइयों की स्थापना तथा 6 इकाइयों का विस्तार	57.28	..	0.41
7456	फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम	60.80	..	1.99
7457	ट्रकोमा नियन्त्रण कार्यक्रम	9.00	..	0.07
7458	हैजा नियन्त्रण कार्यक्रम ..	7.50	..	..
7459	वी० डी० नियन्त्रण कार्यक्रम	15.00	0.19	0.09
	योग, वर्ग-5 ..	2085.09	159.49	184.08
	6--परिवार नियोजन--			
7461	नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र	198.70	7.17	27.70
7462	ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र }	2220.92	263.48	292.29
7463	उपकेन्द्र }			
7464	परिवार नियोजन प्रशिक्षण	264.43	130.11	17.02

(लाख रुपये में)

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
127.39	104.37	104.37	183.48	..
21.76	42.28	42.28	65.00	..
3.87	..	..	18.50	..
3.66	7.73	7.73	11.03	..
6.33	9.20	9.20	27.27	..
0.21	3.39	3.39	8.85	..
..	0.40	0.40	6.00	..
0.72	0.60	0.60	5.70	..
175.75	180.47	180.47	399.33	..
38.51	45.30	43.50	44.17	..
355.38	554.70	511.98	376.97	270.00
15.13	17.04	17.01	52.88	8.00

विवरण-पत्र–2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक (1969–70)	1970–71
1	2	3	4	5
7465	नसबन्दी कार्यक्रम	744.96	32.29	32.87
7466	लूप कार्यक्रम	185.59		
7467	परिवार नियोजन के लिए अन्य कार्यक्रम	1169.72	111.17	119.94
	विकास अन्वेषणालय—			
7469	परिवार नियोजन संचार से सम्बन्धित अनुसंधान प्रायोजना।	15.41	2.19	2.34
	योग, वर्ग–6 ..	5399.73	546.61	492.16
	7—भारतीय चिकित्सा पद्धति—			
7471	भारतीय चिकित्सा पद्धति में उच्च शिक्षा प्रशिक्षण और शोध कार्य की व्यवस्था	50.00	..	..
	योग, वर्ग–7 ..	50.00	..	..
	8—अन्य कार्यक्रम—			
7481	सीतापुर के नेत्र चिकित्सालय में नेहरू नेत्र संस्था के अन्तर्गत स्नातक शिक्षा की व्यवस्था	9.58	0.94	1.05
	योग, वर्ग–8 ..	9.58	0.94	1.05
	योग, 7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन ..	8561.01	706.89	677.78

(लाख रूपये में)

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
123.90	42.50	300.00	53[illegible].45	..
139.85	257.61	352.73	566.04	62.19
1.90	3.00	3.02	3.05	..
674.67	920.15	1228.24	1580.60	340.19
1.93	2.00	2.00	8.00	..
1.93	2.00	2.00	8.00	..
1.00	1.40	1.40	2.00	..
1.00	1.40	1.40	2.00	..
874.42	1157.18	1473.21	2075.45	340.6

विवरण-पत्र-2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक 1969-70	वास्तविक 1970-71
1	2	3	4	5
	7.5. जल सम्पूर्ति--			
7501	केन्द्रीय सर्वेक्षण तथा अनुसंधान नियोजन प्रतिष्ठान	55.04	8.31	7.74
	7.7. पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण--			
	(अ) अनुसूचित जन जातियां--			
	1--शिक्षा--			
7701	दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्तियां	6.70	1.14	1.50
7702	छात्रों/छात्राओं के लिये छात्रावास	8.00	0.99	..
	योग 1 ..	14.70	2.13	1.50
	2--आर्थिक विकास--			
7711	विशेष क्षेत्रीय प्रयोजना	26.00	0.45	1.61
7712	सहकारिता	15.00	0.37	2.39
	(अ) अनुदान एवं प्रबन्ध हेतु राजसहायता	..	..	..
	(ब) व्यवस्था एवं निरीक्षण स्टाफ तथा गाड़ी	..	..	..
	(स) ऋण	..	..	..
	योग, 2 ..	41.00	0.82	4.00

(लाख रुपये में)

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
9.54	9.97	9.97	11.73	11.73
1.80	1.20	1.20	2.00	..
2.00	2.00	2.00	0.25	0.25
3.80	3.20	3.20	2.25	0.25
4.31	4.25	4.25	9.75	..
2.42	3.75	3.75	5.00	..
..	..	..	..	..
0.95	..	..	..	..
..	..	..	..	..
7.68	8.00	8.00	14.75	..

विवरण-पत्र--2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक 1969-70	वास्तविक 1970-71
1	2	3	4	5
	3--स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनायें--			
7721	शोध, प्रशिक्षण एवं अग्रगामी प्रायोजना	6.75	0.52	0.82
7722	प्रौढ़ साक्षरता तथा सामाजिक शिक्षा	..	..	..
	योग, 3 ..	6.75	0.52	0.82
	योग, अ ..	62.45	3.47	6.32
	ब--अनुसूचित जातियां--			
	1--शिक्षा--			
7731	दशमोत्तर कक्षाओं से छात्रों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां	203.30	26.66	50.75
7732	छात्राओं के लिये छात्रावास	9.00	1.00	3.01
7733	राज्य सेवाओं की परीक्षा में बैठने के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	6.00	0.52	1.23
	योग, 1 ..	218.30	28.18	54.99
	2--आर्थिक विकास--			
	3--स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनायें--			
7741	शहरी क्षेत्रों में मेहतरों के लिये गृह निर्माण	10.00	3.00	2.49
7742	कमर तथा सिर पर मल ढोने की प्रथा का उन्मूलन	5.00	1.00	0.96

(लाख रुपये में)

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	01
0.57	0.50	0.50	1.00	..
..	..	..	..	..
0.57	0.50	0.50	1.00	..
12.05	11.70	11.70	18.00	0.25
83.26	97.00	97.00	110.00	..
3.01	3.00	..	1.50	..
1.00	1.25	1.25	3.00	..
87.27	101.25	98.25	114.50	..
2.25	1.50	1.50	0.75	..
1.05	1.00	1.00	1.00	..

विवरण-पत्र—2 (क्रमशः)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक 1969-70	वास्तविक 1970-71
1	2	3	4	5
7743	अस्वच्छ पेशों पर लगे अनुसूचित जाति के लोगों का गृह निर्माण हेतु अनुदान	..	..	..
7744	अस्वच्छ पेशों में लगे अनुसूचित जातियों के लोगों को गृह निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने हेतु अथवा क्रय करने हेतु अनुदान	5.00	0.46	0.41
	योग, 3 ..	20.00	4.46	3.86
	योग, ब..	238.30	32.64	58.85
	(स) विमुक्त जातियां—			
	1—शिक्षा			
7751	कृषि तथा तकनीकी विषयों में कक्षा 9 व 10 के छात्रों को विशेष छात्रवृत्तियां	2.50	0.42	0.33
7752	पूर्व दशम कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्तियां	5.00	1.00	1.00
7753	आश्रम पद्धति विद्यालय	34.00	3.75	4.13
	योग, 1 ..	41.50	5.17	5.46
	2—आर्थिक विकास—			
7761	शिल्पकला प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	1.50	..	0.06
7762	कृषि विकास हेतु राज्य सहायता	7.00	0.88	1.85

(लाख रुपये में)

व्यय	1972-73		1973-74	(परिव्यय)
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	9	10
..	..	..	..	..
0.75	1.50	1.00	1.25	..
4.05	4.00	3.50	3.00	..
91.32	105.25	101.75	117.50	..
0.50	0.75	0.75	0.75	..
1.00	1.00	1.00	1.00	..
4.20	6.00	6.00	6.50	..
5.70	7.75	7.75	8.25	..
0.20	0.25	0.25	0.25	..
1.51	1.50	1.50	1.00	..

विवरण-पत्र--2 (समाप्त)

संकेत संख्या	मद/परियोजना	चौथी योजना परिव्यय	वास्तविक 1969-70	1970-71
1	2	3	4	5
7763	कुटीर उद्योग विकास हेतु राज्य सहायता	10.00	1.01	1.94
7764	भूमि सेवायोजन/प्रायोजना या कारखाने के क्षेत्रों में पुनर्वासन	5.00	1.00	1.55
	योग, 2 ..	23.50	2.89	5.40
	3--स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनायें--			
7771	गृह निर्माण हेतु अनुदान	10.00	0.95	2.02
7772	पार्श्वयोत्तर व पर्वतीय क्षेत्र के ससम्बद्ध गूजरों के लिए विशेष योजना का संगठन	..	..	..
	योग, स ..	75.00	9.01	12.88
	महंगाई भत्ते के लिये एकमुश्त प्राविधान	..	..	..
	योग, 7.7 पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण ..	375.75	45.12	78.05
	7.8 समाज कल्याण			
7801	पूर्व व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना	19.54	3.36	2.79

(लाख रुपये में)

व्यय	1972-73		1973-74 (परिव्यय)	
1971-72	परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	पूंजी
6	7	8	10	9
2.05	2.00	2.00	2.00	..
4.45	2.00	2.00	2.00	..
8.21	5.75	5.75	5.25	..
1.51	2.25	2.25	3.25	..
..	..	..	4.00	..
15.42	15.75	15.75	20.75	..
0.15	0.55	0.55	0.55	..
118.94	133.25	129.75	156.80	0.25
3.13	4.10	4.08	4.23	..

विवरण पत्र—3

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उप- 1969-70
1	2	3	4	5	6
	1—कृषि तथा सिंचाई वन के अन्तर्गत क्षेत्र—				
	(1) वर्क प्लान क्षेत्र	हजार हेक्टर	3,314.5	3,800.0	3,765.8
	(2) जल्दी उगने वाले आर्थिक महत्व के वृक्षों का क्षेत्र	,,	20.8	114.4	21.8
	(3) ईंधन वृक्षों का क्षेत्र	,,	1.3	6.5	1.3
	(4) अन्य (रेवाइन सहित)	,,	10.1	41.9	8.1
	(5) वर्क प्लान के बाहर क्षेत्र	,,	617.3	319.3	353.5
	वन के अन्तर्गत क्षेत्र (1) व (5) ..		3,931.8	4,119.3	4,119.3

प्रमुख भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

लब्धियां		1972-73		1973-74 लक्ष्य
1970-71	1971-72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	
7	8	9	10	11
3,765.8	3,765.8	3,800.0	3,800.0	3,800.0
23.2	22.9	22.8	23.3	23.4
1.3	1.3	1.3	1.0	1.0
7.9	8.2	8.2	8.3	8.3
353.5	353.5	319.3	319.3	319.3
4,119.3	4,119.3	4,119.3	4,119.3	4,119.3

विवरण पत्र—3

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968—69	चौथी योजना (1969—74) लक्ष्य	उप- 1969—70
1	2	3	4	5	6
	बागवानी क्षेत्र	लाख हेक्टर	6.37	7.55	6.28
	शुद्ध काण्ड क्षेत्र	,,	167.89	175.04	168.56
	समग्र काण्ड क्षेत्र	,,	216.54	241.39	221.22
	योग सिंचित क्षेत्र	,,			
	शुद्ध	,,	65.32	99.78	67.88
	समग्र	,,	75.19	114.70	78.88
	लघु सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार हेक्टर			
	(क) नए क्षेत्र (क्षमता)	,,	599	3,193	648
	निजी लघु सिंचाई	,,	548	2,638	548
	राज्य लघु सिंचाई	,,	51	555	100
	(ख) मौजूदा कार्य में हानि	,,	172	1,214	191
	निजी लघु सिंचाई	,,	172	1,214	191
	राज्य लघु सिंचाई	,,	..	..	..

(क्रमशः)

लब्धियां		1972-73		1973-74
1970-71	1971-72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
7.06	7.26	7.46	7.46	7.55
168.31	171.36	170.14	173.06	173.80
225.01	231.60	233.88	236.84	241.19
72.24	84.14	90.58	91.16	97.54
83.04	96.75	104.12	104.78	112.12
698	733	681	696	696
603	608	561	561	561
95	125	120	135	135
210	230	247	247	263
210	230	247	247	263
..	..	..	..	..

विवरण-पत्र--

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उप- 1969-70
1	2	3	4	5	6
	(ग) कुल क्षमता (योग)	हजार हेक्टर	5,355	7,334	5,814
	निजी लघु सिंचाई	"	3,537	4,961	3,896
	राज्य लघु सिंचाई	"	1,818	2 373	1,918
	(घ) उपयोग	"	5,194	7,108	5,607
	निजी लघु सिंचाई	"	3,537	4,961	3,896
	राज्य लघु सिंचाई	"	1,657	2,147	1,711
	बड़े तथा मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र				
	क्षमता	हजार हेक्टर	3,607	4,619	3,683
	उपयोग	"	3,521	4,147	3,561
	खाद्यान्न				
	(1) खरीफ				
	(क) कुल क्षेत्र	लाख हेक्टर	85.17	94.78	85.26
	(ख) सिंचित क्षेत्र	"	10.66	17.49	9.74
	(ग) उत्पादन	लाख मी० टन	55.87	77.15	62.27
	(2) रबी				
	(क) कुल क्षेत्र	लाख हेक्टर	103.99	112.00	107.22
	(ख) सिंचित क्षेत्र	"	49.54	64.01	52.92
	(ग) उत्पादन	लाख मी० टन	104.54	136.85	111.86

3 (क्रमशः)

लब्धियां		1972-73		1973-74
1970-71	1971-72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
6,302	6,805	7,239	7,254	7,687
4,289	4,667	4,981	4,981	5,279
2,013	2,138	2,258	2,273	2,408
6,134	6,575	7,016	6,996	7,404
4,289	4,667	4,981	4,981	5,279
1,845	1,908	2,035	2,015	2,125
3,712	3,785	3,939	3,895	4,103
3,600	3,666	3,762	3,747	3,864
86.76	86.20	92.57	87.61	89.06
10.12	8.13	16.91	11.76	15.93
73.33	57.96	70.65	55.00*	71.70
107.82	107.16	111.30	113.89	115.40
57.25	56.92	61.39	63.37	65.15
121.32	116.68	130.35	132.00*	133.30

*अनुमानित उपलब्धि

विवरण पत्र—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उप- 1969-70
1	2	3	4	5	6
	कुल खाद्यान				
	(क) कुल क्षेत्र	लाख हेक्टर	189.16	206.78	192.48
	(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	60.20	81.50	62.66
	(ग) उत्पादन	लाख मी० टन	160.41	214.00	174.13
	वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्रफल—				
	(1) तिलहन—				
	(क) कुल क्षेत्र	लाख हेक्टर	6.29	8.26	6.61
	(ख) सिंचित क्षेत्र	लाख हेक्टर	0.40	0.48	0.49
	(ग) उत्पादन	लाख मी० टन	14.67	19.00	16.45
	(2) कपास—				
	(क) कुल क्षेत्र	लाख हेक्टर	0.48	0.80	0.51
	(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	0.43	0.78	0.46
	(ग) उत्पादन	लाख गाठें	0.41	0.95	0.49
	(3) गन्ना				
	(क) कुल क्षेत्र	लाख हेक्टर	12.03	13.50	13.77
	(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	8.48	12.50	9.65
	(ग) उत्पादन (गुड़)	लाख मी० टन	50.54	65.75	60.68

3 (क्रमशः)

लब्धियां		1972-73		1973-74
1970-71	1971-72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
194.58	193.36	203.87	201.50	204.45
67.37	65.06	78.30	75.13	81.08
194.65	174.64	201.00	187.00	205.00
6.97	7.19	8.00	8.40	9.16
0.69	0.75	0.47	0.80	1.90
18.52	13.20	18.60	18.60	19.00
0.52	0.56	0.75	0.59	0.68
0.45	0.50	0.70	0.54	0.60
0.43	0.26	0.60	0.50	0.60
13.45	12.74	12.00	13.00	13.50
9.02	8.37	10.90	10.30	11.00
54.67	49.66	60.00	58.00	62.00

विवरण पत्र—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उप 1969-70
1	2	3	4	5	6
	(4) जूट—				
	(क) कुल क्षेत्र	लाख हेक्टर	0.11	0.24	0.11
	(ख) सिंचित क्षेत्र	,,	..	..	..
	(ग) उत्पादन	लाख गांठें	1.68	2.20	1.55
	अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र—				
	(क) विदेशी—				
	मैक्सिकन गेहूं	लाख हेक्टर	13.58	23.85	16.40
	ताईचुंग धान	,,	3.31	10.15	5.61
	हाईब्रिड मक्का	,,	0.85	0.40	0.81
	हाईब्रिड ज्वार	,,	0.08	0.08	0.07
	हाइब्रिड बाजरा	,,	0.10	0.24	0.22
	योग ..		17.92	34.72	23.11

3 (क्रमशः)

लब्धियां		1972-73		1973-74
1970-71	1971-72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
0.13	0.16	0.24	0.21	0.24
..	..	..	..	..
1.83	1.70	2.16	1.80	2.00
19.38	22.00	25.00	32.00	34.00
6.77	9.94	9.25	9.25	10.15
0.63	0.16	0.30	0.20	0.20
0.01	..	0.02	0.02	0.03
0.30	0.40	0.35	0.30	0.40
27.09	32.51	34.92	41.77	44.78

विवरण पत्र—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उप— 1969-70
1	2	3	4	5	6
	(ख) उन्नतशील किस्मों का क्षेत्र (राजकीय अधिक उपज वाली किस्में)				
	उ० प्र० धान	लाख हेक्टर	4.29	8.10	6.42
	उ० प्र० मक्का	„	2.91	6.08	4.54
	उ० प्र० गेहूं	„	11.59	14.17	11.99
	योग (ख)		18.79	28.35	22.95
	उन्नतिशील किस्मों के बीजों का वितरण				
	(क) अधिक उत्पादनवाली किस्में	लाख मी० टन	0.94	1.38	0.73
	(ख) उन्नतशील किस्में	„	0.47	1.75	1.38
	योग ..		1.41	3.13	2.11

3 (क्रमशः)

लब्धियां		1972-7		1973-74
1970-71	1971-72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
8.45	8.81	7.83	7.83	8.10
5.86	6.15	5.94	5.94	6.08
12.43	10.58	13.45	12.00	6.00
26.74	25.54	27.22	25.77	20.18
1.07	..	1.16	1.16	1.38
1.99	..	1.68	1.68	1.75
3.06	..	2.84	2.84	3.13

विवरण पत्र--

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उप- 1969-70
1	2	3	4	5	6
	उर्वरक का वितरण				
	नत्रजन (N)	ला० मी० टन	2.20	5.50	3.06
	फास्फेटिक (P_2O_5)	"	0.77	2.20	0.99
	पोटास (K)	"	0.42	1.60	0.55
	हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र	लाख हेक्टर	5.66	12.00	5.13
	शहरी कम्पोस्ट (उत्पादन)	ला० मी० टन	6.89	9.50	6.79
	पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र				
	(1) खाद्यान्न	लाख हेक्टर	42.77	86.80	49.93
	(2) वाणिज्यिक फसलें	"	3.37	6.75	3.73
	(3) हार्टीकल्चर	"	1.05	2.45	1.37
	योग	..	46.69	96.00	55.03
	कृषि भूमि पर भूमि संरक्षण--				
	(अतिरिक्त)	लाख हेक्टर	1.46	10.80	2.38
	(1) राम गंगा जलाशय के जलगम क्षेत्र में भूमि संरक्षण वृक्षारोपण एवं चरागाहों का विकास	"	0.04	0.17	0.03
	(2) रेवाइंस का पुनर्वारण एवं रोपण	"	0.06	0.25	0.05

3 (क्रमशः)

लब्धियां		1972–73		1973–74
1970–71	1971–72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	6	10	11
2.91	3.30	4.30	3.70	4.88
0.75	0.72	1.50	0.88	1.09
0.45	0.53	1.00	0.61	0.78
4.71	5.40	10.93	6.50	12.00
7.12	7.47	8.80	8.80	9.50
64.95	79.62	76.07	76.07	86.80
4.50	5.77	6.00	6.00	6.75
1.60	2.10	2.18	2.18	2.45
71.05	87.49	84.45	84.25	96.00
2.42	2.60	2.28	2.67	0.75
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

विवरण पत्र-

क्रम संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना 1969-74 लक्ष्य	उप- 1969-70
1	2	3	4	5	6
	जोतों की चकबन्दी	लाख हेक्टयर	88.96	115.26	93.47
	नियंत्रित बाजारों की संख्या	संख्या	58	2.50	79
	उपलब्ध संग्रहण क्षमता—				
	उर्वरक—				
	(क) कृषि विभाग	लाख टन	1.40	2.48	1.38
	(ख) सहकारिता विभाग	,,	3.15	4.15	3.15
	योग ..		4.55	6.63	4.53
	खाद्यान्न के लिये				
	सहकारिता विभाग	लाख टन	2.22	2.94	2.22
	कृषि उद्योग निगम के माध्यम से उपकरणों का वितरण—				
	पम्पसेट	संख्या	1,130	..	1,242
	शक्ति चालित टिलर्स	,,	..	..	..
	ट्रैक्टर्स	,,	353	..	1,386
	पशुपालन—				
1	पशु चिकित्सालय	संख्या	994	95	24
	पशु सेवा केन्द्रों की प्रोन्नति	,,	..	160	..

3 (क्रमशः)

लब्धियां		1972–73		1973–74
1970–71	1971–72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
97.85	104.67	109.67	109.67	114.86
171	194	..	243	250
1.58	1.80	2.30	2.30	2.48
3.15	3.92	4.00	अप्राप्त	अप्राप्त
4.73	5.72	6.30	..	..
2.33	2.54	2.55	अप्राप्त	अप्राप्त
..	..	10,000	10,000	15,000
9	8	..	..	..
855	1,854	30,000	1,804	2,000
37	25	13	13	13
50	50	60	60	..

विवरण पत्र—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968–69	चौथी योजना (1969–74) लक्ष्य	उप— 1969–70
1	2	3	4	5	6
2	पशु सेवा केन्द्र	संख्या	1,407	508	140
3	वीर्य संग्रह केन्द्र	,,	14	15	5
4	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	,,	616	110	18
5	कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र	,,	481	1,042	150
6	सघन पशु विकास खंड	,,	3	3	2
7	चारों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	हेक्टेयर	14,252	57,705	8,663.59
8	प्रमुख ग्राम खन्ड				
	(क) स्थापित	संख्या	76	..	..
	(ख) प्रसार	,,	..	..	..
9	पशु प्रजनन फार्म	,,	14	..	..
10	भेड़ प्रजनन फार्म	,,	15	..	..
	भेंड़ प्रजनन इकाई	,,	4	..	..
	भेंड़ एवं ऊन विस्तार केन्द्र	,,	84	..	2
11	ऊन वर्गीकरण केन्द्र	,,	..	1	..

3 (क्रमशः)

उपलब्धियां		1972–73		1973–74
1970–71	1971–72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
87	110	124	124	154
4	2	3	3	2
29	23	14	14	17
347	370	144	144	154
1	..	..	..	..
12,974.10	14,124.92	17,503	17,503	..
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
2	27	18	18	37
1	..	..	..	..

विवरण पत्र—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उप- 1969-70
1	2	3	4	5	6
12	पशु जनित पदार्थ का निर्माण				
	(क) दूध की वस्तुयें	हजार टन	5,203	5,844	5,325
	(ख) गोश्त की वस्तुयें	मिलयन कि०ग्राम	122.55	145.50	126.83
	(ग) अन्डे की वस्तुयें	मिलयन ,,	168	206	175
	(घ) ऊन की वस्तुयें	हजार कि० ग्रा०	2,096	2,324	2,140
	राजकीय कुक्कुट फार्म की स्थापना	संख्या	45	1	..
	सहकारी कुक्कुट फार्म	,,	264	5	..
	कुक्कुट पालने वाले कृषकों का प्रशिक्षण—				
	(क) अल्पकालीन कोर्स	संख्या	1,684	8,900	2,401
	(ख) दीर्घकालीन कोर्स	,,	66	400	83
	सघन कुक्कुट विकास खन्ड	,,	5	2	2
	मत्स्य पालन				
1	नावों का मशीनीकरण	संख्या		अप्राप्त	
2	फिशिंग टालर्स	,,		अप्राप्त	
3	कोल्ड स्टोरेज	,,		अप्राप्त	
4	सहकारी क्रय विक्रय समितियां	,,		अप्राप्त	
5	बन्दरगाहों पर लेइन्ग और वर्निंग सुविधा	,,		अप्राप्त	

*160 पशु सेवा केन्द्रों को डी क्लास

3 (क्रमशः)

लब्धियां		1972–73		1973–74
1970–71	1971–72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
5,450	5,579	5,710	5,710	5,844
131.27	135.85	140.59	140.59	145.50
183	190	198	198	206
2,185	2,230	2,275	2,275	2,324
1	..	..	..	..
..	..	..	..	..
2,520	3,601	2,000	2,000	1,520
48	59	80	80	80
..	..	..	..	..
अप्राप्त				

पशु चिकित्सालय को प्रोन्नति

विवरण पत्र—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना 1969-74 लक्ष्य	उप— 1969-70
1	2	3	4	5	6
6	श्रमिक मछुवा सहकारी समितियों को ऋण	लाख रु० में	..	..	1.10
7	अंगुलिकाओं का वितरण	लाखों में	40.17	199.20	42.27
8	मत्स्य बीज फार्म	संख्या	89	33	98
	मत्स्योत्पादन				
	(1) देशी	मी० टन	1,191.70	8,050.00	1,247.80
	(2) समुद्रीय	..	..	..	..
	2–सहकारिता				
	प्राथमिक सहकारी समितियां (कृषि ऋण) ..	संख्या	1,392	2,500	522
	सदस्यता	हजार रु०	5,561	1,700	283
	शेयर कैपिटल	करोड़ रु०	16.21	5.50	1.69
	डिपाजिट	,,	4.62	2.50	0.47
	कृषि ऋण (क) लघु और मध्यम ऋण	करोड़ रु०			
	वर्ष के दौरान अग्रिम ऋण	,,	52.57	85.00	64.41
	वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	,,	69.89	..	80.52

3 (क्रमशः)

लब्धियां		1972-73		1973-74
1970-71	1971-72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
..	0.20	0.20	0.40	0.50
42.96	42.40	42.80	42.80	44.00
102	106	108	108	110
1,470.50	1,119	1,800	1,800	2,000
..	..	..	..	..
405	816	500	500	500
306	356	350	350	350
1.51	1.40	1.40	1.40	1.18
1.03	1.10	0.50	0.50	0.50
55.97	51.84	62.00	62.00	65.00
74.97	71.26	..	..	..

विवरण पत्र—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968–69	चौथी योजना (1969–74) लक्ष्य	उप- 1969–70
1	2	3	4	5	5
	(ब) दीर्घकालीन—				
	वर्ष में अग्रिम ऋण	करोड़	14.19	140.00	20.02
	वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	,,	37.24	..	57.56
3	प्राथमिक क्रय विक्रय				
	समितियां	संख्या	203	7	..
	वर्ष के अन्तर्गत व्यापार	करोड़ रु०	17.23	31.50	13.27
	प्रोसेसिंग समितियां				
	(क) चावल मिल	संख्या	17	..	..
	(ख) व्यापार की रकम	लाख रु०	60.28	..	38.99
	(ग) चीनी मिल	संख्या	6	..	..
	(घ) उत्पादन	लाख रु०	16.62	..	10.08
	(च) काटन गिनिंग एवं प्रोसेसिंग।	संख्या	..	..	..
	(छ) व्यापार	लाख रु०	..	..	..
	(ज) अन्य विधायन इकाइयां	संख्या	78	8	..
	(ट) व्यापार	लाख रु०	55.93	..	24.98

3 (क्रमशः)

लब्धियाँ		1972–73		1973–74
1970–71	1971––72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियाँ	लक्ष्य
7	8	9	10	11
20.08	23.73	20.00	20.00	20.00
76.12	95.40	..	..	..
..	3	7	7	..
15.00	16.09	25.00	25.00	31.50
..	..	..	..	..
52.71	54.80	57.00	57.00	58.00
..	..	..	..	..
6.87	6.73	6.75	6.75	7.00
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
..	1	5	5	5
40.16	146.26	150.00	150.00	160.00

विवरण पत्र—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968–69	चौथी योजना (1969–74) लक्ष्य	उपलब्धियां 1969–70
1	2	3	4	5	6
3 विद्युत—					
1	अधिष्ठापित क्षमता	मेगावाट	1,310.04	2,479.49	1,368.02
	(क) यू० पी० राज्य विद्युत् परिषद्	मेगावाट	1,135.79	2,305.24	1,193.77
	(ख) निजी सेक्टर	मेगावाट	174.25	174.25	174.25
2	विद्युत् उत्पादन—		5,721	10,130	6,223
	(क) यू० पी० राज्य विद्युत् परिषद्	दास लाख कि० वा० घं०	4,781	9,155	5,038
	(1) उत्पादन यमुना प्रथम तथा द्वितीय चरण (हिमांचल प्रदेश के अंश को छोड़कर)	..	4,371	9,155	4,701
	(2) क्रय/आयात	..	410	..	337
	(अ) पड़ोसी राज्यों से	..	410	..	337
	यमुना प्रथम तथा द्वितीय चरण में हिमांचल प्रदेश के अंश को क्रय-कर	..	..	..	..
	(ख) निजी क्षेत्र	..	940	975	1,185

3 (क्रमशः)

उपलब्धियां		1972-73		1973-74 लक्ष्य
1970-71	1971-72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	
7	8	9	10	11
1,434.02	1,572.02	1,827.02	1,727.02	2,107.02
1,259.77	1,397.77	1,652.77	1,552.77	1,932.77
174.25	174.25	174.25	174.25	174.25
7,050	7,434	8,658	7,730	9,530
5,945	6,322	7,558	6,630	8,430
5,531	5,986	7,000	6,180	7,510
414	336	558	450	920
414	336	558	350	775
..	..	..	100	145
1,105	1,112	1,100	1,100	1,100

विवरण पत्र—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968–69	चौथी योजना (196 – 74) लक्ष्य	उपलब्धियां 1969–70
1	2	3	4	5	6
3	विद्युत् विक्रय	दस लाख कि० वा० घं	4,348	7,900	4,752
	(क) उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद्		3,563	7,050	3,712
	(1) राज्य में	..	3,503	6,973	3,634
	(2) राज्य से बाहर	..	60	77	78
	(ख) निजी क्षेत्र	..	785	850	1,040
4	ग्रामीण विद्युतीकरण—				
	(क) विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	12,926	27,926	17,336
	(ख) निजी नलकूपों/पम्प सेटों का विद्युतीकरण	संख्या	65,513	2,65,513	91,977
	(1) सामान्य कार्यक्रम	संख्या	58,049	1,58,049	79,221
	(2) उपभोक्ता जमा योजना	संख्या	7,464	1,07,464	9,686
	(3) वाणिज्य योजना	संख्या	..	..	3,070
	(4) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम परियोजना	"	..	..	..

3 (क्रमशः)

उपलब्धियां		1972–73		1973–74
1970–71	1971–72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
5,263	5,465	6,519	5,825	7,010
4,291	4,486	5,549	4,755	6,040
4,204	4,318	5,472	4,678	5,963
87	168	77	77	77
972	979	970	970	970
20,719	23,755	25,719	26,755	29,755
1,16,621	1,47,286	2,16,621	1,97,286	2,47,286
94,455	1,14,451	1,28,455	1,24,451	1,34,451
11,556	12,511			
10,610	19,800	88,166	72,835	1,12,835
..	524			

विवरण पत्र--

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उप- 1969-70
1	2	3	4	5	6
4 परिवहन--					
	1--सड़कें--				
	1--राज्य मार्ग				
	(क) समतल सड़कें	कि० मी०	7,446	7,496	7,446
	(ख) असमतल सड़कें	"	56	6	56
	योग ..		7,502	7,502	7,502
	2-3 तथा 4 वृहत् जिला मार्ग--जिले की अन्य सड़कें तथा ग्रामीण मार्ग				
	(क) समतल सड़कें	कि० मी०	21,767	24,409	22,061*
	(ख) असमतल सड़कें	"	37,107	37,107	37,107
	योग ..	..	58,874	61,516	59,168
5	सड़कों का योग--				
	(क) समतल सड़कें	कि० मी०	29,213	31,905	29,507
	(ख) असमतल सड़कें	"	37,163	37,113	37,163
	योग ..	..	66,376	69,018	66,670

*आयोजनेत्तर कार्यों की उपलब्धियां भी सम्मिलित हैं ।

*इसके अतिरिक्त 1,600 कि० मी० लम्बी सड़कें राज्य सड़क योजना के बाहर निर्माण की जायेंगी ।

3 (क्रमशः)

उपलब्धियां		1972–73		1973–74
1970–71	1971–72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
7,446	7,446	7,446	7,446	7,446
56	56	56	56	56
7,502	7,502	7,502	7,502	7,502
22,534*	23,093*	23,388	24,322*	24,736**
37,107	37,107	37,107	37,107	37,107
59,641	60,200	60,495	61,429	61,843
29,980*	30,539*	30,834	31,768	32,182**
37,163	37,163	37,163	37,163	37,163
67,143	67,702	67,997	68,931	69,345

विवरण पत्र—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उपलब्धियां 1969-70
1	2	3	4	5	6
6.	ग्राम जो सड़कों से वंचित हैं		उपलब्ध नहीं है		
7.	राज्य ट्रान्सपोर्ट अन्डर टेकिंग 1 निगम द्वारा खरीदी हुई गाड़ियां—				
	(क) ट्रक	संख्या	525	..	506
	(ख) बस	"	3,821	4,594	3,963
	(ग) टैक्सी	"	111	..	132
	(घ) अन्य	..	बसों की संख्या में सम्मिलित है		
5	सामान्य शिक्षा—				
	क—छात्र संख्या				
	(1) कक्षा 1-5	लाख में	99.35	116.33	103.00
	छात्र संख्या का आयु वर्ग 6-11 की जन संख्या से प्रतिशत				
	(क) बालक	प्रतिशत	100	100	100
	(ख) बालिका	"	65	80	65
	(ग) योग	"	85	98	86
	(2) कक्षा 6-8	लाख में	17.27	21.60	18.08

3 (क्रमशः)

उपलब्धियां		1972-73		1973-74 लक्ष्य
1970-71	1971-72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	
7	8	9	10	11
469	410*	..	410	..
4,058	4,253	4,462	4,462	4,594
126	95**	..	95	..
108.28	114.18	115.41	116.16	119.12
100	100	100	100	100
72	77	71	78	81
93	97	90	98	100
18.68	19.51	20.21	20.22	20.53

*59 ट्रकों को नीलाम कर दिया गया ।

**31 टैक्सियों को नीलाम कर दिया गया ।

विवरण पत्र

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियाँ 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उपलब्धियाँ 1969-70
1	2	3	4	5	6
	छात्र संख्या का आयु वर्ग 11-14 की जन संख्या से प्रतिशत				
	(क) बालक	प्रतिशत	43.6	48.1	43.4
	(ख) बालिका	,,	10.9	14.6	11.4
	(ग) योग	,,	27.9	32.3	28.1
	(3) कक्षा 9-12	लाख में	9.53	12.53	10.13
	छात्र संख्या का आयु वर्ग 14-18 की जन संख्या से प्रतिशत				
	(क) बालक	प्रतिशत	21.1	23.0	21.6
	(ख) बालिका	,,	4.6	6.8	5.0
	(ग) योग	,,	13.1	15.4	13.6
	प्रति 10,000 की जन संख्या पर हाई स्कूल पास व्यक्तियों का उत्पादन---				
	(क) बालक	प्रतिशत	32	47	35
	(ख) बालिका	,,	9	13	9
	(ग) योग	,,	21	30	23
	विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों की छात्र संख्या-योग (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य)	लाख में	1.26	1.66	1.34
	केवल विज्ञान	लाख में	0.42	0.52	0.44

3——(क्रमशः)

उपलब्धियां		1972–73		1973–74 लक्ष्य
1970-71	1971–72	लक्ष्य	उपलब्धियां	
7	8	9	10	11
43.5	44.8	43.9	45.8	46.1
12.2	12.8	12.4	13.3	13.4
28.8	29.7	28.8	30.5	30.7
10.73	11.33	11.93	11.93	12.53
21.3	21.9	22.5	22.5	23.0
5.5	5.9	6.4	6.4	6.8
13.9	14.4	14.9	14.9	15.4
36	47	48	48	50
12	11	12	12	13
25	29	30	30	31
1.42	1.50	1.58	1.58	1.66
.046	0.48	0.50	0.50	0.52

विवरण पत्र—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उपलब्धियां 1969-70
1	2	3	4	5	6
	ख—अध्यापक—				
	(1) प्रारम्भिक पाठशालाओं में	संख्या	2,47,843	3,10,712	2,63,551
	प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत	प्रतिशत	77	86	80
	(2) माध्यमिक विद्यालयों में	संख्या	42,730	52,730	44,730
	प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत	प्रतिशत	85	96	88
	ए—प्राविधिक शिक्षा				
	(i) इंजीनियरिंग कालेज—				
	(क) संस्थाओं की संख्या	संख्या	7	7	7
	(ख) स्वीकृत वार्षिक प्रवेश क्षमता	संख्या	930	1,565	980
	(ग) उत्तीर्ण संख्या	संख्या	849	1,260	827
	(ii) बहुधंधी संस्थान—				
	(क) संस्थानों की संख्या	संख्या	34	34	34
	(ख) स्वीकृत वार्षिक प्रवेश क्षमता	संख्या	5,750	6,550	5,530
	(ग) उत्तीर्ण संख्या	संख्या	2,802	3,500	3,798

3 ((क्रमशः)

उपलब्धियां		1972–73		1973–74 लक्ष्य
1970–71	1971–72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियाँ	
7	8	9	10	11
2,72,206	2,91,351	2,96,211	3,02,845	3,11,476
83	83	84	85	87
46,730	48,730	50,730	50,730	52,730
91	92	95	95	96
7	7	7	7	7
980	980	980	980	980
1,358	790	790	790	790
34	34	34	34	34
5,990	5,990	5,990	6,180	6,440
3,400	3,300	3,300	3,300	4,200

विवरण पत्र—

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उपलब्धियां 1969-70
1	2	3	4	5	6
	6—स्वास्थ्य				
	1—चिकित्सालय—				
	(क) नगरी	संख्या	938	957	923
	(ख) ग्रामीण	संख्या	2,119	2,335	2,493
	2—शय्यायें—				
	(क) नगरी चिकित्सालय एवं औषधालय	संख्या	26,761	33,390	30,521
	(ख) ग्रामीण चिकित्सालय एवं औषधालय	संख्या	5,981	6,847	7,707
	3—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—				
	(क) मुख्य केन्द्र	संख्या	875	..	..
	(ख) उप केन्द्र	संख्या	2,625	..	..
	4—नर्सेस का प्रशिक्षण—				
	संस्थायें	संख्या	11	12	11
	भरती	संख्या	1,081	1,400	1,084
	निकास	संख्या	255	800	180
	5—सहायक नर्सेस की प्रशिक्षण—				
	संस्थायें	संख्या	17	33	18
	भरती	संख्या	650	1,400	680

3 (क्रमशः)

उपलब्धियां		1972-73		1973-74 लक्ष्य
1970-71	1971-72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	
7	8	9	10	11
925	931	938	938	945
2,519	2,598	2,852	2,852	3,011
31,589	32,428	33,033	33,033	33,588
7,899	8,254	9,804	9,804	10,934
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
11	11	11	11	12
1,084	1,084	1,084	1,084	1,234
224	224	275	275	300
20	26	43	43	43
830	780	1,290	1,290	1,290

विवरण पत्र—

क्रम–संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियाँ 1968–69	चौथी योजना (1969–74) लक्ष्य	उपलब्धियां 1969–70
1	2	3	4	5	6
	निकास	संख्या	133	800	206
	(vi)–रोगों का नियंत्रण				
	टी० बी०	संख्या	22	58	25
	कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र	संख्या	14	24	16
	बी० डी० केन्द्र	संख्या	10	20	12
	फाइलेरिया केन्द्र	संख्या	10	22	10
	एस० ई० टी० केन्द्र	संख्या	55	105	65
	(vii) मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	संख्या	3,550	..	..
	(viii)–चिकित्सा शिक्षा				
	मेडिकल कालेज	संख्या	6	9	8
	वार्षिक भरती	संख्या	874	953	858
	निकास	संख्या	502	..	682
	(vii)–जल सम्पूर्ति				
	(ए) नगरी				
	कारपोरेशन टाउन				
	(i)–सुरक्षित जल सम्पूर्ति	गैलन	160	185	154
	जन संख्या लाभान्वित	मिलियन्स	3.55	4.51	3.74

3 क्रमशः)

उपलब्धियां		1972–73		1973–74
1970–71	1971–72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
600	600	600	600	1,000
31	38	46	46	58
19	22	..	..	..
12	14	16	16	18
12	12	14	14	..
65	75	90	90	..
..	..	..	..	..
8	8	..	..	..
858	858	908	908	908
694	690	690	775	775
164	174	178	178	185
3.93	4.12	5.12	5.12	6.12

विवरण पत्र--

क्रम-संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	1969-70
1	2	3	4	5	6
	अन्य नगर--				
(i)	नगर	संख्या	139	159	141
	जन संख्या लाभान्वित	मिलियन्स	5.19	5.46	5.03
बी--ग्रामीण					
	सुरक्षित जल सम्पूर्ति--				
(i)	ग्राम	संख्या	2,837	4,111	2,935
(ii)	जन संख्या लाभान्वित	मिलियन्स	1.40	1.89	1.44
	नगरी जल निस्तारण--				
(i)	जल निस्तारण	संख्या	26	40	28
(ii)	जन संख्या लाभान्वित	मिलियन्स	4.28	5.57	4.33
VIII--आवास					
(i)	औद्योगिक	आवासों की संख्या	544	5,440	486
(ii)	मलिन बस्ती विकास	,,	12	725	108
(iii)	अल्प आय वर्ग गृहनिर्माण	,,	111	1,600	15
(iv)	ग्राम आवास				
(ए)	ग्रामों की संख्या		..	..	..
(बी)	पूरे किये गये आवासों की संख्या		..	..	..

3 (क्रमशः)

उपलब्धियां		1972-73		1973-74
1970-71	1971-72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
144	165	169	169	175
5.23	5.28	5.34	5.34	5.46
3,232	3,715	4,153	4,153	4,634
1.57	1.93	2.15	2.15	2.38
30	33	36	36	40
4.1[illegible]	4.12	5.44	3.44	5.75
640	795	1,440	1,440	1,920
128	..	192	192	255
480	273	408	408	350
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..

विवरण पत्र—

क्रम संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना लक्ष्य (1969-74)	उपलब्धियां 1969-70
1	2	3	4	5	6
(v)	भूमि अध्यापन तथा विकास	विकसित क्षेत्र	उपलब्ध नहीं है		
(vi)	प्लान्टेशन लेबर हाउसिंग	(हेक्टर)	उपलब्ध नहीं है		
(ix)	शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रमकल्याण——				
	वर्तमान	संख्या	48	48	48
	नये	संख्या	..	2	2
	भरती	संख्या	13,036	77,240	11,340
	निकास	संख्या	8,251	77,240	7,874
	इनटेक ..	संख्या	..	..	87
	निकास ..	संख्या	..	..	..
	पिछड़ी जातियों का कल्याण——				
	(i) टी० डी० क्लास्स	संख्या	..	..	..
	(ii) वर्गवार प्रशिक्षण	संख्या	..	..	..
	(i) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां				
	(क) सामान्य कोर्स——				
	(i) अनुसूचित जनजातियां	संख्या	..	1,852	264
	(ii) अनुसूचित जातियां	संख्या	22,000	1,34,000	28,314

3 (क्रमशः)

		1972–73		1973–74 लक्ष्य
1970–71	1971–72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियाँ	
7	8	9	10	11
..	..	..	..	..
	उपलब्ध नहीं है			
50	51	51	51	52
2	2	..	3	3
13,633	14,620	15,760	18,058	15,200
7,768	8,569	9,014	9,014	13,349
143	224	224	201	..
41	41	..	..	..
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..
270	57	333	333	330
30,000	33,380	34,670	34,670	36,000

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No........................
Date..........................

विवरण पत्र--

क्रम संख्या	मद	इकाई	उपलब्धियां 1968-69	चौथी योजना (1969-74) लक्ष्य	उ-- 1969-70
1	2	3	4	5	6
	(ख) प्राविधिक एवं पेशेवर कोष--				
	(i) अनुसूचित जन-जातियां	संख्या	..	926	64
	(ii) अनुसूचित जातियां	संख्या	10,000	66,000	11,000
	(iii) छात्राओं के लिए	संख्या	..	9	3
	छात्रावास				
10--	ग्राम एवं लघु उद्योग--				
	औद्योगिक अस्थान	संख्या	..	24	2
11--	सूचना एवं प्रसार				
क-(i)	जिले जहां प्रसार एवं सूचना केन्द्र हैं	संख्या	3	3	3
(ii)	जिले जहां प्रसार केन्द्र नहीं हैं	संख्या	51	51	5
ख-(i)	क्षेत्रीय प्रसार इकाइयां	संख्या	3	3	3
(ii)	तहसील जहां प्रसार	संख्या	12	12	12
(iii)	तहसील जहां प्रसार इकाइयां नहीं हैं	संख्या	221	221	221

क्रमश :)

यां		1972–73		1973–74
0–71	1971–72	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धियां	लक्ष्य
7	8	9	10	11
70	33	67	67	70
2,000	16,700	17,330	17,330	18,000
7	2	2	3	5
2	2	10	10	9
3	3	19	19	20
51	51	35	35	25
3	3	19	19	29
12	12	88	88	132
221	221	145	145	101